निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

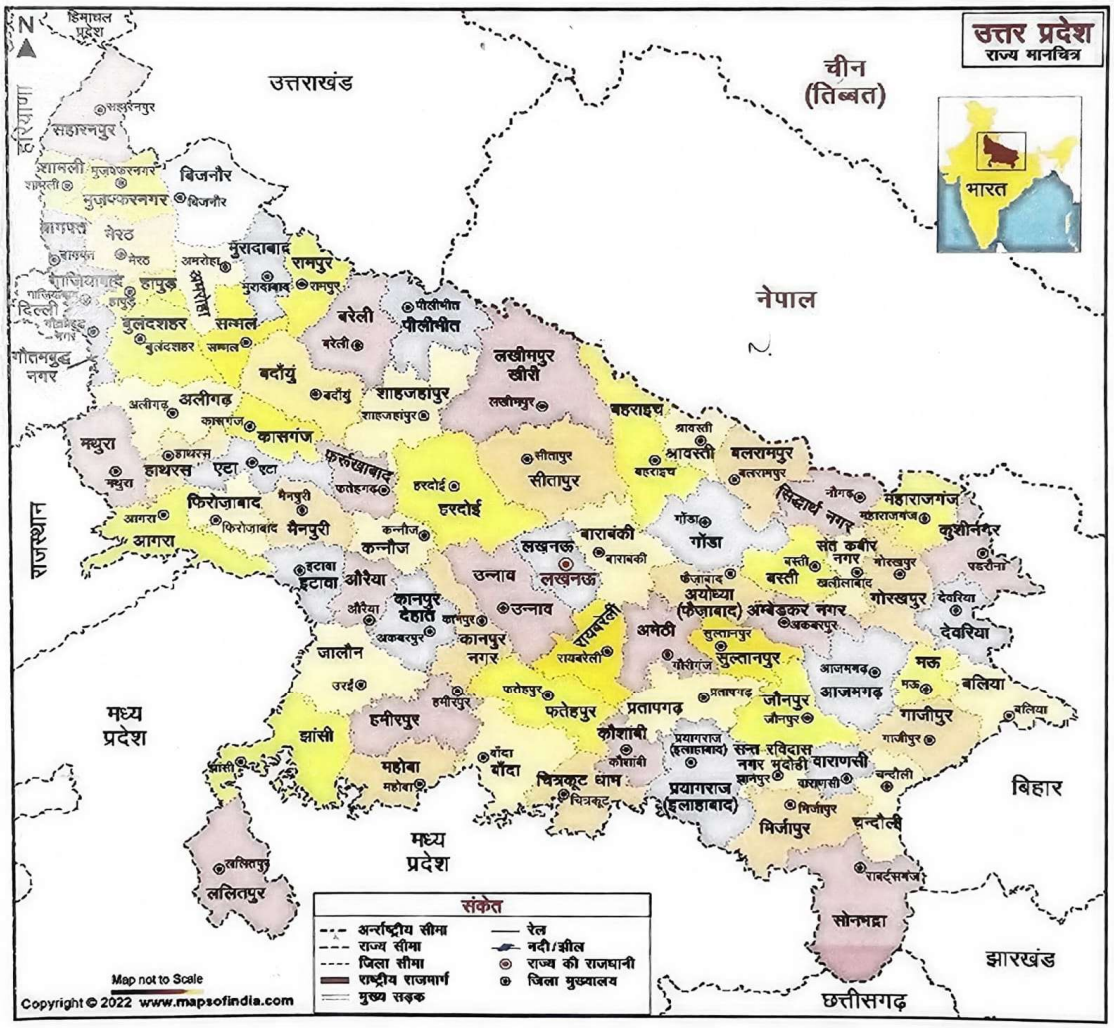

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-5

अध्याय-4

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठसंख्या(भाग)
1	आगरा मण्डल		**2104-2229(5)**
2	अलीगढ़ मण्डल		**2229-2366(5)**
3	अयोध्या मण्डल		**2366-2689(5)**

जनपद - आगरा **मण्डल - आगरा**

वार्षिक प्रतिवेदन ग्राम पंचायत जनपद आगरा वर्ष 2021-22

1- नाम संस्था - खंदोली **विकास खण्ड - खंदोली**

ग्राम प्रधान का नाम - श्री राज कुमार जूरेल **ग्राम पं0 अधिकारी का नाम - श्री राहुल उपाध्याय**

प्रस्तर सं 01 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री राज कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 5336664.00 का उपभोग योजनाओ के अन्तर्गत दर्शाया गया है |

क्र० स०	योजना का नाम	धनराशि
1	शिक्षा	-
2	स्वस्थ एवं परिवार कल्याण	-
3	पेयजल	1254917.00
4	पंचायती राज कार्यक्रम	2755282.00
5	सृजित सम्पत्तियां का सृजन	-
6	नवीन सम्पत्तियां का सृजन	-
7	जिला प्रशासन (पी.आर.आई.)	1326465.00
	योग	5336664.00

जब कि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू० 5336664-00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राज कुमार जूरेल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल उपाध्याय व राज कुमार से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 02- ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा में रु० 245000.00 का उपभोग निम्न योजनाओ /मदों के अन्तर्गत दर्शाया गया है|

क्र० स०	योजना का नाम	धनराशि
1	लेबर	245000.00
2	मेटेरिअल	-
3	प्रशासनिक व्यय	-
	योग	245000.00

पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू० 245000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राज कुमार जूरेल एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राहुल उपाध्याय व राज कुमार से आधा-आधा आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

2- नाम संस्था – मुढी जहाँगीरपुर **विकास खण्ड - खंदोली**

ग्राम प्रधान– श्री राजीव गिरी **ग्राम पंचायत अधिकारी – श्री वीरेन्द्र सिंह**

प्रस्तर सं 03- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी द्वारा मनरेगा सम्बन्धित कोई भी अभिलेख ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ,जिला लेखा परीक्षा परीक्षा अधिकारी तथा उप मुख्य लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्राचार के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये। मनरेगा पोर्टल में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा में रु०1842000.00 का उपभोग निम्न योजनाओ /मदों के अन्तर्गत दर्शाया गया है

क्र० स०	योजना का नाम	धनराशि
1	लेबर	1193000.00
2	मेटेरिअल	552000.00
3	प्रशासनिक व्यय	97000.00
	योग	1842000.00

पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू० 1842000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री राजीव गिरी एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

3- नाम संस्था – पैंतखेड़ा **विकास खण्ड - खंदोली**

ग्राम प्रधान– श्री गौतम सिंह **ग्राम पंचायत अधिकारी – श्री कमल सिंह**

प्रस्तर सं 04 वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा हेतु ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री कमल सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी तथा उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्राचार के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये । उक्त के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा यह बताया गया कि अभिलेख जाँच हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में है ,उक्त उत्तर को पूर्ण रूप से मान्य नहीं किया जा सकता है । बैंक स्टेटमेंट तथा 4269336.20में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र तथा राज्य वित्त में रु० 4269336.20 व्यय निम्न विवरण के अनुसार दर्शाया गया है ।

क्रमांक	**योजना का नाम**	**धनराशि**
1	केंद्रीय वित्त आयोग	2599259.10
2	पंचम राज्य वित्त आयोग	1670077.10
	योग	4269336.20

पंचायत राज विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । अतः उपरोक्त व्यय रू० 4269336.20 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री गौतम सिंह एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री कमल सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं 05 मनरेगा पोर्टल में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा में रु० 1072000.00 का उपभोग निम्न योजनाओ /मदों के अन्तर्गत दर्शाया गया है

क्र० स०	योजना का नाम	धनराशि
1	लेबर	945000.00
2	मेटेरिअल	35000.00
3	प्रशासनिक व्यय	92000.00
	योग	1072000.00

पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू० 1072000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री गौतम सिंह एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री कमल सिंह से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

4- नाम संस्था - पोइया विकास खण्ड - खंदोली

ग्राम प्रधान– श्रीमती मिथलेश देवी ग्राम पंचायत अधिकारी - श्री राहुल उपाध्याय व राज कुमार

प्रस्तर सं 06 -वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री राज कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 11686159.00 का उपभोग योजनाओ के अन्तर्गत दर्शाया गया है |

क्र० स०	योजना का नाम	धनराशि
1	शिक्षा	-
2	स्वस्थ एवं परिवार कल्याण	-
3	पेयजल	2363963.00
4	पंचायती राज कार्यक्रम	4954819.00
5	सृजित सम्पत्तियां का सृजन	-
6	नवीन सम्पत्तियां का सृजन	-
7	जिला प्रशासन (पी.आर.आई.)	4367377.00
	योग	11686159.00

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई

बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 11686159.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल उपाध्याय व राज कुमार से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 07 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा में रु० 1344000.00 का उपभोग निम्न योजनाओ /मदों के अन्तर्गत दर्शाया गया है

क्र० स०	योजना का नाम	धनराशि
1	लेबर	1273000.00
2	मेटेरिअल	-
3	प्रशासनिक व्यय	71000.00
	योग	1344000.00

पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू० 1344000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती मिथलेश देवी एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राहुल उपाध्याय व राज कुमार से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

5-नाम संस्था - रामनगर विकास खण्ड - खंदोली
ग्राम प्रधान– श्री भूपेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी - श्री राहुल उपाध्याय व राज कुमार
प्रस्तर सं 08 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री राज कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 6137299.00 का उपभोग योजनाओ के अन्तर्गत दर्शाया गया है |
जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 6137299.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल उपाध्याय व राज कुमार से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 09 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा में रु० 459000.00 का उपभोग निम्न योजनाओ /मदों के अन्तर्गत दर्शाया गया है

क्र० स०	योजना का नाम	धनराशि
1	लेबर	383000.00
2	मेटेरिअल	-
3	प्रशासनिक व्यय	116000.00
	योग	459000.00

राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू० 459000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम श्री भूपेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राहुल उपाध्याय व राज कुमार से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

6-नाम संस्था –नगला गोल **विकास खण्ड -एत्मादपुर**
ग्राम प्रधान– श्रीमती ऊषा देवी **ग्राम पंचायत अधिकारी – श्रीमती शिखा सिसोदिया**

प्रस्तर सं 10 वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा हेतु ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्रीमती शिखा सिसोदिया द्वारा कोई भी अभिलेख ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी तथा उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्राचार के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये । ई-ग्राम स्वराज में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र तथा राज्य वित्त में रु० 1303701.00 व्यय दर्शाया गया है ।
पंचायत राज विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । अतः उपरोक्त व्यय रू० 1303701.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्रीमती शिखा सिसोदिया आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं 11 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्रीमती शिखा सिसोदिया द्वारा कोई भी अभिलेख ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ,जिला लेखा परीक्षा परीक्षा अधिकारी तथा उप मुख्य लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्राचार के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गयेl मनरेगा पोर्टल में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा में रु० 726000.00 का उपभोग निम्न योजनाओ /मदों के अन्तर्गत दर्शाया गया है

क्र० स०	योजना का नाम	धनराशि
1	लेबर	587000.00
2	मेटेरिअल	139000.00
3	प्रशासनिक व्यय	
	योग	726000.00

पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू० 726000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा देवी एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्रीमती शिखा सिसोदिया से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

7- नाम संस्था – सुजानपुरा **विकास खण्ड - एत्मादपुर**

ग्राम प्रधान– श्री समीप कुमार **ग्राम पंचायत अधिकारी -श्री प्रमोद कुमार**

प्रस्तर सं 12 -वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारीश्री प्रमोद कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 1600878.00 का उपभोग योजनाओ के अन्तर्गत दर्शाया गया है |

क्र० स०	योजना का नाम	धनराशि
1	शिक्षा	-
2	स्वस्थ एवं परिवार कल्याण	-
3	पेयजल	659525.00
4	पंचायती राज कार्यक्रम	394409.00
5	सृजित सम्पत्तियां का सृजन	-
6	नवीन सम्पत्तियां का सृजन	-
7	जिला प्रशासन (पी.आर.आई.)	546944.00
	योग	1600878.00

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1600878.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री समीप कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद कुमार से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 13 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा में रु० 636000.00 का उपभोग निम्न योजनाओ /मदों के अन्तर्गत दर्शाया गया है

क्र०स०	योजना का नाम	धनराशि
1	लेबर	394000.00
2	मेटेरिअल	100000.00
3	प्रशासनिक व्यय	142000.00
	योग	636000.00

पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू० 636000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री समीप कुमार एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

8-नाम संस्था -आमनाबाद **विकास खण्ड - एत्मादपुर**

ग्राम प्रधान– श्रीमती गायत्रीं देवी **ग्राम पंचायत अधिकारी -श्री प्रमोद कुमार**

प्रस्तर सं 14 -वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार द्वाराकोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये,प्रिया सॉफ्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 1823406.00 का उपभोग योजनाओ के अन्तर्गत दर्शाया गया है |

क्र० स०	योजना का नाम	धनराशि
1	शिक्षा	-
2	स्वस्थ एवं परिवार कल्याण	-
3	पेयजल	448059.00
4	पंचायती राज कार्यक्रम	1176188.00
5	सृजित सम्पत्तियां का सृजन	-
6	नवीन सम्पत्तियां का सृजन	-
7	जिला प्रशासन (पी.आर.आई.)	199159.00
	योग	1823406.00

जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1823406.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्रीं देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद कुमार से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 15 ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा में रु० 9.19 लाख का उपभोग निम्न योजनाओ /मदों के अन्तर्गत दर्शाया गया है

क्र० स०	योजना का नाम	धनराशि
1	लेबर	6.88 लाख मे
2	मेटेरिअल	1.53
3	प्रशासनिक व्यय	0.78
	योग	9.19

पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम प्रचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू० 919000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से आधा-आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

9-नाम संस्था - - भड़कौल विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी

ग्राम प्रधान– - श्री कमलेश ग्राम पंचायत अधिकारी - - श्री दीपक सोलंकी

प्रस्तर सं 16 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कॅशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि के केंद्र व राज्य वित्त खाते से विविध कृत कार्यों हेतु विविध फार्मों व व्यक्तियों को कुल रुपया 2736807.00 की धनराशि का भुगतान किया गया है जबकि ग्राम निधि प्रथम के राज्य व केंद्र वित्त खाते में दर्शित विवरण के अनुसार कुल रुपया 2766807.00 की धनराशि का आहरण किया गया है | अतः अंतराल की धनराशि रुपया 30000.00 के भुगतान की पुष्टि में संस्था के पास सम्बंधित प्रमाणित बिल वाउचर /मस्टरोल /व्यय प्रमाणक नहीं पाए गए ,जो ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों के उल्लंघन है , जिसमें कहा गया है कि-

यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है , तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा |

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों के तहत दर्शित अंतराल की धनराशि रुपया **30000.00** जिसकी पुष्टि में संस्था के पास सम्बंधित व्यय प्रमाणक नहीं हैं , को गबन मानते हुए उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कमलेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दीपक सोलंकी से समानुपात में (आधी - आधी) वसूल किया जाना अपेक्षित है|

10--नाम संस्था - सिंगारपुर विकास खण्ड - फतेहपुर सीकरी

ग्राम प्रधान- - श्रीमती शोवा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी - श्री धर्मेन्द्र सिंह

प्रस्तर सं 17 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सिंगारपुर द्वारा ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित विवरण के अनुसार राज्य वित्त खाते से कुल रुपया 1418892.00 की धनराशि का आहरण किया गया है जबकि उक्त आहरित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास सम्बंधित प्रमाणित बिल वाउचर /मस्टरोल /व्यय प्रमाणक तथा अन्य अभिलेख नहीं पाए गए या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए ,जो ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों का उल्लंघन है ,

जहाँ लेखा मनुअल के अध्याय 07 में प्रावधान है की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण / ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध कराएं |

वहीँ लेखा मनुअल के अध्याय 08 के पैरा 8(क) में प्रावधान है कि - यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है , तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा |

अतः स्पष्ट है कि संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 07 एवं 08 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है , जिसके अध्याय 07 में प्रावधान है

की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण / ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराएं जाने तथा अध्याय 08 के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के तहत आहरित धनराशि रुपया 1418892.00 को गबन मानते हुए उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान श्रीमती शोवा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र सिंह से समानुपात में (आधी - आधी) वसूल किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 18 इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सिंगारपुर द्वारा ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित विवरण के अनुसार केंद्र वित्त खाते से कुल रुपया 669965.00 की धनराशि का आहरण किया गया है जबकि उक्त आहरित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास सम्बंधित प्रमाणित बिल वाउचर /मस्टरोल /व्यय प्रमाणक तथा अन्य अभिलेख नहीं पाए गए या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए ,जो ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों का उल्लंघन है ,

जहाँ लेखा मनुअल के अध्याय 07 में प्रावधान है की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण / ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध कराएं |

वहीँ लेखा मनुअल के अध्याय 08 के पैरा 8(क) में प्रावधान है कि - यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है , तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा |

अतः स्पष्ट है कि संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 07 एवं 08 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है , जिसके अध्याय 07 में प्रावधान है की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण / ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराएं जाने तथा अध्याय 08 के पैरा 8 (क) के प्रावधानों के तहत आहरित धनराशि रुपया 669965.00 को गबन मानते हुए उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान श्रीमती शोवा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र सिंह से समानुपात में (आधी - आधी) वसूल किया जाना अपेक्षित है|

11--नाम संस्था सरसा **विकास खण्ड - फतेहपुर सीकरी**

ग्राम प्रधान- - श्री चोब सिंह **ग्राम पंचायत अधिकारी - श्री धर्मेन्द्र सिंह**

प्रस्तर सं 19आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कॅशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि के केंद्र व राज्य वित्त खाते से विविध कृत कार्यों हेतु विविध फार्मों व व्यक्तियों को कुल रुपया 1771469.00 की धनराशि का भुगतान किया गया है जबकि ग्राम निधि प्रथम के राज्य व केंद्र वित्त खाते में दर्शित विवरण के अनुसार कुल रुपया 1921539.00 की धनराशि का आहरण किया गया है | अतः अंतराल की धनराशि रुपया **210070.00** के भुगतान की पुष्टि में संस्था के पास सम्बंधित प्रमाणित बिल वाउचर /मस्टरोल /व्यय प्रमाणक नहीं पाए गए ,जो ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों का उल्लंघन है , जिसमें कहा गया है कि-

यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है , तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा |

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों के तहत दर्शित अंतराल की धनराशि रुपया **210070.00** जिसकी पुष्टि में संस्था के पास सम्बंधित व्यय प्रमाणक नहीं हैं , को गबन मानते हुए उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान श्री चोब सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र सिंह से समानुपात में (आधी - आधी) वसूल किया जाना अपेक्षित है|

12--नाम संस्था - सामरा **विकास खण्ड - फतेहपुर सीकरी**

ग्राम प्रधान- - श्री चंद्रवीर सिंह **ग्राम पंचायत अधिकारी - श्री लोकेश कुमार**

प्रस्तर सं 20 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कॅशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि के केंद्र व राज्य वित्त खाते से विविध कृत कार्यों हेतु विविध फार्मों व व्यक्तियों को कुल रुपया 3080321.00 की धनराशि का भुगतान किया गया है जबकि ग्राम निधि प्रथम के राज्य व केंद्र वित्त खाते में दर्शित विवरण के अनुसार कुल रुपया 3294883.00 की धनराशि का आहरण किया गया है | अतः अंतराल की धनराशि रुपया **214562.00** के भुगतान की पुष्टि में संस्था के पास सम्बंधित प्रमाणित बिल वाउचर /मस्टरोल /व्यय प्रमाणक नहीं पाए गए ,जो ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों का उल्लंघन है , जिसमें कहा गया है कि-

यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है , तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा |

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों के तहत दर्शित अंतराल की धनराशि रुपया **214562.00** जिसकी पुष्टि में संस्था के पास सम्बंधित व्यय प्रमाणक नहीं हैं , को गबन मानते हुए उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान श्री चंद्रवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री लोकेश कुमार से समानुपात में (आधी - आधी) वसूल किया जाना अपेक्षित है|

13--नाम संस्था - - कोरई **विकास खण्ड - फतेहपुर सीकरी**

ग्राम प्रधान- - श्री उमेश कुमार **ग्राम पंचायत अधिकारी - श्री लोकेश कुमार**

प्रस्तर सं 21 -आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कॅशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि के केंद्र व राज्य वित्त खाते से विविध कृत कार्यों हेतु विविध फार्मों व व्यक्तियों को कुल रुपया 3425304.00 की धनराशि का भुगतान किया गया है जबकि ग्राम निधि प्रथम के राज्य व केंद्र वित्त खाते में दर्शित विवरण के अनुसार कुल रुपया 3491904.00 की धनराशि का आहरण किया गया है | अतः अंतराल की धनराशि रुपया **66600.00** के भुगतान की पुष्टि में संस्था के पास सम्बंधित प्रमाणित बिल वाउचर /मस्टरोल /व्यय प्रमाणक नहीं पाए गए ,जो ग्राम

पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों का उल्लंघन है , जिसमें कहा गया है कि-

यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है , तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा |

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों के तहत दर्शित अंतराल की धनराशि रुपया **66600.00** जिसकी पुष्टि में संस्था के पास सम्बंधित व्यय प्रमाणक नहीं हैं , को गबन मानते हुए उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान श्री उमेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री लोकेश कुमार से समानुपात में (आधी - आधी) वसूल किया जाना अपेक्षित है|

14--नाम संस्था जौताना **विकास खण्ड - फतेहपुर सीकरी**

ग्राम प्रधान- श्रीमती पुष्पा **ग्राम पंचायत अधिकारी - श्री तेजपाल सोलंकी**

प्रस्तर सं 22 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कॅशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि के केंद्र व राज्य वित्त खाते से विविध कृत कार्यों हेतु विविध फार्मों व व्यक्तियों को कुल रुपया 1185408.00 की धनराशि का भुगतान किया गया है जबकि ग्राम निधि प्रथम के राज्य व केंद्र वित्त खाते में दर्शित विवरण के अनुसार कुल रुपया 1197008.00 की धनराशि का आहरण किया गया है | अतः अंतराल की धनराशि रुपया **11600.00** के भुगतान की पुष्टि में संस्था के पास सम्बंधित प्रमाणित बिल वाउचर /मस्टरोल /व्यय प्रमाणक नहीं पाए गए ,जो ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों का उल्लंघन है , जिसमें कहा गया है कि-

यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है , तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी तथा वसूली के साथ -साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा |

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के प्रावधानों के तहत दर्शित अंतराल की धनराशि रुपया **11600.00** जिसकी पुष्टि में संस्था के पास सम्बंधित व्यय प्रमाणक नहीं हैं , को गबन मानते हुए उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्री तेजपाल सोलंकी से समानुपात में (आधी - आधी) वसूल किया जाना अपेक्षित है|

15--नाम संस्था दनकसा **विकास खण्ड - खेरागढ़**

ग्राम प्रधान- श्रीमती प्रीति **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी**

प्रस्तर सं 23 वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	1988231.94
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	788959.00

वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	2061590.00
वर्षांत में शेष अनुदान	1352324.94

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 1352324.94 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रू० 715600.94 आता है, स्पष्ट है कि गणना अनुसार अन्तिम शेष एवं दर्शाए गये अन्तिम शेष में रू० 636724.00 का अन्तर पाया गया जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री रामेश्वर तिवारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 24-वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया, ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 2061590.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 2061590.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 25 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 446949.00, एवं निर्माण सामग्री पर रू0 598153.46 कुल रू० 1045102.46 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 1045102.46 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

16-नाम संस्था डूंगरवाला **विकास खण्ड - खेरागढ़**
ग्राम प्रधान– श्रीमती उर्मिला **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी**

प्रस्तर सं 26- वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	2188739.00
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	2044189.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	3388172.00

वर्षांत में शेष अनुदान	2227208.00

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 2227208.00 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रू० 844756.00 आता है, स्पष्ट है कि गणना अनुसार अन्तिम शेष एवं दर्शाए गये अन्तिम शेष में रू० 1382452.00 का अन्तर पाया गया जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री रामेश्वर तिवारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 27 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया, ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 3388172.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 3388172.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 28 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 297024.00, एवं निर्माण सामग्री पर रू0 116268.00 कुल रू० 413292.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 413292.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

17-नाम संस्था सितौली **विकास खण्ड - खेरागढ़**

ग्राम प्रधान- श्री देवीचरन **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी**

प्रस्तर सं 29 वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	1696954.00
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	1036140.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	2524580.00

वर्षांत में शेष अनुदान	1036008.00

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 1036008.00 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रू० 208514.00 आता है, स्पष्ट है कि गणना अनुसार अन्तिम शेष एवं दर्शाए गये अन्तिम शेष में रू० 827494.00 का अन्तर पाया गया जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री रामेश्वर तिवारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 30 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया, ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 2524580.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2524580.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री देवीचरन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 31 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्नविकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 1097928.00, एवं निर्माण सामग्री पर रू0 2503195.12 कुल रू० 3601123.12 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 3601123.12 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री देवीचरन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

18--नाम संस्था महुआखेड़ा विकास खण्ड - खेरागढ़

ग्राम प्रधान श्री धर्मपाल सिंह परमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी

प्रस्तर सं 32 वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	1029562.00
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	567106.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	1840837.00

वर्षांत में शेष अनुदान	484941.00

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 484941.00 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रू०(244169.00) अनुदान ऋणात्मक आता है, स्पष्ट है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण आंकड़ो का अंकन किया गया है जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री रामेश्वर तिवारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 33 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया, ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1840837.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।अतः उपरोक्त व्यय रू0 1840837.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री धर्मपाल सिंह परमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 34 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 452838.00, एवं निर्माण सामग्री पर रू0 418076.76 कुल रू० 870914.76 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 870914.76 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री धर्मपाल सिंह परमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामेश्वर तिवारी से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

19--नाम संस्था सरेंधी **विकास खण्ड - जगनेर**

ग्राम प्रधानश्री श्री लोकेन्द्र सिंह **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शंकर लाल**

प्रस्तर सं 35 वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	808454.00
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	4572307.00

वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	5904038.00
वर्षांत में शेष अनुदान	1683204.00

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 1683204.00 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रू० (523277.00) अनुदान ऋणात्मक आता है जो संभव नहीं है , स्पष्ट है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण आंकड़ो का अंकन किया गया है जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री शंकर लाल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 36 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शंकर लाल द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया, ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 5904038.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 5904038.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री लोकेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शंकर लाल से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 37 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 1074264.19, एवं निर्माण सामग्री पर रू0 916885.00 कुल रू० 1991149.19 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1991149.19 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री लोकेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शंकर लाल से आधा - आधा वसूल ब्याज सहित किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

20--नाम संस्था वाजिदपुर **विकास खण्ड - जगनेर**

ग्राम प्रधान- श्रीमती रामकली **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शंकर लाल**

प्रस्तर सं 38 वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	149793.00

वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	1299048.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	1219211.00
वर्षांत में शेष अनुदान	856444.00

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 856444.00 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रू० 229630.00 आता है, स्पष्ट है कि गणना अनुसार अन्तिम शेष एवं दर्शाए गये अन्तिम शेष में रू० 626814.00 का अन्तर पाया गया जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री शंकरलाल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 39 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शंकरलाल द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया, ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1219211.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1219211.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शंकरलाल से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 40 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 862716.00, एवं निर्माण सामग्री पर रू0 460218.76 कुल रू० 1322934.76 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1322934.76 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शंकरलाल से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

21--नाम संस्था धनीना **विकास खण्ड - जगनेर**

ग्राम प्रधानश्री - श्रीमती गुड्डी **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उज्जवल मिश्रा**

प्रस्तर सं 41 वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	627326.00
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	1324757.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	1904082.00
वर्षांत में शेष अनुदान	867236.00

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 867236.00 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रू० 48001.00 आता है, स्पष्ट है कि गणना अनुसार अन्तिम शेष एवं दर्शाए गये अन्तिम शेष में रू० 819235.00 का अन्तर पाया गया जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री उज्जवल मिश्रा के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 42 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उज्जवल मिश्रा द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया, ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1904082.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 1904082.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उज्जवल मिश्रा से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 43 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 601596.00, एवं निर्माण सामग्री पर रू0 1282232.25 कुल रू० 1883828.25 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1883828.25 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उज्जवल मिश्रा से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

22--नाम संस्था कठूमरी **विकास खण्ड - जगनेर**

ग्राम प्रधान- श्रीमती रति **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शंकरलाल**

प्रस्तर सं 44 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शंकरलाल द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त

अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया, ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग एवं केंद्र वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 683057.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 683057.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शंकरलाल से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 45 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में कुल रू0 492000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 492000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शंकरलाल से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

23--नाम संस्था - लड़ामदा **विकास खण्ड - बिचपुरी**

ग्राम प्रधान - श्री पूरन कश्यप **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज भागौर**

प्रस्तर सं 46 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा मे कैशबुक व बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया कैशबुक व बैंक पास बुक व ई-ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणकों द्वारा विभिन्न मदों मे कुल रूपए 3926319.00 का व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी वाउचर्स मजदूरी भुगतान सम्बंधित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 3926319.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री पूरन कश्यप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज भागौर से आधी आधी व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

24-नाम संस्था - मिढाकुर **विकास खण्ड - बिचपुरी**

ग्राम प्रधान - श्रीमती बन्दना सोलंकी **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज भागौर**

प्रस्तर सं 47 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा मे कैशबुक व बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया कैशबुक व बैंक पास बुक व ई-ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणकों द्वारा विभिन्न मदों मे कुल रूपए 6591125.00 का व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी वाउचर्स मजदूरी भुगतान सम्बंधित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 6591125.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती बन्दना सोलंकी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज भागौर से आधी आधी व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

25-नाम संस्था - अंगूठी **विकास खण्ड - बिचपुरी**

ग्राम प्रधानश्री - श्री हाकिम सिंह **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज भागौर**

प्रस्तर सं 48 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा मे कैशबुक व बैंक पास बुक के अतिरिक्त कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया कैशबुक व बैंक पास बुक व ई-ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा (14 वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान) कुल व्यय प्रमाणकों द्वारा विभिन्न मदों मे कुल रूपए 2893847.00 का व्यय किया गया लेकिन उक्त व्यय से सम्बंधित कोई भी वाउचर्स मजदूरी भुगतान सम्बंधित कोई मस्टररोल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा में जांच हेतु मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टरॉल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2893847.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे ग्राम प्रधान श्री हाकिम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज भागौर से आधी आधी व्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है।

26-नाम संस्था - बलाई **विकास खण्ड - पिनाहट**

ग्राम प्रधान- श्री राजेश कुमार **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास वर्मा**

प्रस्तर सं 49 ग्राम पंचायत बलाई की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे राज्यवित से प्राप्त धनराशि से रू0 945726 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बाधित कोई भी प्रमाणक मजदूरी सम्वधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्वधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रुप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु० 945726 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास वर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 50 ग्राम पंचायत बलाई की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे केंद्रीयवित से प्राप्त धनराशि से रू0 1546370 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बाधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्वधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्वधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रुप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु 1546370 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास वर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

27-नाम संस्था हुसैनपुरा **विकास खण्ड - पिनाहट**

ग्राम प्रधान - श्रीमती सुनीता देवी **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश सक्सेना**

प्रस्तर सं 51 ग्राम पंचायत हुसैनपुरा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे राज्यवित से प्राप्त धनराशि से रू0 620864 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बाधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्वधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्वधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये।

जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रुप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु 620864 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री सुनीतादेवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश सक्सैना से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 52 ग्राम पंचायत हुसैनपुरा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे केन्द्रीय वित से प्राप्त धनराशि से रू0 741759 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बाधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्वधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्वधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रुप से की जायेगी।अतः उपरोक्त व्यय रु 741759 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश सक्सैना से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

28-नाम संस्था उमरैठा **विकास खण्ड - पिनाहट**

ग्राम प्रधान - श्री **प्रदीप सिंह** **ग्राम पंचायत अधिकारी** श्री **अरुण कुमार**

प्रस्तर सं 53 सोलर लाइट एवं स्ट्रीट लाइट - पंचायत राजअनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.6.2018 केके गाइड लाइनके अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा बिभिन्न स्थानोंपर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है लेकिन ग्राम प्रधान / सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेशपॉवर कारपोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाणपत्र भी संलग्न नहीं रहे उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियोंका ध्यान आकृष्ट किया जाता है. एल०ई०डी० स्ट्रीट लाइट के सन्दर्भ वाट उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारण में डी०एम० की समिति के किया जाने सम्बन्धी पत्रावली भी लेखा परिक्षण में प्रस्तुत नहीं रही.

यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि इनकी स्थापना पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर की गयी या नहीं, पुराने की दशा में इसका निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही| स्थान का चयन कार्य योजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है यह अस्पष्ट रहा| खरीद दर -सोलर में नेडा का रेट की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही|

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत उमरैठा की कैशबुक एव बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रकाश व्यवस्था हेतु रु 160000.00 व्यय किया गया । लेकिन सामग्री क्रय से सम्बधित कोई भी प्रमाणक लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए । अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार से संयुक्त रूप से कीजाएगी। अत: उपरोक्त व्यय रु 160000.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी आधी ब्याज सहित ग्राम पंचायत प्रधान श्री प्रदीप सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार की जानी अपेक्षित है।

29-**नाम संस्था चौरंगा बेहड़** **विकास खण्ड - जैतपुर कलां**

ग्राम प्रधान श्री **जीतेन्द्र कुमार** **ग्राम पंचायत अधिकारी** :– श्री **नीतेश कुमार**

प्रस्तर सं 54 ग्राम पंचायत चौरंगाबेहड की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे राज्यवित से प्राप्त धनराशि से रू0 585415 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बाधित कोई भी प्रमाणक मजदूरी सम्वधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्वधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रुप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु 585415 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री जीतेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीतेश कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 55 ग्राम पंचायत चौरंगाबेहड की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे केंद्रीय वित्त प्राप्त धनराशि से रू0 499624 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बाधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्वधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्वधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार

यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रुप से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु 499624 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री जीतेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीतेश कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

30-नाम संस्था चौरंगाहार **विकास खण्ड - जैतपुर कलां**

ग्राम प्रधान :– श्री जितेंद्र **ग्राम पंचायत अधिकारी :– :– श्री नीतेश कुमार**

प्रस्तर सं 56 ग्राम पंचायत चौरंगाहार की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे राज्यवित से प्राप्त धनराशि से रू0 726706 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बाधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्वधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्वधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रुप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु 726706 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीतेश कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 57 ग्राम पंचायत चौरंगाहार की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे केंद्रीय वित्त प्राप्त धनराशि से रू0 867991 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बाधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्वधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्वधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रुप से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु० 867991 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीतेश कुमार से से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

31 **-नाम संस्था करनपुरा** **विकास खण्ड - जैतपुर कलां**

ग्राम प्रधानः– श्री बजरंग सिंह **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश बाबु**

प्रस्तर सं 58 ग्राम पंचायत करनपुरा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे राज्यवित से प्राप्त धनराशि से रू0 523290 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बाधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्वधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्वधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रुप से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रु 523290 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री बजरंग सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश बाबू से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 59-ग्राम पंचायत करनपुरा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे केद्रीय वित्त प्राप्त धनराशि से रू0 540605 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बाधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्वधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्वधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रुप से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु 540605 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री बजरंग सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश बाबू से से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

32 **-नाम संस्था उधन्नपुरा** **विकास खण्ड - जैतपुर कलां**

ग्राम प्रधान श्री विद्याराम **ग्राम पंचायत अधिकारी :– श्री गुलाब सिंह**

प्रस्तर सं 60 ग्राम पंचायत उद्यन्नपुरा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे राज्यवित से प्राप्त धनराशि से रू0 591851 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बाधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्वधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्वधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त

दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रुप से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रु 591851 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री विद्याराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गुलाबसिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 61 ग्राम पंचायत उद्यन्नपुरा की कैशबुक एवं बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 मे केद्रीयवित्त प्राप्त धनराशि से रू0 675080 व्यय किया गया। लेकिन निर्माण सामग्री क्रय से सम्बाधित कोई भी प्रमाणक, मजदूरी सम्वधित कोई भी मस्टररोल एवं अन्य व्यय से सम्वधित कोई भी प्रमाणक रसीद लेखा परीक्षा जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के खण्ड 07 के प्राविधानानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर्स तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 क के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/ प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन/अपहरण मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रुप से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रु 675080 गबन/अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी-आधी ग्राम प्रधान श्री विद्याराम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री गुलाबसिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

33-**नाम संस्था पारना** **विकास खण्ड - जैतपुर कलां**
ग्राम प्रधान श्री जयश्री **ग्राम पंचायत अधिकारी :– :– श्री अमित चौधरी**

प्रस्तर सं 62 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पारना की कैशबुक एव बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त से हैण्डपम्प रिबोर हेतु रु 38700-00 व्यय किया गया । लेकिन मजदूरी से सम्बधित कोई भी प्रमाणक लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए । अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। अत: उपरोक्त व्यय रु 38700.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी आधी ग्राम पंचायत प्रधान श्री जयश्री तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित चौधरी से से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 63 पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूचीऔर जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही.तकनिकी अनुश्रवण का कार्य जेई एम आई /आर ई डी / मंडी परिषद् / जिला पंचायत / डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा| साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी०पी०डी०पी० के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एव पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही| विकेंद्रीकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों मेंजल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बंधित योजनाओ एवं नलकूपोंसम्बन्धी गतिविधियों कीनिगरानी /अनुमोदन / संस्तुति करना है. लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात कीसंभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि येसिर्फ कागजो में सीमित हो|

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पारना की कैशबुक एव बैंक पासबुक के विवरण अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में केंद्रीय वित्त से हैण्डपम्प रिबोर हेतु रु 76775-00 व्यय किया गया । लेकिन मजदूरी से सम्बधित कोई भी प्रमाणक लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये । जबकि प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए । अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से कीजाएगी।अत: उपरोक्त व्यय रु 76775-00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली आधी आधी ग्राम पंचायत प्रधान श्री जयश्री तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित चौधरी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

34-नाम संस्था सांकुरी खुर्द **विकास खण्ड -फतेहाबाद**

ग्राम प्रधान - श्रीमती अनीता **ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री नरेन्द्र सिंह**

प्रस्तर सं 64 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत- सांकुरी खुर्द द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केन्द्र वित्त खाते से प्रारूप-01 में वर्णित विविध कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्यक्तियों को कुल रू0 4,31,394.00 की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक नही पाये गये या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नही

कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 4,31,394.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली संबधित ग्राम प्रधान- श्रीमती अनीता तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री नरेन्द्र सिंह से समानुपात में की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 65 इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत- सांकुरी खुर्द द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते से प्रारूप-01 में वर्णित विविध कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्यक्तियों को कुल रू0 3,88,269.00 की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/ वाउचर /मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक नही पाये गये या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 3,88,269.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली संबधित ग्राम प्रधान- श्रीमती अनीता तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री नरेन्द्र सिंह से समानुपात से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 66 वही आलोच्य वर्ष में नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की फाइनेंसियल स्टेटमेंट में उपशीर्ष में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत- सॉकुरी खुर्द द्वारा रू0 11,13,000.00 व्यय किये गये है। जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये,

जिससे भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 व अध्याय 08-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं,

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में स्पष्ट है, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

तथा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दि0 15-जनवरी-2009 की अवहेलना है, जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर समस्त अभिलेख/ पत्रावली सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा उक्त आदेश का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, अत: अध्याय-07 के प्राविधानो के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए, अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) के प्राविधानों के तहत नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की फाइनेंसियल स्टेटमेंट उपशीर्ष में दर्शायी गयी व्यय रू0 11,13,000.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली उत्तरदायी कार्मिको यथा- कार्यक्रम अधिकारी-मनरेगा, लेखाकार-मनरेगा, तकनीकी सहायक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक से समानुपात मे ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

35-नाम संस्था – हुमायूंपुर इधौन विकास खण्ड - फतेहाबाद
ग्राम प्रधान – श्रीमती विरमा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री मुख्तार सिंह

प्रस्तर सं 67 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत- हुमायूंपुर ईधौन द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केन्द्र वित्त खाते से प्रारूप-01 में वर्णित विविध कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्यक्तियों को कुल रू0 8,60,862.00 की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक नही पाये गये या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 8,60,862.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली संबधित ग्राम प्रधान- श्रीमती बिरमा देवी तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री मुख्तार सिंह से समानुपात में की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 68 इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत- हुमायूंपुर ईधौंन द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते से प्रारूप-01 में वर्णित विविध कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्यक्तियों को कुल रू0 11,12,675.00 की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/ वाउचर /मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक नही पाये गये या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 11,12,675.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली संबधित ग्राम प्रधान- श्रीमती बिरमा देवी तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री मुख्तार सिंह से समानुपात में की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 69 वही आलोच्य वर्ष में नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की फाइनेंसियल स्टेटमेंट में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत- हुमायूंपुर ईधौंन द्वारा रू0 13,94,000.00 व्यय किये गये है। जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 व अध्याय 08-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं,

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में स्पष्ट है, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

तथा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दि0 15-जनवरी-2009 की अवहेलना है, जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर समस्त अभिलेख/ पत्रावली सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा उक्त आदेश का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, अत: अध्याय-07 के प्राविधानो के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए, अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) के प्राविधानों के तहत नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की फाइनेंसियल स्टेटमेंट उपशीर्ष में दर्शायी गयी व्यय रू0 13,94,000.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली उत्तरदायी कार्मिको यथा- कार्यक्रम अधिकारी-मनरेगा, लेखाकार-मनरेगा, तकनीकी सहायक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक से समानुपात मे ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

36-नाम संस्था – भीकनपुर विकास खण्ड - फतेहाबाद

ग्राम प्रधान श्रीमती सपना कुशवाह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुख्तार सिंह

प्रस्तर सं 70 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत- भीकनपुर द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केन्द्र वित्त खाते से प्रारूप-01 में वर्णित विविध कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्यक्तियों को कुल रू0 10,37,069.40 की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक नही पाये गये या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में

अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 10,37,069.40 की धनराशि को गबन मानते हुए, उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली संबधित ग्राम प्रधान- श्रीमती सपना कुशवाह तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री मुख्तार सिंह से समानुपात में की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 71-इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत- **भीकनपुर** द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते से प्रारूप-01 में वर्णित विविध कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्यक्तियों को कुल रू0 7,35,605.40 की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक नही पाये गये या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 7,35,605.40 की धनराशि को गबन मानते हुए, उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली संबधित ग्राम प्रधान- श्रीमती सपना कुशवाह तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री मुख्तार सिंह से समानुपात में की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 72 वही आलोच्य वर्ष में नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की उपशीर्ष में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत- भीकनपुर द्वारा रू0 12,02,000 व्यय किये गये है। जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 व अध्याय 08-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं,

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में स्पष्ट है, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए

धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

तथा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दि0 15-जनवरी-2009 की अवहेलना है, जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर समस्त अभिलेख/ पत्रावली सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा उक्त आदेश का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, अत: अध्याय-07 के प्राविधानो के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए, अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) के प्राविधानों के तहत नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की उपशीर्ष में दर्शायी गयी व्यय रू0 12,02,000 की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली उत्तरदायी कार्मिको यथा-कार्यक्रम अधिकारी-मनरेगा, लेखाकार-मनरेगा, तकनीकी सहायक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक से समानुपात में की जानी अपेक्षित है|

37- नाम संस्था- सिलावली विकास खण्ड - फतेहाबाद
ग्राम प्रधान - श्री यादराम ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री धर्मवीर सिंह

प्रस्तर सं 73आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत- सिलावली द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केन्द्र वित्त खाते से प्रारूप-01 में वर्णित विविध कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्यक्तियों को कुल रू0 3,38,016.00 की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक नही पाये गये या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 3,38,016.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली संबधित ग्राम प्रधान- श्री यादराम तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री धर्मवीर सिंह से समानुपात में की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 74 इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत- सिलावली द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते से प्रारूप-01 में वर्णित विविध कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्यक्तियों को कुल रू0 3,20,272.00 की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक नही पाये गये या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 3,20,272.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली संबधित ग्राम प्रधान- श्री यादराम तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री धर्मवीर सिंह से समानुपात में (आधी-आधी) करके संबन्धित ग्रामनिधि/ राजकीय कोष में जमां की जानी अपेक्षित है, के प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं।

प्रस्तर सं 75 वही आलोच्य वर्ष में नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की फाइनेंसियल स्टेटमेंट उपशीर्ष में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत- सिलावली द्वारा रू0 18,04,000 व्यय किये गये है। जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 व अध्याय 08-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं,

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में स्पष्ट है, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

तथा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दि0 15-जनवरी-2009 की अवहेलना है, जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर समस्त अभिलेख/ पत्रावली सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा उक्त आदेश का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, अत: अध्याय-07 के प्राविधानो के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए, अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) के प्राविधानों के तहत नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की फाइनेंसियल स्टेटमेंट उपशीर्ष में दर्शायी गयी व्यय रू0 18,04,000 की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली उत्तरदायी कार्मिको यथा- कार्यक्रम अधिकारी-मनरेगा, लेखाकार-मनरेगा, तकनीकी सहायक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक से समानुपात मे ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

38- ग्राम पंचायत-वाजिदपुर **विकास खण्ड - फतेहाबाद**

प्रधान- श्री भूपेन्द्र सिंह **ग्राम पंचायत सचिव- श्री राम विलास**

प्रस्तर सं 76 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत-वाजिदपुर द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केन्द्र वित्त खाते से संस्था के द्वारा ग्राम पंचायत में अन्य कार्यो के साथ-साथ विभिन्न स्थलो पर विविध तिथियों में हेंडपंप एवं टीटीएसपी0 रीबोर तथा मरम्मत के कार्य भी कराये गये हैं (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप-01 में अंकित विवरण के अनुसार) जिनका विवरण निम्न हैं।

योजना	कार्य का नाम	भुगतान की तिथि	सामग्री	श्रमांश	योग	सामग्री हेतु भुग0 प्राप्त कर्ता
15 वॉ केन्द्र वित्त आयोग	हेंड पंप रीबोर कार्य-हरियोम के पास	15.11.21	51190	10500	61690	राज कॉट्रेक्टर
	समर सेविल रीबोर-गॉधी आश्रम में	21.01.22	57248	33214	90462	शिवशक्ति हार्ड0
	हेंड पंप रीबोर कार्य-मुकेश के पास	21.01.22	50569	12000	62569	शिवशक्ति हार्ड0
	हेंड पंप रीबोर कार्य-नेमसिंह के पास	21.01.22	51740	10684	62424	शिवशक्ति हार्ड0
	हेंड पंप रीबोर कार्य-मोहराम के पास	21.01.22	50569	12000	62569	शिवशक्ति हार्ड0
	हेंड पंप रीबोर कार्य-रामवीर के पास	21.01.22	42470	17560	60030	शिवशक्ति हार्ड0
	हेंडपंप रीबोर कार्य-सुधीर के पास	21.01.22	50569	12000	62569	शिवशक्ति हार्ड0
	हेंड पंप रीबोर कार्य-राजवीर के पास	21.01.22	51530	10777	62307	शिवशक्ति हार्ड0
	योग-			5,24,620.00		

इसप्रकार कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्यक्तियों को उक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 5,24,620.00 की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/ वाउचर/ मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक एवं एस्टीमेट, एम0बी0 व त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि संबन्धित पत्रावली नही पायी गयी या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 5,24,620.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, सकी तातारीख ब्याज सहित वसूली संबधित ग्राम प्रधान- श्री भूपेन्द्र सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री राम विलास से समानुपात में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 77 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत-वाजिदपुर द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त खाते से संस्था के द्वारा ग्राम पंचायत में अन्य कार्यो के साथ-साथ विभिन्न स्थलो पर विविध तिथियों में हेंडपंप एवं टीटीएसपी0 रीबोर तथा मरम्मत के कार्य भी कराये गये हैं (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप-01 में अंकित विवरण के अनुसार) जिनका विवरण निम्न (मूल आपत्ति में संलग्न सूची के अनुसार) हैं।

इसप्रकार कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्यक्तियों को उक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 9,24,985.00 की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/ वाउचर/ मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक एवं एस्टीमेट, एम0बी0 व त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि संबन्धित पत्रावली नही पायी गयी या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर

उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 9,24,985.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली संबधित ग्राम प्रधान- श्री भूपेन्द्र सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री राम विलास से समानुपात में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 78 वही आलोच्य वर्ष में नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की फाइनेंसियल स्टेटमेंट उपशीर्ष में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत- वाजिदपुर द्वारा रू0 24,22,000.00 व्यय किये गये है। जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 व अध्याय 08-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं,

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में स्पष्ट है, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

तथा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दि0 15-जनवरी-2009 की अवहेलना है, जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर समस्त अभिलेख/ पत्रावली सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा उक्त आदेश का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, अत: अध्याय-07 के प्राविधानो के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए, अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) के प्राविधानों के तहत नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की फाइनेंसियल स्टेटमेंट उपशीर्ष में दर्शायी गयी व्यय रू0 24,22,000.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली उत्तरदायी कार्मिको यथा- कार्यक्रम अधिकारी-मनरेगा, लेखाकार-मनरेगा, तकनीकी सहायक, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक से समानुपात मे ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

39- ग्राम पंचायत- सिकरारा **विकास खण्ड -फतेहाबाद**

ग्राम प्रधान- श्रीमती मीना देवी **ग्राम पंचायत सचिव- श्री रामविलास**

प्रस्तर सं 79 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत- सिकरारा द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केन्द्र वित्त खाते से संस्थार के द्वारा ग्राम पंचायत में अन्यर कार्यो के साथ-साथ विभिन्न स्थलो पर विविध तिथियों में हैंडपंप एवं टीटीएसपी0 रीबोर तथा मरम्मत के कार्य भी कराये गये हैं (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप-01 में अंकित विवरण के अनुसार) जिनका विवरण निम्न (मूल आपत्ति में संलग्न सूची के अनुसार) हैं।

इसप्रकार कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्याक्तियों को उक्त विवरण के अनुसार **कुल रू0 4,71,280.00** की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/ वाउचर/ मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक एवं एस्टी्मेट, एम0बी0 व त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि संबन्धित पत्रावली नही पायी गयी या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखाप्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं,जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्थाख द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्थां द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 4,71,280.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, सकी तातारीख ब्याज संहित वसूली संबधित ग्राम प्रधान- श्रीमती मीना देवी तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री रामविलास से समानुपात में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 80 आलोच्य वर्ष में **ग्राम पंचायत-सिकरारा** द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के **राज्य वित्त खाते** से संस्था के द्वारा ग्राम पंचायत में अन्य कार्यो के साथ-साथ विभिन्न स्थलो पर विविध तिथियों में हैंडपंप एवं टीटीएसपी0 रीबोर तथा मरम्मत के कार्य भी कराये गये हैं (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रारूप-01 में अंकित विवरणअनुसार) जिनका विवरण निम्न हैं।

योजना	कार्य का नाम	भुगतान की तिथि	सामग्री	श्रमांश	योग	सामग्री हेतुभुग0 प्राप्त कर्ता
5 वॉ राज्य वित्त आयोग	हेंड पंप मरम्मत- प्रा0वि0- अतरसिंहपुरा	15.07.21	15900	3000	**18900**	शिवशक्ति हार्ड0
	हेंडपंप मरम्मत-अजयकुमार	03.08.21	18736	00	**18736**	रावत हार्डवेयर
	हेंडपंप मरम्मत-बलजीत	03.08.21	19200	00	**19200**	रावत हार्डवेयर
	हेंडपंप मरम्मत-स्थलअज्ञात	03.11.21	15900	4000	**19900**	शिवशक्ति हार्ड0
	टीटीएसपी मरम्मत-अज्ञात	03.12.21	15200	4000	**19200**	शिवशक्ति हार्ड0
	स्मरसेविल मरम्मत-अज्ञात	21.01.22	13900	6000	**19900**	शिवशक्ति हार्ड0
	हेंडपंप मरम्मत -अज्ञात	10.03.22	13700	6000	**19700**	शिवशक्ति हार्ड0
	हेंडपंप मरम्मत -अज्ञात	10.03.22	13900	6000	**19900**	शिवशक्ति हार्ड0
	टीटीएसपी मरम्मत- अज्ञात	10.03.22	13900	6000	**19900**	शिवशक्ति हार्ड0
	स्मरसेविल मरम्मत-अज्ञात	17.03.22	13900	6000	**19900**	शिवशक्ति हार्ड0
	योग-			**1,95,236.00**		

इसप्रकार कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्यक्तियों को उक्त विवरण के अनुसार कुल रू0 1,95,236.00 की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/ वाउचर/ मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक एवं एस्टीमेट, एम0बी0 व त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि संबन्धित पत्रावली नही पायी गयी या फिर जान बूझकर लेखा परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 रू0 1,95,236.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली संबधित ग्राम प्रधान- श्रीमती मीना देवी तथा ग्राम पंचायत सचिव- श्री राम विलास से समानुपात में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 81 वही आलोच्य वर्ष में नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की फाइनेंसियल स्टेटमेंट उपशीर्ष में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत-सिकरारा द्वारा रू0 26,95,000 व्यय किये गये है। जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 व अध्याय 08-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं,

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में स्पष्ट है, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

तथा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दि0 15-जनवरी-2009 की अवहेलना है, जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर समस्त अभिलेख/ पत्रावली सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा उक्त आदेश का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, अत: अध्याय-07 के प्राविधानो के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए, अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) के प्राविधानों के तहत नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की उपशीर्ष में दर्शायी गयी व्यय रू0 26,95,000 की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली उत्तरदायी कार्मिको यथा- कार्यक्रम अधिकारी-मनरेगा, लेखाकार-मनरेगा, तकनीकी सहायक, ग्राम प्रधान श्रीमति मीना देवी, ग्राम पंचायत सचिव श्री राम विलास एवं रोजगार सेवक से समानुपात मे ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

40-ग्राम पंचायत- हुमायूंपुर गूर्जर **विकास खण्ड- फतेहाबाद**

प्रधान- श्री राजेन्द्र सिंह **ग्राम पंचायत सचिव- श्री यशवंत सिंह**

प्रस्तर सं 82 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत- हुमायूंपुर गूर्जर द्वारा कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के केन्द्र वित्त एवं राज्य वित्त खाते से (प्रारूप-01 में वर्णित) विविध कृत कार्यो हेतु विविध फर्मो व व्यक्तियों को कुल रू0 3,87,081.00 की धनराशि का भुगतान किया गया हैं जबकि उक्त भुगतानित धनराशि की पुष्टि में संस्था के पास संबन्धित प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान मांगे जाने पर भी जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे भुगतानित धनराशि रू0 3,87,081.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन हैं, जिसमें कहा गया हैं कि-

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध करायें"।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में प्राविधान है, "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में संस्था द्वारा सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय का कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा"।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन है, जिसके अध्याय-07 के प्राविधानो के तहत सम्प्रेक्षण/ ऑडिट हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं करायें जाने तथा अध्याय-08-(क) के प्राविधानों के तहत दर्शायी गयी व्यय रू0 3,87,081.00 की धनराशि को गबन मानते हुए, उसकी तातारीख ब्याज सहित वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री यशवंत सिंह से समानुपात में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 83 वही आलोच्य वर्ष में नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की फाइनेंसियल स्टेटमेंट उपशीर्ष में दर्शित विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत- हुमायूंपुर गूर्जर द्वारा रू0 3,64,000 व्यय किये गये है। जबकि उक्त आहरित/ भुगतानित धनराशि के सापेक्ष संस्था के द्वारा प्रमाणित बिल/वाउचर/मस्टर रोल/ व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे भुगतानित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो न केवल ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 व अध्याय 08-(क) के प्राविधानों का उल्लघन हैं,

जहॉ लेखा मैनुअल के अध्याय-07 में प्राविधान है, कि ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

वही लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) में स्पष्ट है, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

तथा आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दि0 15-जनवरी-2009 की अवहेलना है, जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर समस्त अभिलेख/ पत्रावली सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

अत: स्पष्ट है संस्था द्वारा उक्त आदेश का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-07 एंव अध्याय-08-(क) के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है, अत: अध्याय-07 के प्राविधानो के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए, अध्याय-08 के प्रस्तर-(क) के प्राविधानों के तहत नरेगा की साइट पर वर्ष- 2021-22 की फाइनेंसियल स्टेटमेंट उपशीर्ष में दर्शायी गयी व्यय रू0 3,64,000 की धनराशि को गबन मानते हुए, धनराशि की वसूली उत्तरदायी कार्मिको यथा- कार्यक्रम अधिकारी-मनरेगा, लेखाकार-मनरेगा, तकनीकी सहायक, ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत सचिव श्री यशवंत सिंह एवं रोजगार सेवक से समानुपात मे करके संबन्धित निधि/ राजकीय कोष में जमां कराये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

41- ग्राम पंचायत-अभयपुरा **विकास खण्ड - बाह**

प्रधान- श्री रामसेवक **ग्राम पंचायत सचिव श्री शशि शेखर दुबे**

प्रस्तर सं 84 -वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021को अवशेष	1805967.00
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	2062569.20
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	1510871.00
वर्षांत में शेष अनुदान	3105991.00

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 3105991.20 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रु० 2357665.20 आता है | स्पष्ट है कि गणना अनुसार अंतिम शेष एवं दर्शाए गए अंतिम शेष में रु० 748326.00 का अंतर पाया गया है, जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री शशि शेखर दुबे के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 85 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री श्याम प्रकाश यादव द्वारा कोई भी अभिलेख ज्येष्ठ लेखा परीक्षक , जिला लेखा परीक्षा अधिकारी तथा उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्राचार के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए |ई-ग्राम स्वराज में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र तथा राज्य वित्त अनुदान रु० 1510871.00 व्यय दर्शाया गया है |

पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 1510871.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री रामसेवक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशि शेखर दुबे से दंडात्मक ब्याज सहित आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 86 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 1101000.00 एवं निर्माण सामग्री पर रू0 327000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रु० 84000.00 , कुल रू0 1512000.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 1512000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री रामसेवक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशि शेखर दुबे से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

42-नाम संस्था - भदरौली विकास खण्ड – बाह

ग्राम प्रधान का नाम – श्री सेवा राम ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम – श्री श्याम प्रकाश यादव

प्रस्तर 87 - वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021को अवशेष	7750918.53
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	1840835.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	3594569.00
वर्षांत में शेष अनुदान	7772278.53

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 7772278.53 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रु० 5997184.53 आता है| स्पष्ट है कि गणना अनुसार अंतिम शेष एवं दर्शाए गए अंतिम शेष में रु. 1775094-00 का अंतर पाया गया है, जिसके लिए उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम प्रकाश यादव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर 88 -लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत भदरोली सचिव श्री सेवा राम (प्रधान) एवं श्री श्याम प्रकाश यादव (सचिव) द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग निधि से कुल रु० 3594569.00 का आहरण किया गया लेकिन निर्माण सामिग्री क्रय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर्स, मजदूरी भुगतान सम्बन्धित कोई मस्टराल एवं अन्य मदों में व्यय सम्बन्धित कोई प्रमाणक/रसीद/पत्रावली लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये। जबकि प्रत्येक क्रय सामिग्री के सापेक्ष प्रमाणित वाउचर्स व मजदूरी पर व्यय के सापेक्ष मस्टराल व अन्य व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक/रसीद जाच हेतु प्रस्तुत किया जाना ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत का संयुक्त दायित्व है। अन्यथा की स्थिति में पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु, लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू 3594569.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसे श्री सेवा राम (प्रधान) एवं श्री श्याम प्रकाश यादव (सचिव) से दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 89- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में काल्पनिक मानव दिवस सृजित कर कुल रू0 1513000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1513000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे श्री सेवा राम (प्रधान) एवं श्री श्याम प्रकाश यादव (सचिव) से दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं |

43-नाम संस्था - जरार विकास खण्ड - बाह

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती सिया रानी ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री शशि शेखर दुबे

प्रस्तर सं 90- वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021को अवशेष	11644943.00
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	2873191.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	4523032.00
वर्षांत में शेष अनुदान	14364982.00

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 14364982.00 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रु० 4369880.00 अनुदान ऋणात्मक संख्या में आता है, जो संभव नहीं हैं | अतः स्पष्ट है कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण आंकड़ों का अंकन किया गया है , जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री शशि शेखर दुबे के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर सं 91-वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री शशि शेखर दुबे द्वारा कोई भी अभिलेख ज्येष्ठ लेखा परीक्षक , जिला लेखा परीक्षा अधिकारी तथा उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्राचार के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए | ई-ग्राम स्वराज में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र तथा राज्य वित्त अनुदान रु० 4523032.00 व्यय दर्शाया गया है |

पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।अतः उपरोक्त व्यय रू0 4523032.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सिया रानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशि शेखर दुबे से दंडात्मक ब्याज सहित आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 92- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 485000.00 एवं निर्माण सामग्री पर रू0 279000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रु० 84000.00 , कुल रू0 848000.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया

जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 848000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती सिया रानी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशि शेखर दुबे से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

44- नाम संस्था - विचौला विकास खण्ड - बाह

ग्राम प्रधान का नाम-श्री जगवीर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री श्याम प्रकाश यादव

प्रस्तर सं 93- वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021को अवशेष	1780062.00
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	607430.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	1250085.00
वर्षांत में शेष अनुदान	1747633.00

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 1747633.00 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रु० 1137407.00 आता है | स्पष्ट है कि गणना अनुसार अंतिम शेष एवं दर्शाए गए अंतिम शेष में रु० 610226.00 का अंतर पाया गया है, जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम प्रकाश यादव के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 94- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री श्याम प्रकाश यादव द्वारा कोई भी अभिलेख ज्येष्ठ लेखा परीक्षक , जिला लेखा परीक्षा अधिकारी तथा उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्राचार के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए |ई-ग्राम स्वराज में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र तथा राज्य वित्त अनुदान रु० 1250085.00 व्यय दर्शाया गया है |

पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधानव ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1250085.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री जगवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम प्रकाश यादव से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 95- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 2198000.00 एवं निर्माण सामग्री पर रू0 785000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रु. 84000.00 ,कुल रू0 3067000.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो

दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 3067000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री जगवीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम प्रकाश यादव से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

45 -नाम संस्था - कुँवर खेड़ा विकास खण्ड - बाह

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती विनीता देवी ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री अजय कुमार

प्रस्तर सं 96 वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021को अवशेष	482842.00
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	393039.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	854739.00
वर्षांत में शेष अनुदान	578566.00

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 578566.00 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रु० 21142.00 आता है | स्पष्ट है कि गणना अनुसार अंतिम शेष एवं दर्शाए गए अंतिम शेष में रु० 557424.00 का अंतर पाया गया है, जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 97 -वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री श्याम प्रकाश यादव द्वारा कोई भी अभिलेख ज्येष्ठ लेखा परीक्षक , जिला लेखा परीक्षा अधिकारी तथा उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्राचार के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए |ई-ग्राम स्वराज में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र तथा राज्य वित्त अनुदान रु० 854739.00 व्यय दर्शाया गया है |

पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 854739.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्रामप्रधान श्रीमती विनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार से दंडात्मक ब्याज सहित आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 98- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 1511000.00 एवं निर्माण सामग्री पर रू0 403000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रु० 84000.00 , कुल रू0 1998000.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया

जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 1998000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार से ब्याज सहित आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

46-नाम संस्था - नरहोली विकास खण्ड - बाह
ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती बबीता ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री अरविंद सिंह
प्रस्तर सं 99-वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021को अवशेष	3138523.50
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	1447739.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	4037441.00
वर्षांत में शेष अनुदान	249059.50

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 249059.50 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रु० 548821.50 आता है | स्पष्ट है कि गणना अनुसार अंतिम शेष एवं दर्शाए गए अंतिम शेष में रु० 299762.00 का अंतर पाया गया है, जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविंद सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 100- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री अरविंद सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख ज्येष्ठ लेखा परीक्षक , जिला लेखा परीक्षा अधिकारी तथा उपमुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्राचार के बाद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए |ई-ग्राम स्वराज में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र तथा राज्य वित्त अनुदान रु० 4037441.00 व्यय दर्शाया गया है |
पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 4037441.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविंद सिंह से दंडात्मक ब्याज सहित आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 101 -मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 2005000.00 एवं निर्माण सामग्री पर रू0 362000.00 ,कुल रू0 2367000.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को

गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 2367000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविंद सिंह से आधा - आधा ब्याज साहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

47-नाम संस्था - पड़कौली विकास खण्ड - बाह

ग्राम प्रधान का नाम -श्री शैलेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री श्याम प्रकाश यादव

प्रस्तर सं 102 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम प्रकाश यादव द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 273671.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 273671.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम प्रकाश यादव से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 103 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम प्रकाश यादव द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1116157.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1116157.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम प्रकाश यादव से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 104 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 2005000.00, निर्माण सामग्री पर रू0 रू० 362000.00 , कुल रुपया 2367000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त

एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2367000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम प्रकाश यादव से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

48- नाम संस्था - बडौबरा कलां विकास खण्ड -शमसाबाद

ग्राम प्रधान का नाम -श्री चोखे लाल ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री विक्रम सिंह

प्रस्तर सं 105- वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04- 2021को अवशेष	1884387.44
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	396521.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	1721219.00
वर्षांत में शेष अनुदान	1812623.44

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 1812623.44 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रु०559689.44 आता है स्पष्ट है कि गणना अनुसार अन्तिम शेष एवं दर्शाये गये अन्तिम शेष में रू० 1252934.00 का अन्तर पाया गया जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री विक्रम सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 106- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 414090.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 414090.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री चोखे लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 107- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1307129.00 का उपभोग

दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1307129.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री चोखे लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 108- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 2543000.00, निर्माण सामग्री पर रू0 62000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रू0 71000.00 कुल रू० 2676000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2676000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री चोखे लाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

49- नाम संस्था - सुडरई **विकास खण्ड -शमसाबाद**

ग्राम प्रधान का नाम -श्री ओम प्रकाश **ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री मनोज कुमार**

प्रस्तर सं 109 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 844076.00का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 844076.00गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 110 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु

उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1071127.00का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1071127.00गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 111 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 513000.00, निर्माण सामग्री पर रू0 19000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रू0 71000.00 कुल रू० 603000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 603000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

50- नाम संस्था - शेखुपुर विकास खण्ड -शमसाबाद

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती अनीता ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री विक्रम सिंह

प्रस्तर सं 112 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1129605.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1129605.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 113 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 2283695.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2283695.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 114 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 535000.00, निर्माण सामग्री पर रू0 23000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रू0 71000.00 कुल रू० 629000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 629000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

51- नाम संस्था - थाना शंकरद्वारी विकास खण्ड -शमसाबाद
ग्राम प्रधान का नाम -श्री भूरी सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम -श्री यतेन्द्र यादव

प्रस्तर सं 115 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 3939219.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 3939219.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री भूरी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 116- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 3002056.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धहेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 3002056.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री भूरी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 117- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 538000.00, प्रशासनिक व्यय पर रू0 71000.00 कुलरू० 609000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 609000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री भूरी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

52-नाम संस्था - कौलारी **विकास खण्ड -शमसाबाद**

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती तारा देवी **ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री विक्रम सिंह**

प्रस्तर सं 118- वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	2316023.00
वर्षमें प्राप्त कुल अनुदान	1220623.00
वर्षमें उपभोग कुल अनुदान	2450954.00
वर्षांतमें शेष अनुदान	1968032.00

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 1968032.00 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रू०1085692.00 आता है स्पष्ट है, कि गणना अनुसार अन्तिम शेष एवं दर्शाये

गये अन्तिम शेष में रू० 882340.00 का अन्तर पाया गया जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री विक्रम सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 119- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 988581.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 988581.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 120- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1462373.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1462373.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 121- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से मजदूरी पर रू0 979000.00 व निर्माण सामग्री पर रू0 81000.00 एवं प्रशासनिक मद पर रू0 71000.00 कुल रू0 1131000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1131000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा ब्याज सहित वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

53- नाम संस्था - डौकी **विकास खण्ड -शमसाबाद**

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती हेमलता **ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री मनोज कुमार**

प्रस्तर सं 122- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1888682.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1888682.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती हेमलता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 123- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 4039550.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 4039550.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती हेमलता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 124- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 4491000.00, निर्माण सामग्री पर रू0 53000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रू0 71000.00 कुल रू० 4615000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 4615000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती हेमलता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

54-नाम संस्था - बडौबरा खुर्द **विकास खण्ड -शमसाबाद**

ग्राम प्रधान का नाम -श्री ग्याप्रसाद **ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री विक्रम सिंह**

प्रस्तर सं 125- वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	2413391.40
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	694799.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	3333685.00
वर्षांत में शेष अनुदान	1110195.40

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 1110195.40 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष अनुदान रू० 225494.60 ऋणात्मक संख्या में आता जो संभव नहीं है स्पष्ट है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण आंकडों का अंकन किया गया है जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री विक्रम सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 126- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1089773.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 1089773.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री ग्याप्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 127- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 2243912.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के

प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 2243912.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री ग्याप्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 128- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 169000.00, अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 169000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री ग्याप्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

55- नाम संस्था - मुटनई विकास खण्ड -शमसाबाद
ग्राम प्रधान का नाम -श्री हरिमोहन ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री मनोज कुमार
प्रस्तर सं 129- वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	554901.97
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	550000.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	1245572.00
वर्षांत में शेष अनुदान	452047.97

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 452047.97 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष अनुदान ऋणात्मक रु० 140670.03 संख्या में आता जो संभव नहीं है स्पष्ट है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण आंकडों का अंकन किया गया है जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 130- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 263500.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल / वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि

पंचायतराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 263500.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरिमोहन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने के की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 131- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 982072.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 982072.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरिमोहन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने के की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 132- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 1808000.00, निर्माण सामग्री पर रू0 158000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रू0 71000.00 कुल रू० 2037000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 2037000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरिमोहन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने के की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

56-नाम संस्था - धनोला कलां विकास खण्ड -शमसाबाद
ग्राम प्रधान का नाम - श्री बहादुर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री जयकिशोर चाहर

प्रस्तर सं 133- वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	1164652.87
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	2568436.00

वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	4170839.00
वर्षांत में शेष अनुदान	1654663.87

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 1654663.87 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष अनुदान ऋणात्मक रु० 437750.13 आता जो संभव नहीं है स्पष्ट है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण आंकडों का अंकन किया गया है जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री जयकिशोर चाहर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 134- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमीम अहमद द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1869175.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1869175.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री बहादुर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 135- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमीम अहमद द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 2301664.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2301664.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ग्राम प्रधान श्री बहादुर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 136- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 1741000.00,सामग्री पर रू0 52000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रू0 71000.000 कुल रू० 1864000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश

द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1864000.00गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री बहादुर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयकिशोर चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

57-नाम संस्था - लखुरानी विकास खण्ड -शमसाबाद

ग्राम प्रधान का नाम -श्री धर्मेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री जयकिशोर चाहर

प्रस्तर सं 137- वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04- 2021को अवशेष	1031804.05
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	791708.35
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	1774809.00
वर्षांत में शेष अनुदान	904023.4

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 904023.4 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रू० 48703.40 आता है स्पष्ट है, कि गणना अनुसार अन्तिम शेष एवं दर्शये गये अन्तिम शेष में रू० 855320.00 का अन्तर पाया गया जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री जयकिशोर चाहर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 138- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 549635.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 549635.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 139- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1225174.00 का उपभोग

दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 1225174.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयकिशोर चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 140- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 195000.00, एवं प्रशासनिक व्यय पर रू0 71000.000 कुल रू० 266000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।
अतः उपरोक्त व्यय रू0 266000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जयकिशोर चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

58- नाम संस्था - कौलारा कलां विकास खण्ड - शमसाबाद
ग्राम प्रधान का नाम - श्री शंकर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री मनोज कुमार
प्रस्तर सं 141- वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	6719512.06
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	2677650.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	5649073.00
वर्षांत में शेष अनुदान	6945957.06

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 6945957.06 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रू० 3748089.06 आता है स्पष्ट है, कि गणना अनुसार अन्तिम शेष एवं दर्शाए गये अन्तिम शेष में रू० 3197868.00 का अन्तर पाया गया जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 142- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त

अनुदान से रू0 2392860.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः उपरोक्त व्यय रू0 2392860.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शंकर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 143- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 3256213.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 3256213.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शंकर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 144- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 1840000.00, एवं निर्माण सामग्री पर रू0 58000.00 कुल रू० 1898000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1898000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शंकर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

59- नाम संस्था - हिमायुंपुर रोही विकास खण्ड - शमसाबाद

ग्राम प्रधान का नाम-श्रीमती शारदादेवी ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री जय किशोर चाहर

प्रस्तर सं 145 वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	362725.26
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	1277425.94
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	1878246.00
वर्षांत में शेष अनुदान	575115.20

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 575115.20 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष अनुदान रु० 238094.80 ऋणात्मक संख्या में आता जो संभव नहीं है स्पष्ट है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण आंकडों का अंकन किया गया है जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री जय किशोर चाहर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 146 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 798541.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 798541.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 147 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि यादव द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1079705.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1079705.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 148 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 945000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रू0 71000.00 कुल रू० 1016000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस

उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1016000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

60- नाम संस्था - बांगुरी विकास खण्ड - शमसाबाद
ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती मछला देवी ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री मनोज शाह

प्रस्तर सं 149 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज शाह द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित केवल कैंशबुक व सम्बंधित बैंक खता स्टैटमेन्ट लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 733098.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 733098.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे दण्डात्मक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मछला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज शाह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 150 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज शाह द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित केवल कैशबुक व सम्बंधित बैंक खता स्टैटमेन्ट लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1190566.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1190566.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे दण्डात्मक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मछला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज शाह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 151 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 456000.00 एवं प्रशासनिक मद पर रू0 71000.00 कुल रू0 527000.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 527000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे दण्डात्मक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मछला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज शाह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

61- नाम संस्था - चितौरा विकास खण्ड - शमसाबाद
ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती शीला ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री विक्रम सिंह

प्रस्तर सं 152 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 2033813.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2033813.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शीला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 153 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 2113534.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 2113534.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शीला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 154 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 694000.00, निर्माण सामग्री पर रू0 503000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रू0 71000.00 कुल रू० 1268000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1268000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शीला एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विक्रम सिंह से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

62- नाम संस्था - गुढ़ा विकास खण्ड - शमसाबाद

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती सिया देवी ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री मनोज कुमार

प्रस्तर सं 155 वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021को अवशेष	523747.00
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	1447941.00
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	2007772.00
वर्षांत में शेष अनुदान	964374.00

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 964374.00 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष अनुदान ऋणात्मक रु० 36084.00 संख्या में आता जो संभव नहीं है स्पष्ट है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण आंकडों का अंकन किया गया है जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 156 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 841752.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई

बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 841752.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सिया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 157 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1166020.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1166020.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सिया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 158 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 1827000.00, निर्माण सामग्री पर रू0 95000.00 कुल रू० 1922000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1922000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सिया देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

63- नाम संस्था - थाप खरगा विकास खण्ड - शमसाबाद
ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती आशा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री यतेन्द्र यादव

प्रस्तर सं 159 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू706470.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि

पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 706470.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव से आधा - आधा वसूल किये जाने के साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 160 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 636382.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 636382.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 161 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 253000.00, सामग्री पर रू0219000.00 एवं प्रशासनिक व्यय पर रू0 71000.00 कुल रू॰ 543000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 543000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यतेन्द्र यादव से आधा-आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

64- नाम संस्था - जारौली विकास खण्ड - शमसाबाद

ग्राम प्रधान का नाम - श्री साहब सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री जय किशोर चाहर

प्रस्तर सं 162वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	1360785.62

वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	917003.79
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	1645700.00
वर्षांत में शेष अनुदान	129473.41

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 129473.41 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष रू० 632089.41 आता है स्पष्ट है, कि गणना अनुसार अन्तिम शेष एवं दर्शये गये अन्तिम शेष में रू० 662654.00 का अन्तर पाया गया जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री जय किशोर चाहर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 163 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज शाह द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 574318.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 574318.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री साहब सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 164 वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु पत्राचार एवं व्यक्तिगत प्रयास करने के बावजूद वर्तमान ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज शाह द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित कोई भी अभिलेख परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया ई ग्राम स्वराज से प्राप्त आय-व्यय के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1071382.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1071382.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री साहब सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 165 मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 370000.00, प्रशासनिक व्यय पर रू0 71000.00 कुल रू० 441000.00 अनुदान उपभोग किया, लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं

किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 441000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री साहब सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर सं 166 वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रारूप 1 के अनुसार दिनांक 31-03-2022 को प्रधान के पास नकद शेष रू० 614439.00 दर्शाया गया है। जो कि विभागीय नियमों के प्रतिकुल एवं राजकीय धनराशि का दुरूपयोग है। अतः इसके लिये उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री साहब सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय किशोर चाहर से ब्याज सहित आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

65- नाम संस्था - थपेड़ा **विकास खण्ड -सैंया**

ग्राम प्रधान का नाम -श्री यादन सिंह **ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम -श्री अनिल कुमार**

प्रस्तर सं 167- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित केवल कैंश बुक व सम्बंधित बैंक खता स्टैटमेन्ट लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 863515.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 863515.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे दण्डात्मक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री यादन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 168- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित केवल कैशबुक व सम्बंधित बैंक खता स्टैटमेन्ट लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 578539.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये ,जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है

तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 578539.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे दण्डात्मक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री यादन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 169- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 1477000.00 सामग्री पर रु0 55000.00 एवं प्रशासनिक व्यय रु0 71000.00 कुल रू0 1603000.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1603000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे दण्डात्मक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री यादन सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

66- नाम संस्था - शेरपुर विकास खण्ड -सैंया

ग्राम प्रधान का नाम -श्रीमती भूरी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम -श्री अनिल कुमार

प्रस्तर सं 170- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित केवल कैंशबुक व सम्बंधित बैंक खता स्टैटमेन्ट लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 535882.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 535882.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे दण्डात्मक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 171- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित केवल कैशबुक व सम्बंधित बैंक खता स्टैटमेन्ट लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 565672.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा

जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 565672.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे दण्डात्मक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 172-मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 461000.00 सामग्री पर रु0 80000.00 कुल रू0 541000.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 541000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे दण्डात्मक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती भूरी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

67-नाम संस्था - भिडावली **विकास खण्ड -सैंया**

ग्राम प्रधान का नाम -श्री अजय कुमार **ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम -श्री अनिल कुमार**

प्रस्तर सं 173- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित केवल कैंशबुक व सम्बंधित बैंक खता स्टैटमेन्ट लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 510285.00 का उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये, जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 510285.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे दण्डात्मक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 174- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के उपभोग से सम्बंधित केवल कैशबुक व सम्बंधित बैंक खता स्टैटमेन्ट लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से रू0 1040887.00 का

उपभोग दर्शाया गया है। लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य कोई संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बिल/ वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1040887.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे दण्डात्मक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं 175- मनरेगा पोर्टल के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से विभिन्न विकास कार्यों में मजदूरी पर रू0 1407000.00 सामग्री पर रु0 107000.00 कुल रू0 1514000.00 अनुदान उपभोग किया , लेकिन इस उपभोग के सापेक्ष कोई बिल /वाउचर एवं अन्य संगत मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये , जबकि पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धन राशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यय रू0 1514000.00 गबन की श्रेणी में आता है, जिसे दण्डात्मक ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार से आधा - आधा वसूल किये जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है|

61- नाम संस्था - चितौरा विकास खण्ड - शमसाबाद

ग्राम प्रधान का नाम - श्रीमती शीला ग्राम पंचायत अधिकारी का नाम - श्री विक्रम सिंह

प्रस्तर सं 176 वित्तीय वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार एनुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गतवर्ष का अवशेष व वर्ष में प्राप्त वर्ष में व्यय एवं वर्षांत में शेष का निम्न प्रकार दर्शाया गया है -

01-04-2021 को अवशेष	1786909.58
वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान	1653735.68
वर्ष में उपभोग कुल अनुदान	4147347.00
वर्षांत में शेष अनुदान	1437228.26

उपरोक्त आकड़ों में वर्षांत में शेष अनुदान रु0 1437228.26 दर्शाया गया है लेकिन गणना करने पर वर्षांत में शेष अनुदान ऋणात्मक रु० 706701.74 संख्या में आता जो संभव नहीं है स्पष्ट है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण आंकडों का अंकन किया गया है जिसके लिए उत्तरदाई ग्राम पंचायत सचिव श्री विक्रम सिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- फिरोजाबाद

ग्राम पंचायत फिरोजाबाद :- वर्ष 2021-22

01. ग्राम पंचायत अनवारा विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 01- वाउचर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 33,49,032=00 व्यय से सम्बन्धित निम्नानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	विवरण	धनराशि
20-04-2021	एम#47एस अनिल सीमेंट एजेंसी~एजेंसी	75191
22-04-2021	एम#47एस राधे श्याम ट्रेडर्स~एजेंसी	583947
28-04-2021	एम#47एस राधे श्याम ट्रेडर्स~एजेंसी	62480
28-04-2021	बिटू गौतम ट्रेडिंग #38 निर्माण~एजेंसी	475620
29-04-2021	एम#47एस बालाजी ट्रेडर्स~एजेंसी	117040
29-04-2021	एम#47एस बालाजी ट्रेडर्स~एजेंसी	118279
29-04-2021	बिटू गौतम ट्रेडिंग #38 निर्माण~एजेंसी	194163
29-04-2021	बिटू गौतम ट्रेडिंग #38 निर्माण~एजेंसी	93928
29-04-2021	बिटू गौतम ट्रेडिंग #38 निर्माण~एजेंसी	12935
29-04-2021	बिटू गौतम ट्रेडिंग #38 निर्माण~एजेंसी	10200
29-04-2021	बिटू गौतम ट्रेडिंग #38 निर्माण~एजेंसी	6619
29-04-2021	एम#47एस बालाजी ट्रेडर्स~एजेंसी	115451
30-04-2021	एम#47एस राधे श्याम ट्रेडर्स~एजेंसी	157829
14-04-2021	बालाजी इंटरप्राइजेज~एजेंसी	136047
14-04-2021	बालाजी इंटरप्राइजेज~एजेंसी	15556
17-04-2021	एम#47एस अनिल सीमेंट एजेंसी~एजेंसी	13973
17-04-2021	एम#47एस अनिल सीमेंट एजेंसी~एजेंसी	13973
17-04-2021	एम#47एस अनिल सीमेंट एजेंसी~एजेंसी	13973
21-04-2021	एम#47एस अनिल सीमेंट एजेंसी~एजेंसी	71624
17-04-2021	एम#47एस अनिल सीमेंट एजेंसी~एजेंसी	35532
22-04-2021	श्रमा हार्डवेयर और पाइप स्टोर~एजेंसी	16980
19-04-2021	एम#47एस अनिल सीमेंट एजेंसी~एजेंसी	57698
19-04-2021	एम#47एस अनिल सीमेंट एजेंसी~एजेंसी	160552
19-04-2021	एम#47एस अनिल सीमेंट एजेंसी~एजेंसी	109041
22-04-2021	श्रमा हार्डवेयर और पाइप स्टोर~एजेंसी	45910
31-10-2021	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	14940
31-10-2021	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	6510
29-04-2021	एम#47एस बालाजी ट्रेडर्स~एजेंसी	198045

20-10-2021	एम#47एस विधि ठेकेदार~एजेंसी	29600
31-10-2021	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	13260
31-10-2021	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	6450
31-10-2021	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	6630
31-10-2021	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	45525
09-01-2022	आरना ट्रेडर्स~एजेंसी	15930
31-10-2021	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	42525
06-01-2022	बीएम कम्प्यूटर्स~एजेंसी	59942
06-01-2022	अभिषेक फर्नीचर~एजेंसी	49973
03-02-2022	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	7190
03-02-2022	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	9250
03-02-2022	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	19955
03-02-2022	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	10530
03-02-2022	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	8580
03-02-2022	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	18270
03-02-2022	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	9930
03-02-2022	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	13780
03-02-2022	सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	6970
15-02-2022	अभिषेक फर्नीचर~एजेंसी	14750
31-03-2022	नव जागरण सेनेटरी मार्ट~एजेंसी	25956
	योग	**3349032**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमरकान्त शर्मा, श्री राकेश सिंह द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रू0 20000 से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000 से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपरोक्तानुसार रू0 33,49,032=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमंन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 33,49,032=00, जो व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री राकेश अग्रवाल, प्रशासक रू0 13,57,270=50

श्री संजय कुमार,प्रधान रू0 3,17,245=00
श्री अमरकान्त शर्मा, ग्रा0पं0अधि0 रू0 13,57,270=50
श्री राकेश सिंह,ग्रा0पं0अधि0 रू0 3,17,245=00

प्रस्तर 02- मस्टरोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा रू0 1066900=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमरकान्त शर्मा, श्री राकेश सिंह द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 10,66,900=00, जो मस्टररोल पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री राकेश अग्रवाल, प्रशासक रू0 2,65,550=00
श्री संजय कुमार,प्रधान रू0 2,67,900=00
श्री अमरकान्त शर्मा, ग्रा0पं0अधि रू0 2,65,550=00
श्री राकेश सिंह,ग्रा0पं0अधि0 रू0 2,67,900=00

02. ग्राम पंचायत भीकनपुर बझेरा विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 03- वाउचर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 10,40,477=00 व्यय से सम्बन्धित निम्नानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	विवरण	धनराशि
13-04-2021	श्याम जी व्हील~एजेंसी	12978
20-04-2021	एम#47एस सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	6825
20-04-2021	एम#47एस सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	11330
20-04-2021	एम#47एस सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	24390
20-04-2021	एम#47एस सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	11530
20-04-2021	एम#47एस सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	11530
20-04-2021	एम#47एस सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	11330
20-04-2021	एम#47एस सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	11530
20-04-2021	एम#47एस सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	24190
20-04-2021	एम#47एस सनी हार्डवेयर स्टोर~एजेंसी	11560
21-04-2021	एम#47एस बालाजी ट्रेडर्स~एजेंसी	126156
21-04-2021	एम#47एस बालाजी ट्रेडर्स~एजेंसी	74726
22-04-2021	लक्ष्य बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स~एजेंसी	85698
23-04-2021	बालाजी इंटरप्राइजेज~एजेंसी	41265
04-05-2021	शर्मा हार्डवेयर#38 पाइप स्टोर~एजेंसी	17000
12-06-2021	एम#47एस अनिल सीमेंट एजेंसी~एजेंसी	73648

12-06-2021	एम#47एस अनिल सीमेंट एजेंसी~एजेंसी	65557
11-10-2021	शंकर सप्लायर्स~एजेंसी	44753
12-10-2021	शंकर सप्लायर्स~एजेंसी	33718
12-10-2021	शंकर सप्लायर्स~एजेंसी	169963
02-02-2022	उत्कृष्ट कंप्यूटर~एजेंसी	87600
04-02-2022	एम#47एस वाईएएस इलेक्ट्रॉनिक्स~एजेंसी	67000
07-02-2022	शर्मा हार्डवेयर#38 पाइप स्टोर~एजेंसी	16200
योग		**1040477**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमरकान्त शर्मा, श्री राकेश सिंह द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त(लेखा) अनुभाग के शासनादेश सं0-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार रू0 20000 से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन व 100000 से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपरोक्तानुसार रू0 10,40,477=00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमंन्त्रित किये क्रय की गई है।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं मिल सका। जिस हेतु **ग्राम प्रधान** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 10,40,477=00, जो व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री राकेश अग्रवाल, प्रशासक रू0 3,10,621=00
श्री हरिओम,प्रधान रू0 2,09,617=00
श्री प्रताप सिंह,ग्रा0पं0अधि0 रू0 5,20,239=00

प्रस्तर 04- मस्टरोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा रू0 439950=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रताप सिंह द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 4,39,950=00, जो मस्टररोल पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री राकेश अग्रवाल, प्रशासक रू0 1,07,225=00
श्री हरिओम,प्रधान रू0 1,12,750=00

श्री प्रताप सिंह,ग्रा0पं0अधि0 रू0 2,19,975=00

03. ग्राम पंचायत कुतुबपुर साहब मुस्तकिल विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 05- वाउचर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 13,99,236=00 व्यय से सम्बन्धित निम्नानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

क्रं सं	वाउचर/	विवरण	धनराशि
1	2021-22/17	एम # 47 एस अनिल सीमेंट एजेंसी ~ एजेंसी	88365
2	2021-22/20	शर्मा हार्डवेयर #38 पाइप स्टोर~एजेंसी	5000
3	2021-22/30	एम # 47 एस अनिल सीमेंट एजेंसी ~ एजेंसी	17623
4	2021-22/21	एम # 47 एस अनिल सीमेंट एजेंसी ~ एजेंसी	98505
5	2021-22/1	लक्ष्य भवन सामग्री आपूर्ति ~ एजेंसी	20039
6	2021-22/2	लक्ष्य भवन सामग्री आपूर्ति ~ एजेंसी	77956
7	2021-22/3	लक्ष्य भवन सामग्री आपूर्ति ~ एजेंसी	68424
8	2021-22/4	लक्ष्य भवन सामग्री आपूर्ति ~ एजेंसी	73706
9	2021-22/5	लक्ष्य भवन सामग्री आपूर्ति ~ एजेंसी	64303
10	2021-22/29	अंकित इलेक्ट्रिकल्स ~ एजेंसी	14236
11	2021-22/11	एम # 47 एस अनिल सीमेंट एजेंसी ~ एजेंसी	21285
12	2021-22/23	शर्मा हार्डवेयर #38 पाइप स्टोर~एजेंसी	20270
13	2021-22/23	शर्मा हार्डवेयर #38 पाइप स्टोर~एजेंसी	22178
14	2021-22/23	शर्मा हार्डवेयर #38 पाइप स्टोर~एजेंसी	20200
15	2021-22/23	शर्मा हार्डवेयर #38 पाइप स्टोर~एजेंसी	20260
16	2021-22/23	शर्मा हार्डवेयर #38 पाइप स्टोर~एजेंसी	24780
17	2021-22/28	शर्मा हार्डवेयर #38 पाइप स्टोर~एजेंसी	21630
18	2021-22/10	एम # 47 एस अनिल सीमेंट एजेंसी ~ एजेंसी	47558
19	2021-22/24	एम # 47 एस अनिल सीमेंट एजेंसी ~ एजेंसी	64937
20	2021-22/25	शर्मा हार्डवेयर #38 पाइप स्टोर~एजेंसी	22130
21	2021-22/26	शर्मा हार्डवेयर #38 पाइप स्टोर~एजेंसी	22100
22	2021-22/27	शर्मा हार्डवेयर #38 पाइप स्टोर~एजेंसी	21840
23	2021-22/28	शर्मा हार्डवेयर #38 पाइप स्टोर~एजेंसी	21190
24	2021-22/1	एम # 47 एस न्यू गोस्वामी हार्डवेयर और सैन्टरी ~ एजेंसी	21077
25	2021-22/1	एम # 47 एस न्यू गोस्वामी हार्डवेयर और सैन्टरी ~ एजेंसी	22755
26	2021-22/1	एम # 47 एस न्यू गोस्वामी हार्डवेयर और सैन्टरी ~ एजेंसी	22183
27	2021-22/35	एम # 47 एस अनिल सीमेंट एजेंसी ~ एजेंसी	18500
28	2021-22/10	एम # 47 एस अनिल सीमेंट एजेंसी ~ एजेंसी	106958
29	2021-22/36	एम # 47 एस अनिल सीमेंट एजेंसी ~ एजेंसी	40487
30	2021-22/24	आगरा कंप्यूटर सेंटर ~ एजेंसी	59898
31	2021-22/3	श्याम जी व्हील ~ एजेंसी	12978

32	2021-22/7	गुप्ता फर्नीचर ~ एजेंसी	74340
33	2021-22/51	लक्ष्य भवन सामग्री आपूर्ति ~ एजेंसी	76400
34	2021-22/31	नितिन स्टोर ~ एजेंसी	19500
35	2021-22/15	एम # 47 एस अनिल सीमेंट एजेंसी ~ एजेंसी	40365
36	2021-22/39	जय दुर्गे माँ आयरन वर्क~एजेंसी	5280
		योग	**1399236**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनेश यादव द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 13,99,236=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री लालता प्रसाद, प्रधान रू0 6,99,618=00

श्री रजनेश यादव,ग्रा0पं0अधि0 रू0 6,99,618=00

04. ग्राम पंचायत रसूलाबाद विकास खण्ड टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 06- वाउचर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 32,39,784=00 व्यय से सम्बन्धित निम्नानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	विवरण	धनराशि
07-10-2021	माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स~एजेंसी	132761
11-09-2021	श्याम जी व्हील~एजेंसी	12978
07-10-2021	माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स~एजेंसी	152282
07-10-2021	माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स~एजेंसी	91923
07-10-2021	माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स~एजेंसी	251926
01-02-2022	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	70333
12-02-2022	एम#47एस अनिल सीमेंट एजेंसी~एजेंसी	470518
12-02-2022	माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स~एजेंसी	156553
12-02-2022	माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स~एजेंसी	146594
12-02-2022	माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स~एजेंसी	149498
12-02-2022	माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स~एजेंसी	173967
13-02-2022	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	40700
13-02-2022	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	40750
13-02-2022	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	44745
13-02-2022	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	40750
19-02-2022	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	40750

27-07-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	104950
10-08-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	49850
10-08-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	44985
04-09-2021	माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स~एजेंसी	76029
04-09-2021	माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स~एजेंसी	186531
10-08-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	48725
04-09-2021	श्री कैला देवी इलेक्ट्रिकल्स एवं हार्डवेयर~एजेंसी	36540
04-09-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	10570
04-09-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	47748
03-10-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	11825
03-10-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	6750
03-10-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	8105
03-10-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	3640
03-10-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	95375
03-10-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	24460
19-02-2022	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	40750
19-02-2022	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	44745
19-02-2022	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	44725
15-03-2022	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	44380
28-01-2022	बनाम कंप्यूटर सर्विसेज~एजेंसी	59700
01-02-2022	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	23615
03-10-2021	एम#47एस विवेक हार्डवेयर~एजेंसी	5310
12-02-2022	माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स~एजेंसी	203448
योग		**3239784.00**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनेश यादव द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 32,39,784=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती सरोज देवी, प्रधान रू0 16,19,892=00

श्री रजनेश यादव,ग्रा0पं0अधि0 रू0 16,19,892=00

प्रस्तर 07- मस्टरोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा रू0 1211250=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रताप सिंह द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 12,11,250=00, जो मस्टररोल पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्रीमती सरोज देवी, प्रधान रू0 6,05,625=00

श्री रजनेश यादव,ग्रा0पं0अधि0 रू0 6,05,625=00

05. ग्राम पंचायत जायमई विकास खण्ड मदनपुर जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 08- वाउचर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 11,86,907=00 व्यय से सम्बन्धित निम्नानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	विवरण	धनराशि
12-02-2022	कल्लू मशीनरी स्टोर~एजेंसी	8200
12-02-2022	कल्लू मशीनरी स्टोर~एजेंसी	2300
12-02-2022	कल्लू मशीनरी स्टोर~एजेंसी	31500
21-03-2022	मंगला मूर्ति ट्रेडर्स~एजेंसी	69170
21-03-2022	मंगला मूर्ति ट्रेडर्स~एजेंसी	76336
22-10-2021	कल्लू मशीनरी स्टोर~एजेंसी	42050
12-02-2022	मंगला मूर्ति ट्रेडर्स~एजेंसी	17053
13-03-2022	मंगला मूर्ति ट्रेडर्स~एजेंसी	33891
13-03-2022	मंगला मूर्ति ट्रेडर्स~एजेंसी	115686
13-03-2022	मंगला मूर्ति ट्रेडर्स~एजेंसी	141952
13-03-2022	मंगला मूर्ति ट्रेडर्स~एजेंसी	35493
13-03-2022	मंगला मूर्ति ट्रेडर्स~एजेंसी	66484
27-11-2021	वी एस ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	257300
29-11-2021	स्वास्तिक सेल्स कॉर्पोरेशन~एजेंसी	8500
21-03-2022	मंगला मूर्ति ट्रेडर्स~एजेंसी	208414
21-03-2022	मंगला मूर्ति ट्रेडर्स~एजेंसी	72578
	योग	**1186907**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रजनेश यादव द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 11,86,907=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती अपर्णा सिंह, प्रधान रू0 5,93,453=00

श्री शिवओम वर्मा,ग्रा0पं0अधि0 रू0 5,93,453=00

प्रस्तर 09- मस्टरोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा रू0 293200=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	विवरण	धनराशि
01-11-2021	मस्टर रोल	4500
12-02-2022	मस्टर रोल	10000
21-03-2022	मस्टर रोल	17800
21-03-2022	मस्टर रोल	19500
01-11-2021	मस्टर रोल	15000
12-02-2022	मस्टर रोल	6100
13-03-2022	मस्टर रोल	10000
13-03-2022	मस्टर रोल	36000
13-03-2022	मस्टर रोल	44800
13-03-2022	मस्टर रोल	11000
13-03-2022	मस्टर रोल	21100
21-03-2022	मस्टर रोल	80600
21-03-2022	मस्टर रोल	16800
	योग	**293200**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवओम वर्मा द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 2,93,200=00, जो मस्टररोल पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्रीमती अपर्णा सिंह, प्रधान रू0 1,46,600=00

श्री शिवओम वर्मा,ग्रा0पं0अधि0 रू0 1,46,600=00

06. ग्राम पंचायत असन विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 10- वाउचर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 9,69,955=00 व्यय से सम्बन्धित निम्नानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	विवरण	धनराशि
19-05-2021	सचिन ट्रेडर्स~एजेंसी	6655
20-05-2021	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	32000
21-05-2021	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	130000
21-05-2021	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	30800
21-05-2021	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	30800
21-05-2021	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	30800
21-05-2021	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	95000
21-05-2021	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	30800
29-10-2021	श्री राम हार्डवेयर~एजेंसी	76800
10-11-2021	मंगलम इंटरप्राइजेज~एजेंसी	21500
24-11-2021	श्री राम हार्डवेयर~एजेंसी	76800
07-01-2022	श्री गोगा जी ट्रेडिंग कंपनी~एजेंसी	148000
21-02-2022	मंगलम इंटरप्राइजेज~एजेंसी	45000
08-03-2022	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	150000
08-03-2022	कन्हैय्या हार्डवेयर~एजेंसी	40000
26-03-2022	मंगलम इंटरप्राइजेज~एजेंसी	25000
	योग	**969955**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती दिव्या झा द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 9,69,955=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री नाथूराम, प्रशासक रू0 1,93,427=50

श्री अवनीष उपाध्याय,प्रधान रू0 2,91,550=00

श्री मती दिव्या झा,ग्रा0पं0अधि0 रू0 4,84,977=50

प्रस्तर 11- मस्टरोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा रू0 202200=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	विवरण	धनराशि

21-05-2021	मस्टर रोल	8000
21-05-2021	मस्टर रोल	8000
21-05-2021	मस्टर रोल	8000
21-05-2021	मस्टर रोल	8000
21-05-2021	मस्टर रोल	25000
21-05-2021	मस्टर रोल	18900
21-05-2021	मस्टर रोल	18000
20-05-2021	मस्टर रोल	28000
21-02-2022	मस्टर रोल	8000
24-11-2021	मस्टर रोल	18300
10-11-2021	मस्टर रोल	28000
10-11-2021	मस्टर रोल	8000
10-11-2021	मस्टर रोल	18000
	योग	**202200**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती दिव्या झा द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 2,02,200=00, जो मस्टररोल पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री नाथूराम, प्रशासक रू0 60,900=00
श्री अवनीष उपाध्याय,प्रधान रू0 40,150=00
श्री मती दिव्या झा,ग्रा0पं0अधि0 रू0 1,01,050=00

07. ग्राम पंचायत वजीरपुर कोटला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 12- वाउचर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 6,50,840=00 व्यय से सम्बन्धित निम्नानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	विवरण	धनराशि
07-01-2022	आर पी सिंह ट्रेडर्स~एजेंसी	50000
07-01-2022	नेमिचंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	37325
07-01-2022	नेमिचंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	37515
07-01-2022	नेमिचंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	12000
23-08-2021	नेहा ट्रेडर्स~एजेंसी	95000
10-09-2021	आर पी सिंह ट्रेडर्स~एजेंसी	182400
23-01-2022	जय केडी कम्प्यूटर्स~एजेंसी	80000
30-09-2021	आर पी सिंह ट्रेडर्स~एजेंसी	156600

	योग	**650840**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 6,50,840=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री दिनेश कुमार, प्रधान रू0 3,25,420=00

श्री राजेश कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 3,25,420=00

प्रस्तर 13- मस्टरोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा रू0 46500=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	**विवरण**	**धनराशि**
23-08-2021	मस्टर रोल	20000
10-09-2021	मस्टर रोल	25000
13-03-2022	मस्टर रोल	1500
	योग	**46500**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 46,500=00, जो मस्टररोल पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री दिनेश कुमार, प्रधान रू0 23,250=00

श्री राजेश कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 23,250=00

08. ग्राम पंचायत हरदासपुर कोटला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 14- वाउचर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 8,68,596=00 व्यय से सम्बन्धित निम्नानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	**विवरण**	**धनराशि**
09-02-2022	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	107547
09-06-2021	माँ भगवती इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	196788
10-12-2021	श्री राम ट्रेडर्स एंड हार्डवेयर~एजेंसी	36000
12-07-2021	श्री राम ट्रेडर्स एंड हार्डवेयर~एजेंसी	42000
12-07-2021	श्री राम ट्रेडर्स एंड हार्डवेयर~एजेंसी	42000
12-07-2021	श्री राम ट्रेडर्स एंड हार्डवेयर~एजेंसी	42000

20-10-2021	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	50000
20-10-2021	मंगलम इंटरप्राइजेज~एजेंसी	24000
20-10-2021	मंगलम इंटरप्राइजेज~एजेंसी	11200
02-11-2021	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	152520
06-06-2021	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	95000
09-02-2022	देवेन्द्र सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	27541
09-02-2022	मंगलम इंटरप्राइजेज~एजेंसी	42000
	योग	**868596**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 8,68,596=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मनोज कुमार, प्रधान रू0 4,34,298=00

श्री मती दिव्या झा,ग्रा0पं0अधि0 रू0 4,34,298=00

प्रस्तर 15- मस्टरोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा रू0 225800=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	**विवरण**	**धनराशि**
09-02-2022	मस्टर रोल	26000
09-06-2021	मस्टर रोल	25800
10-12-2021	मस्टर रोल	12000
20-10-2021	मस्टर रोल	60000
20-10-2021	मस्टर रोल	4000
20-10-2021	मस्टर रोल	28000
20-10-2021	मस्टर रोल	6000
02-11-2021	मस्टर रोल	31000
06-06-2021	मस्टर रोल	25000
09-02-2022	मस्टर रोल	8000
	योग	**225800**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती दिव्या झा द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 2,25,800=00, जो मस्टररोल पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मनोज कुमार, प्रधान रू0 1,12,900=00

श्रीमती दिव्या झा,ग्रा0पं0अधि0 रू0 1,12,900=00

09. ग्राम पंचायत कोटला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 16- वाउचर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 20,51,231=00 व्यय से सम्बन्धित निम्नानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	विवरण	धनराशि
18-05-2021	एम#47एस मां वेष्णो पेंट्स एंड हार्डवेयर~एजेंसी	89230
18-05-2021	सचिन ट्रेडर्स~एजेंसी	200000
16-06-2021	माँ भगवती इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	96000
16-06-2021	माँ भगवती इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	63945
11-08-2021	नेमिचंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	38504
11-08-2021	माँ भगवती इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	95000
11-08-2021	माँ भगवती इंजीनियरिंग वर्क्स~एजेंसी	95000
15-10-2021	नेमिचंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	39117
15-10-2021	नेमिचंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	6700
15-10-2021	नेमिचंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	37996
25-10-2021	नेमिचंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	48026
28-10-2021	एमएस विनोद बिल्डिंग मटेरियल~एजेंसी	57910
05-11-2021	श्री बजरंग इंटरप्राइजेज~एजेंसी	120246
05-11-2021	श्री बजरंग इंटरप्राइजेज~एजेंसी	159000
04-12-2021	आर पी सिंह ट्रेडर्स~एजेंसी	472148
04-12-2021	आर पी सिंह ट्रेडर्स~एजेंसी	127932
20-12-2021	श्री बजरंग इंटरप्राइजेज~एजेंसी	136507
19-01-2022	नेमिचंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	15300
26-01-2022	एम#47एस आरजी कंप्यूटर~एजेंसी	60000
03-02-2022	श्री बजरंग इंटरप्राइजेज~एजेंसी	91670
योग		**2051231**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 20,51,231=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री अरूण कुमार, प्रधान रू0 10,25,615=50

श्री दिलीप कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 10,25,615=50

प्रस्तर 17- मस्टरोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा रू0 624020=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 6,24,020=00, जो मस्टररोल पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री अरूण कुमार, प्रधान रू0 3,12,010=00

श्री दिलीप कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 3,12,010=00

10. ग्राम पंचायत कुतुबपुर चुनौरा विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 18- वाउचर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 6,24,542=00 व्यय से सम्बन्धित निम्नानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	विवरण	धनराशि
30-04-2021	एम#47एस शंकर आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	165080
30-04-2021	एम#47एस शंकर आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	186110
30-04-2021	एम#47एस शंकर आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	132890
29-04-2021	रणजीत मशीनरी स्टोर~एजेंसी	49315
29-04-2021	रणजीत मशीनरी स्टोर~एजेंसी	45276
29-04-2021	रणजीत मशीनरी स्टोर~एजेंसी	26213
29-04-2021	रणजीत मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19658
	योग	**624542.00**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 6,24,542=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री नाथूराम, प्रशासक रू0 3,12,271=00

श्री दीपक शर्मा,ग्रा0पं0अधि0 रू0 3,12,271=00

11. ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर कोटला विकास खण्ड नारखी जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 19- वाउचर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 3,16,554=00 व्यय से सम्बन्धित निम्नानुसार कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	विवरण	धनराशि
25-12-2021	नेमी चंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	40449
25-12-2021	नेमी चंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	46750
25-12-2021	नेमी चंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	47790
23-12-2021	नेमी चंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	37647
23-12-2021	नेमी चंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	22513
23-12-2021	नेमी चंद्र जैन ट्रेडर्स~एजेंसी	41405
26-01-2022	जानवी कंप्यूटर~एजेंसी	80000
	योग	**316554**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 3,16,554=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री विकास प्रताप सिंह, प्रधान रू0 1,58,277=00

श्री राजेश कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 1,58,277=00

प्रस्तर 20- मस्टरोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा रू0 320500=00 के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

दिनांक	विवरण	धनराशि
18-01-2022	मस्टर रोल	36000
25-10-2021	मस्टर रोल	70000
25-10-2021	मस्टर रोल	69200
06-02-2022	मस्टर रोल	10000
07-10-2021	मस्टर रोल	20000
07-10-2021	मस्टर रोल	20000
09-12-2021	मस्टर रोल	35000
10-02-2022	मस्टर रोल	10000

14-10-2021	मस्टर रोल	20000
18-01-2022	मस्टर रोल	1800
25-11-2021	मस्टर रोल	24500
25-11-2021	मस्टर रोल	4000
	योग	**320500**

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 3,20,500=00, जो मस्टररोल पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री विकास प्रताप सिंह, प्रधान रू0 1,60,250=00

श्री राजेश कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 1,60,250=00

12. ग्राम पंचायत खैरगढ विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 21- वाउचर्स / निर्माण पत्रावली का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में

1- पंचायत घर में टायल्स निर्माण कार्य रू0 2,96,700=00

2- रामकिशन के घर से धर्मेन्द्र के घर तक सीसी निर्माण कार्य रू0 2,48,907=00

3- अमर सिंह के घर से राजेश के घर तक सीसी निर्माण कार्य रू0 2,74,900=00

4- जगदीश दुबे के घर से राहुल के घर तक सीसी एवं नाली निर्माण कार्य रू0 2,09,810=00

5- संजय कुमार के घर से जगदीश के घर तक सीसी एवं नाली निर्माण कार्य रू0 2,02,340=00

6- हरेन्द्र के घर से मन्दिर तक सीसी एवं नाली निर्माण कार्य रू0 3,01,700=00

के व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक कुमार द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री हीरालाल द्वारा निम्न धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 18,24,368=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री उदयवीर सिंह, प्रधान रू0 9,12,184=00

श्री हीरालाल,ग्रा0पं0अधि0 रू0 9,12,184=00

13. ग्राम पंचायत निकाउ विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 22- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्वान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य- सामुदायिक शौचालय निर्माण में रू0 5,94,400=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रकिृया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अत: इस कार्य पर व्यय **रू0 5,94,400=00** नियमो के विरूद् किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री सोनी यादव** एवं **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र यादव** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

14. ग्राम पंचायत साहूमई विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 23- वाउचर्स / निर्माण पत्रावली का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री आशीष द्वारा निम्न धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 13,69,737=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री संतोष, प्रधान	रू0 6,84,868=50
श्री आशीष,ग्रा0पं0अधि0	रू0 6,84,868=50

15. ग्राम पंचायत शेखपुरा विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 24- वाउचर्स / निर्माण पत्रावली का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1 सामुदायिक शौचालय निर्माण रू0 3,87,890

2 पंचायत घर निर्माण रू0 7,77,509

3 सामुदायिक शौचालय निर्माण रू0 2,02,800

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये

गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री अजयपाल द्वारा निम्न धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 13,68,199=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती अन्जू देवी, प्रधान	रू0 6,84,099=50
श्री अजयपाल,ग्रा0पं0अधि0	रू0 6,84,099=50

16. ग्राम पंचायत रीवा विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 25- वाउचर्स / निर्माण पत्रावली का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1 हेण्डपम्प रीबोर
2 हैण्डपम्प मरम्मत
3 हैण्डपम्प मरम्मत
4 हैण्डपम्प रीबोर
5 नगला शीश कुंआ का सौन्दर्यीकरण मन्दिर के पास
6 सुभाश के घर से अमरपाल के घर तक नाली निर्माण कार्य
7 रामवीर के घर से राजेन्द्र के घर तक सीसी एवं नाली निर्माण
8 राजनसिंह के घर से अभय सिंह के घर तक सीसी एवं नाली
9 राजवीर के घर से तालाब तक नाली निर्माण
10 हैण्डपम्प मरम्मत
11 हैण्डपम्प रीबोर
12 सामुदायिक शौचालय निर्माण

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री आशीष द्वारा निम्न धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 9,03,082=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री कमलेश यादव, प्रधान	रू0 4,51,541=00
श्री आशीष,ग्रा0पं0अधि0	रू0 4,51,541=00

17. ग्राम पंचायत रानीपुर विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 26- वाउचर्स / निर्माण पत्रावली का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1- प्राथमिक विद्यालय दादनपुर में बाउण्ड्रीवाल निर्माण रू0 3,40,503

2- सामुदायिक शौचालय निर्माण रू0 3,73,200

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री आशीष द्वारा निम्न धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 7,13,703=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री राजन सिंह, प्रधान	रू0 3,56,851=50
श्री आशीष,ग्रा0पं0अधि0	रू0 3,56,851=50

18. ग्राम पंचायत रखावली विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 27- वाउचर्स / निर्माण पत्रावली का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

3- बारात घर का जीर्णोद्धार रू0 2,36,000

4- सामुदायिक शौचालय निर्माण रू0 3,20,000

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री आशीष कुमार द्वारा निम्न धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 5,56,000=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती रेनू, प्रधान रू0 2,78,000=00

श्री आशीष कुमार,ग्रा0पं0अधि0 रू0 2,78,000=00

19. ग्राम पंचायत लालई विकास खण्ड हाथवन्त जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 28- वाउचर्स / निर्माण पत्रावली का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1- पंचायत घर की तरफ से इण्टरलाकिंग कार्य रू0 2,22,520

2- प्राथमिक विद्यालय लालई के कमरे एवं बरामदे में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य रू0 2,23,600

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमाणक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री आशीष कुमार द्वारा निम्न धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 4,46,120=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री जीवन सिंह, प्रधान रू0 2,23,060=00

श्री अजयपाल,ग्रा0पं0अधि0 रू0 2,23,060=00

20. ग्राम पंचायत अब्बासपुर विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 29- वाउचर्स / निर्माण पत्रावली का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1 समर कार्य

2 दिव्यांग शौचालय कार्य

3 पूर्व मा0वि0में टायल्य कार्य

4 समाधि गेट से रसोई घर तक सीसी निर्माण

5 प्रा0पि0 में आपरेशन कायाकल्प अन्तर्गत कार्य

6 सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य

7 हैण्डपम्प रीबोर

8 प्रा0वि0 में टायल्स कार्य

9 मैन रोड से आंगनबाडी केन्द्र तक टायल्स कार्य

10 तार फेंसिंग कार्य

11 हैण्डपम्प रीबोर

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमा णक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री आशीष कुमार द्वारा निम्न धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 14,05,376=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती बेबी देवी, प्रधान रू0 7,02,608=00

श्री मती हेमा जादौंन,ग्रा0पं0अधि0 रू0 7,02,608=00

21. ग्राम पंचायत अरमरा जट विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 30- वाउचर्स / निर्माण पत्रावली का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1- पंचायत घर का विस्तारीकरण कार्य रू0 3,38,220

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमा णक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री राजेश यादव द्वारा निम्न धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 3,38,220=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री मती अनुपम यादव, प्रधान रू0 1,69,110=00

श्री राजेश यादव,ग्रा0पं0अधि0 रू0 1,69,110=00

22. ग्राम पंचायत ब्रहमाबाद लाछपुर विकास खण्ड शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 31- वाउचर्स / निर्माण पत्रावली का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

1- हैण्डपम्प मरम्मत कार्य रू0 10,000

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमा णक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि श्री सुश्री ज्योत्सना द्वारा निम्न धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 10,000=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री एस सिंह, प्रधान	रू0 5,000=00
श्री सुश्री ज्योत्सना,ग्रा0पं0अधि0	रू0 5,000=00

23. ग्राम पंचायत पाढम विकास खण्ड एका जनपद फिरोजाबाद।

प्रस्तर 32- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्यों पर व्यय करना- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, चैदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्ररमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्वान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य- जगदीश डीलर के घर से पुलिया तक रू**0 3,74,457,** रोशनलाल के घर से शिवजी के मन्दिर तक रू**0 4,09,043,** नत्थू के घर से ओमकार के घर तक रू**0 3,81,781,** विजयपाल के घर से डाबर रोड तक रू**0 4,24,382,** रूमाल सिंह के घर से विजय के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली रू**0 3,17,439** में रू0 19,07,102=00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 316 एवं पैरा 318 सपठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रकिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पक्ष से प्राप्त नहीं की गयी। अत: इस कार्य पर व्यय **रू0 19,07,102=00** नियमो के विरूद् किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु **ग्राम प्रधान श्री हरवीर सिंह** एवं **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह** संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर 33- वाउचर्स / निर्माण पत्रावली का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जाना - ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। 1- पंचायत घर में टायल्स निर्माण कार्य रू0 2,16,652 2- पंचायत घर प्रांगण में इण्टरलाकिंग कार्य रू0 1,86,233=00उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, माप पुस्तिका तथा व्यय प्रमा णक बार-बार आग्रह करने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। उ0प्र पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित द्वारा व्यय प्रमाणक/ अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जो वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) अनुसार अपहरण है। इसका सीधा

अभिप्राय यह है कि श्री इन्द्रजीत सिंह द्वारा निम्न धनराशियों से न तो कोई निर्माण कार्य कराये गये हैं और न ही अभिलेख तैयार किये गये हैं और यदि निर्माण कार्य कराये गये हैं, तो उनसे सम्बन्धित अभिलेख जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिसमें गबन की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त समस्त धनराशि रू0 4,02,885=00, जो निर्माण कार्य पर व्यय की गई है,की वसूली ता-तारीख सूद सहित निम्न विवरणानुसार की जानी अपेक्षित है-

श्री हरवीर सिंह, प्रधान	रू0 2,01,442=50
श्री इन्द्रजीत सिंह,ग्रा0पं0अधि0	रू0 2,01,442=50

जनपद - मैनपुरी

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 जनपद - मैनपुरी

ग्राम पंचायत - मैनपुरी

ग्राम पंचायत- नवादा विकासखण्ड- जागीर

प्रस्तर-1 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत नवादा के सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्रामस्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 324900.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 324900.00 की वसूली तत्कालीन सचिव अरुण पाण्डेय एवम प्रधान श्रीमती प्रीती से आधी आधी की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत नवादा के मनरेगा के अभिलेख सचिव/प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल के अनुसार रू0 367608.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 367608.00 की वसूली तत्कालीन सचिव अरुण पाण्डेय एवम प्रधान श्रीमती प्रीती से आधी आधी की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नखतपुर विकासखण्ड- जागीर

प्रस्तर-3 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत नखतपुर के सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्रामस्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 132704.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त

उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 132704.00 की वसूली तत्कालीन सचिव अरुण पाण्डेय/प्रधान श्री नेत्रपाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत नखतपुर के मनरेगा के अभिलेख सचिव/प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल के अनुसार रू0 115872.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 115872.00 की वसूली तत्कालीन सचिव अरुण पाण्डेय/प्रधान श्री नेत्रपाल से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- हतपऊ विकासखण्ड- जागीर

पस्तर-5 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत हतपऊ के सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्रामस्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 3651404.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 3651404.00 की वसूली तत्कालीन सचिव अरुण पाण्डेय/प्रधान श्रीमती सिंगार देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर--6 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत हतपऊ के मनरेगा के अभिलेख सचिव/प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल के अनुसार रू0 1256382.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1256382.00 की वसूली तत्कालीन सचिव अरुण पाण्डेय/प्रधान श्रीमती सिंगार देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मंगलपुर विकासखण्ड- जागीर

प्रस्तर-7 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत मंगलपुर के सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्रामस्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1553158.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1553158.00 की वसूली सचिव अरुण पाण्डेय/प्रधान उपेन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत मंगलपुर के मनरेगा के अभिलेख सचिव/प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल के अनुसार रू0 504696.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 504696.00 की वसूली तत्कालीन सचिव अरुण पाण्डेय/प्रधान उपेन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गदाईपुर विकासखण्ड- जागीर

प्रस्तर- 9 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत गदाईपुर के सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्रामस्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 2183884.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 2183884.00 की वसूली सचिव अरुण पाण्डेय/प्रधान श्रीमती कमला देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत गदाईपुर के मनरेगा के अभिलेख सचिव/प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल के अनुसार रू0 1064880.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1064880.00 की वसूली तत्कालीन सचिव अरुण पाण्डेय/प्रधान श्रीमती कमला देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- टिण्डौली विकासखण्ड- मैनपुरी

प्रस्तर-11 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत टिण्डौली के सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार रू0 3053225.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 3053225.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री प्रदीप कु0 चैहान/प्रधान श्रीमती सीमा से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत टिण्डौली के मनरेगा के अभिलेख सचिव/प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल के अनुसार रू0 701760.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व

है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 701760.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री प्रदीप कु0 चैहान/प्रधान श्रीमती सीमा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- लहरामहुअन विकासखण्ड- मैनपुरी

प्रस्तर-13 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत लहरामहुअन के सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार रू0 1289986.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1289986.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्रीमती अल्का सिंह/प्रधान श्री विनाद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत लहरामहुअन के मनरेगा के अभिलेख सचिव/प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल के अनुसार रू0 766836.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 766836.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्रीमती अल्का सिंह /प्रधान श्री विनाद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जवापुर विकासखण्ड- मैनपुरी

प्रस्तर-15 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत जवापुर के सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख (रोकड़ बही को छोड़कर) प्रस्तुत नहीं किये गये। रोकड़ बही से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 4526573.10 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 4526573.10 की वसूली तत्कालीन सचिव श्रीमती अल्का सिंह/प्रधान श्रीमती सुधा देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत जवापुर के मनरेगा के अभिलेख सचिव/प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल के अनुसार रू0 1329468.00 का व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव एवं प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में यदि प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव

से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1329468.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्रीमती अल्का सिंह/प्रधान श्रीमती सुधा देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पटना टिलुआ विकासखण्ड- बेवर

प्रस्तर-17 वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत पटना टिलुआ में दिनांक 05.06.2021 को रु0 10600.00 का भुगतान सफाई कर्मी की किट हेतु दर्शित है। जिसका भुगतान श्यामा कस्टेक्शन एण्ड सप्लायर्स को दर्शित है उक्त धनराशि का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। अतः रु0 10600 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती अनीता सिंह एंव सचिव श्री रामबरन से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- टिकूरी विकासखण्ड- बेवर

प्रस्तर- 18 वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत टिकूरी में दिनांक 17.11.2021 को सफाई कर्मी किट भुगतान धनराशि रु 18912.00 का भुगतान पीएफएमएस द्वारा महादेव इण्टर प्राइजेज को कैश बुक में दर्शित है जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कोतवाल सिंह एंव सचिव श्री अर्जित यादव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जोत विकासखण्ड- बेवर

प्रस्तर-19 वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत जोत पीएफएमएस हैण्डपम्प मरम्त हेतु रु0 18600.00 का भुगतान कन्हैया कन्टकशन एण्ड सप्लायर्स को दर्शित है जिसका बिल प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती प्रीती एंव सचिव श्री सतेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जसराजपुर विकासखण्ड- बेवर

प्रस्तर-20 वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत जसराजपुर में दिनांक 30.04.2021 को सफाई कर्मी किट भुगतान धनराशि रु0 14200.00 पीएफएमएस द्वारा सियाराम कान्टेक्टर एण्ड सप्लायर्स को कैश बुक में अंकित है जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अर्जुन सिंह एंव सचिव श्री सतेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कमालपुर महमुदिया विकासखण्ड- बेवर

प्रस्तर-21 वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत कमालपुर महमुदिया में दिनांक 07.05.2021 को धनराशि रु0 18930.00 की स्टेशनरी क्रय की गयी जिसका भुगतान लक्ष्मी मिश्रा काटेक्शन एण्ड सप्लायर्स को भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि का कोई बिल प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया अतः रु0 18930.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र एंव सचिव श्री प्रमोद कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रामनगरिया विकासखण्ड- बेवर

प्रस्तर- 22 वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत रामनगरिया में दिनांक 12.04.2021 को रु0 18400.00 की स्टेशनरी क्रय की गई जिसका भुगतान लक्ष्मी मिश्रा कन्टेक्शन एंड सप्लायर्स को दर्शित है जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव री योगेन्द्र कर्दम एंव ग्राम प्रधान श्री राजीव प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सुजरई देहात विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर-23 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1613938.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू01613938.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री विक्रम सिंह/प्रधान श्रीमती रुबी यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 24 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1234000.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1234000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रुबी यादव / सचिव ग्राम पंचायत श्री विक्रम सिंह/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मिढावली कला विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर-25 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1906017.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1906017.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री विक्रम सिंह/प्रधान श्रीमती राधाश्री से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 2255000.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/ मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 2255000.00की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राधाश्री/ सचिव ग्राम पंचायत श्री विक्रम सिंह /कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नानामऊ विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर-27 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1244449.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1244449.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री विक्रम सिंह/प्रधान श्रीमती राजवती से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 28 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0374000.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0374000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती राजवती/ सचिव ग्राम पंचायत श्री विक्रम सिंह/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- महादेवाजगतपुर विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर- 29 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1057070.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1057070.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री विक्रम सिंह/प्रधान श्री अमित कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0432000.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/ मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 432000.00की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान

श्री अमित कुमार/ सचिव ग्राम पंचायत श्री विक्रम सिंह/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मकबूलपुर विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर-31. लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू01925559.70 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1925559.70 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार/प्रधान श्री कोशलेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0751000.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0 प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 751000.00की वसूली तत्कालीन सचिव श्री संजय कुमार/प्रधान श्री कोशलेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पहाडपुर विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर-33. लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 988883.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 988883.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री उदयभान सिंह/प्रधान श्री शिवराज सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 775000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0 प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम

पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 775000.00की वसूली तत्कालीन सचिव श्री उदयभान सिंह/प्रधान श्री शिवराज सिंह ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सौनई विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर-35. लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 3200150.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 3200150.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री उदयभान सिंह/प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 2114000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0 प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 2114000.00की वसूली तत्कालीन श्री उदयभान सिंह/प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- थोरवा विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर-37. लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू02673783.40व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू02673783.40 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री उदयभान सिंह/प्रधान श्रीमती माया देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1865000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये एवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक

1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1865000.00की वसूली तत्कालीन सचिव श्री उदयभान सिंह/प्रधान श्रीमती माया देवी ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कूकामई विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर-39. लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1472814.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1472814.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री उदयभान सिंह/प्रधान श्री रामसरन से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-40. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 573000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 573000.00की वसूली तत्कालीन सचिव श्री उदयभान सिंह/प्रधान श्री रामसरन ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- विशुनपुर विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर- 41 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू01224864.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू01224864.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री रविनेश कुमार/प्रधान श्री ग्रीशचन्द्र से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 42 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 935000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय

की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये एवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 935000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ग्रीशचन्द्र/ सचिव ग्राम पंचायत श्री रविनेश कुमार/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रम्पुरा विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर- 43 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू01349949.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू01349949.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री धरसिंह/प्रधान श्री रेण सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 44 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू01700000.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1700000.00की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रण सिंह / सचिव ग्राम पंचायत श्री धरसिंह/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सहादतपुर विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर- 45 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू01056736.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1056736.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री धीरसिंह/प्रधान श्रीमती कुसमा देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1513000.00यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु

8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1513000.00की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कुसमा देवी/ सचिव ग्राम पंचायत श्री धीर सिंह/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रशेमर विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर- 47 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू02282869.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू02282869.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्रीमती रेशमा/प्रधान श्री मती प्रेमलता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0510000.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 510000.00की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती प्रेमलता / सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती रेशमा/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- हाफिजपुर विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर - 49 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 966697.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0966697.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्रीमती रेशमा/प्रधान श्री चन्द्रभान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 50 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू01165000.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत

राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1165000.00की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान / सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती रेशमा/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जिगन चंदाई विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर - 50(1) लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1439875.70 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1439875.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री विक्रम सिंह/प्रधान श्रीमती रीना यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 50(2) लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रु 846000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि का गवन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रु0 846000 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री विक्रम सिंह/प्रधान श्रीमती रीना यादव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- धरेन्दा विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर - 51 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1044909 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1044909.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री रवीनेश यादव/प्रधान मनोहर लाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 52 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रु 1442000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता

है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि का गवन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रु0 1442000 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री रवीनेश यादव/प्रधान मनोहर लाल से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- ईसई गोपालपुर विकासखण्ड- कुरावली

प्रस्तर - 53 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1181169.80 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1181169.80 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री रवीनेश यादव/प्रधान श्रीसुधाकर यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 54 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रु 140000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि का गवन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रु0 140000.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री रवीनेश यादव/प्रधान श्रीसुधाकर यादव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नगला रामा विकासखण्ड- घिरोर

प्रस्तर- 55 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1146571.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1146571.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री योगेन्द्रसिंह/प्रधान श्री अनुज कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 56 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 602000.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0602000.00 की वसूली

तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह / सचिव ग्राम पंचायत श्री अनुज कुमार/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- ओय विकासखण्ड- घिरोर

प्रस्तर- 57 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 2698840.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 2698840.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री योगेन्द्र सिंह/प्रधान श्री शीलेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0936000.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 936000.00की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शीलेश कुमार/ सचिव ग्राम पंचायत श्री योगेन्द्र सिंह/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- घिरोर देहात विकासखण्ड- घिरोर

प्रस्तर- 59 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1312087.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1312087.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री योगेन्द्र सिंह/प्रधान श्रीमती रामवती से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 60 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1036000.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-

33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1036000.00की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती/ सचिव ग्राम पंचायत योगेन्द्र सिंह/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कोसोन विकासखण्ड- घिरोर

प्रस्तर- 61 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 2298831.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 2298831.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री योगेन्द्र यादव/प्रधान श्री मती आरती यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-62. लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 453000.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 453000.00की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती आरती यादव / सचिव ग्राम पंचायत श्री योगेन्द्र यादव /कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-कल्होर पछां विकासखण्ड- घिरोर

प्रस्तर- 63 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 6061689.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 6061689.00 की वसूली तत्कालीन सचिव/प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 64 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1116000.00यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8क प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुयेएवं आयुक्त ग्राम विकास के पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर दि0 2-5-2008 के उसकी वसूली ग्राम प्रधान /

सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1116000.00की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान / सचिव ग्राम पंचायत/कार्य प्रभारी, एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- दोस्तपुर विकासखण्ड- करहल

प्रस्तर - 65 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1347057.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1347057 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री राजीव कुमार/प्रधान श्री सुग्रीव सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 66 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रु 2103000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि का अपहरण मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रु0 2103000 की वसूली तत्कालीन सचिव सचिव श्री राजीव कुमार/प्रधान श्री सुग्रीव सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भवानीपुर विकासखण्ड- करहल

प्रस्तर- 67 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के समय दिनांक 11.12.21 को भुगतान रु 2150.00 का प्रमाणक बाबत बुकलेट व फोटोस्टेट प्रस्तुत नही किया गया, प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा। प्रमाणक के अभाव में उपर्युक्त धनराशि की वसूली 50-50 प्रतिशत प्रधान श्रीमती मीरा देवी/ श्री सतेन्द्र सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- लहटोई शाहजहापुर विकासखण्ड- करहल

प्रस्तर-68 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के समय दिनांक 20.01.22 को भुगतान रु 5775.00 का प्रमाणक बाबत निविदा प्रकाशन प्रस्तुत नही किया गया, प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा। प्रमाणक के अभाव में उपर्युक्त धनराशि की वसूली 50-50 प्रतिशत प्रधान श्रीमती देवी/ श्री पंकज यादव सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- भटोहा विकासखण्ड- करहल

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.10.2021 को यदुवंशी बिल्डिंग मैटेरियल स्टोर से रु 25000.00 की फोगिंग मशीन क्रय की गयी है किन्तु मृत स्कन्ध पंजिका में उपरोक्त स्टांक की प्रविष्टि नही की गयी है। अतः भुगतान अनियमित रहा। मृत स्कन्ध पंजिका में उपरोक्त स्टाक की प्रविष्टि कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपर्युक्त धनराशि की वसूली 50-50 प्रतिशत प्रधान श्रीमती गीता देवी/ श्री रामप्रकाश सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अहलादपुर विकासखण्ड- करहल

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.11.2021 को शिव इलेक्टानिक से रु 22000.00 का प्रिन्टर क्रय किया गया है किन्तु मृत स्कन्ध पंजिका में उपरोक्त स्टांक की प्रविष्टि नही की गयी है। अतः भुगतान अनियमित रहा। मृत स्कन्ध पंजिका में उपरोक्त स्टाक की प्रविष्टि कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उपर्युक्त धनराशि की वसूली 50-50 प्रतिशत प्रधान श्री मती मीना देवी/ श्री राजीव कुमार सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- साहाब्राम्पुर विकासखण्ड- करहल

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.03.2022 को सामुदायिक शौचालय का अवशेष भुगतान रु 21347.00 का किया गया है । किन्तु सम्बधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। अतः भुगतान अपुष्ट रहा। प्रमाणक प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में विभागीय अधिकारियों का ध्यान उक्त धनराशि की वसूली सचिव श्री राजीव कुमार एंव ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- निटावली विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.06.2021 को रु 28505.00 की फोगिंग मशीन क्रय की गयी किन्तु मृत स्कन्ध पंजिका में उपरोक्त स्टाक की प्रविष्टि नही की गयी है। अतः भुगतान अनियमित रहा। आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत- बनिगवा विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-73 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के समय दिनांक 14.06.2021 को भुगतान रु 6800.00 का प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया, प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा। प्रमाणक के अभाव में उपर्युक्त धनराशि की वसूली 50 - 50 प्रतिशत प्रधान श्री मती रीना एंव सचिव श्री रवीश से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- चंदीकरा विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर -74 वर्ष 2021-22 में दिनांक 01.01.2022 को रु 28500.00 का भुगतान कर शिव सोलर इंटरप्राइजेज से फोगिग मशीन क्रय की गयी है। क्रय सामग्री की प्रविष्टि डेडस्टाक पंजिका मे नही की गयी है। प्रविष्टि अंकित कर उपभोग संबधी सूची सहित प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है उक्त धनराशि की वसूली प्रधान श्रीमती सत्यवती एंव सचिव श्री पंकज से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गोटपुर विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-75 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में दिनांक 15.07.2021 को रु 5000.00 भुगतान कर चूना शिव बिल्डिंग मेटेरियल के क्रय किया गया है डैडस्टाक पंजिका लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही की गई। ऐडस्टाक पंजिका में प्रविष्टि कर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है उक्त धनराशि की वसूली प्रधान श्री ओमवीर सिंह व सचिव श्री सुभाष व रवि से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मीठेपुर विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-76 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के समय दिनांक 20.02.2022 को भुगतान रु 6000.00 पंचायत सहायक को मानदेय भुगतान प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नही की गई। रसीद प्रस्तुत की जानी अपेक्षित रही। रसीद के अभाव में उपर्युक्त धनराशि की वसूली 50-50 प्रतिशत श्रीमती पूजा प्रधान व श्री राजीव सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सैयदपुर केहरी विकासखण्ड- बरनाहल

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.07.2021 को सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव हेतु समूह कर्मी को रु 27000.00 मानदेय का भुगतान किया गया है किन्तु सम्बधित मानदेय भुगतान पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। अतः भुगतान अनियमित रहा। मानदेय पंजिका प्रस्तुत कर उपरोक्त भुगतान की पुष्टि हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है पंजिका के अभाव में उक्त वसूली प्रधान श्री कमलेश सिंह व सचिव श्री अनिल यादव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गंगदासपुर विकासखण्ड- किशनी

प्रस्तर - 78 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 653700.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 653700.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री धनवेश /प्रधान श्री जगमोहन से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 79 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रु 1968000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि का गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रु0 1968000.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री धनवेश /प्रधान श्री जगमोहन से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- घुटारा मासूमपुर विकासखण्ड- किशनी

प्रस्तर - 80 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 1925380.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 1925380.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री धनवेश /प्रधान श्रीमती अंजू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 81 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रु 2132000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही

कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि का गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रु0 2132000.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री धनवेश /प्रधान श्रीमती अंजू सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पहाडपुर विकासखण्ड- किशनी

प्रस्तर - 82 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 2101329.10 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 2101329.10 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री धनवेश /प्रधान श्रीमती सरोज कुमारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 83 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रु 5233000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि का गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रु0 5233000.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री धनवेश /प्रधान श्रीमती सरोज कुमारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- हरचंदपुर विकासखण्ड- किशनी

प्रस्तर - 84 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 697311.80 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 697311.80 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री धनवेश /प्रधान श्री उमेश सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 85 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रु 1575000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि का गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम

प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रु0 1575000.00 की तत्कालीन सचिव श्री धनवेश /प्रधान श्री उमेश सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-इलाबांस विकासखण्ड- किशनी

प्रस्तर - 86 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 5087542.80 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 5087542.80 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री धनवेश /प्रधान श्री मती कांति देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 87 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रु 4627000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि का गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रु0 4627000.00 की तत्कालीन सचिव श्री धनवेश /प्रधान श्री मती कांति देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-महोली शमशेरगंज विकासखण्ड- किशनी

प्रस्तर - 88 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक स्टेटमेंट/ई ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रू0 3911361.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधी आधी की जावेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रू0 3911361.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री धनवेश /प्रधान श्री बलराज सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर- 89 लेखा परीक्षा वर्ष्र 2021-22 मनरेगा के अभिलेख सचिव-प्रधान द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। मनरेगा पोर्टल से प्राप्त सूचना के अनुसार रु 3000000.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव प्रधान का संयुक्त उत्तरदायित्व है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क प्रस्तर 8क के प्रविधानानुसार दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि का गबन मानते हुये, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से आधी-आधी की जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष में व्यय रु0 3000000.00 की तत्कालीन सचिव श्री धनवेश /प्रधान श्री बलराज सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-अलीपुर केशवपुर विकासखण्ड- किशनी

प्रस्तर - 90 ग्राम निधि खाता संख्या 7702210210000032 मई 2021 में अन्य खाते में ट्रांसफर कर खाता बन्द कर दिया गया है । लेखा परीक्षा में इस धनराशि के आहरण / ट्रांसफर के सन्दर्भ में कोई भी स्थिति स्पष्ट नही की गयी है। धनराशि का आहरण / ट्रांसफर गंभीर अनियमित रहा। उक्त धनराशि ग्राम निधि के नवीन खाते में यथाशीघ्र प्रत्यावर्तित करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि की वसूली श्री प्रवीन कुमार सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-समान विकासखण्ड- किशनी

प्रस्तर - 91 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्य हेतु उल्लेखित ठेकेदार फार्मो को 250000.00 से अधिक भुगतान किया गया है। नियमानुसार आयकर की कटौती एक प्रतिशत की दर से न कर रु 69848.00 की हानि की गई है । तत्कालीन प्रधान व सचिव से उक्त धनराशि की आधी-आधी वसूली अपेक्षित है साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा त्रैमासिक आयकर रिटर्न फाइल नही किया गया। आयकर नियमों के अनुसार उक्त धनराशि 69848.00 जमा रिटर्न दाखिल किया जाना अपेक्षित रहा है।

प्रस्तर- 92 ग्राम पंचायत समान द्वारा वर्ष 2021-22 में निर्माण कार्य ठेकेदारो से कराये गये है जिनके भुगतान से नियमानुसार जीएसटी 2 प्रतिशत की कटौती नही की गई है जिससे रु 139694 के राजस्व की हानि हुई है रु 139694.00 की वसूली प्रधान श्री उमेश चन्द्र व सचिव श्री रजनेश की जानी अपेक्षित है।

जनपद मथुरा

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

जनपद मथुरा:-

01. ग्राम पंचायत कमई विकास खण्ड नंदगाव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 01- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु. 2648641.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 2648641.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्रीमति ऊषा** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री नेत्रपाल** से की जानी अपेक्षित है।

02. ग्राम पंचायत चिकसौली विकास खण्ड नंदगाव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 02- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 43400.00 की प्रविष्टि कैशबुक में अंकित न कर धनराशि का अपहरण किया गया और

न ही कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 43400.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्री मुरारी लाल** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री नेत्रपाल सिंह** से की जानी अपेक्षित है।

मद	दिनांक	राशि
राज्य वित्त	**06/07/2021**	**5000.00**
राज्य वित्त	**06/07/2021**	**7200.00**
राज्य वित्त	**06/07/2021**	**4200.00**
केंद्रीय वित्त	**05/07/2021**	**9000.00**
केंद्रीय वित्त	**05/07/2021**	**18000.00**
योग		**43400.00**

03. ग्राम पंचायत खानपुर विकास खण्ड छाता जनपद मथुरा।

प्रस्तर 03- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 19500.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 19500.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्री जगदीश** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री नीरज कुमार** से की जानी अपेक्षित है।

क्रम स0	कार्य का नाम	धनराशि
1-	सफाई व्यवस्था हेतु रिक्शा व सफाई उपकरण क्रय	19500.00
	योग	19500.00

04. ग्राम पंचायत रनवारी विकास खण्ड छाता जनपद मथुरा।

प्रस्तर 04 आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 550000.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 550000.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्रीमति चन्द्रावती** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री नीरज कुमार** से की जानी अपेक्षित है।

क्रम स0	कार्य का नाम	धनराशि
1-	पंचायत-भवन निर्माण कार्य का अग्रिम भुगतान	200000.00
2-	रामपाल के मकान से शेरा के मकान तक इ०ला० पेवर कार्य का अग्रिम भुगतान	350000.00
	योग	550000.00

05. ग्राम पंचायत धमसींगा विकास खण्ड छाता जनपद मथुरा।

प्रस्तर 05 आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 45000.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 45000.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्रीमति मंजू** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री नीरज कुमार** से की जानी अपेक्षित है।

क्रम स0	कार्य का नाम	धनराशि
1-	ग्रा0 पं0 में जे0सी0बी0 व अतिरिक्त मजदूर द्वारा सफाई कार्य	45000.00
	योग	45000.00

06. ग्राम पंचायत नरी विकास खण्ड चौमुहां जनपद मथुरा।

प्रस्तर 06- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, शौचालय केयर टेकर का मानदेय, पंचायत सहायक मानदेय के अतिरिक्त रु. 4030157.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 4030157.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान- **श्रीमती कुसुम देवी** एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी- **श्री जुगेन्द्र सिंह/तरुण वर्मा** से की जानी अपेक्षित है।

07. ग्राम पंचायत भरना खुर्द विकास खण्ड चौमुहां जनपद मथुरा।

प्रस्तर 07- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय के अतिरिक्त रु. 2335888.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की

वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 2335888.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्रीमती अंजू देवी** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री जुगेन्द्र सिंह** से की जानी अपेक्षित है।

08. ग्राम पंचायत सहार विकास खण्ड चौमुहां जनपद मथुरा।

प्रस्तर 08- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, शौचालय केयर टेकर का मानदेय, पंचायत सहायक मानदेय के अतिरिक्त रु. 5746062.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 5746062.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी **श्री जुगेन्द्र सिंह** से की जानी अपेक्षित है।

09. ग्राम पंचायत डाहरोली विकास खण्ड चौमुहां जनपद मथुरा।

प्रस्तर 09- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं पंचायत सहायक मानदेय के अतिरिक्त रु. 1322400.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 1322400.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्री जगदीश** एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी **श्री जुगेन्द्र सिंह** से की जानी अपेक्षित है।

10. ग्राम पंचायत सेनवा विकास खण्ड चौमुहां जनपद मथुरा।

प्रस्तर 10- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रु. 1013698.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 1013698.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्रीमति आशा देवी** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री जुगेन्द्र सिंह** से की जानी अपेक्षित है।

क्रम स0	कार्य का नाम	धनराशि
1-	मेन सड़क से श्यामकुंड तक पेवर्स व नाली निर्माण कार्य	166098.00
2-	सुरेश के मकान से दुर्गेश के मकान तक इ०ला० कार्य	211369.00

3-	रघुवीर के घर से अशोक के मकान तक इ०ला० कार्य	205660.00
4-	नगला गोरा में प्रा0 वि0 से गोपाल के मकान तक इ०ला० कार्य	211560.00
5-	बाल्मीकि बस्ती में रमन से बल्लो तक इ०ला० कार्य	72957.00
6-	सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर को भुगतान	45000.00
7-	हैंडपंप रीबोर कार्य	56664.00
8-	हैंडपंप मरम्मत कार्य	44390.00
	योग	10,13,698.00

11. ग्राम पंचायत रेपुराजाट विकास खण्ड फ़रह जनपद मथुरा।

प्रस्तर 11- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रू. 501912.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रू0 501912.00 की वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्रीमती राजकुमारी** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्रीमती प्राची कोठारी** से की जानी अपेक्षित है।

क्र0 स0	कार्य का नाम	धनराशि
1-	हरविलास के घर से पंचायत घर तक इ०ला० कार्य	501912.00
	योग	501912.00

12. ग्राम पंचायत जुनसुटी विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 12- आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम के सेंट्रल बैंक इण्डिया के खाता संख्या 1847950010 से दिनांक 08/07/2021 से 29/07/2021 के बीच 23 बार रू0 10000.00, 20 बार रू0 2000.00, एक बार रू0 200.00 व एक बार रू0 300.00 का आहरण किया गया अर्थात कुल रू0 270500.00 का आहरण किया गया। खाते का परिचालन ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता हैं, परंतु शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक इण्डिया बाद की मिली भगत से श्रीमती विमलेश पत्नी श्री भवर सिंह निवासी भैंसा के आधार संख्या 805858698626 के द्वारा आधार इनेविल्ड पैमेंट सिस्टम के अंतर्गत रू0 270500.00 का आहरण किया गया। जिसके संबंध में **एफ0आई0आर0** तत्कालीन सचिव श्रीमती नीलम अग्रवाल व प्रधान श्रीमती सावित्री द्वारा दिनांक 16/04/2022 को कर दी गई हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही कर अहरित की गयी धनराशि **रू0 270500.00** की आधी-आधी वसूली तातारीख व्याज सहित **तत्कालीन शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक इण्डिया बाद रिफाइनरी, मथुरा** व **श्रीमती विमलेश** पत्नी श्री भवर सिंह निवासी भैंसा, मथुरा से करायी जानी अपेक्षित हैं।

13. ग्राम पंचायत मौरा विकास खण्ड मथुरा जनपद मथुरा।

प्रस्तर 13-आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में प्रस्तुत अभिलेखों के अतिरिक्त रू0 282434.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के

अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रू0 282434.00 की आधी-आधी वसूली तातारीख व्याज सहित प्रशासक **श्री रामकुमार** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री रघुवीर सिंह** से की जानी अपेक्षित है।

क्र0 स0	कार्य का नाम	धनराशि
1	नेहरू के घर से दिगम्बर के घर तक पेवर्स कार्य	72437.00
2	सुरेश जाटव के घर से रामखिलाडी के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य	30028.00
3	नगला घीसा में मान सिंह से पूरन के घर तक पेवर्स कार्य	124121.00
4	विजय सिंह के घर से प्रेम सिंह के घर तक पेवर्स कार्य	18500.00
5	हैण्डपम्प मरम्म्त कार्य	37348.00
	योग	282434.00

14. ग्राम पंचायत बहादीन विकास खण्ड माँट जनपद मथुरा।

प्रस्तर 14- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, शौचालय केयर टेकर का मानदेय, पंचायत सहायक मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु. 884613.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 884613.00 की आधी आधी वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक **श्रीमती गुड्डी देवी / श्री रामकुमार शर्मा** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री हरेंद्र सिंह** से की जानी अपेक्षित है।

15. ग्राम पंचायत दुनेटिया विकास खण्ड माँट जनपद मथुरा।

प्रस्तर 15- आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में शौचालय केयर टेकर का मानदेय, पंचायत सहायक मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु. 687198.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 687198.00 की आधी आधी वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक **श्री हेमन्त** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री हरेंद्र सिंह / श्री चन्द्रपाल गावर** से की जानी अपेक्षित है।

16. ग्राम पंचायत माँट मूला विकास खण्ड माँट जनपद मथुरा।

प्रस्तर 16 आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, शौचालय केयर टेकर का मानदेय, पंचायत सहायक मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु. 6027167.87 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा

में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 6027167.87 की आधी आधी वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक **श्री मोर मुकुट / श्री रामकुमार शर्मा** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री हरेंद्र सिंह** से की जानी अपेक्षित है।

17. ग्राम पंचायत दीवाना कलां विकास खण्ड माँट जनपद मथुरा।

प्रस्तर 17 आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय, शौचालय केयर टेकर का मानदेय, पंचायत सहायक मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु. 2806380.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 2806380.00 की आधी आधी वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान/प्रशासक **श्रीमती भावना डागुर / श्री रामकुमार शर्मा** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **अशोक कुमार/ श्री योगेश शर्मा** से की जानी अपेक्षित है।

18. ग्राम पंचायत सरकंड खेडा विकास खण्ड बलदेव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 18 आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु. 1157607.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 1157607.00 की आधी आधी वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **कुमारी बेबी** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरेश **कुमार** से की जानी अपेक्षित है।

19. ग्राम पंचायत सकतपुर विकास खण्ड नौहझील जनपद मथुरा।

प्रस्तर 19 आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु. 1079645.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 1079645.00 की आधी आधी वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्रीमती मुन्नी देवी** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री नानक राम** से की जानी अपेक्षित है।

20. ग्राम पंचायत लालपुर माँट विकास खण्ड नौहझील जनपद मथुरा।

प्रस्तर 20 आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु. 585210.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 585210.00 की आधी आधी वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्री राम गोपाल** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री रूपेंद्र कुमार** से की जानी अपेक्षित है।

21. ग्राम पंचायत किलोनी विकास खण्ड बल्देव जनपद मथुरा।

प्रस्तर 21 आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार विविध कार्यों एवं मदों में ग्राम प्रधान का मानदेय एवं बैंक चार्ज के अतिरिक्त रु. 1311704.00 व्यय किया गया है। किन्तु व्ययों की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 1311704.00 की आधी आधी वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्री देवेन्द्र सिकरवार** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री विशाल वर्मा** से की जानी अपेक्षित है।

22. ग्राम पंचायत सुहागपुर विकास खण्ड नौहझील जनपद मथुरा।

प्रस्तर 22- **दिनांक** 09-03-2022 को पंचायत घर निर्माण का रनिंग भुगतान रु० 100000.00 गुंजन कॉन्ट्रेक्टर को किया गया जिसकी पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम संख्या 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय दर्शायी गयी धनराशि रु. 100000.00 की आधी आधी वसूली तातारीख व्याज सहित ग्राम प्रधान **श्रीमति मुनेश देवी** एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री नानक राम** से की जानी अपेक्षित है।

23. ग्राम पंचायत अनोडा विकास खण्ड राया जनपद मथुरा।

प्रस्तर 23- ग्राम पंचायत अनोडा की लेखा परीक्षा वर्ष **2021-22** में माह अप्रैल **2021** से दिसम्बर **2021** तक अभिलेखा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये। जबकि ग्राम पंचायत अधिकारी से ग्राम पंचायत के शेष माह के अभिलेखों की मांग बार बार लिखित एवं मौखिक रूप से की गई परन्तु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा माह जनवरी **2022** से मार्च **2022** तक के अभिलेख ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनेन्द्र सिंह से चार्ज न प्राप्त होना बताया गया लेखा परीक्षा में प्राप्त बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार उक्त माहो में राज्य एवं केन्द्रीय खाते से **1636408.00** की प्राप्ति एव रू० **862856.00** का आहरण किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कैशबुक, बाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये। अतः रू० **862856.00** से सम्बन्धित कोई बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-**8** के प्रस्तर **8-**क के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए रू० **862856.00** की वसूली मय ब्याज के **श्री विकास चौधरी**, **प्रधान एवं श्री मनेन्द्र सिंह सचिव** से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या - **05)**

24. ग्राम पंचायत शेरनी विकास खण्ड राया जनपद मथुरा।

प्रस्तर 24**-** ग्राम पंचायत शेरनी की लेखा परीक्षा वर्ष **2021-22** दिनांक **31-03-2022** को कैशबुक अनुसार रू**0 2400-00** पी० एल० ए० खाते में हस्तान्तरित किया जाना दर्शित है जबकि हस्तान्तरण की पुष्टि में कोई प्रमाणक एवं रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गई जिस कारण अपुष्ट रही। अतः रू**0 2400.00** से सम्बन्धित कोई बाउचर उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा

मैनुअल के अध्याय-**8** के प्रस्तर **8-**क के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए रू० **2400.00** की वसूली मय ब्याज के **श्री राजेन्द्र सिंह प्रधान एवं श्री राहुल सरन सचिव** से किया जाना अपेक्षित रहा । (आपत्ति संख्या-**17)**

25. ग्राम पंचायत बाढ़ोंन विकास खण्ड राया जनपद मथुरा।

प्रस्तर 25- ग्राम पंचायत बाढौन की लेखा परीक्षा में में वर्ष 2021-22 की कैश बुक, बैंक स्टेटमेण्ट बाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये। आनलाइन फीडिंग के अनुसार राज्य वित्त एवं पन्द्रहवा वित्त खाते से कुल रू० 786958.00 का आहरण किया गया। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित कोई बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8-क के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए रू0 **786958.00** की वसूली मय ब्याज के **श्री मुकेश सचिव एवं श्रीमती अमृता सिंह** से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या-01)

26. ग्राम पंचायत थोक बिन्दवानी विकास खण्ड राया जनपद मथुरा।

प्रस्तर 26- ग्राम पंचायत थोक बिन्दवानी की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 दिनांक 27-07-2021 को कैशबुक अनुसार रू० 3200.00 पी० एल० ए० खाते में हस्तान्तरित किया जाना दर्शित है जबकि हस्तान्तरण की पुष्टि में कोई प्रमाणक एवं रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गई जिस कारण अपुष्ट रही। अतः रू0 3200.00 से सम्बन्धित कोई बाउचर उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8-क के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए **रू० 3200.00** की वसूली मय ब्याज के **श्रीमती बीना देवी प्रधान एवं श्री मनेन्द्र सचिव** से किया जाना अपेक्षित रहा। (आपत्ति संख्या-22)

जनपद- अलीगढ़ मण्डल - अलीगढ़

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 :- ग्राम पंचायतें

विकास खण्ड गोंडा

1- ग्राम पंचायत अमरपुर धाना विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 1-वर्ष आनोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1152391.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलिर्याध्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1152391.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारीलाल एवं ग्राम प्रधान भगवान सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-2. वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/ प्रधान द्वारा रुपये 20.21 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 20.21 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारीलाल एवं ग्राम प्रधान भगवान सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है

2- ग्राम पंचायत - अलीपुर विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 3 -वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1617593.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1617593.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारी लाल एवं ग्राम प्रधान अनीता देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 4. वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 17.58 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर

भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वितीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 17.58 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारी लाल एवं ग्राम प्रधान अनीता देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

3- ग्राम पंचायत उसरपुर तारापुर विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 5- वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1877283.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1877283.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारीलाल एवं ग्राम प्रधान ओम प्रकाश से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 6. वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 3.15 लाख का कुल व्यय मनरेगा ऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय सबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार माग किए जाने पर भी जाच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 3.15 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारीलाल एवं ग्राम प्रधान ओम प्रकाश से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

4-ग्राम पंचायत एक ताजपुर विकास खंड –गोंडा

. **प्रस्तर 7 -**वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1153637.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वितीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1153637.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री श्योराज सिंह एवं ग्राम प्रधान राकेश सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 8. वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 3.37 लाख का कुल व्यय मनरेगा ऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 3.37 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री श्योराज सिंह एवं ग्राम प्रधान राकेश सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

5-ग्राम पंचायत करौली सूरजा विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 9-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1639497.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1639497.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बीजेन्द्र एवं ग्राम प्रधान आशा देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 10. वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 8.61 लाख का कुल व्यय मनरेगा ऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 8.61 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बीजेन्द्र एवं ग्राम प्रधान आशा देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

6-ग्राम पंचायत कलिंजरी विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 11 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1694475.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1694475.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारीलाल एवं ग्राम प्रधान केसर देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर 12. वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 8-72 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 8,72 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार

धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारीलाल एवं ग्राम प्रधान केसर देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

7-ग्राम पंचायत कूआ गाँव विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 13- वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 763206.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 763206.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बृजमोहन एवं ग्राम प्रधान देवेन्द्र सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 14 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 12.23 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वितीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 12.23 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बृजमोहन एवं ग्राम प्रधान देवेन्द्र सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

8-ग्राम पंचायत कैमथल विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 15 - वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 4346246.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 4346246.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सतवन्त सिंह एवं ग्राम प्रधान साहब सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 16 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 9.78 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 9.78 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है उक्त की वसूली सचिव श्री सतवन्त सिंह एवं ग्राम प्रधान साहब सिंह कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

9-ग्राम पंचायत खिरसोली विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 17 -वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 257950.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 257950.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री अवधेश कुमार एवं ग्राम प्रधान भगवती प्रसाद उपाध्याय से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर 18 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 9.05 लाख का कुल व्यय मनरेगा ऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 9.05 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री अवधेश कुमार एवं ग्राम प्रधान भगवती प्रसाद उपाध्याय से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

10-ग्राम पंचायत गहलऊ विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 19 –ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 3303003.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सतवन्त सिंह एवं ग्राम प्रधान सुभाष सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 20 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 21.26 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 21.26 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सतवन्त सिंह एवं ग्राम प्रधान सुभाष सिंह ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। से कर

<u>प्रस्तर 21 ग्राम पंचायत गोरई विकास खंड –गोंडा</u>

वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 3505827.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 3505827.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव बीजेन्द्र कुमार एवं ग्रांम प्रधान कमलेश देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 22</u> वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 27.06 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 27.06 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव बीजेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान कमलेश देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

<u>11-ग्राम पंचायत चुहरपुर किनवासा विकास खंड –गोंडा</u>

<u>प्रस्तर 23</u> वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1286135.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1286135.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बाबुराम एवं ग्राम प्रधान धर्मवीर से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 24</u> वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 15.52 लाख का कुल व्यय मनरेगा ऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वितीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 11.82 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बाबुराम एवं ग्राम प्रधान धर्मवीर से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

<u>12-ग्राम पंचायत छैछऊ विकास खंड –गोंडा</u>

<u>प्रस्तर 25</u> वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 4879607.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 4879607.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव बीजेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान हेमलता से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 26</u> वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 12.40 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वितीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 12.40 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव बीजेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान हेमलता से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

<u>13-ग्राम पंचायत छोटी बल्लभ विकास खंड –गोंडा</u>

<u>प्रस्तर 27-</u> वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 826149.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 826149.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बाबुराम एवं ग्राम प्रधान ओमवीर सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 28</u> वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 8.09 लाख का कुल व्यय मनरेगा ऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 8.09 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बाबुराम एवं ग्राम प्रधान ओमवीर सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

14- ग्राम पंचायत जटबार विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 29-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 338608.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 338608.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री मोनू पाठक एवं ग्राम प्रधान मुन्नी देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 30 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 7.67 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 7.67 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री मोनू पाठक एवं ग्राम प्रधान मुन्नी देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

15-ग्राम पंचायत जहरोली विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 31 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 2547826.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 2547826.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारीलाल एवं ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 32 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 10.29 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 10.29 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारीलाल एवं ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

16-ग्राम पंचायत तलेसरा विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 33- वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 3038858.96 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 3038858.96 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बाबूराम एवं ग्राम प्रधान विनोद कुमार से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 34 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 10.46 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 10.46 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बाबूराम एवं ग्राम प्रधान विनोद कुमार से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

17-ग्राम पंचायत धतोली विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 35-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 5261048 का कुल व्यय ऑनलाइन ई- ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलिर्या/व्यय प्रमाणकर्को को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 5261048 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री तवरेज महबूब एवं ग्राम प्रधान केलसीप से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 36 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 24.13 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वितीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 24.13 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री तवरेज महबूब एवं ग्राम प्रधान केलसीप से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

18-ग्राम पंचायत नगला कुंजी विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 37- वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 942198.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में नगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 942198.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री आशीष कुमार एवं ग्राम प्रधान राम किशोर से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 38 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 5.61 लाख का कुल व्यय मनरेगा ऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 5.61 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री आशीष कुमार एवं ग्राम प्रधान राम किशोर से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

19-ग्राम पंचायत नगला जोतू विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 39 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1133783.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वितीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1133783.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बाबूराम एवं ग्राम प्रधान हरिप्रेम से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 40 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान दद्वारा रुपये 8.12 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 8.12 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बाबूराम एवं ग्राम प्रधान हरिप्रेम से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

20-ग्राम पंचायत नगला दरबार विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 41 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 7292048.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणो को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी आंच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 7292048.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री तवरेज महबूब एवं ग्राम प्रधान संगीता देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 42 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 6.19 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 6.19 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री तवरेज महबूब एवं ग्राम प्रधान संगीता देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

21-ग्राम पंचायत नगला बलराम विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 43 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 2190304.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 2190304.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव बीजेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान कुशमा देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 44 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 16.69 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 16.69 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव बीजेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान कुशमा देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

22-ग्राम पंचायत नगला माधो विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 45 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 562579.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया

जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यथ रुपये 562579.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सतवन्त सिंह एवं ग्राम प्रधान सुखविरी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 46 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 5.99 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 5.99 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सतवन्त सिंह एवं ग्राम प्रधान सुखविरी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

23-ग्राम पंचायत नगला मान सुजान विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 47 - वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान दद्वारा रुपये 2046620.00 का कल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 2046620.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री नरोत्तम गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीपाल सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 48 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 4.96 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 4.96 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री नरोत्तम गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्रीपाल सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

24-ग्राम पंचायत नगला सबल उर्फ़ गोंडा विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 49-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 7779897.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 7779897.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव तवरेज महबूब एवं ग्राम प्रधान सतो सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 50 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 9.28 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 9.28 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव तवरेज महबूब एवं ग्राम प्रधान सत्तो सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

25-ग्राम पंचायत पचेहरा विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 51- वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 2377588.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का व्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 2377588.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्रीउदयवीर सिंह एवं ग्राम प्रधान सुमन से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 52 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 7.89 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 7.89 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्रीउदयवीर सिंह एवं ग्राम प्रधान सुमन से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

26-ग्राम पंचायत तिसी विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 53 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 479522.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलिर्या/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 479522.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया

जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री आशीष कुमार एवं ग्राम प्रधान प्रीति चौधरी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 54 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 5.32 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 5.32 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री आशीष कुमार एवं ग्राम प्रधान प्रीति चौधरी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

27-ग्राम पंचायत बसई विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 55-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1556371.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणों को लेखा परीक्षा में लगातार भाग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1556371.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री श्योराज सिंह एवं ग्राम प्रधान पूनम देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 56 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान दद्वारा रुपये 3.9 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 3.9 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री श्योराज सिंह एवं ग्राम प्रधान पूनम देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

28-ग्राम पंचायत बांस सुदामा विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 57-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 2271951.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 2271951.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान हरिवन सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 58 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 13.88 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वितीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 13.88 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान हरिवन सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

29-ग्राम पंचायत बंशबाली विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 59 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1386413.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1386413.00 को पंचायती राज विभाग के नेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव बीजेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान राम गोपाल से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 60 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 17.79 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 17.79 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव बीजेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान राम गोपाल से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

30-ग्राम पंचायत मढौरा विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 61-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 2952989.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणको को लेखा परीक्षा में सगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वितीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 2952989.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री अवधेश कुमार एवं ग्राम प्रधान रीना देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 62 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 15.58 लाख का कुल व्यय मनरेगा ऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर

भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 8.52 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री अवधेश कुमार एवं ग्राम प्रधान रीना देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

31-ग्राम पंचायत मती विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 63- वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1064276.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलिर्या/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1064276.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सतवन्त सिंह एवं ग्राम प्रधान मनोज कुमार से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 64 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 10.22 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार माग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 10.22 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सतवन्त सिंह एवं ग्राम प्रधान मनोज कुमार से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

32-ग्राम पंचायत मजूपुर सुबकरा विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 65 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 6576306.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 6578306.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री श्योराज सिंह एवं ग्राम प्रधान कल्लो देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 66 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 25.56 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 25.56 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री श्योराज सिंह एवं ग्राम प्रधान कल्लो देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

33-ग्राम पंचायत मुमरेज़ा विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 67 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 331996.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 331996.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारी लाल एवं ग्राम प्रधान गिरजेश कुमार से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 68 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 10.86 लाख का कुन व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 10.86 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारी लाल एवं ग्राम प्रधान गिरजेश कुमार से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

34-ग्राम पंचायत मोजीपुर विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 69- वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1225152.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1225152.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री मोनू पाठक एवं ग्राम प्रधान कुंवरपाल सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 70 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 8.20 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर

भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 8.20 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त कीवसूली सचिव श्री मोनू पाठक एवं ग्राम प्रधान कुँवरपाल सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

35-ग्राम पंचायत रजावल विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 71 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 3017210.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 3017210.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री राजीव दीक्षित एवं ग्राम प्रधान ममता से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 72 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 2.28 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 2.28 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाताहै। उक्त की वसूली सचिव श्री राजीव दीक्षित एवं ग्राम प्रधान ममता कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

36-ग्राम पंचायत रफयातपुर विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 73 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1797420.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार माग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1797420.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री राजीव दीक्षित एवं ग्राम प्रधान रामगोपाल से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 74 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 9.33 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावनिर्या/व्यय प्रमाणों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 9.33 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री राजीव दीक्षित एवं ग्राम प्रधान रामगोपाल से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

37-ग्राम पंचायत रुदियान उर्फ़ तारापुर विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 75 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 744797.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 744797.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सतवन्त सिंह एवं ग्राम प्रधान बहादुर सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 76 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 10.61 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 10.61 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सतवन्त सिंह एवं ग्राम प्रधान बहादुर सिंह कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। से

38-ग्राम पंचायत लाखतोई विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 77- वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान दवारा रुपये 1376356.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणों को लेखा परीक्षा में भगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1376356.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री अवधेश कुमार एवं ग्राम प्रधान गान सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 78 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 15.58 लाख का कुल व्यय मनरेगा ऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों व्यय प्रमाणको को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 15.58 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार

धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री अवधेश कुमार एवं ग्राम प्रधान मान सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

39-ग्राम पंचायत लधोली विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 79 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 181460.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वितीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 181460.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री राजेश पाठक एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 80 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 9.57 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 9.57 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री राजेश पाठक एवं ग्राम प्रधान मुन्नीदेवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

40-ग्राम पंचायत शाहपुर धडोई विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 81-वर्ष आलोध्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 2150180.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 2150180.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री मोनू पाठक एवं ग्राम प्रधान भिकम्बर सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर 82 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 25.76 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणको को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 25.76 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री मोनू पाठक एवं ग्राम प्रधान मिकम्बर सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

41-ग्राम पंचायत श्यामगड़ी विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 83- वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1752360.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-यामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियर्या/व्यय प्रमाणकर्को को लेखा परीक्षा में नगातार मांग किए जाने पर भी आंच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1752360.00 को पंचायती राज विभाग के नेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारीलाल एवं ग्राम प्रधान कमलेश देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 84 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 5.93 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 5.93 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारीलाल एवं ग्राम प्रधान कमलेश देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

42-ग्राम पंचायत सलेमपुर विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 85-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1290777.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1290777.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री राजेश पाठक एवं ग्राम प्रधान ममता से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 86 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 3.55 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 3.55 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार

धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री राजेश पाठक एवं ग्राम प्रधान ममता कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। से कर ग्राम

43-ग्राम पंचायत सेवंपुर विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 87-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 455503.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 455503.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया आता है। उक्त की वसूली सचिव श्री राजेश पाठक एवं ग्राम प्रधान उदयवीर सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 88 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 6.73 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 6.73 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा- 8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री राजेश पाठक एवं ग्राम प्रधान उदयवीर सिंह कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। से

44-ग्राम पंचायत हरोठा विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 89-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 5070564.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 5070564.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारीलाल एवं ग्राम प्रधान राधा देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 90 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 24.17 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 24.17 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बिहारीलाल एवं ग्राम प्रधान राधा देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

45-ग्राम पंचायत हसनगड विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 91 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 763206.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 763206.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री आशीष एवं ग्राम हीरो से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 92 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 12.23 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 12-.23 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री आशीष एवं ग्राम प्रधान हीरो से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

46-ग्राम पंचायत उत्तमपुर विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 93 - वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 3431487.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 3431487.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बाबुराम एवं ग्राम प्रधान प्रकाश देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 94 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 14.41 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 14-.41 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री बाबुराम एवं ग्राम प्रधान प्रकाश देवी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

47-ग्राम पंचायत कुबरा विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 95 वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1099111.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1099111.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान गोपाल शर्मा से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 96 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 4.41 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 4-.41 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान गोपाल शर्मा से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

48-ग्राम पंचायत गिडौरा विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 97- वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 928828.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 928828.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री श्योराज सिंह एवं ग्राम प्रधान मनोज कुमार से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 98 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 4.82 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 4-.82 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री श्योराज सिंह एवं ग्राम प्रधान मनोज कुमार से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

49-ग्राम पंचायत जमऊ विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 99-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 622633.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 622633.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री भूपेंद्र एवं ग्राम प्रधान रवेन्द्र सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 100 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 4.14 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 4-.14 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री भूपेंद्र एवं ग्राम प्रधान रवेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान मनोज कुमारसे कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

50-ग्राम पंचायत दिग्सारी विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 101-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1075470.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1075470.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री श्योराज सिंह एवं ग्राम प्रधान नरेन्द्र सिंह सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 102 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 3.56 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 3-.56 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री श्योराज सिंह एवं ग्राम प्रधाननरेन्द्र सिंह से कर ग्राम कोषमें जमा कराया जाना अपेक्षित है।

51-ग्राम पंचायत नगला बिरखू विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 103-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 1256926.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 1256926.00

को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री रामबाबू एवं ग्राम प्रधान विमलेशदेवी सिंह से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 104 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 8.55 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 8-.55 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री रामबाबू एवं ग्राम प्रधानविमलेश देवी से कर ग्राम कोषमें जमा कराया जाना अपेक्षित है।

52-ग्राम पंचायत पयदापुर विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 105- वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 4662555.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 4662555.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री राजीव दीछित एवं ग्राम प्रधान ओम प्रकाश से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 106 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 8.43 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 8-.43 लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री राजीव दीछित एवं ग्राम प्रधानओम प्रकाश से कर ग्राम कोषमें जमा कराया जाना अपेक्षित है।

53-ग्राम पंचायत भेया विकास खंड –गोंडा

प्रस्तर 107-वर्ष आलोच्य में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 2419240.00 का कुल व्यय ऑनलाइन ई-ग्रामस्वराज पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 2419240.00 को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8 (क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री विजेंद्र एवं ग्राम प्रधान सिमला कुमारी से कर ग्राम कोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 108 वर्ष आलोच्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में सचिव/प्रधान द्वारा रुपये 7.84 लाख का कुल व्यय मनरेगाऑनलाइन पर अंकित है। परंतु व्यय संबंधी पत्रावलियों/व्यय प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में लगातार मांग किए जाने पर भी जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त सम्पूर्ण व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति का द्योतक है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण व्यय रुपये 7.84लाख को पंचायती राज विभाग के लेखा मैनुअल-1978 के पैरा-8 के प्रावधान 8(क) के अनुसार धनराशि अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त की वसूली सचिव श्री विजेंद्र एवं ग्राम प्रधान सिमला कुमारी से कर ग्राम कोषमें जमा कराया जाना अपेक्षित है।

54- ग्राम पंचायत तोक्षीगढ विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 109-ग्राम पंचायत तोचीगढ़ की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 26.09.2021 को करना प्रस्तावित था। लेकिन 31-03-2022 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये है जिसकी लिखित सूचना ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद शर्मा व ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2021-22 में रू 8275581.00 व्यय किया जाना दर्शित है। दर्शित व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गई है।

प्रस्तर 110 पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर / प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

प्रस्तर 111 अतः दर्शित कुल व्यय रु 8275581.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री प्रीतम सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद शर्मा, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रु 8275581.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रीतम सिंह व तत्कालीन ग्राम सचिव श्री विनोद शर्मा से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

56-ग्राम पंचायत कारस विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 112 -ग्राम पंचायत कारस में 01.04.21 से 31.08.21 तक श्री विनोद शर्मा ग्राम पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत थे। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उनकी उक्त कार्यविधि में विभिन्न तिथियों में निधि प्रथम से रू 2123247.00 व केन्द्रीय वित्त से रू. 1450605.00 कुल रु. 3573852.00 आठरित किया गया। 01.09.21 से श्री अभिषेक सिंह द्वारा पंचायत सचिव का कार्यभार ग्रहण किया गया। जैसा कि अभिषेक सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व सचिव श्री विनोद शर्मा द्वारा अपने उक्त अवधि के कार्यकाल से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की कैशबुक, व्यय प्रमाणक व अन्य आवश्यक अभिलेख श्री विनोद शर्मा द्वारा श्री अभिषेक सिंह को चार्ज में नहीं दिये गये जो गम्भीर अनियमितता तथा आहरित धनराशि के अपहरण को इंगित करता है एवं श्री विनोद शर्मा को मनमानी उग से राजकीय कार्य करने के प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में आहरित कुल धनराशि रू. 3573852 द्वारा ग्राम पंचायत का कोई भी विकास कार्य न कर धन के अपहरण कर लिये जाने की प्रबल संभावना है।

अतः उक्त प्रश्नगत अवधि की कैशबुक, व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, कार्य प्रस्ताव प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, एम०वी० आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अंतर्गत आहरित धनराशि रु. 3573852.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि रू 3573852.00 की वसूली सचिव श्री विनोद शर्मा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से मय ब्याज कराया जाना अपेक्षित है।

57-ग्राम पंचायत लालपुर विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 113- ग्राम पंचायत लालपुर की वर्ष 2021-22 तक लेखा परीक्षा दिनांक 15-02-2023 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 15-02-2023 से लेकर 30-05-2023 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही तत्कालीन सचिव श्री नवरन कुमार व प्रधान श्रीमती शीता देवी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी० ओ० पंचापत को पत्र के माध्यम से दिनांक 24.02.2023, 03.03.2023, 16.03.2023 को तथा पंचायत सचिव श्री नवरत्नकुमार को नोटिस के माध्यम से दिनांक 21.03.2023 को लिखित रूप में दी जा चुकी है। आनलाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में रू 899298.00 के दर्शित व्यय के सापेक्ष केशबुक, बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख यथा इस्टीमेट, एम बी, वाउबर, मस्टर रोल, निर्माण कार्य पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुए।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के आध्याय के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दत्त को व्यप के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नही कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर ४ (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रु 899298.00 को गबन मानते हुए मप ब्याज के वसूली प्रधान श्रीमती सीता देवी व तत्कालीन सचिव श्री नवरन कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। तत्कालीन सचिव श्री नवरन कुमार द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस संबंध में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

58-ग्राम पंचायत बिदिरिका विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 114-ग्राम पंचायत बिदिरका की वर्ष 2021-22 तक लेखा परीक्षा दिनांक 21-011-2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 21-11-2022 से लेकर 30-05-2023 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही तत्कालीन सचिव श्री दिग्विजय सिंह व प्रधान श्री संतोष द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को पत्र के माध्यम से दिनांक 23.11.2022, 30.12.2022, 25.01.2023,23- 03-2023 को तथा पंचायत सचिव श्री दिग्विजय सिंह को नोटिस के माध्यम से दिनांक 23.03.2023 को लिखित रूप में दी जा चुकी है। आनलाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकडों के अनुसार वर्ष 2021-22 में रू 1416366.00 के दर्शित व्यय के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख यथा इस्टीमेट, एम बी, वाउचर, मस्टर रोल, निर्माण कार्य पत्रावती आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुए।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नही कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रु 1416366.00 को गबन मानते हुए मय ब्याज के वसूली प्रधान श्री संतोष व तत्कालीन सचिव श्री दिग्विजय सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। तत्कालीन सचिव श्री दिग्विजय सिंह द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस संबंध में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

59-ग्राम पंचायत मनीपुर विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 115-ग्राम पंचायत मनीपुर की वर्ष 2021-22 तक लेखा परीक्षा दिनांक 15-02-2023 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 15-02-2023 से लेकर 26-04-2023 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया है और न ही तत्कालीन सचिव श्री नवरल कुमार व प्रधान श्रीगती धर्मवती देवी द्वारा कमी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया

गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को पत्र के माध्यम से दिनांक 24.02.2023, 03.03.2023, 16.03.2023 को तथा पंचायत सचिव श्री नवरान कुमार को नोटिस के माध्यम से दिनांक 21.03.2023 को लिखित रूप में दी जा चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकडों के अनुसार वर्ष 2021-22 में से 1800600.00 के दर्शित व्यय के सापेक्ष केशबुक, बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख यण्था इस्टीमेट, एम बी. वाउचर, मस्टर पोल, निर्माण कार्य पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुए।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अमिर्लेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नही कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर है(क) के अनुत्तार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउबर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रु 1860930.00 को गबन मानते हुए गय ब्याज के वसूली प्रधान श्रीमती धर्मवती देवी व तत्कालीन सचिव श्री नवरत्न कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। तत्कालीन सचिव श्री नवरत्न कुमार द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस संबंध में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

60-ग्राम पंचायत मकरोल विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 116 - वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा कंवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये है. कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियर्थी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र0स0	विवरण	वर्ष 2021-22
1	सामग्री	348034.00
2	मस्टरोल	51140.00
3	हैण्डपम्प	496224.00
4	अन्य	86290-00
	योग	981688-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रू 981688.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली. कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 981688.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भगवान सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

61-ग्राम पंचायत टीकापुर विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 117 -वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री नवरत्न कुमार द्वारा केवल फैवायुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।उ प्र सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल वो अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की केशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं।

क्र0स0	विवरण	वर्ष2021-22
1	सामग्री	604776.00
2	मस्टरोल	88670.00
3	हैण्डपम्प	217020.00
4	अन्य	361485-00
	योग	1271951-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रू 1271951.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/याउघर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 1271951.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश शर्मा एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नवरत्न कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

62-ग्राम पंचायत ताहरपुर विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 118 वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री नवरत्न कुमार द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं. कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र0स0	विवरण	वर्ष 2021-22
1	सामग्री	536942.00
2	मस्टरोल	127091.00
3	हैण्डपम्प	144893.00
4	अन्य	375716-00
	योग	1184642-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 1184642.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०वी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 1184642.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नवरत्न कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

63-ग्राम पंचायत सहारा कला विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 119 - वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री नवरत्न कुमार द्वारा केवल कौशबुक व बैंक स्टेंटमेंट ही उपलब्ध कराये गये है. कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र0स0	विवरण	वर्ष 2021-22
1	सामग्री	475381.00
2	मस्टरोल	232500.00
3	हैण्डपम्प	411471.00
4	अन्य	277100-00
	योग	1396452-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रू 1396452.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अत्त वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 1396452.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरवंश कुमार सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नवरत्न कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

64-ग्राम पंचायत बेलोठ विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 120 -वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा केवल कैशबुक क बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं. कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र0स0	विवरण	वर्ष2021-22
1	सामग्री	1058991.00
2	मस्टरोल	129740.00
3	हैण्डपम्प	432446.00
4	अन्य	174087-00
	योग	1795264-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 1795264.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रु. 1795264.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पारानी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

65-ग्राम पंचायत सिमारधरी विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 121. वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध
कराये गये हैं. कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।
उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं।

क्र0स0	विवरण	वर्ष2021-22
1	सामग्री	727547.00
2	मस्टरोल	260310.00
3	हैण्डपम्प	691165.00
4	अन्य	335400-00
	योग	2014422-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रू 2014422.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रापली कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय से 2014422.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

66-ग्राम पंचायत सीतापुर विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 122 =-वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेंटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, वौशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे दर्शित वायों की पुष्टि नहीं होती है।
उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं।

क्र0स0	विवरण	वर्ष 2021-22
1	सामग्री	615015.00
2	मस्टरोल	226560.00
3	हैण्डपम्प	184676.00
4	अन्य	197857-00

	योग	1224108-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 1224108.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 1224108.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दिनेश पाल सिंह सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

67-ग्राम पंचायत सिकुर्रा विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 123-वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा कंवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र0स0	विवरण	वर्ष 2021-22
1	सामग्री	355068.00
2	मस्टरोल	82680.00
3	हैण्डपम्प	100691.00
4	अन्य	137713-00
	योग	676152-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 676152.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/बाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रावली. कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 676152.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुकेश सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

68-ग्राम पंचायत बहादुरपुर विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 124 -वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा कंवल कैशबुक बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबनान हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउबर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंवायत सचिव से करायी जायेगी। लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र0स0	विवरण	वर्ष2021-22
1	सामग्री	338229.00
2	मस्टरोल	61810.00
3	हैण्डपम्प	25436.00
4	अन्य	180412-00
	योग	605887-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल याय रु 605887.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/याउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०पी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुत्तार दर्शित कुल व्यय रू 605887.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

69-ग्राम पंचायत सतलोनी कला विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 125- ग्राम पंचायत सतलोनी कलां की वर्ष 2021-22 तक लेखा परीक्षा दिनांक 17-02-2023 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 17-02-2023 से लेकर 26-04-2023 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही तत्कालीन सचिव श्री नवरत्न कुमार व प्रधान श्री जहाँगीर खान द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को पत्र के माध्यम से दिनांक 24.02.2023, 03.03.2023, 16.03.2023 को तथा पंचायत सचिव श्री नवरत्न कुमार को नोटिस के माध्यम से दिनांक 21.03.2023 को लिखित रूप में दी जा चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकडों के अनुसार वर्ष 2021-22 में रु 737410.00 के दर्शित व्यय के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख यथा इस्टीमेट, एम बी, बाउचर, मस्टर रोत्र निर्माण कार्य पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुए। पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों
में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के आध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नही कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर ४ (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।
अत दर्शित कुल व्यय रु 737410.00 को गबन मानते हुए मय ब्याज के वसूली प्रधान श्री जहाँगीर खान व तत्कालीन सचिव श्री नवरत्न कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। तत्कालीन सचिव श्री नवरत्न कुमार द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस संबंध में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

70-ग्राम पंचायत रुस्तमपुर खोजन विकास खंड –इगलास

प्रस्तर 126 -ग्राम पंचार्यत सरतमपुर खोजन की वर्ष 2021-22 तक लेखा परीक्षा दिनांक 30-12-2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 30-12-2022 से लेकर 26-04-2023 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही तत्कालीन सचिव श्री दिविजय सिंह व प्रधान श्री मनोज कुमार द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०० पंचायत को पत्र वो माध्यम से दिनांक 26.01.2023, 24.02.2023, 23.03.2023 को तथा पंचायत सचिव श्री दिर्णविजय सिंह को नोटिस के माध्यम से दिनांक 23.03.2023 को लिखित रूप में दी जा चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकडों के अनुसार वर्ष 2021-22 में रू 2498035.00 के दर्शित व्यय के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख यथा इस्टीमेट एम बी, वातथर मस्टर रोल निर्माण कार्य पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुए।
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ना हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।
अतः दर्शित कुल व्यय रु 2498035.00 को गबन मानते हुए मय ब्याज के वसूली प्रधान श्री मनोज कुमार व तत्कालीन सचिव श्री दिग्गविजय सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। तत्कालीन सचिव श्री दिविजय सिंह द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस संबंध में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

71-ग्राम पंचायत रसूलपुर विकास खंड –खैर

प्रस्तर 127 -वर्ष 2021-22 में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यप रु० 1534731-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली
वाउचर एवं सम्बंधित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उक्त व्यय से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध न
कराये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार अपहरण मानते हुए श्रीमती डोली देवी प्रधान एवं श्री दिनेश शर्मा तत्कालीन सचिव से मय ब्याज के वसूल किया जाना अपेक्षित है एवं
अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न करने हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

72-ग्राम पंचायत जरारा विकास खंड – खैर

प्रस्तर 128 - वर्ष 2021-22 में केश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रु० 5846069-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली वाउचर एवं संम्बंधित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उक्त व्यप से सम्बंधित अभिलेख उपलभ्य/ उपलब्ध न कराये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मैनुवत के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार अपहरण मानते हुए श्रीमती प्रीती देवी प्रधान एवं श्री दिनेश शर्मा तत्कालीन सचिव से माय ब्याज के वसूल किया जाना अपेक्षित है एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्दा ना करने हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

73-ग्राम पंचायत कोहरारुस्तमपुर विकास खंड – खैर

प्रस्तर 129 -कोहरा रुस्तमपुर वर्ष 2021-22 में कैमरा बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रु० 1743546-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली वाउचर एवं सम्बंधित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उप्लाध्द नहीं कराये गए। उक्त व्यय से सम्बंधित अभिलेख उपलभ्द न कराये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मेनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8

क के अनुसार अपहरण मानते हुए रु० 1743546-00 मय ब्याज के श्री जयनेश सचिव एवं श्री राजकुमार सिंह प्रधान वसूल किया जाना अपेक्षित है। एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलभ्द ना करने हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

74-ग्राम पंचायत चोधाना विकास खंड – खैर

प्रस्तर 130 -ग्राम पंचायत चौधाना की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 21-03-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके

परिपालन में आन लाइन फीर्डिंग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण। आन लाइन फीर्डिंग के अनुसार रू0 1288828-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जत प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल, हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत रू0 1288828-00 की वसूली मय ब्याज के श्री दिनेश कुमार शर्मा सचिव एवं श्री वेदप्रकाश प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

75-ग्राम पंचायत चोमूहा विकास खंड – खैर

प्रस्तर 131 -ग्राम पंचायत चौमुहा वर्ष 2021-22 में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रु० 735509-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली वाउचर एवं सम्बंधित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उप्लाच्द नहीं कराये गए। उक्त व्यय से सम्बंधित अभिलेख उपलभ्द न कराये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मेनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार अपहरण मानते हुए रु० 735509-00 मय ब्याज के श्री जग्नेश सचिव एवं श्रीमती वंदना शर्मा प्रधान वसूल किया जाना अपेक्षित है। एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलभ्द ना करने हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

76-ग्राम पंचायत विरोला विकास खंड – खैर

प्रस्तर 132-ग्राम पंचायत विरौला वर्ष 2021-22 में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रु० 1100998-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली वाउचर एवं सम्बंधित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उप्लाच्द नहीं कराये गए। उक्त व्यय से सम्बंधित अभिलेख उपलभ्द न कराये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मेनुवल के अध्याप8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार अपहरण मानते हुए रु० 1100998-00 मय ब्याज के श्री महेश चन्द्र सचिव एवं श्री विजय चौधरी प्रधान वसूल किया जाना अपेक्षित है। एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलभ्द ना करने ने हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

77-ग्राम पंचायत वीरमपुर विकास खंड – खैर

प्रस्तर 133-अधिभार प्रतिवेदन की आपत्तियो का विवरण 28- ग्राम पंचायत वीरमपुर वर्ष 2021-22 में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रु० 832562-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली वाउचर एवं सम्बंधित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उप्लाध्द नहीं कराये गए। उक्त व्यय से सम्बंधित अभिलेख उपलभ्द न कराये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मेनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार अपहरण मानते हुए रु० 832562-00 मय ब्याज के श्री जग्नेश कुमार सचिव एवं श्री राजकिशोर प्रधान वसूल किया जाना अपेक्षित है। एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलभ्द ना करने हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

78-ग्राम पंचायत रायत विकास खंड – खैर

प्रस्तर 134 ग्राम पंचायत रायत्त वर्ष 2021-22 में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रु० 1803045-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली वाउचर एवं सम्बंधित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उप्लाब्द नहीं कराये गए। उक्त व्यय से सम्बंधित अभिलेख उपलभ्द न कराये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मेनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार अपहरण मानते हुए रु० 1803045-00 मय ब्याज के श्री जैनेश कुमार सचिव एवं श्री माजिद प्रधान वसूत किया जाना अपेक्षित है। एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलभ्द ना करने हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

79-ग्राम पंचायत संग्रामपुर विकास खंड – खैर

प्रस्तर 135 ग्राम पंचायत संग्रामपुर वर्ष 2021-22 में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रु० 711830-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली वाउचर एवं सम्बंधित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उप्लाच्द नहीं कराये गए। उक्त व्यप से सम्बंधित अभिलेख उपलभ्द न कराये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मेनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर -8 क के अनुसार अपहरण मानते हुए रु० 711830-00 मय ब्याज के श्री जीतेन्द्र सचिव एवं श्री विष्णु सिंह प्रधान वसूलत किया जाना अपेक्षित है। एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलभ्द ना करने हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

80-ग्राम पंचायत सुजापुर विकास खंड – खैर

प्रस्तर 136 ग्राम पंचायत सुजापुर वर्ष 2021-22 में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रु० 1326553-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली वाउचर एवं सम्बंधित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उप्लाब्द नहीं कराये गए। उक्त व्यय से सम्बंधित अभिलेख उपतभ्द न कराये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मेनुक्त के अध्याय 8 के प्रस्तर -8 क के अनुसार अपहरण मानते हुए रु० 1326553-00 मय ब्याज के श्री जग्नेश कुमार सचिव एवं श्रीमती अलका सिंह प्रधान वसूल किया जाना अपेक्षित है। एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलभ्द ना करने हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

81-ग्राम पंचायत तेहरा विकास खंड – खैर

प्रस्तर 137 -ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 18-03-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन लाइन फीडिंग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभिलेख उपलब्ध नही कराये जाने के कारण। आन लाइन फीडिंग के अनुसार रू0 1288828-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत रू0 1107448-00 की वसूली मय ब्याज के श्री डेविड कुमार सचिव एवं श्रीमती नीतू सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा ।

82-ग्राम पंचायत नागोला विकास खंड – खैर

प्रस्तर 138--ग्राम पंचायत नागोला वर्ष 2021-22 में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रु० 1701910-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली वाउचर एवं सम्बंधित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उप्लाध्द नहीं कराये गए। उक्त व्यय से सम्बंधित अभिलेख उपलभ्द न कराये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मेनुवल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 क के अनुसार अपहरण मानते हुए रु० 1701910-00 मय ब्याज के श्री जीतेन्द्र कुमार सचिव एवं तोताराम प्रधान वसूल किया जाना अपेक्षित है। एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलभ्द ना करने हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

83-ग्राम पंचायत अन्डला विकास खंड – खैर

प्रस्तर 139 -ग्राम पंचायत अंडला की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 30-12-22 की कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन लाइन फीडिंग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण। आन लाइन फीडिंग के अनुसार रू0 2855966-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 2055966-00 की वसूली मय ब्याज के श्री डेविड कुमार सचिव एवं श्री संजू प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

84-ग्राम पंचायत चमरनगला विकास खंड – खैर

प्रस्तर 140 -ग्राम पंचायत चमरनगला की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 14-03-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके

परिपालन में आन लाइन फीडिंग आंकड़ों की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण। आन लाइन फीडिंग के अनुसार रू0 745998-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल,

एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल, हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर -8 के अन्तर्गत रू0 745998-00 की वसूली मय ब्याज के श्री महेश चन्द्र सचिव एवं श्रीमति अर्चना प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने

<u>85-ग्राम पंचायत बलीपुर विकास खंड – खैर</u>

<u>प्रस्तर 141 -</u>ग्राम पंचायत बालीपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 31-12-22 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके

परिपालन में आन लाइन फीर्डिंग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण। आन लाइन फीडिग के अनुसार रू० 403605-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशी को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू० 403605-00 की वसूली मय ब्याज के श्री डेविड कुमार सचिव एवं श्रीमति मीना देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

<u>86-ग्राम पंचायत कसीसो विकास खंड – खैर</u>

<u>प्रस्तर 142 -</u> ग्राम पंचायत कसीसों वर्ष 2021-22 में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रु० 1060735-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली वाउचर एवं सम्बंधित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उप्लाब्द नहीं कराये गए। उक्त व्यय से सम्बंधित अभिलेख उपलभ्द न कराये जाने के कारण व्यप अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मेनुवत के अध्याय 8 के प्रस्तर -8 क के अनुसार अपहरण मानते हुए रु० 1060735-00 मय ब्याज के श्री महेश चन्द्र सचिव एवं श्री नरेन्द्र कुमार प्रधान वसूल किया जाना अपेक्षित है। एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलभ्द ना करने हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

<u>87-ग्राम पंचायत सलेमपुर विकास खंड –जवां</u>

<u>प्रस्तर 143 -</u>ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 30-12-2022 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन लाइन फीर्डिंग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त भी
प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। आन लाइन फीर्डिंग के अनुसार रू० 853307-00 का व्यप किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्यपो के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल, हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 853307-00 की वसूली मय ब्याज के श्री प्रमोद कुमार चौधरी सचिव एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा ।

<u>88-ग्राम पंचायत ढेकुरा विकास खंड –जवां</u>

<u>प्रस्तर 144 -</u>दिनांक 12-07-2021 को रू० 27000-00 मन दुर्गा को शौचालय केयर टेकर हेतु भुगतान किया गया जिसके सापेक्ष मानदेय पंजी एवं मानदेय प्राप्त रसीद व सामग्री क्रय के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलभ्द नहीं होने के कारण भुगतान अपुष्ट रहा एवं दिनांक 9-08-2021 को रु० 19500-00 आहरित आय पक्ष में अंकन है जबकि व्यय पक्ष में बिना विवरण अंकित है। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलभ्द नहीं रहा। उक्त स्थित से स्पष्ट है कि कुल रु० 46500-00 का आहरण कर भ्रमित प्रवष्टि कर अपहरण कर लिया गया है। अतः रु० 46500-00 के मप ब्याज के वसूली श्री प्रमोद कुमार चौधरी तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती राजवती प्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

89-ग्राम पंचायत मैमडी विकास खंड –जवां

प्रस्तर 145 -ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 20-02-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन लाइन फीडिंग आंकडो की लेखा परीक्ष कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त भी प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। आन लाइन फीडिंग के अनुसार रूप0 5140-00 बिद्युत बिल एवं 53820-00 ऋणात्मक व्यय दर्शया गया है जो असंभव है। रु० 5140-00 के व्यय के सापेक्ष प्रमाणक एवं कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट उपलभ्द न होने के कारण अपुष्ट रहा अतः अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8-क के अन्तर्गत रू0 5140-00 की वसूली मय ब्याज के श्री विनोद कुमार सचिव एवं श्री सौदान सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। साथ ही प्रिय सॉफ्ट पर ऋणात्मक दर्शित व्यय का सुधर किया जाना अपेक्षित है।

90-ग्राम पंचायत अहरोली विकास खंड –जवां

प्रस्तर 146 -ग्राम पंचायत अहरौली की लेखा परीक्षा में में वर्ष 20.20-21 की कैश बुक, बैंक स्टेटमेण्ट बाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। आनलाइन फीडिंग के अनुसार राज्य वित्त एवं पन्द्रहवा वित्त खाते से कुल रू० 349261-00 का आहरण किया गया। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित कोई बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए रू0 349261-00 की वसूली श्री प्रमोद चौधरी सचिव एवं श्री बब्लू से किया जाना अपेक्षित रहा ।

91-ग्राम पंचायत अहक विकास खंड –जवां

प्रस्तर 147 -ग्राम पंचायत अहक की लेखा परीक्षा में में वर्ष 20.20-21 की कैश बुक, बैंक स्टेटमेण्ट बाउचर, कार्यवाही पंजी, निर्माण कार्य की पत्रावलियां एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। आनलाइन फीडिंग के अनुसार राज्य वित्त एवं पन्द्रहवा वित्त खाते से कुल रू० 265480-00 का आहरण किया गया। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित कोई बाउचर एवं अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए रू0 265480-00 की वसूली श्री प्रमोद चौधरी सचिव एवं श्री संजय राज प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा ।

92-ग्राम पंचायत भूरा किशनगड़ी विकास खंड –धनीपुर

प्रस्तर 148. वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में वर्तमान में कार्यरत सचिव महेश चन्द्र वर्मा द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की माँग की गई परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाईन फीडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रू. 812337.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।"

वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 812337.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 812337.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अंतर सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लक्ष्मी नारायण व श्री महेशचन्द्र वर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

93-ग्राम पंचायत भवनखेडा विकास खंड –धनीपुर

प्रस्तर 149 वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में वर्तमान में कार्यरत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की माँग की गई परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, बाय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाईन फीडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रू. 1411668.00 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।"

वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 1411668.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रायली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 1411668.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम

प्रधान श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रोशनी से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

94-ग्राम पंचायत गुरुसिखरन विकास खंड –धनीपुर

प्रस्तर 150 वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में वर्तमान में कार्यरत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की मांग की

गई परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाईन फीडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रू. 585877 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैसबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।"

वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 585877.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू 585877.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री वीरपाल सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार गोयल से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

95-**ग्राम पंचायत सिंधोली विकास खंड –धनीपुर**

प्रस्तर 151. वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में वर्तमान में कार्यरत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की भींग की गई परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाईन फीडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रु. 2378471 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर ७ (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।"

वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 2378471.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपमोन प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 2378471.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गंगाराम एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार गोयल से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

96-ग्राम पंचायत कोछोड को विकास खंड –धनीपुर

प्रस्तर 152 -वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में वर्तमान में कार्यरत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की भींग की गई परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, वाय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाईन फीडिंग अनुसार (ई-स्वराज) के अनुसार रू. 2126009 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।"

वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 2126909.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/ वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 2126909.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार गोयल से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

97-ग्राम पंचायत ईकरी को विकास खंड –धनीपुर

प्रस्तर 153 वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में वर्तमान में कार्यरत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेखों की भांग की गई परन्तु ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, बाय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाईन फीडिंग अनुसार

(ई-स्वराज) के अनुसार रू. 1264355 व्यय किया जाना दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।"

वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 1264355.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 1264355.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आदिल एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री महेशचन्द्र शर्मा से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

98-ग्राम पंचायत बरहद को विकास खंड –अकराबाद

प्रस्तर 154- वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री भूदेव सिंह द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेंटमेंट ही उपलब्ध कराये गये है, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं।

क्र0स0	विवरण	वर्ष 2021-22
1	निर्माण कार्यो पर व्यय	1559097.00
2	हैडपम्प कार्य	88986.00
3	विविधवयय	185248.00
4	अन्य	00
	योग	1833331-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 1833331.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 1833331.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री योगेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री भूदेव सिंह से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

99-ग्राम पंचायत भगोसा को विकास खंड –अकराबाद

प्रस्तर 155 - वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मुजीम अहमद द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं. कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित वायों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउबर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र0स0	विवरण	वर्ष 2021-22
1	सामग्री	180766.00
2	मस्टरोल	87360=00
3	हैण्डपम्प	44306.00
4	अन्य	37282-00
	योग	349714-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रू 349714.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 349714.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन

ग्राम प्रधान श्रीमती कुशमा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मुजीम अहमद से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गाता है।

100-ग्राम पंचायत बीजलपुर को विकास खंड –अकराबाद

प्रस्तर 156 -ग्राम पंचायत बीजलपुर की वर्ष 2021-22 तक लेखा परीक्षा दिनांक 29.10.22 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 20.10.22 से लेकर 26-04-2023 तक भी कोई भी अनिलेशा लेखा परीक्षा में उपलबा नहीं कराया गया है और न ही तत्कालीन सचिव श्री आलोक कुमार व प्रधान श्री महेन्द्र सिंह द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। ऑनलाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में रु 1272005.00 के दर्शित व्यय के सापेक्ष कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य आवश्यक अभिलेख यथा इस्टीमेट, एम बी, बाउचर, मस्टर रोल, निर्माण कार्य पत्रावली आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुए।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा रोक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियगों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी के क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर ४ (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई याउचर / प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रु 1272805.00 को गबन मानते हुए गय ब्याज के वसूली प्रधान श्री महेन्द्र सिंह व तत्कालीन सचिव श्री देवेन्द्र सिंह (01.04.21 से 30.11.21 तक) व श्री आलोक कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। तत्कालीन सचिव श्री आलोक कुमार द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस संबंध में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

101-ग्राम पंचायत नगला सरताज को विकास खंड –अकराबाद

प्रस्तर 157 -कॅशबुक में दर्शित व्ययों की प्रमाणकों नहीं हुए। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। जिनका विवरण निम्न प्रकार है- से मिलान करने पर पाया गया कि अनेक व्ययों के प्रमाणक उपलब्ध

क्रम संख्या	दिनाक	व्यय की धनराशि	व्यय का मद
1-	14-06-21	25000-00	गाँव मैं सफाई
2-	07-07-21	4900-00	गाँव मैं सफाई
3-	07-07-21	31500-00	गाँव मैं सफाई
4-	26-07-21	5000-00	पेन्टिंग कार्य
5-	26-07-21	3000-00	प्रशासनिक व्यय
6-	26-07-21	20000-00	पंचायत घर में पेन्टिंग,पुताई कार्य
7-	24-08-21	50000-00	गाँव मैं सफाई
8-	10-09-21	10000-00	पंचायत घर में पेन्टिंग
9-	17-09-21	17322-00	बिजली फिटिंग कार्य
10-	17-09-21	48552-00	इलेक्ट्रोनिक सामान
11-	30-09-21	28000-00	इलेक्ट्रोनिक सामान
12-	30-09-21	28792-00	पंचायत घर में पेन्टिंग
13-	06-10-21	14869-00	फर्नीचर खरीदारी
14-	21-01-22	8000-00	फिटर खरीदार
	योग--	294935-00	

उक्त विवरण के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर (क) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार स्पष्ट कि उक्त विवरण में रु 294935.00 के अपुष्ट व्ययों के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री भूदेव सिंह दोषी व उत्तरदायी है। अतः उक्त अपुष्ट यायों रु 294935.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती राधा देवी तथा सचिव श्री भूदेव सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 158- लेखा परीक्षा के दौरान रु० 132500.00 गौसेवक मानदेय के रूप में व्यय किया गया, किन्तु कोई ऐसी पंजिका उपलब्ध नहीं हुई जिससे ग्राम पंचायत में गौशालाओं की संख्या, गौशालाओं में गायों की संख्या तथा उनकी स्थानीय स्थिति ज्ञात हो सके, जिस कारण उन पर नियुक्त गौसेवकों की संख्या भी अज्ञात रही। न तो गौसेवक रखे जाने के सम्बंध में कोई पत्रावली और न ही इससे सम्बन्धित कोई शासनादेश उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है कि गौशालाओं में मानदेय के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यय यथा चारा, भूसा दवाई इत्यादि पर दर्शित नहीं है। मानदेय से सम्बन्धित कोई वाउचर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि गौसेवकों के मानदेय के नाम से आहरित धनराशि का मात्र समायोजन दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। अतः उपरोक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक तथा अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण कुल दर्शित रु० 132500.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती राधा देवी व सचिव श्री भूदेव सिंह से मय ब्याज करायी जानी अपेक्षित है।

102-**<u>ग्राम पंचायत दूभिया चितरोली को विकास खंड –अकराबाद</u>**

<u>प्रस्तर 159-</u>वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती आरती द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेंटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं. कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में बाय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- ४ (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशयुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं।

क्र0स0	विवरण	वर्ष2021-22
1	निर्माण कार्य की सामग्री	2886268.00
2	निर्माण कार्यो की मजदूरी	508920-00
3	हेडपम्प व्यय व रिबोर	496224.00
4	विविध व्यय	185901-00
	योग	3932223-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रू 3932223.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रावली कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू 393222300 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती आरती से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है

<u>103-ग्राम पंचायत रामपुर शाहपुर को विकास खंड –चन्डोस</u>

<u>प्रस्तर 160-</u>.कैशबुक में दर्शित व्ययों की प्रमाणकों से मिलान करने पर पाया गया कि अनेक व्ययों के प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 स0	दिनाक	व्यय की धनराशि	व्यय क मद
1	27-08-21	16520-00	डिजिटल डायरी
2	23-10-21	54240-00	फर्नीचर
3	23-10-21	58720-00	फर्नीचर
4	04-11-21	45240-00	सफाई कार्य
5	09-12-21	135050-00	डंपिंग कार्य
6	09-12-21	36200-00	सफाई कार्य
7	09-12-21	70120-00	फर्नीचर
8	09-12-21	52110-00	बिजली फिटिंग
9	18-12-21	19954-00	सफाई कार्य
10	18-12-21	18640-00	सफाई कार्य
11	09-01-22	51210-00	सफाई कार्य
12	11-01-22	47210-00	सफाई कार्य
13	19-01-22	53580-00	सफाई कार्य
14	07-02-22	130000-00	सफाई कार्य
15	11-03-22	127752-00	सफाई कार्य
	योग	916546-00	

उक्त विवरण के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर ४ (क) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार स्पष्ट कि उक्त विवरण में रु 916546.00 के अपुष्ट व्ययों के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चमन खां तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री जितेन्द्र पाल सिंह दोषी व उत्तरदायी है। अतः उक्त अपुष्ट व्ययों रु 916546.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री चमन खां' तथा सचिव श्री जितेन्द्र पाल सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

104-**<u>ग्राम पंचायत भोगपुर भगतपुर को विकास खंड –चन्डोस</u>**

<u>प्रस्तर 161 -</u> लेखा परीक्षा के दौरान रू० 9100000 गौसेवक मानदेय व रू0 114000.00 सामुदायिक शोधालय केयर टेकर के रूप में व्यय किया गया, किन्तु कोई ऐसी पंजिका उपलब्ध नहीं हुई जिससे ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों एवं गौशालाओं की संख्या गौशालाओं में गायों की संख्या तथा उनकी स्थानीय स्थिति ज्ञात हो सके, जिस कारण उन पर नियुक्त गौसेवकों तथा सामुदायिक शौचालय केयर टेकर की संख्या भी अज्ञात रही। न तो गौसेवक व सामु० शौ० केयर टेकर रखे जाने के सम्बंध में कोई पत्रावली और न ही इससे सम्बन्धित कोई शासनादेश उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है कि गौशालाओं में मानदेय के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यय यथा चारा, भूसा दवाई इत्यादि घर दर्शित नहीं है। मानदेय से सम्बन्धित कोई वाउचर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि गौसेवकों तथा सामु०शी० केयर टेकर के मानदेय के नाम से आहरित धनराशि का मात्र समायोजन दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। अतः उपरोक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक तथा अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण कुल दर्शित रु० 205000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राजकुमार व सचिव श्री राजकुमार से मद्य व्याज करायी जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 162-</u>पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायें।" परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर / व्यप प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय

व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र0 स0	कार्य का नाम	सामग्री	मजदूरी	योग
1	प्र0वि0 भोगपुर टायिलग कार्य	126252-00	87420-00	213672-00
2	पंचायत घर में इन्तेर्लाकिंग कार्य	150000-00	--	150000-00
	योग			363672-00

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद-४ (क) के अनुसार 'यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू. 363672.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-४ (क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकुमार तथा ग्राम प्रधान श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं।

<u>105-ग्राम पंचायत वीरपुरा को विकास खंड –चन्डोस</u>

<u>प्रस्तर 163-</u>लेखा परीक्षा के दौरान रू० 304500.00 गौसेवक मानदेय के रूप में व्यय किया गया, किन्तु कोई ऐसी पंजिका उपलब्ध नहीं हुई जिससे ग्राम पंचायत में गौशालाओं की संख्या, गौशालाओं में गायों की संख्या तथा उनकी स्थानीय स्थिति ज्ञात हो सके, जिस कारण उन पर नियुक्त गौसेवकों की संख्या भी अज्ञात रही। न तो गौसेवक रखे जाने के सम्बध में कोई पत्रावली और न ही इससे सम्बन्धित कोई शासनादेश उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है कि गौशालाओं में मानदेय के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यय यथा चारा, भूसा दवाई इत्यादि पर दर्शित नहीं है। मानदेय से सम्बन्धित कोई वाउचर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि गौसेवकों के मानदेय के नाम से आहरित धनराशि का मात्र समायोजन दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। अतः उपरोक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक तथा अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण कुल दर्शित रू० 304500.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री रामप्रसाद वर्मा व सचिव श्री योगेश कुमार से मय ब्याज करायी जानी अपेक्षित है।

<u>106- ग्राम पंचायत बरका को विकास खंड –चन्डोस</u>

<u>प्रस्तर 164-</u>कैशबुक में दर्शित व्ययों की प्रमाणको से मिलान करने पर पाया गया कि अनेक व्ययों के प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 स0	दिनाक	व्यय की धनराशि	व्यय क मद
1	18-05-21	-74160-00	सेनेटा इज़र
2	24-08-21	23460-00	पुस्तकालय फर्निचर
3	24-08-21	20000-00	इन्वर्ट र बेटरी
4	11-08-21	9000-00	सफाई कार्य
5	11-08-21	15000-00	कूड़ा गाड़ी कर्य
6	24-08-21	60009-00	पंचायत घर फर्निचर
7	27-09-21	9000-00	प्रिशिक्शद
8	29-10-21	50150-00	ओपेन जिम
9	30-10-21	81420-00	ओपेन जिम
10	16-10-21	16200-00	सफाई कार्य
11	21-02-22	49200-00	फागिंग मशिन
12	योग	337499-00	

उक्त विवरण के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार स्पष्ट कि उक्त विवरण में रु 337499.00 के अपुष्ट व्ययों के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बीना देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री चन्द्रेश कुमार दोषी व उत्तरदायी है। अतः उक्त अपुष्ट व्ययों रु 337499.00 की दत्तूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती बीना देवी तथा सचिव श्री चन्द्रेश कुमार से करायी जानी अपेक्षित है।

107-ग्राम पंचायत जखोता को विकास खंड –चन्डोस

प्रस्तर 165- कैशबुक में दर्शित व्ययी की प्रमाणकों से मिलान करने पर पाया गया कि अनेक व्यों के प्रभाउपत नहीं हुए। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 स0	दिनाक	व्यय की धनराशि	व्यय क मद
1	15-05-21	1900-00	साइन बोर्ड
2	13-09-21	88450-00	पंचायत घर फर्नीचर
3	13-09-21	12500-00	आँगन बारी फर्निचेर
4	07-01-22	62120-00	आँगन बारी वाल पेंटिंग
5	08-01-22	4500-00	पंचायत घर में पंखे व् लाइट
6	08-01-22	12300-00	प्रिंटर क्रय
7		181770-00	

उक्त विवरण के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर (क) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार स्पष्ट कि उक्त विवरण में रु 181770.00 के अपुष्ट व्ययों के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री राहुल अटोरिया दोषी व उत्तरदायी है। अत उक्त अनुष्ट ब्ययों रु 181770.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जयप्रकाश तथा सचिव श्री राहुल अटोरिया से करायी जानी अपेक्षित है।

108-**- ग्राम पंचायत नगला पदम् को विकास खंड –चन्डोस**

प्रस्तर 166-कैशबुक में दर्शित व्ययों की प्रमाणकों नहीं हुए। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि से मिलान करने पर पाया गया कि अनेक व्ययों के प्रमानक उपलब्ध नहीं हो सकी। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 स0	दिनाक	व्यय की धनराशि	व्यय क मद
1	12-08-21	9000-00	प्रधानोका प्रशीक्षण
2	07-09-21	41536-00	आँगनबड़ी पेंटिंग
3	30-10-21	9000-00	पंचायत घर सफाई
4	30-10-21	9000-00	पंचायत घर सफाई
5	10-11-21	25800-00	आँगनबड़ी फर्निचर
6	10-11-21	4400-00	सेनेटाइजार
7	20-11-21	81250-00	पंचायत सचिवालय फर्नीचर
8	22-11-21	43306-00	फागिंग मशिन
9	07-12-21	9000-00	पंचायत सफाई
10	07-12-21	9000-00	पंचायत सफाई
11	27-12-21	15500-00	सेनेटेसन फागिन
12	17-01-22	17000-00	प्रिंटर
13	17-01-22	49000-00	कंप्यूटर कर
14	17-03-22	19500-00	ड्रोन सर्वे
	योग--	342292-00	

उक्त विवरण के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार स्पष्ट कि उक्त विवरण में रु 342292.00 के अपुष्ट व्ययों के लिए तात्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती यशोदा देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री दिनेश कुमार सिंह दोषी व उत्तरदायी है। अतः उक्त अपुष्ट व्ययों रु 342292.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती यशोदा देवी तथा सचिव श्री दिनेश कुमार सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 167-लेखा परीक्षा के दौरान रु० 199500.00 गौसेवक मानदेय के रूप में व्यय किया गया, किन्तु कोई ऐसी पंजिका उपलब्ध नहीं हुई जिससे ग्राम पंचायत में गौशालाओं की संख्या, गौशालाओं में गायों की संख्या तथा उनकी स्थानीय स्थिति ज्ञात हो सके, जिस कारण उन पर नियुक्त गौसेवकों की संख्या भी अज्ञात रही। न तो गौसेवक रखे जाने के सम्बध में कोई पत्रावली और न ही इससे सम्बन्धित कोई शासनादेश उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है कि गौशालाओं में मानदेय के अतिरिक्त कोई भी अन्य

व्यय यथा चारा, भूसा दवाई इत्यादि पर दर्शित नहीं है। मानदेय से सम्बन्धित कोई वाउचर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि गीसेवकों के मानदेय के नाम से आहरित धनराशि का मात्र समायोजन दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। अतः उपरोक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक तथा अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण कुल दर्शित रू0 199500 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी व सचिव श्री दिनेश कुमार सिंह से मय ब्याज करायी जानी अपेक्षित है।

109-ग्राम पंचायत उमरी को विकास खंड –चन्डोस

प्रस्तर 168कैशबुक में दर्शित व्ययों की प्रमाणकों से मिलान करने पर पाया गया कि अनेक व्यक नहीं हुए। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 स0	दिनाक	व्यय की धनराशि	व्यय क मद
1	24-05-21	12628-00	डिजीटल डायरी
2	29-09-21	17300-00	कूड़ागाड़ी क्रय
3	17-11-21	4400-00	बिलिचींग पाउडर
4	13-12-21	102660-00	ओपन जिम
5	09-02-22	95096-00	पंचायत घर फर्निचर
	योग--	232084-00	

उक्त विवरण के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि दर्शवि गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" इस प्रकार स्पष्ट कि उक्त विवरण में रु 232084.00 के अपुष्ट व्ययों के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री दिनेश कुमार सिंह दोषी व उत्तरदायी है। अतः उक्त अपुष्ट व्ययों रु 23208400 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी तथा सचिव श्री दिनेश कुमार सिंह से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 169- लेखा परीक्षा के दौरान रू0 199500.00 गौसेवक मानदेय के रूप में व्यय किया गया किन्तु कोई ऐसी पंजिका उपलब्ध नहीं हुई जिससे ग्राम पंचायत में गौशालाओं की संख्या, गौशालाओं में गायों की संख्या तथा उनकी स्थानीय स्थिति ज्ञात हो सके, जिस कारण उन पर नियुक्त गौसेवकों की संख्या भी अज्ञात रही। न तो गौसेवक रखे जाने के सम्बध में कोई पत्रावली और न ही इससे सम्बन्धित कोई शासनादेश उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है कि गौशालाओं में मानदेय के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यय यथा चारा भूसा दवाई इत्यादि पर दर्शित नहीं है। मानदेय से सम्बन्धित कोई वाउचर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि गौसेवकों के मानदेय के नाम से आहरित धनराशि का मात्र समायोजन दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। अतः उपरोक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक तथा अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण कुल दर्शित रु० 199500 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी व सचिव श्री दिनेश कुमार सिंह से मय ब्याज करायी जानी अपेक्षित है।

110-ग्राम पंचायत कसेरु को विकास खंड –चन्डोस

प्रस्तर 170-कैशबुक में दर्शित व्ययों की प्रमाणकों से मिलान करने पर पाया गया कि अनेक व्ययों के प्रमाणक उपलब्ध नहीं हुए। जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। जिनका विवरण निम्न प्रकार है- दिनांक

क्र0 स0	दिनाक	व्यय की धनराशि	व्यय क मद
1	26-04-21	7119-00	बिजली फिटिंग
2	25-08-21	16800-00	सेनेटाइजार स्प्रे
3	29-08-21	3500-00	वाल पेन्टिंग
4	11-09-21	35520-00	पानी फिटींग
5	02-11-21	60258-00	आँगनबड़ी वाल पेन्टिंग
6	04-11-21	1700-00	वाल पेन्टिंग
7	04-11-21	17300-00	कूड़ा गाड़ी क्रय
8	08-11-21	43306-00	फागिंग मशिन
9	18-02-22	49800-00	पंचायत सफाई
	योग--	235303-00	

उक्त विवरण के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के प्रस्तर है (क) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई नाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त विवरण में रु 235303.00 के अपुष्ट व्ययों के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामवीर तथा सचिव ग्राम पंचायत श्री शशि कुमार यादव दोषी व उत्तरदायी है। अतः उक्त अपुष्ट व्ययों रु 235303.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री रामवीर तथा सचिव श्री शशि कुमार यादव से करायी जानी अपेक्षित है।

111-ग्राम पंचायत ओगीपुर को विकास खंड –चन्डोस

प्रस्तर 171 -लेखा परीक्षा के दौरान रू0 168000.00 गौसेवक मानदेय के रूप में व्यय किया गया, किन्तु कोई ऐसी पंजिका उपलब्ध नहीं हुई जिससे ग्राम पंचायत में गौशालाओं की संख्या, गौशालाओं में गायों की संख्या तथा उनकी स्थानीय स्थिति ज्ञात हो सके, जिस कारण उन पर नियुक्त गौसेवकों की संख्या भी अज्ञात रही। न तो गौसेवक रखे जाने के सम्बध में कोई पत्रावली और न ही इससे सम्बन्धित कोई शासनादेश उपलब्ध कराया गया। उल्लेखनीय है कि गौशालाओं में मानदेय के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यय यथा-चारा, भूसा दवाई इत्यादि पर दर्शित नहीं है। मानदेय से सम्बन्धित कोई वाउचर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि गौसेवकों के मानदेय के नाम से आहरित धनराशि का मात्र समायोजन दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। अतः उपरोक्त से सम्बन्धित व्ययं प्रमाणक तथा अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण कुल दर्शित रू0 168000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती उषा देवी व सचिव श्री योगेश कुमार से मय ब्याज करायी जानी अपेक्षित है।

112- ग्राम पंचायत कासिमपुर गदईपुर को विकास खंड –अतरोली

प्रस्तर 172-वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री ललित चौधरी द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेंटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिरासे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार 'यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं।

क्र0 स0	विवरण	धनराशी
1	सामग्री	1471907-00
2	मसरोल	375356-00
3	हेडपम्प	183047-00
4	अन्यव्यय	259356-00
5	योग--	2289666-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 2289666.00 किया जाना दर्शित है। र्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत नर्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण न. एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार र्शत कुल व्यय रू. 2289666.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री छी सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ललित चौधरी से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति चागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

113- ग्राम पंचायत चकाथल को विकास खंड –अतरोली

प्रस्तर 173-वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेंटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र0 स0	विवरण	धनराशी
1	सामग्री	1212299-00
2	मसरोल	409900-00
3	हेडपम्प कार्य	140570-00
4	अन्यव्यय	540372-00
5		2303141-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रु 2303141.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये है। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 2303141.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

114- ग्राम पंचायत चंडोला सुजानपुर को विकास खंड –अतरोली

प्रस्तर 174-ग्राम पंचायत चण्डीला सुजानपुर की वर्ष 2021-22 की कैशबुक में मात्र 01.04.21 से 30.10.21 तक की पूर्ण प्रस्तुत की गई एवं 01.11.21 से 31.03.22 तक की कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। 01.10.21 से 31.03.22 तक

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरित धनराशि निधि प्रथम से रू. 158594.00 व केन्द्रीय वित्त से रु. 522085.00 कुल रु 680667.00 की गई है। बैंक स्टेटमेट से आहरित धनराशि की पुष्टि में कैशबुक, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।
उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।"
अतः वर्ष 2021-22 में दिनांक 01.11.21 से 31.03.22 तक दर्शित कुल व्यय रु. 680667.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

115-ग्राम पंचायत भवीगड को विकास खंड –अतरोली

प्रस्तर 175-वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार द्वारा माह नबम्बर 21 से माह मार्च 2022 तक केवल कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- ४ (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं।

क्र0 स0	विवरण	धनराशी
1	सामग्री	1331987-00
2	मसरोल	169030-00
3	हेडपम्प कार्य	85547-00
4	अन्यव्यय	156450-00
5		1743014-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में 01 11.21 से 31.03.22 तक कुल व्यय रू 1743014.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में 01.11.21 से 31.03.22 तक कुल व्यय रू 1743014.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजू प्रजापति एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

116-ग्राम पंचायत दाऊदगड़ी को विकास खंड –अतरोली

प्रस्तर 176-. ग्राम पंचायत दाऊदगडी की वर्ष 2021-22 की कैशबुक में मात्र 01.04.21 से 30.10.21 तक की पूर्ण प्रस्तुत की गई एवं 01.11.21 से 31.03.22 तक की कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। 01.10.21 से 31.03.22 तक कैशबुक व बैंक स्टेंटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। 01.04.21 से 31.03.22 तक प्रियासापट फीर्डिंग के अनुसार पंचम वित्त से दिनांक 03.01.22 को रू. 18000.00 एवं दिनांक 20.03.22 को रु. 12000.00 शौचालय केयर टेकर मानदेय एवं रख-रखाव का भुगतान दर्शित है। मुगतान किये जाने के प्रमाण स्वरूप न ही कैशबुक में प्रविष्टि की गई और न ही उससे सम्बन्धित मानदेय पंजी. मानदेय प्राप्ति रसीद एवं रख-रखाव हेतु क्रय किये गये सामग्री का व्यय प्रमाण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।"

अतः वर्ष 2021-22 में दिनांक 03.01.22 को 18000.00 व 20.03.22 को 12000.00 कुल व्यय रु. 30000.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संजना देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर 177- ग्राम पंचायत दाऊदगढ़ी की वर्ष 2021-22 की कैशबुक में मात्र 01.04.21 से 30.10.21 तक की पूर्ण प्रस्तुत की गई एवं 01.11.21 से 31.03.22 तक की कैशबुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। 01.10.21 से 31.03.22 तक कैशबुक व बैंक स्टेंटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। दिनांक 26.03.22 को प्रियासाफ्ट की फीर्डिंग के अनुसार रू. 47200.00 का पंचायत भवन हेतु फर्नीचर क्रय मद में केन्द्रीय वित्त द्वारा प्राप्त अनुदान से व्यय दर्शाया गया। परन्तु उक्त की प्रविष्टि कैशबुक, बैंक स्टेंटमेंट, मृत स्कन्ध पंजी (डेड स्टॉक) जिसमें क्रय किये गये सामग्री की प्रविष्टि की जानी चाहिए सम्बन्धित बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।"

अतः वर्ष 2021-22 में दिनांक 26.03.22 को रू. 47200.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संजना देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

117-ग्राम पंचायत चाडोली बुजुर्ग को विकास खंड –अतरोली

प्रस्तर 178-वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेंटमेंट ही उपलब्ध कराये गये हैं, कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में बाय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर- (क) के अनुसार यदि दशर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है।

क्र0 स0	विवरण	धनराशी
1	सामग्री	1212145-00
2	मसरोल	186465-00
3	हेडपम्प कार्य	258431-00
4	अन्यव्यय	309368-00
5		1966409-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय स 1966409.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर / कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 1966409.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

1. वित्तीय वर्ष 21-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा केवल कैशबुक व बैंक स्टेंटमेंट ही उपलब्ध कराये गये है. कैशबुक में दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियों, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व अन्य कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये, जिससे दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है।

118-ग्राम पंचायत कलियांपुर रानी को विकास खंड –अतरोली

प्रस्तर 179-उ०प्र० सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से करायी जायेगी।" लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 की कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैं।

क्र0 स0	विवरण	धनराशी
1	सामग्री	452691-00
2	मसरोल	65920-00
3	हेडपम्प कार्य	126207-00
4	अन्यव्यय	128294-00
5	योग-	773112-00

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल व्यय रू 773112.00 किया जाना दर्शित है। दर्शित व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / वाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये तथा इसके अलावा स्वीकृत कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राक्कलन, टेण्डर/कुटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति / उपभोग प्रमाण पत्र, एम०बी० आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अतः वर्ष 21-22 में उक्तानुसार दर्शित कुल व्यय रू. 773112.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार से करायी जानी अपेक्षित है। अतः इस प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

119-ग्राम पंचायत बडोली फतेह खां को विकास खंड –लोधा

प्रस्तर 180-ग्राम पंचायत बढ़ौती फतेहखां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 16-01-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन लाइन फीठिग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई परन्तु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। दिनांक 30-06-23 तक प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण आन लाइन फीडिंग के अनुसार रू0 1263467-00 का व्यथ किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथाः प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर,

मास्टररोत, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जत प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनको मरम्मत हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेप पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष हुए व्यप पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 1263467-00 की वसूली मय ब्याज के श्री संजीव कुमार सचिव एवं श्री खाचेरपाल सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

120- ग्राम पंचायत चुआवली को विकास खंड –लोधा

प्रस्तर 181-ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 31-03-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनताइन फीडिंग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई परन्तु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। दिनांक 30-06-23 तक प्रपाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण आन लाइन फीडिंग के अनुसार रू0 2492086-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 2492086-00 की वसूली मय ब्याज के श्री तनय कुमार तिवारी सचिव एवं श्रीमती संतोषी देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

121- ग्राम पंचायत परियावली को विकास खंड –लोधा

प्रस्तर 182-ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 20-01-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन लाइन फीडिंग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यप प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई परन्तु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। दिनांक 30-06-23 तक प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण आन लाइन फौडिग के अनुसार रू0 2852115-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थत, हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत तेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 2852115-00 की वसूली मय ब्याज के श्री संजीव कुमार सचिव एवं श्रीमती सरोज देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

122- ग्राम पंचायत रूस्तंमपुर फ़तेह् खां को विकास खंड –लोधा

प्रस्तर 183-ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 20-01-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन ताइन फीडिंग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई परन्तु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। दिनांक 30-06-23 तक प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण आन लाइन फीडिंग के अनुसार रू0 2361374-93 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल, हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत रू0 2361374-93 की वसूली मय ब्याज के श्री संजीव कुमार सचिव एवं श्री वीरपाल सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न

कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। वर्ष में ऑनलाइन आय ऋणात्मक दर्शित है जो संभव नहीं है ऑनलाइन फीडिंग का सुधार अपेक्षित है। त्रुटिपूर्ण फीडिंग हेतु स्पस्तीकरण सहित सम्बंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही।

123- ग्राम पंचायत भदेसी माफ़ी को विकास खंड –लोधा

- **प्रस्तर 184-**ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 17-01-23 की कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन लाइन फीडिंग आंकठो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं तिखित रूप में अपेक्षा की गई परन्तु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं करापे गये। दिनांक 30-06-23 तक प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण आन लाइन फीडिंग के अनुसार रू0 4819388-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल, हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 4819388-00 की वसूली मय ब्याज के श्री संजीव कुमार सचिव एवं श्री भूपेंद्र सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध

124- ग्राम पंचायत वाजिद पुर नादा को विकास खंड –लोधा

प्रस्तर 185-ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 20-01-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन ताइन फीडिंग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफताइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं तिखित रूप में अपेक्षा की गई परन्तु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। दिनांक 30-06-23 तक प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। जिस कारण आन लाइन फीडिंग के अनुसार रु०० 982427-00 का व्यप किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययो के सापेक्ष अभिलेख यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराशि को अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू०० 982427-00 की वसूली मय ब्याज के श्री संजीव कुमार सचिव एवं श्रीमती कमलेश कुमारी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

125-**ग्राम पंचायत सतारापुर को विकास खंड –गगीरी**

प्रस्तर 186-आनोध्य वर्ष के प्रारंभ ऑनलाईन आय-व्यय स्टेट्मेन्ट में अंकन रुपये रुपये 5,47,725.00 (पाँच लाख सैंतालीस हजार सात सौ पच्चीस) का अग्रिम प्रधान के पास कैश-इन-हैन्ड बकाया अंकित है जो पीएफएमएस पेमेंट प्रोटोकॉल में संभव नहीं है। यह धनराशि अभी भी वित्तीय वर्ष 2021-22 के पूर्व के किसी व्यक्ति के पास बकाया है। यह धन अपहरण का बिन्दु प्रतीत होता है। अतः पूर्ण जाँचॉपरांत दोषी व्यक्ति से सम्पूर्ण धनराशि Rs. 5,47,725.00 की वसूली संबंधित से कर ग्रामनिधि में जमा कराया जाना अपेशित है। (मूल आपत्ति संख्या-01)

126- ग्राम पंचायत निनामई ओगीपुर को विकास खंड –गगीरी

प्रस्तर 187-आलोच्य वर्ष के प्रारंभ ऑनलाईन आय-व्यय स्टैट्मेन्ट में अंकन रुपये रुपये 37697.00 का अग्रिम प्रधान के पास कैश-इन-हैन्ड बकाया अंकित है जो पीFMS पेमेंट प्रोटोकॉल में संभव नहीं है। यह धनराशि अभी भी वित्तीय वर्ष 2021-22 के पूर्व के किसी व्यक्ति के पास बकाया है। यह धन अपहरण का बिन्दु प्रतीत होता है। अतः पूर्ण जाँचोपरांत दोषी व्यक्ति से सम्पूर्ण धनराशि रू० 37697.00 की वसूली संबंधित से कर ग्रामनिधि में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (मूल आपति संख्या-07)

127- ग्राम पंचायत आदमपुर को विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 188-ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 20-09-22 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन लाइन फीडिंग आंकड़ों की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यप प्रमाणक उपलब्ध कवाने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं तिखित
रूप में उपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपराना दिनांक 00002023 को दिनांक 1604.2003 तक आनलाई पीठिग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं करापे गये। अन्तिम बार दिनांकको विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग में जिन ग्राम पंचायतों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ठ विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलब्म कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत

करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयापा समय व्यतीत हो जाने के उपराना भी उपलब्ध नहीं कराये गये। आन लाइन फीडिंग के अनुसार रूप 961045-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध बी के सापेक्ष अभिलेख यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररीत् एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्मों जिनकी मरम्मत हुई का स्थत प्रेष्ठ पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रयं सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आइरित धनराषि को समायोजित कर चन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर * के अन्तर्गत रू0 961045-00 की वसूली मय ब्याज के श्री अनित शर्मा सचिव एवं श्री प्रेमचंद्र प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

128- ग्राम पंचायत अटारी को विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 189-ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 21-09-21 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन

लाइन फीडिंग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान

कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09.04.2023 को दिनांक 19 04.2023 तक आनलाई फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दशति हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग में जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नही हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। आन लाइन फीडिंग के अनुसार रू० 945397-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययो के सापेक्ष अभिलेख यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल, हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी, एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनराषि को समायोजित कर धन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत रू0 945397-00 की वसूली मय ब्याज के श्री अनिल शर्मा सचिव एवं श्रीमती कुंतेश प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा ।

129-ग्राम पंचायत बाजिदपुर को विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 190- ग्राम प्रधापत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 17-10-2022 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन लाइन पीडित आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान

कई बार भोलिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 0904.2023 को दिनांक 19 042023 तक आनलाई फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दशति हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 00.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग में जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। आन लाइन फीडिंग के अनुसार रू० 946486-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभितख यथा- प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एवं उत्तसे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित धनरापि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत रू० 946486-00 की वसूली मय ब्याज के श्री दीपक कुमार शर्मा तत्कालीन सचिव एवं श्री अनोज कुमार प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न

कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाता अपेक्षित रहा । (विश्वप्रिय) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक अलीगढ़

130- ग्राम पंचायत भरतपुरा को विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 191-ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक23-09-2022 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन ताइन पीडिग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफताइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार गांत्रिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09.04.2023 को दिनांक 19.04.2023 सेवा आनलाई फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दशति हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बाहे गये परन्तु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग में जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलब्ध वाचते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत होजाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। आन लाइन फीडिंग के अनुसार रू0 953367-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के संबंधित योगालेख यथा: प्रस्ताव, सत्यार्थी, प्रकलान, तकनीकी उद्यम, वित्तीय एवं प्रबंध समिति की स्थापना, बाउचर, मास्टररोल, एमबी0बी0 वा पे प्रमाणिक सामग्री आपूर्ति कोटेशन/टेन्डर, हाथ पंप दस्तावेज़ जल प्रबंधन समिति की स्थापना, हैंडपम्पोंजिनकी मरम्मत हुई का स्थल हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पंचायत सहायक, शौचालय केयर टेकरके भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संदिग्ध एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 953367-00 की वसूली मय ब्याज के राशि कुमार सचिव एवं श्रीमती नीलम प्रधान से से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित लेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

131- ग्राम पंचायत देवुआका को विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 192-वर्ष 2001 22 में केश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रु० 481570-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावली वाउचर एवं सम्बंधित अन्याय कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उक्त व्यय की सम्बंधित अभिलेख उपलभ्द ना कराय जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मेनुवल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार अपहरण मानते हुए श्रीमती प्रीती देवी प्रधान एवं श्री चद्रदेव सिंह तत्कालीन सचिव से माय ब्याज के वसूत किया जाना अपेक्षित है। एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध ना करने विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

132- ग्राम पंचायत घंघोली को विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 193-ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 24-03-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन

लाइन पोडिंग आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार नीत्रिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनाक 09:04 2023 को दिनांक 19 04.2020 तक आनलाई फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु कई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलब्ध कसरी हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये। आइन फीडिंग के अनुसार रू0 2072920-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययो के गये सापेक्षता पथाः प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कायपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन / टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पोंजिनकी मरम्मत हुई का स्थल हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकरके भुगतान की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः साद एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 2072920-00 की वसूली मय ब्याज के शाश कुमार सचिव एवं श्री विवके कुमार प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बधितख नही है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

133- ग्राम पंचायत हसनपुर जरेलिया को विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 194-ग्राम ध्यान की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 18-10-2022 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन

लाइन आंकडों की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यप प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरानकई बार मलिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09.04.2023 को दिनांक 19042आनलाई फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दशति हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गयेपरन्तु ई मेलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.00.2023 को विकास खण्ड में सचिव कीमीटिंग ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी कोउपलब्ध हुए अभिलेख

प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। आनन फीडिंग के अनुसार रू0 806701-00 का व्यप किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्यपो के सापेक्षां पथाः प्रस्ताव कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउबर मास्टररोल,ऍम0बी०, कायपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी पर हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगा मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एवं उसन सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यप पूर्णत सदिय एवं आहरित धनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा मेंप्रस्तुत किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 806701-00 की वसूली मयब्याज के बी लपक कुमार शर्मा तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती जगवीरी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट म्बधित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

<u>134- ग्राम पंचायत हजियापुर को विकास खंड –टप्पल</u>

<u>प्रस्तर 195-</u>ग्राम प्रधान की वर्ष 2021 22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 18-03-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन लाइन पोटिंग आकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेखएवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान बार मासिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09.04.2023 को दिनांक 19 04.2023 तक आनलाई फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दशति हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गयेपरन्तु का आभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग में ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी कोउपलब्ध करा हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये। आनंसान फीडिंग के अनुसार रू0 1252133-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अमिलेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरमत हुई का स्थल, हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकरके भुगतान का मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक उवस सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः साद एवं आहरित धनराषि को समायोजित कर धन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 1252133-00 की वसूली मय ब्याज के डर सिंह सचिव एवं श्री राजकुमार प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि सम्बंधित श्रप्रमतख नही है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

135-**<u>ग्राम पंचायत हेतलपुर को विकास खंड –टप्पल</u>**

<u>प्रस्तर 196-</u> ग्राम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 19-10-2022 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनलाइन आंकड़ो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार अधिक एवं लिखितरूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09:04:2023 को दिनांक 19-04-23 तक ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये । आनन फीडिंग के अनुसार रू0 822839-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल

एमबी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति हैण्डपम्पों जिनकी हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संधिग्द एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 822839-00 की वसूली माय ब्याज के दीपक कुमार शर्मा तत्कालीन सचिव एवं श्री सुन्द्रर प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है। संबंदगीत अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

<u>136- ग्राम पंचायत जैदपुरा विकास खंड –टप्पल</u>

<u>प्रस्तर 197-</u> ग्राम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 20-03-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनलाइन आंकड़ो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार अधिक एवं लिखितरूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09:04:2023 को दिनांक 19-04-23 तक ऑनलाइन फीर्डिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये । आनन फीर्डिंग के अनुसार रू0 1782138-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल

एमबी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति हैण्डपम्पों जिनकी हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संधिग्द एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 1782138-00 की वसूली मय ब्याज के श्री नारायण तत्कालीन सचिव एवं श्री योगेश प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है। संबंदगीत अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

<u>137- ग्राम पंचायत करनपुर विकास खंड –टप्पल</u>

<u>प्रस्तर 198-</u> ग्राम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 25-03-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनलाइन आंकड़ो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार अधिक एवं लिखितरूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09:04:2023 को दिनांक 19-04-23 तक ऑनलाइन फीर्डिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये । आनन फीर्डिंग के अनुसार रू0 2514426-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल

एमबी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति हैण्डपम्पों जिनकी हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संधिग्द एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 2514426-00 की वसूली मय ब्याज के श्री रामजी लाल तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती कीरती देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है। संबंदगीत अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

<u>138- ग्राम पंचायत कीलपुर विकास खंड –टप्पल</u>

<u>प्रस्तर 199-</u> ग्राम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 20-01-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनलाइन आंकड़ो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार अधिक एवं लिखितरूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09:04:2023 को दिनांक 19-04-23 तक ऑनलाइन फीर्डिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये । आनन फीर्डिंग के अनुसार रू0 1767800-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल

एमबी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति हैण्डपम्पों जिनकी हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संधिग्द एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा

परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 1767800-00 की वसूली मय ब्याज के श्री दीपक कुमार शर्मा तत्कालीन सचिव एवं श्री प्रवीण कुमार वर्मा प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है। संबंदगीत अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

139- ग्राम पंचायत खेडिया खुर्द विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 200- ग्राम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 23-02-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनलाइन आंकड़ो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार अधिक एवं लिखितरूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09:04:2023 को दिनांक 19-04-23 तक ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये । आनन फीडिंग के अनुसार रू0 1316508-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल एमबी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति हैण्डपम्पों जिनकी हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संधिग्द एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 1316508-00 की वसूली मय ब्याज के श्री केशव देव तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती राजेश देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है। संबंदगीत अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

140- ग्राम पंचायत लालपुर रायातपुर विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 201- ग्राम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 25-03-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनलाइन आंकड़ो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार अधिक एवं लिखितरूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09:04:2023 को दिनांक 19-04-23 तक ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये । आनन फीडिंग के अनुसार रू0 4741395-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल एमबी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति हैण्डपम्पों जिनकी हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संधिग्द एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 4741395-00 की वसूली मय ब्याज के श्री रामजी लाल तत्कालीन सचिव एवं श्रीमती मूर्ति देवी प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है। संबंदगीत अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

141- ग्राम पंचायत नगला खुर्द विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 202- ग्राम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 28-02-23को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनलाइन आंकड़ो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार अधिक एवं लिखितरूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09:04:2023 को दिनांक 19-04-23 तक ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये । आनन फीडिंग के अनुसार रू0 284937-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के

सापेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल एमबी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति हैण्डपम्पों जिनकी हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संधिग्द एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 284937-00 की वसूली मय ब्याज के श्री मधुप तत्कालीन सचिव एवं श्री मुनेन्द्र सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है। संबंदगीत अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

142- ग्राम पंचायत निगना सिंगुना विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 203- ग्राम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 28-02-2022 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनलाइन आंकड़ो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार अधिक एवं लिखितरूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09:04:2023 को दिनांक 19-04-23 तक ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये । आनन फीडिंग के अनुसार रू0 717402-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल एमबी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति हैण्डपम्पों जिनकी हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संधिग्द एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 717402-00 की वसूली मय ब्याज के श्री मधुप तत्कालीन सचिव एवं श्री कपिल कुमार प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है। संबंदगीत अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

143- ग्राम पंचायत सालपुरविकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 204- ग्राम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 20-10-2022 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनलाइन आंकड़ो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार अधिक एवं लिखितरूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09:04:2023 को दिनांक 19-04-23 तक ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये । आनन फीडिंग के अनुसार रू0 4670738-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल एमबी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति हैण्डपम्पों जिनकी हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संधिग्द एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 4670738-00 की वसूली मय ब्याज के श्री दीपक कुमार शर्मा तत्कालीन सचिव एवं श्री काली चरण प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है। संबंदगीत अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

144- ग्राम पंचायत शादीपुर विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 205- ग्राम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 29-06-22 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनलाइन आंकड़ो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार अधिक एवं लिखितरूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09:04:2023 को दिनांक 19-04-23 तक ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये । आनन फीडिंग के अनुसार रू0 1262014-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल एमबी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति हैण्डपम्पों जिनकी हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संधिग्द एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 1262014-00 की वसूली मय ब्याज के श्री रोहित तत्कालीन सचिव एवं श्री विजेंद्र प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है। संबंदगीत अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

145-ग्राम पंचायत शाहनगर सारोल विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 206- ग्राम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 27-03-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनलाइन आंकड़ो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार अधिक एवं लिखितरूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09:04:2023 को दिनांक 19-04-23 तक ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये । आनन फीडिंग के अनुसार रू0 873961-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल एमबी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति हैण्डपम्पों जिनकी हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संधिग्द एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 273961-00 की वसूली मय ब्याज के श्री यशपाल तत्कालीन सचिव एवं श्री दुष्यंत सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है। संबंदगीत अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

146- ग्राम पंचायत सिमरोठ विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 207- ग्राम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 23-09-22 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आनलाइन आंकड़ो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार अधिक एवं लिखितरूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09:04:2023 को दिनांक 19-04-23 तक ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दर्शाते हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परन्तु अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग जिन ग्राम पंचायतो के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गये । आनन फीडिंग के अनुसार रू0 2194869-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर मास्टररोल एमबी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति हैण्डपम्पों जिनकी हुई का स्थत हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एक सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराषि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतः संधिग्द एवं आहरित घनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में

प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 2194869-00 की वसूली मय ब्याज के श्री अनिल शर्मा तत्कालीन सचिव एवं श्री दिलीप कुमार शर्मा प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है। संबंदगीत अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

147- ग्राम पंचायत उसरा रसूलपुर विकास खंड –टप्पल

ग्राम पंचायत उसरा रसूलपुर अधिभार प्रतिवेदन की आपतियों का विवरण :-

प्रस्तर 208-वर्ष 2021-22 में निम्न विवरण के अनुसार हैंडपंप मरम्मत हेतु धन अपहरण किया गया।

क्रमांक	दिनांक	योजना	सामग्री	मजदूरी
1	14-07-2021	राज्य वित्त	12079-00	--
2	14-07-2021	राज्य वित्त	7350-00	--
3	14-07-2021	राज्य वित्त	6027-00	--
4	23-07-2021	राज्य वित्त	15462-00	--
5	23-07-2021	राज्य वित्त	15186-00	--
6	23-07-2021	राज्य वित्त	7969-00	--
7	04-08-2021	राज्य वित्त	22080-00	9600-00
8	04-08-2021	राज्य वित्त	22089-00	--
9	03-09-2021	राज्य वित्त	12726-00	--
10	25-11-2021	राज्य वित्त	--	19700-00
		योग	122973-00	29300-00
11	01-12-2022	केद्रिय वित्त	22500-00	5000-00
12	01-12-2022	केद्रिय वित्त	22500-00	--
13	21-03-2022	केद्रिय वित्त	12072-00	--
14	21-03-2022	केद्रिय वित्त	11188-00	--
15	30-03-2022	केद्रिय वित्त	12413-00	--
16		योग	80673-00	5000-00
		कुल योग	203646-00	34300-00

उक्त विवरण अनुसार कुल 203646-00 की सामग्री एवं 34300-00 मजदूरी पर व्यय किया गया उक्त सूची में अधिकतर तिथियों में बिना मजदूरी के मात्र सामग्री से ही हैण्डपंप मरम्मत हुई है जो असम्भव है हैण्डपंप के लाभार्तियो के द्वारा हैण्ड पंप खराब होने की सूचना एवं उनके ठीक होने का प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी की किन स्थलों पर हैण्ड पंप खराब हैं जिनकी मरम्मत होना है एवं वर्ष में कितने हैण्डपंप की मरम्मत हुई है इसके अतिरिक्त सामग्री क्रय का वाउचर मजदूरी रसीद जल सञ्चालन समिति की संस्तुति आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा दिनांक 25-11-21 को 19700-00 हैण्ड पम्प रीबोर हेतु मजदूरी व्यय दर्शित है जबकि रीबोर हेतु सामग्री क्रय ही नहीं की गई एवं हैंडपंप जहाँ रीबोर किया जा रहा वहां पर पहले हैंडपंप स्थापित था का कोई प्रमाण नहीं है और हैंडपंप रीबोर का प्राकलन तकनिकी प्रशासनिक सविक्रती वर्क आई डी व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं होती है। अत: कुल रु 257646-00 की वसूली मय ब्याज के श्री मधूप तत्कालीन सचिव एवं श्री सुधीर पल सिंह प्रधान से वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर 209-ग्राम पंचायत में सफाई एंटी लार्वा एवं सेनेटाईजेशन पर निम्न तिथियों को अत्यधिक व्यय दर्शा कर धन का अपहरण किया गया।

क्रमांक	दिनांक	योजना	कार्य का विवरण	धनराशी
1	01-10-2021	राज्य वित्त	ग्राम पंचायत में एंटी लार्वा स्प्रे	26100-00
2	06-10-2021	राज्य वित्त	ग्राम पंचायत में सफाई	26100-00
3	10-11-2021	राज्य वित्त	फागिंगं कार्य	28500-00
			योग	80700-00
4	26-07-2021	केद्रिय वित्त	4425-00	4425-00
5	22-08-2021	केद्रिय वित्त	ग्राम पंचायत में एंटी लार्वा स्प्रे	26650-00
6	27-08-2021	केद्रिय वित्त	ग्राम पंचायत में एंटी लार्वा स्प्रे	21000-00
7	27-08-2021	केद्रिय वित्त	ग्राम पंचायत में एंटी लार्वा स्प्रे	24300-00
8	13-09-2021	केद्रिय वित्त	ग्राम पंचायत में एंटी लार्वा स्प्रे	26550-00
9	14-09-2021	केद्रिय वित्त	फागिंगं कार्य	20880-00
10	15-09-2021	केद्रिय वित्त	ग्राम पंचायत में सफाई	22040-00
11	01-10-2021	केद्रिय वित्त	फागिंगं कार्य	30000-00
12	04-10-2021	केद्रिय वित्त	ग्राम पंचायत में सफाई	25230-00
13	13-10-2021	केद्रिय वित्त	ग्राम पंचायत में सफाई	30500-00

14	18-10-2021	केद्रिय वित्त	ग्राम पंचायत में एंटी लार्वा स्प्रे	31000-00
			योग	262575-00
			कुल योग	343275-00

उक्त व्यय का भुगतान प्रधान या किसी अपने व्यक्ति को कर नकद भुगतान किया गया जबकि रु2000-00से अधिक का भुगतान चेक या ऑनलाइन करना था उक्त भुगतान सम्बंधित के बैंक खातो में किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया इन भुगतानों से सम्बंधित प्रमाणक एवं अव्यषक आवयशक निर्देशों से सम्बन्धित आदेश लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये इन स्थितियो से सपष्ट है की आहरित धनराशी को समायोजित करने हेतु व्यय दर्शा कर अपहरण किया गया। अत रु 343275-00 की वसूली मय ब्याज के श्री मधूप व श्री सुधीर पल सिंहप्रधान से किया जाना अपेक्षित है।

148- ग्राम पंचायत उटवारा विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 210-24-3- 23 को रु० 58182-00 का आहरण जो दिनांक 30-03-23 को रिजेक्ट होकर खाते में वापस ये तदुपरांत 30-03-23
को लकिया गया जिसकी केशबुक में किस मद में व्यय किया गया अंकित नहीं और न ही इस आहरित/भुगतान के सापेक्ष कोई प्रमानक लेखा परीक्षा में परस्तुत रहे जो यह दर्शाता है कि रू० 58182-00 का अपहरण किया गया। अतः रु० 58182-00 अतःवर श्री नारायण कुमार सचिव एवं श्री रवि कुमार प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। विश्वम

149- ग्राम पंचायत फेजुआका विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 211-वर्ष 21-22 में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय रु० 1008798-00 किया गया है जिसके सापेक्ष पत्रावती वाउचर एवं संबन्धित अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उक्त व्यय की सम्बंधित अभिलेख उपलभ्द न कराये जाने के कारण व्यय अपुष्ट रहा। अतः ग्राम पंचायत लेखा मेनुक्ल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार अपहरण मानते हुए श्री तोताराम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव से मय ब्याज के वसूल किया जाना अपेक्षित है। । एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलध्द ना करने हेतु श्री अनिल शर्मा से किया जाना अपेक्षित रहा।

150-ग्राम पंचायत नगला गोरोला विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 212-ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 18-03-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में ऑनलाइन फीडिंग आंकड़ों की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09-04-2023 को दिनांक 19-02-23 तक आनलाईन फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दशति हुए उससे सम्बन्धित चाहे गये अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को विकास खण्ड में सचिव की मीटिंग मे जिन ग्राम पंचायतों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को रात हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गए ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार रू0 770816-00 का व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के सापेक्ष अभिलेख यथा प्रस्ताव, कार्ययोजना, प्राकलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउतचर, मास्टररोल,एम0बी0, कार्यपुर्ती प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों जिनकी मरम्मत हुई का स्थल हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर की मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पजी एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतया संधिक्त एवं आहरित धनराषि को समायोजित कर धन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 के अन्तर्गत रू0 770816-00 की वसूली माय ब्याज के श्री मेहर सिंह सचिव एवं श्री यादवेन्द्र सिंह प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि संबन्धित अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा

151- ग्राम पंचायत तकीपुर विकास खंड –टप्पल

प्रस्तर 213-ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु दिनांक 20-03-23 को कार्यक्रम निर्धारित हुआ जिसके परिपालन में आन देय आंकडो की लेखा परीक्षा कर उससे सम्बन्धित आफलाइन अभिलेख एवं व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराने हेतु वर्ष दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप में अपेक्षा की गई। वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त दिनांक 09-04-2023 को दिनांक 19:04-23 को आनलाई फीडिंग के अनुसार आहरित धनराशि दशति हुए उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु चाहे गये परंतु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये। अन्तिम बार दिनांक 06.00.2023 को विकास खण्ड में सचिव की ग्राम पंचायतों के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए एक सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी को उपलभ्द कराते हुए अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई। प्रयाप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये गए। ऑनलाइन फौडिग के अनुसार रू0 1174979-00 का व्यप किया गया। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्यों एवं विविध व्ययों के समस्त अभिलेख यथा- प्रस्ताव कार्ययोजना, प्राकलन्, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति, बाउचर, मास्टररोल, एम0 बी0 कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र सामग्री आपूर्ति हेतु कोटेषन/ टेण्डर, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, हैण्डपम्पों निका भर हुई का स्थल हैण्ड पम्प खराब होने की ग्राम वासियों का प्रार्थना पत्र प्रधान, पचायत सहायक, शौचालय केयर टेकर के भुगतान के मानदेय की प्राप्ति रसीद एवं क्रय सामग्री के बाउचर एवं यदि गौशाला सेवक होने की स्थिति में गौशाला मानदेय पंजी एवं उससे सम्बिन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त आहरित

धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय पूर्णतया संधिग्ध एवं आहरित धनराषि को समायोजित कर घन का अपहरण किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना किए जाने के कारण ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत रू0 1174979-00 की वसूली मय मार सिंह सचिव एवं श्री प्रमोद कुमार प्रधान से किया जाना अपेक्षित रहा। अभिलेख उपलब्ध न कराने से स्पष्ट है कि कोई अभिलेख नहीं है जिस हेतु विभागीय आवष्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

152-ग्राम पंचायत बुलापुर <u>विकास खंड- बिजौली</u>

<u>प्रस्तर 214- -मस्टर रोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना</u>

ग्राम-पंचायत बुलापुर में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर ग्राम पंचायत बुलापुर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/ बाउचर बार- बार माँगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/	विवरण	धनराशि
1	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/1	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	11489	13	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/8	माँ फ़र्निचर शो रूम~एजेंसी	19388
2	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/4	सुनील कंस्ट्रक्शन#38सुप्लेयर~एजेंसी	117174	14	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/9	माँ फ़र्निचर शो रूम~एजेंसी	16768
3	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/16	राधे हार्डवेयर और सैंट्री स्टोर~एजेंसी	18410	15	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/13	राधे हार्डवेयर और सैंट्री स्टोर~एजेंसी	18610
4	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/6	डिजिटल सेवा केंद्र~एजेंसी	2000	16	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/15	एम#47एस बीके ट्रेडर्स~एजेंसी	76400
5	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/21	जय गोपाल एस एच जी~एजेंसी	18000	17	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/17	एम#47एस बीके ट्रेडर्स~एजेंसी	75000
6	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/27	राजू हैण्ड पंप सर्वेश~एजेंसी	13818	18	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/19	माँ फ़र्निचर शो रूम~एजेंसी	43424
7	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/9	राधे हार्डवेयर और सैंट्री स्टोर~एजेंसी	9345	19	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/20	राजू हैण्ड पंप सर्वेश~एजेंसी	15250
8	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/28	राजू हैण्ड पंप सर्वेश~एजेंसी	12600	20	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/21	राजू हैण्ड पंप सर्वेश~एजेंसी	15430
9	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/29	राजू हैण्ड पंप सर्वेश~एजेंसी	11550	21	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/32	मास्टर जी और कंपनी~एजेंसी	3240
10	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/5	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	21940	22	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/27	राशि कंप्यूटर~एजेंसी	66000
11	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/7	एम#47एस बीके ट्रेडर्स~एजेंसी	20015	23	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/23	एम#47एस बीके ट्रेडर्स~एजेंसी	16000
12	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/10	माँ फ़र्निचर शो रूम~एजेंसी	19965			**योग**	**641816**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का

मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० **641816-00** की मय ब्याज के वसूलीश्री रामकिशन ग्राम प्रधान , श्री श्री रंजीत सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।|

<u>प्रस्तर 215- मस्टर रोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना</u>

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त मस्टर रॉल तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित मस्टर रॉल बार-बार मॉगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	
1	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/2	मस्टर रोल	7200	18	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/28	मस्टर रोल	3000
2	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/5	मस्टर रोल	14170	19	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/29	मस्टर रोल	4500
3	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/7	मस्टर रोल	8415	20	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/30	मस्टर रोल	10000
4	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/8	मस्टर रोल	3520	21	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/6	मस्टर रोल	9300
5	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/10	मस्टर रोल	7000	22	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/11	मस्टर रोल	510
6	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/11	मस्टर रोल	5220	23	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/12	मस्टर रोल	13714
7	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/12	मस्टर रोल	5220	24	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/16	मस्टर रोल	10200
8	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/13	मस्टर रोल	1600	25	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/16	मस्टर रोल	7410
9	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/14	मस्टर रोल	10500	26	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/18	मस्टर रोल	11100
10	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/15	मस्टर रोल	13714	27	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/18	मस्टर रोल	7020
11	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/17	मस्टर रोल	510	28	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/20	मस्टर रोल	3000
12	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/18	मस्टर रोल	1420	29	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/21	मस्टर रोल	3000
13	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/19	मस्टर रोल	4500	30	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/22	मस्टर रोल	4250
14	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/24	मस्टर रोल	1005	31	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/24	मस्टर रोल	15400
15	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/25	मस्टर रोल	750	32	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/25	मस्टर रोल	2500
16	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/26	मस्टर रोल	7000	33	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/26	मस्टर रोल	19860
17	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/27	मस्टर रोल	4800		**योग**		**221308**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररॉल उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। रु० **221308.00** की मय ब्याज के वसूलीश्री रामकिशन ग्राम प्रधान , श्री रंजीत सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

153-ग्राम पंचायत सिहानी फरीदपुर <u>विकास खंड- बिजौली</u>

<u>प्रस्तर 216-</u> - ग्राम पंचायत सिहानी फरीदपुर द्वारा आलोच्य अवधि में ई ग्राम स्वराज /प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वित्त मद से रुपए- 1934587.00 का व्यय दर्शित किया गया है| उक्त दर्शित व्यय के

वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टर रोल, ट्रांसफर विवरण) ,मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे - प्रमाणित कोशबही ,बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/ आरेख ,स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां ,कार्य की माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/ आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात ना की जा सकी|

अतः मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) यह कि यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरुद्ध ई ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपए- 1934587.00 में से 50% धनराशि रुपए- 967293.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री देवेंद्र यादव से तथा शेष 50% धनराशि रुपए- 967293.00 सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी)- श्री राजीव यादव से जांचोपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|

बैंक पासबुक तथा मूल कोशबही अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा |ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट में दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किए जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है |

154-- ग्राम पंचायत रामनगर --- <u>विकास खंड- बिजौली</u>

<u>प्रस्तर 217</u> -<u>मस्टर रोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना:--</u>

ग्राम-पंचायत रामनगर में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त मस्टर रॉल तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर ग्राम पंचायत रामनगर में वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित मस्टर रॉल बार- बार मॉगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	पंद्रहवीं एफ.सी. /2021-22/पी/37	मस्टर रोल	750	22	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/36	मस्टर रोल	10500
2	पंद्रहवीं एफ.सी. /2021-22/पी/20	मस्टर रोल	17820	23	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/12	मस्टर रोल	14030
3	पंद्रहवीं एफ.सी /2021-22/पी/38	मस्टर रोल	1005	24	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/14	मस्टर रोल	14030
4	पंद्रहवीं एफ.सी /2021-22/पी/4	मस्टर रोल	13400	25	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/16	मस्टर रोल	13714
5	पंद्रहवीं एफ.सी /2021-22/पी/6	मस्टर रोल	5700	26	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/18	मस्टर रोल	13714
6	पंद्रहवीं एफ.सी /2021-22/पी/22	मस्टर रोल	14030	27	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/34	मस्टर रोल	22890
7	पंद्रहवीं एफ.सी /2021-22/पी/24	मस्टर रोल	13714	28	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/23	मस्टर रोल	7000
8	पंद्रहवीं एफ.सी /2021-22/पी/25	मस्टर रोल	7840	29	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/24	मस्टर रोल	14000
9	पंद्रहवीं एफ.सी /2021-22/पी/40	मस्टर रोल	3300	30	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/3	मस्टर रोल	7000
10	पंद्रहवीं एफ.सी /2021-22/पी/30	मस्टर रोल	8220	31	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/19	मस्टर रोल	14030
11	पंद्रहवीं एफ.सी /2021-	मस्टर रोल	5400	32	फिफ़्थएसएफसी/2021-	मस्टर रोल	7000

	22/पी/39				22/पी/11		
12	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/44	मस्टर रोल	6750	33	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/12	मस्टर रोल	6960
13	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/45	मस्टर रोल	18450	34	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/20	मस्टर रोल	14000
14	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/46	मस्टर रोल	14220	35	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/21	मस्टर रोल	10500
15	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/47	मस्टर रोल	18660	36	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/13	मस्टर रोल	7000
16	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/31	मस्टर रोल	580	37	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/15	मस्टर रोल	4400
17	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/32	मस्टर रोल	12220	38	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/26	मस्टर रोल	6000
18	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/33	मस्टर रोल	12000	39	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/2	मस्टर रोल	10310
19	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/28	मस्टर रोल	510	40	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/17	मस्टर रोल	14030
20	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/28	मस्टर रोल	510	41	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/22	मस्टर रोल	22890
21	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/36	मस्टर रोल	17100		**योग**		**426177**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररॉल उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० **426177.00** की मय ब्याज के वसूलीश्रीमती श्रीवतीग्राम प्रधान , श्री अजय प्रकाशसंतग्राम पंचायत अधिकारीसे की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 218 - बाउचरर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना</u>

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/ बाउचर बार- बार मॉगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/23	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19210	11	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/35	रे सिंह बुलडिंग मेटेरियल~एजेंसी	87445
2	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/19	ध्रुव एंटरप्राइजेज~एजेंसी	72887	12	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/11	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	21815
3	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/5	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19507	13	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/17	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19910
4	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/21	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	21815	14	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/13	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	21815
5	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/40	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	17420	15	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/15	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19210
6	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/7	एमए फर्नीचर शोरूम~एजेंसी	66848	16	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/18	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	21815

7	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/39	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	17657	17	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/14	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19850
8	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/26	चिराग इंटरप्राइजेज~एजेंसी	99120	18	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/1	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18550
9	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/43	फेथ कम्प्यूटर~एजेंसी	66000	19	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/16	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	21815
10	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/10	एमए फर्नीचर शोरूम~एजेंसी	52392			**योग**	**705081**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० **705081-00** की मय ब्याज के वसूलीश्रीमती श्रीवतीग्राम प्रधान , श्री अजय प्रकाशसंतग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।|

155-- ग्राम पंचायत – तोछी <u>विकास खंड- बिजौली</u>

<u>प्रस्तर 219 - बाउचरर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना</u>

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/ बाउचर बार- बार माँगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/7	एमएस शर्मा ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	108890	14	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/4	माँ फ़र्निचर शोरूम~एजेंसी	18800
2	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/2	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18510	15	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/5	माँ फ़र्निचर शोरूम~एजेंसी	19800
3	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/19	सिंघल ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	69405	16	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/6	माँ फ़र्निचर शोरूम~एजेंसी	18000
4	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/12	नवयुग पावर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड~एजेंसी	145000	17	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/7	माँ फ़र्निचर शोरूम~एजेंसी	14500
5	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/13	सिंघल ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	72011	18	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/8	जोशी कला सेवा~एजेंसी	16708
6	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/18	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19977	19	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/12	माँ फ़र्निचर शोरूम~एजेंसी	18054
7	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/4	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	1350	20	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/37	रे सिंह भवन निर्माण सामग्री~एजेंसी	93441
8	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/9	सिंघल ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	151662	21	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/1	यश बिल्डकॉन~एजेंसी	135682
9	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/10	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	16524	22	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/13	रामगोपाल बिल्डिंग मटेरियल~एजेंसी	11537
10	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/14	सिंघल ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	66793	23	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/24	एम#47एस माधवन सेल्स~एजेंसी	4000
11	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/15	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	30230	24	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/36	राशि कंप्यूटर~एजेंसी	66000
12	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/17	माँ फ़र्निचर शोरूम~एजेंसी	25960			**योग**	**1164546**

13	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/18	माँ फ़र्निचर शोरूम~एजेंसी	21712				

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० **1164546-00** की वसूली मय ब्याज के श्रीमती रेनू शर्मा , **प्रधान एवं** श्री सोनवीर सिंह, **ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।**

156--पाली मुकीमपुर – विकास खंड- बिजौली

प्रस्तर 220- ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/ बाउचर बार- बार मॉगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/23	एम#47एस राठी इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक~एजेंसी	12243	23	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/53	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	13720
2	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/24	एम#47एस राठी इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक~एजेंसी	1344	24	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/40	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	4512
3	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/25	एम#47एस राठी इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक~एजेंसी	5664	25	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/52	सुनील कंस्ट्रक्शन#38सुप्लेयर~एजेंसी	82093
4	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/13	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	9163	26	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/55	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	12820
5	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/26	सिंघल ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	13700	27	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/33	सुनील कंस्ट्रक्शन#38सुप्लेयर~एजेंसी	16000
6	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/41	श्री बाला जी इंटरप्राइजेज~एजेंसी	140300	28	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/46	राशि कंप्यूटर~एजेंसी	66000
7	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/1	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18360	29	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/59	माँ फर्नीचर शोरूम~एजेंसी	4700
8	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/10	सुनील कंस्ट्रक्शन#38सुप्लेयर~एजेंसी	34457	30	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/50	मुखिया जी ट्रेडिंग कंपनी~एजेंसी	134145
9	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/43	श्री बाला जी इंटरप्राइजेज~एजेंसी	148329	31	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/42	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	29915
10	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/45	श्री बाला जी इंटरप्राइजेज~एजेंसी	189800	32	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/12	माँ फर्नीचर शोरूम~एजेंसी	19740
11	फिफ़्थएसएफसी/2021-	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	17598	33	पंद्रहवीं	माँ फर्नीचर शोरूम~एजेंसी	18960

	22/पी/3				एफ.सी./2021-22/पी/13		
12	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/44	श्री बाला जी इंटरप्राइजेज~एजेंसी	170668	34	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/7	राधे हार्डवेयर और सैंट्री स्टोर~एजेंसी	12826
13	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/5	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	7560	35	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/8	राधे हार्डवेयर और सैंट्री स्टोर~एजेंसी	19666
14	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/46	श्री बाला जी इंटरप्राइजेज~एजेंसी	185500	36	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/9	राधे हार्डवेयर और सैंट्री स्टोर~एजेंसी	8053
15	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/9	सुनील कंस्ट्रक्शन#38सुप्लेयर~एजेंसी	34450	37	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/11	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19500
16	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/47	श्री बाला जी इंटरप्राइजेज~एजेंसी	158100	38	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/62	मास्टर जी और कंपनी~एजेंसी	4220
17	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/22	बोडमास सिस्टम #38 प्रौद्योगिकी~एजेंसी	97704	39	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/14	माँ फर्नीचर शोरूम~एजेंसी	4484
18	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/24	बोडमास सिस्टम #38 प्रौद्योगिकी~एजेंसी	48262	40	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/16	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19900
19	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/25	माँ फर्नीचर शोरूम~एजेंसी	43424	41	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/17	सिंघल ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	16150
20	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/31	सुनील कंस्ट्रक्शन#38सुप्लेयर~एजेंसी	16000	42	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/34	सिंघल ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	67500
21	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/37	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18810	43	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/19	सिंघल ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	15450
22	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/39	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	9339	44	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/28	पंचयत उधोग मजूर गाडी~एजेंसी	18750
						योग	**1989879**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: धनराशि रु० **1989879-00** की वसूली मय ब्याज के श्री राजपाल सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री रंजीत सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर 221- मस्टर रोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना</u>

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त मस्टर रॉल तथा नियमों में अपेक्षित समस्त

अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित मस्टर रॉल बार-बार मॉगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/18	मस्टर रोल	15370	31	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/47	मस्टर रोल	17550
2	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/30	मस्टर रोल	21000	32	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/3	मस्टर रोल	4150
3	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/14	मस्टर रोल	8800	33	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/38	मस्टर रोल	13700
4	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/19	मस्टर रोल	8250	34	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/39	मस्टर रोल	300
5	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/29	मस्टर रोल	7000	35	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/40	मस्टर रोल	1200
6	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/38	मस्टर रोल	17000	36	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/41	मस्टर रोल	3420
7	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/39	मस्टर रोल	6000	37	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/47	मस्टर रोल	1020
8	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/40	मस्टर रोल	7000	38	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/51	मस्टर रोल	26700
9	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/34	मस्टर रोल	7000	39	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/51	मस्टर रोल	16920
10	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/27	मस्टर रोल	7200	40	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/52	मस्टर रोल	21840
11	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/28	मस्टर रोल	1100	41	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/54	मस्टर रोल	2400
12	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/42	मस्टर रोल	29280	42	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/56	मस्टर रोल	3300
13	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/43	मस्टर रोल	31950	43	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/42	मस्टर रोल	5400
14	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/44	मस्टर रोल	19110	44	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/43	मस्टर रोल	15960
15	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/44	मस्टर रोल	25800	45	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/44	मस्टर रोल	8680
16	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/45	मस्टर रोल	27000	46	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/26	मस्टर रोल	19130
17	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/45	मस्टर रोल	19890	47	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/4	मस्टर रोल	7200
18	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/20	मस्टर रोल	3500	48	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/5	मस्टर रोल	11200
19	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/21	मस्टर रोल	15000	49	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/6	मस्टर रोल	4500
20	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/22	मस्टर रोल	5500	50	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-	मस्टर रोल	7500

					22/पी/10		
21	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/11	मस्टर रोल	6940	51	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/15	मस्टर रोल	8100
22	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/12	मस्टर रोल	35000	52	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/18	मस्टर रोल	6930
23	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/2	मस्टर रोल	4800	53	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/20	मस्टर रोल	6670
24	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/4	मस्टर रोल	6900	54	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/35	मस्टर रोल	10200
25	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/6	मस्टर रोल	900	55	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/35	मस्टर रोल	6480
26	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/7	मस्टर रोल	4060	56	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/27	मस्टर रोल	6120
27	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/8	मस्टर रोल	3240	57	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/29	मस्टर रोल	5800
28	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/46	मस्टर रोल	28200	58	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/36	मस्टर रोल	15000
29	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/46	मस्टर रोल	21060			**योग**	**675520**
30	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/47	मस्टर रोल	24300				

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररॉल उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: धनराशि रु० **675520-00** की वसूली मय ब्याज के श्री रामपाल सिंह ग्राम प्रधान एवं श्री रंजीत सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

157--कल्याण नगर – <u>विकास खंड- बिजौली</u>

<u>प्रस्तर 222</u>- बाउचरर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/ बाउचर बार- बार माँगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/6	एम#47एस शर्मा ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	72798
2	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/6	एम#47एस शर्मा ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	116213
3	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/6	एम#47एस शर्मा ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	38876

4	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/2	सृष्टि ट्रेडर्स~एजेंसी	70790
5	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/4	माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	5800
6	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/6	एम#47एस शर्मा ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	251321
		योग	**555798**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० 555798-00 की वसूली मय ब्याज के **श्री हीरा लाल वर्मा ,प्रधान एवं श्री सोनवीर , ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 223- मस्टर रोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त मस्टर रॉल तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित मस्टर रॉल बार- बार मॉगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/3	मस्टर रोल	17240
2	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/5	मस्टर रोल	1500
3	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/15	मस्टर रोल	10000
4	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/17	मस्टर रोल	10000
5	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/7	मस्टर रोल	2500
		योग	**41240**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररॉल उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० 41240-00 की वसूली मय ब्याज के **श्री हीरा लाल वर्मा ,प्रधान एवं श्री सोनवीर , ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।**

158--धुर्रा टोडरपुर विकास खंड- बिजौली

प्रस्तर 224 - बाउचरर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना--ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/ बाउचर बार- बार मॉगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/12	एमएस शर्मा ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	142306	9	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/6	लोहिया मटेरियल #38 सेनेटरी स्टोर~एजेंसी	19500
2	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/5	पवन ट्रेडर्स~एजेंसी	42624	10	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/4	लोहिया मटेरियल #38 सेनेटरी स्टोर~एजेंसी	11812
3	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/8	लोहिया मटेरियल #38 सेनेटरी स्टोर~एजेंसी	13530	11	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/10	मयंक आयरन स्टोर~एजेंसी	9538
4	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/6	विनोद ट्रेडर्स~एजेंसी	78866	12	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/14	नवयुग पावर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड~एजेंसी	145140

5	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/15	गौरी बिल्डर्स और बिल्डिंग मटेरियल~एजेंसी	161137	13	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/15	नवयुग पावर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड~एजेंसी	48950
6	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/25	जोशी कला सेवा~एजेंसी	26585	14	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/7	लोहिया मटेरियल #38 सेनेटरी स्टोर~एजेंसी	10000
7	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/26	माँ फ़र्निचर शोरूम~एजेंसी	32568	15	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/8	माँ फ़र्निचर शोरूम~एजेंसी	79800
8	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/27	आशु बुक डिपो~एजेंसी	10500	16	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/9	माँ फ़र्निचर शोरूम~एजेंसी	8750
						योग	**841606**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० **841606**-00 की वसूली मय ब्याज के **श्री धनवेश ,प्रधान एवं श्री सोनवीर , ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 225-- मस्टर रोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त मस्टर रॉल तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित मस्टर रॉल बार-बार मॉगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/3	मस्टर रोल	18490
2	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/4	मस्टर रोल	2640
3	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/13	मस्टर रोल	76420
4	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/2	मस्टर रोल	20200
5	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/2	मस्टर रोल	16400
6	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/3	मस्टर रोल	3500
7	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/23	मस्टर रोल	3500
8	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/5	मस्टर रोल	3500
9	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/13	मस्टर रोल	3500
10	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/16	मस्टर रोल	3500
11	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/11	मस्टर रोल	3500
12	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/32	मस्टर रोल	5000
13	फिफ़्थएसएफसी/2021-	मस्टर रोल	3500

	22/पी/17		
14	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/30	मस्टर रोल	5000
15	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/19	मस्टर रोल	27030
		योग	**195680**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररॉल उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा अत: रु० **195680**-00 की वसूली मय ब्याज के **श्री धनवेश ,प्रधान एवं श्री सोनवीर , ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।**

159--दरी अलावलपुर – विकास खंड- बिजौली

प्रस्तर 226- - बाउचरर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/ बाउचर बार- बार माँगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/2	पवन कुमार इंटरप्राइजेज~एजेंसी	3280
2	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/6	एमए फर्नीचर शोरूम~एजेंसी	10155
3	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/5	एमएस माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	10760
4	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/3	एमएस माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18201
5	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/15	एमएस माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19150
6	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/17	एमएस शर्मा ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	65070
7	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/10	एमएस माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	30530
8	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/8	एमएस माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	15200
9	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/8	एमएस माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	8905
10	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/8	एमएस माहेश्वरी मशीनरी स्टोर~एजेंसी	15000
		योग	**196251**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० **196251.00**की वसूली मय ब्याज के श्री राजकुमार ग्राम प्रधान , श्री रोहन सिंह , ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 227 - मस्टर रोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त मस्टर रॉल तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित मस्टर रॉल बार-बार मॉगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/3	मस्टर रोल	12600	18	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/11	मस्टर रोल	7800
2	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/4	मस्टर रोल	21900	19	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/11	मस्टर रोल	5200
3	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/5	मस्टर रोल	12000	20	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/9	मस्टर रोल	32500
4	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/10	मस्टर रोल	8400	21	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/6	मस्टर रोल	3000
5	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/10	मस्टर रोल	8400	22	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/7	मस्टर रोल	9280
6	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/10	मस्टर रोल	4200	23	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/4	मस्टर रोल	10310
7	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/10	मस्टर रोल	5600	24	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/18	मस्टर रोल	4000
8	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/10	मस्टर रोल	4200	25	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/18	मस्टर रोल	3300
9	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/10	मस्टर रोल	5600	26	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/18	मस्टर रोल	3300
10	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/10	मस्टर रोल	4200	27	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/18	मस्टर रोल	3000
11	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/10	मस्टर रोल	5600	28	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/18	मस्टर रोल	4000
12	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/11	मस्टर रोल	3900	29	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/11	मस्टर रोल	12714
13	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/11	मस्टर रोल	5200	30	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/9	मस्टर रोल	1200
14	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/11	मस्टर रोल	5200	31	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/9	मस्टर रोल	1800
15	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/11	मस्टर रोल	3900	32	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/9	मस्टर रोल	1800
16	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/11	मस्टर रोल	7800	33	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/16	मस्टर रोल	6000
17	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/11	मस्टर रोल	3900			**योग**	**231804**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररॉल उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के

अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० **231804-00** की वसूली मय ब्याज के श्री राजकुमार ग्राम प्रधान , श्री रोहन सिंह , ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

160--दादों – **विकास खंड- बिजौली**

प्रस्तर 228 -ग्राम पंचायत दादों की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेण्ट के अतिरिक्त व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष अन्य कोई अभिलेख यथा निर्माण कार्यो की पत्रावलियां, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, मानदेय पंजी, शौचालय केयर टेकर की नियुक्ति किये जाने की गाइड लाइन एवं नियुक्ति आदेश, स्टाक पंजी, डेडस्टाक पंजी, ग्राम पंचायत के लगे हैण्ड पम्पों की सूची स्थलवार एवं रीबोर हैण्ड पम्प की पूर्व में लगे हैण्ड पम्प की स्थलवार सूची, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, ग्राम में लगे पैठ से आय एवं सम्बन्धित भूप्रबन्धन से सम्बन्धित अभिलेख आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये जिससे वर्ष मे किये गये व्यय की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में नही होती है।

अतः वर्ष 2021-22 में हुए कुल व्यय रू0 24012394-00 को ग्राम पंचायत लेखा मैनुआल के अध्याय-8 से प्रस्तर 8-क के अन्तर्गत अपहरण मानते हुए मय ब्याज के वसूली श्री रामेश्वर, प्रधान एवं श्री रामबहादुर तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित रहा। एवं अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक विभागीय कर्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।

161--चदौवा गोवर्धन – **विकास खंड- बिजौली**

प्रस्तर 229-बाउचर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/ बाउचर बार- बार मॉगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/48	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19920	23	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/44	मानव सैनी ठेकेदार~एजेंसी	16470
2	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/10	श्री जहरवीर आयरन एंड बुलडिंग मटेरियल स्टोर~एजेंसी	28192	24	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/4	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	28990
3	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/30	मानव सैनी ठेकेदार~एजेंसी	20000	25	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/11	जोशी आर्ट सर्विस अतरौली पेंटर~एजेंसी	9075
4	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/36	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18810	26	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/6	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	17760
5	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/32	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18810	27	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/13	एम#47एस मां फर्नीचर शोरूम~एजेंसी	70328
6	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/33	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	13714	28	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/29	एम#47एस मां फर्नीचर शोरूम~एजेंसी	39930
7	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/34	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18910	29	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/8	श्री जहरवीर आयरन एंड बुलडिंग मटेरियल स्टोर~एजेंसी	52000
8	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/3	मानव सैनी ठेकेदार~एजेंसी	73526	30	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/19	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18528
9	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-	मानव सैनी ठेकेदार~एजेंसी	130000	31	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/17	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19951

	22/पी/2						
10	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/46	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	17850	32	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/21	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19729
11	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/51	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18291	33	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/23	राठी इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स~एजेंसी	23889
12	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/55	राशि कंप्यूटर~एजेंसी	66000	34	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/24	राठी इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स~एजेंसी	2668
13	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/53	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19700	35	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/40	मानव सैनी ठेकेदार~एजेंसी	55270
14	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/13	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19010	36	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/26	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	27330
15	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/17	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	8338	37	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/36	जोशी आर्ट सर्विस अतरौली पेंटर~एजेंसी	6640
16	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/18	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	10678	38	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/44	मानव सैनी ठेकेदार~एजेंसी	216300
17	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/15	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18810	39	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/31	एम#47एस मां फर्नीचर शोरूम~एजेंसी	10928
18	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/20	मानव सैनी ठेकेदार~एजेंसी	195124	40	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/15	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	7538
19	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/42	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19966	41	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/51	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19758
20	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/60	रे सिंह बुलडिंग मेटेरियल एवं सुप्लेयर~एजेंसी	92485	42	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/37	मानव सैनी ठेकेदार~एजेंसी	200000
21	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/58	पारदर्शी पागल की धनराशी~एजेंसी	3825	43	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/34	एम#47एस हरकुट टिन उद्योग~एजेंसी	99120
22	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/59	पारदर्शी पागल की धनराशी~एजेंसी	2550			**योग**	**1796711**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का

मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० **1796711-00** की वसूली मय ब्याज के श्री धर्मेन्द्र कुमार**, प्रधान एवं** श्री श्री रन्जीत सिंह**, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 230- मस्टर रोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त मस्टर रॉल तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित मस्टर रॉल बार-बार मॉगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/49	मस्टर रोल	16380	26	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/45	मस्टर रोल	510
2	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/50	मस्टर रोल	13020	27	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/26	मस्टर रोल	750
3	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/6	मस्टर रोल	15990	28	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/27	मस्टर रोल	3000
4	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/7	मस्टर रोल	13020	29	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/28	मस्टर रोल	13520
5	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/8	मस्टर रोल	16380	30	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/4	मस्टर रोल	11960
6	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/9	मस्टर रोल	13020	31	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/61	मस्टर रोल	6000
7	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/11	मस्टर रोल	13020	32	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/61	मस्टर रोल	510
8	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/12	मस्टर रोल	13020	33	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/47	मस्टर रोल	1000
9	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/1	मस्टर रोल	13020	34	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/39	मस्टर रोल	8280
10	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/31	मस्टर रोल	16380	35	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/5	मस्टर रोल	6000
11	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/35	मस्टर रोल	13020	36	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/7	मस्टर रोल	5850
12	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/37	मस्टर रोल	13020	37	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/16	मस्टर रोल	5460
13	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/38	मस्टर रोल	5850	38	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/18	मस्टर रोल	4340
14	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/46	मस्टर रोल	4340	39	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/20	मस्टर रोल	4650
15	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/52	मस्टर रोल	4650	40	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/22	मस्टर रोल	4340
16	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/54	मस्टर रोल	4340	41	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/32	मस्टर रोल	5460
17	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/57	मस्टर रोल	5460	42	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/33	मस्टर रोल	4340
18	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-	मस्टर रोल	4340	43	फिफ़्थएसएफसी/2021-	मस्टर रोल	5850

	22/पी/14				22/पी/43		
19	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/16	मस्टर रोल	4340	44	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/43	मस्टर रोल	4650
20	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/19	मस्टर रोल	4340	45	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/25	मस्टर रोल	4340
21	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/21	मस्टर रोल	5460	46	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/27	मस्टर रोल	4340
22	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/22	मस्टर रोल	4340	47	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/45	मस्टर रोल	4340
23	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/23	मस्टर रोल	4340	48	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/51	मस्टर रोल	18100
24	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/24	मस्टर रोल	8500	49	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/41	मस्टर रोल	3100
25	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/43	मस्टर रोल	48790			**योग**	**615997**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररॉल उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० **615997-00** की वसूली मय ब्याज के श्री धर्मेन्द्र कुमार**, प्रधान एवं** श्री श्री रन्जीत सिंह**, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।**

162--बरहौल – विकास खंड- बिजौली

प्रस्तर 231 - बाउचरर्स का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक/ बाउचर बार- बार माँगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/9	वेव कंक्रीट कार्य~एजेंसी	399536	9	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/13	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	29790
2	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/31	वेव कंक्रीट कार्य~एजेंसी	156693	10	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/10	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	13997
3	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/7	सिंघल ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता~एजेंसी	21498	11	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/15	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18300
4	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/19	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	19995	12	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/8	एमए फर्निचर शोरूम~एजेंसी	60681
5	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/20	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	3555	13	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/9	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	15868
6	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/22	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	18100	14	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-	मानव सैनी संपर्ककर्ता~एजेंसी	15000

					22/पी/27		
7	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/4	ग्रामीण सेवा केंद्र~एजेंसी	17300	15	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/35	अशोक मशीनरी स्टोर~एजेंसी	14870
8	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/5	जय लक्ष्मी बिल्डिंग मैटेरियल एंड मशीनरी स्टोर~एजेंसी	69095			**योग**	**874278**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० **874278**-00 की वसूली मय ब्याज के श्री वीरेश कुमार**,प्रधान एवं** श्री रोहन सिंह **, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।**

प्रस्तर 232- - मस्टर रोल का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना

ग्राम-पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को समस्त मस्टर रॉल तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। उक्त नियम की अनदेखी कर वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित मस्टर रॉल बार-बार मॉगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये हैं।

क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि	क्रं सं	वाउचर/दिनांक	विवरण	धनराशि
1	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/3	मस्टर रोल	12810	15	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/24	मस्टर रोल	12600
2	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/4	मस्टर रोल	5430	16	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/25	मस्टर रोल	15300
3	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/5	मस्टर रोल	13650	17	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/25	मस्टर रोल	20800
4	फिफ़्थएसएफसी/2021-22/पी/2	मस्टर रोल	10500	18	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/25	मस्टर रोल	15300
5	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/28	मस्टर रोल	3000	19	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/26	मस्टर रोल	15300
6	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/29	मस्टर रोल	1800	20	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/26	मस्टर रोल	15000
7	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/30	मस्टर रोल	18600	21	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/26	मस्टर रोल	19200
8	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/30	मस्टर रोल	14400	22	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/21	मस्टर रोल	8400
9	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/23	मस्टर रोल	10300	23	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/6	मस्टर रोल	18000
10	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/24	मस्टर रोल	10400	24	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/11	मस्टर रोल	4800
11	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/24	मस्टर रोल	9000	25	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/12	मस्टर रोल	5100
12	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/24	मस्टर रोल	4200	26	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/14	मस्टर रोल	9384
13	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/24	मस्टर रोल	9600	27	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-22/पी/16	मस्टर रोल	10300
14	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-	मस्टर रोल	4200	28	पंद्रहवीं एफ.सी./2021-	मस्टर रोल	5100

	22/पी/24				22/पी/36		
						योग	**302474**

उक्त मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई मस्टररॉल उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी, वसूली के साथ- साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकददमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अत: रु० **302474**-00 की वसूली मय ब्याज के श्री वीरेश कुमार**,प्रधान एवं** श्री रोहन सिंह **, ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।**

163- ग्राम पंचायत –सेफपुर विकास खंड – बिजौली

प्रस्तर 233-- वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहे। वर्ष 2021-22 में क 1608596-09 आहरित घन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां जिस में प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटा, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय सवीकृति, तकनीकी स्वीकृति सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मास्टररोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची

खराब हैण्डपम्पों की जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने का प्रमाण बाउचर व मजदूरी के मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गए जिससे आहरित धनराशि का सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती । अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर आदि न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 1608596,00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री नागेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

164- ग्राम पंचायत –सिंधौली खुर्द विकास खंड – बिजौली

प्रस्तर 234--वितीय वर्ष 2021-22 के एक बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य अभिनेष नेवा परीक्षा में उपन नही रहे। वर्ष 2021-22 1527368-00 हरित चन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावनियां जिन में प्राकलन प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटा, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति नामी के बाउचर व मजदूरी के मास्टररोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पो की स्थनवार सूची स्थलबार सूची, ग्राम बासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने का प्रमाण, जन समिति द्वारा स्वीकृति बाउचर व मजदूरी के मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे आहरित धनराशि का सदुपयोग की दृष्टि नही होनी ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर आदि न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए ब 1527368-00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री दुर्जन सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री नागेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

165- ग्राम पंचायत –टोडरपुर विकास खंड – बिजौली

प्रस्तर 235-- वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में 1337137-00 आहरित घन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां जिस में प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटा, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय सवीकृति, तकनीकी स्वीकृति सामग्री क्रय के वाउचर व मजदूरी के मास्टररोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने का प्रमाण

जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं वाउचर व मजदूरी के मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गए जिससे आहरित धनराशि का सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती । अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 क के अन्तर्गत अभिलेख एवं वाउचर आदि न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 1337137-00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री जयवीर एवं तत्कालीन सचिव श्री ललित मोहन से की जानी अपेक्षित है।

166- ग्राम पंचायत –नगला अलिया विकास खंड – बिजौली

प्रस्तर 236-- वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहे। वर्ष 2021-22 में 137912500 आहरित घन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां जिस में प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटा, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय सवीकृति, तकनीकी स्वीकृति सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मास्टररोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्राम वामियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने का प्रमाण जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गए जिससे आहरित धनराशि का सदुपयोग की पुष्टि नही होती। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर आदि न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 1379125-00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती रूबी यादव एवं तत्कालीन सचिव श्री ललित मोहन से की जानी अपेक्षित है।।

167- ग्राम पंचायत –पीपली विकास खंड – बिजौली

प्रस्तर 237-वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में मा0 आहरित धन के मापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियां जिस में प्राकलन, एम0बी0, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटा, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय सवीकृति, तकनीकी स्वीकृति सामग्री क्रय के वाउचर व मजदूरी के मास्टररोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पो की स्थलवार सूची, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं वाउचर व मजदूरी के ग्राम वासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने का प्रमाण मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गए जिससे आहरित धनराशि का सदुपयोग की पुष्टि नही होती । अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय -8 के प्रस्तर -8 क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर आदि न होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 1307819-00 तत्कालीन प्रधान श्री नीरज कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री रोहन सिंह से की जानी अपेक्षित है।

जनपद:- एटा

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 :- ग्राम पंचायतें

संस्था का नाम:- ग्राम पंचायतें जनपद:- एटा मण्डल:- अलीगढ

01- ग्राम पंचायत- कोसमा, विकास खण्ड, जलेसर, जनपद- एटा

प्रस्तर 01- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पचांयत निधि खाता 01 से रूपये 941736-00 आहरित किए गए है, किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलीयां(कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती पत्र, टेण्डर/कुटेशन प्रपत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नही किये गये। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से सम्बधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पचायत अधिकारी के पास नही है। वित्तीय लेखा-मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओ के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्यामवीर, सचिव, सुनील दिवाकार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0- 01

02- ग्राम पंचायत- काजीपुर बदनपुर, विकास खण्ड, जलेसर, जनपद- एटा

प्रस्तर 02- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पचांयत निधि खाता 01 से रुपये 1922220-00 आहरित किए गए है, किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलीयां (कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशानिक स्वीकृती पत्र, टेण्डर/कुटेशन प्रपत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नही किये गये। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से सम्बधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पचायत अधिकारी के पास नही है। वित्तीय लेखा-मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओ के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री शंकर पाल, सचिव, सुनील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-01

03- ग्राम पंचायत- हसनगढ, विकास खण्ड, जलेसर, जनपद- एटा

प्रस्तर 03- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पचांयत निधि खाता 01 से रुपये 3568793-00 आहरित किए गए है, किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलीयां(कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती पत्र, टेण्डर/कुटेशन प्रपत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नही किये गये। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से सम्बधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पचायत अधिकारी के पास नही है। वित्तीय लेखा-मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओ के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रूबी बेगम , सचिव, सुनील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-01

04- ग्राम पंचायत- बरई विकास खण्ड, निधौली कला, जनपद- एटा

प्रस्तर 04- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत वित्तीय नियम संग्रह खंण्ड -1 एवं शासनादेश संख्या -ए-1-86410 दिनांक 23-9-2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी प्रकार की सामग्री क्रय करने के क्रम में रूप्ये एक लाख से अधिक की सामग्री क्रय करने हेतु टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। दिनांक 31-01-2022 को रूपये 188440-00 का भुगतान सुशीला के घर से इनाम सिहं के प्लाट तक इन्टर लाकिगं कार्य हेतु भुगतान किया जाना दर्शित है। किन्तु लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नही कि गई इस बात की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया। इस प्रकार उक्त बिना टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया गया भुगतान अनियमित रहा, जिसके लिए तत्कालीन सचिव एंबरन सिहं एवं प्रधान श्रीमति अखलेश कुमारी उत्तरदायी है। उक्त कि जांच कर वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस पर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति सं0-01

05- ग्राम पंचायत- हिम्मतपुर नासिरपुर, विकास खण्ड, नि0कला जनपद- एटा

प्रस्तर 05- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत वित्तीय नियम संग्रह खंण्ड -1 एवं शासनादेश संख्या -ए-1-864-10 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी प्रकार की सामग्री क्रय करने के क्रम में रूपये एक लाख से अधिक की सामग्री क्रय करने हेतु टेण्डर की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए आलोच्य वर्ष में निम्नानुसार विभिन्न तिथियों मे रूपये 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय किया जाना दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा में टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नही कि गई इस बात कि सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया।

दिनांक	**धनराशि रू0**	**मद**
11-10-2021	137040-00	सामग्री क्रय
25-10-2022	154900-00	सामग्री क्रय
09-10-2021	215910-00	सामग्री क्रय
25-02-2022	207062-00	सामग्री क्रय
योग	**714912-00**	

इस प्रकार उक्त बिना टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया गया भुगतान अनियमित रहा, जिसके लिए तत्कालीन सचिव धीरेन्द्र कुमार एवं प्रधान श्रीमति अंजू देवी उत्तरदायी है। उक्त कि जांच कर वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियो का ध्यान इस पर आकर्षित किया जाता है।

आपत्ति सं0-01

06- ग्राम पंचायत- मई, विकास खण्ड, जलेसर, जनपद- एटा

प्रस्तर 06- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पचांयत निधि खाता 01 से रूपये 2497513-00 आहरित किए गए है, किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलीयां (कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती पत्र, टेण्डर/कुटेशन प्रपत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नही किये गये। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से सम्बधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पचायत अधिकारी के पास नही है। वित्तीय लेखा-मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओ के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी , सचिव, सुनील यादव से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-01

07- ग्राम पंचायत- मोहनपुर, विकास खण्ड, जलेसर, जनपद- एटा

प्रस्तर 07- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पचांयत निधि खाता 01 से रूपये 2839525-00 आहरित किए गए है, किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलीयां(कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती पत्र, टेण्डर/कुटेशन प्रपत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नही किये गये। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से सम्बधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पचायत अधिकारी के पास नही है। वित्तीय लेखा-मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओ के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि की वसूली सचिव श्री विगेश कौशिक , प्रधान नीरज कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-01

08- ग्राम पंचायत- सोना, विकास खण्ड, जलेसर, जनपद- एटा

प्रस्तर 08- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पचांयत निधि खाता 01 से रूपये 615497-00 आहरित किए गए है, किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलीयां(कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती पत्र, टेण्डर/कुटेशन प्रपत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नही किये गये। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से सम्बधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पचायत अधिकारी के पास नही है। वित्तीय लेखा-मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओ के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली व्याज

सहित आधी-आधी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति सुधा रानी , सचिव, श्री सुनील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-01

09- ग्राम पंचायत- यादगारपुर, विकास खण्ड, मारहरा, जनपद- एटा

प्रस्तर 09- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पचांयत निधि खाता 01 से रूपये 1704663-00 आहरित किए गए है, किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलीयां(कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती पत्र, टेण्डर/कुटेशन प्रपत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नही किये गये। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से सम्बधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पचायत अधिकारी के पास नही है। वित्तीय लेखा-मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओ के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री पटवारी लाल, सचिव, श्री नरेश चन्द, से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-01

10- ग्राम पंचायत- बुरहानाबाद, विकास खण्ड, मारहरा, जनपद- एटा

प्रस्तर 10- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पचांयत निधि खाता 01 से रूपये 1418938-00 आहरित किए गए है, किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलीयां(कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती पत्र, टेण्डर/कुटेशन प्रपत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नही किये गये। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से सम्बधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पचायत अधिकारी के पास नही है। वित्तीय लेखा-मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओ के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली व्याज सहित आधी-आधी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शकुन्तला देवी, सचिव, श्री नरेश चन्द, से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-01

11- ग्राम पंचायत- सूरतपुरमाफी, विकास खण्ड, मारहरा, जनपद- एटा

प्रस्तर 11- वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पचांयत निधि खाता 01 से रूपये 282754-00 आहरित किए गए है, किन्तु लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक एवं निर्माण पत्रावलीयां(कार्ययोजना, कार्य आदेश, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती पत्र, टेण्डर/कुटेशन प्रपत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नही किये गये। इससे प्रतीत होता है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष कार्य से सम्बधित कोई प्रमाणित अभिलेख ग्राम विकास/पचायत अधिकारी के पास नही है। वित्तीय लेखा-मैनुअल एवं प्रबंध के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना प्रमाणक व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। अतः उक्त गम्भीर अनियमितताओ के कारण व्यय की गई समस्त धनराशि वसूली योग्य रही, जिसकी वसूली व्याज

सहित आधी-आधी धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामदास, सचिव, श्री नरेश चन्द, से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-01

12- ग्राम पंचायत- छछैना, विकास खण्ड, सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 12- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई-ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियो के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वित्त मद से रूपये 2432600-00 का व्यय दर्शित किया गया है उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमो के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टरोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोषवही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथाआवश्यक कोटेशन/टेण्डर आमत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय कि पुष्टि नही कि जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न कि जा सकी।

अतः मूल अभिलेखो के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्पे्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क)यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बध मे कोई उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम प्रधान से कि जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्व ई-ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय कि धनराशि रूपये 2432600-00 मे से 50 प्रतिशत धनराशि रूप्ये 1216300-00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उदय प्रताप से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1216300-00 सचिव ग्राम पंचायत(ग्राम पचायत/विकास अधिकारी)- श्री विश्वजीत से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा कोषबही अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारीयो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आपत्ति सं0-01

13- ग्राम पंचायत- सोहार, विकास खण्ड, सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 13- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई-ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियो के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वित्त मद से रूपये 1377083-00 का व्यय दर्शित किया गया है उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमो के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टरोल, ट्रांसफर विवरण),

मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोषवही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथाआवश्यक कोटेशन/टेण्डर आमत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय कि पुष्टि नही कि जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न कि जा सकी।

अतः मूल अभिलेखो के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्पे्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क)यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बध मे कोई उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम प्रधान से कि जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्व ई-ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय कि धनराशि रूपये 1377083-00 मे से 50 प्रतिशत धनराशि रूप्ये 688541-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति रागिनी से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 688541-50 सचिव ग्राम पंचायत(ग्राम पचायत/विकास अधिकारी)- श्री अवनेन्द्र शर्मा से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा कोषबही अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारीयो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आपत्ति सं0-01

14- ग्राम पंचायत- फफोतू, विकास खण्ड, सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 14- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई-ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियो के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वित्त मद से रूपये 1516149-00 का व्यय दर्शित किया गया है उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमो के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टरोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोषवही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथाआवश्यक कोटेशन/टेण्डर आमत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय कि पुष्टि नही कि जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न कि जा सकी।

अतः मूल अभिलेखो के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्पे्रक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत

उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क)यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बध मे कोई उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम प्रधान से कि जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्व ई-ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय कि धनराशि रूपये 1516149-00 मे से 50 प्रतिशत धनराशि रूप्ये 758074-50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति इन्द्रवती से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 758074-50 सचिव ग्राम पंचायत(ग्राम पचायत/विकास अधिकारी)- श्री मोहन सिंह से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा कोषबही अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारीयो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

आपत्ति सं0-01

15- ग्राम पंचायत- थरौली, विकास खण्ड, सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 15- चतुर्थ राज्य वित आयोग, चैहदवे वित आयोग की संस्तुतियेा के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बध मे पंचायतीराज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्वांतो का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन मे ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य मे रू0 769381-00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 318 सम्पठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृती निर्धारित पक्ष से प्राप्त नही कि गई। अतः इस कार्य पर व्यय रूपये 769381-00 नियमो के विरूद्व किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्रा0प्रधान एवं ग्रा0पंचायत/विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः निर्धारित प्राधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती प्राप्त कर लेखा परीक्षा मे पुष्टि कराये जाने हेतु प्रकरण जिला पंचायतीराज अधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

आपत्ति सं0-01

प्रस्तर16- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त अनुभाग के शासनादेश संख्या (लेखा)0-ए-1-864/दस-08-15(1)/8 लखनऊ दिनांक 23.09.2008 तथा ग्राम पंचायत में वित्त एंव लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 20000-00 से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कुटेशन व 100000-00 से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदायें आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तिय वर्ष 2021-22 में रू0 666948-00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमंन्त्रित किये क्रय की गई।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्वांतो के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरो का लाभ नही मिल सका। जिस हेतु ग्रा0 प्रधान उपेन्द कुमार एवं ग्रा0 पंचायत सचिव कौशलेस विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-01

16- ग्राम पंचायत- शाहआलमपुर, विकास खण्ड, सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 17- चतुर्थ राज्य वित आयोग, चैहदवे वित आयोग की संस्तुतियेा क अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बध मे पंचायतीराज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्वांतो का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन मे ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य मे रू0 248145-00 व्यय किया गया है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 318 सम्पठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृती निर्धारित पक्ष से प्राप्त नही कि गई। अतः इस कार्य पर व्यय रूपये 248145.00 नियमो के विरूद्व किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्रा0प्रधान श्रीमती हिमानी देवी एवं सचिव कौशलेस ग्रा0पंचायत/विकास अधिकारी संयुक्त रूप् से उत्तरदायी है। अतः निर्धारित प्राधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती प्राप्त कर लेखा परीक्षा मे पुष्टि कराये जाने हेतु प्रकरण जिला पंचायतीराज अधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

आपत्ति सं0-01

प्रस्तर 18- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त अनुभाग के शासनादेश संख्या (लेखा)0-ए-1-864/दस-08-15(1)/8 लखनऊ दिनांक 23.09.2008 तथा ग्राम पंचायत में वित्त एंव लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 20000-00 से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कुटेशन व 100000-00 से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदायें आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तिय वर्ष 2021-22 में रू0 473628-00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमंन्त्रित किये क्रय की गई।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्वांतो के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरो का लाभ नही मिल सका। जिस हेतु ग्रा0 प्रधान श्रीमती हिमानी देवी एवं सचिव कौशलेस एवं ग्रा0 पंचायत/विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-02

17- ग्राम पंचायत- अगंदपुर, विकास खण्ड, सकीट, जनपद- एटा

प्रस्तर 19- चतुर्थ राज्य वित आयोग, चैहदवे वित आयोग की संस्तुतियेा क अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बध मे पंचायतीराज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्वांतो का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन मे ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य मे रू0 972488.00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 318 सम्पठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृती निर्धारित पक्ष से प्राप्त नही कि गई। अतः इस कार्य पर व्यय रूपये 972488.00 नियमो के विरूद्व किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्रा0प्रधान वागीश प्रकाश एवं सचिव अवनीन्द्र शर्मा एवं ग्रा0पंचायत/विकास अधिकारी संयुक्त रूप् से उत्तरदायी है। अतः निर्धारित प्राधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती प्राप्त कर लेखा परीक्षा मे पुष्टि कराये जाने हेतु प्रकरण जिला पंचायतीराज अधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

आपत्ति सं0-01

प्रस्तर 20- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त अनुभाग के शासनादेश संख्या (लेखा)0-ए-1-864/दस-08-15(1)/8 लखनऊ दिनांक 23.09.2008 तथा ग्राम पंचायत में वित्त एंव लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कुटेशन व 100000.00 से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदायें आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तिय वर्ष 2021-22 में रू0 453341.00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमंन्त्रित किये क्रय की गई।

उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्वांतो के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरो का लाभ नही मिल सका। जिस हेतु ग्रा0 प्रधान बागीश प्रकाश एवं सचिव अवनींद्र शर्मा एवं ग्रा0 पंचायत/विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-02

18. ग्राम पंचायत- बरौलिया, विकास खण्ड, जैथरा, जनपद- एटा

प्रस्तर 21- आलोच्य वर्ष प्राथमिक विधालय बरौलिया द्वितीय में बाउड्रीवाल निर्माण कार्य रूपये 67845.00 का व्यय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में इससे सम्बधित प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नही किया गया जिसके लिए प्रधान श्री दीपक सिंह एवं सचिव श्री मुकेश कुमार उत्तरदायि है। वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-01

19. ग्राम पंचायत- दहेलिया, विकास खण्ड, जैथरा, जनपद- एटा

प्रस्तर 22- आलोच्य वर्ष प्राथमिक विधालय बरौलिया द्वितीय में बाउड्रीवाल निर्माण कार्य रूपये 126158.00 का व्यय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में इससे सम्बधित प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नही किया गया जिसके लिए प्रधान श्रीमती दीक्षा एवं सचिव श्री गौरव उत्तरदायि है। वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-01

20. ग्राम पंचायत- कसेला, विकास खण्ड, जैथरा, जनपद- एटा

प्रस्तर 23- चतुर्थ राज्य वित आयोग, चैहदवे वित आयोग की संस्तुतियेा क अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बध मे पंचायतीराज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्वांतो का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन मे ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य मे रू0 704390.00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 318 सम्पठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृती निर्धारित पक्ष से प्राप्त नही कि गई। अतः इस कार्य पर व्यय रूपये 704390.00.00 नियमो के विरूद्व किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्रा0प्रधान एवं ग्रा0पंचायत/विकास अधिकारी संयुक्त रूप् से उत्तरदायी है। अतः निर्धारित प्राधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती प्राप्त कर लेखा परीक्षा मे पुष्टि कराये जाने हेतु प्रकरण जिला पंचायतीराज अधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

आपत्ति सं0-01

प्रस्तर 24- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त अनुभाग के शासनादेश संख्या (लेखा)0-ए-1-864/दस-08-15(1)/8 लखनऊ दिनांक 23.09.2008 तथा ग्राम पंचायत में वित्त एंव लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कुटेशन व 100000.00 से

अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदायें आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तिय वर्ष 2021-22 में रू0 630577.00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमंन्त्रित किये क्रय की गई। उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्वांतो के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरो का लाभ नही मिल सका। जिस हेतु ग्रा0 प्रधान श्री मनोज कुमार एवं सचिव श्री मुनेश एवं ग्रा0 पंचायत/विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति सं0-01

21. ग्राम पंचायत- खेतूपुरा, विकास खण्ड, जैथरा, जनपद- एटा

प्रस्तर 25- ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य अवधि में ई-ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियो के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के राज्य वित्त/14 वित्त मद से रूपये 1358359.00 का व्यय दर्शित किया गया है उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमो के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल, मस्टरोल, ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएं जैसे- प्रमाणित कोषवही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राकलन, सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य की तकनीकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृती की पत्रावली, सामग्री क्रय हेतु यथाआवश्यक कोटेशन/टेण्डर आमत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया का पालन की पत्रावलियां, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित/आहरित धनराशि के नियमानुसार व्यय कि पुष्टि नही कि जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न कि जा सकी।

अतः मूल अभिलेखो के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतो के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह सम्पेरक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क)यह कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बध मे कोई उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम प्रधान से कि जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्व ई-ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार दर्शित व्यय कि धनराशि रूपये 1358359.00 मे से 50 प्रतिशत धनराशि रूपये 679179.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार से तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 679179.50 सचिव ग्राम पंचायत(ग्राम पचायत/विकास अधिकारी)- श्री पवन कुमार से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक पासबुक तथा कोषबही अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा। ग्राम निधि प्रथम से किया गया आहरण यदि ई-ग्राम स्वराज/प्रिया सॉफ्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किये गये वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार ही किये जाने के प्रति सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। **आपत्ति सं0-01**

22. ग्राम पंचायत- टिकाथर, विकास खण्ड, जैथरा, जनपद- एटा

प्रस्तर 26- आलोच्य वर्ष में सुरेश के घर से शिवम के घर तक सी0सी0/इन्टर लाकिग कार्य पर रूपये 194080.00 का व्यय किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में इससे सम्बधित प्रमाणक एवं पत्रावली प्रस्तुत नही

किया गया जिसके लिए प्रधान श्री रामवीर सिंह एवं सचिव श्री मुनेश उत्तरदायी है। वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0-01**

23. ग्राम पंचायत- उदयपुरा, विकास खण्ड, जैथरा, जनपद- एटा

प्रस्तर 27- विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन वित्त अनुभाग के शासनादेश संख्या (लेखा)0-ए-1-864/दस-08-15(1)/8 लखनऊ दिनांक 23.09.2008 तथा ग्राम पंचायत में वित्त एंव लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 व 5 के अनुसार रू0 20000.00 से अधिक की सामग्री क्रय के लिए कुटेशन व 100000.00 से अधिक सामग्री क्रय हेतु निविदायें आमन्त्रित की जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत द्वारा वित्तिय वर्ष 2021-22 में रू0 1294271.00 की निर्माण सामग्री बिना कुटेशन/निविदा आमंन्त्रित किये क्रय की गई।उपरोक्त क्रय वित्तीय औचित्य के सिद्वांतो के विपरीत है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को प्रतियोगी दरो का लाभ नही मिल सका। जिस हेतु ग्रा0 प्रधान श्री दिनेश कुमार एवं ग्रा0 पंचायत/विकास अधिकारी श्री मुनेश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0-01**

प्रस्तर 28- चतुर्थ राज्य वित आयोग, चैहदवे वित आयोग की संस्तुतियेा क अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश का वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बध मे पंचायतीराज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन द्वारा अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्वांतो का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुपालन मे ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य मे रू0 636019.00 व्यय किया गया है।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 के अध्याय 12 के पैरा 318 सम्पठित पैरा 349 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य समाप्ति के उपरान्त वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृती निर्धारित पक्ष से प्राप्त नही कि गई। अतः इस कार्य पर व्यय रूपये 636019.00 नियमो के विरूद्व किया गया है जो गम्भीर अनियमितता है। जिस हेतु ग्रा0प्रधान श्री दिनेश कुमार एवं सचिव श्री मुनेश एवं ग्रा0पंचायत/विकास अधिकारी संयुक्त रूप् से उत्तरदायी है। वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। **आपत्ति सं0-0**

जनपद- हाथरस

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 :- ग्राम पंचायतें

संस्था का नाम - ग्राम पंचायत जनपद- हाथरस मण्डल- अलीगढ

विकास खण्ड - सासनी

1.ग्राम पंचायत वीघेपुर विकास खण्ड - सासनी जनपद हाथरस।

प्रस्तर-01- ग्राम पंचायत वीघेपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 21.12.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 21.12.2022 से लेकर आतिथि तक केवल बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री गजेन्द्र पाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बनी सिंह द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 3045064.00 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 (3045064.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री गजेन्द्र पाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बनी सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 3045064.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री गजेन्द्र पाल व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बनी सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

2.ग्राम पंचायत सिघर्र विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-02 ग्राम पंचायत सिघर्र की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 22.12.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 22.12.2022 से लेकर आतिथि तक केवल बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री गजेन्द्र पाल व तत्कालीन प्रधान श्रीमती रजनी देवी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 3077313.00 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 3077313.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री गजेन्द्र पाल व तत्कालीन प्रधान श्रीमती रजनी देवी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 3077313.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री गजेन्द्र पाल व तत्कालीन प्रधान श्रीमती रजनी देवी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

3.ग्राम पंचायत रामपुर विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत रामपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 18.10.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 18.10.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री रविन्द्र सिंह व तत्कालीन प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 2893657.00 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 2893657.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री रविन्द्र सिंह व तत्कालीन प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 2893657.00 को अपुष्ट

मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री रविन्द्र सिंह व तत्कालीन प्रधान श्री योगेन्द्र सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

4.ग्राम पंचायत सिताहरी विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत सिताहरी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 20.12.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 20.12.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री रविन्द्र सिह व तत्कालीन प्रधान श्रीमती लता शर्मा द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 748423. 00 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 748423.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री रविन्द्र सिंह व तत्कालीन प्रधान श्रीमती लता शर्मा दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 748423.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री रविन्द्र सिंह व तत्कालीन प्रधान श्रीमती लता शर्मा से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

5.ग्राम पंचायत लुटसान विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत लुटसान की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 05.11.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 05.11.2022 से लेकर शिवांक 31-03-2028 202 तक केवल बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री रवीन्द्र सिह व तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता देवी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 5266077.52 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 5266077.52 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री रवीन्द्र सिह व तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता देवी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 (5266077.52 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री रवीन्द्र सिह व तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

6.ग्राम पंचायत फरौली विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत फरौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 15.11.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 15.11.2022 से लेकर आतिथि तक केवल बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री रवीन्द्र कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री प्रशान्त कुमार द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख

उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 1662810.00 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1662810.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री रवीन्द्र कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री प्रशान्त कुमार दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1662810.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री रवीन्द्र कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री प्रशान्त कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

7.ग्राम पंचायत बिलखौरा कलां विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत बिलखौरा कलां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 30.09.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 30.09.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 1077392. 00 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1077392.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1077392.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

8.ग्राम पंचायत सीकुर अकबरपुर विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत सीकुर अकबरपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 18.10.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 18.10.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री बाँची कुमार द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 3244913. 00 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया

जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।
अतः दर्शित कुल व्यय रू0 3244913.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री बॉबी कुमार दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 3244913.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री बॉबी कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

9.ग्राम पंचायत जरैया गदाखेड़ा विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत जरैया गदाखेड़ा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 28.10.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 28.10.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री पप्पू सिंह द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 3121236. 52 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।
उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।
अतः दर्शित कुल व्यय रू0 3121236.52 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री पप्पू सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 3121236.52 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री पप्पू सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

10.ग्राम पंचायत नगला भूरा विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत नगला भूरा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 09.11.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 09.11.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री विक्रम सिंह द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 712518. 00 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।
उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।
अतः दर्शित कुल व्यय रू0 712518.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री विक्रम सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 712518.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री विक्रम सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

11.ग्राम पंचायत नदौना नगला लच्छी विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत नदौना नगला लच्छी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 09.11. 2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 09.11.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री भूपेन्द्र कौशिक द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू० 1443300.70 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1443300.70 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री भूपेन्द्र कौशिक दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1443300.70 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री भूपेन्द्र कौशिक से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

12.ग्राम पंचायत नगला लोका विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत नगला लोका की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 11.11.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 11.11.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अभित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती डौली देवी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 1036620. 00 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राभ पंचायत का यह संयुक्त वायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि वशर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊबर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1036620.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती डौली देवी दोषी व उत्तरवाथी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1036620.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती डौली देवी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

13.ग्राम पंचायत समामई रूहल विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत समामई रूहल की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 24.12.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 24.12.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 4670002. 80 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः दर्शित कुल व्यय रू0 4670002.80 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 4670002.80 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अमित कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

14.ग्राम पंचायत नीनामई विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत नीनामई की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 14.11.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 14.11.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अजय शर्मा व तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुमन द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 1398748. 00 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।
उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्त्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।
अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1398748.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा व तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुमन दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः वर्शित कुल व्यय रू0 1398748.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा व तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुमन से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

15.ग्राम पंचायत कौमरी विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत कौमरी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 03.11.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 03.11.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अजय शर्मा व तत्कालीन प्रधान श्री विजय पाल सिंह द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 3668263.00 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।
उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रथान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।
अतः दर्शित कुल व्यय रू0 3668263.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा व तत्कालीन प्रधान श्री विजय पाल सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 3668263.00 को अपुष्ट

मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा व तत्कालीन प्रधान श्री विजय पाल सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

16.ग्राम पंचायत चन्दैया विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत चन्दैया की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 31.10.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 31.10.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अजय शर्मा व तत्कालीन प्रधान श्रीमती अंजू कुमारी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 830872.14 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।
उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।
अतः दर्शित कुल व्यय रू0 830872.14 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा व तत्कालीन प्रधान अंजू कुमारी दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 830872.14 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा व तत्कालीन प्रधान अंजू कुमारी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

17.ग्राम पंचायत टिकारी विकास खण्ड- सासनी जनपद- हाथरस

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत टिकारी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा दिनांक 31.10.2022 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 31.10.2022 से लेकर अतिथि तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अजय शर्मा व तत्कालीन प्रधान श्रीमती बॉबी देवी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए०डी०ओ० पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाईन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू0 658477.00 को आधार मान कर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।
उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाऊचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।
अतः दर्शित कुल व्यय रू0 658477.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा व तत्कालीन प्रधान श्रीमती बॉबी देवी दोषी व उत्तरदायी है। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 658477.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा व तत्कालीन प्रधान श्रीमती बॉबी देवी से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

विकास खण्ड - हाथरस

18.ग्राम पंचायत ऐहन विकास खण्ड- हाथरस जनपद- हाथरस

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत - ऐहन की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत ऐहन में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1809597.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव,

प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1809597.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवेन्द्र पाठक तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुरमिला उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

19.ग्राम पंचायत जाफराबाद विकास खण्ड- हाथरस जनपद- हाथरस

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत- जाफराबाद की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत जाफराबाद में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-2089053.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 2089053.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उल्लर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रशान्त कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रिंकू उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

20.ग्राम पंचायत मिर्जापुर विकास खण्ड- हाथरस जनपद- हाथरस

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत- मिर्जापुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत मिर्जापुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रु0-1832333.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1832333.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद ४-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवेन्द्र पाठक तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रबल प्रताप उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया

जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

21.ग्राम पंचायत नगलामान विकास खण्ड- हाथरस जनपद- हाथरस

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत- नगलामान की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत नगलामान में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-333527.60 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 333527.60 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विश्वमित्र तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

22.ग्राम पंचायत नूरपुर विकास खण्ड- हाथरस जनपद- हाथरस

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत- नूरपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत नूरपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-853210.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 853210.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवेन्द्र पाठक तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मिथलेश उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

(आपत्ति संख्या-01)

23.ग्राम पंचायत शेरपुर विकास खण्ड- हाथरस जनपद- हाथरस

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत शेरपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत शेरपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू०-1459356.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की

पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1459356.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रशान्त कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सतीशचन्द्र उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

24.ग्राम पंचायत सिथरौली विकास खण्ड- हाथरस जनपद- हाथरस

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत सिथरीली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत निखरौली में वर्ष 2021-22 को दौरान 10-788887.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामयी क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 788887.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 4 के अनुच्छेद 4-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवम यादव तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशी देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

25.ग्राम पंचायत वीरनगर विकास खण्ड- हाथरस जनपद- हाथरस

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत वीरनगर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट व अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत बीरनगर में वर्ष 2021-22 को दौरान क0-940936.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची. ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृक्ति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 940936.00 के सापेक्ष कोई भी बाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिश्चन्द्र तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कन्हैया सारस्वत

उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। किन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

विकास खण्ड - सादाबाद

26.ग्राम पंचायत अभयपुरा विकास खण्ड- सादाबाद जनपद- हाथरस

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत- अभयपुरा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत अभयपुरा में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1089182.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृत्ति, तकनीकी स्वीकृत्ति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1080182.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुजाता झा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

27.ग्राम पंचायत अरोठा विकास खण्ड- सादाबाद जनपद- हाथरस

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत- अरोठा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत अरोठा में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-2246695.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 2246695.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

28. ग्राम पंचायत करैया विकास खण्ड- सादाबाद जनपद- हाथरस

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत करैया की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत करैया में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-644987.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 644987.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सिरदारी देवी उत्तरदायी हैं।

नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

29. ग्राम पंचायत पटटीबहराम विकास खण्ड- सादाबाद जनपद- हाथरस

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत- पट्टीबहराम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत पट्टीबहराम में वर्ष 2021-22 के दौरान रु0-942809.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृत्ति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 942809.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 4-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लवली देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

30. ग्राम पंचायत रहपुरा विकास खण्ड- सादाबाद जनपद- हाथरस

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत रहपुरा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत रहपुरा में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-271574.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब

हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोध्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 271574.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पुष्पेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

31. ग्राम पंचायत ताजपुर विकास खण्ड- सादाबाद जनपद- हाथरस

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत- ताजपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत ताजपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1381250.00 (व्यय के ऑकडे ई-स्वराज से लिये गये है) व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1381250.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

32. ग्राम पंचायत बीजलपुर विकास खण्ड- सादाबाद जनपद- हाथरस

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत- बीजलपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत बीजलपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रु0-757379.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 757379.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लवकेश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री साबिर अली उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना

अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

विकास खण्ड - सहपऊ

33. ग्राम पंचायत बहादुरपुर देवकरन विकास खण्ड- सहपऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत बहादुरपुर देवकरण की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में नौशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत बहादुरपुरदेवकरन में वर्ष 2021-22 के दौरान रु0-686310.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख पया कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसने प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति की फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूधी, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, अल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 686310.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निनर्माण भरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मंजीत सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निरमा देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

34. ग्राम पंचायत बुढ़ाइच विकास खण्ड- सहपऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत- बुढ़ाइच की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत बुढ़ाइच में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1550094.00 (व्यय के ऑकड़े ई-स्वराज से लिये गये है) व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1550094.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मंजीत सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिवकुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखें की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

35. ग्राम पंचायत गढ़ीएहवरन विकास खण्ड- सहपऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत- गढ़ीएहवरण की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत गढ़ीएहवरन में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-744699.00 (व्यय के ऑकड़े ई-स्वराज से लिये गये है) व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 744699.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप गौतम तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्यामसुन्दर उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

36. ग्राम पंचायत फतेह उल्लाहपुर विकास खण्ड- सहपऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत- फतेहउल्लापुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत फतेहउल्लापुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-876920.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृक्ति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 876920.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद ४-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेमकुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीपक त्यागी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

37. ग्राम पंचायत उधैना विकास खण्ड- सहपऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत- उधैना की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत उधना में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1924768.00 (व्यय के ऑकड़े ई-स्वराज से लिये गये है) व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र,

जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1924768.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रूपकिशोर गर्ग तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्यामवीर सिंह उत्तरदायी हैं।

नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

38. ग्राम पंचायत शिखरा विकास खण्ड- सहपऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत- शिखरा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत शिखरा में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-2355037.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 2355037.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री ईश्वरचन्द्र तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

39. ग्राम पंचायत रामपुर विकास खण्ड- सहपऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत- रामपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत रामपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रु0-1074974.00 (व्यय के ऑकडे ई-स्वराज से लिये गये है) व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹1074974.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गिरिश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीरज देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना

अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

40. ग्राम पंचायत राजनगर विकास खण्ड- सहपऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत- राजनगर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत राजनगर में वर्ष 2021-22 के दौरान रु0-1822246.00 (व्यय के ऑकडे ई-स्वराज से लिये गये है) व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियाँ जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1822246.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गिरिश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

41. ग्राम पंचायत नगला बिहरी विकास खण्ड- सहपऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत- नगलाबिहारी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत नगलाबिहारी में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-642253.00 (व्यय के ऑकडे ई-स्वराज से लिये गये हैं) व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 642253.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रामेन्द्र सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओमवीर सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

42. ग्राम पंचायत मकनपुर विकास खण्ड- सहपऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत- मकनपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत मकनपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1527805.00 (व्यय के ऑकडे ई-स्वराज से लिये गये है) व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामयी क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1527805.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप गौतम तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

43. ग्राम पंचायत कोकना खुर्द विकास खण्ड- सहपऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत- कोकनाखुर्द की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत कोकनाखुर्द में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-865992.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियाँ जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृक्ति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 865992.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रूपकिशोर गर्ग तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धीरेन्द्र सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

44. ग्राम पंचायत कोकना कलां विकास खण्ड- सहपऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत- कोकनाकलां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत कोकनाकलां में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1110840.00 (व्यय के ऑकड़े ई-स्वराज से लिये गये है) व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का

प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1110840.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रामेन्द्र सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कविता देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

विकास खण्ड - हसायन

45. ग्राम पंचायत अमौसी विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत- अमोसी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत अमोसी में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-891888.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियाँ जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री गिरिश कुमार एवं प्रधान श्रीमती सरोज देवी से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

46. ग्राम पंचायत ढ़ढ़ोली विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत ढढौली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत ढढौली में वर्ष 2021-22 के दौरान रू०-2874085.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 2874085.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रकाशचन्द्र तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

47. ग्राम पंचायत दौकेली विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत- दौकेली की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री अभिषेक यादव तथा प्रधान श्री हरिप्रसाद द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत दौकेली में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1111957.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री अभिषेक यादव तथा प्रधान श्री हरिप्रसाद द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री अभिषेक यादव एवं प्रधान श्री हरिप्रसाद से आधी-आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

48. ग्राम पंचायत कोडरा जहांगीरपुर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत- कोडराजहाँगीरपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत कोडराजहाँगीरपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-555070.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची. खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 555070.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गिरिश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शशी कुमारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध / व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

49. ग्राम पंचायत चॉंदनपुरा विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत- चांदनपुरा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री रवेन्द्र सिंह तथा प्रधान श्री जयपाल सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत चांदनपुरा में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1714029.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल् आदि सचिव श्री रवेन्द्र सिंह तथा प्रधान श्री जयपाल सिंह द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री रवेन्द्र

सिंह एवं प्रधान श्री जयपाल सिंह से आधी-आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

50. ग्राम पंचायत भैंकुरी विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत- भैंकुरी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री अभिषेक यादव तथा प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत मैकुरी में वर्ष 2021-22 के दौरान रु0-3034391.00 व्यथ किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के पारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति को फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वाशियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री अभिषेक यादव तथा प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः जिल्ल एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री अभिषेक यादव एवं प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

51. ग्राम पंचायत बस्तोई विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत- बस्तोई की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री मुकेश कुमार तथा प्रधान श्री रेशमपाल द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत बस्तोई में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-3070726.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री मुकेश कुमार तथा प्रधान श्री रेशमपाल द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री मुकेश कुमार एवं प्रधान श्री रेशमपाल से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

52. ग्राम पंचायत बसई वाबस विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत बसईबाबस की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री प्रकाशचन्द्र तथा प्रधान श्रीमती हेमलता देवी द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत बसईबाबस में वर्ष 2021-22 के दौरान रु0-1385335.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री प्रकाशचन्द्र तथा प्रधान श्रीमती हेमलता देवी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री प्रकाशचन्द्र एवं प्रधान श्रीमती हेमलता देवी से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

53. ग्राम पंचायत बरसामई विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत- बरसामई की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत बरसामई में वर्ष 2021-22 के दौरान रु0-1590822.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1590822.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद ४-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गजेन्द्रपाल तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नीरज कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

54. ग्राम पंचायत बरामई न0 बिजन विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत बरामई नगला विजन की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री आनन्द प्रकाश तथा प्रधान श्री संतोष कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत बरामई नगला विजन में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-3665539.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री आनन्द प्रकाश तथा प्रधान श्री संतोष कुमार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री आनन्द प्रकाश एवं प्रधान श्री संतोष कुमार से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-01)

55. ग्राम पंचायत बकायन विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत- बकायन की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री प्रकाश चन्द्र तथा प्रधान श्रीमती विनीता देवी द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत बकायन में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-2617505.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक - वित्लीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री प्रकाश चन्द्र तथा प्रधान श्रीमती विनीता देवी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री प्रकाश

चन्द्र एवं प्रधान श्रीमती विनीता देवी से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-01)

56. ग्राम पंचायत बॉड़ी विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर- 56 ग्राम पंचायत- बाड़ी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत बाड़ी में वर्ष 2021-22 के दौरान रू०-2662320.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 2662320.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गजेन्द्रपाल तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ललिता देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई।
(आपत्ति संख्या-01)

57. ग्राम पंचायत अमृतपुर असदपुर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत- अमृतपुर असदपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत अमृतपुर असदपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रु0-429237.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कार गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री संजीव कुमार एवं प्रधान श्रीमती सीमा देवी से आधी- आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-01)

58. ग्राम पंचायत मथुरापुर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत- मथुरापुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री गजेन्द्रपाल तथा प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत मथुरापुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-3284803.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य

का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री गजेन्द्रपाल तथा प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री गजेन्द्रपाल एवं प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

59. ग्राम पंचायत मैदामई विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत मैदामई की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री राजकुमार शर्मा तथा प्रधान श्री सत्यभान सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत मैदामई में वर्ष 2021-22 के दौरान रु0-869744.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के धारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री राजकुमार शर्मा तथा प्रधान श्री सत्यभान सिंह द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री राजकुमार शर्मा एवं प्रधान श्री सत्यभान सिंह से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

60. ग्राम पंचायत महेवा विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत महेवा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री नागेन्द्र सिंह तथा प्रधान श्री प्रमिलेश सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत महेवा में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-2270144.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री नागेन्द्र सिंह तथा प्रधान श्री प्रमिलेश सिंह द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री नागेन्द्र सिंह एवं प्रधान श्री प्रमिलेश सिंह से आधी-आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

61. ग्राम पंचायत महासिंहपुर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत- महासिंहपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री देशदीपक तथा प्रधान श्रीमती अशोक कुमारी द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत महासिंहपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-2129640.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक - वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें

हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंर्पा की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री देशदीपक तथा प्रधान श्रीमती अशोक कुमारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री देशदीपक एवं प्रधान श्रीमती अशोक कुमारी से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

62. ग्राम पंचायत लोधीपुर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत- लोधीपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री गजेन्द्र पाल तथा प्रधान श्री रामजी लाल द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत लोधीपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1244182.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री गजेन्द्र पाल तथा प्रधान श्री रामजी लाल द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री गजेन्द्र पाल एवं प्रधान श्री रामजी लाल से आधी-आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

63. ग्राम पंचायत नगला आल विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत- नगला आल की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री राजकुमार शर्मा तथा प्रधान श्री उपेन्द्र कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत नगलाआल में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1889174.00 व्यय किया गया (ई ग्रास स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक-वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री राजकुमार शर्मा तथा प्रधान श्री उपेन्द्र कुमार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री राजकुमार शर्मा एवं प्रधान श्री उपेन्द्र कुमार से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

64. ग्राम पंचायत न0 बरी पट्टी देवरी विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत नगलाबरीपट्टीदेवरी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री मुकेश कुमार तथा प्रधान श्रीमती नीतू सिंह द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत नगलाबरीपट्टीदेवरी में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1088211.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियाँ जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के

मस्टररोल आदि सचिव श्री मुकेश कुमार तथा प्रधान श्रीमती नीतू सिंह द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री मुकेश कुमार एवं प्रधान श्रीमती नीतू सिंह से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

65. ग्राम पंचायत न0 मियां पट्टी देवरी विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत नगला मियां पट्टी देवरी में वर्ष 2021-22 के दौरान रु0-2525453.00 व्यथ किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय र 2525453.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पचावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लवकेश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती स्नेहलता उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

66. ग्राम पंचायत न0 सकत विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत- नगला सकत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री नागेन्द्र सिंह तथा प्रधान श्रीमती संजू देवी द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत नगला सकत में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1769590.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक-वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री नागेन्द्र सिंह तथा प्रधान श्रीमती संजू देवी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री नागेन्द्र सिंह एवं प्रधान श्रीमती संजू देवी से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

67. ग्राम पंचायत न0 पट्टी देवरी विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत- नगलापट्टीदेवरी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत नगलापट्टीदेवरी में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-2195121.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक- वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार

सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय १ 2195121.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवीन्द्र सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रूमा देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध / व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

68. ग्राम पंचायत नगला गोविन्द उर्फ नौजरपुर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत- नगला गोविन्द उर्फ नौजरपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत नगलागोविन्द उर्फ नौजरपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1684882.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक - वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1684882.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार शर्मा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

69. ग्राम पंचायत नारई विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत नारई की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत नारर्ड में वर्ष 2021-22 के दौरान रू०-1909420.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के दद्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो. कार्य का प्रस्ताव प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदरी के मस्टररोल उपभोग प्रमाण पत्र कार्यपर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1909420.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक

विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिषेक यादव तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार उत्तरदायी हैं।

नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

(आपत्ति संख्या-01)

70. ग्राम पंचायत पिछौती विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत- पिछौती की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत पिछौती में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1198395.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के दद्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1198395.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद ४-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लवकेश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सूरजमुखी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

(आपत्ति संख्या-01)

71. ग्राम पंचायत रसूलपुर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत- रसूलपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री राजकुमार शर्मा तथा प्रधान श्रीमती मिथिलेश कुमारी द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत रसूलपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-439080.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री राजकुमार शर्मा तथा प्रधान श्रीमती मिथिलेश कुमारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री राजकुमार शर्मा एवं प्रधान श्रीमती मिथिलेश कुमारी से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

72. ग्राम पंचायत शंकरपुर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत- शंकरपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री संजीव कुमार तथा प्रधान श्री बंटी यादव द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत शंकरपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-664431.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृक्ति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री संजीव कुमार तथा प्रधान श्री बंटी यादव द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री संजीव कुमार एवं प्रधान श्री बंटी यादव से आधी-आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-01)

73. ग्राम पंचायत सिचांवली कदीम विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत- सिचावली कदीम की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत सिचावलीकदीम में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-834624.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 834624.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गिरिश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजूलता उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई।
(आपत्ति संख्या-01)

74. ग्राम पंचायत सीधामई विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत- सीधामई की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत सीधामई में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1320613.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररील, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1320613.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय ४ के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा

प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री लवकेश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चन्द्रप्रकाश उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

75. ग्राम पंचायत सिहोरी विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत- सिहोरी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री गजेन्द्रपाल तथा प्रधान श्री कुमारी शिल्पी द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत सिहोरी में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-2545278.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियाँ जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री गजेन्द्रपाल तथा प्रधान श्री कुमारी शिल्पी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री गजेन्द्रपाल एवं प्रधान श्री कुमारी शिल्पी से आधी-आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

76. ग्राम पंचायत सिकतरा विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत- सिकतरा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री नागेन्द्र सिंह तथा प्रधान श्रीमती अनीता देवी द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत सिकतरा में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1558568.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री नागेन्द्र सिंह तथा प्रधान श्रीमती अनीता देवी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री नागेन्द्र सिंह एवं प्रधान श्रीमती अनीता देवी से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-01)

77. ग्राम पंचायत श्रीनगर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत- श्रीनगर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत श्रीनगर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1097192.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंर्पा की स्थलवार सूची. ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1097192.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की

धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री देशदीपक तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्रपाल सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

78. ग्राम पंचायत विष्णुपरी विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत- विष्णुपुरी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री अभिषेक यादव तथा प्रधान श्री सुशील कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत विष्णुपुरी में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1899424.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री अभिषेक यादव तथा प्रधान श्री सुशील कुमार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री अभिषेक यादव एवं प्रधान श्री सुशील कुमार से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-01)

79. ग्राम पंचायत धुबई विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत- धुबई की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत धुबई में वर्ष 2021-22 के दौरान रू०-2985895.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक- वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियाँ जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री गजेन्द्रपाल एवं प्रधान श्री निशान्त प्रवीन से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-01)

80. ग्राम पंचायत फुलरई मुगलगढी विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत- फलरई मुगलगढ़ी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत फलरईमुगलगढ़ी में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-2579694.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की

पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री संजीव कुमार एवं प्रधान श्रीमती अनीता देवी से आधी- आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-01)

81. ग्राम पंचायत फतेहपुर बझेडा विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत- फतेहपुर बझेड़ा की वर्ष 2023-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत फतेहपुर बड़झेड़ा में वर्ष 2021-22 के दौरान रू00-1142361.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय है 1142361.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री नागेन्द्र सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री चरन सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

82. ग्राम पंचायत गिनौली किशनपुर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत- गिनोली किशनपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री गिरिश कुमार तथा प्रधान श्रीमती प्रीती द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत गिनोली किशनपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-2590415.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक-वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री गिरिश कुमार तथा प्रधान श्रीमती प्रीती द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री गिरिश कुमार एवं प्रधान श्रीमती प्रीती से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

83. ग्राम पंचायत गोपालपुर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत- गोपालपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री गिरिश कुमार तथा प्रधान श्री सैनी कुमार द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत गोपालपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1875278.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के

फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री गिरिश कुमार तथा प्रधान श्री सैनी कुमार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री गिरिश कुमार एवं प्रधान श्री सैनी कुमार से आधी- आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-01)

84. ग्राम पंचायत हरीनगर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत- हरीनगर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत हरीनगर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1103455.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृत्ति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री लवकेश कुमार एवं प्रधान श्रीमती जयदेवी से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

85 ग्राम पंचायत हैथा रघुनाथपुर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत- हेथा रघुनाथपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत हैथारघुनाथपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-785747.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 785747.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार शर्मा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

86. ग्राम पंचायत इटरनी विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत- इटर्नी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री हरिकेश सिंह तथा प्रधान श्री मूलचन्द्र द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत इटर्नी में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1224207.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री हरिकेश सिंह तथा प्रधान श्री मूलचन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री हरिकेश सिंह एवं प्रधान श्री मूलचन्द्र से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-01)

87. ग्राम पंचायत जनसोई विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत- जनसोई की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री मुकेश कुमार तथा प्रधान श्रीमती शशी कुमारी द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत जनसोई में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-662442.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री मुकेश कुमार तथा प्रधान श्रीमती शशी कुमारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री मुकेश कुमार एवं प्रधान श्रीमती शशी कुमारी से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-01)

88. ग्राम पंचायत जरेरा विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत- जरेरा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री अभिषेक यादव तथा प्रधान श्रीमती मीना द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत जरेरा में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-3182452.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल- प्रबंधन समिति की स्वीकृक्ति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री अभिषेक यादव तथा प्रधान श्रीमती मीना द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री अभिषेक यादव एवं प्रधान श्रीमती मीना से आधी-आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

89. ग्राम पंचायत जरीनपुर भुर्रका विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत- जरीनपुर भुर्रका की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में सचिव श्री मुकेश कुमार तथा प्रधान श्रीमती बबली देवी द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत जरीनपुर भुर्रका में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-3010861.00 व्यय किया गया (ई ग्राम स्वराज के अनुसार) जिसकी पुष्टि में आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृक्ति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के

प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि सचिव श्री मुकेश कुमार तथा प्रधान श्रीमती बबली देवी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए गए व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली संबंधित सचिव श्री मुकेश कुमार एवं प्रधान श्रीमती बबली देवी से आधी आधी मय ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-01)

90. ग्राम पंचायत जिरोली कलां विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत- जिरोली कलां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत जिरोलीकलां में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-2342971.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय र 2342971.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवेन्द्र सिंह तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

91. ग्राम पंचायत खेडा सुल्तानपुर विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-91 ग्राम पंचायत- खेड़ा सुल्तानपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत खेड़ा सुल्तानपुर में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1095546.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूची, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों द्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय १ 1095546.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद ४-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की कार्यवाही सम्पन्न की गई। (आपत्ति संख्या-01)

92. ग्राम पंचायत खेडिया कलां विकास खण्ड- हसायन जनपद- हाथरस

प्रस्तर-92 ग्राम पंचायत- खेड़ियाकलां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत खेडियाकलां में वर्ष 2021-22 के दौरान रू0-1135258.00 व्यय किया गया जिसकी पुष्टि में सचिव के द्वारा नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा कराए गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों जिसमें प्राक्कलन, एमबी, कार्य के प्रारंभ, कार्य के दौरान और कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य का प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, क्रय सामग्री के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल, उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, हैंडपंप मरम्मत तथा हैंडपंप रिबोर की पत्रावलियों जिसमें हैंडपंपों की स्थलवार सूचौ, खराब हैंडपंपों की स्थलवार सूची, ग्राम वासियों दद्वारा हैंडपंप खराब होने के प्रार्थना पत्र, हैंडपंप ठीक होने का प्रमाण पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, सामग्री क्रय के वाउचर, मजदूरी के मस्टररोल आदि उपलब्ध नहीं कराया गया। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कुल व्यय ₹ 1135258.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अंतर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गिरिश कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से मौखिक अनुरोध । व्यक्तिगत टेलीफोनिक वार्ता कर उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मांग की गई। विकासखंड के ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पत्राचार किया गया। साथ ही उच्चाधिकारियों के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अतः नियमानुसार अधिभार की आलेख से मिलान कार्यवाही सम्पन्न की गई।

(आपत्ति संख्या-01)

विकास खण्ड- मुरसान

93. ग्राम पंचायत खरगू विकास खण्ड- मुरसान जनपद- हाथरस

प्रस्तर-93 वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 874500.00 आहरित वन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावतियों, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के चाउचर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्वलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय घन रू0 874500.00 की वसूली ताफालीन प्रधान श्री कालीचरन एवं तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

94. ग्राम पंचायत सुधिया विकास खण्ड- मुरसान जनपद- हाथरस

प्रस्तर-94 वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 909465.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यचा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राफलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउबर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-क्षक के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय बन रू0 909465.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मनोज कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री अजय शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

95. ग्राम पंचायत पटाखास विकास खण्ड- मुरसान जनपद- हाथरस

प्रस्तर-95 वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 1198177.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख पथा कराये गये निर्माण

कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राफलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के चाउचर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्वलवार सूची, खराय हैण्डपम्पों की स्वतवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-४फ के अन्तर्गत अभिलेख एवं चाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय पन रू0 1198177.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गावित्री देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री प्रेम कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

96. ग्राम पंचायत संगीला न0 बरी विकास खण्ड- मुरसान जनपद- हाथरस

प्रस्तर-96 वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 857601.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कायौ की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सठी होने के प्रमाण, जत्त समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेख्खा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउबर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 857601.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्री रूपेश कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री प्रेमचन्द्र से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

97. ग्राम पंचायत झींगुरा विकास खण्ड- मुरसान जनपद- हाथरस

प्रस्तर-97 वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 1661344.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०वी०, कार्य के प्रारम्म, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूबी, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउबर व मजदूरी के मस्टरील आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित बनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8फ के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउबर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय घन रू0 1661344.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री प्रेम कुमार से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

98. ग्राम पंचायत संटीकरा विकास खण्ड- मुरसान जनपद- हाथरस

प्रस्तर-98 वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं अधिभार प्रतिवेदन की आपत्तियों का विवरण रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 1124588.00 आहरित यन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यया कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री कथ के बाउचर व मजबूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष आम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलबार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-

ठक के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय बन रू0 1124588.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्री नवल किशोर गुप्ता एवं तत्कालीन सचिव श्री प्रेम कुमार से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-10)

99. ग्राम पंचायत खुटीपुरी विकास खण्ड- मुरसान जनपद- हाथरस

प्रस्तर-99 वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिका अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 2694211.00 आहरित यन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री कब के बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउबर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित पनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-छक के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय घन रू0 2694211.00 वसूली तत्कालीन प्रयान थी विशम्बर सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री सूर्यकान्त गौतम से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

100. ग्राम पंचायत चन्दपा विकास खण्ड- मुरसान जनपद- हाथरस

प्रस्तर-100 वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अत्तिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 1401314.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यचा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियाँ, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रम के बाउबर व मजबूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराय हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित बनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-9क के अन्तर्गत अभिलेख एवं चाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 1401314.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती भारती देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री अजय चौधरी से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

101. ग्राम पंचायत गुमानपुर विकास खण्ड- मुरसान जनपद- हाथरस

प्रस्तर-101 वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 862202.00 आहरित बन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यया कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राक्तन, एम०बी०, कार्य के प्रारग्र, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल एवं टैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउबर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेख्खा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय- के प्रस्तर-४क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय चन रू0 862202.00 पसूती तत्कालीन प्रधान श्रीमती सोनिया एवं तत्कालीन सचिव श्री रवेन्द्र कुमार पाठक से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

1. विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ

102. ग्राम पंचायत भिसीमिर्जापुर विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-102. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 2383629.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउबर व मजबूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्वलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8क वो अन्तर्गत अभिलेख एवं कउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय बन रू0 2383629.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री मुकेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

103. ग्राम पंचायत बरी शाहपुर विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-103. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलबा नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रु0 3694559.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियाँ, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउबर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराय हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-छक के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 3694559.00 बसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री मुकेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

104. ग्राम पंचायत खेडिया खुर्द विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-104. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशयुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रु० 1095203.00 आहरित यन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यया कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मस्टग्रेल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराय हैण्डपम्पों की स्थलबार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थित्ति में अपहरण मानते हुए व्यथ धन रु० 1095203.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीनू एवं तत्कालीन सचिव श्री रूप किशोर गर्ग से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

105. ग्राम पंचायत टिकरी खुर्द विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-105. वितीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रु० 1221976.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख गवा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रम के बाउबर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की

स्थलबार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सपुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-छ के प्रस्तर-एफ के अन्तर्गत अमिलेया एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 1221976.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्री गंगा प्रसाद एवं तात्कालीन सचिव श्री श्री अभिषेक यादव से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

106. ग्रामपंचायत महामई सलामतनगर विकासखण्ड-सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-106. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशयुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 1939468.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख मथा कराये गये निर्माण

कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री कंय के बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलबार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-ठक के अन्तर्गत अभिलेखा एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 1939468.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्री सत्य प्रकाश एवं तत्कालीन सचिव श्री श्री अभिषेक यादव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

107. ग्राम पंचायत रतनपुर हुसैनपुर विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-107. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्य नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 1464858.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख मचा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारण्म, फार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउबर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, आमवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराच होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुजाल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8फ के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 1464858.00 वसूली ताकालीन प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री अभिषेक यादव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

108. ग्राम पंचायत टटी डडिया विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-108. वित्तीय वर्ष 2021-22 के फैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध मही रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 1845188.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियाँ, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, फार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री कय के बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, घराब हैण्डपम्यों की स्थलवार सूची, आमवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजबूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 1845188.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती आरती एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती नीलू शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

109. ग्राम पंचायत नावली लालपुर विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-109. विल्लीच वर्ष 2021-22 के फैबुक एबैंक स्टेटमेट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में ए० 1937835.00 आरित अन के सापे वयक अभिलेख गया कराये गये निर्माण काच की पावती, जिसमें आकलन, एमबी, कार्य के प्रारम कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के पोते, कार्य गोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं विलीनीकृति की स्वीकृति, सागरी कय के बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरण कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैणापम्पों की स्वलपार सूची, बराय हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर मजदूरी के मारी आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि की सपुषयीन की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय- के प्रस्तर-एक के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय बन 60 1937835.00 वसूली तत्कालीन प्रधान थी हरेचा कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती नीश शर्मा से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

110. ग्राम पंचायत टिकरी कलां विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-110. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 3975299.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राफलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री कय के आउबर व मजदूरी के मस्टरील एवं तैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गाए, जिससे आहरित धनराजि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 मी प्रस्तर-७क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 3975299.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्री पवन कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती नीतू शर्मा से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-10)

111. ग्राम पंचायत इकबालपुर विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-111. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 2691747.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राक्तन, एमएयी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउबर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्वलयार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्वलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरील आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-क्षक के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउवर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रू0 2691747.00 दयुती तत्ालीन प्रधान श्री राये श्याम एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती नीतू शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

112. ग्रामपंचायत रामपुर न0 चटोल विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-112. विलीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रते। वर्ष 2021-22 में रू0 939665.00 आहरित धन के सापेया आवश्यक अभिलेख ययां कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०पी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं वार्ण समाप्ति के फोटो, स्वर्ग योजना, प्रस्ताय, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराद हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, आमपासिगों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आठरित

धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याग-8 के प्रस्तर-क्षक के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए ब्यय धन रु0 939665.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्री सतेन्य कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्रीमती नीशू शर्मा से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-10)

113. ग्राम पंचायत सुजावलपुर विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-113. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नाहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रु0 596166.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के नहटरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैणहपम्पों की स्वतवार सूची, खराय हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, आमवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउबर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-क्षक के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउबर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय बन रू0 596166.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती शोभा देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री हरकेश यादव से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-10)

114. ग्राम पंचायत मूढा नोजलपुर विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-114. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 2116685.00 आहरित मन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख पवा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावत्तियों, जिसमें प्राकलन, एम०वी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्ग योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउबर व मंजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, सखराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, प्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मरटरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित चनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8फ के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय पन रू0 2116685.00 वसूली तत्कालीन प्रधान यी मानपाल सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री हरकेश मादव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-10)

115. ग्राम पंचायत खीजरपुर विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-115. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 2630379.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख गचा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियाँ, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य मोजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के याज्चर व मजदूरी के मस्टरील पूर्व हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूबी, श्वराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित बनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-क्षक के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय घन रू0 2630379.00 वसूली तत्पबलीन प्रधान श्री सोमवीर सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री हरकेश यादव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-10)

116. ग्राम पंचायत गुरैठा सुल्तानपुर विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-116. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 2110989.00 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख बवा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय बन रू0 2110989.00 वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती आरती देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री हरकेश यादव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

117. ग्राम पंचायत डन्डेसरी विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-117. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त जन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 2840204.00 आहरित वन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियाँ, जिसमें प्राकलन, एम०वी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिया एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउबर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची खराब हैण्डपम्पों की स्वलदार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने को प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउबर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-शक के अन्दर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय धन रु० 2840204.00 वसूली तत्कालीन प्रधान क विनय कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री हरकेश गादव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

118. ग्राम पंचायत भैंसमई विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-118. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में 20 1631293.62 आहरित घन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यथा कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्राकलन, एम०बी०, कार्य के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य योजना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउबर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराम हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जल समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंबायत मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अन्तर्गत अभिलेख एवं बाउचर ना होने भी स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यथ धन रू0 1631293.62 वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती गीता एवं तत्कालीन सचिव श्री हरकेश यादव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-10)

119. ग्राम पंचायत बढानू विकास खण्ड- सिकन्द्राराऊ जनपद- हाथरस

प्रस्तर-119. वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट यो अतिरिक्त अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे। वर्ष 2021-22 में रू0 1040210.80 आहरित धन के सापेक्ष आवश्यक अभिलेख यया कराये गये निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, जिसमें प्रचलन, एम०बी०, मार्च के प्रारम्भ, कार्य दौरान एवं कार्य समाप्ति के फोटो, कार्य मोणना, प्रस्ताव, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, सामग्री क्रय के बाउचर व मजदूरी के मस्टरोल एवं हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सापेक्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, खराब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची, ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने के प्रार्थना-पत्र एवं हैण्डपम्प सही होने के प्रमाण, जड समिति द्वारा स्वीकृति एवं बाउबर व मजदूरी के मस्टरोत आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिससे आहरित धनराशि के सदुपयोग की पुष्टि नहीं होती है। अतः ग्राम पंचायत मैनुअल के अध्याय-8 मो प्रस्तर-8क के अन्तर्गत

अभिलेख एवं बाउचर ना होने की स्थिति में अपहरण मानते हुए व्यय थम रू0 1040210.80 बसूली तत्कालीन प्रधान श्री काल सिंह एवं तत्कालीन सचिव श्री हरकेश गायन से की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या-10)

जनपद- कासगंज

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 :- ग्राम पंचायतें

संस्था का नाम- ग्राम पंचायत जनपद- कासगंज मण्डल- अलीगढ़

01 ग्राम पंचायत- बरखुरदारपुर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 01- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 935149.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती जवलेश एवं सचिव श्रीमती शीतल से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

02 ग्राम पंचायत- अहरौली, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 02- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 3961805.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा सिंह एवं सचिव श्री कुंवर पाल सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

03 ग्राम पंचायत- मुबारिकपुर सिगतरा, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 03- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1499248.50 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा कुमारी एवं सचिव श्री कुंवर पाल सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

04 ग्राम पंचायत- कासगंज देहात, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 04- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 4309944.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण

धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या एवं सचिव श्री कुंवर पाल सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

05 ग्राम पंचायत- मामों, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 05- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1854733.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती चांदनी एवं सचिव श्री कुंवर पाल सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

06 ग्राम पंचायत- तिलसई खुर्द, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 06- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1444831.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रणजीत सिंह एवं सचिव श्री कुंवर पाल सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

07 ग्राम पंचायत- फरीदपुर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 07- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 107271.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सूरजमुखी एवं सचिव श्रीमती मधुबाला से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

08 ग्राम पंचायत- पवसरा, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 08- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 851129.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह एवं सचिव श्रीमती मधुबाला से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

09 ग्राम पंचायत- तिलसई कलां, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 09- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1382013.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8

के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लिवेनी सिंह एवं सचिव श्री नरेश प्रताप सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

10 ग्राम पंचायत- नसरतपुर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 10- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2162630.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं सचिव श्री ब्रहमप्रकाश से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

11 ग्राम पंचायत- इटउआ हरनाठेर, विकास खण्ड- कासगंज, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 11- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1518007.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता सिंह एवं सचिव श्री जुगेन्द्र सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

12 ग्राम पंचायत- दहेली बुजुर्ग, विकास खण्ड- सिढ़पुरा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 12- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 459921.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानश्री एवं सचिव श्री राजीव कुलश्रेष्ठ से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

13 ग्राम पंचायत- पावलडेरा, विकास खण्ड- सिढ़पुरा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 13- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1056877.15 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामा देवी एवं सचिव श्री अवधेश कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

14 ग्राम पंचायत- नौरी, विकास खण्ड- सिढ़पुरा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 14- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 786578.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री बलवीर सिंह एवं सचिव श्री अनिल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

15 ग्राम पंचायत- समौठी, विकास खण्ड- सिढ़पुरा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 15- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1876253.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामसेवक एवं सचिव श्री अवधेश कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

16 ग्राम पंचायत- दामरी, विकास खण्ड- सिढ़पुरा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 16- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 679185.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री उपदेश एवं सचिव श्री संतोष कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

17 ग्राम पंचायत- उतरना, विकास खण्ड- सिढ़पुरा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 17- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1163830.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रमन देवी एवं सचिव श्री अनिल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

18 ग्राम पंचायत- खिरियापट्टी, विकास खण्ड- सिढ़पुरा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 18- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 966122.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अजयपाल सिंह एवं सचिव श्री अनिल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

19 ग्राम पंचायत- जासमई, विकास खण्ड- सिढ़पुरा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 19- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1606215.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री किशनवीर सिंह एवं सचिव श्री अनिल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

20 ग्राम पंचायत- अजीतनगर, विकास खण्ड- सिढ़पुरा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 20- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1606929.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति एवं सचिव श्री अनिल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

21 ग्राम पंचायत- पचलाना, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 21- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2112999.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दीपांशी एवं सचिव श्री उपदेश कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

22 ग्राम पंचायत- गौसपुर भूपालगढ़ी, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 22- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1330264.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रमनेश एवं सचिव श्री एवन सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

23 ग्राम पंचायत- तुमरिया, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 23- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2304531.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कोमल एवं सचिव श्री कमल सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

24 ग्राम पंचायत- हरसैना, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 24- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 3180205.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री ओमकार सिंह एवं सचिव श्री एवन सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

25 ग्राम पंचायत- ढोकेली, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 25- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1008680.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री श्योराज सिंह एवं सचिव श्री मथुरा प्रसाद से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

26 ग्राम पंचायत- बरौली उर्फ बड़ागांव, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 26- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 718856.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कंचन देवी एवं सचिव श्री मथुरा प्रसाद से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

27 ग्राम पंचायत- मौसमपुर हुसैनपुर, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 27- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2266176.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं सचिव श्री कमल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

28 ग्राम पंचायत- कुढ़ार, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 28- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2295463.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण

धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्रभान एवं सचिव श्री मथुरा प्रसाद से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

29 ग्राम पंचायत- चकेरी, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 29- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 931040.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजवती एवं सचिव श्री मथुरा प्रसाद से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

30 ग्राम पंचायत- पैसोई, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 30- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 562240.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सोनपाल एवं सचिव श्री एवन सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

31 ग्राम पंचायत- चण्डौस, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 31- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2929240.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रवीन कुमार एवं सचिव श्री एवन सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

32 ग्राम पंचायत- वसूपुरा, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 32- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2373131.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता एवं सचिव श्री कमल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

33 ग्राम पंचायत- उढ़ैरपुर पुख्ता, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 33- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 4311397.00

व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ईश्वर देवी एवं सचिव श्री कमल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

34 ग्राम पंचायत- शाहपुर माफी, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 34- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1580850.90 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी एवं सचिव श्री कमल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

35 ग्राम पंचायत- तारापुर नसीर, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 35- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1360175.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डो देवी एवं सचिव श्री उपदेश कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

36 ग्राम पंचायत- पाठकपुर, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 36- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1264588.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र एवं सचिव श्री जुगेन्द्र सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

37 ग्राम पंचायत- मलिकपुर, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 37- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 836604.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मनवीर एवं सचिव श्री जुगेन्द्र सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

38 ग्राम पंचायत- बघेला पुख्ता, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 38- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1066882.00

व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विनीता एवं सचिव श्री जुगेन्द्र सिंह से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

39 ग्राम पंचायत- महमूदपुर पुख्ता, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 39- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2503836.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अमरपाल सिंह एवं सचिव श्री ओ0पी0 उपाध्याय से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

40 ग्राम पंचायत- कुमरौआ, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 40- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2812375.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री आर्येन्द्र एवं सचिव श्री ओ0पी0 उपाध्याय से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

41 ग्राम पंचायत- होडलपुर, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 41- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2350034.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार वर्मा एवं सचिव श्री ओ0पी0 उपाध्याय से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

42 ग्राम पंचायत- तोलकपुर, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 42- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2357888.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नेक्सू एवं सचिव श्री ओ0पी0 उपाध्याय से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

43 ग्राम पंचायत- सुल्तानपुर ताखरू, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 43- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1435760.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता कुमारी एवं सचिव श्री ओ0पी0 उपाध्याय से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

44 ग्राम पंचायत- आनन्दीपुर खलीलपुर, विकास खण्ड- सोरों, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 44- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1278915.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं सचिव श्री ओ0पी0 उपाध्याय से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

45 ग्राम पंचायत- रेखपुर, विकास खण्ड- अमांपुर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 45- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1299585.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संजीवनी देवी एवं सचिव श्री रोहित कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

46 ग्राम पंचायत- सरसैठ, विकास खण्ड- अमांपुर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 46- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 511094.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी एवं सचिव श्रीमती अनीता निगम से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

47 ग्राम पंचायत- छितौनी, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 47- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1086609.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बाला देवी एवं सचिव श्री हरिओम प्रतिहार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

48 ग्राम पंचायत- जौहरी(गुन्नार), विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 48- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2915496.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अभिलाख सिंह एवं सचिव श्री मंजुल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

49 ग्राम पंचायत- अमिरसा, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 49- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1376048.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीता एवं सचिव श्री मंजुल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

50 ग्राम पंचायत- रारा, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 50- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1657343.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री जुगेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री हरिओम प्रतिहार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

51 ग्राम पंचायत- रायों, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 51- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1447434.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती एवं सचिव श्री हरिओम प्रतिहार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

52 ग्राम पंचायत- नगला नैनसुख, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 52- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1273631.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ज्योती एवं सचिव श्री हरिओम प्रतिहार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

53 ग्राम पंचायत- खरपरा, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 53- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2019904.00

व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सनी एवं सचिव श्री हरिओम प्रतिहार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

54 ग्राम पंचायत- जयधर, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 54- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1150593.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री पुष्पेन्द्र एवं सचिव श्री हरिओम प्रतिहार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

55 ग्राम पंचायत- गढ़का, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 55- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 3313618.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री शहनशाह एवं सचिव श्री हरिओम प्रतिहार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

56 ग्राम पंचायत- खितौली, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 56- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2718592.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मो0 आरिफ खां एवं सचिव श्री शिव कपूर आर्दश से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

57 ग्राम पंचायत- ऐगवां, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 57- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 346308.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री लेखपाल सिंह एवं सचिव श्री संदीप यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

58 ग्राम पंचायत- बोंदर, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 58- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 3342976.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण

धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शशी एवं सचिव श्री शिव कपूर आदर्श से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

59 ग्राम पंचायत- कुवंरपुर, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 59- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2083629.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नेतराम एवं सचिव श्री मंजुल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

60 ग्राम पंचायत- लखमीपुर गोपालसिंह, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 60- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 3163435.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री वीनेश एवं सचिव श्री मंजुल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

61 ग्राम पंचायत- नगला बदन, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 61- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1906792.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री मंजुल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

62 ग्राम पंचायत- ताजपुर, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 62- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1615531.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं सचिव श्री मंजुल कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

63 ग्राम पंचायत- पदारथपुर, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 63- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1115439.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8

के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सतीश चन्द्र एवं सचिव श्री हरिओम प्रतिहार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

64 ग्राम पंचायत- सादिकपुर, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 64- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 563850.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा एवं सचिव श्री रंजीत यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

65 ग्राम पंचायत- अल्लादीनपुर, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 65- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1230321.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री पप्पू सिंह एवं सचिव श्री रंजीत यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

66 ग्राम पंचायत- नाथूपुर, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 66- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 759096.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नीरज कुमार एवं सचिव श्री रंजीत यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

67 ग्राम पंचायत- इतवारपुर, विकास खण्ड- सहावर, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 67- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2721806.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री उमाकांत एवं सचिव श्री रंजीत यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

68 ग्राम पंचायत- सिकन्दरपुर वैश्य, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 68- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2857699.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण

धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा सिंह एवं सचिव श्री धर्मेन्द्र कुशवाहा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

69 ग्राम पंचायत- समसपुर, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 69- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 3129701.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री जिसारत एवं सचिव श्री अजयपाल से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

70 ग्राम पंचायत- राजेपुर कुर्रा, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 70- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1200688.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रमनपाल एवं सचिव श्री रजनेश यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

71 ग्राम पंचायत- पिथनपुर भुजपुरा, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 71- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 859889.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी एवं सचिव श्री अजयपाल से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

72 ग्राम पंचायत- नगला दामर, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 72- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1348101.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी एवं सचिव श्री धर्मेन्द्र कुशवाहा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

73 ग्राम पंचायत- नूरपुर, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 73- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1032922.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8

के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राममूर्ति एवं सचिव श्री अजयपाल से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

74 ग्राम पंचायत- गठौरा, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 74- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1098025.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सौरभ कुमार एवं सचिव श्री अजयपाल से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

75 ग्राम पंचायत- लभैड़, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 75- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 725746.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं सचिव श्री अजयपाल से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

76 ग्राम पंचायत- धर्मपुर, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 76- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1221538.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री हरवरी सिंह एवं सचिव श्री अजयपाल से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

77 ग्राम पंचायत- अकबरनगर पलिया, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 77- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1919685.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री ज्ञादीन सिंह एवं सचिव श्री अजयपाल से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

78 ग्राम पंचायत- बरौना, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 78- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1052097.00

व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तारावती एवं सचिव श्री धर्मेन्द्र कुशवाहा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

79 ग्राम पंचायत- बगवास, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 79- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2095356.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुमकुम एवं सचिव श्री धर्मेन्द्र कुशवाहा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

80 ग्राम पंचायत- अजीजपुर, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 80- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1867822.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार एवं सचिव श्री धर्मेन्द्र कुशवाहा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

81 ग्राम पंचायत- दीवान नगर, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 81- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 580179.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरेश कुमार एवं सचिव श्री राजेश यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

82 ग्राम पंचायत- अहमददेव नगर, विकास खण्ड- गंजडुण्डवारा, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 82- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 961691.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री ओमकार एवं सचिव श्री राजेश यादव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

83 ग्राम पंचायत- औरंगाबाद, विकास खण्ड- पटियाली, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 83- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1897057.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी एवं सचिव श्रीमती प्रियंका से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

84 ग्राम पंचायत- कुतुबपुर सराय, विकास खण्ड- पटियाली, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 84- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 3618565.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा यादव एवं सचिव श्री पदमेश कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

85 ग्राम पंचायत- परतापुर, विकास खण्ड- पटियाली, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 85- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2250170.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र एवं सचिव श्रीमती प्रियंका से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

86 ग्राम पंचायत- ककराला, विकास खण्ड- पटियाली, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 86- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2759814.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं सचिव श्रीमती प्रियंका से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

87 ग्राम पंचायत- गढ़ी खड़ेई, विकास खण्ड- पटियाली, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 87- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1938903.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनारकली एवं सचिव श्रीमती प्रियंका से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

88 ग्राम पंचायत- द्विवरैया, विकास खण्ड- पटियाली, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 88- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2944111.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज एवं सचिव श्रीमती प्रियंका से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

89 ग्राम पंचायत- कनेसर नगला डलू, विकास खण्ड- पटियाली, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 89- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1874056.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सूरजभान एवं सचिव श्री चन्द्रप्रकाश (राधे) से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

90 ग्राम पंचायत- नौगवां चहका, विकास खण्ड- पटियाली, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 90- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1816011.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती समन देवी एवं सचिव श्री स्वराष्ट्र सोनकर से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

91 ग्राम पंचायत- रिजोला राजा, विकास खण्ड- पटियाली, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 91- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 4055977.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं सचिव श्री पदमेश कुमार/अवधेश कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

92 ग्राम पंचायत- मेदपुर, विकास खण्ड- पटियाली, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 92- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 759797.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण

धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री पदमेश कुमार से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

93 ग्राम पंचायत- मझोला, विकास खण्ड- पटियाली, जनपद- कासगंज

प्रस्तर 93- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत द्वारा कुल धनराशि 13812920.00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना सचिव व प्रधान का संयुक्त दायित्व है। पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 8 क के प्राविधानुसार दर्शाए गए व्यय की पुष्टि में प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाते तो व्यय की पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मुजफ्फर खां एवं सचिव श्री चन्द्रप्रकाश (राधे) से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। आपत्ति संख्या- 01

जनपद अम्बेडकर नगर मण्डल अयोध्या

प्रारूप 4

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियाँ

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर संख्या-01

ग्राम पंचायत- खानजहाँपुर विकास खंड-अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में हैन्डपम्प मरम्मत मद पर कुल अंकित व्यय धनराशि रु0 34810.00 के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं उपलब्ध नहीं रहे। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 34810.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मनोज कुमार से रू0 17405.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार सिंह से 17405.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-17)

प्रस्तर संख्या-02

ग्राम पंचायत- उकरा विकास खंड-अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में हैन्डपम्प मरम्मत मद पर अंकित कुल व्यय धनराशि रु0 55976.00 के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 55976.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साधना से रू0 27988.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री चूड़ामणि से 27988.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-20)

प्रस्तर संख्या-03

ग्राम पंचायत-सिकरोहर विकास खंड-अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत सिकरोहर में आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद पर अंकित कुल व्यय धनराशि रु0 381888.00 के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 381888.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रेखा देवी से रू0 127296.00, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव/कार्य प्रभारी श्री सैयद नदीम रजा से रू0 127296.00 एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से रू0 127296.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-18)

प्रस्तर संख्या-04

ग्राम पंचायत-सिसनी अखईपुर विकास खंड-अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों मे हैन्डपम्प मरम्मत मद पर व्यय की गई कुल धनराशि रू0 269491.00 के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, मृत स्कन्ध पंजिका, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति, जल समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, हैन्डपम्प खराब होने की सूचना और इस संबंध में तकनीकी रिपोर्ट आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 269491.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पुष्पा से रू0 134745.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सैयद नदीम रजा से 134745.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-19)

प्रस्तर संख्या-05

ग्राम पंचायत-सिसनी अखईपुर विकास खंड-अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

निम्न दिनांकों को किए गए व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण	प्राप्तकर्ता
1	24.11.2021	27800.00	ह्यूमपाइप क्रय	जय माँ दुर्गा इन्टरप्राइजेज
2	11.12.2021	27800.00	ह्यूमपाइप क्रय	साहू ट्रेडर्स
योग		**55600.00**		

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ह्यूमपाइप क्रय मद पर व्यय की गई कुल धनराशि रू0 55600.00 के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ, स्टॉक पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे-नियोजन समिति, निर्माण समिति की संस्तुति, ह्यूमपाइप लगाए जाने के स्थलों की सूची आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ व कोषबही में संबंधित स्थलों का उल्लेख भी नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 55600.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती पुष्पा से रू0 27800.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सैयद नदीम रजा से रु0 27800.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-20)

प्रस्तर संख्या-06

ग्राम पंचायत- अमौली मोहिउद्दीनपुर विकास खंड-अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्प्ष्ट प्रावधान है "ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ,ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (कार्ययोजना, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, मस्टररोल, टेंडर/कोटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही रहे| टेंडर/कोटेशन पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नही एवं अपना जी0 एस0 टी0 समय से जमा कर रहा है कि नही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्य पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं .	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रू०)
1-	सी सी रोड से कोटेदार के	05/02/2022	ईंटा/ मैं.बी.आर.ए.के.ईंट भटठा	81053.00

	घर तक खडन्जा निर्माण			
	कुल योग	----	---	**81053.00**

इस प्रकार उक्त कार्य से सम्बंधित कार्य पत्रावली एवं वैध व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम-256 एवं 257(ख) के विपरीत है | पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं (ख) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत से की जाएगी | "इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू0 81053.00 वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं | अतः उक्त धनराशि रू0 81053.00 की वसूली संयुक्त रूप से (रू0 40527.00 ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से तथा रू0 40527.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राधेश्याम चौधरी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-07

ग्राम पंचायत- अमौली मोहिउद्दीनपुर विकास खंड-अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

पंचायत राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्प्ष्ट प्रावधान है "ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किवे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, कोटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही रहे। कोटेशन पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नही एवं अपना जी0 एस0 टी0 समय से जमा कर रहा है कि नही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यो पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं .	**कार्य का नाम**	**दिनांक**	**मद/फर्म का नाम**	**धनराशि (रू०)**
1-	हैण्डपम्प रिबोर (तालिय तालाब के पास)	22/03/2022	मैं. बालाजी ट्रेडर्स	38340.00
2-	हैण्डपम्प रिबोर (प्रा० वि० पर)	23/03/2022	मैं. बालाजी ट्रेडर्स	38340.00
3	हैण्डपम्प रिबोर (जयहिंद चौहान के घर)	30/03/2022	मैं. बालाजी ट्रेडर्स	38340.00
	कुल योग	---	--	**115020.00**
4	हैण्डपम्प मरम्मत		शुभम ट्रेडर्स	15595.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत		शुभम ट्रेडर्स	16200.00
	कुल योग	---	----	**31795.00**
	महायोग	----	---	**146815.00**

ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में अन्य अभिलेख जैसे-मांगपत्र, डेड स्टाक रजिस्टर, स्थल सूची एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहे| इस प्रकार उक्त कार्य से सम्बंधित कार्य पत्रावली एवं वैध व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम-256 एवं 257(ख) के विपरीत है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं (ख) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू०0 146815.00 वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 146815.00 की वसूली संयुक्त रूप से (रू0 73408.00 ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी से तथा रू0 73408.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राधेश्याम चौधरी से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-08

ग्राम पंचायत- कोटवा मोहम्मदपुर विकास खंड-अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

पंचायत राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्प्ष्ट प्रावधान है "ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किवे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कतिपय कार्यों/मदों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम० बी०, कोटेशन पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही रहे। कोटेशन पत्रावली/जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन अप्राप्त रहने से यह अज्ञात रहा कि फर्म सम्बंधित कार्य करने में सक्षम है कि नही एवं अपना जी0 एस0 टी0 समय से जमा कर रहा है कि नही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न कार्यो पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं .	कार्य का नाम	दिनांक	मद/फर्म का नाम	धनराशि (रू०)
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	24/05/2021	मैं. ओमसाई ट्रेडर्स	15200.00
2-	हैण्डपम्प मरम्मत	08/12/2021	मैं. उन्नति ट्रेडर्स	11214.00
3	हैण्डपम्प मरम्मत	16/08/2021	मैं. ओमसाई ट्रेडर्स	17681.00
4	हैण्डपम्प रिबोर	03/11/2021	मैं. ओमसाई ट्रेडर्स	34450.00
	कुल योग	----	----	**78545.00**

ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में अन्य अभिलेख जैसे-मांगपत्र, डेड स्टाक रजिस्टर, स्थल सूची एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहे| इस प्रकार उक्त कार्य से सम्बंधित कार्य पत्रावली एवं वैध व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम-256 एवं 257(ख) के विपरीत है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं (ख) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू०0 78545.00 वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 78545.00 की वसूली संयुक्त रूप से (रू0 39273.00 ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती श्रीवास्तव से तथा रू0 39273.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत सुश्री प्रियंका श्रीवास्तव से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-09

ग्राम पंचायत- गौरा विकास खंड-अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्प्ष्ट प्रावधान है "ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किवे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें", परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कार्य से सम्बंधित निम्न मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे-

क्र.सं .	कार्य का नाम	दिनांक	मद	धनराशि (रू०)
1-	पंचायत भवन निर्माण (के.वि.आ. से)	11/10/2021	मजदूरी	5000.00
2-	पंचायत भवन निर्माण (के.वि.आ. से)	11/10/2021	मजदूरी	3000.00
3	पंचायत भवन निर्माण (के.वि.आ. से)	11/10/2021	मजदूरी	7000.00
4	पंचायत भवन निर्माण (के.वि.आ. से)	11/10/2021	मजदूरी	5000.00
5	पंचायत भवन निर्माण (के.वि.आ. से)	11/10/2021	मजदूरी	3000.00
6	पंचायत भवन निर्माण (के.वि.आ. से)	11/10/2021	मजदूरी	3000.00
7	पंचायत भवन निर्माण (के.वि.आ. से)	11/10/2021	मजदूरी	3000.00
8	पंचायत भवन निर्माण (के.वि.आ. से)	20/10/2022	मजदूरी	9000.00

	कुल योग	---	मजदूरी	38000.00

इस प्रकार उक्त मस्टर रोल अप्राप्त रहा जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -256 एवं 257(ख) के विपरीत है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं(ख) के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वैध बाउचर/मस्टर रोल उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी,ग्राम पंचायतसे की जाएगी," इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू0 38000.00 वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 38000.00 की वसूली संयुक्त रूप से (रू0 19000.00 ग्राम प्रधान श्री हरिलाल से तथा रू0 19000.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अतुल कुमार सिंह से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-10

ग्राम पंचायत- जगदीशपुर नोखा विकास खंड-अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के आदेश/शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पर कम्प्यूटर, प्रिंटर, वेबकैम, सी.सी.टी.वी. कैमरा, बैटरी, इनवर्टर, सोलर पैनल, पंखा, अलमारी, कुर्सी, मेज, दरी आदि सामग्री को क्रय करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को कुल रू0 175000.00 ग्राम निधि से खर्च करने के लिए आदेशित किया गया था। इसके अनुपालन क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा लेखा परीक्षा वर्ष में निन्नानुसार धन व्यय किया गया -

क्र.सं .	**कार्य का नाम**	**मद/फर्म का नाम**	**धनराशि (रू०)**
1-	कम्प्यूटर,प्रिंटर वेबकैम आदि	प्राइम सल्यूशन	94200.00
2-	फर्नीचर सामग्री	राहुल फर्नीचर	59500.00
3	बैटरी ,इनवर्टर पंखा आदि	ल्युमिनेक्स इलेक्ट्रानिक्स कंपनी	82095.00
		कुल योग	**235795.00**

लेखा परीक्षा में उक्त क्रय से सम्बंधित स्टाक रजिस्टर एवं परिसंपति रजिस्टर मंगोपरांत भी अप्राप्त होने से सामग्री अपुष्टित रही। पुनः ग्राम पंचायत द्वारा, शासन द्वारा निर्धारित व्यय सीमा रू0 175000.00 से रू0 60795.00 अधिक व्यय किया गया है जो शासनादेश के विपरीत एवं राजकीय धन का दुरुपयोग है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं । इस प्रकार अधिक व्यय की गई धनराशि रू0 60795.00 वित्तीय दुरुपयोग है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं अतः उक्त धनराशि रू0 60795.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू0 30398.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा से तथा रू0 30398.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजीव कुमार वर्मा से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

(सा0आ0 संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-11

ग्राम पंचायत- जगदीशपुर नोखा विकास खंड-अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्प्ष्ट प्रावधान है "ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा किवे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षा दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, परन्तु लेखा परीक्षा में निम्नलिखित हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित पत्रावलियां एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वैध बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प

मरम्मत पर निम्नानुसार भुगतान किया गया है -

क्र.सं .	**कार्य का नाम**	**दिनांक**	**मद/फर्म का नाम**	**धनराशि (रू०)**

1-	हैण्डपंप मरम्मत(रा०वि०आ०)	09/05/2021	मैं. डी. के. ट्रेडर्स	11500.00
2-	हैण्डपंप मरम्मत(रा०वि०आ०)	15/09/2021	मैं.नारायण इंटरप्राइजेज	13140.00
3	हैण्डपंप मरम्मत(रा०वि०आ०)	19/02/2022	मैं. डी. के. ट्रेडर्स	14500.00
4	हैण्डपंप मरम्मत(के०वि०आ०)	27/10/21	मैं. डी. के. ट्रेडर्स	19019.00
5	हैण्डपंप मरम्मत(के०वि०आ०)	27/10/2021	मैं. डी. के. ट्रेडर्स	18874.00
6	हैण्डपंपमरम्मत(के०वि०आ०)	08/12/2021	मैं. डी. के. ट्रेडर्स	18870.00
	कुल योग	-----	-----	**95909.00**

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां एवं वैध व्यय प्रमाणक/बाउचर प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये व्यय अप्रमाणित रहे। लेखापरीक्षा में सम्बंधित कार्य पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, आदि) एवं अन्य अभिलेख जैसे- मरममत हेतु मांगपत्र, स्थल सूची, डेड स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्राप्त रहा जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम -256 एवं 257(ख) के विपरीत है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) एवं (ख) के अनुसार उक्त दर्शित धनराशि रू0 95909.00 वित्तीय अपहरण है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 95909.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से (रू०0 47955.00 ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा से तथा रू0 47955.00 सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजीव कुमार वर्मा से) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-12

ग्राम पंचायत- नरकटा बैरागीपुर विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत नरकटा बैरागीपुर में गंगाराम के घर से जीवधन मौर्य के घर तक नाली निर्माण कार्य हेतु दिनांक 11.10.2021 को रु० 110576.00 का अनन्या ट्रेडर्स को (मेटेरियल हेतु) भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 110576.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अमिता से रू0 55288.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रू0 55288.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-13

ग्राम पंचायत- नरकटा बैरागी विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत नरकटा बैरागीपुर में विभिन्न स्थानों पर आर सी सी बेंच निर्माण कार्य हेतु दिनांक 08.03.2022 को रु० 92950.00 एवं 33800.00 कुल रु० 126750.00 अनन्या ट्रेडर्स को (मेटेरियल हेतु) भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त

धनराशि रु० 126750.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अमिता से रू0 63375.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रू0 63375.00 किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0 संख्या-03)**

प्रस्तर संख्या-14

ग्राम पंचायत- नरकटा बैरागी विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत नरकटा बैरागीपुर में विभिन्न तिथियों में पंचायत भवन निर्माण पर व्यय करके कैशबुक में दर्शित है, विवरण निम्नवत हैः-

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1.	01.05.2021	पंचायत भवन हेतु मेटेरियल	यश ट्रेडर्स	192730.00
2.	12.07.2021	पंचायत भवन हेतु मेटेरियल	यश ट्रेडर्स	122555.00
3.	12.07.2021	पंचायत भवन हेतु मेटेरियल	यश ट्रेडर्स	122248.00
4.	12.08.2021	पंचायत भवन हेतु मेटेरियल	ए.के. ट्रेडर्स	53536.00
5.	13.09.2021	पंचायत भवन हेतु मेटेरियल	ए.के. ट्रेडर्स	54309.00
6.	24.12.2021	पंचायत भवन हेतु मेटेरियल	कामदगिरी इंटरप्राइजेज	90105.00
7.	10.01.2022	पंचायत भवन हेतु मेटेरियल	कामदगिरी इंटरप्राइजेज	50000.00
8.	08.03.2022	कुर्सी मेज आदि	एम.के.इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर	41250.00
		योग		**726733.00**

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 726733.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अमिता से रू0 363366.50 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रू0 363366.50 किया जाना अपेक्षित है।**(सा0आ0 संख्या-)**

प्रस्तर संख्या-15

ग्राम पंचायत- पूरा बजगोती विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष-2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत पूरा बजगोती में विभिन्न तिथियों में निम्न विवरणानुसार भुगतान कर कैशबुक दर्शित हैः-

क्र0	दिनांक	व्यय प्रमाणक	भुगतान प्राप्तकर्ता	मद	धनराशि
1.	16.10.2021	अनुपलब्ध	महाबली कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स	व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	150861.00
2.	29.10.2021	अनुपलब्ध	महाबली कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स	व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	27799.00
3.	29.10.2021	अनुपलब्ध	महाबली कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स	व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	27820.00
4.	04.11.2021	अनुपलब्ध	श्री बाला जी कंस्ट्रक्शन	व्यय विवरण का अंकन नहीं है।	44348.00
			योग		**250828.00**

उक्त व्यय योग रु० 250828.00 की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में नहीं किया जा सका। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 250828.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती वृन्दावती से रु० 125414.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव विमल वर्मा से रु० 125414.00 किया जाना अपेक्षित है।**(सा0आ0 संख्या-)**

प्रस्तर संख्या-16

ग्राम पंचायत- सोनहन विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सोनहन में विभिन्न तिथियों में पंचायत भवन निर्माण पर व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत हैः-

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	अन्य	धनराशि
1.	26.07.2021	सटरिंग कार्य	यश ट्रेडर्स	ग्राम निधि	2708.00
2.	27.10.2021	मस्टररोल		ग्राम निधि	4320.00
3.	27.10.2021	मस्टररोल		ग्राम निधि	4800.00
4.	18.11.2021	मस्टररोल		ग्राम निधि	5760.00
5.	18.11.2021	मस्टररोल		ग्राम निधि	5280.00
6.	27.07.2021	सटरिंग कार्य	यश ट्रेडर्स	केन्द्रीय वित्त	73388.00
7.	22.12.2021	सामग्री क्रय	जय माता दी ट्रेडर्स	केन्द्रीय वित्त	79417.00
				योग	**175673.00**

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 175673.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती रीता देवी से रु० 87836.50 एवं ग्राम सचिव श्री विनय प्रकाश मिश्र से रु० 87836.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-17

ग्राम पंचायत हंसवर विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत हंसवर में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप रिबोर पर व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत हैः-

क्र०	दिनांक	व्यय विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1.	10.08.2021	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स यूनिक प्लाई एंड हार्डवेयर	40322.00
2.	10.08.2021	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स यूनिक प्लाई एंड हार्डवेयर	40322.00
3.	03.09.2021	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स अभिनव कांट्रेक्टर एंड सप्लायर्स	37830.00
4.	03.09.2021	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स अभिनव कांट्रेक्टर एंड सप्लायर्स	35540.00
5.	03.09.2021	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स अभिनव कांट्रेक्टर एंड सप्लायर्स	34760.00
6.	01.10.2021	हैंडपंप रिबोर	ए० के० ट्रेडर्स	37771.00
7.	01.10.2021	हैंडपंप रिबोर	ए० के० ट्रेडर्स	38550.00
8.	30.10.2021	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स अभिनव कांट्रेक्टर एंड सप्लायर्स	37550.00
9.	30.10.2021	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स अभिनव कांट्रेक्टर एंड सप्लायर्स	38580.00
10.	13.12.2021	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स अभिनव कांट्रेक्टर एंड सप्लायर्स	38900.00
11.	17.01.2022	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स कामदगिरि इंटरप्राइजेज	39870.00
12.	08.03.2022	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स कामदगिरि इंटरप्राइजेज	38550.00
13.	08.03.2022	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स कामदगिरि इंटरप्राइजेज	39643.00

14.	17.03.2022	हैंडपंप रिबोर	मैसर्स कामदगिरि इंटरप्राइजेज	38970.00
			योग	**537158.00**

पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही. तकनिकी अनुश्रवण का कार्य जेई एम आई/आर ई डी/मंडी परिषद्/जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी पी डी पी के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एव पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहते के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही. विकेंद्रीकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बंधित योजनाओ एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन/संस्तुति करना है. लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजो में सीमित हो।

ग्राम्य विकास अनुभाग 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदु एक के अनुसार नए इंडिया मार्का 2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेय जल योजनाये कार्यकारी संस्था के द्वारा स्थापित किये जाने के बाद रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा इसके बाद बिंदु 3 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनापरांत परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में न तो डेड स्टाक, न तो नीलामी से धनराशि प्राप्ति एवं जमा के अभिलेख एवं साक्ष्य प्राप्त हुए जो आपत्तिजनक रहा द्य

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 537158.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री कन्हैया लाल से रु० 268579.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 268579.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-18

ग्राम पंचायत हंसवर विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत हंसवर में विभिन्न तिथियों में हैंडपंप मरम्मत पर व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत हैः-

क्र०स०	दिनांक	व्यय विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1.	20.08.2021	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स यूनिक प्लाई एंड हार्डवेयर	19780.00
2.	20.08.2021	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स यूनिक प्लाई एंड हार्डवेयर	19856.00
3.	03.09.2021	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स अभिनव कांट्रेक्टर एंड सप्लायर्स	19830.00
4.	03.09.2021	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स अभिनव कांट्रेक्टर एंड सप्लायर्स	19850.00
5.	24.01.2022	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स कामदगिरि इंटरप्राइजेज	12250.00
6.	11.02.2022	हैंडपंप मरम्मत	मैसर्स कामदगिरि इंटरप्राइजेज	19850.00
			योग	**111416.00**

उक्त के सम्बन्ध में आपतियां निम्न प्रकार हैः-

1- हैंडपंप मरम्मत पर कुल रु० 111416.00 का व्यय किया है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण/ व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2- उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3- एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरूद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 111416.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री कन्हैयालाल से रु० 55708.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 55708.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-19

ग्राम पंचायत हंसवर विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत हंसवर में विभिन्न तिथियों में खडंजा मरम्मत पर व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत हैः-

क्र०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	अन्य	धनराशि
1.	30.08.2021	जय प्रकाश के चक से दुर्गा के चक तक	मै० अभिनव कांट्रेक्टर एंड सप्लायर्स	मिट्टी गिरवाई	19459.00
2.	30.08.2021	" "	मैसर्स सिद्दीकी बर्क फील्ड	ईंट क्रय	60900.00
3.	31.01.2022	बाग से ट्यूबेल तक	मस्टररोल	मजदूरी	46916.00
4.	31.01.2022	" "	मैसर्स साकेत ईंट उद्योग	ईंट क्रय	88585.00
5.	31.01.2022	" "	मैसर्स कामदगिरि इंटरप्राइजेज	मिट्टी गिरवाई	32736.00
				योग	**248596.00**

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 248596.00 की वसूली ग्राम-सचिव श्री कन्हैयालाल से रु० 124298.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 124298.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-20

ग्राम पंचायत हंसवर विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत हंसवर में विभिन्न तिथियों में ह्युम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित है , विवरण निम्नवत हैः-

क्र०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1.	10.08.2021	ह्युम पाइप	मैसर्स यूनिक प्लाई एंड हार्डवेयर	135856.00
2.	30.09.2021	ह्युम पाइप	जे० पी० कंस्ट्रक्शन	137785.00
3.	31.03.2022	ह्युम पाइप	मैसर्स कामदगिरि इंटरप्राइजेज	174800.00
			योग	**448441.00**

ह्युम पाइप पर कुल रु० 448441.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण/ व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 448441.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री कन्हैयालाल से रु० 224220.50 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 224220.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-21

ग्राम पंचायत हंसवर विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत हंसवर में विभिन्न तिथियों में कोविड-19 हेतु छिड़काव एवं फोगिंग कार्य पर व्यय दर्शित है, विवरण निम्नवत हैः-

क्र०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1.	30.10.2021	कोविड-19 हेतु छिड़काव एवं फोगिंग	आदर्श कंस्ट्रक्शन	19840.00
2.	01.11.2021	कोविड-19 हेतु छिड़काव एवं फोगिंग	आदर्श कंस्ट्रक्शन	18545.00
3.	04.11.2021	कोविड-19 हेतु छिड़काव एवं फोगिंग	आदर्श कंस्ट्रक्शन	19680.00
4.	04.11.2021	कोविड-19 हेतु छिड़काव एवं फोगिंग	आदर्श कंस्ट्रक्शन	19664.00
5.	05.11.2021	कोविड-19 हेतु छिड़काव एवं फोगिंग	आदर्श कंस्ट्रक्शन	19775.00
6.	13.12.2021	कोविड-19 हेतु छिड़काव एवं फोगिंग	अभिनव कंस्ट्रक्शन	26930.00
7.	13.12.2021	कोविड-19 हेतु छिड़काव एवं फोगिंग	अभिनव कंस्ट्रक्शन	23930.00
8.	13.12.2021	कोविड-19 हेतु छिड़काव एवं फोगिंग	अभिनव कंस्ट्रक्शन	36050.00
9.	24.01.2022	कोविड-19 हेतु छिड़काव एवं फोगिंग	कामदगिरि इंटरप्राइजेज	6190.00
			योग	**190604.00**

कोविड-19 हेतु छिड़काव एवं फोगिंग कार्य पर कुल रु० 190604.00 का व्यय किया है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है, इसके सापेक्ष कोई व्यय विवरण/ व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक एवं कार्यवाही पुस्तिका आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे किसी भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 190604.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री कन्हैयालाल से रु० 95302.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 95302.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-22

ग्राम पंचायत हंसवर विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत हंसवर में सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य हेतु मो० सिद्दीकी ब्रिक फील्ड से दिनांक 17.02.2022 को रु० 19463.00 की सामग्री का फर्जी एवं प्रमाणक विहीन व्यय कर कैशबुक में दर्शित किया गया है। उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/ व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 19463.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री कन्हैयालाल से रु० 9731.50 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 9731.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-23

ग्राम पंचायत हंसवर विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत हंसवर में स्टेशनरी सामग्री हेतु दिनांक 30.09.2021 को रु० 17117.00 का व्यय कर कैशबुक में दर्शित किया गया है। जो अत्यधिक एवं प्रमाण विहीन व्यय है। उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 17117.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री कन्हैयालाल से रु० 8558.50 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 8558.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-24

ग्राम पंचायत- केवटला विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत केवटला में विभिन्न तिथियों में विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क-बेंच पर व्यय करके कैशबुक में दर्शित है, विवरण निम्नवत हैः-

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	अन्य	धनराशि
1.	09.07.2021	उच्च प्रा० वि० केवटला में डेस्क-बेंच	यश ट्रेडर्स	15वां	195360.00
2.	09.07.2021	प्रा० वि० केवटला में डेस्क-बेंच	यश ट्रेडर्स	15वां	190080.00
				योग	**385440.00**

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 385440.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अनीता से रु० 192720.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 192720.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-25

ग्राम पंचायत- केवटला विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत केवटला में विभिन्न तिथियों में विभिन्न प्रा० वि० पल्टू पीपर में इंटरलॉकिंग पर व्यय करके कैशबुक में दर्शित है, विवरण निम्नवत हैः-

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	अन्य	धनराशि
1.	24.05.2021	प्रा० वि० पल्टू पीपर में इंटरलॉकिंग	मस्टररोल	5वां	23310.00
2.	24.05.2021	सामग्री क्रय	यश ट्रेडर्स	5वां	38406.00
3.	25.05.2021	रबर मोल्ड	यश ट्रेडर्स	15वां	151560.00
		योग			**213276.00**

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 213276.00 की वसूली श्रीमती अनीता से रु० 106638.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 106638.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-26

ग्राम पंचायत- केवटला विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत केवटला में बालक एवं बालिकाओं के लिए शौचालय में प्लम्बरिंग कार्य हेतु दिनांक 20.04.2021 को रु० 67617.00 का यश ट्रेडर्स को (मेटेरियल हेतु 5वां वित्त से) भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 67617.00 की वसूली प्रशासक श्री राम दुलार एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-27

ग्राम पंचायत- केवटला विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत केवटला में प्रा० वि० केवटला में, दिव्यांग शौचालय में प्लम्बरिंग कार्य एवं पानी की टंकी हेतु दिनांक 26.04.2021 को रु० 67617.00 का यश ट्रेडर्स को (मेटेरियल हेतु 5वां वित्त से) भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार

मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 67617.00 की वसूली प्रशासक श्री राम दुलार एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-28

ग्राम पंचायत- केवटला विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत केवटला में दिव्यांग शौचालय निर्माण हेतु दिनांक 14.10.2021 को रु० 84285.00 का ऐ.के. ट्रेडर्स को (मेटेरियल हेतु) भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 84285.00 की वसूली ग्राम--प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-29

ग्राम पंचायत- केवटला विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

शासनादेश संख्या आर जी एस ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीनकार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है। आलोच्य वर्ष में दिनांक 05.08.2021 रूपये 46888.00 एवं दिनांक 20.08.2021 को रूपये 95400.00, (कुल रूपये 142288.00) की ह्युम पाइप (ए.के. ट्रेडर्स से) जल निकासी कार्य हेतु क्रय किये गए है जिस पर निम्न आपत्तियां हैं

ह्युमपाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर भुगतान न किया जाना कार्य के होने की प्रासंगिकता को संदिग्ध बनाता है। ह्युमपाइप की स्थापना किन स्थानों पर किया गया है यह भी अस्पष्ट रहा, कार्य स्थान का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है। आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश ने अपने अक्टूबर 2006 के परिपत्र के अनुसार आर सी : सी पी मानक के अनुसार निर्धारित दुरी पर मानक के अनुसार इसकी स्थापना की जानी चाहिए।

स्टोर पंजिका नहीं बनाया गया है। एस्टीमेट और माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक/व्यय पत्रावली, स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नही कराया गया, जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/ व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति

में उक्त धनराशि रु० 142288.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अनीता से रु0 71144.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 71144.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-30

ग्राम पंचायत- केवटला विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में विभिन्न स्थानों पर सोखपिट निर्माण पर व्यय करके कैशबुक में दर्शित है, विवरण निम्नवत हैः-

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	अन्य	धनराशि
1.	29.09.2021	सोखपिट निर्माण	जे.पी. कंस्ट्रक्शन	सामग्री	19380.00
2.	29.09.2021	सोखपिट निर्माण	ए.के. ट्रेडर्स	सामग्री	19880.00
3.	29.09.2021	सोखपिट निर्माण	ए.के. ट्रेडर्स	सामग्री	19380.00
4.	29.09.2021	सोखपिट निर्माण	ए.के. ट्रेडर्स	सामग्री	19980.00
5.	29.09.2021	सोखपिट निर्माण	जे.पी. कंस्ट्रक्शन	सामग्री	19880.00
				योग	**98500.00**

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है।स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 98500.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अनीता से रु0 49250.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 49250.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-31

ग्राम पंचायत- केवटला विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में पंचायत भवन पर व्यय करके कैशबुक में दर्शित है, विवरण निम्नवत हैः-

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1.	29.07.2021	सामग्री	आज़ाद इंटरप्राइजेज	71820.00
2.	07.10.2021	टाइल्स कार्य पर	इंडियन प्लाई एंड हार्डवेयर	129960.00
3.	16.03.2022	कुर्सी, मेज आदि	ए.के. ट्रेडर्स	41250.00
			योग	**243030.00**

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है।स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 243030.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अनीता से रु0 121515.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 121515.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-32

ग्राम पंचायत- केवटला विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत केवटला में सभाजीत खेत से जयसिंह के खेत तक खडंजा मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 26.07.2021 को रु० 81089.00 का आजाद इंटरप्राइजेज को (एस ओ बी ईंट क्रय हेतु 5वां वित्त से) भुगतान कर कैशबुक में दर्शित किया गया है, उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली (स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक पंजिका, कार्यवाही रजिस्टर, मस्टररोल, वाउचर आदि) उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 81089.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अनीता से रु0 40544.50 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 40544.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-33

ग्राम पंचायत- केवटला विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में प्रा० वि० पर विभिन्न व्यय करके कैशबुक में दर्शित है, विवरण निम्नवत है

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1.	11.10.2021	पेंटिंग रंगाई-पुताई कार्य	ए.के. ट्रेडर्स	75970.00
2.	29.11.2021	अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स कार्य	कामदगिरी इंटरप्राइजेज	80951.00
3.	17.03.2022	ओपरेशन काया-कल्प	ए.के. ट्रेडर्स	61950.00
			योग	**218871.00**

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 218871.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अनीता से रु0 109435.50 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 109435.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-34

ग्राम पंचायत- केवटला विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण पर व्यय करके कैशबुक में दर्शित है, विवरण निम्नवत है

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1.	21.03.2022	सीताराम के घर से तालाब तक नाली	ए.के. ट्रेडर्स	27968.00
2.	21.03.2022	दुलारे के घर से चिंताहरण के घर तक नाली	ए.के. ट्रेडर्स	29504.00

			योग	**57472.00**

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 57472.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अनीता से रु0 28736.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 28736.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-35

ग्राम पंचायत- केवटला विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 बेंच में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में विभिन्न स्थानों पर.सी.सी. आर निर्माण पर व्यय करके कैशबुक में दर्शित है, विवरण निम्नवत हैः-

क्र०स०	दिनांक	व्यय का विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1.	24.03.2022	आर सी सी बेंच	ए.के. ट्रेडर्स	126750.00
2.	28.03.2022	आर सी सी बेंच	ए.के. ट्रेडर्स	33800.00
3.	28.03.2022	आर सी सी बेंच	ए.के. ट्रेडर्स	8450.00
			योग	**169000.00**

उक्त के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगोपरांत व्यय प्रमाणक / व्यय पत्रावली उपलब्ध नही कराया गया है. जिसके अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 169000.00 वसूली ग्राम-प्रधान श्रीमती अनीता से रु0 84500.00 एवं ग्राम सचिव श्री शरद भारती से रु० 84500.00 किया जाना अपेक्षित है

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-36

ग्राम पंचायत- रामपुर बेनीपुर विकास खंड-बसखारी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत रामपुर बेनीपुर में लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगोपरान्त कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक/ बैंक स्टेटमेंट, मस्टररोल, बिल/ बाउचर एवं निर्माण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि ई-ग्राम स्वराज पर आलोच्य वर्ष में दर्शित आंकड़ों के अनुसार रु० 1255875.00 का व्यय किया है; विवरण निम्नवत् हैः-

क्रमांक	वित्त	धनराशि
1.	पंचम राज्य वित्त	576341.00
2.	पन्द्रहवां वित्त आयोग	679534.00
	योग	**1255875.00**

उपरोक्त व्यय का विवरण विवरण ई-ग्राम स्वराज के अनुसार निम्नवत है:-

क्र०	दिनांक	व्यय का विवरण	वित्त आयोग	धनराशि
1.	13.05.2021	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोखपिट निर्माण	पन्द्रहवां	162579.00
2.	21.05.2021	ओक्सिमीटर,थर्मल स्कैनर, कोविड से बचाव हेतु व्यय	पांचवां	19880.00

3.	14.07.2021	सेनेटाईजर एवं ब्लीचिंग छिडकाव कोविड से बचाव हेतु	पांचवां	19380.00
4.	14.07.2021	सेनेटाईजर एवं ब्लीचिंग छिडकाव कोविड से बचाव हेतु	पांचवां	19380.00
5.	26.05.2021	सामु० शौचा० साफ सफाई हेतु सम्बन्धित उपकरण	पांचवां	9000.00
6.	04.07.2021	रख-रखाव हेतु मानदेय	पन्द्रहवां	18000.00
7.	14.07.2021	हैंडपंप मरम्मत	पांचवां	19858.00
8.	14.07.2021	हैंडपंप मरम्मत	पांचवां	19858.00
9.	23.09.2021	हैंडपंप रिबोर जियाराम के घर पास	पांचवां	36769.00
10	23.09.2021	हैंडपंप रिबोर रोहित लाल असरफा देवी के घर के पास	पांचवां	37632.00
11.	23.09.2021	हैंडपंप रिबोर प्रा० वि० में	पांचवां	37933.00
12.	23.10.2021	पंचायत भवन के सामने हैंडपंप निर्माण	पांचवां	68744.00
13.	02.11.2021	मटेरियल कॉस्ट	पांचवां	111560.00
14.	26.11.2021	मटेरियल कॉस्ट	पन्द्रहवां	82824.00
15.	30.11.2021	मटेरियल कॉस्ट	पन्द्रहवां	42630.00
16.	30.11.2021	मटेरियल कॉस्ट	पन्द्रहवां	57141.00
13.	14.12.2021	मटेरियल कॉस्ट	पन्द्रहवां	40646.00
14.	14.12.2021	मटेरियल कॉस्ट	पन्द्रहवां	64282.00
15.	13.03.2022	मटेरियल कॉस्ट	पन्द्रहवां	40322.00
16.	13.03.2022	मटेरियल कॉस्ट	पन्द्रहवां	55946.00
17.	16.03.2022	मटेरियल कॉस्ट	पांचवां	40322.00
18.	18.11.2021	पंचायत भवन की दीवार की रंगाई-पुताई मरम्मत कार्य	पांचवां	92495.00
19.	28.03.2022	एडमिन फण्ड	पन्द्रहवां	5165.00
20.	24.09.2021	सफाई किट	पांचवां	16530.00
21.	08.12.2021	प्रधान मानदेय	पांचवां	21000.00
22.	10.02.2022	पंचायत सहायक मानदेय	पांचवां	6000.00
23.	28.03.2022	पंचायत सहायक मानदेय	पन्द्रहवां	12000.00
24.	28.03.2022	पंचायत भवन उपकरण कंप्यूटर	पन्द्रहवां	97999.00
		योग		**1255875.00**

अतः उक्त व्यय योग रु० 1255875.00 की पुष्टि में कार्य पत्रावली एवं सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, क्योंकि कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली /व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने अथवा असंतोषजनक प्रस्तुत करने की स्थिति में रु० 1255875.00 की वसूली ग्राम-प्रधान श्री गंगेश कुमार से रु0 627937.50 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विमल वर्मा से रु० 627937.50 किया जाना अपेक्षित है

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-37

ग्राम पंचायत- किछूटी विकास खंड- भीटी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत किछूटी की आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम निधि प्रथम खाते की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आनलाइन दर्शित कैशबुक में ग्राम पंचायत बैंक खाते से आहरित धनराशियों का व्यय विवरण दर्शित नहीं किया गया है। वर्तमान सचिव द्वारा बताया गया कि पूर्व सचिव द्वारा इसकी मूल कैशबुक एवं सम्बन्धित व्यय वाउचर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि यह आहरण आधार से खाते को लिंक कर किया गया है। इस प्रकार से विभिन्न तिथियों में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष दौरान कुल रुपया 473200.00 आहरित हुआ है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	09.06.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
2	09.06.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
3	15.06.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
4	16.06.2021	33200.00	आनलाइन व्यय विवरण दर्शित किन्तु मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	16.06.2021	3500.00	आनलाइन व्यय विवरण दर्शित किन्तु मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	25.06.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
7	25.06.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
8	01.07.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
9	01.07.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
10	23.07.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
11	27.07.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
12	30.07.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
13	05.08.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
14	05.08.2021	9000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
15	16.08.2021	9500.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
16	20.08.2021	7000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
17	20.08.2021	7000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
18	20.08.2021	7000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
19	20.08.2021	7000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
20	13.09.2021	9500.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
21	15.09.2021	5000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
22	17.09.2021	9500.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
23	21.09.2021	9500.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
24	21.09.2021	9500.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
25	30.09.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
26	30.09.2021	9500.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
27	04.10.2021	7000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
28	04.10.2021	7000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
29	04.10.2021	7000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
30	16.11.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
31	16.11.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
32	16.11.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
33	16.11.2021	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
34	14.12.2021	4500.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
35	04.01.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
36	04.01.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
37	04.01.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
38	27.01.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
39	31.01.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
40	31.01.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
41	31.01.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
42	09.02.2022	6000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
43	01.03.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
44	07.03.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
45	07.03.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।

46	07.03.2022	6000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
47	15.03.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
48	15.03.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
49	15.03.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
50	22.03.2022	10000.00	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त/आनलाइन भी व्यय विवरण दर्शित नहीं।
	योग	**473200.00**	

उक्त विवरणहीन एवं वाउचर विहीन आहरित रू0 473200.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन है, जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गई है। जिसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यो सहित अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 86700.00 की वसूली संयुक्त रुप से उत्तरदाई व्यक्तियों, ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से रू0 28900.00, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील शाह से रू0 28900.00 एवं प्रशासक श्री रामबरन से रू0 28900.00 तथा रु0 386500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से रू0 193250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील शाह से रू0 193250.00 संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-38

ग्राम पंचायत- किछूटी विकास खंड- भीटी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत किछूटी की वर्ष 2021-22 की केन्द्रीय वित्त खाते की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बैंक स्टेटमेंट एवं ऑनलाइन कैशबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों मँ वर्ष दौरान रु0 774124.00 का व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्न है -

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	ई कैशबुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	विवरण
1	04.10.2021	106000.00	प्रकाश ईंट प्रोडक्ट	वाउचर अप्राप्त
2	04.10.2021	257000.00	दुष्यंत -ब्रदर्स	वाउचर अप्राप्त
3	04.10.2021	44812.00	दुष्यंत -ब्रदर्स	वाउचर अप्राप्त
4	11.10.2021	27000.00	मानदेय एस एच जी	वाउचर अप्राप्त / मानदेय रजि०
5	11.10.2021	44812.00	दुष्यंत -ब्रदर्स	वाउचर अप्राप्त
6	11.10.2021	30000.00	प्रकाश ईंट प्रोडक्ट को सामूदायिक शौचालय हेतु	वाउचर अप्राप्त
7	21.10.2021	150000.00	शुभ ट्रेडर्स को उ. प्रा. वि. मे टाइल्स कार्य हेतु	वाउचर अप्राप्त
8	19.02.2022	75000.00	मिश्रा ट्रेडर्स को टाइल्स कार्य हेतु	वाउचर अप्राप्त
9	21.02.2022	39500.00	रुद्र कॉन्स-सपलायर को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु	वाउचर अप्राप्त
	योग	**774124.00**		

उक्त व्यय से संबंधित कोई भी व्यय वाउचर/व्यय पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया गया । इस प्रकार बैंक स्टेटमेंट एवं ई ग्रामस्वराज पर फीड कराए गए ई कैशबुक पर अंकित व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0 774124.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में

समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 774124.00 की वसूली संयुक्त रुप से उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से रू0 387062.00, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील शाह से से रू0 387062.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-39

ग्राम पंचायत- पिंगरियावां विकास खंड- भीटी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में पाया गया कि दिनांक 02.04.2021 को पंचम राज्य वित्त आयोग खाते से भोला यादव के खेत से लालजी गौड़ के खेत तक खडण्जा मरम्मत कार्य पर रु0 66381.00 व्यय किया गया है। किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। विवरण निम्न प्रकार है-

	दिनांक	धनराशि	मद का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता
कैशबुक के अनुसार	02.04.2021	66381.00	भोला यादव के खेत से लालजी गौड़ के खेत तक खडण्जा मरम्मत	ए एस पी ब्रिक फील्ड
	योग	**66381.00**		

प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, बिल , मस्टर रोल, कोटेशन टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0 66381.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है। व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 66381.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, प्रशासक श्री रामबरन से रू0 33190.50, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम प्रताप से रू0 33190.50 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-40

ग्राम पंचायत- सेनपुर विकास खंड- भीटी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में राज्य वित्त आयोग खाते से चतुर्थ राज्य वित्त एवं 14वाँ वित्त आयोग से रु0-160612.00 व्यय किया गया है। किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	02.04.2021	15100.00	सफाई किट	पाल ट्रेडर्स
2	02.04.2021	37650.00	कूप मरम्मत	पाल ट्रेडर्स
3	02.04.2021	15100.00	सफाई किट	पाल ट्रेडर्स
4	02.04.2021	26722.00	रँगीले के घर से निरंजन के घर तक खड़ंजा मरम्मत	ए एस पी ब्रिक फील्ड
5	02.04.2021	15100.00	सफाई किट	पाल ट्रेडर्स
6	02.04.2021	12150.00	अज्ञात	पाल ट्रेडर्स
7	10.05.2021	18990.00	हैन्डपम्प मरम्मत	पाल ट्रेडर्स
8	25.05.2021	3000.00	अज्ञात	एन एस ट्रेडर्स
9	25.05.2021	11800.00	अज्ञात	पाल ट्रेडर्स
10	25.05.2021	5000.00	अज्ञात	मीडिया ट्रेडर्स
	योग	**160612.00**		

उपरोक्त विवरण के समर्थन में प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, बिल, मस्टर रोल, कोटेशन टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0 160612.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 160612.00 की वसूली संयुक्त रुप से उत्तरदायी व्यक्तियों, प्रशासक श्री रामबरन से रू0 80306.00 सचिव श्री रामजीत वर्मा से रू0 80306.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-41

ग्राम पंचायत- सेनपुर विकास खंड- भीटी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में केन्द्रीय वित्त आयोग खाते से रु0 192298.00 व्यय किया गया है। किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई, विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	02.04.2021	2211.00	प्रा वि में मल्टीपल् हैन्डवॉश स्थापना में मजदूरी	मजदूरी
2	02.04.2021	2211.00	प्रा वि में मल्टीपल् हैन्डवॉश स्थापना में मजदूरी	मजदूरी
3	02.04.2021	2412.00	प्रा वि में मल्टीपल् हैन्डवॉश स्थापना में मजदूरी	मजदूरी
4	02.04.2021	33315.00	प्रा वि में मल्टीपल् हैन्डवॉश स्थापना सामग्री	पाल ट्रेडर्स
5	02.04.2021	2814.00	दुल्लापुर पिच रोड से मंगली के बाग तक खड़ंजा निर्माण मजदूरी	मजदूरी
6	02.04.2021	4800.00	दुल्लापुर पिच रोड से मंगली के बाग तक खड़ंजा निर्माण मजदूरी	मजदूरी
7	02.04.2021	2814.00	दुल्लापुर पिच रोड से मंगली के बाग तक खड़ंजा निर्माण मजदूरी	मजदूरी
8	02.04.2021	2814.00	दुल्लापुर पिच रोड से मंगली के बाग तक खड़ंजा निर्माण मजदूरी	मजदूरी
9	02.04.2021	2814.00	दुल्लापुर पिच रोड से मंगली के बाग तक खड़ंजा निर्माण मजदूरी	मजदूरी
10	02.04.2021	2814.00	दुल्लापुर पिच रोड से मंगली के बाग तक खड़ंजा निर्माण मजदूरी	मजदूरी
11	02.04.2021	2814.00	दुल्लापुर पिच रोड से मंगली के बाग तक खड़ंजा निर्माण मजदूरी	मजदूरी
12	02.04.2021	5760.00	दुल्लापुर पिच रोड से मंगली के बाग तक खड़ंजा निर्माण मजदूरी	मजदूरी
13	02.04.2021	88305.00	दुल्लापुर पिच रोड से मंगली के बाग तक खड़ंजा निर्माण हेतु ईंट	ए एस पी ब्रिक फील्ड
14	02.04.2021	36400.00	ह्यूम पाइप	पाल ट्रेडर्स
	योग	**192298.00**		

उपरोक्त विवरण के समर्थन में प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, बिल, मस्टर रोल, कोटेशन टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0 192298.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 192298.00 की वसूली संयुक्त रुप से उत्तरदायी व्यक्तियों, प्रशासक श्री रामबरन से रू0 96149.00, सचिव श्री रामजीत वर्मा से रू0 96149.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-42

ग्राम पंचायत- सिंहवन पुरुषोत्तमपट्टी विकास खंड- भीटी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में केन्द्रीय वित्त आयोग खाते से रु0-393698.00 व्यय किया गया है। किए गए व्यय की पुष्टि में मूल कैशबुक एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	विवरण
1	12.07.2021	27000.00	सा० शौ० पर केयर टैकर कमल आजीविका स.स.समूह को	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	14.12.2021	13690.00	पाल ट्रेडर्स को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	14.12.2021	12280.00	पाल ट्रेडर्स को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	17.02.2022	60000.00	डी०के०एस०बी०ट्रेडर्स को कंप्युटर ,प्रिंटर हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	17.02.2022	40000.00	डी०के०एस०बी०ट्रेडर्स को फर्निचर क्रय हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	17.02.2022	19644.00	डी०के०एस०बी०ट्रेडर्स को सी सी टी वी कैमरा हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
7	24.03.2022	19836.00	मजदूरी	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
8	16.03.2022	147248.00	डी०के०एस०बी०ट्रेडर्स को सामग्री हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
9	16.03.2022	28000.00	डी०के०एस०बी०ट्रेडर्स को	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
10	16.03.2022	26000.00	डी०के०एस०बी०ट्रेडर्स को विददयुत कार्य हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
	योग	**393698.00**		

उपरोक्त विवरण के समर्थन में उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक/कार्य पत्रावली प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0 393698.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) के अंतर्गत गबन है, जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 393698.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान श्रीमती कंचन सिंह से रू0 196849.00, सचिव श्री राम बली राम से रू0 196849.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-43

ग्राम पंचायत- सिंहवन पुरुषोत्तमपट्टी विकास खंड- भीटी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में राज्य वित्त आयोग खाते से रु0-333128.00 व्यय किया गया है। किए गए व्यय की पुष्टि में मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	विवरण
1	24.05.2021	6000.00	सा० शौ०हेतु धनवर्षा स्०स०समूह को	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	09.05.2021	2550.00	प्रभा कॉन्स - सपलायर	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	09.05.2021	10530.00	प्रभा कॉन्स - सपलायर	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	30.07.2021	5700.00	पाल ट्रेडर्स	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त

5	26.12.2021	1708.00	अन्नू ट्रेडर्स को प्रशासनिक व्यय हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	27.12.2021	13960.00	डी के एस बी ट्रेडर्स प्रशासनिक व्यय हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
7	27.12.2021	39400.00	डी के एस बी ट्रेडर्स को हैन्डपम्प रिबोर हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
8	29.12.2021	17500.00	प्रधान मानदेय	मूल कैशबुक/मानदेय रजि०
9	16.12.2021	39100.00	जे के ट्रेडर्स को हैन्डपम्प रिबोर हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
10	17.12.2021	38900.00	जे के ट्रेडर्स को हैन्डपम्प रिबोर हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
11	10.01.2022	6880.00	डी के एस बी ट्रेडर्स को प्रशासनिक व्यय हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
12	08.01.2022	13850.00	डी के एस बी ट्रेडर्स को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
13	06.02.2022	14580.00	नबी ट्रेडर्स को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
14	06.02.2022	7920.00	नबी ट्रेडर्स को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
15	06.02.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय	मूल कैशबुक/मानदेय रजि०
16	18.02.2022	21000.00	मीडिया ट्रेडर्स को टेन्डर विज्ञापन हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
17	18.02.2022	4850.00	डी के एस बी ट्रेडर्स को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
18	09.02.2022	39200.00	डी के एस बी ट्रेडर्स को हैन्डपम्प रिबोर हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
19	16.03.2022	17990.00	डी के एस बी ट्रेडर्स को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
20	16.03.2022	18630.00	डी के एस बी ट्रेडर्स को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
21	16.03.2022	6880.00	डी के एस बी ट्रेडर्स को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु	मूल कैशबुक/व्यय प्रमाणक अप्राप्त
	योग	**333128.00**		

उपरोक्त विवरण पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित व्यय प्रमाणक/कार्य पत्रावली प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0 333128.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) के अंतर्गत गबन है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 19080.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, प्रशासक श्री रामबरन एवं सचिव श्री राम बली राम से तथा रु0 314048.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती कंचन सिंह से रू0 157024.00 एवं सचिव श्री राम बली राम से रू0 157024.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-44

ग्राम पंचायत- तकिया कानूनगो विकास खंड- भीटी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में राज्य वित्त आयोग खाते से रु0 384441.00 व्यय किया गया है। किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	25.05.2021	3000.00	अज्ञात	एन एस ट्रेडर्स
2	25.05.2021	19896.00	हैन्डपम्प मरम्मत	पाल ट्रेडर्स
3	08.06.2021	17500.00	अज्ञात	पाल ट्रेडर्स
4	16.06.2021	75712.00	प्रा वि में इन्टरलॉकिंग हेतु	ए एस पी ब्रिक फील्ड
5	16.06.2021	23650.00	प्रा वि में इन्टरलॉकिंग हेतु	पाल ट्रेडर्स
6	16.06.2021	16450.00	अज्ञात	मीडिया ट्रेडर्स
7	16.06.2021	16450.00	अज्ञात	मीडिया ट्रेडर्स
8	16.06.2021	67600.00	प्रा वि में इन्टरलॉकिंग हेतु	ए एस पी ब्रिक फील्ड
9	16.06.2021	26450.00	प्रा वि में इन्टरलॉकिंग हेतु	पाल ट्रेडर्स
10	16.06.2021	12550.00	सैनिटाइजर - कोविद केयर हेतु	रवि कॉन्सट

11	16.06.2021	18995.00	हैन्डपम्प मरम्मत	पाल ट्रेडर्स
12	16.06.2021	26700.00	प्रा वि में इन्टरलॉकिंग हेतु	पाल ट्रेडर्स
13	16.06.2021	59488.00	प्रा वि में इन्टरलॉकिंग हेतु	ए एस पी ब्रिक फील्ड
	योग	**384441.00**		

उपरोक्त विवरण के समर्थन में प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, बिल, मस्टर रोल, कोटेशन टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0 384441.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 384441.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, प्रशासक श्री रामबरन से रू0 192220.50, सचिव श्री रामजीत वर्मा से रू0 192220.50 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-45

ग्राम पंचायत- तकिया कानूनगो विकास खंड- भीटी जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में केन्द्रीय वित्त आयोग खाते से रु0- 276990.00 व्यय किया गया है। किए गए व्यय की पुष्टि में बार- बार मंगोपरांत अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गए। ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न की जा रही है। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	16.06.2021	94640.00	प्रा वि में इन्टरलॉकिंग हेतु	ए एस पी ब्रिक फील्ड
2	16.06.2021	32850.00	प्रा वि में इन्टरलॉकिंग हेतु	पाल ट्रेडर्स
3	19 .06.2021	149500.00	पंचायत भवन निर्माण हेतु	वी के ट्रेडर्स
	योग	**276990.00**		

उपरोक्त विवरण के समर्थन में प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0,बिल, मस्टर रोल, कोटेशन टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0 276990.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा तत्कालीन प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 276990.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, प्रशासक श्री रामबरन से रू0 138495.00 सचिव श्री रामजीत वर्मा से रू0 138495.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-46

ग्राम पंचायत- दुर्गेचितपुर विकास खंड- जहाँगीरगंज जनपद-अम्बेडकर नगर

पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है की ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त

दायित्व होगा कि वह ग्राम पंचायत के संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। आँनलाइन आडिट हेतु इंटीमेशन स्वीकृत होने के बावजूद निर्धारित तिथि पर एवं उसके बाद भी बार-बार माँगोपरान्त ग्राम पंचायत सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत के संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत दुर्गेचितपुर की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आँनलाइन आँकडों के आधार पर किया गया।

ग्राम पंचायत दुर्गेचितपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में पंचम राजवित्त आयोग खाते से विभिन्न कार्यों/मदों पर व्यय किया गया है। जिसमें संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन/टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र) एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	मद का नाम
1	03.01.2022	24360.00	शिवम ईंट उद्योग	अज्ञात / अपुष्ट
2	03.01.2022	5111.00	सुभाष अली	अज्ञात / अपुष्ट
3	03.01.2022	29841.00	शिवम ईंट उद्योग	अज्ञात / अपुष्ट
4	03.01.2022	17658.00	सुभाष अली	अज्ञात / अपुष्ट
5	04.12.2021	19950.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
6	11.01.2022	24500.00	अस्मिता, ग्रामप्रधान	अज्ञात / अपुष्ट
7	14.02.2022	39254.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
8	16.03.2022	68817.00	शिवम ईंट उद्योग	अज्ञात / अपुष्ट
9	16.03.2022	8160.00	सुभाष अली	अज्ञात / अपुष्ट
10	22.09.2021	10230.00	नगेन्द्र बिल्डिंग मटेरियल	अज्ञात / अपुष्ट
11	22.09.2021	48692.00	नगेन्द्र बिल्डिंग मटेरियल	अज्ञात / अपुष्ट
12	22.09.2021	24889.00	शिवम ईंट उद्योग	अज्ञात / अपुष्ट
13	22.09.2021	5280.00	सुभाष अली	अज्ञात / अपुष्ट
14	23.04.2021	19352.00	निर्यात ग्रुप	अज्ञात / अपुष्ट
15	23.04.2021	19990.00	वैभवी कंस्ट्रक्शन	अज्ञात / अपुष्ट
16	24.12.2021	16320.00	सुभाष अली	अज्ञात / अपुष्ट
17	24.12.2021	34790.00	शिवम ईंट उद्योग	अज्ञात / अपुष्ट
18	31.10.2021	37956.00	वैष्णव कंस्ट्रक्शन	अज्ञात / अपुष्ट
19	31.10.2021	37856.00	वैष्णव कंस्ट्रक्शन	अज्ञात / अपुष्ट
	योग	**493024.00**		

प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0 493024.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) एवं (ख) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 493024.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान श्रीमती अस्मिता से रू0 246512.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार से रू0 246512.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-47

ग्राम पंचायत- दुर्गेचितपुर विकास खंड- जहाँगीरगंज जनपद-अम्बेडकर नगर

पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है की ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह ग्राम पंचायत के संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। आँनलाइन आडिट हेतु इंटीमेशन स्वीकृत होने के बावजूद निर्धारित तिथि पर एवं उसके बाद भी बार-बार माँगोपरान्त ग्राम पंचायत सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत के संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत दुर्गेचितपुर की लेखा परीक्षा ई- ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आँनलाइन आँकडों के आधार पर किया गया।

ग्राम पंचायत दुर्गेचितपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में पन्द्रहवें वित्त आयोग खाते से विभिन्न कार्यों/मदों पर व्यय किया गया है। जिसमें संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन/टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र) एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	मद का नाम
1	04.12.2021	209136.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
2	06.12.2021	27000.00	शोभा एस0एच0जी0 दुर्गेचितपुर	अज्ञात / अपुष्ट
3	08.12.2021	10560.00	देवेन्द्र प्रकाश	अज्ञात / अपुष्ट
4	09.12.2021	19300.00	साई ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
5	21.03.2022	4545.00	सुभाष अली	अज्ञात / अपुष्ट
6	21.03.2022	25423.00	शिवम ईंट उद्योग	अज्ञात / अपुष्ट
7	21.03.2022	33225.00	नगेन्द्र बिल्डिंग मटेरियल	अज्ञात / अपुष्ट
8	21.03.2022	1997.00	सुभाष अली	अज्ञात / अपुष्ट
9	21.03.2022	7838.00	शिवम ईंट उद्योग	अज्ञात / अपुष्ट
10	21.03.2022	17542.00	नगेन्द्र बिल्डिंग मटेरियल	अज्ञात / अपुष्ट
11	23.03.2022	2593.00	निदेशक पं0रा0	अज्ञात / अपुष्ट
12	23.03.2022	69426.00	शिवम ईंट उद्योग	अज्ञात / अपुष्ट
13	23.03.2022	6000.00	सुभाष अली	अज्ञात / अपुष्ट
14	23.03.2022	8245.00	शिवमंगल	अज्ञात / अपुष्ट
15	24.12.2021	154000.00	शिवम ईंट उद्योग	अज्ञात / अपुष्ट
	योग	**596830.00**		

प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0- 596830.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) एवं (ख) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 596830.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान- श्रीमती अस्मिता से रू0 298415.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार से रू0 298415.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-48

ग्राम पंचायत- समडीह विकास खंड- जहाँगीरगंज जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत समडीह की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग खाते से हैंडपंप मरम्मत मद पर भुगतान किया गया है जिसमें संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र) एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, परिसंपत्ति रजिस्टर एवं अप्रयुक्त सामग्री का स्टॉक रजिस्टर एवं उसकी नीलामी की कार्यवाही, अप्राप्त रहा। हैंडपंप मरम्मत के संबंध में अन्य अभिलेख जैसे मांग पत्र, मरम्मत के उपरांत डेड स्टॉक हेतु डेड स्टॉक रजिस्टर, स्थल सूची अप्राप्त रहे। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	मद का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता
1-	04.01.2022	111825.00	हैण्डपम्प मरम्मत	शौर्य कांस्ट्रक्शन
	योग	**111825.00**		

प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0 111825.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) एवं (ख) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम-256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 111825.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, श्री दुर्गेश ग्राम प्रधान से रू0 55912.50, श्री कमलेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 55912.50 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-49

ग्राम पंचायत- समडीह विकास खंड- जहाँगीरगंज जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत समडीह की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक- 18.03.2022 को पंचम राजवित्त आयोग खाते से रु 75050.00 का भुगतान कम्प्यूटर सेट मद पर राम अवध इंटरप्राईजेज को किया जाना दर्शित है, जबकि इसके पूर्व दिनांक 31.01.2022 को रु- 97850.00 का भुगतान कम्प्यूटर सेट एवं प्रिंटर हेतु पन्द्रहवें वित्त आयोग खाते से राम अवध इंटरप्राईजेज को किया जाना दर्शित है। इस प्रकार कम्प्यूटर सेट मद पर दिनांक 18.03.2022 को रू 75075.00 का किया गया भुगतान दोहरा/फर्जी/अनौचित्यपूर्ण है एवं जिसमें संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन) एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।

प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन, एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने एवं दोहरा / फर्जी / अनौचित्यपूर्ण भुगतान होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0- 75050.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) एवं (ख) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0- 75050.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, श्री दुर्गेश- ग्रामप्रधान से रू0 37525.00, श्री कमलेश कुमार- ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 37525.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-50

ग्राम पंचायत- कादी फरीदपुर विकास खंड- जहाँगीरगंज जनपद-अम्बेडकर नगर

पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है की ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह ग्राम पंचायत के संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं। आँनलाइन आडिट हेतु इंटीमेशन स्वीकृत होने के बावजूद निर्धारित तिथि पर एवं उसके बाद भी बार-बार माँगोपरान्त ग्राम पंचायत सेक्रेटरी द्वारा ग्राम पंचायत के संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त मूल अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। ग्राम पंचायत कादीफरीदपुर की लेखा परीक्षा ई- ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आँनलाइन आँकडों के आधार पर किया गया।

ग्राम पंचायत कादीफरीदपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में पंचम राजवित्त आयोग खाते से विभिन्न कार्यों/ मदों पर व्यय किया गया है। जिसमें संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन / टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र) एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	मद का नाम
1	07.01.2022	6000.00	अनुस्का सिंह	अज्ञात / अपुष्ट
2	12.04.2021	74254.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
3	22.12.2021	17240.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
4	22.12.2021	19810.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
5	22.12.2021	18270.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
6	22.12.2021	18210.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
7	26.04.2021	19940.00	यस कुमार कंसट्रक्शन	अज्ञात / अपुष्ट
8	26.05.2021	89228.00	निर्यात ग्रुप	अज्ञात / अपुष्ट
	योग	**262952.00**		

प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0- 262952.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खंड- 8 (क) एवं (ख) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0- 262952.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, श्रीमती विद्यावती सिंह ग्रामप्रधान से रू0 131476.00, श्री आलोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 131476.00 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-51

ग्राम पंचायत- कादी फरीदपुर विकास खंड- जहाँगीरगंज जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत कादीफरीदपुर की आँनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में पन्द्रहवें वित्त आयोग खाते से विभिन्न कार्यों/मदों पर व्यय किया गया है। जिसमें संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन/टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र) एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	मद का नाम

1	04.01.2022	18210.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
2	04.01.2022	19210.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
3	04.01.2022	19562.00	देव ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
4	04.01.2022	19720.00	देव ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
5	07.01.2022	17500.00	साईं ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
6	07.01.2022	14000.00	साईं ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
7	07.01.2022	27000.00	साईं आजीविका एस0एच0जी0	अज्ञात / अपुष्ट
8	07.01.2022	42800.00	देव ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
9	07.01.2022	19600.00	देव ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
10	07.01.2022	10500.00	देव ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
11	12.01.2022	18210.00	उज्जवल ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
12	15.02.2022	51000.00	साईं ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
13	15.02.2022	17605.00	उज्जवल ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
	योग	**294917.00**		

प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0 294917.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-8 (क) एवं (ख) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की गई है। व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 294917.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, श्रीमती विद्यावती सिंह ग्रामप्रधान से रू0 147458.50, श्री आलोक कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से रू0 147458.50 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-52

ग्राम पंचायत- कश्तूरीपुर विकास खंड- जहाँगीरगंज जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत कश्तूरीपुर की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में पंचम राज्य वित्त आयोग खाते से विभिन्न कार्यों/मदों पर व्यय किया गया है। जिसमें संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन/ टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र) एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	मद का नाम
1	26.04.2021	19990.00	वैभवी कंस्ट्रक्शन	अज्ञात / अपुष्ट
2	27.05.2021	19910.00	पी एफ एम एस आर 052101156574	अज्ञात / अपुष्ट
3	27.05.2021	6400.00	पी एफ एम एस आर 052101159335	अज्ञात / अपुष्ट
4	27.05.2021	12275.00	पी एफ एम एस आर 052101159826	अज्ञात / अपुष्ट
5	26.08.2021	19950.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
6	26.08.2021	19990.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
7	23.11.2021	9500.00	शिव शक्ती ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
8	04.12.2021	19950.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
9	12.01.2022	57870.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
10	18.02.2022	19970.00	साई ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
11	17.03.2022	2678.00	जयशंकर	अज्ञात / अपुष्ट
12	17.03.2022	19850.00	अंशी इण्टरप्राइजेज	अज्ञात / अपुष्ट
13	19.03.2022	25000.00	अनन्या ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
	योग	**253333.00**		

प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0 253333.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-8 (क) एवं (ख) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0 253333.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान श्री हरिशंकर से रू0 126666.50, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार से रू0 126666.50 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-53

ग्राम पंचायत- कश्तूरीपुर विकास खंड- जहाँगीरगंज जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत कश्तूरीपुर की आँनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों मँ पन्द्रहवें वित्त आयोग खाते से विभिन्न कार्यों/ मदों पर व्यय किया गया है। जिसमें संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन/टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र) एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	मद का नाम
1	07.07.2021	27000.00	मौर्या मशीनरी स्टोर	अज्ञात / अपुष्ट
2	28.10.2021	79019.00	शोभा एस0एच0जी0 दुर्गेचितपुर	अज्ञात / अपुष्ट
3	23.11.2021	6720.00	देवेन्द्र प्रकाश	अज्ञात / अपुष्ट
4	09.12.2021	6900.00	साई ट्रेडर्स	अज्ञात / अपुष्ट
5	18.12.2021	19900.00	सुभाष अली	अज्ञात / अपुष्ट
6	12.01.2022	9000.00	शिवम ईंट उद्योग	अज्ञात / अपुष्ट
7	27.01.2022	113883.00	नगेन्द्र बिल्डिंग मटेरियल	अज्ञात / अपुष्ट
8	27.01.2022	14586.00	सुभाष अली	अज्ञात / अपुष्ट
9	27.01.2022	48000.00	शिवम ईंट उद्योग	अज्ञात / अपुष्ट
10	17.03.2022	17579.00	नगेन्द्र बिल्डिंग मटेरियल	अज्ञात / अपुष्ट
	योग	**342587.00**		

प्राक्कलन, कार्ययोजना, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति एम0बी0, मस्टर रोल, कोटेशन टेंडर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उन पर किए गए व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वैध व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किए गए रु0- 342587.00 के व्यय अप्रमाणित रहे। कार्य पत्रावली, व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-8 (क) एवं (ख) के अंतर्गत धनराशि का अपहरण माना गया है जो अधिभार योग्य है, व्यय पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 की नियम- 256 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है, संतोषजनक स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में रु0- 342587.00 की वसूली संयुक्त रुप से बराबर हिस्सों मे उत्तरदायी व्यक्तियों, ग्राम प्रधान- श्री हरिशंकर से रू0 171293.50, ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री अरुण कुमार से रू0 171293.50 अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-54

ग्राम पंचायत- धवरुआ विकास खंड- जलालपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत धवरुआ की वर्ष 2021-22 की आनलाईन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में लेखन कार्य एव क्रयो पर रु .55300.00 व्यय किया गया है |

दिनांक	विवरण	धनराशि
07/04/2021	लेखन कार्य हेतु कमल आर्ट एव पेन्ट स्टोर को भुगतान	16000.00
02/05/2021	कोविड-19 पर खर्च आदर्श इंटरप्राइजेज को भुगतान	19800.00
12/05/2021	कोविड-19 पर खर्च अरुषी इंटरप्राइजेज को भुगतान	19500.00
	योग-	**55300.00**

उक्त लेखन कार्य एव क्रय से सम्बंधित बाउचर व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया/ | वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क (के अन्तर्गत गबन है। अतः बाउचर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए/जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सम्बन्धित से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में विवरण में दर्शित कुल रू0 55300.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री दुर्गा पाण्डेय से रु० 27650.00 एवं प्रशासक प्रियंका मिश्रा -से रु० 27650.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-55

ग्राम पंचायत- कबूलपुर विकास खंड- जलालपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत कबूलपुर की वित्तीय वर्ष 2021-22 की मनरेगा आनलाइन आडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामग्री क्रय पर निम्म प्रकार व्यय दर्शित किया गया हैः-

क्र 0	कार्य नाम	बिल न तिथि /एम आर न तिथि	मटीरियल	इकाई मूल्य प्रति हजार रू 0 में	मात्रा	मूल्य रू 0 में
1	कालिका के चक से राम आसरे के चक तक खड़ंजा निर्माण (3178008064/आर सी /958486255823222577)	627/15.10.2021	एम आर 2202-स्ट्रेट ओवर बर्न्ट ब्रिक क्लास -275	5.7	22460	134423.1
	,, ,,	628/15.10.2021	एम आर 2202-स्ट्रेट ओवर बर्न्ट ब्रिक क्लास -275	5.7	20000	119700
2	जगदंबा के चक से उमनाथ के चक तक खड़ंजा निर्माण (3178008064/आर सी /958486255823222581)	625/15.10.2021	एम आर 2202-स्ट्रेट ओवर बर्न्ट ब्रिक क्लास -275	5.7	20000	119700
	,, ,,	626/15.10.2021	एम आर 2202-स्ट्रेट ओवर बर्न्ट ब्रिक क्लास -275	5.7	23765	135460.5
3	विजय बहादुर के चक से दिवाकर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य (3178008064/आर सी / 958486255823222584)	07/14.10.2021	0982-कोर्स सैंड (जोन III),	550	11.34	6237
			2203- कोर्स सैंड	2903	3.62	10508.86
			2209-सिमेन्ट	320	34	10880
			6501- सैंड जोन V (जमुना)	1000	1.54	1540
			जी0 एस0 टी0			3435.26
			योग-			**32601.12**
	,, ,,	107/14.10.2021	8785- इन्टरलॉकिंग सीसी पेवर ब्लॉक (80 एम एम थिक , एम -	25.62	3256	98834.08

			30)			
	,, ,,	109/14.10.2021	8785- इन्टरलॉकिंग सीसी पेवर ब्लॉक (80 एम एम थिक , एम - 30)	25.62	4000	120926.4
	,, ,,	610/14.10.2021	0287-ब्रिक अग्रीगेट (सिंगल साइज़):40 एम एम नॉमिनल साइज़	1200	25.75	30900
			एम आर 2201-ब्रिक क्लास -150	5418	6.2	33591.6
			जी0 एस0 टी0			3224.58
						67716.18
				योग-		829361.38

ग्राम पंचायत की आडिट के समय सामग्री क्रय बिल एवं मस्टर रोलों के आनलाइन प्रदर्शित विवरणों के मिलान में पाय गया कि उक्त सभी कार्यों का प्रारंभ मस्टर रोल के अनुसार 15.10.2021 से किया गया है जिसके लिए सामग्री क्रय दिनांक 14.10.2021 एवं 15.10.2021 में किया गया है।

उक्त सभी कार्यों का

स्वीकृति क्रमांक क्रमशः 3178008064/2021-2022/714910/ए एस स्वीकृति दिनॉक 13/10/2021,

स्वीकृति क्रमांक : 3178008064/2021-2022/714914/ए एस स्वीकृति दिनॉक : 13/10/2021,

स्वीकृति क्रमांक : 3178008064/2021-2022/714911/ए एस स्वीकृति दिनॉक : 13/10/2021 है।

उक्त से स्पष्ट है कि कार्य पर सामग्री क्रय कार्य स्वीकृति के एक दिन अथवा दो दिन बाद ही क्रय कर लिया गया दर्शित है। ऐसी स्थिति में कार्य पर आमंत्रित किए गए कोटेशन/ टेण्डर की स्तिथि अज्ञात रही। उत्त कार्यों की पत्रावली/व्यय वाउचर भी आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण आवश्यक जांच नहीं की जा सकी। उचित प्रमाणकों के अभाव में फर्मो के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी जांच नही की जा सकी।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत साठ दिवस के अतर्गत, सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से आडिट को उक्त पत्रावलियां न प्रस्तुत किए जाने एवं उक्त व्यय प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली उनसे क्यों न की जाय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आडिट समीक्षा में असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त रू0 829361.38 की वसूली ग्राम सचिव श्री फिरदौस आलम से रू 414680.69 एवं ग्राम प्रधान श्री इन्द्रमणि मिश्रा से रु० 414680.69 की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0 संख्या-)**

प्रस्तर संख्या-56

ग्राम पंचायत- नगपुर विकास खंड- जलालपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत नगपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि हैण्ड पम्प मरम्मत/रिबोर पर निम्न प्रकार रु. 100180.00 व्यय दर्शित है.

क्रमांक	बैंक पासबुक दिनांक	विवरण	धनराशि	अन्य
1	24.04.2021	हैण्ड पम्प मरम्मत	19980.00	
2	24.04.2021	हैण्ड पम्प रिबोर	18300.00	
3	24.04.2021	हैण्ड पम्प रिबोर	18400.00	
4	03.05.2021	हैण्ड पम्प मरम्मत	43500.00	
		योग -	**100180.00**	

उक्त हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर के व्यय से सम्बन्धित सामान खरीद के वाउचर/पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे इसके क्रय की निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन ,मरम्मत के स्थान ,सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आदि की जानकारी नहीं हो पाई |अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/पत्रावली प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सम्बन्धित से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण के न प्रस्तुतु किए जाने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण की स्थिति में विवरण में दर्शित कुल रू0 100180.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री दुर्गा पाण्डेय से रू0 50090.00 एवं ग्राम प्रधान/प्रशासक प्रियंका मिश्रा से रू0 50090.00 बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-57

ग्राम पंचायत- नगपुर विकास खंड- जलालपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत नगपुर की वर्ष 2021- 22 की लेखा परीक्षा में पाया कि प्रा.पा./वि. में डेस्क ,बेन्च लगवाई पर रु. 549120.00 व्यय निम्न प्रकार दर्शित है:-

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	05.052021	डेस्क बेन्च लगवाई,	168960.00
2	05.05.2021	डेस्क बेन्च लगवाई,	190080.00
3	05.05.2021	डेस्क बेन्च लगवाई,	190080.00
		योग -	**549120.00**

डेस्क, बेन्च के व्यय से सम्बन्धित सामान खरीद के वाउचर/पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गये। इसके क्रय की स्टाक पंजिका एवं क्रय सम्बन्धित अन्य अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। पत्रावली के अभाव में क्रय की निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन आदि की जांच नहीं की जा सकी। अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड) 8 क (के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/पत्रावली प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र 0पंचायत राज नियमावली ,1947 के नियम 256के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सम्बन्धित से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण के न प्रस्तुत किए जाने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण की स्थिति में विवरण में दर्शित कुल रू 0 549120.00की वसूली ग्राम सचिव श्री दुर्गा पाण्डेय से रू0 274560.00 एवं ग्रामप्रधान/प्रशासक प्रियंका मिश्रा से रू0 274560.00 बराबर-बराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-58

ग्राम पंचायत- नगपुर विकास खंड- जलालपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत नगपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न प्रकार से उल्लिखित मदों पर रु0 -:व्यय दर्शित किया गया है 284074.00

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	07.04.2021	लेखन कार्य	16000.00
2	07.04.2021	लेखन कार्य	16000.00
3	27.04.2021	कोविड पर खर्च 19	65700.00
4	02.05.2021	कोविड पर खर्च 19	19850.00
5	05.05.2021	ह्यूम पाईप क्रय	19184.00

6	15.05.2021	ईद के मौके पर चुना ब्लीचिंग पाउडर छिडकाव,	19840.00
7	07.05.2021	विभिन्न स्थानों पर आर सी सी बेन्च लगवाई	127500.00
		योग -	**284074.00**

उक्त विविरण में दर्शित व्ययों यथा लेखन कार्य,कोविड 19 पर खर्च, ह्यूम पाईप क्रय, चुना , ब्लीचिंग पाउडर एव विभिन्न स्थानों पर आर सी सी बेन्च लगवाई के व्यय से सम्बन्धित सामान खरीद के वाउचर/पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन आदि के सम्बन्ध में जांच नहीं की जा सकी। स्टाक पंजिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त वाउचर/पत्रावली विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय वाउचर/पत्रावली प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सम्बन्धित से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण के न प्रस्तुतु किए जाने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण की स्थिति में विवरण में दर्शित कुल रू0 284074.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री दुर्गा पाण्डेयसे रू0 142037.00 एवं ग्राम प्रधान प्रशासक प्रियंका मिश्रा/से रू0 142037.00 बराबरबराबर हिस्सों में किया जाना अपेक्षित ह-ै।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-59

ग्राम पंचायत- हैदराबाद विकास खंड- जलालपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

01- मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 1767000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंत: उक्त कुल व्यय रू. 1767000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.. 1767000.00 की वसूली ग्राम विकासपंचायत अधिकारी/ श्रीमती मिथिलेश यादव से रू0 883500.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ललिता ,से रू0 883500.00 बराबरबराबर - हिस्सों में किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-60

ग्राम पंचायत- फत्तेपुर मोहिबपुर विकास खंड- जलालपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 920000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंत: उक्त कुल व्यय रू. 920000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु.. 920000.00 की वसूलीग्राम विकासपंचायत अधिकारी/ श्री कमलेश रंजन से रू0 460000.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला से रु० 460000.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-61

ग्राम पंचायत- रसूलपुर बाकरगंज विकास खंड- जलालपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत रसूलपुर बाकरगंज की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर मे बॉउन्ड्री वाल निर्माण कार्य पर दिनांक 11/02/2022 से 17/03/2022 के बीच में कुल 15708.00 रु0 व्यय किया गया है। विद्यालय बाउंड्रीवाल के निर्माण हेतु सामग्री क्रय नहीं की गयी है, बिना सामग्री के बाउंड्रीवाल पर मजदूरी भुगतान कर राजकीय धन की क्षति की गयी है | उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय बाउचर भी ऑडिट में उपलब्ध नहीं रहा| जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ,

व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 एव मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्दर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा स्पष्टीकरण के असंतोषजनक पाये जाने कि स्थिति में रु. 15708.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अशरफा देवी -से रु० 3927.00, ग्राम पंचायत-विकास अधिकारी/ श्रीमती कमिता यादव से रु० 3927.00, रोजगार सेवक श्री सोनू कुमार से रु० 3927.00 एव तकनीकी सहायक श्री मयाराम यादव से रु० 3927.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-62

ग्राम पंचायत- रसूलपुर बाकरगंज विकास खंड- जलालपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत रसूलपुर बाकरगंज की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि मंशाराम के पोल्ट्री फार्म से पारस नाथ के चक तक खड़ंजा निर्माण कार्य पर दिनांक 10/02/2022 को कुल रू0 8976.00 व्यय किया गया है खडन्जा निर्माण हेतु सामग्री क्रय नहीं की गयी है, बिना सामग्री के खडन्जा निर्माण पर मजदूरी भुगतान कर राजकीय धन की क्षति की गयी है। उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय बाउचर भी ऑडिट में उपलब्ध नहीं रहा, जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 एव मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्दर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा स्पष्टीकरण के असंतोषजनक पाये जाने कि स्थिति में रु. 8976.00 की वसूली ग्राम प्रधान -श्रीमती अशरफा देवीसे रु० 2244.00, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती कमिता यादव से रु० 2244.00, रोजगार सेवक श्री सोनू कुमार से रु० 2244.00 एव तकनिकी सहायक श्री मयाराम यादव से रु० 2244.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-63

ग्राम पंचायत- सिपाह विकास खंड- जलालपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की सिपाह की वर्ष 2021-22 की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर दिनांक-14/06/21 को रु.164802.00.व्यय दर्शित किया गया है | उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय बाउचर /व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरणहीन विना किसी कार्य पर आवश्यकता दर्शाए उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई

गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्रीमती रतुला देवी, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती मिथिलेश यादव से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है |स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 164802.00.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रतुला देवी से रु० 82401.00 ग्राम पंचायत सचिव ,श्रीमती मिथिलेश यादव से रु० 82401.00 किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0 संख्या-)**

प्रस्तर संख्या-64

ग्राम पंचायत- सिपाह विकास खंड- जलालपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत सिपाह की वर्ष की ऑनलाईन लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2021-22 दीनानाथ पुत्र बंसराज के खेत का समतलीकरण कार्य पर दिनांक कार्य पर दिनांक 22/04/2021 में रु.34572.00 एव दिनांक-03/06/2021 में रु.2814.00 कुल रु. 37386.00 समतलीकरण पर व्यय किया गया है | समतलीकरण कार्य की पत्रावली/वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे समतलीकरण लाभार्थी की पात्रता, उसकी निजी भूमि(61 ख) की उपलब्धता जांच, समतलीकरण धनराशि की सीमा एवं मस्टररोल की जांच आदि नहीं की जा सकी। कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

व्यय पत्रावली/व्यय बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 एव मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत दो माह से अनधिक अवधि के अन्दर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा स्पष्टीकरण के असंतोषजनक पाये जाने कि स्थिति में रु. 37386.00 की वसूली ग्राम विकासपंचायत / अधिकारी श्रीमती मिथिलेश यादवसे रु० 18693.00 एव ग्राम प्रधान श्रीमती रतुला देवी से रु० 18693.00 किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0 संख्या-)**

प्रस्तर संख्या-65

ग्राम पंचायत- सल्लाहपुर अकबालपुर विकास खंड- जलालपुर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत सलाहपुर अकबलपुर की वर्ष 2021-22 की आनलाईन लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में लेखन कार्य एव क्रयो पर रु .55355.00 व्यय किया गया है |

दिनांक	विवरण	धनराशि
07/04/2021	लेखन कार्य हेतु कमल आर्ट एव पेन्ट स्टोर को भुगतान	16000.00
02/05/2021	कोविड-19 पर खर्च आदर्श इंटरप्राइजेज को भुगतान	19855.00
12/05/2021	कोविड-19 पर खर्च अरुषी इंटरप्राइजेज को भुगतान	19500.00
	योग-	**55355.00**

उक्त लेखन कार्य एव क्रयों से सम्बंधित बाउचरव्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया/ | वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (कके (अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतःबाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सम्बन्धित से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि

स्थिति में विवरण में दर्शित कुल रू0 55355.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री दुर्गा पाण्डेय से रु० 27677.50 एवं प्रशासक प्रियंका मिश्रा-से रु० 27677.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-66

ग्राम पंचायत- खडहरा विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की आडिट में पाया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत गीरेंद्र पाण्डेय के खेत का समतलीकरण पर दिनांक 06/10/2021 में रू0 55284.00 एवं दिनांक 22/10/2021 में रू0 34672.00 कुल रू0 89956.00 व्यय किया गया दर्शित है। समतलीकरण कार्य की पत्रावली/वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे समतलीकरण लाभार्थी की पात्रता, उसकी निजी भूमि की उपलब्धता जांच, समतलीकरण धनराशि की सीमा एवं मस्टररोल की जांच आदि नहीं की जा सकी। कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन उक्त व्यय के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्री राम सुरेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं वाउचर विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण के आडिट समीक्षा में असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में कुल भुगतानित रू0 89956.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राम सुरेश से रु० 44978.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु० 44978.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-05)

प्रस्तर संख्या-67

ग्राम पंचायत- खडहरा विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत खडहरा में महरुआ दोस्तपुर संपर्क मार्ग से परशुराम यादव के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण पर दिनांक 06/01/2022 में रू0 3264.00 एवं दिनांक 11/02/2022 में रू0 15708.00 कुल रू0 18972.00 विना इण्टरलांकिंग निर्माण सामग्री/ईंट क्रय किए इण्टरलांकिग निर्माण कार्य पर मजदूरी भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। आडिट में कार्य पत्रावली/वाउचर प्रस्तुत न किए जाने के कारण समुचित जांच नहीं की जा सकी।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्री राम सुरेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण के आडिट समीक्षा में असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में कुल भुगतानित रू0 18972.00 की वसूली उक्त ग्राम प्रधान श्री राम सुरेश से रु० 9486.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु० 9486.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-06)

प्रस्तर संख्या-68

ग्राम पंचायत- खडहरा विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका विवरण एवं आपत्तियां निम्न प्रकार हैः-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
07.04.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का एके0 ट्रेडर्स को भुगतान	35160.00
07.04.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का एके0 ट्रेडर्स को भुगतान	29960.00
10.07.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का मां दुर्गा ट्रेडर्स को भुगतान	16660.00
10.07.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का मां दुर्गा ट्रेडर्स को भुगतान	15500.00
04.10.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का मां दुर्गा ट्रेडर्स को भुगतान	19720.00
28.10.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	12010.00
28.10.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	18500.00
05.01.2022	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत का मां दुर्गा ट्रेडर्स को भुगतान	17490.00
21.02.2022	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का मां दुर्गा ट्रेडर्स को भुगतान	38208.00
13.03.2022	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर का मां दुर्गा ट्रेडर्स को भुगतान	38208.00
	योग-	241416.00

01- हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित सामान खरीद के वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02- निष्प्रयोज्य अवशेष के निस्तारण का कोई विवरण नहीं रखा गया बताया गया।

03- उक्त ट्रडर्स के व्यवसायिक कार्य प्रकृति की जानकारी बिलों रसीदों के अभाव में नहीं की जा सकी।/

04- उक्त कार्य पर कार्य कराये जाने का कोई अवधि नहीं दी गई है। आनलाइन जांच में पाया गया कि जिस दिन का वाउचर डिटेल फीड किया गया है उसी दिन भुगतान भी कर दिया गया है। जबकि भुगतान कार्य समाप्ति के बाद किया जाना चाहिए।

05- उक्त कार्य पर कार्य कराये जाने का कोई अवधि नहीं दी गई है। आनलाइन जांच में पाया गया कि जिस दिन का वाउचर डिटेल फीड किया गया है उसी दिन भुगतान भी कर दिया गया है। जबकि भुगतान कार्य समाप्ति के बाद किया जाना चाहिए।

06- कार्य पर भुगतान सीधे फर्म को किया गया है मजदूरी भुगतान नहीं की गई दर्शित है जिससे कार्य एवं भुगतान संदिग्ध है।

उक्त वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क के अन्तर्गत गबन है। उक्त के सम्बन्ध में उ०प्र०, पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गतदिन 60 के अंदर ग्राम प्रधानश्री राम सुरेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण के आडिट समीक्षा में असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में कुल भुगतानित रू 241416.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राम सुरेश से रु० 120708.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु० 120708.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-69

ग्राम पंचायत- मंशापुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि ओम प्रकाश सिंह पुत्र राम कुमार का पशु आश्रय स्थल निर्माण कार्य पर ईंट गिट्टी सामग्री का क्रय दिनांक 27.04.2021 में रू0 40188.00 का किया गया है। उक्त कार्य की अवधि एम0आर0 नं0 3803 में 28-08-2020 से 10.09.2020 अंकित है तथा 5166 में 06-10-2020 से 21-10-2020 अंकित है जिसमें क्रमशः रू0 2814.00 एवं 2814.00 कुल रू0 5628.00 का मजदूरी

भुगतान दर्शित है। इस प्रकार सामग्री एवं मजदूरी मिलाकर कुल रू0 45816.00 का व्यय कार्य पर किया गया है। विवरण से स्पष्ट है कि कार्य पर मात्र ईंट गिट्टी क्रय की गई है जिससे कार्य का कराया जाना संभव नही है। उक्त कार्य की कार्य पत्रावली/व्यय वाउचर भी आडिट कार्यक्रम पर प्रस्तुत नहीं रहा। मनरेगा आनलाइन वाउचर डिटेल्स में मात्रा एवं दर का उल्लेख नहीं पाया गया अतः क्रय राजकीय दर पर किया गया है अथवा नहीं, इस बात की जानकारी एवं जांच भी नहीं की जा सकी।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के आलोक में ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 45816.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी से रु० 22908.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से रु० 22908.00 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-07)

प्रस्तर संख्या-70

ग्राम पंचायत- मंशापुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि भवानीफर के घर से धर्मपाल चौहान के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण पर दिनांक 18/11/2021 एवं मंशापुर करौना संपर्क मार्ग से मंदिर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण पर दिनांक 17.01.2022 में क्रमशः रू0 20400.00 एवं 5508.00 कुल रू0 25908.00 विना इण्टरलांकिंग निर्माण सामग्री क्रय किए उक्त स्थानों पर इण्टरलांकिग निर्माण की मजदूरी भुगतान दर्शति कर धन का अपहरण किया गया है। आडिट में कार्य पत्रावली/वाउचर प्रस्तुत न किए जाने के कारण समुचित जांच नहीं की जा सकी।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी, ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 25908.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी से रु० 12954.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से रु० 12954.00 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-08)

प्रस्तर संख्या-71

ग्राम पंचायत- मंशापुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की आडिट में पाया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत निम्न प्रकार व्यक्तिगत समतलीकरण पर व्यय किया गया दर्शित है। निम्म समतलीकरण कार्यों की पत्रावली/वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे समतलीकरण लाभार्थी की पात्रता, किसानों की निजी भूमि की जांच, समतलीकरण धनराशि की सीमा एवं मस्टररोल की जांच आदि नहीं की जा सकी। कुल मजदूरी व्यय 1471000.00 के सापेक्ष रू0 517508.00 समतलीकरण पर व्यय किया गया है जो कुल व्यय का 35 प्रतिशत है।

क्रमांक	कार्य का विवरण	धनराशि रू0
01	तुलसीराम के खेत का समतलीकरण कार्य (3178002067/आई एफ /958486255823568961)	49164.00

02	राजदेई के खेत का समतलीकरण कार्य (3178002067/ आई एफ /958486255823568965)	159120.00
03	बुधिराम के खेत का समतलीकरण कार्य (3178002067/ आई एफ /958486255823578376)	103020.00
04	राम फर के खेत का समतलीकरण कार्य (3178002067/ आई एफ /958486255823578378)	71768.00
05	विक्कु निषाद के खेत का समतलीकरण कार्य & मेड़बंदी निर्माण कार्य (3178002067/ आई एफ /958486255823741308)	134436.00
	योग--	**517508.00**

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी, ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 517508.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी से रु० 258754.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से रु० 258754.00 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-09)

प्रस्तर संख्या-72

ग्राम पंचायत- मंशापुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि दिनांक 08.04.2021 को रू0 40152.00 कारटेज हेतु घनश्याम रामयज्ञ को भुगतान किया गया दर्शित है परंतु कैशबुक में पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है। इस भुगतान के सापेक्ष सम्बन्धित से वाउचर भी प्राप्त नहीं किया गया है जिसके कारण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी, ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 40152.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी से रु0 20076.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से रु0 20076.00 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-73

ग्राम पंचायत- मंशापुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में भवानीफेर के घर से विनोद के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर निम्न प्रकार भुगतान किया गया दर्शित हैः-

दिनांक	कैशबुक में अंकित विवरण	धनराशि रु0
14.02.2022	भवानीफेर के घर से विनोद के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	12648.00
14.02.2022	भवानीफेर के घर से विनोद के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	103263.00
15.02.2022	भवानीफेर के घर से विनोद के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	70000.00
	योग-	185911.00

उक्त विवरण में दर्शित इण्टरलॉकिंग लगवाई से सम्बन्धित भुगतान वाउचर/व्यय पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। विवरण में दर्शित विभिन्न तिथियों में सामग्री हेतु भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष

कोई बिल प्राप्त नहीं रहा। इसी प्रकार उक्त विवरण में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरी का भुगतान न किया जाना कार्य कराए जाने को संदिग्ध करता है।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी, ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 185911.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी से रु० 92955.50 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से रु० 92955.50 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-05)

प्रस्तर संख्या-74

ग्राम पंचायत- मंशापुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया हैः-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
08.09.2021	ह्यूम पाइप क्रय महादेव ट्रेडर्स को भुगतान	170437.00
21.09.2021	ह्यूम पाइप क्रय महादेव ट्रेडर्स को भुगतान	50396.00
28.09.2021	ह्यूम पाइप क्रय महादेव ट्रेडर्स को भुगतान	71310.00
16.11.2021	ह्यूम पाइप क्रय ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	35880.00
01.01.2022	ह्यूम पाइप क्रय महादेव ट्रेडर्स को भुगतान	51420.00
	योग-	**326443.00**

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैः-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म ह्यूम पाइप विक्री कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-विवरणहीन, विना किसी कार्य पर आवश्यकता दर्शाए उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी, ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 326443.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी से रु0 163221.50 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से रु0 163221.50 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-75

ग्राम पंचायत- मंशापुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न प्राथमिक विद्यालय मंशापुर में लगवाने हेतु व्हाईट बोर्ड क्रय पर व्यय दर्शित किया गया हैः-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
24.05.2021	व्हाईट बोर्ड क्रय यश स्टेशनर्स को भुगतान	29250.00
24.05.2021	व्हाईट बोर्ड क्रय यश स्टेशनर्स को भुगतान	29250.00
16.06.2021	व्हाईट बोर्ड क्रय यश स्टेशनर्स को भुगतान	29250.00
	योग-	**87750.00**

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैः-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म व्हाईट बोर्ड विक्री कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3-व्हाइट बोर्ड की संख्या, दर तथा कितने विद्यालय में इसे लगवाया गया बिल/वाउचर एवं पत्रावली के अभाव में नहीं जाना जा सका।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से साक्ष्य सहित यह स्पष्टीकरण आवश्यक है, कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 87750.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी से रु० 43875.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से रु० 43875.00 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-76

ग्राम पंचायत- मंशापुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया हैः-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
05.07.2021	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	37699.00
05.07.2021	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	37480.00
20.07.2021	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	37699.00
08.09.2021	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	9670.00
16.11.2021	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	18998.00
12.01.2022	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19960.00
04.02.2022	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	8840.00
04.02.2022	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	11342.00
17.03.2022	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19980.00
17.03.2022	हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत हेतु ए0के0 ट्रेडर्स को भुगतान	19910.00
	योग-	221578.00

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक/वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत कार्य करते हैं अथवा नहीं प्रमाणकों के अभाव में इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

3- हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत के पश्चात प्राप्त निष्प्रयोज्य कीमती सामानों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हो सकी।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से साक्ष्य सहित यह स्पष्टीकरण आवश्यक है, कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 221578.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उषादेवी से रु० 110789.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से रु० 110789.00 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-04)

प्रस्तर संख्या-77

ग्राम पंचायत- माधवपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की मनरेगा आनलाइन आडिट में पाया गया कि निम्न प्रकार इण्टरलांकि कार्य पर मजदूरी व्यय की गई है परंतु निर्माण सामग्री का क्रय आनलाइन दर्शित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिना निर्माण सामग्री के इण्टरलांकि कार्य किस प्रकार सम्पादित कराया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि निम्न कार्यों के निर्माण कार्य पत्रावली ही आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई।

क्र0	कार्य का नाम	धनराशि रू0
1	माधावपुर पक्की सड़क से शिव प्रसाद के खेत तक इन्टरलॉकिंग कार्य (3178002040/आर सी /958486255823208405)	17952
2	शिव प्रसाद के खेत से मोहन के खेत तक इन्टरलॉकिंग कार्य /3178002040) आर सी (958486255823208407/	14892
3	मोहन के खेत से पक्की सड़क तक इन्टरलॉकिंग कार्य /3178002040) आर सी (958486255823208410/	13872
4	पतिराम वर्मा के घर से राम नारायण वर्मा के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य (आर सी /958486255823208434/3178002040)	30192
	योग-	**76908**

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार गबन है। अतः इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान-श्रीमती रामकुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त पत्रावली विहीन/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में उक्त विवरण में अंकित कुल भुगतानित रू0 76908.00 की वसूली ग्राम प्रधान-श्री रामकुमार से रु० 38454.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु० 38454.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-15)

प्रस्तर संख्या-78

ग्राम पंचायत- माधवपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की मनरेगा आनलाइन आडिट में पाया गया कि निम्न प्रकार निजी तालाब खुदाई मजदूरी पर व्यय किया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि निम्न कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गईज जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र0	कार्य का नाम	धनराशि रू0
01	मोहम्मद रहीम के खेत में व्यक्तिगत तालाब खुदाई कार्य (3178002040/आई एफ /958486255823519532)	176052.00
02	खालिद हुसैन के खेत में व्यक्तिगत तालाब खुदाई कार्य (3178002040/ आई एफ /958486255823519533)	165444.00
03	अब्दुल हकीम के खेत में व्यक्तिगत तालाब खुदाई कार्य (3178002040/ आई एफ /958486255823548155)	160548.00
04	कमलुद्दिन के खेत में व्यक्तिगत तालाब खुदाई कार्य (3178002040/ आई एफ /958486255823551513)	166260.00
	योग-	**668304.00**

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) के अनुसार गबन है। अतः इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान-श्री रामकुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त पत्रावली विहीन/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में उक्त विवरण में अंकित कुल भुगतानित रू0 668304.00 की वसूली ग्राम प्रधान-श्री रामकुमार से रु० 334152.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु० 334152.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-16)

प्रस्तर संख्या-79

ग्राम पंचायत- माधवपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की आनलाइन/आफलाइन आडिट में पाया गया कि पांचवा राज्य/पन्द्रहवां केन्द्र वित्त से निम्न प्रकार पंचायत भवन निर्माण हेतु सामग्री क्रय किया गया दर्शित है।

क्र0	कार्य का नाम	दिनांक	व्यय विवरण	धनराशि रू0
01	पंचायत भवन निर्माण हेतु माँ शारदा ट्रेडर्स को टाइल्स हेतु	09.08.2021	माँ शारदा ट्रेडर्स	23,000
02	पंचायत भवन निर्माण हेतु माँ शारदा इन्टरप्राइजेज	27.08.2021	माँ शारदा ट्रेडर्स	28,500
03	पंचायत भवन निर्माण हेतु माँ शारदा इन्टरप्राइजेज	15.09.2021	माँ शारदा इन्टरप्राइजेज	35,000
04	पंचायत भवन निर्माण हेतु माँ शारदा इन्टरप्राइजेज	1509.2021	माँ शारदा इन्टरप्राइजेज	19,800
05	पंचायत भवन निर्माण हेतु माँ शारदा इन्टरप्राइजेज	20.09.2021	माँ शारदा इन्टरप्राइजेज	101,500
06	पंचायत भवन निर्माण हेतु माँ शारदा इन्टरप्राइजेज	22.09.2021	माँ शारदा इन्टरप्राइजेज	24,500
07	पंचायत भवन में कम्प्यूटर और उपकरनों हेतु अंकित कम्प्यूटर्स	12.01.2022	अंकित कम्प्यूटर्स	59,945
	योग-			**292245.00**

उक्त विवरण में दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां आडिट में पाई गईः-

01- मनरेगा योजना से उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान किया गया है परंतु मनरेगा मस्टररोल से स्पष्ट है कि उक्त कार्य का अंतिम कार्य दिवस जिसकी मजदूरी भुगतान की गई है वह मस्टर रोल संख्या 3534 से दिनांक 16/07/2021 से 29/07/2021 तक है। जबकि उक्त सारे क्रय 29/07/2021 के बाद के हैं और इन पर बिना मजदूरी सामग्री का उपयोग दर्शित है जिसका कोई औचित्य नहीं पाया गया।

02- एक ही फर्म से सारे क्रय किए गए है परंतु सामग्री का नाम अंकित नही है कि विभिन्न तिथियों में कौन सी सामग्री क्रय की गई है। अतः क्रय एवं भुगतान संदिग्ध है।

03- उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणकवाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की / पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः उक्त कार्य पर दर्शित क्रय वाउचर/व्यय प्रमाणक विहीन है जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) के अनुसार गबन है। अतः इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान-श्रीमती रामकुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त पत्रावली विहीन/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में उक्त विवरण में अंकित कुल भुगतानित रू0 292245.00 की वसूली ग्राम प्रधान-श्री रामकुमार से रु० 146122.50 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु० 146122.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-17)

प्रस्तर संख्या-80

ग्राम पंचायत- रामपुर बनेथू विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की मनरेगा आनलाइन आडिट में पाया गया कि पंचायत भवन निर्माण कार्य पर मजदूरी व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 87033.00 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 21216.00 कुल मजदूरी रू0 108249.00 व्यय किया गया है। इसी प्रकार उक्त वर्षों में क्रमशः रू0 718587.75 एवं रू0 145169.00 कुल रू0 863756.75 की सामग्री भी उक्त कार्य पर क्रय की गई है। इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल व्यय रू0 (108249.00+863756.75) 972005.75 किया गया दर्शित है जिसकी आनलाइन जांच में निम्न आपत्तियां पाई गईः-

दिनांक को शिव सांभवी ट्रेडर्स कुड़िया चितौना से रू0 145169.00 की सरिया बिल नं0 83 10.08.2021 से क्रय किया गया है जिसका भुगतान दिनांक 03.11.2021 को किया गया है। उक्त कार्य पर आनलाइन मस्टर रोल की जांच में पाया गया कि मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल नं0 1832 से दिनांक से 08.06.2021 तक कराए गये कार्य हेतु दिनांक 26.06.2021 को किया गया है जबकि सरिया क्रय बिल के 21.06.2021 अनुसार दिनांक 10.08.2021 को किया गया है। मस्टररोल के अनुसार अंतिम कार्य दिवस 21.06.2021 के पश्चात दिनांक 10.08.2021 में सरिया क्रय का कोई औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि की कार्य समाप्ति के पश्चात सामग्री का कोई उपयोग नहीं था।

01- मनरेगा आनलाइन सामग्री क्रय वाउचर डिटेल्स में मात्रा एवं दर का उल्लेख नहीं पाया गया अतः क्रय राजकीय दर पर किया गया है अथवा नहींइस बात की भी जानकारी एवं जांच भी नहीं की , जा सकी।

02- उक्त कार्य पर बालूमोरंग का क्रय नहीं किया गया है जिसके बिना पंचायत भवन का निर्माण संभव / नहीं था। यह स्थिति कार्य में भारी अनियमितता का द्योतक है।

03- शिव सांभवी ट्रेडर्स कुड़िया चितौना अम्बेडकर नगर का जीएसटिन)टिन न 0-09ई के आर पी एस 1270पी 1जेड 4) अबैध पाया गया जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं हो पाई।

04- उक्त से सम्बन्धित पत्रावलीव्यय प्रमाणक भी आडिट में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।/

उक्त आप्तियों के अतिरिक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावलीव्यय प्रमाणक भी आडिट में जांच हेतु प्रस्तुत / नहीं किया गया जोग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय) के खण्ड 8 8खके (,अनुसार गबन है। अतः इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ,ग्राम प्रधान-श्रीमती राजकुंवर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामजीत शास्त्री से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू 972005.75ग्राम प्रधान-श्रीमती राजकुंवर से रु० 48602.87 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामजीत शास्त्री से रु० 48602.87 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-81

ग्राम पंचायत- पीठापुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की मनरेगा आनलाइन आडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विपिन सिंह के खेत में व्यक्तिगत तालाब खुदाई कार्य पर कुल मजदूरी रू0 137088.00 का भुगतान किया गया है परंतु आडिट में व्यक्तिगत तालाब खूदाई की पत्रावली जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) के अनुसार गबन है। पत्रावली के अभाव में उक्त कार्य की स्वीकृति के साथ-साथ व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्री सुभाष चन्द्र वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रशांत पटेल से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 137088.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुभाष चन्द्र से रु० 68544.00 वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रशांत पटेल से रु० 68544.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-82

ग्राम पंचायत- बंदनडीह विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की आडिट के समय ग्राम सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार दर्शित कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण कार्य पर व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा आनलाइन वाउचर डिटेल्स में मात्रा एवं दर का उल्लेख नहीं पाया गया अतः क्रय राजकीय दर पर किया गया है अथवा नहीं, इस बात की जानकारी एवं जांच भी नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र तिवारी, ग्राम पंचायत सचिव श्री साधूसरन से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 463647.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र तिवारी से रु० 231823.50, ग्राम पंचायत सचिव श्री साधूसरन से रु० 231823.50 किया जाना अपेक्षित है।

कार्य का नाम	भुगतान दिनांक	सामग्री	मजदूरी	अन्य
पंचायत भवन निर्माण कार्य (3178002041/ए वी /958486255822990547)	18.08.2021	381847	--	
,,	31.07.2021	--	15192	
,,	18.08.2021	--	22848	
,,	02.09.2021	--	23256	
,,	01.12.2021	--	12140	
,,	20.12.2021	--	8364	
योग-		381847	81800	463647

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-83

ग्राम पंचायत- पतौना विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की मनरेगा आनलाइन आडिट में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिंदु के घर से दशरथ पाल के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माणकार्य सामग्री क्रय पर निम्म प्रकार व्यय दर्शित किया गया हैः-

बिल न0/दिनाँक एवं एम आर न 0	मटेरियल	इकाई मूल्य प्रति हजार रू 0 में	मात्रा	मूल्य रू 0 में
164/28.07.2021	एम आर 2201-ब्रिक क्लास -150	73332	1	73332
166/.28.072021	8785- इन्टरलॉकिंग सी सी पवर ब्लॉक (80 एम एम थिक, एम -30)	181720	1	181720
167/28.07.2021	8785- इन्टरलॉकिंग सी सी पवर ब्लॉक (80 एम एम थिक, एम -30)	75173	1	75173
योग-				330225

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रय सामग्री का मनरेगा आनलाइन डिटेल्स में मात्रा एवं दर का उल्लेख नहीं पाया गया अतः क्रय राजकीय दर पर किया गया है अथवा नहीं, इस बात की जानकारी एवं जांच नहीं की जा सकी। उक्त कार्य पर कुल व्यय रू0 330225.00 से सम्बन्धित वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए अतः व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं हो पाई।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत साठ दिवस के अतर्गत, सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से, आडिट को स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्यों न उक्त धनराशि की वसूली उनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आडिट समीक्षा में असंतोषजनक पाये जाने की सिफारिश की स्थिति में उक्त रू0 330225.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री रविन्द्र चौधरी से रु० 165112.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से रु० 165112.50 की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-84

ग्राम पंचायत- पतौना विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की आडिट के समय ग्राम सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार दर्शित कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण कार्य पर व्यय की जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा आनलाइन वाउचर डिटेल्स में मात्रा एवं दर का उल्लेख नहीं पाया गया अतः क्रय राजकीय दर पर किया गया है अथवा नहीं इस बात की जानकारी एवं जांच भी नहीं की जा सकी। पत्रावली विहीन/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अनुसार अपहरण है। अतः इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी, ग्राम पंचायत सचिव श्री रविन्द्र चौधरी से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 755768.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से रु० 377884.00, ग्राम पंचायत सचिव श्री रविन्द्र चौधरी से रु० 377884.00किया जाना अपेक्षित है।

कार्य का नाम	भुगतान दिनांक	सामग्री	मजदूरी	अन्य
श्याम लाल शर्मा के घर से संदीप के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य (3178002049/आर सी /958486255823181172)	01.08.2021	358285.00	--	
	03.08.2021	-	11424.00	
रमई के घर से चरखू के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य (3178002049/ आर सी /958486255823181560)	23.07.2021	371779.00	---	---
	24.07.2021	-	14280.00	
	योग-	730064.00	25704.00	755768.00

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-85

ग्राम पंचायत- पांती विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

मनरेगा योजनान्तर्गत आनलाईन दर्शित कुल व्यय 2342376.00 की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंत: उक्त कुल व्यय रू0 2342376.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्यों न इसकी वसूली सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकरी/सेवक से कर ली जाय। स्पष्टीकरण न देने अथवा असंतोषजनक स्पष्टीकरण की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम सचिव रविन्द्र चौधरी से रु० 1171188.00, एवं ग्राम प्रधान कुसुम से रु० 1171188.00 किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**(सा0आ0 संख्या-)**

प्रस्तर संख्या-86

ग्राम पंचायत- हरिश्चन्द्रपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की मनरेगा आनलाइन आडिट में पाया गया कि वित्तीय 2020-21 में सामग्री क्रय पर दिनांक 03.08.2021 में निम्म प्रकार व्यय दर्शित किया गया हैः-

कार्य	बिल न 0	बिल तिथि	इकाई मूल्य	मात्रा	मूल्य रू 0
चंद्र भूषण का पशु आश्रय स्थल निर्माण (3178002048/आई एफ /958486255822980060)	03	16/08/2020	35452	1	35452
जनार्दन पुत्र राम मिलन का व्यक्तिगत पशु आश्रय स्थल निर्माण (3178002048/आई एफ /958486255823360476)	49	25/03/2021	23717	1	23717.00
योग-					59169

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विगत वर्ष 2020-21 में क्रय सामग्री जिसका भुगतान आलोच्य वर्ष 2021-22 में किया गया है कि जाच में पाया गया कि मनरेगा आनलाइन डिटेल्स में मात्रा एवं दर का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः क्रय राजकीय दर पर किये जाने की जानकारी एवं जांच नहीं की जा सकी। यूनिट प्राइस की जगह कुल मूल्य एवं क्वाटिटी के स्थान में 1 अंकित किया गया है। उक्त कार्य पर कुल व्यय रू0 59169.00 से सम्बन्धित पत्रावली/वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खण्ड (क) के विपरीत है जिसमें व्यय की पुष्टि में वाउचर प्रस्तुत न करना गबन माना गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत साठ दिवस के अतर्गत, सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से, आडिट को स्पष्टीकरण अपेक्षित है। निर्धारित अवधि 60 दिन में स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आडिट समीक्षा में असंतोषजनक पाये जाने की सिफारिश की स्थिति में उक्त रू0 59169.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से रु० 29584.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी से रु० 29584.50 की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-04)

प्रस्तर संख्या-87

ग्राम पंचायत- खरगपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की मनरेगा आनलाइन आडिट में पाया गया कि वित्तीय 2020-21 में सामग्री क्रय पर दिनांक 03.08.2021 में निम्म प्रकार व्यय दर्शित किया गया हैः-

कार्य	बिल	बिल तिथि	इकाई	मात्रा	मूल्य रू0

	न0		मूल्य		
केवल का पशु आश्रय स्थल निर्माण (3178002045/आई एफ /958486255822979319)	372	05/09/2020	35428	1	35428
चटइ की दुकान से कल्लु के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य (3178002045/आर सी /958486255823133934)	430	20/01/2021	219993	1	219993
	644	20/01/2021	67830	1	67830
पक्की सड़क से कल्लु के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य (3178002045/ आर सी /958486255823133935)	426	18/01/2021	242898	1	242898
	642	19/01/2021	52791	1	52791
मस्जिद से चटइ के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य (3178002045/ आर सी /958486255823133936)	428	20/01/2021	122038	1	122038
	429	20/01/2021	161461	1	161461
	643	20/01/2021	43680	1	43680
जगदीश के मडहा से भगवान दीन के घर तक सी सी रोड निर्माण कार्य (3178002045/ आर सी /958486255823133937)	430	02/02/2021	234230	1	234230
	645	02/02/2021	51450	1	51450
					1180399

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विगत वर्ष 2020-21 में क्रय सामग्री जिसका भुगतान आलोच्य वर्ष में किया गया है कि जाच में पाया गया कि मनरेगा आनलाइन डिटेल्स में मात्रा एवं दर का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः क्रय राजकीय दर पर किये जाने की जानकारी एवं जांच नहीं की जा सकी। यूनिट प्राइस की जगह कुल मूल्य एवं क्वाटिटी के स्थान में 1 अंकित किया गया है। उक्त कार्य पर कुल व्यय रु0 1180399.00 से सम्बन्धित पत्रावली/वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खण्ड (क) के विपरीत है जिसमें व्यय की पुष्टि में वाउचर प्रस्तुत न करना गबन माना गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत साठ दिवस के अतर्गत, सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से, आडिट को स्पष्टीकरण अपेक्षित है। निर्धारित अवधि 60 दिन में स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आडिट समीक्षा में असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त रु0 1180399.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री पंकज मोहन मिश्रा से रु० 590199.50 एवं ग्राम श्रीमती रंजना यादव से रु० 590199.50 की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-04)

प्रस्तर संख्या-88

ग्राम पंचायत- शरखने किशनीपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित इन्द्रजीत पुत्र सूर्य नारायण के खेत का समतलीकरण कार्य कार्यावधि दिनांक 07.12.2021 से 24.12.2021 पर व्यय रू0 86668.00 एवं केदार तिवारी के चक से सेमरी बोर्डर तक चक मार्ग निर्माण कार्यावधि दिनांक 14.07.2021 से 09.08.2021 पर व्यय रू0 78540.00 की कार्य पत्रावलियां ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कार्य पर व्यय की जांच नहीं की जा सकी। वाउचर/पत्रावली विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से उक्त धनराशि कुल रू0 (86668+78540) 165208.00 की वसूली उनसे क्यों न की जाय, के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आडिट समीक्षा में असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से रु० 82604.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी से रु० 82604.00 की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-89

ग्राम पंचायत- शरखने किशनीपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि दिनांक 20.07.2021 को स्कूल में डेस्क बेंच स्थापना हेतु खुशी इण्टरप्राइजेज को रू0 145500.00 का भुगतान किया गया है परंतु प्रस्तुत कार्य पत्रावली आडिट में खुशी इण्टरप्राइजेज का बिल वाउचर अप्राप्त रहा अतः व्यय का जांच नहीं की जा सकी। वाउचर/पत्रावली विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से उक्त धनराशि कुल रू0 145500.00 की वसूली उनसे क्यों न की जाय, के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आडिट समीक्षा में असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम सचिव श्री श्याम बहादुर मिश्रा से रु० 72750.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी से रु० 72750.00 की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-90

ग्राम पंचायत- हारीपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित मिझौड़ा महरुआ पक्की सड़क से विजय बहादुर के घर तक चक मार्ग निर्माण कार्य पर व्यय रू0 114952.00 की कार्य पत्रावली ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कार्य पर व्यय की जांच नहीं की जा सकी। वाउचर/पत्रावली विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से उक्त धनराशि रू0 114952.00 की वसूली उनसे क्यों न की जाय, के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आडिट समीक्षा में असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में इसकी वसूली ग्राम सचिव श्री रविन्द्र चौधरी से रु० 57476.00 एवं ग्राम प्रधान श्री बालकृष्ण तिवारी से रु० 57476.00 की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-17)

प्रस्तर संख्या-91

ग्राम पंचायत- हारीपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया हैः-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
22.04.2021	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का भुगतान ए0के0 ट्रेडर्स	37943.00
12.07.2021	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का भुगतान अमन ट्रेडर्स	19980.00
12.07.2021	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का भुगतान अरविन्द ट्रेडर्स	19970.00
12.07.2021	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का भुगतान अरविन्द ट्रेडर्स	17500.00
12.07.2021	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का भुगतान अरविन्द ट्रेडर्स	38500.00

12.07.2021	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का भुगतान अमन ट्रेडर्स	39350.00
12.07.2021	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर का भुगतान अमन ट्रेडर्स	39100.00
		212343.00

हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित सामान खरीद के वाउचर/पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे इसके मरम्मत के स्थान ,सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या ,51/2017/1211/33-3-2017-46/2015दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुरूप आइडी आदि की जानकारी नहीं हो पाई अतः व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की आइडी शासनादेश संख्या ,51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुरूप उपलब्ध नहीं रही।

बिल/वाउचर के अभाव में उक्त ट्रेडर्स किन कार्यों के लिए अधिकृत है इसकी भी जानकारी एवं जांच नहीं का जा सकी।

उक्त हैण्ड पम्प मरम्मत में प्राप्त खराब अवशेष पार्ट जो नए लगाए गए उनका कोई हिसाब नहीं रखा गया है। जबकि उसकी निलामी की व्यवस्था नियमों में विहित है। उक्त के कारण रिबोर कराए जाने की जांच एवं पुष्टि नहीं हो पाई।

किन-किन स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कराए गए हैं उनका विवरण भी प्राप्त नहीं रहा। एक साथ इतने हैण्ड पम्प खराब हो जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सम्बन्धित से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में विवरण में दर्शित कुल रू0 212343.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री चंचल रेड्डी से रु० 106171.50 एवं ग्राम प्रधान श्री बालकृष्ण तिवारी से रु० 106171.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-18)

प्रस्तर संख्या-92

ग्राम पंचायत- हारीपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि आनलाइन/कैशबुक में निम्न प्रकार ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया हैः-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
04.09.2021	ह्यूम पाइप क्रय का भुगतान रामजी कांट्रैक्टर	55200.00
07.09.2021	ह्यूम पाइप क्रय का भुगतान अरविन्द इण्टरप्राइजेज	55200.00
11.09.2021	ह्यूम पाइप मजदूरी भुगतान	6324.00
31.01.2022	ह्यूम पाइप क्रय का भुगतान शशांक ट्रेडर्स	46250.00
		162974.00

ह्यूम पाइप स्थापना व्यय से सम्बन्धित वाउचरपत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे इसके / ,लगवाने के स्थान, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक जून 2017 के प्रस्तर 5 के अनुरूप आइडी आदि की जानकारी नहीं हो पाई अतः व्यय की प 19ुष्टि नहीं की जा सकी।

बिल/वाउचर के अभाव में उक्त ट्रेडर्स किन कार्यों के लिए अधिकृत है इसकी भी जानकारी एवं जांच नहीं का जा सकी।

कार्य पर मजदूरी का भुगतान 11.09.2021 को दर्शित है जबकि अंतिम क्रय ह्यूम पाइप मजदूरी भुगतान के तीन माह बाद भुगतान किया गया है जो ह्यूम पाइप के उपयोग को प्रमाणित नहीं करता है।

एक कार्य पर ह्यूम पाइप क्रय अलग-अलग 3 फर्मों/कान्ट्रैक्टर से किया गया है जबकि टेण्टर के माध्यम से एक फर्म से क्रय किया जाना चाहिए था। यह स्थिति क्रय हेतु निर्धारित राजकीय नियमों के विपरीत है।

वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित सम्बन्धित से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में विवरण में दर्शित कुल रू0 162974.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री रविन्द्र चौधरी से रु० 81487.00 एवं ग्राम प्रधान श्री बालकृष्ण तिवारी से रु० 81487.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-19)

प्रस्तर संख्या-93

ग्राम पंचायत- जिवधरपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वित्तीय वर्ष 2021-22 की मनरेगा आनलाइन आडिट में पाया गया कि मनरेगा योजनान्तर्गत निम्न प्रकार व्यक्तिगत समतलीकरण पर व्यय किया गया दर्शित है। निम्म समतलीकरण कार्यो की मूल पत्रावली/वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे समतलीकरण लाभार्थी की पात्रता की पुष्टि में 61 (ख) की प्रति, समतलीकरण धनराशि की सीमा एवं मस्टररोल की जांच आदि नहीं की जा सकी। कुल मजदूरी व्यय 753000.00 के सापेक्ष रू0 364140.00 समतलीकरण पर व्यय किया गया है जो कुल व्यय का 48 प्रतिशत है।

क्रमांक	कार्य का विवरण	धनराशि रू0
01	दयाराम पुत्र भगौती के खेत का समतलीकरण कार्य(3178002082/आई एफ /958486255823486038)	54876.00
02	रामनारायण पुत्र जवाहिर के खेत का समतलीकरण कार्य (3178002082/ आई एफ /958486255823486043)	109344.00
03	बनाफर पुत्र निर्मोही के खेत का समतलीकरण कार्य (3178002082/ आई एफ /958486255823486045)	45084.00
04	देवीदीन पुत्र दुर्बल के खेत का समतलीकरण कार्य (3178002082/ आई एफ /958486255823554166)	154836.00
	योग--	**364140.00**

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्री शिवचरन, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 364140.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवचरन से रु० 182070.00, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु० 182070.00 किये जाने हेतु समुचित कार्वाही अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-94

ग्राम पंचायत- जिवधरपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में कैलाश दूबे की आवादी से हरखू के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर निम्न प्रकार भुगतान किया गया दर्शित हैः-

दिनांक	कैशबुक में अंकित विवरण	धनराशि रु0
28.07.2021	कैलाश दूबे की आवादी से हरखू के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	29973.00
28.07.2021	कैलाश दूबे की आवादी से हरखू के घर इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु चौधरी ईंट उद्योग को भुगतान	20000.00

15.02.2022	कैलाश दूबे की आवादी से हरखू के घर इण्टरलॉकिंग कार्य हेतु मां शारदा इण्टरप्राइजेज को भुगतान	135056.00
	योग-	185029.00

उक्त विवरण में दर्शित इण्टरलॉकिंग लगवाई से सम्बन्धित भुगतान वाउचर/व्यय पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई । विवरण में दर्शित विभिन्न तिथियों में सामग्री हेतु भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष कोई बिल प्राप्त नहीं रहा। ईंट क्रय, इण्टरलांकिंग ईंट क्रय के बिल की तिथि एवं मजदूरी की तिथि 28.07.2021 है। जिस दिन सामग्री खरीदी गई उसी दिन पूरी मजदूरी का भुगतान संभव नहीं है। अतः व्यय एवं भुगतान रू0 185029 संदिग्ध एवं अनियमित है।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्री शिवचरन, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 185029.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवचरन से रु० 92514.50, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु० 92514.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-95

ग्राम पंचायत- जिवधरपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में कैलाश दूबे की आवादी से हरखू के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर निम्न प्रकार भुगतान किया गया दर्शित हैः-

दिनांक	कैशबुक में अंकित विवरण	धनराशि रु0	अन्य
16.07.2021	राहुल के घर से मुधुना तिवारी के घर तक इण्टरलॉकिंग हेतु मां शारदा इण्टरप्राइजेज को भुगतान	49800	
22.07.2021	राहुल के घर से मुधुना तिवारी के हाता तक इण्टरलॉकिंग हेतु शिव सीमेंट एजेंसी को भुगतान	21600	
22.07.2021	राहुल के घर से मुधुना तिवारी के हाता तक इण्टरलॉकिंग हेतु चौधरी ईंट उद्योग को भुगतान	30812	
22.07.2021	राहुल के घर से मुधुना तिवारा के हाता तक इण्टरलॉकिंग	58635	सामग्री के नाम अंकित नहीं है।
22.07.2021	राहुल के घर से मुधुना तिवारा के हाता तक इण्टरलॉकिंग हेतु मजदूरी	30576	
23.07.2021	राहुल के घर से मुधुना के हाता तक इण्टरलॉकिंग हेतु चौधरी ईंट उद्योग को भुगतान	5000	
	योग-	**196423.00**	

उक्त विवरण में दर्शित इण्टरलॉकिंग लगवाई से सम्बन्धित भुगतान वाउचर/व्यय पत्रावली आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई । विवरण में दर्शित विभिन्न तिथियों में सामग्री हेतु भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष कोई बिल प्राप्त नहीं रहा। ईंट क्रय, इण्टरलांकिंग ईंट/सीमेंट क्रय के बिल की तिथि एवं मजदूरी की तिथि 22.07.2021 है। जिस दिन सामग्री खरीदी गई उसी दिन पूरी मजदूरी का भुगतान संभव नहीं है। अतः व्यय एवं भुगतान रू0 185029 संदिग्ध एवं अनियमित है।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्री शिवचरन, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 196423.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवचरन से रु० 98211.50, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु० 98211.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-96

ग्राम पंचायत- जिवधरपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका विवरण एवं आपत्तियां निम्न प्रकार हैः-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
02.05.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान ए0के0 ट्रेडर्स	37885.00
04.05.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान ए0के0 ट्रेडर्स	24760.00
04.05.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान ए0के0 ट्रेडर्स	5340.00
09.05.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान ए0के0 ट्रेडर्स	29900.00
14.05.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान ए0के0 ट्रेडर्स	11300.00
18.05.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान ए0के0 ट्रेडर्स	18600.00
27.09.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान मां शारदा इण्टरप्राइजेज	13540.00
27.09.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान मां शारदा इण्टरप्राइजेज	9000.00
27.09.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान मां शारदा इण्टरप्राइजेज	12750.00
13.10.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर भुगतान मां शारदा इण्टरप्राइजेज	38240.00
19.10.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान	15500.00
02.112021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान	11500.00
02.11.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान	17050.00
17.11.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान	19860.00
02.12.2021	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान	8500.00
01.01.2022	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान ए0के0 ट्रेडर्स	19800.00
01.01.2022	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान जयवीर क0एण्ड सप्लायर	13060.00
01.01.2022	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान जयवीर क0एण्ड सप्लायर	13500.00
27.01.2022	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत भुगतान ए0के0 ट्रेडर्स	17500.00
	योग-	**337585.00**

01- हैण्डपम्प मरम्मत व्यय से सम्बन्धित सामान खरीद के वाउचर आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

02- हैण्डपम्प मरम्मत पर रूकी अनियंत्रित व्यय किया गया है जो कुल व्यय रू0 337585.00 0 का 25 प्रतिशत है। 1336071

03- निष्प्रयोज्य अवशेष के निस्तारण का कोई विवरण नहीं रखा गया बताया गया।

04- उक्त ट्रडर्स के व्यवसायिक कार्य प्रकृति की जानकारी बिलों रसीदों के अभाव में नहीं की जा सकी।/

05- उक्त कार्य पर कार्य कराये जाने का कोई अवधि नहीं दी गई है। आनलाइन जांच में पाया गया कि जिस दिन का वाउचर डिटेल फीड किया गया है उसी दिन भुगतान भी कर दिया गया है। जबकि भुगतान कार्य समाप्ति के बाद किया जाना चाहिए।

06- उक्त कार्य पर कार्य कराये जाने का कोई अवधि नहीं दी गई है। आनलाइन जांच में पाया गया कि जिस दिन का वाउचर डिटेल फीड किया गया है उसी दिन भुगतान भी कर दिया गया है। जबकि भुगतान कार्य समाप्ति के बाद किया जाना चाहिए।

07- कार्य पर भुगतान सीधे फर्म को किया गया है मजदूरी भुगतान नहीं की गई दर्शित है जिससे कार्य एवं भुगतान संदिग्ध है।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्री शिवचरन, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे

कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण के आडिट समीक्षा में असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में कुल भुगतानित रू0 337585.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवचरन से रु० 168792.50, ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से रु० 168792.50 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-)

प्रस्तर संख्या-97

ग्राम पंचायत- अंगवल विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की मनरेगा आडिट में पाया गया कि पिच रोड से लाल चंद के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य पर दिनांक 30.12.2021 में रू0 3264.00 एवं जय प्रकाश के घर से संजय के घर तक इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य पर दिनांक 30.12.2021 में रू0 2448.00 कुल रू0 5712.00 विना इण्टरलांकिंग निर्माण सामग्री क्रय किए उक्त स्थानों पर इण्टरलांकिग निर्माण कार्य की मजदूरी भुगतान दर्शति कर धन का अपहरण किया गया है। आडिट में मूल कार्य पत्रावली/वाउचर प्रस्तुत न किए जाने के कारण समुचित जांच नहीं की जा सकी।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामजीत शास्त्री से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय? स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 5712.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका से रु० 2856.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामजीत शास्त्री से रु० 2856.00 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-04)

प्रस्तर संख्या-98

ग्राम पंचायत- अंगवल विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि दिनांक 08.07.2021 को रू0 10250.00 स्टेशनरी हेतु अमन ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है परंतु कैशबुक एवं वाउचर डिटेल्स में पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है। इस भुगतान के सापेक्ष सम्बन्धित से मूल बिल वाउचर भी प्राप्त नहीं किया गया है जिसके कारण आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

कार्य पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 एवं मनरेगा हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामजीत शास्त्री से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 10250.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रियंका से रु० 5125.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामजीत शास्त्री से रु० 5125.00 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-99

ग्राम पंचायत- प्रतापीपुर विकास खंड- कटेहरी जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि दिनांक 09.11.2021 को रू0 12500.00 एवं दिनांक 09.11.2021 में रू0 2500.00 कुल रू0 15000.00 की सफाई किट क्रय हेतु पाल ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है परंतु आनलाइन वाउचर डिटेल्स में पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है। इस भुगतान के सापेक्ष मूल बिल वाउचर आडिट में प्रस्ततु नहीं किया गया है जिससे क्रय एवं भुगतान के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है। अतः उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, नियम 256 के अन्तर्गत 60 दिन के अंदर ग्राम प्रधान श्रीमती पिंकी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामजीत शास्त्री से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्यों न उक्त अनियमित एवं प्रमाणक विहीन व्यय की वसूली इनसे कर ली जाय। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा असंतोषजनक होने कि स्थिति में कुल भुगतानित रू0 15000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पिंकी से रु०7500.00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामजीत शास्त्री से रु० 7500.00 बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। **(सा0आ0 संख्या-01)**

प्रस्तर संख्या-100

ग्राम पंचायत- आरिबपुर सारी विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण	वर्क आइ0 डी0
1	05.09.2021	36325.00	पंचायत भवन निर्माण टाइल्स कार्य	51669093
2	06.05.2021	18210.00	हैन्डपम्प मरम्मत	49925866
3	06.05.2021	17850.00	हैन्डपम्प मरम्मत	49925866
4	11.03.2022	10000.00	प्रधान मानदेय जनवरी फरवरी 2022	47368769
5	11.05.2021	5000.00	पंचायत भवन लोकार्पण बोर्ड	49251844
6	11.05.2021	3400.00	स्प्रे मशीन, सैनिटाइजर क्रय	49251844
7	12.07.2021	19280.00	हैन्डपम्प मरम्मत	49925866
8	12.07.2021	37440.00	हैन्डपम्प रीबोर	49931183
9	13.07.2021	1708.00	डी0एस0सी0 पर व्यय	49251844
10	16.03.2022	83257.00	पंचायत भवन निर्माण कार्य	51669093
11	17.02.2022	35261.00	हैन्डपम्प रीबोर	47370194
12	17.02.2022	19960.00	प्राथमिक विद्यालय में प्लम्बरिंग कार्य	47369211
13	18.01.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय	49251844
14	19.02.2022	17900.00	ब्लीचिंग, चूना, सैनिटाइजर पर व्यय	47368936
15	22.05.2021	41570.00	पंचायत भवन निर्माण बिल्डिंग मैटीरियल	51669093
16	29.01.2022	24500.00	प्रधान मानदेय जून से दिसंबर 2021	47368969
		377661.00		

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायती राज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व

205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 377661.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शालिनी से रू0 145815.50 व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 43015.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री घनश्याम चौधरी से रू0 94415.25 व श्री अरुण कुमार से रू0 94415.25 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-101

ग्राम पंचायत- आरिबपुर सारी विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। ग्राम पंचायत में वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें वित्त/केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण	वर्क आइ0 डी0
1	05.09.2021	209568.00	पंचायत भवन निर्माण टाइल्स कार्य	43908538
2	08.03.2022	16490.00	मैटीरियल पर व्यय	47369499*
3	08.03.2022	6670.00	अन्य व्यय	47368936*
4	08.03.2022	12000.00	सामुदायिक शौचालय पर मानदेय 2 माह	47369054*
5	08.03.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय फरवरी 2022	47368936*
6	11.03.2022	12120.00	हैन्डपम्प मरम्मत (आरोपुर नहर व थाना परिसर में)	47369499*
7	11.03.2022	39980.00	प्राथमिक विद्यालय परिसर में हैन्डपम्प रीबोर	47370194
8	12.07.2021	18000.00	सामुदायिक शौचालय पर मानदेय 2 माह	49251844
9	14.01.2022	58472.00	अज्ञात (33421.00+13714.00+11337.00)	47369116
10	14.01.2022	16350.00	हैन्डपम्प मरम्मत	47369499*
11	14.01.2022	14645.00	हैन्डपम्प मरम्मत	47369499*
12	14.01.2022	48000.00	सामुदायिक शौचालय पर मानदेय	47369054*
13	17.02.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय जनवरी 2022	49251844
14	17.02.2022	12650.00	हैन्डपम्प मरम्मत	47369499*
15	22.05.2021	42280.00	पंचायत भवन निर्माण बिल्डिंग मैटीरियल	43908538
16	24.03.2022	2643.00	ऐड्मिन फंड	47368936*
17	29.01.2022	51000.00	पंचायत भवन पर फर्निचर व्यय	47368936*
		572868.00		

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 572868.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शालिनी से रू0 265294.00 व

प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 21140.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री घनश्याम चौधरी से रू0 143217.00 व श्री अरुण कुमार से रू0 143217.00 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-102

ग्राम पंचायत- आरिबपुर सारी विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद से कुल व्यय 1098948.00 किया गया है। मनरेगा मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 1098948.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शालिनी से रू0 366316.00 व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 366316.00, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव/कार्य प्रभारी श्री घनश्याम चौधरी से रू0 122105.33 व श्री अरुण कुमार से से रू0 122105.33 एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से रू0 122105.33 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-103

ग्राम पंचायत- इटहुआ सुंदरपुर विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण	वर्क आइ0 डी0
1	01.10.2021	17700.00	हैन्डपम्प मरम्मत	37105629
2	01.10.2021	19590.00	हैन्डपम्प मरम्मत	37105629
3	10.03.2022	10000.00	प्रधान मानदेय जनवरी फरवरी 2022	47547969
4	10.03.2022	10000.00	निर्वाचन हेतु बैनर, पोस्टर	47547969
5	11.11.2021	22050.00	ब्लीचिंग पाउडर, चूना, सैनिटाइजर क्रय पर व्यय	47547969
6	11.11.2021	159239.00	पंचायत भवन मरम्मत बिल्डिंग मैटीरियल	53454036
7	12.05.2021	3500.00	सामुदायिक शौचालय लोकार्पण बोर्ड	37104379
8	12.05.2021	3400.00	स्प्रे मशीन, सैनिटाइजर क्रय	37104379
9	14.01.2022	25250.00	प्रधान मानदेय जून 2021 से दिसंबर 2021	47547695
10	17.05.2021	19870.00	हैन्डपम्प मरम्मत 3 नग	37105629
11	18.05.2021	9000.00	सामुदायिक शौचालय पर मानदेय व सामग्री	37104379
12	19.02.2022	6720.00	पंचायत भवन निर्माण पर मजदूरी	53454036
13	21.03.2022	51359.00	प्राथमिक विद्यालय पर बॉउन्ड्री वाल निर्माण	61034967
14	23.05.2021	784.00	सैनिटाइजर क्रय	37104379
15	23.07.2021	18900.00	हैन्डपम्प मरम्मत	37105629

16	23.07.2021	17820.00	हैन्डपम्प मरम्मत	37105629
17	24.08.2021	5950.00	खुली बैठक में कुर्सी, मेज, टेंट का भुगतान नागरिक को	37104379
18	24.08.2021	19820.00	हैन्डपम्प मरम्मत	47549750
19	26.07.2021	1708.00	डी0एस0सी0 पर व्यय	37104379
20	26.11.2021	13440.00	अज्ञात (6720.00+6720.00 नागरिक को)	53454036
21	26.11.2021	3860.00	टेन्डर प्रकाशन	47547969
22	26.11.2021	20160.00	पंचायत भवन में टाइल्स कार्य (6720.00*3 नागरिक को)	53454249
23	27.01.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय	47547969
24	28.10.2021	11000.00	ठेला क्रय	37104379
25	28.10.2021	13200.00	हैन्डपम्प मरम्मत	47549750
26	28.10.2021	19400.00	हैन्डपम्प मरम्मत	47549750
27	30.10.2021	17200.00	मैटीरियल पर व्यय	37105624
28	30.10.2021	9920.00	हैन्डपम्प मरम्मत	37105624
		536840.00		

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 536840.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री सुनील कुमार से रू0 250143.00 व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 18277.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती एकता यादव से रू0 134210.00 व श्री विनोद कुमार गुप्ता से रू0 134210.00 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-104

ग्राम पंचायत- इटहुआ सुंदरपुर विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें वित्त/केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा ।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण	वर्क आइ0 डी0
1	21.11.2021	173250.00	प्राथमिक विद्यालय में डेस्क बेंच स्थापना	47549230
2	04.02.2022	12500.00	उच्च प्राथमिक विद्यालय में अज्ञात कार्य	47549750
3	04.02.2022	12500.00	शैलेश के सामने अज्ञात कार्य	47549750
4	04.02.2022	1500.00	3 अदद बैनर	47547969
5	04.02.2022	13320.00	चूना धुलाई कॉस्ट	47547969
6	05.10.2021	17000.00	पंचायत भवन में लोहे का दरवाजा	37104379*
7	06.07.2021	18000.00	सामुदायिक शौचालय पर मानदेय	37104379*
8	10.03.2022	12000.00	पंचायत सहायक मानदेय जनवरी फरवरी 2022	47547969
9	11.11.2021	201816.00	पंचायत भवन में टाइल्स	53454249

10	13.01.2022	12765.00	मैटीरियल पर व्यय	47549750
11	14.01.2022	12765.00	मैटीरियल पर व्यय	47549750
12	14.01.2022	6000.00	अन्य व्यय	37104379
13	16.02.2022	134050.00	सोकपिट निर्माण के मैटीरियल पर व्यय	53454442
14	27.01.2022	93015.00	सोकपिट निर्माण के मैटीरियल पर व्यय	53454442
15	21.03.2022	57706.00	प्राथमिक विद्यालय पर बॉउन्ड्री वाल निर्माण	61034967
16	21.03.2022	2470.00	एड्मिन फंड	47547969
		780657.00		

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 780657.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री सुनील कुमार से रू0 390328.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती एकता यादव व श्री विनोद कुमार गुप्ता से रू0 390328.50 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-105

ग्राम पंचायत- इटहुआ सुंदरपुर विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद से कुल व्यय 548514.00 किया गया है। मनरेगा मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 548514.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री सुनील कुमार व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 182838.00, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव/कार्य प्रभारी श्रीमती एकता यादव व श्री विनोद कुमार गुप्ता से 182838.00 एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से रू0 182838.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-106

ग्राम पंचायत- खतमीपुर विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा ।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण	वर्क आइ0 डी0
1	02.01.2022	86000.00	पंचायत भवन पर आलमारी, कुर्सी, मेज क्रय पर मधेशिया फर्नीचर्स को	54140747
2	06.05.2021	18950.00	मैटीरियल पर व्यय पर माँ लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज को	37166707
3	06.05.2021	19950.00	मैटीरियल पर व्यय पर माँ लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज को	37166707
4	10.11.2021	17500.00	प्रधान मानदेय पर गौतम कुमार चौहान को	54139864
5	11.05.2021	3400.00	स्प्रे मशीन, सैनिटाइजर क्रय पर भारत एग्रो एजेन्सीस को	42394426
6	11.10.2021	64304.00	सामुदायिक शौचालय पर सीनेट्री क्रय पर अभिनव कॉन्ट्रैक्टर	54881127
7	13.07.2021	1708.00	डिजिटल हस्ताक्षर पर डिजिटल सोल्युशंस सर्विस को	47645124
8	14.02.2022	12950.00	प्रशासनिक व्यय पर तनु ट्रेडर्स को	47645124
9	14.02.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय	47645124
10	16.03.2022	15300.00	बाँकेलाल के घर से कोदई के घर तक खड़ंजा मरम्मत की मजदूरी पर रामाज्ञा, उदयराज, अरविन्द, जय सिंह चौहान व अवधेश को भुगतान	54140247
11	16.03.2022	9450.00	जगदेव के घर से सहजना के घर तक खड़ंजा मरम्मत की मजदूरी पर राम सरन, कलम पति व राम आशीष को भुगतान	54139983
12	19.02.2022	56243.00	बाँकेलाल के घर से कोदई के घर तक खड़ंजा मरम्मत पर भगवान दत्त यादव ईंट भट्ठा को भुगतान	54140247
13	19.02.2022	48686.00	जगदेव के घर से सहजना के घर तक खड़ंजा मरम्मत पर भगवान दत्त यादव ईंट भट्ठा को भुगतान	54139983
14	19.10.2021	18930.00	ब्लीचिंग, चूना, सैनिटाइजर व्यय पर तनु ट्रेडर्स को	47645124
15	23.09.2021	3873.00	टेन्डर व्यय पर जनमोर्चा को भुगतान	47645124
16	23.09.2021	86645.00	मैटीरियल व्यय पर जी एम कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स को	54553131
17	23.11.2021	142275.00	पंचायत भवन बिल्डिंग मैटीरियल पर अभिनव कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स को	47650425
18	24.04.2021	19980.00	मरम्मत कार्य व्यय पर अभिनव कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स को	37166707
19	24.04.2021	18250.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर अभिनव कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स को	37166707
20	25.05.2021	1568.00	सैनिटाइजर क्रय पर माँ लक्ष्मी एंटरप्राइजेज को	42394426
21	25.05.2021	15000.00	अन्य व्यय पर माँ लक्ष्मी एंटरप्राइजेज को	37166707
22	26.09.2021	19550.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर अभिनव कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स को	54553374
23	26.09.2021	16850.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर अभिनव कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स को	54553374
24	30.09.2021	38550.00	मैटीरियल व्यय पर अभिनव कॉन्ट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स को	54139766
		741912.00		

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक

में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 741912.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गौतम चौहान से रू0 322407.00 व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 48549.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गुलाब चंद्र से रू0 370956.00 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।**(सा0आ0 संख्या-01)**

प्रस्तर संख्या-107

ग्राम पंचायत- खतमीपुर विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें वित्त/केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण	वर्क आइ0 डी0
1	03.07.2021	18000.00	सामुदायिक शौचालय पर मानदेय जय माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह	47645683
2	03.11.2021	56355.00	मैटीरियल व्यय पर अग्रहरि पेंट स्टोर्स	43909915
3	06.05.2021	193677.00	पंचायत भवन मैटीरियल (17186 एम ए डी ब्रिक फील्ड +176491.00 जे पी कॉन्स्ट्रक्शन)	43909915
4	08.01.2022	160840.00	मैटीरियल व्यय (81920.00 सैनिक ईंट उद्योग + 78920.00 रामाज्ञा आयरन स्टोर्स)	54139841
5	10.03.2022	79950.00	पंचायत भवन पर कम्प्यूटर स्थापना पर जायसवाल कम्प्यूटर्स	54140747
6	10.03.2022	12000.00	पंचायत सहायक मानदेय जनवरी, फरवरी 2022 प्रियंका यादव को	47645124
7	11.03.2022	128329.00	कुंभकर्ण के घर से रामाज्ञा के घर तक नाली निर्माण (15831.00 भट्ठा+86284.00 आनंद स्पन पाइप+18534.00 रामाज्ञा आयरन स्टोर्स + 2400.00 कमलापति + 2400.00 राम सरन + 2880.00 अवधेश)	61734062
8	14.02.2022	18000.00	सामुदायिक शौचालय पर मानदेय	47645683
9	19.10.2021	17280.00	कुशल श्रमिक को (6720.00 राम सरन + 3840.00 राम आशीष + 6720.00 कमलापति)	43909915
10	22.10.2021	33759.00	मैटीरियल व्यय पर रामाज्ञा आयरन स्टोर्स को	43909915
11	28.03.2022	3182.00	एड्मिन फंड	47645124
		721372.00		

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 721372.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गौतम चौहान से रू0 263848.00

व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 96838.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गुलाब चंद्र से रू0 360686.00 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-108

ग्राम पंचायत- खतमीपुर विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद से कुल व्यय 828240.00 किया गया है। मनरेगा मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 828240.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गौतम चौहान व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 276080.00, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव/कार्य प्रभारी श्री गुलाब चंद्र से 276080.00 एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से रू0 276080.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-109

ग्राम पंचायत- माडरमऊ विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा ।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण	वर्क आइ0 डी0
1	05.07.2021	18263.00	हैन्डपम्प मरम्मत	37167697
2	05.07.2021	16402.00	हैन्डपम्प मरम्मत	37167697
3	13.05.2021	31540.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण में मैटीरियल पर व्यय	42930187
4	13.05.2021	3400.00	स्प्रे मशीन, सैनिटाइजर क्रय	42929799
5	13.07.2021	1708.00	डी0एस0सी0 पर व्यय	50713874
6	14.03.2022	219881.00	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स (12075.00 एजेंसी +17788.00 एजेंसी + 189058.00 एजेंसी + 960.00 नागरिक को)	47668624
7	14.03.2022	39980.00	हैन्डपम्प रीबोर	60882460
8	14.07.2021	32690.00	हैन्डपम्प रीबोर	47670506
9	17.03.2022	3150.00	टेन्डर पर व्यय	50713874
10	21.01.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय	50713874
11	22.04.2021	19650.00	हैन्डपम्प मरम्मत	37167697
12	22.04.2021	18370.00	मरम्मत मे मैटीरियल पर व्यय	37167697
13	22.05.2021	1568.00	सैनिटाइजर क्रय	4229799
		412602.00		

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 412602.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गजेन्द्र यादव से रू0 169037.00 व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 37264.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री घनश्याम चौधरी व श्री अरुण कुमार से रू0 206301.00 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-110

ग्राम पंचायत- माडरमऊ विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें वित्त / केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा या बार बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण	वर्क आइ0 डी0
1	07.07.2021	27000.00	सामुदायिक शौचालय पर मानदेय	50713874
2	09.02.2022	12510.00	मरम्मत मे मैटीरियल पर व्यय	47669501
3	09.02.2022	18825.00	हैन्डपम्प मरम्मत	47669501
4	10.03.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय फरवरी 2022	50713874
5	10.03.2022	339787.00	पंचायत भवन मरम्मत (24118.00 एजेंसी + 7927.00 एजेंसी + 55000.00 एजेंसी +243142.00 एजेंसी + 2880.00 नागरिक + 6720.00 नागरिक)	47671260
6	10.03.2022	6720.00	पंचायत भवन मरम्मत पर नागरिक को	47671260
7	14.02.2022	10600.00	हैन्डपम्प मरम्मत	47669501
8	14.02.2022	22095.00	मरम्मत मे मैटीरियल पर व्यय	47669501
9	14.02.2022	88378.00	पंचायत भवन मरम्मत (39507.00 + 35431.00 एजेंसी को + 3360.00 * 4 नागरिक को)	47671260
10	14.03.2022	39436.00	सोकपिट निर्माण के मैटीरियल पर व्यय (18953.00 + 20483.00 एजेंसी को)	47670105
11	15.02.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय जनवरी 2022	50713874
12	24.03.2022	3603.00	एड्मिन फंड	50713874
13	28.03.2022	51000.00	पंचायत भवन में ऑफिस उपकरण	60882891
		631954.00		

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व

निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 631954.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गजेन्द्र यादव से रू0 315977.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री घनश्याम चौधरी व श्री अरुण कुमार से रू0 315977.00 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-111

ग्राम पंचायत- माडरमऊ विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद से कुल व्यय 271278.00 किया गया है। मनरेगा मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 271278.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गजेन्द्र यादव से रू0 45213.00 व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 45213.00, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव / कार्य प्रभारी श्री घनश्याम चौधरी से रू0 45213.00 श्री अरुण कुमार से 45213.00 एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता / तकनीकी सहायक से रू0 90426.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-112

ग्राम पंचायत- मदुआना विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा ।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण
1	02.09.2021	11520.00	पिच रोड सेखौलिया से योगेंद्र की पशुशाला तक इन्टरलाकिंग पर मजदूरी
2	02.10.2021	7000.00	अगस्त व सितंबर 2021 का मानदेय
3	08.05.2021	17560.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय
4	08.05.2021	19900.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय
5	08.05.2021	17630.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय
6	09.03.2022	13500.00	दिसंबर 2021 से फ़रवरी 2022 तक का मानदेय
7	10.01.2022	29500.00	सोकपिट निर्माण
8	12.01.2022	47250.00	प्राथमिक विद्यालय पर फर्निचर क्रय

9	12.01.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय डिजिटल हस्ताक्षर पर डिजिटल सोल्युशंस सर्विस को
10	12.05.2021	3500.00	सामुदायिक शौचालय लोकार्पण बोर्ड कॉस्ट
11	12.05.2021	3400.00	स्प्रे मशीन, सैनिटाइजर पर व्यय
12	13.08.2021	7000.00	जून व जुलाई 2021 का मानदेय
13	18.05.2021	15000.00	सामुदायिक शौचालय पर सामग्री व मानदेय फरवरी व मार्च 2021
14	18.12.2021	10500.00	प्रधान मानदेय सितंबर से नवंबर 2021
15	19.08.2021	18920.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय
16	21.03.2022	17690.00	पंचायत भवन में बिजली वायरिंग
17	21.10.2021	30825.00	अज्ञात (8780.00+18685.00+3360.00)
18	23.05.2021	1568.00	सैनिटाइजर पर व्यय
19	23.07.2021	19630.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय
20	23.07.2021	47390.00	दिव्यांग शौचालय निर्माण
21	23.07.2021	19825.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय
22	24.08.2021	15780.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय
23	25.08.2021	252078.00	पिच रोड सेखौलिया से योगेंद्र की पशुशाला तक इन्टरलाकिंग पर सामग्री क्रय
24	26.07.2021	1708.00	डी एस सी क्रय पर व्यय
		634674.00	

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 634674.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री दिनेश से रू0 278058.00 व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 39279.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती एकता यादव से रू0 317337.00 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-113

ग्राम पंचायत- मदुआना विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें वित्त / केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा ।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण
1	06.07.2021	12000.00	सामुदायिक शौचालय पर मानदेय
2	09.03.2022	12000.00	पंचायत सहायक को मानदेय
3	09.03.2022	63000.00	पंचायत भवन में ऑफिस उपकरण
4	09.08.2021	168786.00	संजय वर्मा के घर से पिच रोड तक नाली निर्माण (55790.00+99076.00+4800.00+4800.00+4320.00)
5	09.08.2021	3650.00	टेन्डर पर व्यय

6	12.01.2022	94500.00	प्राथमिक स्कूल में फर्निचर क्रय
7	18.12.2021	35400.00	250 एम एम ह्यूमपाइप
8	18.12.2021	18000.00	अज्ञात
9	18.12.2021	15940.00	मैटीरियल व्यय
10	18.12.2021	19880.00	हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय
11	21.03.2022	2551.00	एड्मिन फंड
12	21.10.2021	171063.00	अज्ञात (149399.00+17824.00+3840.00)
13	21.10.2021	39663.00	अज्ञात
14	21.12.2021	71396.00	अज्ञात (24670.00+39526.00+3840.00+3360.00)
15	26.10.2021	67210.00	अज्ञात
16	26.10.2021	3840.00	अज्ञात
17	30.01.2022	22042.00	प्राथमिक स्कूल में यूरीनल लगवाई
		820921.00	

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 820921.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री दिनेश से रू0 410460.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती एकता यादव से रू0 410460.50 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-114

ग्राम पंचायत- मदुआना विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद से कुल व्यय 589569.00 किया गया है। मनरेगा मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 589569.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री दिनेश व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र

कौशिक से रू0 196523.00, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव/कार्य प्रभारी श्रीमती एकता यादव से 196523.00 एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से रू0 196523.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-115

ग्राम पंचायत- परमेश्वरपुर विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा ।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण	वर्क आइ0 डी0
1	05.09.2021	17740.00	हैन्डपम्प मरम्मत 3 नग	48245000
2	05.09.2021	13570.00	हैन्डपम्प मरम्मत 2 नग	48245000
3	05.09.2021	17765.00	हैन्डपम्प मरम्मत 3 नग	48245000
4	10.03.2022	29678.00	अज्ञात	56068087
5	11.05.2021	3400.00	पंचायत भवन लोकार्पण बोर्ड	49595434
6	15.07.2021	8320.00	हैन्डपम्प मरम्मत	49937433
7	18.01.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय	49595434
8	21.01.2022	1708.00	डी0एस0सी0 पर व्यय	49595434
9	23.12.2021	51600.00	पंचायत भवन में प्लम्बरिंग और वाइरिंग पर व्यय	56067664
10	24.12.2021	21000.00	प्रधान मानदेय जून से नवंबर 2021	48243183
11	26.04.2021	7960.00	हैन्डपम्प मरम्मत	44406647
12	26.04.2021	15660.00	मैटीरियल पर व्यय	44406647
13	26.04.2021	31363.00	सोनू यादव के घर से मलगू के घर तक खड़ंजा मरम्मत	51340747
14	27.04.2021	128060.00	दिनेश मिश्रा के घर से चौधरीपुर सीमा तक खड़ंजा निर्माण	49937110
15	27.04.2021	30918.00	डिस्ट्रिक्ट एड्मिनिस्ट्रैशन	51340689
16	29.10.2021	84590.00	पंचायत भवन मरम्मत (नागरिक 3360.00 + 67515.00 एजेंसी + 10355.00 एजेंसी)	48245650
17	29.10.2021	20000.00	पंचायत भवन मरम्मत पर ट्रॉली द्वारा मिट्टी पर नागरिक को भुगतान	48245650
18	29.10.2021	19500.00	ब्लीचिंग पाउडर, चूना क्रय पर व्यय	49595434
		508832.00		

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 508832.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती तारा से रू0 145735.50

व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 108680.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री घनश्याम चौधरी व श्री अरुण कुमार से रू0 254416.00 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-116

ग्राम पंचायत- परमेश्वरपुर विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें वित्त/केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण	वर्क आइ0 डी0
1	06.06.2021	22552.00	त्रिपुरारी मिश्र के घर से अनिल के घर तक खड़ंजा (18452.00 एजेंसी + 4100.00 नागरिक)	51340803
2	10.03.2022	142436.00	अज्ञात	56068087
3	10.03.2022	5101.00	टेन्डर प्रकाशन	56068087
4	10.03.2022	12000.00	पंचायत सहायक मानदेय जनवरी फरवरी 2022	37325388
5	14.03.2022	6720.00	अज्ञात (1920.00 नागरिक + 4800.00 नागरिक)	56068087
6	15.07.2021	63103.00	पंचायत भवन पर जलापूर्ति	52968716
7	21.10.2021	30000.00	सामुदायिक शौचालय पर मानदेय	48243721
8	22.05.2021	1568.00	सैनिटाइजर पर व्यय	37325388
9	24.03.2022	4760.00	एड्मिन फंड	37325388
10	24.04.2021	48353.00	दिव्यांग शौचालय निर्माण (7030.00 एजेंसी + 33215.00 एजेंसी + 8108.00 नागरिक)	49595274
11	29.10.2021	14950.00	हैन्डपम्प मरम्मत 2 नग	48245000
12	29.10.2021	15140.00	हैन्डपम्प मरम्मत 2 नग	48245000
13	29.10.2021	7720.00	हैन्डपम्प मरम्मत 1 नग	48245000
14	29.10.2021	19180.00	मैटीरियल पर व्यय	48245000
15	29.10.2021	14050.00	हैन्डपम्प मरम्मत 2 नग	48245000
		407633.00		

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 407633.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती तारा से रू0 178856.00 व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 24960.50 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री घनश्याम चौधरी व श्री अरुण कुमार से रू0 203816.50 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-117

ग्राम पंचायत- परमेश्वरपुर विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद से कुल व्यय 499392.00 किया गया है। मनरेगा मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल/वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 499392.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती तारा व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 166464.00, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव/कार्य प्रभारी श्री घनश्याम चौधरी व श्री अरुण कुमार से 166464.00 एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से रू0 166464.00 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-118

ग्राम पंचायत- करौंदी लाला विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा ।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण	वर्क आइ0 डी0
1	05.07.2021	17535.00	हैन्डपम्प मरम्मत	43963426
2	06.05.2021	18205.00	हैन्डपम्प मरम्मत	43963426
3	12.07.2021	19600.00	शौचालय निर्माण बिल्डिंग मैटीरियल	42381212
4	12.10.2021	18150.00	हैन्डपम्प मरम्मत	43963426
5	12.10.2021	15150.00	हैन्डपम्प मरम्मत	43963426
6	13.05.2021	5000.00	पंचायत भवन बोर्ड	37121790
7	13.05.2021	3400.00	स्प्रे मशीन, सैनिटाइजर क्रय	37121790
8	13.07.2021	1708.00	डी0एस0सी0 पर व्यय	37121790
9	15.11.2021	7200.00	चूना क्रय	37121790
10	16.04.2021	32505.00	पंचायत भवन निर्माण बिल्डिंग मैटीरियल	43963414
11	16.04.2021	14260.00	हैन्डपम्प मरम्मत	43963426
12	17.01.2022	22938.00	मैटीरियल पर व्यय	43963414
13	19.01.2022	8160.00	पंचायत भवन निर्माण मजदूरी पर व्यय	43963414
14	19.01.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय	37121790
15	19.02.2022	14400.00	पंचायत भवन निर्माण मजदूरी पर व्यय	43963414
16	19.02.2022	117991.00	पंचायत भवन निर्माण बिल्डिंग मैटीरियल	43963414
17	21.05.2021	24480.00	पंचायत भवन निर्माण मजदूरी पर व्यय	43963414
18	22.05.2021	784.00	सैनिटाइजर पर व्यय	37121790
19	24.12.2021	21000.00	प्रधान मानदेय जून से नवंबर 2021	47572356
		368466.00		

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और पंचम राज्य वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 368466.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अज लाल से रू0 134916.00 व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 49317.00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री घनश्याम चौधरी व श्री अरुण कुमार से रू0 184233.00 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-119

ग्राम पंचायत- करौंदी लाला विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। वर्षपर्यंत तैनात रहे सचिवों के कार्यकाल की सूची नहीं उपलब्ध कराई गई जिससे सचिवों के वास्तविक कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा 15 वें वित्त / केन्द्रीय वित्त से व्यय इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध ही नहीं रहा ।

क्र0	दिनाँक	धनराशि	कार्य का विवरण	वर्क आइ0 डी0
1	06.02.2022	2400.00	पंचायत भवन निर्माण मजदूरी पर व्यय	43963414
2	06.02.2022	21000.00	सामुदायिक शौचालय पर मानदेय फरवरी से अप्रैल 2022	37121790
3	07.02.2022	15718.00	पंचायत भवन निर्माण बिल्डिंग मैटीरियल	43963414
4	15.11.2021	17280.00	मैटीरियल पर व्यय	47575163
5	17.01.2022	47314.00	मैटीरियल पर व्यय	43963414
6	19.02.2022	6000.00	पंचायत सहायक मानदेय जनवरी 2022	37121790
7	24.12.2021	82424.00	सामुदायिक शौचालय में जलापूर्ति पर व्यय	55956527
8	26.03.2022	19430.00	मैटीरियल पर व्यय	47575163
		211566.00		

ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, कैशबुक, पास बुक, बिल/वाउचर, मस्टर रोल, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन/टेन्डर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, पंचायत सहायक मानदेय पंजिका, सामुदायिक शौचालय पर प्रदत्त मानदेय पंजिका, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, स्टॉक पंजिका, अचलसंपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं उपलब्ध कराया गया। तात्पर्य यह कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और केन्द्रीय वित्त आयोग की गाइडलाइन का पालन किए बिना आहरण किया गया है। इस प्रकार दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 211566.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अज लाल से रू0 व 105783.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री घनश्याम चौधरी व श्री अरुण कुमार से रू0 105783.00 कार्यकालानुसार किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-120

ग्राम पंचायत- करौंदी लाला विकास खंड- रामनगर जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष में मनरेगा मद से कुल व्यय 721840.82 किया गया है। मनरेगा मद पर उक्त सम्पूर्ण अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा के समक्ष कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 पुस्तिका, बिल बाउचर/मस्टर रोल, तकनीकी/वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, उक्त कार्यों से संबंधित कार्य पत्रावलियाँ आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए गए। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की कार्यकालानुसार पुष्टि न की जा सकी।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभारयोग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रु0 721840.82 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित उत्तरदायी व्यक्तियों तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अज लाल व प्रशासक श्री हरिश्चंद्र कौशिक से रू0 240613.61, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव/कार्य प्रभारी श्री घनश्याम चौधरी व श्री अरुण कुमार से रू0 240613.61 एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक से रू0 240613.61 किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-121

ग्राम पंचायत- भरहा विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑडिट मे पाया गया कि पिच रोड से रमापति के खेत तक इन्टरलाकिन्ग कार्य दिनांक 02/02/2022, 07.03.2022 एवं 22.03.2022 को रू0 8976.00 बिना इन्टरलाकिन्ग निर्माण सामग्री क्रय किए उक्त स्थानों पर इन्टरलाकिन्ग निर्माण कार्य की मजदूरी भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। ऑडिट मे कार्य पत्रावली प्रस्तुत न् किए जाने के कारण समुचित जांच न की जा सकी। पत्रावली विहीन व्यय, ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है, जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव से की गई है।

अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री अनिल यादव एवं ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय एवं लेखाकार श्री गिरीश चंद्र से कुल धनराशि रू0 8976.00 की वसूली समानुपातिक रूप से क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में कुल धनराशि रू0 8976.00 ग्राम सचिव श्री अनिल यादव से रू0 2244.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से रू0 2244.00, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय से रू0 2244.00 एवं लेखाकार श्री गिरीश चंद्र से रू0 2244.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-122

ग्राम पंचायत- इस्माइलपुर बेलदहा विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरममत/रीबोर कराया गया जिस पर कुल रू0 435679.00 व्यय किया गया। मरम्मत पर व्यय व सामग्री क्रय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। कुल अनुदान का लगभग 25 प्रतिशत धनराशि अनियमित रूप से केवल हैण्डपम्प पर व्यय किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है। अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री राजेश वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री जगमोहन से कुल धनराशि रू0 435679.00 की वसूली बराबर हिस्सों में क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री राजेश वर्मा से रू0 217839.50 एवं ग्राम प्रधान श्री जगमोहन से रू0 217839.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-123

ग्राम पंचायत- इस्माइलपुर बेलदहा विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की मनरेगा आडिट मँ पाया गया कि महेंद्र के घर से गोले के घर तक इन्टर लाकिन्ग कार्य पर दिनांक 04.02.2022 मे रू0 816.00 बिना इन्टर लाकिन्ग निर्माण सामग्री क्रय किए उक्त स्थान पर इन्टर लाकिन्ग निर्माण कार्य का मजदूरी भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध मे उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अंतर्गत ग्राम सचिव श्री राजेश वर्मा एवं ग्राम प्रधान जगमोहन, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय एवं लेखाकार गिरीश चंद्र से उक्त धनराशि कुल रू0 816.00 की वसूली उनसे क्यों न की जाय, के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा अप्रस्तुत स्पष्टीकरण के ऑडिट समीक्षा मे असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति मे इसकी वसूली ग्राम सचिव श्री राजेश वर्मा से रू0 204.00, ग्राम प्रधान जगमोहन से रू0 204.00, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय से रू0 204.00 एवं लेखाकार गिरीश चंद्र से रू0 204.00 की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-124

ग्राम पंचायत- इस्माइलपुर बेलदहा विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की मनरेगा आडिट मँ पाया गया कि शोभनाथ के खेत से देवराज के खेत तक नदी के किनारे बांध निर्माण कार्य दिनांक 03.01.2022 से 19.01.2022 के बीच रू0 161364.00 एवं नाले से शोभनाथ के खेत तक नदी के किनारे बांध निर्माण कार्य दिनांक 12.11.2021 से 17.01.2022 के बीच रू0 255612.00, कुल रू0 416976.00 मजदूरी भुगतान दर्शित किया गया है। ऑडिट मे कार्य पत्रावली प्रस्तुत न् किए जाने के कारण समुचित जांच न की जा सकी। पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के अंतर्गत गबन है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध मे उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी

सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अंतर्गत ग्राम सचिव श्री राजेश वर्मा एवं ग्राम प्रधान जगमोहन, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय एवं लेखाकार गिरीश चंद्र से उक्त धनराशि कुल रू0 416976.00 की वसूली उनसे क्यों न की जाय, के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा अप्रस्तुत स्पष्टीकरण के ऑडिट समीक्षा मे असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति मे इसकी बराबर हिस्सों मे वसूली ग्राम सचिव श्री राजेश वर्मा से रू0 104244.00 एवं ग्राम प्रधान जगमोहन से रू0 104244.00, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय से रू0 104244.00 एवं लेखाकार गिरीश चंद्र से से रू0 104244.00 की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-10 व 12)

प्रस्तर संख्या-125

ग्राम पंचायत- पूराबक्सराय विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरममत/रीबोर कराया गया जिस पर कुल रू0 142492.00 व्यय किया गया। मरम्मत पर व्यय व सामग्री क्रय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। निष्प्रयोज्य अवशेष के निस्तारण का विवरण नहीं रखा गया है। अनलाइन जांच मे पाया गया कि जिस दिन बाउचएर डीटेल फ़ीड किए गए उसी दिन फर्म को भुगतान भी कर दिया गया। जबिक भुगतान कार्य समाप्ति के बाद किया जाना चाहिए। कार्य पर भुगतान सीधे फर्म को किया गया है जबकि मजदूरी भुगतान दर्शित नहीं की गई है जिससे कार्य एवं भुगतान संदिग्ध है।

पत्रावली/प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है। अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से कुल धनराशि रू0 435679.00 की वसूली बराबर हिस्सों में क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रू0 217839.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से रू0 217839.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-1)

प्रस्तर संख्या-126

ग्राम पंचायत- पूराबक्सराय विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि दिनांक 04.08.2021 को रू0 40000.00 एवं रू0 40000.00 तथा 05.10.2021 को रू0 85000.00 कुल रू0 165000.00 बेंच निर्माण पर व्यय दर्शित है जिसकी कार्य पत्रावली/व्यय वाउचर ऑडिट मे प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य पर व्यय की जांच नहीं की जा सकी। पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है। अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से कुल धनराशि रू0 165000.00 की वसूली बराबर हिस्सों में क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रू0 82500.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से रू0 82500.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-2)

प्रस्तर संख्या-127

ग्राम पंचायत- पूराबक्सराय विकास खंड- टांडाजनपद-अम्बेडकर नगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित पक्की रोड से रन्जीत राय के खेत तक संपर्क मार्ग कार्य कार्यावधि दिनांक 03.07.2021 से 01.09.2021 पर व्यय रू0 64260.00 की कार्य पत्रवलिया ऑडिट मे प्रस्तुत नहीं की

गई जिससे कार्य पर व्यय की जांच नहीं की जा सकी। पत्रावलि/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत मे पत्रावली विहीन व्यय, ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव से की गई है

अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय एवं लेखाकार श्री गिरीश चंद्र से कुल धनराशि रू0 64260.00 की वसूली समानुपातिक रूप से रु० क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु० 16065.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से रु० 16065.00, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय से रु० 16065.00 एवं लेखाकार श्री गिरीश चंद्र से रु० 16065.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-05)

प्रस्तर संख्या-128

ग्राम पंचायत- पूराबक्सराय विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित प्राथमिक स्कूल से हनुमान मंदिर तक दोनों तरफ पटरी निर्माण कार्य कार्यावधि दिनांक 06.10.2021 से 30.03.2022 पर व्यय रू0 54462.00 की कार्य पत्रवलिया ऑडिट मे प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कार्य पर व्यय की जांच नहीं की जा सकी। पत्रावलि/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत मे पत्रावली विहीन व्यय, ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव से की गई है

अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय एवं लेखाकार श्री गिरीश चंद्र से कुल धनराशि रू0 54462.00 की वसूली समानुपातिक रूप से क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु० 13615.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से रु० 13615.50, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय से रु० 13615.50 एवं लेखाकार श्री गिरीश चंद्र से रु० 13615.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-06)

प्रस्तर संख्या-129

ग्राम पंचायत- पूराबक्सराय विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित राम चंद्र के खेत से बड़ा गाँव इबराहिमपुर सीमा तक सफाई कार्य कार्यावधि दिनांक 27.11.2021 से 14.12.2021 पर व्यय रू0 36924.00 की कार्य पत्रवलिया ऑडिट मे प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कार्य पर व्यय की जांच नहीं की जा सकी। पत्रावलि/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत मे पत्रावली विहीन व्यय, ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव से की गई है

अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय एवं लेखाकार श्री गिरीश चंद्र से कुल धनराशि रू0 36924.00 की वसूली समानुपातिक रूप से क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु० 9231.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से रु० 9231.00,

खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय से रु० 9231.00 एवं लेखाकार श्री गिरीश चंद्र से रु० 9231.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-07)

प्रस्तर संख्या-130

ग्राम पंचायत- सैदपुर रज़्जीपुर विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरममत/रीबोर कराया गया जिस पर कुल रू0 275945.00 व्यय किया गया। मरम्मत पर व्यय व सामग्री क्रय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। कुल अनुदान का लगभग 25 प्रतिशत धनराशि अनियमित रूप से केवल हैण्डपम्प पर व्यय किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है। अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव एवं ग्राम प्रधान श्री कृष्णानन्द चौधरी से कुल धनराशि रू0 275945.00 की वसूली बराबर हिस्सों में क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु० 137972.50 एवं ग्राम प्रधान श्री कृष्णानन्द चौधरी से रु० 137972.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-131

ग्राम पंचायत- सैदपुर रज़्जीपुर विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित छोटी नहर से विवेक कुमार के पशुशाला तक खड़ंजा निर्माण कार्य 14वे वित्त दिनांक 11.06.2021 को रू0 53120.00 मनरेगा से मजदूरी भुगतान तथा 14वे के0वि0 से रू0 71719.00 ईंट क्रय का भुगतान कुल रू0 124839.00 दर्शित किया गया है। कार्य पत्रवलिया ऑडिट मे प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कार्य पर व्यय की जांच नहीं की जा सकी। पत्रावलि/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत मे पत्रावली विहीन व्यय, ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव से की गई है

अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव एवं ग्राम प्रधान श्री कृष्णानन्द चौधरी से कुल धनराशि रू0 124839.00 की वसूली समानुपातिक रूप से क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री रवींद्र देव यादव से रु० 62419.50 एवं ग्राम प्रधान श्री कृष्णानन्द चौधरी से रु० 62419.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(सा0आ0 संख्या-05)**

प्रस्तर संख्या-132

ग्राम पंचायत- त्रिलोकपुर विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरममत/रीबोर कराया गया जिस पर कुल रू0 195223.00 व्यय किया गया। मरम्मत पर व्यय व सामग्री क्रय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। कुल अनुदान का लगभग 25 प्रतिशत धनराशि अनियमित रूप से केवल हैण्डपम्प पर व्यय किया गया। प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है। अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र पासवान एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम वर्मा से कुल धनराशि रू0 195223.00 की वसूली बराबर हिस्सों में क्यों न की जाय। साक्ष्य

सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र पासवान से रु० 97611.50 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम वर्मा से रु० 97611.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(सा0आ0 संख्या-01)**

प्रस्तर संख्या-133

ग्राम पंचायत- त्रिलोकपुर विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

ग्राम पंचायत की ऑडिट मे पाया गया कि कैशबुक मे दिनांक 18.10.2022 एवं 22.10.2022 को क्रमशः रू0 59946.00 एवं 136000.00 कुल रू0 195946.00 पंचायत भवन पर प्लमबरिंग कार्य पर व्यय दर्शित है। उक्त कार्य के सापेक्ष वाउचर ऑडिट मे प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि न् की जा सकी। प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है। अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र पासवान एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम वर्मा से कुल धनराशि रू0 195946.00 की वसूली बराबर हिस्सों में क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि म सचिव श्री धीरेन्द्र पासवान से रु० 97973.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम वर्मा से रु० 97973.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-134

ग्राम पंचायत- त्रिलोकपुर विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित शम्सुद्दिनपुर प्राथमिक स्कूल से हाईवे तक इन्टरलॉकिंग कार्य दिनांक 16/02/2022को रू0 53120.00 बिना इंटेरलॉकिंग निर्माण सामग्री क्रय किए उक्त स्थान पर इन्टरलॉकिंग निर्माण कार्य की मजदूरी भुगतान दर्शित कर धन का अपहरण किया गया। कार्य पत्रवलिया ऑडिट मे प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कार्य पर व्यय की जांच नहीं की जा सकी। पत्रावली/बाउचर विहीन व्यय ग्राम पंचायत मे पत्रावली विहीन व्यय, ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव से की गई है।

अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र पासवान एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय एवं लेखाकार श्री गिरीश चंद्र से कुल धनराशि रू0 29580.00 की वसूली समानुपातिक रूप से रु० क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री धीरेन्द्र पासवान से रु० 7395.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम वर्मा से रु० 7395.00, खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय से रु० 7395.00 एवं लेखाकार श्री गिरीश चंद्र से रु० 7395.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-05)

प्रस्तर संख्या-135

ग्राम पंचायत- अशरफपुर विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे पाया गया की ग्राम पंचायत मे दिनांक 17.07.2021 को रू0 101000.00 एवं दिनांक 18.07.2021 को रू0 108000.00 कुल रू0 209000.00 विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप स्थापना पर व्यय किया गया। ह्यूम पाइप स्थापना से संबंधित मूल पत्रावली/वाउचर जांच मे प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पर व्यय एवं भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत मे पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय, वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है जिसकी वसूली

की अपेक्षा ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव से की गई है। अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री गंगाराम गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अनुभव से कुल धनराशि रू0 209000.00 की वसूली समानुपातिक रूप से क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री गंगाराम गुप्ता से रु० 104500.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अनुभव से रु०104500.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-01)

प्रस्तर संख्या-136

ग्राम पंचायत- अशरफपुर विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे पाया गया की ग्राम पंचायत मे दिनांक 19.01.2022 को रू0 121800.00 मेन रोड से लालजी के घर तक मिट्टी एवं खड़ंजा कार्य पर व्यय किया गया। कराए गए कार्य पर सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान से संबंधित मूल पत्रावली/वाउचर जांच मे प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पर व्यय एवं भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत मे पत्रावली/वाउचर विहीन व्यय, वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अन्तर्गत गबन है जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव से की गई है।

अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री गंगाराम गुप्ता एवं ग्राम प्रधान श्री अनुभव से कुल धनराशि रू0 121800.00 की वसूली समानुपातिक रूप से क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री गंगाराम गुप्ता से रु० 60900.00 एवं ग्राम प्रधान श्री अनुभव से रु० 60900.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(सा0आ0 संख्या-02)**

प्रस्तर संख्या-137

ग्राम पंचायत- अशरफपुर विकास खंड- टांडा जनपद-अम्बेडकर नगर

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि ग्राम पंचायत मे मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित कार्य मिया के घर से राम अजोर के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य पर दिनांक 25.03.2021 को सामग्री क्रय का बिल जारी किया गया जबकि मस्टर रोल के अनुसार दिनांक 08.02.2021 से 10.02.2021 के बीच कराए गए उक्त कार्य पर मजदूरी का भुगतान दिनांक 12.02 .2021 को किया गया। यह स्पष्ट है की इन्टरलाकिन्ग कार्य पर सामग्री क्रय से पूर्व ही मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। मूल पत्रावली के अभाव मे समुचित जांच न की जा सकी। ऐसी स्थिति मे कार्य एवं भुगतान पर कुल व्यय रू0 177648.00 संदिग्ध है।

अतः मूल व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं मनरेगा योजना हेतु जारी सुसंगत नियमों अधिनियमों के अन्तर्गत ग्राम सचिव श्री गंगाराम गुप्ता, ग्राम प्रधान श्री अनुभव खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय एवं लेखाकार श्री गिरीश चंद्र से कुल धनराशि रू0 171648.00 की वसूली समानुपातिक रूप से क्यों न की जाय। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। आडिट समीक्षा में स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त धनराशि ग्राम सचिव श्री गंगाराम गुप्ता से रु० 42912.00, ग्राम प्रधान श्री अनुभव से रु० 42912.00 खण्ड विकास अधिकारी श्री पीयूष राय से रु० 42912.00 एवं लेखाकार श्री गिरीश चंद्र से रु० 42912.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0 संख्या-06)

जनपद-अमेठी मण्डल-अयोध्या

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

ग्राम पंचायत का नाम -कल्याणपुर विकास खण्ड- जामो वर्ष 2021-22 जनपद - अमेठी

प्रस्तर संख्या-1

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राम निधि से रू. 1624398.00 और मनरेगा से रू. 1487000.00 का व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों/पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित मनरेगा व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण मनरेगा व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित व्यय धनराशि रू. 3111398.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री राम कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - सेम्भई विकास खण्ड- जामों वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-2

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राम निधि से रू. 2881959.00 और मनरेगा से रू. 3225000.00 का व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों/पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित मनरेगा व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही

रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण मनरेगा व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित व्यय धनराशि रू. 6106959.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री राम कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता यादव से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - सूखीबाजगढ विकास खण्ड- जामों वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-3

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राम निधि से रू. 8456584.00 और मनरेगा से रू. 7020000.00 का व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों/पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित मनरेगा व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण मनरेगा व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित व्यय धनराशि रू. 15476584.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष रंजन एवं ग्राम प्रधान श्री छेदीलाल से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - चिटहुला विकास खण्ड- जामों वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-4

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राम निधि से रू. 1765787.00 और मनरेगा से रू. 5084000.00 का व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों/पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित मनरेगा व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण मनरेगा व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित व्यय धनराशि रू. 6849787.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री राम कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रानी से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - घाटमपुर विकास खण्ड- भैंटुआ वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-5

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वित्त ग्राम निधि प्रथम से रू. 569508.48 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 569508.48 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री रामनाथ से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 15 वां केन्द्रीय वित्त से रू. 553359.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में 15 वां केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू.553359.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री रामनाथ से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा से रू. 1852000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में मनरेगा से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। चूंकि मनरेगा व्यय भुगतान की प्रक्रिया में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका सीधे तौर पर सहभागिता रहती है इसलिये अधिभार आपत्ति में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा भी उत्तरदायी होगे। अतः उक्त अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 1852000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों कार्यक्रम अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह व श्री संजय कुमार गुप्ता ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री रामनाथ से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - पूरबद्वारा विकास खण्ड- भेंटुआ वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-8

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वित्त ग्राम निधि प्रथम से रू. 433850.48 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 433850.48 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती जसमती से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 15 वां केन्द्रीय वित्त से रू. 814026.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में 15 वां केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 814026.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती जसमती से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा से रू. 1492000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में मनरेगा से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। चूंकि मनरेगा व्यय भुगतान की प्रक्रिया में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका सीधे तौर पर सहभागिता रहती है इसलिये अधिभार आपत्ति में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा भी उत्तरदायी होगे। अतः उक्त अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 1492000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों कार्यक्रम अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह व श्री संजय कुमार गुप्ता ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती जसमती से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम -अरगवां विकास खण्ड- गौरीगंज वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-11

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वित्त ग्राम निधि प्रथम से रू. 1252492.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 1252492.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री रंजीत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री दिनेश मिश्रा से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 15 वां केन्द्रीय वित्त से रू. 1086688.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में 15 वां केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 1086688.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सचिव श्री रंजीत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री दिनेश मिश्रा से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा से रू. 3274000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में मनरेगा से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। चूंकि मनरेगा व्यय भुगतान की प्रक्रिया में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका सीधे तौर पर सहभागिता रहती है इसलिये अधिभार आपत्ति में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा भी उत्तरदायी होगे। अतः उक्त अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 3274000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों कार्यक्रम अधिकारी श्री शशि कुमार तिवारी व श्री उमा शंकर वर्मा ग्राम पंचायत सचिव श्री रंजीत कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री दिनेश मिश्रा से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - इटौजा पश्चिम विकास खण्ड- गौरीगंज वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-14

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वित्त ग्राम निधि प्रथम से रू. 697825.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध

कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 697825.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 15 वां केन्द्रीय वित्त से रू. 774552.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में 15 वां केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 774552.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा से रू. 1573000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में मनरेगा से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। चूंकि मनरेगा व्यय भुगतान की प्रक्रिया में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका सीधे तौर पर सहभागिता रहती है इसलिये अधिभार आपत्ति में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा भी उत्तरदायी होगे। अतः उक्त अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 1573000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों कार्यक्रम अधिकारी श्री शशि कुमार तिवारी व श्री उमा शंकर वर्मा ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - चन्दईपुर विकास खण्ड- गौरीगंज वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-17

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वित्त ग्राम निधि प्रथम से रू. 1236724.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 1236724.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री दिनेश से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 15 वां केन्द्रीय वित्त से रू. 801916.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में 15 वां केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 801916.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री दिनेश से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा से रू. 2610000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में मनरेगा से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। चूंकि मनरेगा व्यय भुगतान की प्रक्रिया में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका सीधे तौर पर सहभागिता रहती है इसलिये अधिभार आपत्ति में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा भी उत्तरदायी होगे। अतः उक्त अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 2610000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों कार्यक्रम अधिकारी श्री शशि कुमार तिवारी व श्री उमा शंकर वर्मा ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री दिनेश से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - भटगवाँ विकास खण्ड- गौरीगंज वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-20

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वित्त ग्राम निधि प्रथम से रू. 1090739.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 1090739.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुमन यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 15 वां केन्द्रीय वित्त से रू. 724439.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में 15 वां केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 724439.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुमन यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा से रू. 2510000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में मनरेगा से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही

रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। चूंकि मनरेगा व्यय भुगतान की प्रक्रिया में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका सीधे तौर पर सहभागिता रहती है इसलिये अधिभार आपत्ति में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा भी उत्तरदायी होगे। अतः उक्त अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 2510000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों कार्यक्रम अधिकारी श्री शशि कुमार तिवारी व श्री उमा शंकर वर्मा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सुमन यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - टिकारिया विकास खण्ड- गौरीगंज वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-23

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वित्त ग्राम निधि प्रथम से रू. 847854.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 847854.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रफुल्ल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आशा से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 15 वां केन्द्रीय वित्त से रू. 627434.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में 15 वां केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 627434.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रफुल्ल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आशा से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा से रू. 2067000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में मनरेगा से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। चूंकि मनरेगा व्यय भुगतान की प्रक्रिया में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका सीधे तौर पर सहभागिता रहती है इसलिये अधिभार आपत्ति में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा भी उत्तरदायी होगे। अतः उक्त अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 2067000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों कार्यक्रम अधिकारी श्री शशि कुमार तिवारी व श्री उमा शंकर वर्मा ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रफुल्ल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आशा से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - खखेरूआ विकास खण्ड- सिंहपुर वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-26

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राम निधि से रू. 1770241.00 और मनरेगा से रू. 2680000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में दर्शित सम्पूर्ण व्यय नियमों की अनदेखी करके किये गये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार किया गया सम्पूर्ण व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 4450241.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री जे0बी0 सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नीता सिंह से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - दुलापुर खुर्द विकास खण्ड- शाहगढ़ वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-27

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वित्त ग्राम निधि प्रथम से रू. 350952.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 350952.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरला कनौजिया एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सोनिया देवी से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 15 वां केन्द्रीय वित्त से रू. 270914.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में 15 वां केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 270914.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरला कनौजिया एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सोनिया देवी से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा से रू. 1281000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में मनरेगा से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। चूंकि मनरेगा व्यय भुगतान की प्रक्रिया में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की महत्वपूर्ण सीधे तौर पर सहभागिता रहती है इसलिये अधिभार आपत्ति में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा भी उत्तरदायी होगे। अतः उक्त अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 1281000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों कार्यक्रम अधिकारी इं0 अभिषेक पटेल, श्री वीनेन्द्र प्रताप वर्मा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरला कनौजिया एवं श्रीमती सोनिया देवी ग्राम प्रधान से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - बहोरिकपुर विकास खण्ड- शाहगढ़ वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-30

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वित्त ग्राम निधि प्रथम से रू. 744847.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 744847.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री मिथेलश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-31

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 15 वां केन्द्रीय वित्त से रू. 662546.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में 15 वां केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 662546.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री मिथलेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मुकेश कुमार से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-32

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा से रू. 1378000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में मनरेगा से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। चूंकि मनरेगा व्यय भुगतान की प्रक्रिया में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की महत्वपूर्ण सीधे तौर पर सहभागिता रहती है इसलिये अधिभार आपत्ति में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा भी उत्तरदायी होगे। अतः उक्त अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 1378000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों कार्यक्रम अधिकारी इं0 अभिषेक पटेल, श्री वीनेन्द्र प्रताप वर्मा ग्राम पंचायत सचिव श्री मिथलेश कुमार एवं श्री मुकेश कुमार ग्राम प्रधान से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - इक्का ताजपुर विकास खण्ड- बाजार शुकुल वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-33

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वित्त ग्राम निधि प्रथम से रू. 1123419.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 1123419.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री मंजीत सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 15 वां केन्द्रीय वित्त से रू. 1366427.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में 15 वां केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 1366427.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री मंजीत सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-35

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा से रू. 789000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में मनरेगा से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। चूंकि मनरेगा व्यय भुगतान की प्रक्रिया में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की महत्वपूर्ण सीधे तौर पर सहभागिता रहती है इसलिये अधिभार आपत्ति में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा भी उत्तरदायी होगे। अतः उक्त अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 789000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों कार्यक्रम अधिकारी श्री राजीव गुप्ता, श्री शशिकुमार तिवारी, सुश्री प्रीती वर्मा, श्री सत्य नारायन सिंह व श्री विजय कुमार अस्थाना, ग्राम पंचायत सचिव श्री मंजीत सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी ग्राम प्रधान से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - सवनगी विकास खण्ड- भादर वर्ष 2021-22 जनपद-अमेठी

प्रस्तर संख्या-36

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वित्त ग्राम निधि प्रथम से रू. 402366.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में ग्राम निधि प्रथम से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध

कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 402366.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती भानमती से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-37

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 15 वां केन्द्रीय वित्त से रू. 628873.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में 15 वां केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उपरोक्त प्रकार से अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 628873.00 की वसूली उत्तरदायी ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती भानमती से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-38

ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा से रू. 1675000.00 व्यय किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित पत्रावलियों की लेखा परीक्षा में बार-बार अभिलेख मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मस्टर रोल और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः ग्राम पंचायत में मनरेगा से व्यय धनराशि में नियमों की अनदेखी किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत है। '' ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि ''यदि दर्शित व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शित व्यय की धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

उपर्युक्त प्राविधानों के अनुसार आलोच्य वर्ष 2021-22 के व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य समिति से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न स्तरों के सम्बन्धित प्रपत्र, टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 एवं रायल्टी कटौती एवं जमा के विवरण से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रपत्र व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है, जो अधिभार के योग्य है। चूंकि मनरेगा व्यय भुगतान की प्रक्रिया में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की महत्वपूर्ण सीधे तौर पर सहभागिता रहती है इसलिये अधिभार आपत्ति में कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा भी उत्तरदायी होगे। अतः उक्त अप्रमाणित सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू. 1675000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों कार्यक्रम अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती भानमती ग्राम प्रधान से बराबर-बराबर भाग में अद्यावधि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मण्डल: अयोध्या **जिला: अयोध्या**

प्रारूप-4

ग्राम पंचायत-- अयोध्या वर्ष 2021-22

1.ग्राम पंचायत - कोछा विकास खण्ड बीकापुर वर्ष-2021-22

प्रस्तर 01 कैश बुक के अनुसार विभिन्न फर्मो को भुगतानित निम्न धनराशियां जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि
1	हरिओम ट्रेडर्स	08.05.2021	32540.00
2	हरिओम ट्रेडर्स	08.05.2021	35660.00
3	लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज		91813.00
4	लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज	30.08.2021	91562.00
5	लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज	07.09.2021	45990.00
6	हरिओम ट्रेडर्स	12.11.2021	34658.00
	योग		3,32,223.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. उक्त धनराशियो का व्यय किस सामग्री पर किया गया इसका कैश बुक में कोई उल्लेख नही किया गया।

2. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार

योग्य है। अतः धनराशि रू0 3,32,223.00/- की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता(रु० 166111.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अवधेश सिंह(रु०166111.50) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 02 कैश बुक के अनुसार ह्यूम पाईप क्रय हेतु विभिन्न फर्मो को भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि
1	धनवंतरि कंक्रीट फैब्रीकेटर	05.08.2021	58653.00
2	धनवंतरि कंक्रीट फैब्रीकेटर	06.08.2021	77153.00
3	धनवंतरि कंक्रीट फैब्रीकेटर	25.08.2021	77155.00
4	धनवंतरि कंक्रीट फैब्रीकेटर	01.10.2021	99617.00
5	हरिओम ट्रेडर्स	19.02.2022	80704.00
6	योग		3,93,282.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. ह्यूम पाईप हेतु क्रीत सामग्री का कोई विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
2. ह्यूम पाईप की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

4. ह्यूम पाईप से सम्बन्धित कोई मजदूरी कैश बुक में दर्शित नही की गयी है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 3,93,282.00/- की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता(रु०196641.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अवधेश सिंह(रु०196641.00) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 03 कैश बुक के अनुसार दिनांक-25.03.2022 को ह्यूम पाईप क्रय हेतु रू0 88943.00 का भुगतान किया गया है, उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. ह्यूम पाईप क्रय किस फर्म से किया गया है, इसका कोई उल्लेख नही है।
2. ह्यूम पाईप से सम्बन्धित कोई मजदूरी कैश बुक में दर्शित नही की गयी है।
3. ह्यूम पाईप की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-

प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 88,943.00/- की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता(रु०44471.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अवधेश सिंह(रु०44471.50) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

2.ग्राम पंचायत - सोनवर्षा मुसलमीन विकास खण्ड बीकापुर वर्ष-2021-22

प्रस्तर 04 कैश बुक के अनुसार विभिन्न फर्मो को भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि
1	लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज	13.07.2021	98034.00
2	लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज	14.07.2021	98752.00
3	मौर्या मशीनरी स्टोर्स	12.07.2021	25605.00
4	मौर्या मशीनरी स्टोर्स	19.08.2021	32067.00
5	योग		2,54,458.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. उक्त धनराशियो का व्यय किस सामग्री पर किया गया इसका कैश बुक में कोई उल्लेख नही किया गया।
2. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 2,54,458.00/- की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया परवीन(रु०127229.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अवधेश सिंह(रु०127229.00) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 05 कैश बुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु विभिन्न फर्मो को भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि
1	किसान मशीनरी स्टोर्स	28.07.2021	19040.00
2	किसान मशीनरी स्टोर्स	29.07.2021	4230.00
3	योग		23,270.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रीत सामग्री का कोई विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
2. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 23,270.00/- की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया परवीन(रु०11635.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अवधेश सिंह (रु०11635.00) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

3. ग्राम पंचायत - असरेवा विकास खण्ड.बीकापुर वर्ष-2021-22

प्रस्तर 06 कैश बुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु विभिन्न फर्मो को भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि
1	आरव ट्रेडर्स	10.05.2021	16905.00
2	आरव ट्रेडर्स	10.05.2021	15460.00
3	आर0 के0 इण्टरप्राइजेज	29.07.2021	18540.00
4	आर0 के0 इण्टरप्राइजेज	29.07.2021	19260.00
5	आर0 के0 इण्टरप्राइजेज	31.07.2021	14350.00
6	आर0 के0 इण्टरप्राइजेज	31.07.2021	14000.00
7	आरव ट्रेडर्स	06.08.2021	3670.00
8	योग	1,02,185.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रीत सामग्री का कोई विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
2. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू01,02,185.00/- की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता(रु०51092.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अवधेश सिंह(रु०51092.50) से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 07 कैश बुक के अनुसार दिनांक-04.08.2021 को ह्यूम पाईप क्रय हेतु रू0 78,204.00 का भुगतान धनवंतरि कंक्रीट फैब्रीकेटर को किया गया है, उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. ह्यूम पाईप क्रय किस फर्म से किया गया है, इसका कोई उल्लेख नही है।

2. हैण्डपम्प से सम्बन्धित कोई मजदूरी कैश बुक में दर्शित नही की गयी है।
3. हैण्डपम्प की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 78,204.00/- की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता(रु०39102.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अवधेश सिंह(रु०39102.00) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

4. ग्राम पंचायत - धरेठा दशरथपुर विकास खण्ड.बीकापुर वर्ष-2021-22

प्रस्तर 08 कैश बुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु विभिन्न फर्मो/व्यक्तियो को भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	धनराशि
1	आर0एम0 ट्रेडर्स	30.04.2021	21650.00
2	अनन्या ट्रेडर्स	05.07.2021	19360.00
3	अनन्या ट्रेडर्स	05.07.2021	19400.00
4	हरिओम ट्रेडर्स	15.09.2021	19148.00
5	हरिओम ट्रेडर्स	15.09.2021	18464.00
6	अनन्या ट्रेडर्स	15.09.2021	13550.00
7	अनन्या ट्रेडर्स	15.09.2021	13120.00
8	लक्ष्मी ट्रेडर्स	21.11.2021	19972.00
9	मनोज कुमार यादव	20.12.2021	19875.00
10	मनोज कुमार यादव	24.03.2022	11730.00
11	मनोज कुमार यादव	24.03.2022	19920.00
12	योग		1,96,189.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रीत सामग्री का कोई विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
2. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर

उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 1,96,189.00/-की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आराधना(रु०98094.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रवि कुमार(रु०98094.00) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 09 कैश बुक के अनुसार हृयूम पाईप क्रय हेतु विभिन्न फर्मो को भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि
1	अनन्या ट्रेडर्स	19.07.2021	50274.00
2	धनवंतरि कंक्रीट फैब्रीकेटर	25.09.2021	97755.00
3	धनवंतरि कंक्रीट फैब्रीकेटर	07.10.2021	97755.00
4	अनन्या ट्रेडर्स	07.10.2021	50274.00
5	अनन्या ट्रेडर्स	07.10.2021	75411.00
	योग		3,71,469.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. हृयूम पाईप हेतु क्रीत सामग्री का कोई विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
2. हृयूम पाईप की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

4. हृयूम पाईप से सम्बन्धित कोई मजदूरी कैश बुक में दर्शित नही की गयी है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 3,71,469.00/- की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आराधना(रु०185734.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रवि कुमार(रु०185734.50) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

5. ग्राम पंचायत - देवापुर विकास खण्ड.बीकापुर वर्ष-2021-22

प्रस्तर 10 लेखा परीक्षा में कैश बुक, बैंक स्टेटमेण्ट, कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिकृत प्रपत्र यथा-बिल वाउचर , मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित आकड़ो के अनुसार वर्ष 2021-22 में धनारशि रू 8,88,804.00 रूपये का व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है

क्र0सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि
1	प्राथमिक विद्यालय में फर्श, टाईल्स	आर0 बी0 ट्रेडर्स	29.04.2021	136876.00
2	हैण्डपम्म मरम्मत	आरव ट्रेडर्स	30.04.2021	19970.00
3	प्रा0वि0 में टाईल्स कार्य पर मजदूरी		30.04.2021	50526.00
4	प्रा0वि0 देवापुर में टाईल्स कार्य पर सामग्री क्रय	आर0 बी0 ट्रेडर्स	04.05.2021	16103.00
5	डी0बी0 मैनेज		04.05.2021	25000.00

6	डी0बी0 मैनेज	04.05.2021	311884.00
7	एस.ए.आई. महिला एस.एच.जी. पूरे सधई पण्डित	07.07.2021	21000.00
8	प्रधान मानदेय	29.07.2021	42000.00
9	जू0हा0स्कू0 में टाईल्स कार्य पर सामग्री क्रय आरव ट्रेडर्स	29.07.2021	60245.00
10	जू0हा0स्कू0 में टाईल्स कार्य पर टाईल्स क्रय आरव ट्रेडर्स	29.07.2021	89979.00
11	हैण्डपम्प मरम्मत आरव ट्रेडर्स	12.08.2021	19,710.00
12	हैण्डपम्प मरम्मत आरव ट्रेडर्स	12.08.2021	10,800.00
13	हैण्डपम्प मरम्मत आरव ट्रेडर्स	21.08.2021	19,650.00
14	ईट क्रय जे0 के0 ईट उद्योग	26.08.2021	65,061.00
	योग		8,88,804.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। "साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू08,88,804.00/- की वसूली ग्राम प्रधान बब्बन(रु०444402.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत प्रतिभा(रु०444402.00) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

6. ग्राम पंचायत मरुई गनेशपुर विकास खण्ड मिल्कीपुर वर्ष 2021.22

प्रस्तर 11 कैश बुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु विभिन्न फर्मो को भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि
1	अरविन्द ट्रेडर्स	17.07.2021	18800.00
2	अरविन्द ट्रेडर्स	23.07.2021	18980.00
3	अरविन्द ट्रेडर्स	04.09.2021	18960.00
4	अरविन्द ट्रेडर्स	29.10.2021	18855.00
	योग		75,595.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रीत सामग्री का कोई विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
2. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू075,595.00/-की वसूली ग्राम प्रधान माया देवी(रु०37797.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत सूरज सिंह(रु०37797.50) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 12 कैश बुक के अनुसार दिनांक-17.11.2021 को ह्यूम पाईप क्रय हेतु रू0 74,812.00 का भुगतान क्षत्रिय टे[a]डर्स जी0ओ0एस0 को किया गया है, उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. ह्यूम पाईप से सम्बन्धित कोई मजदूरी कैश बुक में दर्शित नही की गयी है।
2. ह्यूम पाईप की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू074,812.00/-की वसूली ग्राम प्रधान माया देवी(रु०37406.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत सूरज सिंह(रु०37406.00) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 13 कैश बुक के अनुसार दिनांक-27.02.2021 को शौचालय केयर टेकर मानदेय हेतु रू0 27,000.00 का व्यय दर्शित है, उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. उक्त धनराशि किस व्यक्ति को भुगतान किया गया है एवं किस माह से किस माह तक मानदेय दिया गया है, इसका स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 27,000.00/- की वसूली ग्राम प्रधान माया देवी(रु०13500.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत सूरज सिंह(रु०13500.00) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 14 कैश बुक के अनुसार सिद्वनाथ के घर से माता जी के स्थान तक इण्टरलाकिंग कार्य पर दर्शित व्यय निम्नवत है -

सामग्री क्रय - माँ दुर्गे इण्टरप्राइजेज दिनांक-30.12.2021 को 114620.00
ईट क्रय- सुरेन्द्र सिंह ईट भट्ठा दिनांक- 30.12.2021 को 28113.00 का भुगतान
दर्शित है। जिसमे मजदूरी पर व्यय नही किया गया है। उक्त व्यय संदिग्ध एवं काल्पनिक दिखाया गया है, अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 1,42,733.00/- की वसूली ग्राम प्रधान माया देवी(रु०71366.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत सूरज सिंह(रु०71366.50) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 15 कैश बुक के अनुसार दिनांक-14.07.2021 को स्टेशनरी पर वी0के0 फोटो स्टेट को धनराशि 15,780.00 का भुगतान किया गया है, जिस पर आपत्तियां निम्नवत है-
लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा।
स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू015,780.00/-की वसूली ग्राम प्रधान माया देवी(रु०7890.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत सूरज सिंह (रु०7890.00) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 16 कैश बुक के अनुसार निम्न कार्य पर धनराशि रू0 1,22,245 का भुगतान दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	कार्य का नाम	व्यय विवरण का नाम
1	मेन खड़न्जा से राज तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य-	ईट क्रय-20137 दिनांक 29-10-2021 सुरेन्द्र सिंह ईट भट्ठा सामग्री क्रय-85872 दिनांक-29.10.2021, क्षत्रिय ट्रेडर्स एण्ड जी0 ओ0 एस0 मजदूरी - 16,236 दिनांक-29.10.2021,

योग - 1,22,245

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया, जिससे इसकी पुष्टि नही की जा सकी, अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण

हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। "साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू01,22,245.00/-की वसूली ग्राम प्रधान माया देवी(रु०61122.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत सूरज सिंह(रु०61122.50) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

7. ग्राम पंचायत नरेन्द्र भादा विकास खण्ड मिल्कीपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर 17 कैश बुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु विभिन्न फर्मो को भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि
1	अरविन्द ट्रेडर्स	14.07.2021	18980.00
2	अरविन्द ट्रेडर्स	21.07.2021	19200.00
3	अरविन्द ट्रेडर्स	04.09.2021	18840.00
4	अरविन्द ट्रेडर्स	04.09.2021	18879.00
	योग		75,899.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रीत सामग्री का कोई विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
2. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। "साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू075,899.00/- की वसूली ग्राम प्रधान काशीराम(रु०37949.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत सूरज सिंह(रु०37949.50) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 18 कैश बुक के अनुसार दिनांक-01.09.2021 को हयूम पाईप क्रय हेतु रू0 74,812.00 का भुगतान क्षत्रिय टे[a]डर्स जी0ओ0एस0 को किया गया है, उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है -

1. हयूम पाईप से सम्बन्धित कोई मजदूरी कैश बुक में दर्शित नही की गयी है।
2. हयूम पाईप की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 74,812.00/- की वसूली ग्राम प्रधान काशीराम(रु०37406.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत सूरज सिंह(रु०37406.00) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 19 कैश बुक के अनुसार दिनांक-14.07.2021 को स्टेशनरी पर वी0के0 फोटो स्टेट को धनराशि 18,261.00 का भुगतान किया गया है, जिस पर आपत्तियां निम्नवत है- लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 18,261.00/- की वसूली ग्राम प्रधान काशीराम(रु०9130.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत सूरज सिंह(रु०9130.50) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 20 कैश बुक के अनुसार निम्न कार्य पर धनराशि रू0 2,42,262 का भुगतान दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	कार्य का नाम	व्यय विवरण का नाम
1	प्रा0वि0 नरेन्द्र भादा में इण्टरलाकिंग कार्य-ईट क्रय -43,564 दिनांक-14.07.2021राज ब्रिक फील्ड	
		सामग्री क्रय-48,233दिनांक-
	14.07.2021अरविन्द ट्रेडर्स	
		सामग्री क्रय-77,880दिनांक-
	14.07.2021अरविन्द ट्रेडर्स	
		सामग्री क्रय-42,909दिनांक-
	14.07.2021अरविन्द ट्रेडर्स	
		मजदूरी - 29,676 दिनांक-14.07.2021,
		योग - 2,42,262

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया, जिससे इसकी पुष्टि नही की जा सकी, अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। ''साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली

1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू02,42,262.00/- की वसूली ग्राम प्रधान काशीराम(रु०121131.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत सूरज सिंह(रु०121131.00) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 21 कैश बुक के अनुसार निम्न कार्य पर धनराशि रू0 1,54,200 का भुगतान दर्शित है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	कार्य का नाम	व्यय	विवरण
1-	दिनेश के घर से सालिकराम के ट्रेडर्स	सामग्री क्रय-38,878 दिनांक-30.10.2021	अरविन्द
	घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	सामग्री क्रय-89198 दिनांक01.11.2021	अरविन्द ट्रेडर्स
		मजदूरी - 26,124 दिनांक-27.12.2022	
		योग - 1,54,200	

उक्त कार्य पर ईट क्रय किये बिना ही कार्य कराया गया है जिससे कार्य संदिग्ध एवं काल्पनिक जान पड़ता है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया, जिससे इसकी पुष्टि नही की जा सकी, अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। "साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 1,54,200.00/- की वसूली ग्राम प्रधान काशीराम(रु०77100.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत सूरज सिंह (रु०77100.00) से संयुक्त रूप से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

08 -ग्राम पंचायत-धमथुआ विकास खण्ड -मिल्कीपुर वर्ष-2021-22

प्रस्तर 22-लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत की कैश बुक में दिनांक-06-07-2021को प्रशासनिक मद में व्यय/स्थानान्तरण रु०19040.00(13540+5500) तथा 23-07-2021 को 5250.00 व 04-08-2021 को 21600.00कुल व्यय 45890.00 दर्शित किया गया है।उक्त धनराशियों की पुष्टि उचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन है।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि 60 दिन में समस्त साक्ष्यों सहित संबंधित से स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने अथवा स्पष्टीकरण के समीक्षा में असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम-प्रधान मो मुस्लिम(रु० 22945.00) एवं ग्राम सचिव श्री अर्जुन(रु० 22945.00) से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है ।

09 ग्राम पंचायत कीन्हुपुर विकास खण्ड- मिल्कीपुर वर्ष- 2021-22

प्रस्तर 23-ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है:-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
12/5/2021	हैण्डपम्प रीबोर हेतु शिव मशीनरी स्टोर	14200.00	
31-07-2021	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	19230.00	
31-07-2021	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	18810.00	
31-07-2021	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु	18850.00	
	योग-	**71090.00**	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैः-

1-हैण्डपम्प रीबोर/मरम्मत व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त वेंडर/फर्म हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य करते हैं अथवा नहीं इसकी भी जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी। इनके जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पंजीयन के प्रकार आदि की जानकारी नहीं हो सकी।

3-एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरूद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान अभय प्रताप सिंह एवं ग्राम सचिव ध्रुव कुमार सिंह से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में धनराशि रु० 71090.00 वसूली ब्याज सहित ग्राम-प्रधान श्री अभय प्रताप सिंह(रु० 35545.00) एवं ग्राम सचिव श्री ध्रुव सिंह(रु० 35545.00) से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है है। मूल आपत्ति संख्या -14

10 ग्राम पंचायत गोकुला विकास खण्ड- मिल्कीपुर वर्ष- 2021-22

प्रस्तर 24- ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया हैः-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
20-10-2021	ह्यूम पाइप क्रय हेतु अरविन्द ट्रेडर्स	104737. 50
योग		**104737.50**

उक्त कार्य पर मजदूरी पर 2448.00 रु व्यय किया गया है अतः कुल व्यय 107185.50 है ।

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैः-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक में निम्न कमियाँ है ---

1-बिना किसी कार्य योजना के, आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

2-उक्त कार्य की कोई भी कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

3-उक्त कार्य से संबंधित कोई भी फोटोग्राफ नहीं लगाया गया जिससे कार्य कराए जाने से पूर्व व बाद की स्थिति स्पष्ट हो सके कि वास्तव में वहाँ ह्यूम पाइप लगवाया गया या नहीं ।

4-उक्त कार्य पर प्रशासनिक अनुमोदन 24-09-2021 को लिया गया है। जबकि मस्टर रोल दिनांक 12-09-2021 से 15-09-2021 तक का है जिस पर कुल 2448.00 रु मजदूरी का विवरण है । बिना प्रशासनिक अनुमोदन के कार्य कराया जाना नियम विरुद्ध है साथ हीह्यूम पाइप कहाँ कहाँ लगवाई गई का विवरण भी फाइल में कहीं भी अंकित नहीं रहा ।

5-उक्त कार्य पर पत्रावली में प्रस्तुत बिल अरविन्द ट्रेडर्स का है जिस पर 35 ह्यूम पाइप खरीद पर 2992.50 की दर से कुल 104737.50 का भुगतान 12-09-2021 , कैश बुक के अनुसार 20.10.2021को किया गया दर्शित है । बिल पर सफेदा लगाकर आंकड़ों में बदलाव किया गया है ।

6-उक्त कार्य पर कोटेशन भी फोटो कॉपी पर लिया गया है ।

अस्तु उक्त कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी व इस पर किया गया समस्त भुगतान ह्यूम पाइप खरीद पर104737.50 तथा मजदूरी 2448.00 कुल 107185.50 अनियमित व नियम विरुद्ध होने के साथ वसूली योग्य है ।

अतः उक्त आपत्तियों के आलोक में व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (ख) के अन्तर्गत अमान्य है। अतः उक्त व्यय के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में धनराशि रु० 107185.50 की वसूली ब्याज सहित ग्राम-प्रधान श्रीमती दयावती (रु०53592.75) एवं ग्राम सचिव श्री सूरज(रु०53592.75) से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या-12

प्रस्तर 25- ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि पी.एम. सड़क से माती राम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य(3149006001/आर सी /958486255823243685) पर वित्तीय वर्ष में एम0आर0 नं0 12023 दिनांक 30-03-2022 से रू0 12852.00, 12024दिनांक 30-03-2022 से रू0 3876.00 कुल रू0 16728.00 मजदूरी पर व्यय है परंतु निर्माण सामग्री क्रय नहीं किया गया है। साथ ही साथ इसकी व्यय पत्रावली/व्यय वाउचर भी आडिट प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत साठ दिवस के अतर्गत, सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से, आडिट को साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आडिट समीक्षा में असंतोषजनक पाये जाने की सिफारिश की स्थिति में उक्त रू0 16728.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान -श्रीमती दयावती(रु० 8364.00) एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हंसराज(रु० 8364.00) से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या-13

11- ग्राम पंचायत -अरुआवा विकास खण्ड-मसौधा वर्ष-2021-22

प्रस्तर 26 वित्तीय वर्ष -2021–22की लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायतअरुआवादवारा विभिन्न तिथियो मेप्रशासनिक व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	पी.एफ.एम.एस.	धनराशि	फर्म का नाम
1	02–08--2021	आर072101361588	2000-00	अनुभव ट्रेडर्स
2	10–08--2021	आर082100204377	14995.00	अनुभव ट्रेडर्स
3	10–08--2021	आर082100204381	3500.00	अनुभव ट्रेडर्स
4	17–08--2021	आर082100403911	20500.00	बी .आर . इंटरप्राइजेज
		योग	40995.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) लेखा परीक्षा मे प्रशासनिक व्यय की वित्तीय स्वीकृति ,प्रशासनिक स्वीकृति ;व्यय वाउचर , कोटेशन प्रपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड7 ,खण्ड 8क का उल्लंघन किया।

[ख] लेखा परीक्षा मे स्टाक रजिस्टर ;डेड स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु० 40995.00ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत:रु०40995.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान श्रीमती शाहीन बानो से रु०20497.50तथा ग्राम सचिव श्री रामबीर सिंह से रु०20497.50 किया जाना अपेक्षित है । [मूल आपत्ति संख्या 09]

प्रस्तर 27 वित्तीय वर्ष -2021–22की लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायतअरुआवा द्वारा कतिपय तिथियो मे हैंडपंप मरम्मत/रिबोर पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	पी.एफ.एम एस.संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	05–07--2021	आर072100036583	30505.00	बी .आर . इंटरप्राइजेज
2	06–07--2021	आर072100036583	30505.00	बी .आर . इंटरप्राइजेज
3	05–07-2021	आर0721000389 7	19789.00	बी .आर . इंटरप्राइजेज
4	05–07--2021	आर0721000389 3.00	19749.00	बी .आर . इंटरप्राइजेज
5	10–08--2021	आर0821001543 8	19500.00	बी .आर . इंटरप्राइजेज
6	10–08--2021	आर0821001635 1	19600.00	बी .आर . इंटरप्राइजेज
		योग	139648.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है - (क) लेखा परीक्षा मे विभिन्न स्थानो परहैंडपंप मरम्मत/रिबोर कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत ,व्यय प्रमाणक एवं एमबी प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क),एवं उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ख) हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी दवारा नहीं दिया गया है

(ग) मरम्मतरिबोर/ कराये गए हैंडपंपो की सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत मे विगत वर्षो मे मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गईजिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय के पुनर्व्ययन की जांच नही हो सकी । हैंडपंप मरम्मत रिबोर/ की कार्यदायी संस्थाओ का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे ततसंबंधी समीक्षा नही हो पाई ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०139648.00ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत:रु०139648.00की वसूली अद्यावधि

ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान श्रीमती शाहीन बानो से रु०69824.00तथा ग्राम सचिव श्रीरामबीर सिंह सेरु०69824.00किया जाना अपेक्षित है ।[मूल आपत्ति संख्या 10]

प्रस्तर 28 ग्राम पंचायत अरुआवा की वित्तीयवर्ष 2021–22की लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि हयूमपाइप क्रय पर दिनांक12–08--2021 कोरु०61565.00 भुगतान किया गया ।

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) लेखा परीक्षा मे हयूमपाइप क्रय का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, व्यय वाउचर, डिलीवरी चालान , एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया ।

(ख)हयूमपाइप की स्थापना किन स्थानो पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन हयूमपाइप क्रय का व्यय रु०61565.00ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत:रु०61565.00 वसूली अद्यावधिब्याज सहित बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान श्रीमती शाहीन बानो से रु०30782.50तथा ग्राम सचिवश्री रामबीर सिंह से रु०30782.50 किया जाना अपेक्षित है । [मूल आपत्ति संख्या 011)

12- ग्राम पंचायत -दोस्तपुर विकास खण्ड-मसौधा वर्ष-2021-22

प्रस्तर 29 वित्तीय वर्ष -2021–22की लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायतदोस्तपुरद्वारा कतिपय तिथियो मे हैंडपंप मरम्मतपर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	पी.एफ.एम एस.संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	31–12--2021	आर12210525 1196	8000.00	अनुभव ट्रेडर्स
2	31–12--2021	आर12210545 1695	19995.00	अनुभव ट्रेडर्स
		योग	27995.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है - (क) लेखा परीक्षा मे विभिन्न स्थानो पर हैंडपंप मरम्मत कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत ,व्यय प्रमाणक एवं एमबी प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क),एवं उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ख) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी दवारा नहीं दिया गया है

(ग) मरम्मत कराये गए हैंडपंपो की सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत मे विगत वर्षो मे मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नही हो सकी । हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओ का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे ततसंबंधी समीक्षा नही हो पाई ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०27995.00ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत:रु०27995.00की वसूली अद्यावधिब्याज सहित बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान श्रीमेराज अहमदसे रु०13997.50तथा ग्राम सचिव श्रीरामबीर सिंह सेरु०13997.50 किया जाना अपेक्षित है ।[मूल आपत्ति संख्या 09]

प्रस्तर 30 वित्तीय वर्ष -2021–22 की लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायतदोस्तपुर दवारा विभिन्न तिथियो मेप्रशासनिक व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	29–10--2021	आर102101893415	42800.00	शारदा इंटरप्राइजेज
2	29–10--21	आर102101888394	14500.00	शारदा इंटरप्राइजेज
3	01–11--21	आर102102013789	5500.00	अनुभव ट्रेडर्स
		योग	62800.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) लेखा परीक्षा मेप्रशासनिक व्यय का वित्तीय ,प्रशासनिक स्वीकृत व्यय वाउचर;, कोटेशन प्रपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7,खण्ड)8क एवं उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 156 का(उल्लंघन कियागया।

[ख] लेखा परीक्षा मे स्टाक रजिस्टर ;डेड स्टाक रजिस्टर, अप्राप्त रहा

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०62800.00ग्राम पंचायत मे <u>वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है ।</u> अत:रु०62800.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान श्री मेराज अहमद से रु०31400.00तथा ग्राम सचिव श्री रामबीर सिंह से रु०31400.00 किया जाना अपेक्षित है । [मूल आपत्ति संख्या 10]

13- ग्राम पंचायत-अकारीपुर विकास खण्ड-मयाबाजार वर्ष-2021-22

प्रस्तर 31 - **<u>विवरणहीन मद पर व्यय</u>** :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे विवरणहीन मद पर व्यय दर्शाकर कैशबुक में अंकित न कर धन का अपहरण-

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	
1-	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	7680.00.00	
2-	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	2856.00	
3-	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	4576.00	
4	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	74609.00	
5	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	36775.00	
6	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	5100.00	
7	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	7200.00	

8	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	5100.00	
9	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	2856.00	
10	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	50274.00	
11	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	5100.00	
12	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	32768.00	
13	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	39043.00	
14	23-7-2021	पी.एफ.एम एस.	5100.00	
15	26-7-2021	पी.एफ.एम एस.	95483.00	
16	9-8-2021	पी.एफ.एम एस.	6630.00	
योग-		381150.00		

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -
विवरणहीन मद से संबंधित कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उ०प्र० पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम-36 नियम-218(क) का उल्लंघन किया गया।
लेखा परीक्षा में विवरणहीन मद का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी। सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-4, खण्ड-5(2),5(4),5(4) एवं शासनादेश संख्या-ए-1864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23-09-2008 का उल्लंघन किया गया।
क्रय सामग्री का वाउचर, डिलीवरी चालान ,मस्टर रोल एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -08 के खण्ड-7 खण्ड-8(क) का उल्लंघन किया गया।
उक्त आहरित धनराशि को कैशबुक में अंकित न कर धन का अपहरण किया गया।
अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०-381150.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के अंतर्गत अपहरण के रुप में आकलित किया जाता है अतः इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित श्री विनोद आचार्य-ग्राम पंचायत अधिकारी (रु०190575.00) तथा श्री राम जी मौर्य ग्राम प्रधान (रु०190575.00) से किया जाना अपेक्षित है।

14- ग्राम पंचायत-आलापुर विकास खण्ड-मयाबाजार वर्ष-2021-22

प्रस्तर 32 **<u>हैंडपंप मरम्मत,स्थापना एवं रिबोर पर व्यय</u>** :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तिथियो मे हैंडपंप मरम्मत,स्थापना एवं रिबोर पर व्यय दिखाया गया है -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक	धनराशि	फर्म का नाम
1	2-7-2021	पी.एफ.एम एस.	18000.00	सार्थक ट्रेडर्स
2	2-7-2021	पी.एफ.एम एस.	18200.00	सार्थक ट्रेडर्स
3	6-7-2021	पी.एफ.एम एस.	17500.00	सार्थक ट्रेडर्स
4	5-7-2021	पी.एफ.एम एस.	39900.00	आराध्या हार्डवेयर सेंटर
5	5-7-2021	पी.एफ.एम एस.	44500.00	आराध्या हार्डवेयर सेंटर
6	29-10-21	पी.एफ.एम एस.	14285.00	श्याम कान्सट्रक्शन
7	29-10-21	पी.एफ.एम एस.	86893.00	श्याम कान्सट्रक्शन
8	29-10-21	पी.एफ.एम एस.	2040.00	मस्टरोल
9	29-10-21	पी.एफ.एम एस.	2040.00	मस्टरोल
10	30-10-21	पी.एफ.एम एस.	4800.00	मस्टरोल
		योग-	248158.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्धारा नहीं दिया गया है ।हैंडपम्प रिबोर कार्य को ग्राम सभा मे अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना मे शामिल नहीं किया गया । हैंडपम्प रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान प्लस एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई॰डी॰ जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटोएवं जियो टैगिंग करायी गयी है । अत: हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर मे जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 का उलंघन है ।

(ख) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), का उलंघन किया गया।

(ग) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपो सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत मे विगत वर्षो मे मरम्मत की गई हैंडपंप की सूची प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुनर्व्ययन की जांच नही हो सकी । हैंडपंप मरम्मत की कार्यदायी संस्थाओ का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र ,उनकी वैधता प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ,जिससे ततसंबंधी समीक्षा नही हो पाई ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रू०248158.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-05(5) एवं अध्याय-8 के खण्ड 07 एवं 8(क एंड उ०प्र० पंचायत राज(नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (ड) से (क) एवं शासनादेश संख्या 85/2017/224/33-3-2017-46/2015 दिनांक 28 सितंबर 2017 का निर्देशांक-4 एवं निर्देशांक 05 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आकलित किया गया है। अतः इसकी वसूली अध्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री चन्द्रभूषण सिहं ग्राम प्रधान(रु०124079.00) एवं श्री अमित कुमार राव ग्राम पंचायत अधिकारी(रु०124079.00) से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 33 **<u>ह्यूम पाइप क्रय :-</u>** ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा मे यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 2-7-2021को रुपया रू0-98187.00 लक्ष्मी इंटरप्राइजेज को **<u>ह्यूम पाइप क्रय</u>** हेतु भुगतान किया गया ।

इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) ह्यूम पाइप क्रय की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम218 (क) का उलंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे ह्यूम पाइप का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।

(ग) ह्यूम पाइप क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।

(घ) ह्यूम पाइप क्रय काव्यय वाउचर, डिलीवरी चालान ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया।

(ड़) ह्यूम पाइप की स्थापना किन स्थानो पर किया गया इसकी सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रू0-98187.00ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: इसकी वसूली अध्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री अमित कुमार राव(ग्राम पंचायत अधिकारी)(रु० 49093.50) एवं श्री चन्द्र भूषण सिंह (ग्राम प्रधान) से (रु० 49093.50) किया जाना अपेक्षित है (सामान्य आपत्ति 22)

15-ग्राम पंचायत-पौसरा विकास खण्ड-मयाबाजार वर्ष-2021-22

प्रस्तर 34 **<u>प्रशासनिक मद पर व्यय</u>** :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तिथियो मे प्रशासनिक मद पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	चेक	धनराशि	फर्म का नाम
1	11-10-2021	पी.एफ.एम एस.	19700.00	वंशिका इंटरप्राइजेज
2	8-11-2021	पी.एफ.एम	20168.00	वंशिका इंटरप्राइजेज

		एस.		
3	1-1-2022	पी.एफ.एम एस.	11500.00	वंशिका इंटरप्राइजेज
4	11-1-2022	पी.एफ.एम एस.	69500.00	वंशिका इंटरप्राइजेज
5	26-1-2022	पी.एफ.एम एस.	12700.00	वंशिका इंटरप्राइजेज
6	27-1-2022	पी.एफ.एम एस.	17000.00	वंशिका इंटरप्राइजेज
	योग-		150568.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है

(क) प्रशासनिक मद के अन्तर्गत क्रय सामग्री को डेड स्टॉक पंजिका में अंकित कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया ।

(ख)प्रशासनिक मद के अन्तर्गतक्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। **अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), का उलंघन किया गया।**

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०-150568.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड), **एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05** के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: इसकी वसूली अध्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सों में श्री बृजेश कुमार (ग्राम प्रधान)(रु० 75284.00) एवं श्री विजय प्रकाश (ग्राम पंचायत अधिकारी) (रु० 75284.00) से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 35 राजेश के घर से राजकुमार के घर तक इंटरलॉकिग निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है-

क्रम संख्या	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अभ्युक्ति
1-	5-2-2022	पी.एफ.एम एस.	53321.00	आदित्य ट्रेडर्स ।
2-	5-2-2022	पी.एफ.एम एस.	32302.00	आदित्य ट्रेडर्स ।
3-	19-2-2022	पी.एफ.एम एस.	32418.00	वंशिका इंटरप्राइजेज
	योग-		118041.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस

(ख) लेखा परीक्षा मे इंटरलॉकिग निर्माण कार्य का स्टीमेट, वितीय ,प्रशासनिक एवं व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) इंटरलॉकिग से संबन्धित कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। **अत: उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम218 (क) का उलंघन किया गया।**

तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। **अत: उ.प्र. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उलंघन किया गया।**

(ग)इंटरलॉकिग निर्माण कार्य मे प्रयुक्त सामाग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। **अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उलंघन किया गया।**

(घ)इंटरलॉकिग निर्माण कार्य मे प्रयुक्त सामाग्री का व्यय वाउचर, डिलीवरी चालान ,मस्टर रोल एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। **अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उलंघन किया गया।**

(ड)-कैशबुक में मजदूरी पर व्यय दर्शित नही है जिससे क्रय सामग्री के उपयोग की पुष्टि नही होती है ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०-118041.00.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ.प्र. पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री विजय गुप्ता (ग्राम पंचायत अधिकारी)(रु० 59020.50) एवं श्री बृजेश कुमार (ग्राम प्रधान) (रु० 59020.50) से किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या)

16-ग्राम पंचायत अमौनी विकास खण्ड मयाबाजार वर्ष-2021-22

प्रस्तर 36 - ग्राम पंचायत अमौनी वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु कैशबुक में ग्राम निधि केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि रु० 50439.00 दर्शित है ,जिसका विवरण इस प्रकार है -

क्र.	दिनाकं	आहरण/ व्ययधनराशि (रूपयेमें)	फर्म / व्यक्ति कानाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	29-11-2021	19728.00	ओजस कंस्ट्रक्शन	पी.एफ.एम एस.-	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन
2	29-11-2021	30711.00	ओजस कंस्ट्रक्शन	पी.एफ.एम एस.-	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन

योग - 50439.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँहै-

उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष वर्क आई डी, स्टीमेट ,वितीय स्वीकृति,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन सम्बंधित प्रपत्र, व्यय प्रमाणक ,एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-

7, खण्ड-8 (क) एवंउत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रू० 50439.00 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अध्याय-13 के नियम 256एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित की जाती है एवं अधिभार योग्य है।अतः उक्त धनराशि रू० 50439.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री संतोष सिंह ग्राम प्रधान (रू०25219.50), श्री मुक्तिनाथ ग्राम पंचायत अधिकारी (रू०25219.50)से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

17-ग्राम पंचायत कनकपुर विकास खण्ड मयाबाजार वर्ष-2021-22

प्रस्तर 37 ग्राम पंचायत कनकपुर वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु कैशबुक में ग्राम निधि केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि रु० 116200.00 दर्शित है ,जिसका विवरण इस प्रकार है -

क्र.	दिनाकं	आहरण/ व्ययधनराशि (रूपयेमें)	फर्म / व्यक्ति कानाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	11-03-2022	29050.00	मेसर्स यश कंस्ट्रक्शन एंड जनरल आर्डर सप्लायर	पी.एफ.एम एस.-	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन
2	11-03-2022	29050.00	मेसर्स यश कंस्ट्रक्शन एंड जनरल आर्डर सप्लायर	पी.एफ.एम एस.-	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन
3	11-03-2022	29050.00	मेसर्स यश कंस्ट्रक्शन एंड जनरल आर्डर सप्लायर	पी.एफ.एम एस.-	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन
4	11-03-2022	29050.00	मेसर्स यश कंस्ट्रक्शन एंड जनरल आर्डर सप्लायर	पी.एफ.एम एस.-	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन

योग - 116200.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँहै-

उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष वर्क आई डी, स्टीमेट ,वितीय स्वीकृति,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन सम्बंधित प्रपत्र, व्यय प्रमाणक ,एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 (क) एवंउत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रू० 116200.00 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अध्याय-13 के नियम 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित की जाती है एवं अधिभार योग्य है।अतः उक्त धनराशि रू० 116200.00 की उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती गीता देवी ग्राम प्रधान (रू० 58100.00), श्री विनोद आचार्य ग्राम पंचायत अधिकारी (रू० 58100.00)से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 38 - ग्राम पंचायत कनकपुर वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हृयूमपाइप स्थापना कार्य हेतु कैशबुक में ग्राम निधि केन्द्रीय वित्त से व्यय धनराशि रु० 170765.00 दर्शित है ,जिसका विवरण इस प्रकार है -

क्र.	दिनाकं	आहरण/ व्ययधनराशि (रूपयेमें)	फर्म / व्यक्ति कानाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		

1	11-10-2021	29885.00	मेसर्स यश कंस्ट्रक्शन एंड जनरल आर्डर सप्लायर	पी.एफ.एम एस.-	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन
2	23-03-2022	65645.00	मेसर्स यश कंस्ट्रक्शन एंड जनरल आर्डर सप्लायर	पी.एफ.एम एस.-	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन
3	28-03-2022	12552.00	मजदूरी	पी.एफ.एम एस.-	मजदूरी	व्यय प्रमाणकविहीन
6	29-03-2022	62683.00	मेसर्स यश कंस्ट्रक्शन एंड जनरल आर्डर सप्लायर	पी.एफ.एम एस.-	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन

योग - 170765.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँहै-

उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष वर्क आई डी, स्टीमेट ,वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन सम्बंधित प्रपत्र, व्यय प्रमाणक ,एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड,7-खण्ड-8)क(एवंउत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रू० 170765.00 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अध्याय-13 के नियम 256एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित की जाती है एवंअधिभार योग्य है।अतः उक्त धनराशि रू० 170765.00 की उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती गीता देवी ग्राम प्रधान (रू०85382.50), श्री विनोद आचार्य ग्राम पंचायत अधिकारी (रू०85382.50)से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 39 - ग्राम पंचायत कनकपुर वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में खडंजा मरम्मत कार्य हेतु कैशबुक में ग्राम निधि -1 से व्यय धनराशि रु० 97844.00 दर्शित है ,जिसका विवरण इस प्रकार है -

क्र.	दिनाकं	आहरण/ व्ययधनराशि (रूपयेमें)	फर्म / व्यक्ति कानाम		कार्य / मद / सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणक
			कैशबुक में	बैंक स्टेटमेंट में		
1	28-03-2022	62636.00	मेसर्स यश कंस्ट्रक्शन एंड जनरल आर्डर सप्लायर	पी.एफ.एम एस.-	सामग्री आपूर्ति	व्यय प्रमाणकविहीन
2	28-03-2022	35208.00	मजदूरी	पी.एफ.एम एस.-	मजदूरी	व्यय प्रमाणकविहीन

योग - 97844.00

लेखा परीक्षा में कैशबुक में दर्शित उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँहै-

उपरोक्त कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष वर्क आई डी, स्टीमेट ,वित्तीय स्वीकृति,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन सम्बंधित प्रपत्र, व्यय प्रमाणक ,एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड,7-खण्ड-8)क(एवंउत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156का उल्लंघन किया गया है।

अतः दर्शित व्यय धनराशि रू० 97844.00 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अध्याय-13 के नियम एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित की जाती है एवंअधिभार योग्य है।अतः उक्त धनराशि रू०97844.00 की उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती गीता देवी ग्राम प्रधान (रू० 48922.00), श्री विनोद आचार्य ग्राम पंचायत अधिकारी (रू०48922.00) से संयुक्त रूप से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

18-ग्राम पंचायत गोठौरा विकास खण्ड तारुन वर्ष-2021-22

प्रस्तर 40 ग्राम पंचायत- गोठौरा विकास खंड- तारुन जनपद- अयोध्या की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए, के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑफलाईन/ ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया । किन्तु ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के कतिपय निर्माण कार्यों के अभिलेख यथा, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, , मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति / दिनांक , वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ,माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ग्राफ ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिनका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	वर्क आईडी नंबर	व्यय धनराशि		कुल योग
			सामग्री	मजदूरी	
1-	प्राथमिक विद्यालय गोठौरा में वाटर सप्लाई कार्य	48253712	49970-00	----	49970-00
2-	हैंडपंप रिबोर	43109684	28606-00	----	28606-00
3-	ग्राम पंचायत की साफ-सफाई	52904579	22360-00	2040-00	24400-00
4-	प्राथमिक विद्यालय गोठौरा में शौचालय मरम्मत कार्य	54227114	62493-00	35562-00	98055-00
5-	ह्यूम पाइप क्रय	18957585	55286-00	----	55286-00
6-	मुन्ना सिंह के गड्ढा से प्राइमरी स्कूल तक व तुलसीराम के घर से बसंत सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य	54527587	225110-00	----	225110-00
7-	पूर्व माध्यमिक विद्यालय की छत मरम्मत कार्य	50350449	30720-00	---	30720-00
	कुल योग		474545-00	37602-00	512147-00

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी, के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 512147-00 अपहरित रहा । जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री देवीदीन मौर्य से रू0 256073.50 तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री संदीप कुमार से रू0 256073.50 की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 17-**

19 -ग्राम पंचायत- केवलापुर उर्फ तकमीनगंज विकास खण्ड - तारुन वर्ष-2021-22

प्रस्तर 41 - हैंडपंप मरम्मत पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वाराकतिपय तिथियो मे पीएफ़एमएस द्वाराहैंडपंप मरम्मत पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1	10/05/2021	27570.00	आर॰एम॰ ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान ।
2	10/05/2021	28743.00	आर॰एम॰ ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान ।
3	10/05/2021	32080.00	आर॰एम॰ ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान ।
4	10/05/2021	27570.00	आर॰एम॰ ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान ।
5	10/05/2021	30012.00	आर॰एम॰ ट्रेडर्स को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान ।
		योग 145975.00	

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) हैंडपंप मरम्मत के पूर्व उसके खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारानहीं दिया गया है ।हैंडपम्प रिबोर कार्य को ग्राम सभा मे अनुमोदन प्राप्त करके ग्राम पंचायत विकास योजना मे शामिल नहीं किया गया । हैंडपम्प रिबोर कार्य को मरम्मत मानकर प्लान एवं एक्शन सॉफ्ट पर न तो वर्क आई॰डी॰ जनरेट करायी गयी और न ही एम एसेट पर फोटोएवं जियो टैगिंग करायी गयी है । अत: हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर मे जल निगम कि मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया जो शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 का उल्लंघनहै ।

(ग) ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर हैंडपंप मरम्मत/ रिबोर का स्टीमेट, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृत,व्यय प्रमाणक एवं एमबी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क) का उल्लंघन किया गया।

(घ) मरम्मत /रिबोर कराये गए हैंडपंपो सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु॰145975.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 05(5) एवं अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़), एवं शासनादेश संख्या 85/2017/2244/33-3-2017-46/2015दिनांक28सितंबर 2017 का निर्देशांक -4एवं निर्देशांक -05 के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: धनराशि रु॰ 145975.00 वसूली अद्यावधि ब्याज सहित बराबर हिस्सो मे श्री भूपेंद्र सिंह(ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 72987.50 एवं श्री अमित कुमार सिंह (प्रशासक) से रुपया 72987.50 किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या 24)

प्रस्तर 42 ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय :- दिनांक 24/07/2021 को पीएफ़एमएस ट्रांजेक्सन द्वारारुपया 94536.00 शांति पाइप फैक्ट्री को ह्यूम पाइप क्रय हेतु भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) ह्यूम पाइप स्थापना कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे ह्यूम पाइप स्थापना कार्य का स्टीमेट, वितीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) ह्यूम पाइप स्थापना कार्य मे क्रय सामग्रीहेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) ह्यूम पाइप स्थापना कार्य मे क्रय सामग्रीका व्यय वाउचर, डिलीवरी चालान ,एम॰ बी॰ ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7,खण्ड 8(क),खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु॰ 94536.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: धनराशि रु॰ 97536.00 वसूली अद्यावधि ब्याज सहित भूपेंद्र सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 47268.00 एवं राम शंकर यादव (ग्राम प्रधान) से रुपया 47268.00 किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या 25)

प्रस्तर 43 पंचायत भवन निर्माण/सामुदायिक शौचालय निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे पंचायत भवन/सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1	15/07/2021	114129.00	शीतल इंटर प्राइजेज़ को पंचायत भवन निर्माण मे विधुत वायरिंग का भुगतान।
2	15/07/2021	25613.00	शीतल इंटर प्राइजेज़ को सामुदायिक शौचालय निर्माण मे विधुत वायरिंग काभुगतान
3	22/07/2021	42621.00	शीतल इंटर प्राइजेज़ को पंचायत भवन निर्माण मे खिड़की ,दरवाजा आपूर्ति का भुगतान
4	23/07/2021	56125.00	शीतल इंटर प्राइजेज़ को सामुदायिक शौचालय निर्माण मे प्लंबरिंग सामग्री आपूर्ति का भुगतान
5	26/07/2021	47817.00	तिवारी ट्रेडिंग कंपनी को मे टाइल्स आपूर्ति का भुगतान ।

योग 286305.00

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) पंचायत भवन/सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे पंचायत भवन/सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामुदायिकशौचालय / पंचायत भवन निर्माण कार्य मे क्रय सामग्रीहेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) पंचायत भवन/सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य मे क्रय सामग्रीका व्यय वाउचर, डिलीवरी चालान ,एम॰ बी॰ ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु॰ 286305.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: रु॰ 286305.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित श्री भूपेंद्र सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 143152.50 एवं श्री राम शंकर यादव (ग्राम प्रधान) से रुपया 143152.50 किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या 26)

20 -ग्राम पंचायत- जजवारा विकास खण्ड - तारुन वर्ष-2021-22

लेखा परीक्षा मे पायी गयी गंभीर आपत्तियो : -

प्रस्त 44 रसोलिंग निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर सोलिंग निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

1 29/01/2022 31392.00 आलोक कुमार के घर से श्याम नारायण के घर तक सोलिंग निर्माण मे मजदूरी का भुगतान ।

2 31/01/2022 8976.00 आलोक कुमार के घर से श्याम नारायण के घर तक सोलिंग निर्माण मे मजदूरी का भुगतान ।

3 16/02/2022 131044 .00 मेसर्स सिद्दकी ब्रिक फील्ड को आलोक कुमार के घर से श्याम नारायण के घर तक सोलिंग निर्माण मे ईट आपूर्ति का भुगतान ।

4 16/02/2022 16419.00 आलोक कुमार के घर से श्याम नारायण के घर तक सोलिंग निर्माण मे मजदूरी का भुगतान ।

योग 187831 .00

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) सोलिंग निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) सामग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि मे कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारो द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 मे निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फ़र्मों के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामग्री क्रय मे पारदर्शी क्रय नियमो का पालन नहीं किया गया । अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सोलिंग निर्माण कार्य कार्य हेतु क्रय सामग्रीका डिलीवरी चालान, व्यय प्रमाणक ,स्टीमेट ,एम॰बी॰ कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अत: व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु॰ 187831.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित करके किया जाता है किया जाता है । अत: रु॰ 187831.00 की वसूली अद्यावधि ब्याज सहित संदीप कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी)से रु॰ 93915.50 एवं श्रीमती ज्ञानपती (ग्राम प्रधान) से रु॰ 93915.50 किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या18)

प्रस्तर 45 दिनांक 29/10/2021 को रुपया 72383.00 पीएफ़एमएस द्वारा यस इंटर प्राइजेज़ को भुगतान दिखाया गया है । लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत कैश बुक मे व्यय का विवरण अंकित नहीं किया गया । e-ग्राम स्वराज पोर्टल पर यह व्यय जल प्रबंधन पर दिखाया गया है ,परंतु इस पोर्टल पर भी व्यय विवरण स्पष्ट नहीं है।

(ख) सामग्री आपूर्ति का व्यय प्रमाणक ,स्टीमेट, एम॰बी॰ ,डिलीवरी चालान, एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया , अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अत: व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु॰ 72383.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित संदीप कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी)से रु॰ 36191.50 एवं श्रीमती ज्ञानपती (ग्राम प्रधान) से रु॰ 36191.50 से समान हिस्सो मे किया जाना अपेक्षित है ।

21 -ग्राम पंचायत- तारुन विकास खण्ड - तारुन वर्ष-2021-22

प्रस्तर 46 माडल शौचालय निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे माडल शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1 03/05/2021 31144.00 मेसर्स ज्योति एसोसिएट को माडल शौचालय निर्माण मे सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।

2 03/05/2021 55799 .00 मेसर्स ज्योति एसोसिएट को माडल शौचालय निर्माण मे सामग्री आपूर्ति का भुगतान योग 86943.00

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) माडल शौचालय निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा मे माडल शौचालय निर्माण कार्य का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) माडल शौचालय निर्माण कार्य मे क्रय सामग्रीहेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) माडल शौचालय निर्माण कार्य मे क्रय सामग्रीका व्यय वाउचर, डिलीवरी चालान ,एम॰ बी॰ ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु॰ 86943.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित श्री राजेश चौधरी (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 43471.50 एवं श्री अमित कुमार सिंह (प्रशासक) से रुपया 43471.50 किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या 18)

प्रस्तर 47 - विद्यालय कायाकल्प पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे विभिन्न पीएफ़एमएस द्वाराग्राम पंचायत के विद्यालय कायाकल्प कार्य पर सामग्री आपूर्ति एवं मजदूरी भुगतान पर पर व्यय दिखाया गया है, एवं जिसका विवरण निम्न है -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1 30/06/2021 475537.00 गुप्ता जनरल आर्डर सप्लायर्स को विद्यालय कायाकल्प कार्य पर सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।

2 01/07/2021 194636.00 गुप्ता जनरल आर्डर सप्लायर्स को विद्यालय कायाकल्प कार्य पर सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।

3 01/07/2021 35130.00 विद्यालय कायाकल्प कार्य पर विभिन्न पीएफ़एमएस द्वारामजदूरी का भुगतान ।
38762.00

4 03/07/2021 52500.00 विद्यालय कायाकल्प कार्य पर विभिन्न पीएफ़एमएस द्वारामजदूरी का भुगतान ।
योग 796565.00

परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क)विद्यालय कायाकल्प की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) विद्यालय कायाकल्प का स्टीमेट, वित्तीय ,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152,नियम 156 का उल्लंघन किया गया।

(ग) सामग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि मे कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारो द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 मे निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फ़र्मों के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामग्री क्रय मे पारदर्शी क्रय नियमो का पालन नहीं किया गया । अत: ग्राम पंचायतों मे

वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(घ) विद्यालय कायाकल्प कार्य हेतु क्रय सामग्रीका व्यय वाउचर, डिलीवरी चालान, मस्टररोल ,एम० बी० ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०796565.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित श्री राजेश चौधरी (ग्राम पंचायत अधिकारी) से 398282.50 एवं श्री हरीराम निषाद (ग्राम प्रधान) से रुपया 398282.50 किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या 19)

22 -ग्राम पंचायत- फतेहपुर कमासिन विकास खण्ड - तारुन वर्ष-2021-22

प्रस्तर 48 -दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1 01/11/2021 33398.00 अजय कान्सट्रक्शन को दिव्यांग शौचालय निर्माण मे सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।

2 04/11/2021 21286.00 शुक्ला ब्रिक फील्ड को दिव्यांग शौचालय निर्माण मे ईट आपूर्ति का भुगतान ।

3 16/11/2021 8112.00 पीएफ़एमएस द्वारादिव्यांग शौचालय निर्माण मे मस्टर रोल का भुगतान ।

4 17/02/2022 40867.00 अजय कान्सट्रक्शन को दिव्यांग शौचालय निर्माण मे सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।

5 योग 103663.00

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) (1) अजय कान्सट्रक्शन के सामग्री आपूर्ति वाउचर संख्या 129,एवं 138 दिनांक 21/02/2022 रुपया 40867.00 प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रोपराइटर के हस्ताक्षर अंकित नहीं है । अत व्यय प्रमाणक फर्जी है ।

(2) अजय कान्सट्रक्शन के सामग्री सीमेंट ,मोरग ,सरिया,गिट्टी आदि सामग्री आपूर्ति द्वारा वाउचर संख्या 054 दिनांक 18/10/2021 रुपया 33398.61 का भुगतान किया गया ,परंतु व्यय प्रमाणक पर ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है ।

(3) टीएस नं. 04/07/आरईडी दिनांक 03/07/2021 द्वाराकार्य की कुल अनुमानित लागत रुपया 1.12 लाख थी जिसमे

सामग्री पर प्रस्तावित रुपया 94081.57 के सापेक्ष कुल व्यय रुपया 95551.00 किया गया तथा श्रमांश पर प्रस्तावित व्यय रुपया 18015.24 के सापेक्ष कुल व्यय रुपया 8112.00 किया गया इससे स्पष्ट है कि स्टीमेट और वास्तविक व्यय समानुपातिक नहीं है ।

(ग) (1) लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत प्रथम मस्टर रोल जिसमे 06 मजदूर 37 मानव दिवस अंकित है ,पर कार्य की अवधि का अंकन नहीं किया गया है एवं मजदूरो के हस्ताक्षर/निशानी अगूठा नहीं पाया गया । द्वितीय मस्टर रोल दिनांक 21/02/2022 से 25/02/2022 पर अंकित 21 मानव दिवस मूल्य रुपया 5601.00 पर मजदूरो के हस्ताक्षर /निशानी अगूठा अंकित नहीं है ।

(2)लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत कार्य से संबन्धित मापन पुस्तिका मे भी आलोक कुमार वर्मा (जेईआरईडी) द्वाराकार्य का प्रारम्भ ,कार्य के पूर्ण होने की तिथि एवं मापन की तिथि का अंकन नहीं किया गया है ,जिससे एम॰बी॰की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है ।

(घ) दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य मे सामग्री आपूर्ति का डिलीवरी चालान ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

(ड़) सामग्री आपूर्ति हेतु टेंडर/कोटेशन आमंत्रण की पुष्टि मे कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर/कोटेशन नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारो द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 मे निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फ़र्मों के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामग्री क्रय मे पारदर्शी क्रय नियमो का पालन नहीं किया गया । अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं अनियमित व्यय रु॰ 103663.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(ख)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित रमा तिवारी (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 51831.50 एवं श्री कृपा शंकर गिरि (ग्राम प्रधान) से रुपया 51831.50 किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या 19)

प्रस्तर 49 उसरी मोड़ से कृष्णा के खेत तक ,कृष्णा के खेत से प्रभाकर के घर तक, प्रभाकर के घर से रत्नाकर के घर तक एवं कृष्णा के खेत से राम वचन वर्मा के घर तक इंटर लाकिंग कार्य- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे उसरी मोड़ से कृष्णा के खेत तक ,कृष्णा के खेत से प्रभाकर के घर तक, प्रभाकर के घर से रत्नाकर के घर तक एवं कृष्णा के खेत से राम वचन वर्मा के घर तक इंटर लाकिंग कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1 08/12/2021 31544.00 उसरी मोड़ से कृष्णा के खेत तक इंटर लाकिंग कार्य मे अजय कान्सट्रक्शन को सीमेंट, बालू ,मोरंग आपूर्ति का भुगतान ।

08/12/2021 48675.00 उसरी मोड़ से कृष्णा के खेत तक इंटर लाकिंग कार्य मे अजय कान्सट्रक्शन को

08/12/2021 51920.00 इंटरलॉकिंग ईट आपूर्ति का भुगतान

08/12/2021 34170.00 उसरी मोड़ से कृष्णा के खेत तक ए के ब्रिक फील्ड को ईट आपूर्ति का भुगतान ।

08/12/2021 23208.00 पीएफ़एमएस द्वाराउसरी मोड़ से कृष्णा के खेत तक इंटर लाकिंग कार्य पर मस्टर रोल का भुगतान ।

2 08/01/2022 157923.00 कृष्णा के खेत से प्रभाकर के घर तक इंटर लाकिंग कार्य पर वर्मा ट्रेडर्स को इनवाइस

संख्या 04 दिनांक 07/01/22 द्वारासीमेंट ,मोरंग,बालू ,इंटर लकिंग ईट आपूर्ति का भुगतान ।

08/01/2022 39490.00 कृष्णा के खेत से प्रभाकर के घर तक इंटर लाकिंग कार्य पर शुक्ल ब्रिक फील्ड ईट आपूर्ति का भुगतान ।

12/01/2022 31990.00 पीएफ़एमएस द्वाराकृष्णा के खेत से प्रभाकर के घर तक इंटर लाकिंग कार्य पर मस्टर रोल का भुगतान ।

3 20/12/2021 27832.00 प्रभाकर के घर से रत्नाकर के घर तक इंटर लाकिंग कार्य पर शुक्ला ब्रिक फील्ड ईट आपूर्ति का भुगतान ।

23/12/2021 171827.00 प्रभाकर के घर से रत्नाकर के घर तक इंटर लाकिंग कार्य पर आर॰के॰ इंटरप्राइजेज़ को सीमेंट ,मोरंग,बालू ,इंटर लकिंग ईट आपूर्ति का भुगतान ।
28/12/2021 28044.00 पीएफ़एमएस द्वाराप्रभाकर के घर से रत्नाकर के घर तक तक इंटर लाकिंग कार्य पर मस्टर रोल का भुगतान ।
4 08/12/2021 132402.00 कृष्णा के खेत से राम वचन वर्मा के घर तक इंटर लाकिंग कार्य मे अजय कान्सट्रक्शन को इनवाइस संख्या 80 दिनांक 01/08/2021 द्वारासीमेंट ,मोरंग,बालू ,इंटर लकिंग ईट आपूर्ति का भुगतान ।
08/12/2021 32733.00 कृष्णा के खेत से राम वचन वर्मा के घर तक इंटर लाकिंग कार्य मे ए के ब्रिक फील्ड को ईट आपूर्ति का भुगतान ।
08/12/2021 25614.00 पीएफ़एमएस द्वाराकृष्णा के खेत से राम वचन वर्मा के घर तक इंटर लाकिंग कार्य पर मस्टर रोल का भुगतान ।

योग 837372.00

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) इंटरलाकिंग निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) उसरी मोड़ से कृष्णा के खेत तक, कृष्णा के खेत से प्रभाकर के घर तक, प्रभाकर के घर से रत्नाकर के घर तक एवं कृष्णा के खेत से राम वचन वर्मा के घर तक इंटर लाकिंग कार्य पत्रावली अवलोकन मे यह पाया गया कि श्री आलोक वर्मा (जेईआरईडी) द्वारामापन पुस्तिका पर कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ तिथि ,कार्य समाप्ति तिथि ,एवं मापांकन तिथि अंकित नहीं किया गया है ,जिससे कार्य के मापांकन की प्रामाणिकता संदिग्ध है ।

(ग) लेखा परीक्षा मे इंटर लाकिंग कार्य के त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ़्स, सामग्री आपूर्ति का डिलीवरी चालान, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

(घ) सामग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि मे कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारो द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 मे निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फ़र्मों के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामग्री क्रय मे पारदर्शी क्रय नियमो का पालन नहीं किया गया । अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(ड़) ग्राम पंचायत द्वारादर्शित इंटर लाकिंग कार्य पत्रावलियो के अवलोकन मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारापारदर्शी निर्माण प्रक्रिया का पालन न करके एक ही कार्य को चार अलग -2 भागो मे विभाजित करके अलग-2 स्टीमेट बनाया गया एवं अलग-2 तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत ,प्रशासनिक स्वीकृत प्राप्त करके ग्राम पंचायत द्वाराअलग-2 कार्य कराया गया। परिणाम स्वरूप राजकीय धन का दुरुपयोग/अनियमित भुगतान किया गया ।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु॰ 837372.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित रमा तिवारी (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 418686.00 एवं श्री कृपा शंकर गिरि (ग्राम प्रधान) से रुपया 418686.00 किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या20)

प्रस्तर 50 ग्राम पंचायत फतेहपुर कमसिन मे कामाख्यादेवी मे पक्की सड़क से बीबीपुर बार्डर तक मिट्टी खड़ंजा कार्य - लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वाराकतिपय तिथियो मे पीएफ़एमएस द्वाराखड़ंजा कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1 18/10/2021 176750.0 कामाख्यादेवी मे पक्की सड़क से बीबीपुर बार्डर तक मिट्टी खड़ंजा कार्य मे शुक्ला ब्रिक फील्ड को इनवाइस संख्या 713 दिनांक 18/10/2021 द्वाराईट आपूर्ति का भुगतान।

योग 176750.0

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) सोलिंग निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) कामाख्यादेवी मे पक्की सड़क से बीबीपुर बार्डर तक मिट्टी खड़ंजा कार्य पत्रावली अवलोकन मे यह पाया गया कि श्री आलोक वर्मा (जेईआरईडी) द्वारामापन पुस्तिका पर कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ तिथि ,कार्य समाप्ति तिथि ,एवं मापांकन तिथि अंकित नहीं किया गया है ,जिससे कार्य के मापांकन की प्रामाणिकता संदिग्ध है ।

(ग) मापन पुस्तिका पर सफेदा लगाकर कार्य का नाम परिवर्तित किया गया है ,इससे स्पष्ट है कि किसी दूसरे कार्य की मापन पुस्तिका को फर्जी तरीके से प्रस्तुत करके भुगतान प्राप्त करके राजकीय धनराशि का अपहरण किया गया

(घ) कैसबुक अवलोकन मे यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त कार्य पर मस्टर रोल का भुगतान नहीं किया गया है ,लेखा परीक्षा मे भी मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सोलिंग निर्माण नहीं कराया गया और ईट आपूर्ति पर रुपया 176750.00 काल्पनिक भुगतान दिखाकर सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया ।

(ड़) लेखा परीक्षा मे सोलिंग कार्य के त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ़्स, मस्टर रोल ,डिलीवरी चालान, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु॰ 176750.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: इसकी वसूली अद्यावधि ब्याज सहित रमा तिवारी (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 88375.00 एवं श्री कृपा शंकर गिरि (ग्राम प्रधान) से रुपया 88375.00 किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या21)

प्रस्तर 51 पंचायत भवन की मरम्मत व रंगाई -पुताई का कार्य - लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे पंचायत भवन की मरम्मत एवं रंगाई -पुताई कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1 11/11/2021 43353.00 अजय कान्सट्रक्शन को पंचायत भवन की मरम्मत एवं रंगाई -पुताई कार्य मे सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।

2 11/11/2021 26101.00 अजय कान्सट्रक्शन को पंचायत भवन की मरम्मत एवं रंगाई -पुताई कार्य मे सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।

3 11/11/2021 55657.00 अजय कान्सट्रक्शन को पंचायत भवन की मरम्मत एवं रंगाई -पुताई कार्य मे सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।

4 16/11/2021 53980.00 पीएफ़एमएस द्वारापंचायत भवन मरम्मत कार्य पर मस्टर रोल का भुगतान ।

5 17/11/2021 18900.00 पीएफ़एमएस द्वारापंचायत भवन मरम्मत कार्य पर मस्टर रोल का भुगतान ।

योग 197991.00

लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -

(क) पंचायत भवन निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।

(ख) पंचायत भवन मरम्मत एवं रंगाई - पुताई कार्य पत्रावली अवलोकन मे यह पाया गया कि श्री आलोक वर्मा (जेईआरईडी) द्वारामापन पुस्तिका पर कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ तिथि ,कार्य समाप्ति तिथि ,एवं मापांकन तिथि अंकित नहीं किया गया है ,जिससे कार्य के मापांकन की प्रामाणिकता संदिग्ध है ।

(ग) दिनांक 1/10/2021 से 16/10/2021 के मस्टर रोल रुपया 54240.00 पर मजदूरो के हस्ताक्षर /निशानी अगूठा अंकित नहीं है । रुपया 17220.00 के मस्टर रोल पर कार्य अवधि 17/10/2021 से 23/10/2021 अंकित किया गया है ,जबकि मजदूरो की उपस्थिति 1/10/2021 से 07/10/2021 तक अंकित की गयी है ,तथा श्रमिकों के हस्ताक्षर /निशानी अगूठा नहीं अंकित किया गया है । अत स्पष्ट है की सम्पूर्ण मस्टर रोल फर्जी एवं कूट रचित तैयार किया गया है ।

(घ) पंचायत भवन मरम्मत कार्य मे सामग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि मे कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारो द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म ,धरोहर धनराशि की रसीद(उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 मे निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फ़र्मों के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामग्री क्रय मे पारदर्शी क्रय नियमो का पालन नहीं किया गया । अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड(4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।

(ड़) पंचायत भवन मरम्मत कार्य के त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ़्स, डिलीवरी चालान ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु०197991.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: इसकी वसूली अद्यावधिब्याज सहित रमा तिवारी (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 98995.50 एवं श्री कृपा शंकर गिरि (ग्राम प्रधान) से रुपया 98995.50 किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या22)

प्रस्तर 52- माडल शौचालय निर्माण पर व्यय :- लेखा परीक्षा मे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियो मे माडल शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय दिखाया गया है जैसे -

क्रमसंख्या दिनांक धनराशि फर्म का नाम

1 22/07/2021 71866.00 मेसर्स अंकुर ब्रिक फील्ड को प्रा॰ विद्यालय मे माडल शौचालय निर्माण मे ईट आपूर्ति का भुगतान ।

2 23/07/2021 82788.00 मेसर्स देव बिल्डिंग मैटेरियल को माडल शौचालय निर्माण मे सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।

3 01/01/2022 25545.00 एस्वर्या इंटरप्राइजेज़ को माडल शौचालय निर्माण मे टाइल्स कार्य हेतु सीमेंट ,मोरंग,रोड़ा आपूर्ति का भुगतान ।

4 08/01/2022 56034.00 एस्वर्या इंटरप्राइजेज़ को माडल शौचालय निर्माण मे टाइल्स ,पेन्ट सामग्री आपूर्ति का भुगतान ।

5 12/01/2022 35370.00 पीएफ़एमएस द्वारामजदूरी का भुगतान ।
6 12/01/22 7640.00 पीएफ़एमएस द्वारामजदूरी का भुगतान ।
योग 279243.00
लेखा परीक्षा मे दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियाँ है -
(क) प्राथमिक विद्यालय मे माडल शौचालय निर्माण कार्य की कार्यवाही रजिस्टर रूप-पत्र संख्या 08, कार्ययोजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उ॰प्र॰ पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 36,नियम 218 (क) का उल्लंघन किया गया।
(ख) लेखा परीक्षा मे प्राथमिक विद्यालय मे माडल शौचालय के आधारभूत निर्माण कार्य मे मजदूरी का भुगतान संबंधी मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।
(ग) प्राथमिक विद्यालय मे माडल शौचालय निर्माण कार्य मे सामग्री आपूर्ति हेतु टेंडर आमंत्रण की पुष्टि मे कोई प्रपत्र जैसे - टेण्डर नोटिस ,दैनिक समाचार पत्र की कटिंग ,पंजीकृत फर्मों/ ठेकेदारो द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं आवश्यक अन्य संलग्नको सहित पूर्ण भरे गए टेण्डर फार्म , धरोहर धनराशि की रसीद(उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 मे निर्धारित प्रपत्र रूप पत्र -7) ,फ़र्मों के तुलनात्मक चार्ट ,स्वीकृत फर्म को सामग्री आपूर्ति का आदेश लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि सामग्री क्रय मे पारदर्शी क्रय नियमो का पालन नहीं किया गया । अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 07 के खण्ड (4),खण्ड5(4),खण्ड 5(2) ,खण्ड 5(5)एवं शासनादेश संख्य-ए-1-864 /दस-08-15(1)/86 दिनांक23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया।
(घ) प्राथमिक विद्यालय मे माडल शौचालय निर्माण कार्य मे प्रयुक्त सामग्री का डिलीवरी चालान ,त्रिस्तरीय फोटोग्राफ़्स ,आधार भूत निर्माण कार्य का मस्टर रोल ,कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही किया गया। अत: ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय - 08 के खण्ड 7 ,खण्ड 8(क), खण्ड -11 का उल्लंघन किया गया।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रु॰ 279243.00 ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड 07 एवं 8(क)एवं उ॰प्र॰ पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 (2) के (क) से (ड़) के अंतर्गत अपहरण के रूप मे आकलित किया जाता है । अत: इसकी वसूली अद्यावधिब्याज सहित अर्जुन वर्मा (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 77327.00 , रमा तिवारी (ग्राम पंचायत अधिकारी) से रुपया 62294.50 एवं श्री कृपा शंकर गिरि (ग्राम प्रधान) से रुपया 139621.50 किया जाना अपेक्षित है । (सामान्य आपत्ति संख्या23)

23-ग्राम पंचायत बरतरा विकास खण्ड मवई वर्ष-2021-22

प्रस्तर 53 ग्राम पंचायत- बरतरा विकास खंड- मवई जनपद- अयोध्या की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाय़ा गया कि कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए, के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑफलाईन/ ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया गया । किन्तु ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के कतिपय निर्माण कार्यों के अभिलेख यथा, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, , मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति / दिनांक , वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ,माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ग्राफ ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिनका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	वर्क आईडी नंबर	व्यय धनराशि		कुल योग
			सामग्री	मजदूरी	

1-	हैंडपंप मरम्मत कार्य	48526827	60210-00	----	60210-00
2-	हैंडपंप रिबोर	48526467	85680-00	-----	85680-00
3-	ग्राम पंचायत की साफ-सफाई	48525739	29784-00	---	29784-00
4-	प्राथमिक विद्यालय गोठौरा में कायाकल्प कार्य	48527194	102089-00	20648-00	122737-00
5-	ह्यूम पाइप क्रय	42741767	91400-00	----	91400-00
	योग		369163-00	20648-00	389811-00

उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 389811-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सविता से रुपये194905.50 एवं तत्कालीन सचिव श्री रजनीश वर्मा से रुपये 44998-00 एवं श्री अमित गुप्ता से रुपये 149907.50 किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-19

24-ग्राम पंचायत मवई विकास खण्ड मवई वर्ष-2021-22

प्रस्तर 54 ग्राम पंचायत- मवई विकास खंड- मवई जनपद- अयोध्या की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः28.09.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए, के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑफलाईन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया गया । बार-बार पत्राचार एवं मौखिक अनुरोध के पश्चात भी ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों के अभिलेख यथा, हस्तलिखित मूल कैश बुक ,राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त योजना के संचालन हेतु बैंक के खातों के स्टेटमेंट ,स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, , मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति / दिनांक , वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ,माप-पुस्तिका , त्रिस्तरीय चरणबद्ध फोटो ग्राफ ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नलिखित हैः-

क्रम संख्या	दिनांक	कार्य का विवरण	वर्क आईडी नंबर	कुल व्यय धनराशि योग
1-	15-05-2021	पूर्वमाध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स निर्माण कार्य पार्ट -1	49616116	121865-00
2-	15-05-2021	पूर्व माध्यमिक विद्यालय की कक्ष संख्या	49615791	196014-00

		8,9,10,11 में टाइल्स निर्माण कार्य पार्ट -1		
3-	15-05-2021	बूथ व्यवस्था पर व्यय	42517317	17200-00
4-	23-05-2021	हैंडपंप मरम्मत	42516736	78000-00
5-	02-07-2021	ग्राम सभा में नालियों की सफाई का कार्य	49173678	143004-00
6-	24-07-2021	बूथ पर लेखन कार्य	49207355	4000-00
7-	04-07-2021	सामुदायिक शौचालय केयरटेकर का मानदेय	52676912	54000-00
8-	08-07-2021	रुकैय्या के घर से रुखसाना के घर तक नाली निर्माण कार्य पार्ट -1	49212845	94882-00
9-	08-07-2021	रुखसाना के घर से समद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य पार्ट-1	49209405	196893-00
10-	08-07-2021	इसरार के दरवाजे से अहमद अली के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग कार्य पार्ट -1	42505631	110983-00
11-	08-07-2021	रुखसाना के घर से टिर्रू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य पार्ट -1	49209724	124854-00
12-	08-07-2021	वारिस तेली के घर से गुट्टे की दुकान तक नाली एवं पटिया निर्माण कार्य पार्ट -1	41844013	227147-00
13-	08-07-2021	समद के घर से टिर्रू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य पार्ट -1	49208969	151459-00
14-	14-09-2021	दीवाल लेखन कार्य	49207355	7593-00
15-	18-09-2021	हैंडपंप मरम्मत	49168548	133930-00
16-	30-09-2021	विवरण विहीन नाली निर्माण	54684747	120447-00
17-	30-09-2021	विवरण विहीन नाली निर्माण	54684663	154635-00
18-	30-09-2021	विवरण विहीन नाली निर्माण	54684570	115644-00
19-	02-10-2021	ह्यूम पाइप क्रय	54722254	130800-00
20-	02-10-2021	हैंडपंप रिबोर	54722052	171000-00
21-	02-10-2021	हैंडपंप मरम्मत	54722125	142300-00
22-	06-10-2021	विवरण विहीन इंटरलॉकिंग कार्य	54798235	217730-00
23-	06-10-2021	विवरण विहीन नाली निर्माण	54798180	177622-00
24-	06-10-2021	पिट कवर निर्माण कार्य	54798409	102620-00
25-	11-10-2021	विवरण विहीन इंटरलॉकिंग कार्य	54888400	249813-00
		कुल योग		3244435-00

उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 3244435-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना

अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि रु० 3244435.00 अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती खिताबुलनिशा से रुपये 1622217.50 एवं तत्कालीन सचिव श्री रजनीश वर्मा से रुपये 1622217.50 किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 15**

प्रस्तर 55 ग्राम पंचायत -मवई विकास खंड -मवई जनपद -अयोध्या की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं/ आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स (दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु- 1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए, के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑफलाईन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया गया । बार-बार पत्राचार एवं मौखिक अनुरोध के पश्चात भी ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों के अभिलेख यथा, हस्तलिखित मूल कैश बुक ,राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त योजना के संचालन हेतु बैंक के खातों के स्टेटमेंट ,स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, , मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति / दिनांक , वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ,माप-पुस्तिका , त्रिस्तरीय चरणबद्ध फोटो ग्राफ ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नलिखित हैः-

क्रम संख्या	दिनांक	कार्य का विवरण	वर्क आईडी नंबर	कुल व्यय धनराशि योग
1-	21-11-2021	थाना परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य -21	55549775	208219-00
2-	21-11-2021	थाना परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य -11	55549737	175133-00
3-	21-11-2021	थाना परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य -31	55549807	173632-00
4-	10-12-2021	स्टेशनरी क्रय	15409161	15945-00
5-	18-02-2022	प्रधान मानदेय	49169584	21000-00
6-	18-02-2022	पंचायत सहायक मानदेय	51676944	6000-00
7-	19-02-2022	ग्राम पंचायत के स्कूल में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	54722620	131359-00
8-	19-02-2022	ग्राम पंचायत के स्कूल में दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	54722682	131446-00
09-	19-02-2022	पंचायत भवन में कुर्सी मेज कंप्यूटर इत्यादि क्रय	52676944	57000-00
		कुल योग		919734-00

उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 919734-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि रु० 919734.00 अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती खिताबुल निशा से रुपये 459867-00 एवं तत्कालीन सचिव श्री करुणा शंकर से रुपये 459867-00 किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 16-**

25-ग्राम पंचायत ओहरामऊ सहजना विकास खण्ड मवई वर्ष-2021-22

प्रस्तर 56 ग्राम पंचायत ओहरा मऊ सहजना की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैश बुक में निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है तथा उसकी पुष्टि में स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, एम०बी०, सामग्री खरीद वाउचर, मस्टर रोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ्स कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके कारण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। विवरण निम्नलिखित है-

दिनांक	विवरण	वर्क आईडी संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
17-10-2021	ग्राम सभा में घूर गड्डा निर्माण कार्य सामग्री क्रय	54957660	86360-00	आलोक इंटरप्राइजेज
17-10-202	ग्राम सभा में धूर गड्डा निर्माण कार्य सामग्री क्रय	54957660	23040-00	अमन इंटरप्राइजेज
17-10-2021	मजदूरी	54957660	33656-00	नगद
26-12-2021	पूर्वमाध्यमिक विद्यालय मेटाइल्स स्थापना कार्य सामग्री क्रय	56135254	98760-00	रेनू सेनेटरी मार्बल एंड टाइल्स
26-12-2021	पूर्वमाध्यमिक विद्यालय मेटाइल्स स्थापना कार्य सामग्री क्रय	56135254	30598-00	आयुष ट्रेडस
20-01-2022	पूर्वमाध्यमिक विद्यालय मेटाइल्स स्थापना कार्य सामग्री क्रय	56135254	11303-00	अमन इंटरप्राइजेज
20-01-2022	पूर्वमाध्यमिक विद्यालय मेटाइल्स स्थापना कार्य मजदूरी	56135254	कोई भुगतान नहीं किया गया	------
कुल योग			283717-00	

उपरोक्त कार्यों पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 283717-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (कमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत (राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय8 के प्रस्तर 8 (क(, पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है,जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल "वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी " के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। , अन्यथा की स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि रुपये 283717-00 अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली **ब्याज सहित** ग्राम प्रधान श्रीमती राज देवी(रु० 141858.50) एवं तत्कालीन सचिव श्री अमित गुप्ता(रु० 141858.50) से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 16-

प्रस्तर 57 -ग्राम पंचायत ओहरा मऊ सहजना की वर्ष की लेखा परीक्षा में कैश बुक में निम्नलिखित 2021-22 विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है तथा उसकी पुष्टि में स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक संस्कृति स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, एम०बी०, सामग्री खरीद वाउचर, मस्टर रोल, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ्स कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिसके कारण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। विवरण निम्नलिखित है-

दिनांक	विवरण	वर्क आईडी संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
26-12-2021	हैंडपंप मरम्मत	56135310	97324-00	पुत्तन हार्डवेयर
29-03-2022	हैंडपंप रिबोर	48625450	36078-00	आयुष ट्रेडर्स
	कुल योग		133402-00	

उपरोक्त कार्यों पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 133402-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (कमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत (राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय8 के प्रस्तर 8 (क(, पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है, जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल "वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। ", अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि रुपये 133402-00 अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली **ब्याज सहित** ग्राम प्रधान श्रीमती राज देवी(रु०66701.00) एवं तत्कालीन सचिव श्री अमित गुप्ता(रु०66701.00) से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 17-

26-ग्राम पंचायत सैदपुर विकास खण्ड मवई वर्ष-2021-22

प्रस्तर 58 ग्राम पंचायत- सैदपुर विकास खंड- मवई जनपद- अयोध्या की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः23.09.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए, के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑफलाईन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया गया । बार-बार पत्राचार एवं मौखिक अनुरोध के पश्चात भी ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों के मूल अभिलेख यथा, हस्तलिखित मूल कैश बुक ,राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त योजना के संचालन हेतु बैंक के खातों के स्टेटमेंट ,स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति / दिनांक , वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/ दिनांक ,माप-पुस्तिका , त्रिस्तरीय चरणबद्ध फोटो ग्राफ ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय **निम्नलिखित** हैः-

क्रम संख्या	दिनांक	कार्य का विवरण	वर्क आईडी नंबर	कुल व्यय धनराशि योग
1-	03-07-2021	प्राथमिक विद्यालय नैयामऊ में टाइल्स निर्माण कार्य पार्ट -1	45235762	332647-00
2-	03-07-2021	प्राथमिक विद्यालय पूरे भक्त में टाइल्स निर्माण कार्य पार्ट -1	45235820	338197-00
3-	03-07-2021	हैंडपंप रिबोर	50468841	173100-00
4-	05-07-2021	हैंडपंप रिबोर	42667034	97797-00

5-	10-01-2022	हैंडपंप रिबोर	53048444	92110-00
6-	16-07-2021	हैंडपंप रिबोर	53048349	106700-00
7-	16-07-2021	हैंडपंप रिबोर	53048393	88950-00
8-	08-07-2021	ह्यूम पाइप क्रय	42667979	199695-00
9-	16-07-2021	ग्राम पंचायत में साफ सफाई कार्य	53048480	59696-00
10-	08-07-2021से 30-03-2022	गौशाला स्थल पर रखे गए मजदूरों को भुगतान	44586656	208000-00
		योग		**1696892-00**
11-	20-07-2021	सोलिंग निर्माण कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं)	53144321	76156-00
12-	20-07-2021	सोलिंग निर्माण कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं)	53143772	91006-00
13-	20-07-2021	सोलिंग निर्माण कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं)	53143869	30987-00
14-	20-07-2021	सोलिंग निर्माण कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं)	53144090	96523-00
15-	20-07-2021	सोलिंग निर्माण कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं)	53143982	105922-00
16-	20-07-2021	सोलिंग निर्माण कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं)	53142476	73806-00
17-	20-07-2021	सोलिंग मरम्मत कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं)	53142362	87251-00
18-	20-07-2021	सोलिंग मरम्मत कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं)	53142261	64577-00
19-	20-07-2021	सोलिंग मरम्मत कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं)	53144625	34555-00
20-	20-07-2021	सोलिंग मरम्मत कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं)	53144471	56806-00
		योग		**717589-00**
21	21-09-2021	स्कूल कायाकल्प (स्थान का उल्लेख नहीं)	50469641	82780-00
22-	20-09-2021	खड़न्जा मरम्मत कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं	54497121	79651-00
23-	20-09-2021	खड़न्जा मरम्मत कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं	54496689	65910-00
24-	20-09-2021	खड़न्जा मरम्मत कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं	54496816	59820-00
25-	20-09-2021	खड़न्जा मरम्मत कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं	54496888	110326-00
26-	20-09-2021	खड़न्जा मरम्मत कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं	54497050	154512-00
27-	20-09-2021	खड़न्जा मरम्मत कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं	54496966	97630-00
28-	20-09-2021	खड़न्जा मरम्मत कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं	54497262	121664-00
29-	22-09-2021	हैंडपंप मरम्मत कार्य	53153286	188800-00
30	22-09-2021	विवरण विहीन व्यय	42667979	191562-00
		योग		**1152655-00**
31	22-09-2021	प्रधान मानदेय	42665686	10500-00
32-	22-09-2021	शौचालय केयरटेकर का भुगतान	42665959	27000-00
33-	07-10-2021	हैंड पंप निर्माण कार्य	54768216	196700-00
34-	07-10-2021	ग्राम पंचायत की स्कूल की लाइट का भुगतान	42665959	23674-00
35	18-10-2021	दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	54950997	83161-00
36-	18-10-2021	प्रा०वि०पूरे बैजू पांडेय में मुख्य भवन एवं दो अतिरिक्त कक्ष मरम्मत कार्य व रंगाई पुताई कार्य	54950898	246953-00
37-	18-10-2021	हैंडपंप मरम्मत कार्य	54950233	153700-00

38-	18-10-2021	स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य	54950594	159700-00
39-	18-10-2021	हैंडपंप मरम्मत कार्य	94950281	142500-00
40-	18-10-2021	गौशाला में चरही वॉल मरम्मत कार्य	54950627	196991-00
		योग		**1240879-00**
41-	18-10-2021	प्रा०वि०पूरे बैजू पांडेय में मुख्य भवन एवं दो अतिरिक्त कक्ष मरम्मत कार्य	54950696	146630-00
42-	18-10-2021	भोंदू के घर से सहज राम के घर तक नाली मरम्मत कार्य	54950845	93282-00
43-	18-10-2021	प्रा०वि०पूरे बैजूपांडेय में बाउंड्री वॉल मरम्मत कार्य	54950929	149210-00
44-	18-10-2021	प्रा०वि०पूरे बैजूपांडेय में मिट्टी पटाई कार्य	54950958	79244-00
45-	31-10-2021	पिट कवर निर्माण कार्य	50469331	188867-00
45-	17-11-2021	पिट कवर निर्माण कार्य	54768287	140486-00
46-	10-12-2021 से 31-12-2021	प्रशासनिक मद फोटोकॉपी तथा स्टेशनरी	42665959	64887-00
47-	14-12-2021	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	42674370	139864-00
48-	31-12-2021	स्कूल कायाकल्प(स्थान का उल्लेख नहीं)	54950696	10620-00
49-	01-02-2022	इंटरलॉकिंग मरम्मत कार्य (स्थान का उल्लेख नहीं)	94950186	184029-00
50-	01-02-2022	हरिराम के खेत से नन्हे के खेत के आगे तक खडंजा मरम्मत कार्य	54949871	149618-00
		योग		**1346737-00**
51-	01-02-2022	नन्हे के खेत से गांव के बाहर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य	54949873	177498-00
52-	01-02-2022	कमल के खेत से तालाब के आगे तक खड़ंजा मरम्मत कार्य	54949877	124929-00
53-	01-02-2022	पक्की सड़क से गांव के आगे तक खड़ंजा मरम्मत कार्य	54950066	129731-00
54-	01-02-2022	प्रा०वि०पूरे कोइली में भवन और अतिरिक्त कक्ष मरम्मत कार्य	54950379	111355-00
55-	03-02-2022 से 31-03-2022	प्रशासनिक मद +पंचायत सहायक मानदेय	42665959	57198-00
56-	11-03-2022	प्रा०वि०पूरे कोइली में मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य	53168368	105367-00
57-	30-03-2022	स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य	54950584	274200-00
58-	15-03-2022	पंचायत भवन सामग्री क्रय	54950511	152443-00
59-	22-03-2022	प्रा०वि०पूरे बैजू पांडेय के दो अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स निर्माण कार्य	54950696	77453-00
60-	30-03-2022	स्कूल कायाकल्प(स्थान का उल्लेख नहीं)	54950378	118706-00
		योग		**1328880-00**
61-	10-01-2022	स्कूल कायाकल्प(स्थान का उल्लेख नहीं)	54950383	70784-00

62	10-01-2022 13-03-2022	प्रधान मानदेय	54950447	14000-00 7000-00
63	01-02-2022	स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य	54950584	168200-00
		योग		259984
		कुल योग (1-63)		**7743616-00**

उपरोक्त कार्य पर वाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 7743616-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त आपत्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 256 के अंतर्गत 60 दिन के भीतर स्पष्टीकरणपरिपालन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण परिपालन के असंतोषजनक / पाए जाने पर उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामकली से रुपये 3871808-00 एवं तत्कालीन सचिव श्री करुणा शंकर से रुपये 3871808-00 किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या -8**

27-ग्राम पंचायत सेवढारा विकास खण्ड मवई वर्ष-2021-22

प्रस्तर 59 ग्राम पंचायत- सेवढारा विकास खंड- मवई जनपद- अयोध्या की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए, के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑफलाईन/ ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया । किन्तु ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के कतिपय निर्माण कार्यों के अभिलेख यथा, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, , मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति / दिनांक , वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ,माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ग्राफ ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जिनका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	वर्क आईडी नंबर	व्यय धनराशि		कुल योग
			सामग्री	मजदूरी	
1-A	हैंडपंप मरम्मत	52942059	95500-00	---	95500-00
B	हैंडपंप रिबोर	54456718	140875-00	----	140875-00
C	हैंडपंप रिबोर	52942082	57424-00	___	57424-00
D	हैंडपंप मरम्मत	50382811	31120-00	----	31120-00
2-	विवरण विहीन कार्य	39733223	154856-00	34773.00	189629-00

3-	विवरण विहीन इंटरलॉकिंग कार्य	53373252	161297-00	30795.00	192092-00
4-	राम हरख के घर से केवल राम के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	39733861	89280-00	कोई व्यय दर्शित नहीं	89280-00
5-	विवरण विहीन इंटरलॉकिंग कार्य	53373183	161297-00	39754.00	249836-00
6-	विवरण विहीन नाली निर्माण कार्य	53601644	34800-00	9648.00	44448-00
7-	विवरण विहीन नाली निर्माण कार्य	40121992	56924-00	कोई व्यय दर्शित नहीं	56924-00
8-	केवल राम के ट्यूबवेल से प्रेम के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य	61949641	120087-00	54264.00	174351-00
	कुल योग		1103460-00	169234.00	1272694.00

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8-क में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 1272694-00 अपहरित रहा । जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मुरलीधर से रू0 636347-00 ग्राम पंचायत सचिव श्री विकास रावत से रू0 520709-00 एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय कुमार से रू0 115638-00 की जानी अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या -14**

28-ग्राम पंचायत शेरपुर विकास खण्ड मवई वर्ष-2021-22

प्रस्तर 60 ग्राम पंचायत शेरपुर विकास खंड- मवई जनपद- अयोध्या की वर्ष -2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः27.03.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ईग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के --अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं आडिट / ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स दिनांक (20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आयव्यय- से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना अभिलेखों की जांच ऑफलाईन / करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए, के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया । ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	वर्क आईडी नंबर	व्यय धनराशि		कुल योग
			सामग्री	मजदूरी	
1-A	हैंडपंप मरम्मत	50266278	123700-00	---	123700-00
B	हैंडपंप मरम्मत	52266453	141200-00	----	141200-00
C	हैंडपंप मरम्मत	55675704	98900-00	___	98900-00
D	हैंडपंप रिबोर	55675721	142800-00	----	142800-00
2-	पंचायत भवन निर्माण कार्य	45312569	709009-00	----	709009-00

3-	विनोद के घर से छंगा के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य		58873-00	---	58873-00
4-	प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में रंगाई पुताई का कार्य	56645531	86850-00	45978.00	132828-00
5-	पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेरपुर में टाइल्स निर्माण कार्य	56645260	118018-00	41670.00	159688-00
6-	दिव्यांग शौचालय निर्माण कार्य	55609752	96017-00	----	96017-00
7-	बूथ व्यवस्था पर व्यय	42912490	22712-00	---	22712-00
8-	प्रधान मानदेय	2563558	---	24500.00	24500-00
9-	पंचायतसहायक मानदेय+जी.एस.टी	42912490	-----	20187.00	20187-00
	कुल योग		1598079-00	132335.00	1730414.00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1730414.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव,सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया । किन्तु ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा हस्तलिखित मूल कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, स्टीमेट, , व्यय प्रमाणक, , मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति / दिनांक , वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ,माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ग्राफ ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8-क में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2). के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 1730414-.00 अपहरित रहा । जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती निशा देवी(रु० 865207.00), ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव कुमार(रु० 865207.00) से की जानी अपेक्षित है।-**मूल आपत्ति संख्या-6**

29-ग्राम पंचायत भिटारी विकास खण्ड हैरिंग्टनगंज वर्ष-2021-22

प्रस्तर 61 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आर० एन० ट्रेडर्स को दिनांक 14-05-2021 में प्रशासनिक मद में रू० 18800.00 भुगतान किया जाना दर्शित है जिससे संबंधित कोई कार्य पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा व्यय प्रमाणक विहीन होने के कारण यह पता नहीं चल पा रहा है की समस्त धनराशि से ग्राम पंचायत की कौन सी सामग्री क्रय की गई। उपरोक्त व्यय वाउचर विहीन होने के कारण गबन की श्रेणी में लाया जाता है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 के खंड 8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256 के अंतर्गत अनियमितता की पुष्टि करता है उपरोक्त कुल धनराशि रू० 18800.00 उत्तरदाई व्यक्तियों श्री विमलेश मोहन श्रीवास्तव से रु० 9400.00 तथा श्री राघवेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से रु० 9400.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 62 ग्राम पंचायत भिटारी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आर० एन० ट्रेडर्स को दिनांक 14-05-2021 रू० 18864.00 एवं दिनांक 16-05-2021 रू० 18864.00 कुल धनराशि 37728.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर भुगतान किया गया है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक जैसे- कैश मेमो, एम० बी, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र, डिलीवरी चालान, विल वाउचर , भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, त्रिस्तरीय फोटो, तथा

हैण्ड पम्प मरम्मत से प्राप्त कबाड़ की नीलामी से प्राप्त धनराशि से प्रपत्र, फिटनेस रिपोर्ट,इत्यादि वांछित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया |

अत: उक्त अभिलेख के अभाव में व्यय की पुष्टि नही होती है जिससे यह भुगतान गबन की श्रेणी में लाया जाता है।

चतुर्थ राजवित्त आयोग/ 14 वीं वित्त आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक कार्य मद की पत्रावली तैयार करके लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी|

अत: दर्शित व्यय रू० 37728.00 ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अध्याय 4 की धारा 27, एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राजनियमावली 1947 के अधिभार नियम 256 के अंतर्गत अपहरण की पुष्टि करता है। उपरोक्त कुल धनराशि रू० 37728.00 उत्तरदाई व्यक्तियों श्री विमलेश मोहन श्रीवास्तव (प्रशासक) से रु० 18864.00 तथा श्री राघवेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम सचिव से रू० 18864.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

30-ग्राम पंचायत आहरनसुवंश विकास खण्ड हैरिंग्टनगंज वर्ष-2021-22

प्रस्तर- 63 लेखा परीक्षा में पाया गया कि तद दिनांक 25-05-2021 को रू0 18484.00, रू 5400.00, रू० 2810.00 कुलधनराशि रू० 26694.00 जय माँ वैष्णो कान्स्ट्रक्शन को भुगतान किया जाना दर्शित है जिससे संबंधित कोई कार्य पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा व्यय प्रमाणक विहीन होने के कारण यह पता नहीं चल पा रहा है की समस्त धनराशि से ग्राम पंचायत की कौन सी सामग्री क्रय की गई| उक्त व्यय वाउचर विहीन होने के कारण गबन की श्रेणी में लाया जाता है। ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256 के अंतर्गत गबन की पुष्टि करता है। उपरोक्त कुल धनराशि रू० 26694.00 उत्तरदाई व्यक्तियों श्रीमती गीता ग्राम प्रधान से रु० 13347.00 तथा श्री देवेंद्र कुमार पांडे ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम सचिव से रू० 13347.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 64 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 16.08.2021 में रू० 25872.00 एवं दिनांक 16.08.2021 में रू० 19286.00 कुल धनराशि रू० 45158.00 नेता जी ब्रिक फिल्ड को ईट क्रय पर भुगतान दर्शित किया गया है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, कोटेशन, एम०बी० नही लिया गया। ईट क्रय से सम्बंधित स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया| अत: ईट क्रय पर दिखाया गया व्यय गबन की श्रेणी में लाया जाता है। वास्तविक व्यय की पुष्टि में कोई प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जो कि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256 के अंतर्गत गबन की पुष्टि करता है। उपरोक्त कुल धनराशि रू० 45158.00 उत्तरदाई व्यक्तियों श्रीमती गीता ग्राम प्रधान से रु० 22579.00 तथा श्री देवेंद्र कुमार पांडे ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम सचिव से रू० 22579.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 65 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 16-08-2021 रू० 128583.00 तथा दिनांक 16-08-2021 रू० 190030 कुल धनराशि 318613.00 जय माँ वैष्णो कान्स्ट्रक्शन को इंटर लॉकिंग कार्य पर भुगतान किया गया, जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, कोटेशन, एम०बी० त्रिस्तरीय फोटो, मस्टर रोल, डिलीवरी चालान, विल वाउचर , भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र नही प्रस्तुत किया गया। वास्तविक व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नही

किया गया जो कि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256 के अंतर्गत गबन की पुष्टि करता है। उपरोक्त कुल धनराशि रू० 318613.00 उत्तरदाई व्यक्तियों श्रीमती गीता ग्राम प्रधान से रु० 159306.50 तथा श्री देवेंद्र कुमार पांडे ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम सचिव से रू० 159306.50 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 66 लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 16-08-2021 रू० 188356.00 अर्पित कान्सट्रक्शन को इंटर लॉकिंग कार्य पर भुगतान किया गया जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, इस्टीमेट, कोटेशन, एम०बी० त्रिस्तरीय फोटो, मस्टर रोल, डिलीवरी चालान, विल वाउचर , भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र नही प्रस्तुत किया गया तथा वास्तविक व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जो कि ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256 के अंतर्गत गबन की पुष्टि करता है। उपरोक्त कुल धनराशि रू० 188356.00 उत्तरदाई व्यक्तियों श्रीमती गीता ग्राम प्रधान से रु० 94178.00 तथा श्री देवेंद्र कुमार पांडे ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम सचिव से रू० 94178.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

31-ग्राम पंचायत गिरधरामऊ विकास खण्ड हैरिंग्टनगंज वर्ष-2021-22

प्रस्तर 67 -लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 24-05-2021 रू० 6523 शिवा कंप्यूटरर्स एंड स्टेशनरी को प्रशासनिक मद में भुगतान किया जाना दर्शित है जिससे संबंधित कोई कार्य पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक सहित अन्य आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, तथा व्यय प्रमाणक विहीन होने के कारण यह पता नहीं चल पा रहा है की समस्त धनराशि से ग्राम पंचायत की कौन सी सामग्री क्रय की गई| उपरोक्त व्यय वाउचर विहीन होने के कारण गबन की श्रेणी में लाया जाता है ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256 के अंतर्गत गबन की पुष्टि करता है उपरोक्त कुल धनराशि रू० 6523.00 उत्तरदाई व्यक्तियों श्री विमलेश मोहन श्रीवास्तव (प्रशासक) से रु० 3261.50 तथा श्री राघवेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम सचिव से रू० 3261.50 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 68 - ग्राम पंचायत गिरधरा मऊ के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 24-05-2021 रू० 36632.00 आर०एन० ट्रेडर्स को समर सेबल का भुगतान किया गया है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक जैसे- कैश मेमो, एम० बी, डिलीवरी चालान, विल वाउचर , भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्य पूर्तिप्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र, आदि अभिलेख नही प्रस्तुत किया गया |

इस प्रकार उत्तर प्रदेश एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राजनियमावली 1947 के अधिभार नियम 256 के अंतर्गत गबन की पुष्टि करता है। उपरोक्त कुल धनराशि रू० 36632.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री विमलेश मोहन श्रीवास्तव (प्रशासक) से रु० 18316.00 तथा श्री राघवेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम सचिव से रू० 18316.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 69 - ग्राम पंचायत गिरधरा मऊ के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 25-05-2021 को रू० 119739.00 एवं रू० 82947.00 कुल धनराशि 202686.00 का भुगतान नवजीवन इंटरप्राइजेज को शौचालय निर्माण पर किया गया दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक जैसे- कैश मेमो, एम०बी०, डिलवरी चालान, विल बाउचर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, त्रिस्तरीय फोटो एवं उपभोग प्रमाण पत्र, नही प्रस्तुत किया गया |

इस प्रकार उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256 के अंतर्गत गबन की पुष्टि करता है उपरोक्त आपत्ति के

सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश 256 (1) के अंतर्गत 60 दिन के भीतर स्पष्टीकरण/ परिपालन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण/ परिपालन के असंतोषजनक पाए जाने पर उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है, कुल धनराशि रू० 202686.00 उत्तरदाई व्यक्तियों श्री विमलेश मोहन श्रीवास्तव (प्रशासक) से रु० 101343.00 तथा श्री राघवेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम सचिव से रू० 101343.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

32-ग्राम पंचायत-पिरखौली विकास खण्ड -सोहावल वर्ष-2021-22

प्रस्तर 70 -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने
हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया हैः-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
14/1/2022	ह्यूम पाइप क्रय	95494.00
18/1/2022	ह्यूम पाइप क्रय	95494.00
	योग	190988.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैः-

1- -उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2- उक्त ह्यूम पाइप किस फर्म से खरीदी गई व एक साथ खरीद कर स्टॉक कहा रखा गया व कहाँ- कहाँ इनका प्रयोग किया गया आदि की जानकारी प्रमाणकों के अभाव में नहीं की जा सकी।
3- बिना किसी कार्य योजना तथा आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 क तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256 के अंतर्गत गबन की पुष्टि करता है उपरोक्त आपत्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश 256 (1) के अंतर्गत 60 दिन के भीतर स्पष्टीकरण/ परिपालन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण/ परिपालन के असंतोषजनक पाए जाने पर उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है, कुल धनराशि रू० 190988.00 उत्तरदायी व्यक्तियों श्री श्री सुशील पाण्डेय (ग्राम सचिव) से रु० 95494.00 तथा श्री रियाज़ अली (ग्राम प्रधान) से रू० 95494.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

33-ग्राम पंचायत दिनकरपुर विकास खण्ड- सोहावल वर्ष- 2020-21

प्रस्तर 71 - ग्राम पंचायत दिनकरपुर की लेखा परीक्षा में धनराशि रू0 201883.00 की गम्भीर अनियमितता एवं अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है, जिसकी वसूली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं-

लेखा परीक्षा में अपूर्ण कैशबुक प्रस्तुत की गयी जिसमें 01.04.2020 से 22.10.2020 तक की अवधि में हुये आय व्यय का विवरण अंकित किया गया है। 23.10.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि में हुये आय-व्यय का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। कार्य पत्रावलियां भी 01.04.2020 से 22.10.2020 तक की अवधि में हुये व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार 23.10.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि में हुये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक में विवरण अंकित किया गया है और न ही उक्त अवधि में हुये व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावलियां ही प्रस्तुत की गयी। बैंक स्टेटमेंट (2020-21) (राज्य वित्त खाता संख्या-00700100037299) के अनुसार 23.10.2020 से 31.03.2021 की अवधि में रू0 60055.00 का

व्यय/भुगतान किया गया तथा बैंक स्टेटमेंट (2020-21) (केन्द्रीय वित्त खाता संख्या-00700100040889) के अनुसार 23.10.2020 से 31.03.2021 की अवधि में रू0 141828.00 का व्यय/भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 201883.00 का व्यय/भुगतान किया गया किन्तु उक्त व्यय धनराशि विवरणहीन तथा प्रमाणकविहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की ''ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 201883.00 की वसूली प्रशासक श्री सौरभ कुमार, सहायक विकास अधिकारी-सहकारिता (रू0 100941.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री आदेश चौधरी (रू0100941.50) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-16)

34- ग्राम पंचायत लहरापुर विकास खण्ड- सोहावल वर्ष- 2021-22

प्रस्तर 72- कैशबुक ग्रामनिधि-प्रथम (पंचम राज्यवित्त आयोग) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	तिथि	धनराशि	फर्म
1	09.06.2021	19606.00	अज्ञात
2	18.06.2021	19562.00	अज्ञात
3	26.10.2021	31683.00	श्री बालाजी हार्डवेयर एण्ड पेण्ट स्टोर
	योग-	70851.00	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् है-

1. हैण्डपम्प मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
2. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या तथा स्थलों का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
3. क्रमांक 1 व 2 पर अंकित धनराशि का भुगतान किस फर्म को किया गया, इसकी जानकारी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 70851.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवकान्त (रू0 35425.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री आदेश चौधरी (रू0 35425.50) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-16)

प्रस्तर 73- कैशबुक ग्रामनिधि-प्रथम (पंचम राज्यवित्त आयोग) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ह्यूम पाइप कार्य पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	तिथि	धनराशि	फर्म
1	18.06.2021	57000.00	अज्ञात

2 03.02.2022 74154.00 आर0के0 इण्टरप्राइजेज

योग- 131154.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् है-

1. ह्यूम पाइप स्थापना कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियां तथ पुष्टिपरक अभिलेख यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, कोटेशन, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किये गये।

2. कैशबुक में ह्यूम पाइप स्थापना कार्य हेतु मजदूरी भुगतान दर्शित नहीं है।

3. क्रमांक 1 पर अंकित धनराशि का भुगतान किस फर्म को किया गया, इसकी जानकारी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

3. क्रय किये गये ह्यूम पाइपों की संख्या व माप तथा प्रयुक्ति स्थलों का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 131154.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवकान्त (रू0 65577.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री आदेश चौधरी (रू0 65577.00) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-17)

प्रस्तर 74- कैशबुक (केन्द्रीय वित्त आयोग) के अनुसार दिनांक 16.11.2021 को ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों की साफ सफाई एवं जल निकासी व्यवस्था हेतु रू0 69370.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् है-

1. उक्त व्यय केवल मजदूरी पर किया गया अथवा सामग्री एवं मजदूरी दोनों परय लेखा परीक्षा में इसकी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी।

2. उक्त कार्य किन-किन स्थलों/मार्गों/नालियों पर कराया गया, इसका विवरण अप्राप्त रहा।

3. ग्राम पंचायत में सफाईकर्मी के कार्यरत न होने की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 69370.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवकान्त (रू0 34685.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री आदेश चौधरी (रू0 34685.00) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। ।(मू0आ0सं0-18)

35-ग्राम पंचायत गोपीनाथपुर विकास खण्ड- सोहावल वर्ष- 2021-22

प्रस्तर 75- ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया हैः-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
27-08-2021	ह्यूम पाइप क्रय	88985.00
15-09-2021	ह्यूम पाइप क्रय	99390.00
20-09-2021	ह्यूम पाइप क्रय	88985.00
		277360.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैः-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययों से सम्बन्धित व्यय पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-उक्त ह्यूम पाइप खरीद किस फर्म /फैक्ट्री से की गई . का विवरण अप्राप्त रहा ।

3-बिना किसी कार्य योजना/आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम-प्रधान-श्रीमती विनीता(रु० 138680.00) एवं ग्राम सचिव श्री आदेश चौधरी(रु० 138680.00) से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-12

प्रस्तर 76- . ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में सचिव आवास मरम्मत के नाम पर दिनांक 20-09-2021 को 139871.00 रु व्यय दर्शित है परंतु उक्त कार्य की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे व्यय की पुष्टी नहीं की जा सकी ।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम-प्रधान-श्रीमती विनीता(रु० 69935.50) एवं ग्राम सचिव श्री आदेश चौधरी(रु० 69935.50) से बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है। मूल आपत्ति संख्या-13

36 ग्राम पंचायत शेखपुर जाफर विकास खण्ड- सोहावल वर्ष- 2021-22

प्रस्तर 77 -ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय दर्शित किया गया हैः-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0
12/8/2021	ह्यूम पाइप क्रय	74154.00

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैः-

1-उक्त विवरण में दर्शित व्ययसे सम्बन्धित व्यय पत्रावली /व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2-बिना किसी कार्य योजना/आवश्यकता के उक्त प्रकार के क्रय पर शासन द्वारा लगाई गई रोक के वावजूद विभिन्न स्थानों पर लगवाने हेतु एक साथ ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अनियमित एवं वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम-प्रधान-शीला रावत(रु०37077.00) एवं ग्राम सचिव- श्री आदेश चौधरी(रु०37077.00) से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या - 02

प्रस्तर 78- ग्राम पंचायत की आडिट में पाया गया कि कैशबुक में निम्न प्रकार विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया हैः-

दिनांक	विवरण	धनराशि रु0	अन्य
25-8-2021	हैण्डपम्प रीबोर हेतु	27656.00	
25-8-2021	हैण्डपम्प रीबोर हेतु	27566.00	
	योग-	**55222.00**	

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्न प्रकार हैः-

1. हैण्डपम्प रीबोर हेतु व्यय से सम्बन्धित व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक आडिट में प्रस्तुत नहीं किए गएजिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

एक साथ कई स्थानों के लिए एक आइडी से अथवा बिना आइडी के मरम्मत कराकर नियम विरूद्ध कार्य किया गया है। व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक विहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत गबन माना गया है। जिसकी वसूली की अपेक्षा ग्राम-प्रधान एवं ग्राम सचिव से की गई है। अतः व्यय पत्रावली/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947, के नियम 256 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में समस्त साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम-प्रधान-श्रीमती शीला रावत(रु० 27611.00) एवं ग्राम सचिव श्री आदेश चौधरी (रु० 27611.00) से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या -03

37 - ग्राम पंचायत कन्दईकला विकास खण्ड- अमानीगंज वर्ष- 2021-22

प्रस्तर 79- मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में पौधरोपण कार्यों पर निम्न विवरणानुसार मजदूरी भुगतान दर्शित है।

1. ठाकुर बाबा तालाब के बन्धों पर पौधरोपण- रू0 4080.00 (एम0आर0 सं0- 2381 एवं 2382)
2. नया तारा तालाब पर पौधरोपण- रू0 5712.00 (एम0आर0 सं0- 2376 एवं 2377)
3. काली तारा तालाब के पास सार्वजनिक भूमि पर पौधरोपण- रू0 6324.00(एम0आर0 सं0- 2724, 2725, 2901 एवं 2902)

इस प्रकार उक्त पौधरोपण कार्यों पर कुल रू0 16116.00 मजदूरी भुगतान किया गया।

उक्त व्यय/भुगतान के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् है-

1. उक्त पौधरोपण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।
2. पौधरोपण कार्य हेतु पौधों की खरीद अथवा वन विभाग से पौधों की प्राप्ति सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं रहा।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई

वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 16116.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मांटी सिंह (रू0 8058.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री कर्मराज (रू0 8058.00) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मू0आ0सं0-16)

प्रस्तर 80- मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार वर्ष 2021-22 में पक्की सड़क से ठाकुर बाबा देवस्थान तक भूमि विकास कार्य पर एम0आर0 सं0- 3032, 3033, 3034 व 3035 द्वारा कुल रू0 27336.00 का भुगतान मजदूरी पर दर्शित है। किन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा-मूल एम0आर0, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त व्यय विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन होने के कारण अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 27336.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीती मांटी सिंह (रू0 13668.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री कर्मराज (रू0 13668.00) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-17)

प्रस्तर 81- मनरेगा ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार आलोच्य वर्ष में इमलीवीर तालाब जीर्णाद्धार कार्य पर मजदूरी भुगतान हेतु एम0आर0 संख्या- 790, 791, 792, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1781 तथा 1782 द्वारा कुल रू0 56919.00 का व्यय दर्शित है। उक्त कार्य के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् है-

1. उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा-मूल एम0आर0, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।
2. जीर्णोद्धार कार्य पर प्रयुक्त सामग्री का कोई विवरण/साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 56919.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मांटी सिंह (रू0 28459.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री कर्मराज (रू0 28459.50) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-18)

38- ग्राम पंचायत तालढ़ोली विकास खण्ड- अमानीगंज वर्ष- 2021-22

प्रस्तर 82- कैशबुक के अनुसार दिनांक 19.10.2021 को कविता ट्रेडर्स एण्ड जी0ओ0एस0 को रू0 2500.00 तथा दिनांक 08.02.2022 को सिमराह इण्टरप्राइजेज को रू0 43280.00 का भुगतान प्रशासनिक मद के अन्तर्गत किया जाना दर्शित है। इस प्रकार प्रशासनिक मद के अन्तर्गत कुल रू0 45780.00 का भुगतान किया गया। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय/भुगतान के सापेक्ष कोई विवरण एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि "ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 45780.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामफेर (रू0 22890.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री मो0 हुसैन फारूकी (रू0 22890.00) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-16)

प्रस्तर 83- कैशबुक के अनुसार दिनांक 20.11.2021 को अंश इण्टरप्राइजेज को ह्यूम पाइप क्रय हेतु रू0 58653.00 का भुगतान दर्शित है।

उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् है-

1. ह्यूम पाइप स्थापना कार्य से सम्बन्धित पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, कोटेशन, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किये गये।
2. कैशबुक में ह्यूम पाइप स्थापना कार्य हेतु मजदूरी भुगतान दर्शित नहीं है।
3. क्रय किये गये ह्यूम पाइपों की संख्या व माप तथा प्रयुक्ति स्थलों का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि "ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।" साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 58653.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामफेर (रू0 29326.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री मो0 हुसैन फारूकी (रू0 29326.50) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-17)

प्रस्तर 84- कैशबुक के अनुसार दिनांक 10.02.2022 को सिमराह इण्टरप्राइजेज को कूड़ा करकट साफ व्यय हेतु रू0 41500.00 का भुगतान दर्शित है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् है-

1. उक्त व्यय केवल मजदूरी पर किया गया अथवा सामग्री एवं मजदूरी दोनों परय लेखा परीक्षा में इसकी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. उक्त कार्य किन-किन स्थलों/मार्गों/नालियों पर कराया गया, इसका विवरण अप्राप्त रहा।
3. ग्राम पंचायत में सफाईकर्मी के कार्यरत न होने की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 41500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामफेर (रू0 20750.00) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री मो0 हुसैन फारूकी (रू0 20750.00) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-18)

प्रस्तर 85- कैशबुक के अनुसार दिनांक 01.11.2021 को अंश इण्टरप्राइजेज को रू0 43390.00 का भुगतान गौशाला तार व पिलर घेराव सामग्री क्रय हेतु किया गया। पुनः दिनांक 10.02.2022 को सिमराह इण्टरप्राइजेज को उक्त कार्य पर ही उक्त सामग्री क्रय हेतु रू0 81837.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त कार्य पर कुल रू0 125227.00 का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् है-

1. एक ही कार्य पर दो बार सामग्री क्रय का औचित्य स्पष्ट नहीं रहा।
2. कैशबुक में उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान दर्शित नहीं है। बिना मजदूरी के कार्य कैसे सम्भव हुआ?
3. लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा-बिल वाउचर, मस्टररोल, टेण्डर/कोटेशन, स्टीमेट, एम0बी0 तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम- प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम- प्रधान तथा

सेक्रेटरी ग्राम- पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 125227.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामफेर (रू0 62613.50) एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री मो0 हुसैन फारूकी (रू0 62613.50) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-19)

39- ग्राम पंचायत बारी विकास खण्ड रुदौली वर्ष- 2021-22

प्रस्तर 86 - मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु01728000.00व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायितव होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है।उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या /201दस 09/(43)2011-101-टी० सी० लखनऊ दिनांक-04फरवरी 2011एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः /806सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक 05-08-2011-के

विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंत :उक्त कुल व्यय रू . 1728000.00की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रु. 864000.00की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी एवं रु०864000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णावती से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

40- ग्राम पंचायत सहनी विकास खण्ड रुदौली वर्ष- 2021-22

प्रस्तर 87 - मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 1183000.00व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है।उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या /201दस 09/(43)2011-101-टी० सी० लखनऊ दिनांक-04फरवरी 2011एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः /806सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक 05-08-2011-के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंत :उक्त कुल व्यय रू . 1183000.00की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रु. 591500.00की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री हेमन्तकुमार एवं रु०591500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मूरतदेई से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

41- ग्राम पंचायत जमुनिया मऊ विकास खण्ड रुदौली वर्ष- 2021-22

प्रस्तर 88 - मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 5745000.00व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है।उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या /201दस 09/(43)2011-101-टी० सी० लखनऊ दिनांक-04फरवरी 2011एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः /806सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक 05-08-2011-के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अंत :उक्त कुल व्यय रू . 5745000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों , अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रु. 2872500.00 की वसूली ग्राम

विकास/पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी एवं रु० 2872500.00 ग्राम प्रधान श्री महीदुल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

42- ग्राम पंचायत सरायमुगल विकास खण्ड रुदौली वर्ष- 2021-22

प्रस्तर 89- मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय कीऑडिटआनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइना न्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 1691000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 कि ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है।उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।

प्रमुख सचिव उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या/201 दस 09/(43)2011-101-टी०सी०लखनऊदिनांक04-फरवरी 2011एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र०के पत्रांकः/806 सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक 05-08-2011-के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखा वभी नहीं किया गया है।अंत :उक्त कुल व्ययरू . 1691000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टी करण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में रु. 845500.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राकेश चौधरी एवं रु०845500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अशोका कुमारी से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

43- ग्राम पंचायत आंसूमऊ विकास खण्ड रुदौली वर्ष- 2021-22

प्रस्तर 90- मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिटआनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनान्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रु0 773000.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 की ''ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत का यह संयुक्त दायितव होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें'' के विपरीत है।उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी।'' साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।प्रमुख सचिव उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या/201 दस 09/(43)2011-101-टी०सी०लखनऊदिनांक04-फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र०के पत्रांकः/806 सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक 05-08-2011-के विपरीत संस्था में कैशबुक एवं संगत अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। अतः उक्त कुल व्यय रू .773000.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों ,अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में रु. 386500.00 की वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री हेमन्त कुमार एवं रु०386500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ननका उर्फ नईका से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- बाराबंकी

प्रारूप - 04 ग्राम पंचायत

1 - ग्राम पंचायत – त्रिलोकपुर विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 1 - ग्राम पंचायत- त्रिलोकपुर की वित्तीय वर्ष- 2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 1781295.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणामस्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1781295.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1781295.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रीमती रामरानी से रुपया 890647.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दयानंद और श्री आनंद कुमार सिंह से उनके द्वरा आहरित धनराशि के अनुसार रुपया 890647.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 1781295.00

प्रस्तर संख्या 2 - ग्राम पंचायत- त्रिलोकपुर .की वित्तीय वर्ष- 2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 1852825.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1852825.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित

ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1852825.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रीमती रामरानी से रुपया 926412.50 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दयानंद और श्री आनंद कुमार सिंह से उनके द्वारा आहरित धनराशि के अनुसार रुपया 926412.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 1852825.00

प्रस्तर संख्या 3 - भारत सरकार के निर्देश के क्रम में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी बाराबंकी द्वारा ऑडिट आनलाईन कार्यक्रम निर्धारित किया गया था जिसके क्रम में आनलाईन कार्यक्रम भेजा जा चुका है। मनरेगा,ग्रामनिधि,राज्य एवं केंद्र वित्त से संबंधित ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर की आनलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कतिपय गंभीर विसंगतियाँ सामने आयीं हैं,जो कि निम्नवत हैं-

क्रमांक	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री का मूल्य	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म
1	28	03.04.2021	129800.00 जीएसटी सहित	मेसर्स एस कुमार सप्लायर्स
2	60	03.04.2021	208874.16 जीएसटी सहित	मेसर्स एस कुमार सप्लायर्स
3	62	04.04.2021	116820.00 जीएसटी सहित	मेसर्स एस कुमार सप्लायर्स
4	63	03.04.2021	207680.00 जीएसटी सहित	मेसर्स एस कुमार सप्लायर्स

आनलाईन उपलब्ध डाटा के अनुसार क्रम संख्या 1 से 3 तक का भुगतान मनरेगा मद से कुल रु 663174.16 मेसर्स एस कुमार सप्लायर्स को किया गया है। मेसर्स एस कुमार सप्लायर्स का जी.एस.टी पंजीयन संख्या-09बीएफएक्सपीके7882के1ज़ेड8 है। उक्त फर्म केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के अध्याय -2 के नियम 5 के अनुसार स्वनुरोध पर दिनांक 31.07.2019 से पंजीकरण निरस्त कर रखा है । इसप्रकार से जी.एस.टी पंजीयन संख्या-09बीएफएक्सपीके7882के1ज़ेड8 पर किसी भी तरह का बिल काटा जाना, जी.एस.टी वसूलना पूर्णतया नियम विरुद्ध है तथा कूटरचित अभिलेखों के माध्यम से शासकीय धन के गबन का प्रकरण है।

ग्राम पंचायत-त्रिलोकपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 35.56 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई <u>व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक</u> बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 35.56 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दयानंद और श्री आनंद कुमार सिंह से उनके कार्यकाल के अनुपात में

11.85 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री प्रमोद कुमार से रुपया 11.85 लाख, ग्राम प्रधान श्रीमती रामरानी से रुपया 11.85 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रू० 35.56 लाख

2 - ग्राम पंचायत – सैदनपुर विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 4 - ग्राम पंचायत- सैदनपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त की कोश बही एक साथ तैयार की गई है जबकि नियमतः इन्हे अलग अलग तैयार किया जाना था । वित्तीय वर्ष -2021-22में राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त कीमद में सम्मिलित रूप से रु 1415469.40 धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है.। लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे -व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी अप्रस्तुत रहा । अस्तु प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1415469.40 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उपरोक्त आहृत धनराशि में से रु 106553.00 का व्यय इंडिया मार्का हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग पर दर्शाया गया है । शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा हैन्डपम्प रिबोर कराने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है । जिसके अनुसार रिबोरिंग का कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायतें द्वारा निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा -

1-हैन्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुवे हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य को सर्वप्रथम संतृप्त किया जाएगा ।

2-हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शतप्रतिशत किया जाएगा ।

3-प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुवे प्लान प्लस/एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आइ डी विकसित करते हुवे प्रिया सॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम ऐसेट पर रिबोर किए गए हैन्डपम्प की फोटो एवं जिओ टैगिन्ग अनिवार्यतः अंकित की जाएगी ।

उपरोक्त रु 106553.00 के भुगतान के संबंध में शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन किए जाने वाले कोई अभिलेख/व्ययप्रमाणक लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोई कार्य कराये रु 106553.00 का अपहरण हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग मद में कर लिया गया है।

शासनादेशसंख्या आर जी एस ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है 20000/- या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई डी बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है ऐसा किया गया है। लेकिन हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद और मजदूरी के लिए किया गया।

4-उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया -1415469.40 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया देवी से रुपया- 707734.70 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार दूबे से रुपया -707734.70 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 1415469.40

प्रस्तर संख्या 5 - ग्राम पंचायत-सैदनपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 11.78 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 11.78 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अखिलेश कुमार दुबे से 3.93 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री राजेन्द्र प्रसाद से रुपया 3.93 लाख, ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया देवी से रुपया 3.93 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 11.78 लाख

3 - ग्राम पंचायत – बिठौरा विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 6 - ग्राम पंचायत- बिठौरा की वित्तीय वर्ष -2021-22में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अनलाइन उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष -2021-22में राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त मद में सम्मिलित रूप से रु 168850.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है.। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे -व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी अप्रस्तुत रहा । अस्तु प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 168850.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 168850.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान संतोष कुमारी से रुपया 84425.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमन श्रीवास्तव एवं अखिलेश्वर सिंह चौहान से उनके द्वारा आहरित धनराशि के अनुपात में रुपया 84425.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 168850.00

प्रस्तर संख्या 7 - ग्राम पंचायत-बिठौरा की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 13.69 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 13.69 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमन श्रीवास्तव एवं अखिलेश्वर सिंह चौहान से उनके कार्यकाल के अनुपात में रु 4.564 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री अमर सिंह से रुपया 4.564 लाख, ग्राम प्रधान संतोष कुमारी से रुपया 4.564 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 13.69 लाख

4 - ग्राम पंचायत – बिरौली विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 8 - ग्राम पंचायत- बिरौली की वित्तीय वर्ष -2021-22में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अनलाइन उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष -2021-22में राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त मद में सम्मिलित रूप से रु 841960.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है.। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे -व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी अप्रस्तुत रहा । अस्तु प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 841960.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी |

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 841960.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान राकेश कुमार से रुपया 420980.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार वर्मा एवं अखिलेश्वर सिंह चौहान से उनके द्वारा आहरित धनराशि के अनुपात में रुपया 420980.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 841960.00

प्रस्तर संख्या 9 - ग्राम पंचायत-बिरौली की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 12.02 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक

/पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 12.02लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार वर्मा एवं अखिलेश्वर सिंह चौहान से उनके कार्यकाल के अनुपात में रु 4.007लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री अमर सिंह से रुपया 4.007लाख, ग्राम प्रधान राकेश कुमार से रुपया 4.007लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 12.02 लाख

5 - ग्राम पंचायत –अशोकपुर विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 10 - ग्राम पंचायत- अशोकपुर की वित्तीय वर्ष- 2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाते बाराबंकी से रुपया 101016.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणामस्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 101016.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 101016.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रीमती हेमा पाण्डेय से रुपया 50508.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमन श्रीवास्तव एवं श्री अखिलेश्वर सिंह चौहान से उनके द्वारा आहरित धनराशि के अनुसार रुपया 50508.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 101016.00

प्रस्तर संख्या 11 - ग्राम पंचायत- अशोकपुर.की वित्तीय वर्ष- 2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाते,बाराबंकी से रुपया 103767.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक

स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 103767.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 103767.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रीमती हेमा पाण्डेय से रुपया 51883.50 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमन श्रीवास्तव एवं श्री अखिलेश्वर सिंह चौहान से रुपया 51883.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 103767.00

प्रस्तर संख्या 12- ग्राम पंचायत-अशोकपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 15.98 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 15.98 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमन श्रीवास्तव एवं श्री अखिलेश्वर सिंह चौहान से उनके कार्यकाल के अनुपात में से 5.33 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री अमर सिंह से रुपया 5.33 लाख, ग्राम प्रधान श्रीमती हेमा पाण्डेय से रुपया 5.33 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रू० 15.98 लाख

6 - ग्राम पंचायत –लालूपुर विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 13- ग्राम पंचायत- लालूपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अनलाइन उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष -2021-22में राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त की मद में सम्मिलित रूप से रु 415097.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है.। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे -व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी अप्रस्तुत रहा । अस्तु प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 415097.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 415097.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान अनीता से रुपया 207548.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री मनोज मिश्रा एवं अखिलेश्वर सिंह चौहान से उनके कार्यकाल के अनुपात में रुपया 207548.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 415097.00

प्रस्तर संख्या 14- ग्राम पंचायत-लालूपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 10.34 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 10.34 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री मनोज मिश्रा एवं अखिलेश्वर सिंह चौहान से उनके द्वारा आहरित धनराशि के अनुपात में रु 3.446 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री बाराती लाल से रुपया 3.446 लाख, ग्राम प्रधान लवलेश कुमार वर्मा से रुपया 3.446 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 10.34 लाख

7 - ग्राम पंचायत –बेरिया विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 15- ग्राम पंचायत- बेरिया की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 629019.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए| जिसके परिणामस्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 629019.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के

अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 629019.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्री राहुल कुमार से रुपया 314509.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री श्री दयानंद और श्री सतीश कुमार वर्मा से उनके द्वरा आहरित धनराशि के अनुसार रुपया 314509.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 629019.00

प्रस्तर संख्या 16- ग्राम पंचायत- बेरिया .की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 860893.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 860893.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 860893.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्री राहुल कुमार से रुपया 430446.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री श्री दयानंद और श्री सतीश कुमार वर्मा से उनके द्वरा आहरित धनराशि के अनुसार से रुपया 430446.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 860893.00

प्रस्तर संख्या 17- ग्राम पंचायत-बेरिया की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 11.85 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 11.85 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दयानंद और श्री सतीश कुमार वर्मा से उनके कार्यकाल के अनुपात में 3.95 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री कृष्ण चंद्र से रुपया 3.95 लाख, ग्राम प्रधान श्री राहुल कुमार से रुपया 3.95 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रू० 11.85 लाख

8 - ग्राम पंचायत – गोन्दौरा विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 18- ग्राम पंचायत- गोंदौरा की वित्तीय वर्ष -2021-22में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अनलाइन उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष -2021-22में राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त मद में सम्मिलित रूप से रु 984597.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है.। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे -व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी अप्रस्तुत रहा । अस्तु प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 984597.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 984597.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान नेहा से रुपया 492298.5 00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा आहरित धनराशि के अनुपात में रुपया 492298.5 00 से वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 984597.00

प्रस्तर संख्या 19- ग्राम पंचायत-गोंदौरा की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 9.91 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की माप करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 9.91 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से रु 3.303

लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री अमर सिंह से रुपया 3.303 लाख, ग्राम प्रधान नेहा से रुपया 3.303 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 9.91 लाख

9 - ग्राम पंचायत – किशुनपुर विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 20- ग्राम पंचायत- किशुनपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अनलाइन उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष -2021-22में राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त मद में सम्मिलित रूप से रु 996445.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है.। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे -व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी अप्रस्तुत रहा । अस्तु प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 996445.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 996445.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान गुड्डी से रुपया 498222.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा आहरित धनराशि के अनुपात में रुपया 498222.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 996445.00

प्रस्तर संख्या 21- ग्राम पंचायत-किशुनपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 7.51लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की माप करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 7.51लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से रु 2.504 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री विशंभर वर्मा से रुपया 2.504 लाख, ग्राम प्रधान गुड्डी से रुपया 2.504 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 7.51लाख

10 - ग्राम पंचायत – बुढ़वल विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 22- ग्राम पंचायत- बुढ़वल की वित्तीय वर्ष -2021-22में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अनलाइन उपलब्ध सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष -2021-22में राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त मद में सम्मिलित रूप से रु 1268652.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है.। परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे -व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी अप्रस्तुत रहा । अस्तु प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1268652.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1268652.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह से रुपया 634326.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार यादव एवं श्रीमती बीना द्वारा आहरित धनराशि के अनुपात में रुपया 634326.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 1268652.00

प्रस्तर संख्या 23- ग्राम पंचायत-बुढ़वल की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 8.11 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की माप करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 8.11 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार यादव एवं श्रीमती बीना से उनके कार्यकाल के अनुसार 2.704 लाख लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री विशंभर वर्मा से रुपया 2.704 लाख लाख, ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह से रुपया 2.704 लाख लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 8.11 लाख

11 - ग्राम पंचायत – कटियारा विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 24- ग्राम पंचायत- कटियारा की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाता सख्या-751810210000043.बैंकऑफ इंडिया बाराबंकी से रुपया 871483.00

की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणामस्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 871483.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उपरोक्त आहृत धनराशि में से रु 193772.00 का व्यय इंडिया मार्का हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग पर दर्शाया गया है । शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा हैन्डपम्प रिबोर कराने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है । जिसके अनुसार रिबोरिंग का कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायतें द्वारा निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा -

1-हैन्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुवे हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य को सर्वप्रथम संतृप्त किया जाएगा ।

2-हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शतप्रतिशत किया जाएगा ।

3-प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुवे प्लान प्लस/एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आइ डी विकसित करते हुवे प्रिया सॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम ऐसेट पर रिबोर किए गए हैन्डपम्प की फोटो एवं जिओ टैगिन्ग अनिवार्यतः अंकित की जाएगी|

उपरोक्त रु 193772.00 के भुगतान के संबंध में शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन किए जाने वाले कोई अभिलेख/व्ययप्रमाणक लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोई कार्य कराये रु 193772.00 का अपहरण हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग मद में कर लिया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 871483.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से रुपया 435741.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय .से रुपया 435741.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू॰ 871483.00

प्रस्तर संख्या 25- ग्राम पंचायत- कटियारा .की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाता सख्या- 751810210000294.बैंक-ऑफ इंडिया ...,बाराबंकी से रुपया 141435.70 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा |प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम

पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि सेरुपया 141435.70 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा हैन्डपम्प रिबोर कराने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है । जिसके अनुसार रिबोरिंग का कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायतें द्वारा निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा -

1. हैन्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुवे हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य को सर्वप्रथम संतृप्त किया जाएगा ।
2. हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शतप्रतिशत किया जाएगा ।
3. प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुवे प्लान प्लस/एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आइ डी विकसित करते हुये प्रिया सॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम ऐसेट पर रिबोर किए गए हैन्डपम्प की फोटो एवं जिओ टैगिन्ग अनिवार्यतः अंकित की जाएगी ।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 141435.70 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से रुपया 70717.85 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय से रुपया 70717.85 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 1414357.00

प्रस्तर संख्या 26- मनरेगा से संबंधित अनलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कतिपय गंभीर विसंगतियाँ सामने आयीं हैं,जो कि निम्नवत हैं-

क्रमांक	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री का मूल्य रु में	जी.एस.टी. की धनराशि रु में	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म
1	28	08.10.2021	99528.00	17915.04	ओम ईश्वरदीन मिश्रा ट्रेडर्स
2	29	08.10.2021	99528.00	17915.04	ओम ईश्वरदीन मिश्रा ट्रेडर्स
3	30	08.10.2021	66374.00	11947.32	ओम ईश्वरदीन मिश्रा ट्रेडर्स
4	186	08.07.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
5	585	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
6	573	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
7	572	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
8	578	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
9	579	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
10	576	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स

11	571	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
12	581	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
13	562	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
14	561	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
15	563	01.07.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
16	564	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
17	558	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
18	565	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
19	580	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
20	500	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
21	557	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
22	567	01.04.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
23	556	01.07.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
24	555	01.07.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
25	575	01.07.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
26	577	01.07.2021	5000.00		राकेश ट्रेडर्स
27	योग		380430.00	47777.08	

1. क्रम संख्या 1 से 3 तक का रु 265430.00 कि धनराशि तथा जी एस टी के रूप मे रु 47777.08 मिलकर कुल रु 313207.40 का भुगतान मनरेगा मद से ओम ईश्वरदीन मिश्रा ट्रेडर्स को किया गया है,जिसका जी.एस.टी
2. नंबर है -09डीआरडब्ल्यूपीएम1376आर1ज़ेडएच है। जबकि इस फर्म का जी.एस.टी पंजीकरण दिनांक 12.12.2020 से निरस्त था अतः उक्त तिथि के बाद यह फर्म कोई भी कार्य करने बिल,काटने और टैक्स लेने की अहर्ता खो चुकी है। अस्तु यह स्पष्ट है कि फर्जी बिल पर संबंधित फर्म और कार्मिक द्वारा दुरभिसन्धि से कुल रु 313207.40 का अपहरण उक्त बिल संख्या 28,29 एवं 30 दिनांक 08.10.2021 के माध्यम से किया गया है ।
3. *ख.* क्रम संख्या 4 से 26 तक का भुगतान मनरेगा मद से राकेश ट्रेडर्स को किया गया है,जिसका जी.एस.टी नंबर है -09बीएक्सकेपी3937जे1ज़ेडवाई है। उक्त भुगतान के साथ किसी भी प्रकार के जी.एस.टी का भुगतान नहीं किया गया है जबकि क्रय की गई सामग्री/डिस्प्ले बोर्ड पर 18%टैक्स देय है । अस्तु यह स्पष्ट है कि फर्जी बिल पर संबंधित फर्म और कार्मिक द्वारा दुरभिसन्धि से कुल रु 115000.00 का अपहरण किया गया है ।

ग. इसी प्रकार से मनरेगा मद से बिल संख्या 95 दिनांक 08.10.2021 रु 60653.66 पर रु 8418.70 का जी.एस.टी (रु 4209.35 सीजीएसटी+रु 4209.35 एसजीएसटी)मिलाकर कुल रु 69072.36 राकेश ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है जो कि किसी भी जी.एस.टी स्लैब मे फिट नहीं बैठता है । ऐसा प्रतीत होता है की फर्जी बिल पर संबंधित फर्म और कार्मिक द्वारा दुरभिसन्धि से रु 69072.36 का अपहरण उक्त बिल संख्या 95 दिनांक 08.10.2021 के माध्यम से किया गया है ।

ग्राम पंचायत-कटियारा की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार अकुशल श्रम मद में-रु 74.3लाख,अर्धकुशल श्रम मद में रु 0.11 लाख,सामग्री मद में 35.54 लाख,तथा प्रसाशनिक मद में रु 1.67 लाख का व्यय करते हुवे कुल रुपया 112.45 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo

लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया112.45 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय से 37.4833 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री प्रमोद कुमार से रुपया 37.4833 लाख, ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से रुपया 37.4833 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रू० 112.45 लाख

12 - ग्राम पंचायत – सीहामऊ विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 27- ग्राम पंचायत- सीहामऊ की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाता सख्या-750210210000017.बैंकऑफ इंडिया बहरामघट बाराबंकी से रुपया 627018.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणामस्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 627018.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उपरोक्त आहृत धनराशि में से रु 301056.00 का व्यय इंडिया मार्का हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग पर दर्शाया गया है । शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा हैन्डपम्प रिबोर कराने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है । जिसके अनुसार रिबोरिंग का कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायतें द्वारा निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा -

1. हैन्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुवे हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य को सर्वप्रथम संतृप्त किया जाएगा ।
2. हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शतप्रतिशत किया जाएगा ।
3. प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुवे प्लान प्लस/एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आइ डी विकसित करते हुवे प्रिया सॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम ऐसेट पर रिबोर किए गए हैन्डपम्प की फोटो एवं जिओ टैगिन्ग अनिवार्यतः अंकित की जाएगी ।

उपरोक्त रु 193772.00 के भुगतान के संबंध में शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन किए जाने वाले कोई अभिलेख/व्ययप्रमाणक लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोई कार्य कराये रु 193772.00 का अपहरण हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग मद में कर लिया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों

में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 627018.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रीमती अलखा से रुपया 313509.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय .से रुपया 313509.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 627018.00

प्रस्तर संख्या 28- ग्राम पंचायत- सीहामऊ .की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाता सख्या- 750210210000183.बैंक-ऑफ इंडिया बहरामघट,बाराबंकी से रुपया 1320646.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पति रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा |प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1320646.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उपरोक्त आहृत धनराशि में से रु 99545.00 का व्यय इंडिया मार्का हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग पर दर्शाया गया है । शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा हैन्डपम्प रिबोर कराने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है । जिसके अनुसार रिबोरिंग का कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायतें द्वारा निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा -

1. हैन्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुवे हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य को सर्वप्रथम संतृप्त किया जाएगा ।
2. हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शतप्रतिशत किया जाएगा ।
3. प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुवे प्लान प्लस/एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आइ डी विकसित करते हुवे प्रिया सॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम ऐसेट पर रिबोर किए गए हैन्डपम्प की फोटो एवं जिओ टैगिन्ग अनिवार्यतः अंकित की जाएगी ।

उपरोक्त रु 244990.00 के भुगतान के संबंध में शाशनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन किए जाने वाले कोई अभिलेख/व्ययप्रमाणक लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोई कार्य कराये रु 99545.00 का अपहरण हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग मद में कर लिया गया है।

ख

दिनांक 19.07.2021 को रु 273590.00 तथा दिनांक 21.07.2021 को रु 110372.00 का भुगतान नाग राकेश ट्रैडर्स को निर्माण सामग्री क्रय हेतु एवं दिनांक 31.01.2022 को रु 124704.00 का भुगतान एस.एस. इन्टरप्राइसेस को किया गया है । ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/10-08-1586 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रु 100000.00 से अधिक व्यय कि स्थिति में निविदा प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है । लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा निविदा संबंधी

कोई अभिलेख/व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1320646.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रींमती अलखा से रुपया 660323.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय से रुपया 660323.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 1320646.00

प्रस्तर संख्या 29- ग्राम पंचायत-सीहामऊ की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 43.16लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 43.16 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय से 14.387 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री सर्वजीत वर्मा से रुपया 14.387 लाख, ग्राम प्रधान श्रींसती अलखा से रुपया 14.387 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रू० 43.16 लाख

13 - ग्राम पंचायत – कांप फतेउल्लापुर विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 30- ग्राम पंचायत- कांप फतेउल्लापुर की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाता सख्या-752010210000184 .बैंकऑफ इंडिया देवा बाराबंकी से रुपया 698248.30 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणामस्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 698248.30 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उपरोक्त आहृत धनराशि में से रु 86220.00 का व्यय इंडिया मार्का हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग पर दर्शाया गया है । शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा हैन्डपम्प रिबोर कराने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है । जिसके अनुसार रिबोरिंग का कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायतें द्वारा निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा -

1. हैन्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुवे हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य को सर्वप्रथम संतृप्त किया जाएगा ।
2. हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शतप्रतिशत किया जाएगा ।
3. प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुवे प्लान प्लस/एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आइ डी विकसित करते हुवे प्रिया सॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम ऐसेट पर रिबोर किए गए हैन्डपम्प की फोटो एवं जिओ टैगिन्ग अनिवार्यतः अंकित की जाएगी ।

उपरोक्त रु 193772.00 के भुगतान के संबंध में शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन किए जाने वाले कोई अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोई कार्य कराये रु 86220.00 का अपहरण हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग मद में कर लिया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 698248.30 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्री मुजीब अहमद से रुपया 349124.05 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय .से रुपया 349124.15 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 698248.30

प्रस्तर संख्या 31- ग्राम पंचायत- कांप फतेउल्लापुर .की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाता सख्या- 752010210000479 .बैंक-ऑफ इंडिया देवा,बाराबंकी से रुपया 834272.40 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा |प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 834272.40का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उपरोक्त आहृत धनराशि में से रु 199946.00 का व्यय इंडिया मार्का हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग पर दर्शाया गया है । शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा हैन्डपम्प रिबोर कराने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है । जिसके अनुसार रिबोरिंग का कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायतें द्वारा निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा -

1. हैन्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुवे हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य को सर्वप्रथम संतृप्त किया जाएगा ।
2. हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शतप्रतिशत किया जाएगा ।
3. प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुवे प्लान प्लस/एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आइ डी विकसित करते हुवे प्रिया सॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम ऐसेट पर रिबोर किए गए हैन्डपम्प की फोटो एवं जिओ टैगिन्ग अनिवार्यतः अंकित की जाएगी ।

उपरोक्त रु 244990.00 के भुगतान के संबंध में शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन किए जाने वाले कोई अभिलेख/व्ययप्रमाणक लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोई कार्य कराये रु 199946.00 का अपहरण हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग मद में कर लिया गया है।

ख

दिनांक 23.07.2021 को रु 108008.00 का भुगतान सौम्या सेनेटरी को टाइल्स क्रय हेतु किया गया है । ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/10-08-1586 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रु 100000.00 से अधिक व्यय कि स्थिति में निविदा प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है । लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा निविदा संबंधी कोई अभिलेख/व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 834272.40 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्री मुजीब अहमद से रुपया 417136.20 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय से रुपया 417136.20 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 834272.40

प्रस्तर संख्या 32- ग्राम पंचायत-कांप फतेउल्लापुर की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 30.07 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं

अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 30.07 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय से 10.024 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री सर्वजीत वर्मा से रुपया 10.024 लाख, ग्राम प्रधान श्री मुजीब अहमद से रुपया 10.024 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रू० 30.07 लाख

14 - ग्राम पंचायत – सिलौटा विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 33- ग्राम पंचायत- सिलौटा की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 1120209.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणामस्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1120209.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है |

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1120209.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान विमला देवी से रुपया 560104.50एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय .से रुपया 560104.50वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 1120209.00

प्रस्तर संख्या 34- ग्राम पंचायत- सिलौटा .की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 1192517.32 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1192517.32का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के

अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1192517.32 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान विमला देवी से रुपया 596258.66 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय से रुपया 596258.66 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 1192517.32

प्रस्तर संख्या 35- ग्राम पंचायत-सिलौटा की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 29.69लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 29.69 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय से 9.90 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री प्रमोद कुमार से रुपया 9.90 लाख, ग्राम प्रधान विमला देवी से रुपया 9.90 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 29.69 लाख

15 - ग्राम पंचायत – रामपुरमहासिंह विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 36- ग्राम पंचायत- रामपुर महासिंह की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 486700.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए| जिसके परिणामस्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 486700.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम

पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 486700.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान सरस्वती से रुपया 243350.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय .से रुपया 243350.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 486700.00

प्रस्तर संख्या 37- ग्राम पंचायत- रामपुर महासिंह .की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 822091.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 822091.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 822091.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान सरस्वती से रुपया 411045.50 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय से रुपया 411045.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

यदि भविष्य में आपत्तियों के परिपालन में उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये जाते हैं तो प्रस्तुत प्रमाणकों को व्यापार कर विभाग व सम्बंधित फ़र्म से प्रमाणित करवाने के पश्चात ही परिपालन हेतु प्रस्तुत किया जाये |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 822091.00

प्रस्तर संख्या 38- ग्राम पंचायत-रामपुर महासिंह की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 59.92 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 59.92 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री ऋषभ पाण्डेय से 19.97 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री बाराती लाल से रुपया 19.97 लाख, ग्राम प्रधान सरस्वती से रुपया 19.97 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रू० 59.92 लाख

16 - ग्राम पंचायत –बरियारपुर विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 39- ग्राम पंचायत- बरियारपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त की कोश बही एक साथ तैयार की गई है जबकि नियमतः इन्हे अलग अलग तैयार किया जाना था । वित्तीय वर्ष -2021-22में राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त कीमद में सम्मिलित रूप से रु 1934405.00 धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है.। लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे -व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी अप्रस्तुत रहा । अस्तु प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1934405.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उपरोक्त आहृत धनराशि में से रु का व्यय इंडिया मार्का हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग पर दर्शाया गया है । शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा हैन्डपम्प रिबोर कराने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है । जिसके अनुसार रिबोरिंग का कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायतें द्वारा निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा -

1. हैन्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुवे हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य को सर्वप्रथम संतृप्त किया जाएगा ।
2. हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शतप्रतिशत किया जाएगा ।
3. प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुवे प्लान प्लस/एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आइ डी विकसित करते हुवे प्रिया सॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम ऐसेट पर रिबोर किए गए हैन्डपम्प की फोटो एवं जिओ टैगिन्ग अनिवार्यतः अंकित की जाएगी ।

उपरोक्त रु 404511.00 के भुगतान के संबंध में शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन किए जाने वाले कोई अभिलेख/व्ययप्रमाणक लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोई कार्य कराये रु 404511.00 का अपहरण हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग मद में कर लिया गया है।

शासनादेशसंख्या आर जी एस ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपीकी तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है 20000/- या इससे कमलागत के कई हैण्डपम्प कीएक ग्रुप आई डी बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है ऐसा किया गया है। लेकिन हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत कीमांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कियागया जिसकेअभाव मे यहजानकारी नहोसकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राबथे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्रीखरीद और मजदूरीकेलिए कियागया।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के

अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1934405.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान गरिमा यादव से रुपया 967202.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार .से रुपया 967202.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 1934405.00

प्रस्तर संख्या 40- ग्राम पंचायत-बरियारपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में निम्नवत अनियमितता पाई गई -

ग्राम पंचायत-बरियारपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 12.73 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 12.73 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से 4.24 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री अमर सिंह से रुपया 4.24 लाख, ग्राम प्रधान गरिमा यादव से रुपया 4.24 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 12.73 लाख

17 - ग्राम पंचायत –अगानपुर विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 41- ग्राम पंचायत- अगानपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त की कोश बही एक साथ तैयार की गई है जबकि नियमतः इन्हे अलग अलग तैयार किया जाना था । वित्तीय वर्ष -2021-22में राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त कीमद में सम्मिलित रूप से रु 1313416.00 धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है.। लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे -व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी अप्रस्तुत रहा । अस्तु प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1313416.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उपरोक्त आहृत धनराशि में से रु 192315.00 का व्यय इंडिया मार्का हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग पर दर्शाया गया है । शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा हैन्डपम्प रिबोर कराने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है । जिसके अनुसार रिबोरिंग का कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायतें द्वारा निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा -

1. हैन्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुवे हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य को सर्वप्रथम संतृप्त किया जाएगा ।
2. हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शतप्रतिशत किया जाएगा ।
3. प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुवे प्लान प्लस/एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आइ डी विकसित करते हुवे प्रिया सॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम ऐसेट पर रिबोर किए गए हैन्डपम्प की फोटो एवं जिओ टैगिन्ग अनिवार्यतः अंकित की जाएगी ।

उपरोक्त रु 192315.00के भुगतान के संबंध में शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन किए जाने वाले कोई अभिलेख/व्ययप्रमाणक लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोई कार्य कराये रु 192315.00 का अपहरण हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग मद में कर लिया गया है।

शासनादेशसंख्या आर जी एस ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपीकी तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है 20000/- या इससे कमलागत के कई हैण्डपम्प कीएक ग्रुप आई डी बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है ऐसा किया गया है। लेकिन हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत कीमांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कियागया जिसकेअभाव मे यहजानकारी नहोसकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राबथे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्रीखरीद और मजदूरीकेलिए कियागया।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1313416.00का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान अनीता से रुपया 656708.00एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार .से रुपया 656708.00वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 1313416.00

प्रस्तर संख्या 42- ग्राम पंचायत-अगानपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में निम्नवत अनियमितता पाई गई -

ग्राम पंचायत-अगानपुर की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 5.36 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं

अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 5.36 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से 1.787लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री विशंभर वर्मा से रुपया 1.787 लाख, ग्राम प्रधान अनीता से रुपया 1.787 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू॰ 5.36 लाख

18 - ग्राम पंचायत –तेलवारी विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 43- ग्राम पंचायत- तेलवारी की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त की कोश बही एक साथ तैयार की गई है जबकि नियमतः इन्हे अलग अलग तैयार किया जाना था । वित्तीय वर्ष -2021-22में राज्य वित्त) चतुर्थ/पंचम(एवं केन्द्रीय वित्त कीमद में सम्मिलित रूप से रु 1342736.40 धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है.। लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक, व्यय पत्रावली, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी अप्रस्तुत रहा । अस्तु प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1342736.40 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उपरोक्त आहृत धनराशि में से रु 281490.00का व्यय इंडिया मार्का हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग पर दर्शाया गया है । शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा हैन्डपम्प रिबोर कराने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है । जिसके अनुसार रिबोरिंग का कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायतें द्वारा निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा -

1. हैन्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुवे हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य को सर्वप्रथम संतृप्त किया जाएगा ।
2. हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शतप्रतिशत किया जाएगा ।
3. प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुवे प्लान प्लस/एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आइ डी विकसित करते हुवे प्रिया सॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम ऐसेट पर रिबोर किए गए हैन्डपम्प की फोटो एवं जिओ टैगिन्ग अनिवार्यतः अंकित की जाएगी ।

उपरोक्त रु 281490.00के भुगतान के संबंध में शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन किए जाने वाले कोई अभिलेख/व्ययप्रमाणक लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोई कार्य कराये रु 281490.00 का अपहरण हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग मद में कर लिया गया है।

शासनादेशसंख्या आर जी एस ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपीकी तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है 20000/- या इससे कमलागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई डी बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है ऐसा किया गया है। लेकिन हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत कीमांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे यहजानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राबथे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद और मजदूरी के लिए किया गया।

4. बॉउचर संख्या पंद्रहवाँ राज्य वित्त /2021-22/पी /11 दिनांक 20.02.2022 रु 49998.00 कि धनराशि जी एस टी सहित भुगतान मनरेगा मद से ईंट क्रय हेतु राइन ब्रिक फील्ड को किया गया है,जिसका जी.एस.टी नंबर है -09बीक्यूएक्सपीए7189एन 1ज़ेडपी है। जबकि इस फर्म का जी.एस.टी पंजीकरण कम्पोजिशन के अंतर्गत है और

ये किसी भी दर पर जी एस टी नहीं ले सकते है । इस प्रकार से किया गया भुगतान रु 49998.00 अपहरण प्रतीत होता है ।

5.

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1342736.40 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान शैलेन्द्र सिंह से रुपया 671368.20 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार.से रुपया 671368.20 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 1342736.40

प्रस्तर संख्या 44- ग्राम पंचायत-तेलवारी की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में निम्नवत अनियमितता पाई गई -

1. बिल संख्या 18 दिनांक 25.03.2021 रु 37632.00 कि धनराशि जी एस टी सहित भुगतान मनरेगा मद से सीमेंट क्रय हेतु सुभी ट्रैडर्स को किया गया है,जिसका जी.एस.टी नंबर है - 09डीएक्सआईपीएसआई001एम1ज़ेड9 है। जबकि इस फर्म का जी.एस.टी पंजीकरण कम्पोजिशन के अंतर्गत है और ये किसी भी दर पर जी एस टी नहीं ले सकते है । इस प्रकार से किया गया भुगतान रु 37632.00 अपहरण प्रतीत होता है ।
2. बिल संख्या 319 दिनांक 20.12.2021 रु 60480.00 कि धनराशि जी एस टी सहित भुगतान मनरेगा मद से ईंट क्रय हेतु श्री लोद्धेश्वर ब्रिक फील्ड को किया गया है,जिसका जी.एस.टी नंबर है -09ए डी QFS9595K1ZR है। जबकि इस फर्म का जी.एस.टी पंजीकरण कम्पोजिशन के अंतर्गत है और ये किसी भी दर पर जी एस टी नहीं ले सकते है । इस प्रकार से किया गया भुगतान रु 60480.00 अपहरण प्रतीत होता है ।

ग्राम पंचायत-तेलवारी की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 6.17 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 6.17 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से 2.056 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री सर्वजीत वर्मा से रुपया 2.056 लाख, ग्राम प्रधान शैलेन्द्र सिंह से रुपया 2.056 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 6.17 लाख

19 - ग्राम पंचायत –कुम्हरावाँ विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 45- ग्राम पंचायत- कुम्हरावां की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाते बाराबंकी से रुपया 917058.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणामस्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 917058.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उपरोक्त आहृत धनराशि में से रु 200244.00 का व्यय इंडिया मार्का हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग पर दर्शाया गया है । शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा हैन्डपम्प रिबोर कराने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है । जिसके अनुसार रिबोरिंग का कार्य कराने हेतु ग्राम पंचायतें द्वारा निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाएगा -

1. हैन्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची को आधार मानते हुवे हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य को सर्वप्रथम संतृप्त किया जाएगा ।
2. हैन्डपम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्ग निर्देशिका का अनुपालन शतप्रतिशत किया जाएगा ।
3. प्रत्येक रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुवे प्लान प्लस/एक्शन सॉफ्ट पर वर्क आइ डी विकसित करते हुवे प्रिया सॉफ्ट पर वित्तीय प्रगति एवं एम ऐसेट पर रिबोर किए गए हैन्डपम्प की फोटो एवं जिओ टैगिन्ग अनिवार्यतः अंकित की जाएगी ।

उपरोक्त रु 200244.00 के भुगतान के संबंध में शासनादेश संख्या -51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन किए जाने वाले कोई अभिलेख/व्ययप्रमाणक लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोई कार्य कराये रु 200244.00 का अपहरण हैन्डपम्प रिबोर/रिपेयरिंग मद में कर लिया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 917058.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश कुमार से रुपया 458529.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार यादव एवं श्री निखिल कुमार से उनके द्वारा आहरित धनराशि के अनुपात में रुपया 458529.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 917058.00

प्रस्तर संख्या 46- ग्राम पंचायत- कुम्हरावां .की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाते,बाराबंकी से रुपया 989839.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर,

अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 989839.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

दिनांक 25.05.2021 को रु 102310.00 उपहार ट्रैडर्स को तथा दिनांक रु 103202.00 का भुगतान दीक्षित ब्रिक फील्ड को किया गया है । ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/10-08-1586 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रु 100000.00 से अधिक व्यय कि स्थिति में निविदा प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है । लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार मांगे जाने के बाद भी संबंधित कार्मिक द्वारा निविदा संबंधी कोई अभिलेख/व्ययप्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 989839.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश कुमार से रुपया 494919.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री श्री अजय कुमार यादव एवं श्री निखिल कुमार से उनके द्वारा आहरित धनराशि के अनुपात में से रुपया 494919.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 989839.00

प्रस्तर संख्या 47- ग्राम पंचायत-कुम्हरावां की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 25.67 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 25.67 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री श्री अजय कुमार यादव एवं श्री निखिल कुमार से उनके कार्यकाल के अनुपात में से 8.56 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री बाराती लाल से रुपया 8.56 लाख, ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश कुमार से रुपया 8.56 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।**मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रू० 25.67 लाख**

20 - ग्राम पंचायत –उतखरा विकास खंड – रामनगर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 48- ग्राम पंचायत- उटखरा की वित्तीय वर्ष 2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 326573.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए| जिसके परिणामस्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 326573.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 326573.00 का अपहरण सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी से रुपया 163286.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी सुश्री आस्था सिंह से उनके द्वरा आहरित धनराशि के अनुसार रुपया 163286.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 326573.00

प्रस्तर संख्या 49- ग्राम पंचायत- उटखरा .की वित्तीय वर्ष -2021-22में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 86119.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है |लेखा परीक्षा में केवल कोशबही एवं बैंक पासबुक ही प्रस्तुत की गई |परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में अन्य अभिलेख जैसे- व्यय प्रमाणक ,व्यय पत्रावली ,वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय /तकनीकी /प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ,ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 86119.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है|

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 86119.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक,ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी से रुपया 43059.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी सुश्री आस्था सिंह से उनके द्वरा आहरित धनराशि के अनुसार से रुपया 43059.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 86119.00

प्रस्तर संख्या 50- भारत सरकार के निर्देश के क्रम में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी बाराबंकी द्वारा ऑडिट आनलाईन कार्यक्रम निर्धारित किया गया था । मनरेगा से संबंधित अनलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कतिपय गंभीर विसंगतियाँ सामने आयीं हैं,जो कि निम्नवत हैं-

क्रमांक	नाम ग्राम पंचायत	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि रु० में	भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म
1	उटखरा	950	01.08.2021	5000.00	लक्ष्मी माता एसएचजी
2	उटखरा	1101	10.08.2021	5000.00	लक्ष्मी माता एसएचजी
3	उटखरा	30	08.05.2020	147738.36	स्वास्तिक टाइल्स

1. क्रम संख्या 1 से 2 तक का भुगतान लक्ष्मी माता एसएचजी को किया गया है,जिसका जी. यस. टी. नंबर है - 09एएडीएएल 1504ए1ज़ेडबी है। उक्त फर्म का पंजीकरण दिनांक 10.05.2022 को कराया गया है जबकि उक्त विवरण के अनुसार फर्म के अस्तित्व में आने क पूर्व की तिथि में न केवल बिल लिया गया बल्कि भुगतान भी कर दिया गया,जो कि पूर्णतया नियमविरुद्ध है तथा शासकीय धन का अपहरण किया गया प्रतीत होता है ।
2. क्रम संख्या 3 पर अंकित विवरण के अनुसार 5962 पीस इंटरलॉकिंग ब्रिक/ब्लॉक का क्रय रु 24.78/पीस की दर से भुगतान किया गया है। उक्त क्रय मे इंटेरलॉकिंग ब्रिक/ब्लॉक का प्रति पीस किस दर पर भुगतान किया गया है तथा जी. यस. टी. का भुगतान किस दर से किया गया है स्पष्ट नहीं है।
3. फ़ीड किए गए बिल/वाउचर के लेखा परीक्षा में पाया गया कि क्रय की गई सामग्री पर किस दर से जी. यस. टी. लगाया गया है स्पष्ट नहीं है ,वसूले गए जी. यस. टी.को राजकीय कोष में जमा कराया भी गया है अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत-उटखरा की वित्तीय वर्ष -2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया 15.18 लाख व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक,डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है।आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 15.18 लाख की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी सुश्री आस्था वर्मा से उनके कार्यकाल के अनुपात में 5.60 लाख रुपया तकनीकी सहायक श्री प्रमोद कुमार से रुपया 5.60 लाख, ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी से रुपया 5.60 लाख किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रू० 15.18 लाख

21 - ग्राम पंचायत –नानमऊ विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 51- ग्राम पंचायत **नानमऊ** की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये **12341.00** नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2014 को रोकड़ हस्त रुपये 7250.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2015 को

घटकर रूपये 6207.00 एवं वित्तीय वर्ष 2015-2016 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2016 को बढ़कर रूपये 15400.00 हो गया।वर्ष 2019-2020 की समाप्ति तक यह धनराशि बढ़कर 27585.00 हो गई तथा पुनः वित्तीय वर्ष 2020-2021 में यह धनराशि घटकर 12341.00 हो गयी,तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० **12341.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु० **12341.00** की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 12341.00

22 - ग्राम पंचायत – शाहपुर विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 52- ग्राम पंचायत **शाहपुर** की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये **9435.00** था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ हस्त रुपये 9410.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2019 को बढ़कर रूपये 9435.00 हो गया तथा तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० **9435.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु० **9435.00** की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 9435.00

23 - ग्राम पंचायत – भगवानपुर विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 53- ग्राम पंचायत **भगवानपुर** की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये **6666.00** नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ हस्त रुपये 9000.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2016 को घटकर रूपये 8251.00 हो गया एवं वित्तीय वर्ष 2017 -2018 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2018 को घटकर रूपये 6666.00 हो गया तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० **6666.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु० **6666.00** की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 6666.00

24 - ग्राम पंचायत – सराय प्रसण्डा विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 54- ग्राम पंचायत सरायप्रसंडा की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 6829.16 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त मार्च 2021 से यथावत दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 6829.16 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 6829.16 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 6829.16

25 - ग्राम पंचायत – सहेलिया विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 55- ग्राम पंचायत सहेलिया की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 500050.00 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त मार्च 2019 से यथावत दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 500050.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 500050.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 500050.00

26 - ग्राम पंचायत – तेजवापुर विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 56- ग्राम पंचायत तेजवापुर की मनरेगा योजना (वर्ष 2021-2022) की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि " श्रीपति के घर से रमेश के घर तक इंटरलॉकिंग "कार्य हेतु श्री बाला जी इंटरप्राइजेज से निम्न प्रकार से सामग्री क्रय किया गया ;जिसका विवरण निम्न है :-

1.बिल न० -83 ,दिनांक 10/06/2021,मटेरियल लिस्ट न० 3148007-एमएल-74,वेंडर - श्री बाला जी इंटरप्राइजेज (टिन नंबर-ई ज़ेडएफपीके6482क्यू),क्रय सामग्री मूल्य रु०22985.535

2. बिल न० -85 ,दिनांक 10/06/2021,मटेरियल लिस्ट न० 3148007-एमएल-74,वेंडर - श्री बाला जी इंटरप्राइजेज (टिन नंबर-ई ज़ेडएफपीके6482क्यू), क्रय सामग्री मूल्य रु०6021.75

3. बिल न० -86 ,दिनांक 10/06/2021,मटेरियल लिस्ट न० 3148007-एमएल-74,वेंडर - श्री बाला जी इंटरप्राइजेज (टिन नंबर-ई ज़ेडएफपीके6482क्यू), क्रय सामग्री मूल्य रु०38680.40

ऑडिट ऑनलाइन जांच में वाउचर डिटेल में दर्शित श्री बाला जी इंटरप्राइजेज का टिन नंबर-ई ज़ेडएफपीके6482क्यू अवैध पाया गया |जिसके कारण खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी | क्रय हेतु प्राप्त किये गए उपरोक्त अवैध टिन नंबर वाले बिल को लेखा परीक्षा में अमान्य पाया गया जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुएल के अध्याय 8 खण्ड 8 (ख) के अंतर्गत वसूली योग्य है |

अवैध बिल से सामग्री क्रय कुल मूल्य रु०67687.685 (22985.535+6021.75+38680.40)की वसूली सम्बंधित तकनीकी सहायक ,ग्राम प्रधान,ग्राम सचिव,खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से सामान रूप से क्यों न की जाये ;इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत 60 दिवस के अंदर अपेछित है | स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में उक्त धनराशि रु०67687.685 की वसूली सामान रूप से सम्बंधित तकनीकी सहायक ,ग्राम प्रधान,ग्राम सचिव,खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से की जानी अपेछित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रू० 67687.685

27 - ग्राम पंचायत – टिकराघाट विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 57- ग्राम पंचायत टिकराघाट की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 11625.00 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की

कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त वित्तीय वर्ष अप्रैल 2018 से यथावत दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 11625.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 11625.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रू० 11625.00

28 - ग्राम पंचायत – टिकराउस्मा विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 58- ग्राम पंचायत टिकरा उस्मा की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 33843.00 था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ हस्त रुपये 5045.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2016 को बढ़कर रूपये 33843.00 हो गया तथा तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 33843.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 33843.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 27 धनराशि रू० 33843.00

29 - ग्राम पंचायत – मोहना विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 59- ग्राम पंचायत **मोहना** की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये **67513.00** नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2014 को रोकड़ हस्त रुपये 10000.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2015 को बढ़कर रूपये 67440.00 हो गया तथा वित्तीय वर्ष 2015-2016 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2016 को बढ़कर रूपये 67513.00 हो गया तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० **67513.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० **67513.00** की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 27 धनराशि रू० 67513.00

30 - ग्राम पंचायत – बादीपुर विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 60- ग्राम पंचायत **बादीपुर** की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये **10702.00** नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त वित्तीय वर्ष 2018-2019 से यथावत दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० **10702.00** को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० **10702.00** की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।**मूल आपत्ति संख्या 28 धनराशि रू० 10702.00**

31 - ग्राम पंचायत – तमरसेपुर विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 61- ग्राम पंचायत तमरसेपुर की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 3257.40 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2019 को रोकड़ हस्त रुपये 6681.40 था जो कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2020 को घटकर रूपये 3257.40 हो गया तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 3257.40 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 3257.40 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 19 धनराशि रू० 3257.40

32 - ग्राम पंचायत – लक्ष्मनपुर विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 62- ग्राम पंचायत लछ्मनपुर की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 8673.00 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त वित्तीय वर्ष मार्च 2020 से यथावत दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 8673.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 8673.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 19 धनराशि रू० 8673.00

प्रस्तर संख्या 63- ग्राम पंचायत लछ्मनपुर की मनरेगा योजना (वर्ष 2021-2022) की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि " ज्ञानेंद्र के हाता से सियाराम के घर तक इंटरलॉकिंग "कार्य हेतु रु०5000.00 का डिस्प्ले बोर्ड ख़रीदा गया ;जिसका विवरण निम्न है :-

बिल न० -25 ,दिनांक 10/05/2021,मटेरियल लिस्ट न० 3148007-एमएल-91,वेंडर -तिरंगा महिला स्वयं सहायता समूह |

ऑडिट ऑनलाइन जांच में वाउचर डिटेल में दर्शित टिन न० एक्सएफई2459956 अवैध पाया गया |जिसके कारण खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी | क्रय हेतु प्राप्त किये गए उपरोक्त अवैध टिन नंबर वाले बिल को लेखा परीक्षा में अमान्य पाया गया जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुएल के अध्याय 8 खण्ड 8 (ख) के अंतर्गत वसूली योग्य है |

अवैध बिल से सामग्री क्रय (डिस्प्ले बोर्ड) कुल मूल्य रु० 5000.00 की वसूली सम्बंधित तकनीकी सहायक ,ग्राम प्रधान,ग्राम सचिव,खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से सामान रूप से क्यों न की जाये ;इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत 60 दिवस के अंदर अपेछित है | स्पष्टीकरण अप्राप्त होने की स्थिति में अथवा स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में उक्त धनराशि रु० 5000.00 की वसूली सामान रूप से सम्बंधित तकनीकी सहायक ,ग्राम प्रधान,ग्राम **सचिव,खण्ड विकास अधिकारी व लेखाकार से की जानी अपेछित है |**

मूल आपत्ति संख्या 22 धनराशि रू० 5000.00

33 - ग्राम पंचायत – हरख विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 64- ग्राम पंचायत हरख की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 23911.00 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2014 को रोकड़ हस्त रुपये 18800.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2015 को बढ़कर रूपये 23888.00 एवं वित्तीय वर्ष 2015-2016 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2016 को बढ़कर रूपये 23911.00 हो गया तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 23911.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 23911.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है

मूल आपत्ति संख्या 19 धनराशि रू० 23911.00

34 - ग्राम पंचायत – नरौली विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 65- ग्राम पंचायत नरौली की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 113590.00 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2020 को रोकड़ हस्त रुपये 113590.00 अवशेष था तभी से उक्त अवशेष रोकड़ हस्त यथावत दर्शित किया जा रहा है।जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 113590.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 113590.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 2 धनराशि रू० 113590.00

35 - ग्राम पंचायत – टिकरामुर्तजा विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 66- ग्राम पंचायत टिकरामुर्तजा की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 21769.94 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2014 को रोकड़ हस्त रुपये 23990.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2015 को बढ़कर रूपये 21769.94 हो गया तभी से उक्त अवशेष रोकड़ हस्त यथावत दर्शित किया जा रहा है।जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 21769.94 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 21769.94 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 3 धनराशि रू० 21769.94

36 - ग्राम पंचायत – अब्दुल्लापुर विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 67- ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 16459.00 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल

कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ हस्त रुपये 3222.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2016 को बढ़कर रूपये 3257.00 एवं वित्तीय वर्ष 2016-2017 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2017 को बढ़कर रूपये 16459.00 हो गया तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 16459.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 16459.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 2 धनराशि रू० 16459.00

37 - ग्राम पंचायत – बरौली मलिक विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 68- ग्राम पंचायत बरौली मलिक की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 33977.00 था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ हस्त रुपये 29132.00.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2016 को बढ़कर रूपये 33977.00 हो गया तथा तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 33977.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 33977.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 1 धनराशि रू० 33977.00

38 - ग्राम पंचायत – मौथरी विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 69- ग्राम पंचायत मौथरी की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 1495.00 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त वित्तीय वर्ष मार्च 2018 से यथावत दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 1495.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 1495.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 4 धनराशि रू० 1495.00

39 - ग्राम पंचायत – टेसुवासलेम चक विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 70- ग्राम पंचायत टेसुआ सलेमचक की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 45500.00 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त वित्तीय वर्ष मार्च 2019 से यथावत दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 45500.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 45500.00 की वसूली/

विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 2 धनराशि रू० 45500.00

40 - ग्राम पंचायत –आलमपुर गयासपुर विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 71- ग्राम पंचायत आलमपुर गयासपुर की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 9907.00 था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ हस्त रुपये 9796.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2016 को बढ़कर रूपये 9907.00 हो गया तथा तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 9907.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 9907.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 2 धनराशि रू० 9907.00

41 - ग्राम पंचायत –चंदौली विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 72- ग्राम पंचायत चंदौली की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 12000.00 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त वित्तीय वर्ष मार्च 2019 से यथावत दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 12000.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 12000.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 2 धनराशि रू० 12000.00

42 - ग्राम पंचायत – पनिहल विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 73- ग्राम पंचायत पनिहल की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 2416.00 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त वित्तीय वर्ष मार्च 2020 से यथावत दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 2416.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 2416.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 3 धनराशि रू० 2416.00

43 - ग्राम पंचायत – सेठमऊ विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 74- ग्राम पंचायत सेठमऊ की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 34176.00 था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ हस्त

रुपये 34126.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2019 को बढ़कर रूपये 34176.00 हो गया तथा तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 34176.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 34176.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 4 धनराशि रू० 34176.00

44 - ग्राम पंचायत – गुलरिहा विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 75- ग्राम पंचायत गुलरिहा की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 23901.44 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकड़ हस्त वित्तीय वर्ष मार्च 2019 से यथावत दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 23901.44 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 23901.44 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 3 धनराशि रू० 23901.44

45 - ग्राम पंचायत – गोठिया विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 76- ग्राम पंचायत गोठिया की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 40253.00 था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ हस्त रुपये 40250.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2018 को बढ़कर रूपये 40253.00 हो गया तथा तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 40253.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 40253.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 2 धनराशि रू० 40253.00

46 - ग्राम पंचायत – डेहुवा विकास खंड – हरख जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 77- ग्राम पंचायत डेहुवा की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रिया साफ्ट में अंकित कोश बही (वर्ष 2021-2022) के प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2021) में रोकड़ हस्त रुपये 3856.00 नकद अवशेष था, जोकि मार्च 2022 तक यथावत रहा।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोष बही(वर्ष 2021-2022) में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण नहीं दर्ज है। प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2015 को रोकड़ हस्त रुपये 5000.00 था जो कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2016 को बढ़कर रूपये 8916.00 हो गया एवं वित्तीय वर्ष 2020-2021 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2021 को घटकर रूपये 3856.00 हो गया तभी से उक्त रोकड़ हस्त अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 3856.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 3856.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 3 धनराशि रू० 3856.00

47 - ग्राम पंचायत – हँसौर विकास खंड – पूरेडलई जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 78- ग्राम पंचायत हँसौर की लेखा परीक्षा (वर्ष 2021-2022) में प्रिया साफ्ट के अनुसार रु० 1586620.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरुप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। चूंकि बैंक पासबुक/ बैंक स्टेटमेण्ट में भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा अतः वर्ष की आय भी अप्रमाणित रही। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु० 1586620.00 का अपहरण कर लिया गया है उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152,153,154,155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है। उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु०1586620.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा संयुक्त रुप से कर लिया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखापरीक्षा में न प्रस्तुत करना गंभीर अनुशासनहीनता को दर्शाता है एवं धन के अपहरण की संभावना को बल प्रदान करता है । अतः प्रधान श्री कन्हैया लाल से रु. 793310.00 ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी चंद्रशेखर वर्मा से रु. 793310.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 5 धनराशि रु०1586620.00

48 - ग्राम पंचायत – मुरारपुर विकास खंड – दरियाबाद जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 79- ग्राम पंचायत मुरारपुर में लेखापरीक्षा वर्ष (2021-22) में ग्राम निधि-1 (e-grए n swए rए j) के अनुसार खाते से रु0 1831444.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 1831444.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152. 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है तथा क्रय दर्शायी गयी सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गयी है।

उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 1831444.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।
अतः रू० 915722.00 /- ग्राम प्रधान श्री राम शरण वर्मा एवं रू० 915722.00 /- ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सालिक राम वर्मा से वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूल आपत्ति संख्या 1 धनराशि रु० 1831444.00

49 - ग्राम पंचायत – लालगंज विकास खंड – दरियाबाद जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 80- ग्राम पंचायत लालगंज में लेखापरीक्षा वर्ष (2021-22) में e-grए n swए rए j के अनुसार खाते से रु0 1277408.00 धन आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही सहित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी की दुरभिसन्धि से रु0 1277408.00 का अपहरण कर लिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार पंचायत राज नियमावली के अध्याय 8 के नियम संख्या 152. 153, 154, 155 एवं 156 के प्राविधानों का उल्लंघन भी वर्ष में दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में किया गया है तथा क्रय दर्शायी गयी सामग्री की प्रविष्टि भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गयी है।
उक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 1277408.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।
अतः रू० 638704.00 /- ग्राम प्रधान श्री अमरेश कुमार एवं रू० 638704.00 /- ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री सालिक राम वर्मा से वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 1 धनराशि रु० 1277408.00

50 - ग्राम पंचायत – सुरजनपुर विकास खंड – सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 81- ग्राम पंचायत सुरजनपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि रुपये 12960.00 की धनराशि आहरीत कर धन का व्यय हाँड़पम्प मरम्मत कार्य में दर्शाया गया है। जिससे संबंधित व्यय प्रमाणक ,उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। बिना अभिलेख के एवं बिना प्रमाणक के धन का व्यय दर्शाना धन का शीधा-सीधा अपहरण किया जाना है। दर्शाया गया यह हैंडपम्प कार्य कौन कहाँ पर किया गया था, और कितने हँडपम्प मरम्मत किए गए, लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं कराया जा सका। इस व्यय से संबंधित ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क खंड 7 के अनुसार "ग्रामप्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी "उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2)(क से इ.) के अन्तर्गत यह अधिभार योग्य है। अतः काल्पनिक ढंग से किए गए दर्शित व्यय रु0 12960.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती बेबी सिंह और तत्कालीन सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूली तिथि तक नियमानुसार व्याज लगाकर कर समस्त आगणित धनराशि उत्तरदायी व्यक्तियों से आधी-आधी रु0 6480.00 प्रधान श्रीमती बेबी सिंह से एवं 6480.00 सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूल कर शीघ्र निर्धारित मद में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 15 धनराशि रु० 12960.00

प्रस्तर संख्या 82- ग्राम पंचायत सुरजनपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि रुपये 43750.00 की धनराशि आहरित कर उक्त धन का व्यय प्रशासनिक मद में दर्शाया गया है। जिससे संबंधित व्यय प्रमाणक ,उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। बिना अभिलेख के एवं बिना प्रमाणक के धन का व्यय दर्शाना धन का शीधा-सीधा अपहरण किया जाना है। दर्शाया गया यह धन के सापेक्ष व्यय का उपभोग लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं कराया जा सका। इस व्यय से संबंधित ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क खंड 7 के अनुसार "ग्रामप्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी "उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2)(क से ड़.) के अन्तर्गत यह अधिभार योग्य है। अतः काल्पनिक ढंग से किए गए दर्शित व्यय रु0 43750.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती बेबी सिंह और तत्कालीन सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूली तिथि तक नियमानुसार व्याज लगाकर कर समस्त आगणित धनराशि उत्तरदायी व्यक्तियों से आधी-आधी रु0 21875.00 प्रधान श्रीमती बेबी सिंह से एवं 21875.00 सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूल कर शीघ्र राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 16 धनराशि रु० 43750.00

प्रस्तर संख्या 83- ग्राम पंचायत सुरजनपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि रुपये 21950.00 की धनराशि आहरीत कर उक्त धन का व्यय ठेलिया क्रय एवं साफ-सफाई के कार्य में दर्शाया गया है। जिससे संबंधित व्यय प्रमाणक ,उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। बिना अभिलेख के एवं बिना प्रमाणक के धन का व्यय दर्शाना धन का शीधा-सीधा अपहरण किया जाना है। दर्शाया गया यह धन के सापेक्ष व्यय का उपभोग लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं कराया जा सका। इस व्यय से संबंधित ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क खंड 7 के अनुसार "ग्रामप्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी "उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2)(क से ड़.) के अन्तर्गत यह अधिभार योग्य है। अतः काल्पनिक ढंग से किए गए दर्शित व्यय रु0 21950.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती बेबी सिंह और तत्कालीन सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूली तिथि तक नियमानुसार व्याज लगाकर कर समस्त आगणित धनराशि उत्तरदायी व्यक्तियों से आधी-आधी रु0 10975.00 प्रधान श्रीमती बेबी सिंह से एवं 10975.00 सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूल कर शीघ्र राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 17 धनराशि रु० 21950.00

51 - ग्राम पंचायत – अमेरा विकास खंड – सूरतगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 84- लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आलोच्य वर्ष मे कैश बुक मे अंकित निम्न तिथियों मे हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर निम्न व्यय दर्शाये गए थे-

क्रमांक	दिनांक	मद	विवरण	धनराशि
1	15.04.2021	ग्राम निधि	हैंडपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	12960.00
2	09.07.2021	ग्राम निधि	हैंडपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	28370.00
3	22.07.2021	केन्द्रीय वित्त	हैंडपम्प मरम्मत हेतु भुगतान	38800.00
		योग		80130.00

उपरोक्त हैंडपम्प मरम्मत के नाम पर ग्राम निधि एक से रू० 41330.00 तथा केन्द्रीय वित्त से रू० 38800.00 कुल रू० 80130.00 का व्यय दर्शाकर धन आहरित किया गया | उक्त व्यय हेतु ग्राम पंचायत अमेरा मे हैंडपम्प मरम्मत कहाँ पर लगे थे, क्या खराबी थी, और उसमे क्या - क्या सामग्री बदल लार लगानी पड़ी, यह हैंडपम्प कितने पुराने थे इसकी जानकारी नहीं हो सकी | उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, तथा उपभोग प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहे | व्यय प्रमाणकों के अभाव मे यह स्पष्ट होता है कि हैंडपंप मरम्मत के नाम पर रू० 80130.00 ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा आहरित करके अपहरण कर लिया गया जिसकी नियमानुसार आधी -2 वसूली ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से की जाने अपेक्षित है | अतः रु0 40065.00 प्रधान श्री गेंदा लाल से एवं 40065.00 सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 1 धनराशि रु० 80130.00

प्रस्तर संख्या 85- लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आलोच्य वर्ष मे कैश बुक मे अंकित निम्न तिथियों मे ह्यूम पाइप खरीद के नाम पर निम्न व्यय दर्शाये गए थे-

क्रमांक	दिनांक	मद	विवरण	धनराशि
1	22.04.2021	ग्राम निधि	ह्यूम पाइप खरीद	127600.00
2	22.04.2021	ग्राम निधि	ह्यूम पाइप खरीद	44200.00
3	12.07.2021	केन्द्रीय वित्त	ह्यूम पाइप खरीद	148050.00
4	17.07.2021	केन्द्रीय वित्त	ह्यूम पाइप खरीद	43750.00
		योग		363600.00

उपरोक्त विवरण मे ग्राम निधि एक से ह्यूम पाइप क्रय के नाम पर रू० 171800.00 तथा केन्द्रीय वित्त से रू० 191800.00 कुल रू० 363600.00 का व्यय दर्शाकर धन की निकासी की गयी | कहीं पर यह नहीं दर्शाया गया कि कुल कितने ह्यूम पाइप क्रय किए गए, और इनका टेंडर आदि, व्यय प्रमाणक, ह्यूम पाइप डलवाई पर मजदूरी व्यय, कार्य की स्वीकृति तथा उपभोग प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहे | अतः प्रमाणक विहीन होने के कारण ह्यूम पाइप क्रय नाम पर रू० 363600.00 का व्यय काल्पनिक एवं फर्जी है | जिसकी नियमानुसार आधी -2 वसूली ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से की जाने अपेक्षित है | अतः रु0 181800.00 प्रधान श्री गेंदा लाल से एवं 181800.00 सचिव श्री अमन श्रीवास्तव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 2 धनराशि रु० 363600.00

प्रस्तर संख्या 86- लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि दिनांक 07.05.2021 को कैश बुक मे प्राथमिक विद्यालय मे टाइल्स स्थापना पर रुपए 13356.00 का व्यय दर्शाया गया है उक्त व्यय वसे संबंधित टाइल्स क्रय के वाउचर लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं कराए गए | टाइल्स स्थापना के नाम पर उक्त कार्य पर मजदूरी पर भी व्यय हुआ होगा इसका कहीं विवरण नहीं दिया गया है | उक्त टाइल्स प्राथमिक विद्यालय में कितने वर्ग फुट में लगाए गए हैं इसका भी विवरण अप्राप्त रहा | संबंधित कार्य योजना, कार्य उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं कराए गए जिससे उक्त धन रुपए 13356.00 का व्यय पूर्णतया फर्जी और काल्पनिक है | अतः उक्त धन की वसूली सचिव श्री यमन श्रीवास्तव से रुपए 6678.00 और प्रधान श्री गेंदालाल से रुपए 6678.00 दोनों से समान रूप से नियमानुसार अद्यतन तिथि तक ब्याज सहित वसूलकर समस्त धनराशि शीघ्र निर्धारित मद मे जमा कराया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 3 धनराशि रु० 13356.00

52 - ग्राम पंचायत – नैनामऊ विकास खंड – मसौली जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 87- ग्राम पंचायत नैनामऊ की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया की ई-ग्रामस्वरोजगार में अंकित कोशबही (वर्ष 2021-22) के प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 06 मार्च 2021 से रोकड़ हस्त रु० 59800.00 नकद अवशेष था, जो की 31 मार्च 2022 तक यथावत रहा। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोशबही वर्ष 2021-22 में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण दर्ज नहीं है। तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से पूछने पर अवगत कराया गया है की ये इंट्री तकनीकी त्रुटि है जिसे ठीक करने का प्रयास किया

गया किन्तु यह धनराशि अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रारम्भिक शेष में यथावत प्रदर्शित हो रहा है। जिसका निस्तारण तकनीकी रूप से किया जाना अपेक्षित है। उक्त रोकड़ हस्त दर्शित अवशेष धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 59800.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 29900.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान नैयम खुरेशी व तत्कालीन ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री कृष्ण कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 16 धनराशि रु० 59800.00

53 - ग्राम पंचायत – इचौलिया विकास खंड – मसौली जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 88- ग्राम पंचायत इचौलिया की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ई-ग्राम स्वराज (प्रिया साफ्ट) की वेब साइटे में अंकित कोश बही (वर्ष 2015 -16) से 31 मार्च 2022 तक रोकढ़ हस्त रुपये 6018.00 प्रधान के पास नकद अवशेष था , प्रिया साफ्ट में अंकित पूर्व वर्षों की कोश बही को देखने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त रोकढ़ हस्त रुपये 6018.00प्रधान के पास अवशेष दर्शित किया जा रहा है। जो की धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु0 6018.00को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा रु0 6018.00की उत्तरदायी व्यक्ति तत्कालीन ग्राम प्रधान-श्री विनोद वर्मा एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी- श्री कमलेश कुमार वर्मा से वसूली की अपेक्षा की जाती है।

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 6018.00

54 - ग्राम पंचायत – न्यामतपुर विकास खंड – मसौली जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 89- ग्राम पंचायत न्यामत पुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया की ई-ग्रामस्वरोजगार में अंकित कोशबही (वर्ष 2021-22) के प्रारम्भिक अवशेष वर्ष 2015-16 से रोकड़ हस्त रु० 3000.00 नकद अवशेष था, जो की 31 मार्च 2022 तक यथावत रहा। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैनुअल कोशबही वर्ष 2021-22 में अवशेष रोकड़ हस्त का विवरण दर्ज नहीं है। तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से पूछने पर अवगत कराया गया है की ये इंट्री तकनीकी त्रुटि है जिसे ठीक करने का प्रयास किया गया किन्तु यह धनराशि अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रारम्भिक शेष में यथावत प्रदर्शित हो रहा है। जिसका निस्तारण तकनीकी रूप से किया जाना अपेक्षित है। उक्त रोकड़ हस्त दर्शित अवशेष धन का अपहरण है।

अतः उक्त रु० 3000.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हए एतद् द्वारा रु० 1500.00 की वसूली/ विभागीय कार्यवाही समान रुप से तत्कालीन ग्राम प्रधान ननकऊ व तत्कालीन ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री प्रेम चंद्र मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 15 धनराशि रु० 3000.00

55 - ग्राम पंचायत – पल्हरी विकास खंड – मसौली जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 90- हैण्डपम्प मरम्मत के नाम पर प्रमाणक विहिन व्यय दर्शाकर रू0 108900.00 का सम्भावित व्ययहरण/अपहरण

क्रम सं0	कार्य का नाम	भुगतान का दिनांक	धनराशि	सस्था जिसे भुगतान किया गया
1	हैन्डपम्प मरम्मत (सामग्री भुगतान)	14.09.2021	19550.00	हिन्दुस्तान हाईवेयर एन्ड पाइप
2	हैन्डपम्प मरम्मत (सामग्री भुगतान)	14.09.2021	19450.00	हिन्दुस्तान हाईवेयर एन्ड पाइप
3	हैन्डपम्प मरम्मत (सामग्री भुगतान)	14.09.2021	19550.00	हिन्दुस्तान हाईवेयर एन्ड पाइप
4	हैन्डपम्प मरम्मत (मजदूरी भुगतान)	14.09.2021	5250.00	कमाल अहमद
5	हैन्डपम्प मरम्मत (मजदूरी भुगतान)	14.09.2021	6300.00	फैज
6	हैन्डपम्प मरम्मत (मजदूरी भुगतान)	14.09.2021	4200.00	रामप्रसाद

7	हैन्डपम्प मरम्मत (ठेलिया क्रय)	14.09.2021	16800.00	भारत साइकिल कम्पनी
8	हैन्डपम्प मरम्मत (मजदूरी भुगतान)	14.09.2021	6300.00	बालगोविन्द
9	हैन्डपम्प मरम्मत (मजदूरी भुगतान)	14.09.2021	5250.00	प्रमोद कुमार
10	हैन्डपम्प मरम्मत (मजदूरी भुगतान)	14.09.2021	6300.00	फुल्लीराम
		योग	108900.00	

उक्त कराये गये हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित आपत्तियॉ पायी गयी।

1. उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित कोई बिल वाउचर/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये जा सके जिसके कारण मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री क्रय तथा मजदूरी भुगतान के क्रम में कुल रू0 108900-00 की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार वाउचर विहीन किया गया उक्त व्यय पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 256(2) के उपनियम 1क में निनिदिष्ट विषिटियो के अनुसार पंचायती राज विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है। जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि दर्शित व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली प्रधान एवं ग्राम पचायत सचिव से बराबर मात्रा में की जायेगी तथा साथ ही डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के अनुसार गबन के मामले में सक्षम न्यायलय में मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

2. उपरोक्त मरम्मत से सम्बन्धित कोई भी प्राकलन जे0ई0एम0आई0 द्वारा नही तैयार कराया गया था जो पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 154 का उल्लंधन है।

3. उक्त कराये गये कार्यों की माप-पुस्तिका भी नही तैयार करायी गयी थी जिसके कारण कार्य वास्तव में कराये गये था नही की पुष्टि नही की जा सकी।

4. उक्त कराये गये कार्यों का कोई कार्यपूर्ति सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से नही तैयार कराया गया जिसके कारण उक्त कार्यों के सम्भव होने की पुष्टि नही हो सकी।

5. हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित ग्राम सभा के निवासियों, लाभार्थियों की मॉग पत्र तथा जे0ई0एम0आई0 द्वारा की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट एवं जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। इस प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत के नाम पर व्यय धनराशि 108900-00 की पुष्टि नही हो सकी, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान सरवरी से रू0 54450.00 एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रगति श्रीवास्तव से रू0 54450.00 जानी वसूली किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 15 धनराशि रु० 108900-00

प्रस्तर संख्या 91- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत पल्हरी में हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु हिन्दुस्तान हार्डवेयर एन्ड पाइप को दिनांक 18.10.2022 में रू0 183935-00 का भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित पाया गया। कार्य के सापेक्ष कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्य स्वीकृति एवं उनके उपभोग प्रमाण-पत्र, लाभार्थी द्वारा मांग पत्र, उपभोग स्थल की सूची तथा क्रय सामग्री के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/वाउचर के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नहीं होती। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि 183935-00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान सरवरी से रु० 91967.50 एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रगति श्रीवास्तव से रु० 91967.50 की समान रूप से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 16 धनराशि रु० 183935-00

प्रस्तर संख्या 92- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत पल्हरी में कैलाश के घर से शम्भू के घर तक नाली निर्माण एवं इंटेरलाकिग कार्य हेतु निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित पाया गया है-

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1		97739.00	शगुन इन्टरलॉकिंग टाइल्स उधोग को इट क्रय
2	22.09.2021	59023.00	किशोर ट्रेडर्स को मौरंग बालू
3	22.09.2021	62950.00	सिद्दकी भट्टा व्यापार को इट क्रय हेतु

4	22.09.2021	1836.00	सलमान (मजदूरी भुगतान)
5	22.09.2021	4800.00	त्रिभुवन सिंह (मजदूरी भुगतान)
6	22.09.2021	1836.00	कमाल अहमन (मजदूरी भुगतान)
7	22.09.2021	1836.00	मदनलाल (मजदूरी भुगतान)
8	22.09.2021	1836.00	प्रमोद कुमार (मजदूरी भुगतान)
9	22.09.2021	1836.00	फुल्लीराम (मजदूरी भुगतान)
10	22.09.2021	2040.00	फ़ैज़ (मजदूरी भुगतान)
11	22.09.2021	2040.00	बालगोविंद (मजदूरी भुगतान)
12	22.09.2021	4800.00	विमल कुमार (मजदूरी भुगतान)
13	22.09.2021	4800.00	राम प्रसाद (मजदूरी भुगतान)
	योग	247372.00	

अतः ग्राम पंचायत पल्हरी में नाली निर्माण एवं इन्टरलॉकिंग कार्य हेतु कुल रु0 247372.00 का व्यय कोशबही एवं प्रिया साफ्ट में दर्शित पाया गया। व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक/ वाउचर्स एवं समस्त वांछित अभिलेख जैसे- स्टीमेट, मस्टर रोल, स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, निर्माण कार्य रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न थे। साथ ही नाली निर्माण कार्य की वास्तविक दूरी (मीटर में) का विवरण अज्ञात रहा। जिससे कार्य में लागत सामग्री का वास्तविक अनुमान लगाया जाना सम्भव न रहा। उपरोक्त के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक/अभिलेख विहीन दर्शित व्यय का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान सरवरी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रगति श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया। जिसकी सम्बन्धित प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्तियों से रु० 123686.00 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 17 धनराशि रु० 247372.00

प्रस्तर संख्या 93- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत पल्हरी में प्रकाश के घर से अजय के घर, नेवल के घर तक नाली निर्माण एवं इंटेरलाकिग कार्य हेतु निमम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित पाया गया है-

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	1.	53827.00	महक मुस्कान ब्रिक फील्ड
2	22.09.2021	58882.00	किशोर ट्रेडर्स को मौरंग, बालू क्रय
3	22.09.2021	85408.00	आयुष्मान इण्डस्ट्रीज
4	22.09.2021	1632.00	मदनलाल
5	22.09.2021	4320.00	रामप्रसाद
6	22.09.2021	1632.00	प्रमोद कुमार
7	22.09.2021	3840.00	विमल कुमार
8	22.09.2021	2040.00	फुल्लीराम
9	22.09.2021	4320.00	त्रिभुवन सिंह
10	22.09.2021	2040.00	बालगोविन्द
11	22.09.2021	1632.00	मो0 सलमान
12	22.09.2021	1632.00	कमाल अहमद
13	22.09.2021	2040.00	फैज
	योग	223245.00	

अतः ग्राम पंचायत पल्हरी में नाली निर्माण एवं इंटेरलाकिग कार्य हेतु कुल रु0 223245-00 का व्यय कोशबही एवं प्रिया साफ्ट में दर्शित पाया गया। व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक/ वाउचर्स एवं समस्त वांछित अभिलेख जैसे- स्टीमेट, मस्टर रोल, स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र,

निर्माण कार्य रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध न थे। साथ ही नाली निर्माण कार्य की वास्तविक दूरी (मीटर में) का विवरण अज्ञात रहा। जिससे कार्य में लागत सामग्री का वास्तविक अनुमान लगाया जाना सम्भव न रहा। उपरोक्त के अभाव में व्यय अपुष्ट रहा। अतः प्रमाणक/अभिलेख विहीन दर्शित व्यय का अपहरण सम्बन्धित ग्राम प्रधान सरवरी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रगति श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया। जिसकी सम्बन्धित प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्तियों से रु० 111622.50 की वसूली समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 18 धनराशि रु० 223245.00

प्रस्तर संख्या 94- आलोच्य वित्तीय वर्ष 2021.22 में ग्राम पंचायत पल्हरी में कम्पूटर क्रय हेतु दिनांक 25.11.2021 को इन्फोटेक टेक्नोलाजी को रू0 60000.00 का भुगतान किया गया जिसके व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। वाउचर प्रस्तुत न करने के अभाव में उक्त धनराशि के भुगतान की पुष्टि नही कि जा सकी। अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर धनराशि 60000.00 का अपहरण किया गया। जिसके लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान सरवरी से रु० 30000.00 एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रगति श्रीवास्तव से रु० 30000.00 की समान रूप से वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 19 धनराशि रु० 60000.00

56 - ग्राम पंचायत – मीरापुर विकास खंड – सिद्धौर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 95- ग्राम पंचायत- मीरापुर की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय दिनांक 14.02.2022 से 24.02.2022 तक कराये गए का कार्य सरायमीर पेन्ट रोड से राजेन्द्र मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य में रू0 कुल रू0 22032 .00 व्यय दर्शित है उक्त व्यय के सापेक्ष में कोई भी ऑफ़लाइन अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 22032 .00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 22032.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री संतोष कुमार से रुपया 7344.00, ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री श्री अनिल कुमार सिंह से रुपया 7344.00, एवं तत्कालीन तकनीकी सहायक से रुपया 7344.00, की वसूली किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 20 धनराशि रु० 22032.00

प्रस्तर संख्या 96- ग्राम पंचायत- मीरापुर की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय दिनांक 10.03.2022 से 19.03.2022 तक कराये गए का कार्य वहीदुल के घर से मस्जिद तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य में रू0 कुल रू0 12852.00 व्यय दर्शित है उक्त व्यय के सापेक्ष में कोई भी ऑफ़लाइन अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 12852.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-

101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 12852.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री संतोष कुमार से रुपया 4284.00, ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह से रुपया 4284.00, एवं तत्कालीन तकनीकी सहायक से रुपया 4284.00, की वसूली किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 21 धनराशि रु० 12852.00

प्रस्तर संख्या 97- ग्राम पंचायत- मीरापुर की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय दिनांक 21.03.2022 से 27.03.2022 तक कराये गए का कार्य नूर मोहम्मद के घर से पेन्ट रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य में रू0 कुल रू0 29580.00 व्यय दर्शित है उक्त व्यय के सापेक्ष में कोई भी ऑफ़लाइन अभिलेख/पत्रावली लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 29580.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 29580.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रधान श्री संतोष कुमार से रुपया 9860.00, ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह से रुपया 9860.00, एवं तत्कालीन तकनीकी सहायक से रुपया 9860.00, की वसूली किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 22 धनराशि रु० 29580.00

57 - ग्राम पंचायत – ममरखापुर विकास खंड – सिद्धौर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 98- ग्राम पंचायत ममरखापुर की वर्ष 2021-2022 की कोषबही की जाँच में पाया गया कि दिनांक 02.10.2021 को पंचम राज्य वित्त से रू0 99800.00 की ह्यूम पाइप क्रय किया जाना अंकित है जिसके सापेक्ष कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एंव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 99800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ग्राम प्रधान श्री भैरव प्रसाद से रुपया 49900-00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राहुल कुमार से रुपया 49900-00 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 19 धनराशि रु० 99800.00

58 - ग्राम पंचायत – बेडहरी विकास खंड – सिद्धौर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 99- ग्राम पंचायत बेडहरी की वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 06.12.2021 को पंचायत भवन बेडहरी में मरम्मत कार्य पर मजदूरी रू0 4500.00 व्यय किया जाना दर्शित है। व्यय के सापेक्ष प्रस्तुत मस्टर रोल पर किसी भी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं पाये गये हैं जिससे स्पष्ट है कि मस्टर रोल फर्जी भरकर भुगतान किया गया है। जॉचोपरान्त वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 4500.00

59 - ग्राम पंचायत – पेचरुआ विकास खंड – हैदरगढ़ जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 100- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत पेचरुआ की कोशबही मे 15 वें / केंद्र वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम तथा वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	पंचायत भवन निर्माण कार्य 48907361	निर्माणसामग्री	20.10.2021	152945.00	अमित ट्रेडर्स
		सीमेंट/मोरंग/सरिया क्रय	31.03.2022	179677.00	अमित ट्रेडर्स
			योग	**332622.00**	
2	इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य अशोक पाण्डेय के घर से नागे के घर तक 54787062	ईंट क्रय	25.11.2021	42720.00	माँ दुर्गा जागृति ब्रिकफील्ड
		इंटरलॉक ईंट क्रय	25.11.2021	92158.00	अवध इंटरप्राइजेज
		सीमेंट/मोरंग/बालू क्रय	30.11.2021	38400.00	अमित ट्रेडर्स
		मजदूरी	01.01.2022	1428.00	राजकमल
			योग	**177706.00**	
3	नाली निर्माण अशोक पाण्डेय के घर से नागे के घर तक 54799958 तथा परशराम के घर से मिलन के घर तक 54799908	ईंट क्रय	27.01.2022	16312.00	माँ दुर्गा जागृति ब्रिकफील्ड
		सीमेंट/मोरंग/बालू क्रय	27.01.2022	20447.00	अमित ट्रेडर्स
		मजदूरी	27.01.2022	10782.00	एमआर के अनुसार
		साइन बोर्ड	28.01.2022	5000.00	अमित ट्रेडर्स
		ईंट व गिट्टी क्रय	28.01.2022	18049.00	माँ दुर्गा जागृति ब्रिकफील्ड
		मजदूरी	27.01.2022	8658.00	एमआर के अनुसार
		साइन बोर्ड	28.01.2022	5000.00	अमित ट्रेडर्स
		सीमेंट/मोरंग/बालू क्रय	28.01.2022	23505.00	शिवा ट्रेडर्स
			योग	**107753.00**	

4	भुल्लू कन्नौजिया के घर से विद्या के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य 54800542	इंटरलॉक ईंट क्रय	18.03.2022	98050.00	अवध इंटरप्राइजेज
		सीमेंट/मोरंग/बालू क्रय	18.03.2022	70937.00	अमित ट्रेडर्स
		इंटरलॉक ईंट क्रय	18.03.2022	129800.00	अवध इंटरप्राइजेज
		मजदूरी	18.03.2022	15300.00	राजकुमार,राममिलन
		ईंट गिट्टी क्रय	19.03.2022	35371.00	अवध ब्रिकफील्ड
		ईंट क्रय	19.03.2022	38424.00	माँ दुर्गा जागृति ब्रिकफील्ड
		मजदूरी	20.03.2022	26734.00	एमआर के अनुसार
			योग	**414616.00**	
			कुल योग	**1032697.00**	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 1032697.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 1032697.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त कराये गए कार्यों की पत्रावलियों को दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अतः उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 516348.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 516348.50 की वसूली ग्राम प्रधान सोनू से व रुपये 516348.50 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार पटेल से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 1032697.00

प्रस्तर संख्या 101- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत पेचरुआ की कोशबही मे राज्य वित्त / पंचम राज्य वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	हैंडपम्प मरम्मत 54778269	सामग्री	12.10.2021	15903.00	बाजपेई आयरन स्टोर
		सामग्री	12.10.2021	16402.00	बाजपेई आयरन स्टोर
		मजदूरी	12.10.2021	4032.00	राजकुमार मिस्त्री
		मजदूरी	20.10.2021	3663.00	रामराज
		मजदूरी	10.03.2022	3528.00	सुनील कुमार
		सामग्री	10.03.2022	16460.00	बाजपेई आयरन स्टोर
			योग	**59988.00**	
2	हैंडपम्प रिबोर 54778269	सामग्री	11.03.2022	22000.00	बाजपेई आयरन स्टोर
		मजदूरी	11.03.2022	12615.00	सुनील कुमार
		सामग्री	20.10.2021	27058.00	नेशनल हार्डवेयर एंड मशीनरी
		सामग्री	03.11.2021	22154.00	नेशनल हार्डवेयर एंड मशीनरी
			योग	**34615.00**	
3	परशराम के घर से मिलन के घर तक इंटरलॉकिंग 54781173	इंटरलॉक ईंट क्रय	20.10.2021	139535.00	अवध इंटरप्राइजेज
		सीमेंट/मो रंग/बालू क्रय	20.10.2021	36553.00	अमित ट्रेडर्स
		ईंट क्रय	20.10.2021	44454.00	अवध ब्रिकफील्ड
		मजदूरी	20.10.2021	2040.00	राजकुमार
		मजदूरी	26.10.2021	16740.00	राजकुमार
			योग	**239322.00**	
4	अशोक पाण्डेय के घर से नागे के घर तक इंटरलॉकिंग 54787062	मजदूरी	16.11.2021	13152.00	एमआर के अनुसार
		मजदूरी	16.11.2021	7146.00	एमआर के अनुसार
		सीमेंट/मो रंग/बालू क्रय	08.12.2021.	8599.00	अमित ट्रेडर्स
		ईंट क्रय	08.12.2021.	39694.00	माँ दुर्गा जागृति ब्रिकफील्ड
		मजदूरी	13.12.2021	25488.00	एमआर के अनुसार
			योग	**94079.00**	
5	पेंटिंग कार्य	सामग्री	01.01.2022	15045.00	ओम साईं
		मजदूरी	01.01.2022	2488.00	विनीत
			योग	**17533.00**	
6	बोर्ड क्रय	बोर्ड क्रय	18.03.2022	5000.00	अमित ट्रेडर्स
		बोर्ड क्रय	18.03.2022	5000.00	अमित ट्रेडर्स
			योग	**10000.00**	
7	स्ट्रीट लाइट क्रय 54799735	स्ट्रीट लाइट क्रय	23.03.2022	**101520.00**	अमित ट्रेडर्स

			कुल योग	**557057.00**	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 557057.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- पुनः क्रम संख्या 4 के कार्य अशोक पाण्डेय के घर से नागे के घर तक इंटरलॉकिंग वर्क आईडी संख्या 54787062 मूलतः केंद्र वित्त द्वारा कराया गया था जिस पर यहाँ राज्य वित्त द्वारा रू0 94079.00 का भुगतान कर फंड डाइवर्जन संबंधी अनियमितता की गयी है जबकि उस समय केंद्र वित्त मे पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी |अतः यहाँ फंड फंड डाइवर्जन संबंधी अनियमितता के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान सोनू सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार पटेल पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 557057.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त कराये गए कार्यों की पत्रावलियों को दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 278528.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 278528.50 की वसूली ग्राम प्रधान सोनू से व रुपये 278528.50 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार पटेल से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 557057.00

प्रस्तर संख्या 102- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत रुकनुद्दीनपुर की कोशबही मे 15 वें / केंद्र वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम तथा वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	पंचायत भवन मरम्मत कार्य 53754850	निर्माणसामग्री	20.10.2021	3937.00	बालाजी ट्रेडर्स
		मजदूरी	25.10.2021	74758.00	एमआर
		निर्माणसामग्री	26.10.2021	77597.00	बालाजी ट्रेडर्स
		निर्माणसामग्री	14.11.2021	86839.00	शुक्ला ट्रेडर्स
			योग	**243131.00**	
2	अज्ञात कार्य 48873857	सामग्री	04.01.2022	90500.00	शिव सिंह ट्रेडर्स
		सामग्री	04.01.2022	87400.00	शिव सिंह ट्रेडर्स
			योग	**177900.00**	
3	पंचायत भवन मे फर्नीचर क्रय 48872806	फर्नीचर क्रय	08.002.2022	72350.00	गोपाल अलमीरा
4	हैंडपम्प रिबोर 52729586	सामग्री	21.02.2022	7600.00	आराध्या जनरल ऑर्डर्स एंड सप्लायर्स
		सामग्री	21.02.2022	13178.00	आराध्या जनरल ऑर्डर्स एंड सप्लायर्स
		मजदूरी	21.02.2022	12883.00	अंकित
			योग	**33661.00**	
5	पूर्व माध्यमिक विद्यालय रुकनुद्दीनपुर मे टाइल्स कार्य 61967169	सीलिंग फैन क्रय	27.03.2022	14000.00	अंकित
		सामग्री क्रय	28.03.2022	57259.00	शुक्ला ट्रेडर्स
		सामग्री क्रय	28.03.2022	49997.00	समीर पाइप स्टोर
		मजदूरी	29.03.2022	5468.00	अंकित
		मजदूरी	30.03.2022	5468.00	अंकित
			योग	**132292.00**	
			कुल योग	**586984.00**	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 586984.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश

संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 586984.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त कराये गए कार्यों की पत्रावलियों को दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अतः उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 293492.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 293492.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीतारानी से व रुपये 293492.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अखिलेश मिश्रा से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 586984.00

प्रस्तर संख्या 103- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत रुकनुद्दीनपुर की कोशबही मे राज्य वित्त / पंचम राज्य वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	हैंडपम्प मरम्मत 52728787	सामग्री एवं मजदूरी	13.10.2021	19932.00	बालाजी ट्रेडर्स
		सामग्री एवं मजदूरी	13.10.2021	19932.00	बालाजी ट्रेडर्स
		सामग्री एवं मजदूरी	13.10.2021	19932.00	बालाजी ट्रेडर्स
			योग	**59856.00**	
2	हैंडपम्प रिबोर 52729586	मजदूरी	14.11.2021	81225.00	मुकेश कुमार
		रिबोर सामग्री	14.11.2021	76657.00	बालाजी ट्रेडर्स
		चौकी निर्माण सामग्री	06.12.2021	48600.00	शुक्ला ट्रेडर्स
			योग	**206482.00**	
3	प्रशासनिक व्यय एवं स्टेशनरी क्रय 52722570	सामग्री	30.10.2021	**49250.00**	बालाजी ट्रेडर्स
4	कोविड हेतु सामग्री 52746640	सामग्री	30.10.2021	**41000.00**	शौर्य इंटरप्राइजेज
5	ग्राम पंचायत मे स्वच्छता कार्य 52746640	सामग्री	03.11.2021	**39500.00**	शौर्य इंटरप्राइजेज
6	सफाई किट एवं सफाई कार्य 52728963	सामग्री	01.11.2021	**55750.00**	शुक्ला ट्रेडर्स
7	प्रधानमंत्री आवास की वाल राइटिंग 52746558	व्यय	21.02.2022	**15045.00**	ओम साईं राम कंपनी
8	पंचायत भवन बाउंड्री निर्माण कार्य 61966926	मजदूरी	18.03.2022	2244.00	मुकेश कुमार
		रिबोर सामग्री	18.03.2022	68027.00	बालाजी ट्रेडर्स
		मजदूरी	18.03.2022	36036.00	एमआर के अनुसार

			योग	**106307.00**	
9	ग्राम पंचायत मे सफाई किट क्रय 52728963	सफाई किट क्रय	18.03.2022	**6950.00**	अंकित
			कुल योग	**580140.00**	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 580140.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 580140.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त कराये गए कार्यों की पत्रावलियों को दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 290070.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 290070.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीतारानी से व रुपये 290070.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अखिलेश मिश्रा से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 580140.00

प्रस्तर संख्या 104- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत रुकनुद्दीनपुर की कोशबही तथा ईग्रामस्वराज पर अंकित विवरण के अनुसार राज्य वित्त द्वारा प्राथमिक विद्यालय रुकनुद्दीनपुर मे टाइल्स कार्य आईडी संख्या 53755548 पर निम्नांकित विवरणानुसार व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	**कार्य का नाम तथा वर्क आईडी**	**व्यय विवरण**	**दिनांक**	**धनराशि**	**फर्म का नाम / आहरणकर्ता**

1	प्राथमिक विद्यालय रुकनुद्दीनपुर मे टाइल्स कार्य 53755548	निर्माणसामग्री(रा०वि०)	24.12.2021	73913.00	शुक्ला ट्रेडर्स
		ईंट क्रय (रा०वि०)	24.12.2021	13120.00	सिंह ब्रिक फील्ड
		मजदूरी (रा०वि०)	24.12.2021	30504.00	एमआर के अनुसार
		सामग्री (15वाँ वि०)	08.02.2022	42000.00	वर्मा हार्डवेयर
			योग	**159537.00**	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1- उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 159537.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2- उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3- उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4- उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5- कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- उक्त कार्य पर जो कि राज्य वित्त द्वारा कराया गया था, दिनांक 08.02.2022 को रू० 42000.00 का भुगतान केंद्र वित्त से करके वर्मा हार्डवेयर द्वारा सामग्री क्रय के नाम पर उक्त धनराशि रू० 42000.00 का केंद्र वित्त से राज्य वित्त मे फंड का डाइवर्जन किया गया जबकि उस समय राज्य वित्त मे पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी | इस प्रकार यह भुगतान अनियमितता की श्रेणी मे आता है जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 159537.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त कराये गए कार्यों की पत्रावलियों को दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 79768.50 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 79768.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीतारानी से व रुपये 79768.50 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अखिलेश मिश्रा से की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कार्य पर फंड डाइवर्जन की अनियमितता हेतु ग्राम

पंचायत सचिव श्री अखिलेश मिश्रा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सीतारानी पर नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 159537.00

प्रस्तर संख्या 105- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत रुकनुद्दीनपुर की कोशबही के अनुसार दिनांक 05.02.2022 को रू0 24500.00 ग्राम प्रधान को माह जून 2021 से माह दिसंबर 2021 के मानदेय के रूप मे 15 वाँ वित्त द्वारा भुगतान किया गया था | त्रिस्तरीय पंचायतों मे मानदेय भुगतान से संबंधित समय- समय पर जारी शासनदेशों यथा-

शासनादेश संख्या-1113/33-2-2006-34जी0/01 20.03.2006,

शासनादेश संख्या 6368/33-2-2006-34 26.12.2006,

शासनादेश संख्या-02/33-2-2014-34जी 0/2001 दी०सी०-11, दिनांक 07.01.2014,

पं0रा0 अनुभाग-2 लखनऊ संख्या-02/33-2-2014-34जी/01 टी०सी०-11दिनांक 07 जनवरी, 2014,

पं0रा0 अनुभाग-1 संख्या- 3/2016/3038 / 33-1-2016 दिनांक 22 नवम्बर 2016,

पं0रा0 अनुभाग-2 शा0 संख्या- 11/2016/3880/33-2-16-11सी.एम./2016 दिनांक 27 दिसंबर 2016,

पं0रा0 अनुभाग-1 शा0 संख्या- 4/2019/125/33-1-2019-175 एम.एस./2016टी.सी. दिनांक 31.01.2019, तथा पं0रा0 अनुभाग-3 संख्या- 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16 दिसंबर, 2021 के अनुसार "त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को सुविधाएं प्रदान किए जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की धनराशि ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत क्रमश: अपनी गांव निधि क्षेत्र निधि तथा जिला निधि मे जमा जमा धनराशि जिसमे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त धनराशि से पंचायतें वहन कर सकेंगी" का उल्लंघन करते हुए प्रधान मानदेय का भुगतान केंद्र वित्त की धनराशि से करके अनियमितता की गयी है जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री अखिलेश मिश्रा तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सीतारानी पर नियमानुसार कार्यवाही के साथ साथ उक्त धनराशि को वसूल कर ग्राम पंचायत के केंद्र वित्त खाते मे जमा किए जाने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | विलम्ब की दशा मे उक्त धनराशि पर नियमानुसार ब्याज का आरोपण कर ग्राम पंचायत के केंद्र वित्त खाते मे जमा किया जाना वांछनीय होगा |

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रु० 24500.00

प्रस्तर संख्या 106- ग्राम पंचायत रुकनुद्दीनपुर की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में मनरेगा पोर्टल पर अंकित विवरण के अनुसार कुल रु० 1676000.00 का भुगतान करके व्यय दर्शाया गया है जिनमे से रु० 45696.00 का भुगतान प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को मज़दूरी के रूप मे तथा रु० 1630304.00 का भुगतान वृक्षारोपण, तालाब खुदाई/सौंदर्यीकरण व विभिन्न निर्माण कार्यों पर किया गया था परन्तु उक्त वृक्षारोपण, तालाब खुदाई/सौंदर्यीकरण व विभिन्न निर्माण कार्यों पर व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख / पत्रावली लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरुप उक्त व्यय रु० 1630304.00 प्रमाणकविहीन रहा। अतः प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी तथा तकनीकी सहायक की दुरभिसन्धि से रु० 1630304.00 का अपहरण कर लिया गया है | उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 के (2) उपनियम (1) क विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट 36-37 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाये व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी तथा वसूली के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक मे मनरेगा पोर्टल पर दर्शित उक्त कुल धनराशि रुपये 1630304.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली मनरेगा ऐक्ट मे निहित प्रविधानों तथा कार्यालय आयुक्त (ऐपेक्स टी0 ए0 सी0) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001 दिनांक 21 सितंबर 2008 के आधार पर ग्राम प्रधान, सचिव

ग्राम पंचायत तथा तकनीकी सहायक से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से 33.33% के आधार पर रुपये 543434.60 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 543434.60 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीतारानी से, रुपये 543434.60 की वसूली श्री अखिलेश मिश्रा (तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव) से तथा रुपये 543434.60 की वसूली श्री वीरेंद्र प्रताप वर्मा (तत्कालीन ग्राम पंचायत तकनीकी सहायक), से की जानी अपेक्षित है|

मूल आपत्ति संख्या 05 धनराशि रु० 1630304.00

61 - ग्राम पंचायत – बीजापुर विकास खंड – हैदरगढ़ जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 107- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत बीजापुर मे मनरेगा योजनान्तर्गत निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना मनरेगा पोर्टल पर दर्शाया गया था -

क्र०स०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	मस्टररोल संख्या
1	ग्रा०पं० बीजापुर में आदर्श, नर्मदा और भैरवा तालाब पर वृक्षारोपण (3148011007/डीपी/9584862558231 26044)	मजदूरी	16.07.2021	11016.00	2620
		मजदूरी	16.07.2021	11220.00	2621
		मजदूरी	16.07.2021	10608.00	2622
			योग	32844.00	
2	ग्रा० पं० बीजापुर में दलपत पुलिया से पेचरुआ ड्रेन तक नाला खुदाई (3148011007/एफपी/958486255823093571)	मजदूरी	18.06.2021	24480.00	1488
		मजदूरी	18.06.2021	17136.00	1489
		मजदूरी	18.06.2021	17136.00	1489
		मजदूरी	05.07.2021	8772.00	2081
		मजदूरी	05.07.2021	7956.00	2082
		मजदूरी	05.07.2021	7956.00	2083
		मजदूरी	20.07.2021	11016.00	2982
		मजदूरी	20.07.2021	4084.00	2983
			योग	98536.00	
3	सेमरहा तालाब से पेचरुआ ड्रेन तक नाला खुदाई (3148011007/एफपी/958486255823204359)	मजदूरी	13.09.2021	26520.00	5132
		मजदूरी	13.09.2021	23868.00	5133
		मजदूरी	01.10.2021	17340.00	5850
		मजदूरी	01.10.2021	18768.00	5851
		मजदूरी	20.10.2021	23052.00	6276
		मजदूरी	20.10.2021	2652.00	6277
			योग	112200.00	
4	नाला खुदाई- बनिया तालाब से लेकर बड़े नाले तक (3148011007/एफपी/958486255823235650)	मजदूरी	27.01.2022	23868.00	10714
		मजदूरी	27.01.2022	13260.00	10715
		मजदूरी	17.02.2022	12852.00	11613
		मजदूरी	17.03.2022	22644.00	12101
			योग	72624.00	
5	मिटटी पटाई कार्य- में रोड से आदर्श तालाब तक (3148011007/आरसी/958486255823184260)	मजदूरी	30.07.2021	19584.00	3600
		मजदूरी	30.07.2021	14484.00	3601
		मजदूरी	28.08.2021	9996.00	4648
		मजदूरी	28.08.2021	14688.00	4649
			योग	58752.00	

6	संपर्क मार्ग - जंगल वाले खडंजे से लेकर बड़े नाले नरौली बॉर्डर तक (3148011007/आरसी/958486255823219914)	मजदूरी	29.11.2021	26112.00	7543
		मजदूरी	29.11.2021	26520.00	7544
		मजदूरी	16.12.2021	2856.00	8976
		मजदूरी	29.12.2021	23664.00	9592
		मजदूरी	29.12.2021	23664.00	9593
		मजदूरी	29.12.2021	22236.00	9594
		मजदूरी	29.12.2021	6528.00	9595
		मजदूरी	21.01.2022	26112.00	10473
		मजदूरी	21.01.2022	23052.00	10474
		मजदूरी	25.03.2022	15096.00	12857
		मजदूरी	25.03.2022	3672.00	12858
			योग	199512.00	
7	नर्बदा तालाब की खुदाई का कार्य जीर्णोधार(3148011007/डब्ल्यूएच /958486255823084571)	मजदूरी	05.07.2021	14688.00	2088
		मजदूरी	05.07.2021	14484.00	2089
		मजदूरी	05.07.2021	10404.00	2090
		मजदूरी	05.07.2021	1428.00	2091
		मजदूरी	04.08.2021	19992.00	3689
		मजदूरी	04.08.2021	21216.00	3690
		मजदूरी	04.08.2021	15912.00	3691
			योग	98124.00	
			कुल योग	672592.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण मनरेगा पोर्टल पर उपरोक्त दर्शित मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रमाणक विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 672592.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है।

2 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है ।

4 -- उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 -- कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित उक्त कुल धनराशि रुपये 672592.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को

अपहरण मानते हुए इसकी वसूली मनरेगा ऐक्ट मे निहित प्रविधानों तथा कार्यालय आयुक्त (ऐपेक्स टी0 ए0 सी0) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001 दिनांक 21 सितंबर 2008 के आधार पर ग्राम प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत तथा तकनीकी सहायक से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से 33.33% के आधार पर रुपये 224197.33 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 224197.33 की वसूली ग्राम प्रधान श्री गौतम पाठक से, रुपये 224197.33 की वसूली श्री दिनेश पटेल (तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव) से तथा रुपये 224197.33 की वसूली श्री जीतेंद्र कुमार (तत्कालीन ग्राम तकनीकी सहायक), से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 672592.00

62 - ग्राम पंचायत – शिवराजपुर विकास खंड – हैदरगढ़ जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 108- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत शिवराजपुर मे मनरेगा योजनान्तर्गत निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना मनरेगा पोर्टल पर दर्शाया गया था -

क्र०स०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	M.R.संख्या
1	ग्रा० पं० शिवराजपुर में जयमल तालाब पर वृक्षारोपण (3148011070/डीपी/958486255823156769)	मजदूरी	25.07.2021	14688.00	3020
		मजदूरी	13.08.2021	12240.00	4026
		मजदूरी	18.09.2021	2856.00	5430
		मजदूरी	30.09.2021	2856.00	5853
		मजदूरी	16.10.2021	2856.00	6187
		मजदूरी	30.10.2021	1224.00	7111
			योग	36720.00	
2	खेत समतलीकरण- रतीपाल पुत्र राम बक्स (3148011070/आईएफ/958486255823771945)	मजदूरी	31.12.2021	17544.00	9865
		मजदूरी	31.12.2021	2856.00	9866
		मजदूरी	19.01.2022	20196.00	10460.00
			योग	40596.00	
3	खेत समतलीकरण- सुलेमान पुत्र वाजिद अली (3148011070/आईएफ/958486255823771950)	मजदूरी	31.12.2021	27132.000	9603
		मजदूरी	31.12.2021	22032.000	9604
		मजदूरी	31.12.2021	17136.00	9605
		मजदूरी	15.01.2022	26520.00	10310
		मजदूरी	15.01.2022	8772.00	10311
			योग	101592.00	
4	खेत समतलीकरण- राजाराम उफ़ भुसई पुत्र काशीराम (3148011070/आईएफ/958486255823772000)	मजदूरी	31.12.2021	26520.00	9579
		मजदूरी	31.12.2021	18360.00	9580
		मजदूरी	31.12.2021	19176.00	9581
		मजदूरी	19.01.2022	26520.00	10459
			योग	90576.00	
5	टीकाराम बाबा रोड से जंगल पुलिया तक पटरी भराई कार्य (3148011070/आरसी/958486255823185944)	मजदूरी	19.08.2021	24480.00	4421
		मजदूरी	19.08.2021	20196.00	4422
		मजदूरी	19.08.2021	20196.00	4423
		मजदूरी	19.08.2021	10608.00	4424
		मजदूरी	19.08.2021	20400.00	4425
		मजदूरी	19.08.2021	2856.00	4426
		मजदूरी	05.09.2021	21216.00	4977
		मजदूरी	05.09.2021	13668.00	4978
		मजदूरी	05.09.2021	7140.00	4979

		मजदूरी	05.09.2021	2040.00	5104
		मजदूरी	24.03.2022	4692.00	12734
		मजदूरी	24.03.2022	2040.00	12735
			योग	149532.00	
6	ग्रा० पं० शिवराजपुर में तालाब खुदाई-जयमल तालाब तालाब (3148011070/डब्ल्यूसी/958486255823085571)	मजदूरी	15.06.2021	14280.00	1535
		मजदूरी	15.06.2021	14280.00	1536
		मजदूरी	15.06.2021	12852.00	1537
		मजदूरी	19.06.2021	14280.00	1538
		मजदूरी	19.06.2021	8568.00	1539
		मजदूरी	19.06.2021	7140.00	1540
		मजदूरी	30.06.2021	23664.00	2164
		मजदूरी	30.06.2021	19788.00	2165
		मजदूरी	30.06.2021	24276.00	2166
		मजदूरी	30.06.2021	16116.00	2167
		मजदूरी	30.06.2021	18360.00	2168
		मजदूरी	30.06.2021	22032.00	2169
		मजदूरी	30.06.2021	18768.00	2170
		मजदूरी	30.06.2021	22236.00	2171
		मजदूरी	30.06.2021	15300.00	2172
		मजदूरी	20.07.2021	16320.00	2594
		मजदूरी	20.07.2021	21012.00	2595
		मजदूरी	20.07.2021	19584.00	2596
			योग	308856.00	
7	सी सी रोड निर्माण-डामर रोड से संकटहरण के घर तक(3148011070/आरसी/958486255823145928	ईंट, सीमेंट तथा बालू क्रय	18.08.2021	130691.00	राजकुमार सिंह खाद भण्डार
		डिस्प्ले बोर्ड	18.08.2021	5000.00	धारा इंटरप्राइजेज
		मजदूरी	07.03.2022	2856.00	12078
			योग	138547.00	
			कुल योग	866419.00	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण मनरेगा पोर्टल पर उपरोक्त दर्शित मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रमाणक विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 866419.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली

सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है।

2 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है ।

4 -- उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 -- कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित उक्त कुल धनराशि रुपये 866419.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली मनरेगा ऐक्ट मे निहित प्रविधानों तथा कार्यालय आयुक्त (ऐपेक्स टी0 ए0 सी0) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001 दिनांक 21 सितंबर 2008 के आधार पर ग्राम प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत तथा तकनीकी सहायक से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से 33.33% के आधार पर रुपये 288806.33 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 288806.33 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी से, रुपये 288806.33 की वसूली श्री दिनेश पटेल (तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव) से तथा रुपये 288806.33 की वसूली श्री वीरेंद्र प्रताप वर्मा (तत्कालीन तकनीकी सहायक), से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 866419.00

63 - ग्राम पंचायत – अलादादपुर विकास खंड – त्रिवेदीगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 109- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत अलादादपुर की कोशबही मे पंचम राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त द्वारा विभिन्न तिथियों मे निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम तथा कार्य की आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	ग्राम पंचायत मे डस्टबिन स्थापना कार्य 52708043	सामग्री	07.07.2021	12500.00	वैशाली कान्ट्रैक्टर
2	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता कार्य पर व्यय 51192884	सामग्री	21.02.2022	11020.00	वैशाली कान्ट्रैक्टर
		मजदूरी	04.01.2022	11424.00	रंजीत कुमार
		मजदूरी	04.01.2022	11424.00	सोनू
3	ग्राम पंचायत मे स्टेशनरी क्रय पर व्यय 52708043	सामग्री	17.09.2021	7800.00	सोनू
4	ग्राम पंचायत मे कुर्सी, मेज, एवं आलमारी क्रय पर व्यय 52707937	सामग्री	21.07.2021	20500.00	वैशाली कान्ट्रैक्टर
5	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता कार्य पर व्यय 82489244	मजदूरी	28.01.2022	12000.00	रंजीत कुमार
		मजदूरी	28.01.2022	10000.00	सोनू
			योग	**96668.00**	

उक्त कराये गए हैंडपम्प मरम्मत तथा स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया

गया कुल भुगतान रुपये 96668.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, इस प्रकार यहाँ शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी । कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता कार्य पर मजदूरी का भुगतान रंजीत कुमार तथा सोनू नामक व्यक्ति को किया गया है जो न तो ग्राम प्रधान है और न ही ग्राम पंचायत सचिव | इस प्रकार यहाँ अनधिकृत व्यक्तियों को मजदूरी का भुगतान करके अनियमितता की गयी है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 96668.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात से रुपये 48334.00 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 48334.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला से व रुपये 48334.00 की वसूली श्री पवन कुमार गौतम, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 96668.00

64 - ग्राम पंचायत – ककरी विकास खंड – त्रिवेदीगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 110- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत ककरी की कोशबही मे माह जनवरी 2022 मे 15 वें / केंद्र वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम तथा वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप स्थापना 54027748	ह्यूम पाइप क्रय	05.01.2022	80684.00	प्रबल इंटरप्राइजेज
		ह्यूम पाइप क्रय	05.01.2022	85000.00	प्रबल इंटरप्राइजेज
			योग	**165684.00**	
2	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता कार्य 54027813	स्वच्छता पर व्यय	28.01.2022	18360.00	दिलीप सिंह
		स्वच्छता पर व्यय	28.01.2022	18360.00	धीरेन्द्र कुमार
		स्वच्छता पर व्यय	28.01.2022	18360.00	दिलीप सिंह

		स्वच्छता पर व्यय	28.01.2022	18360.00	प्राण बहादुर सिंह
			योग	**73440.00**	
3	हैंडपम्प मरम्मत 54027703	सामग्री	28.01.2022	31480.00	प्रबल इंटरप्राइजेज
4		सामग्री	28.01.2022	31480.00	प्रबल इंटरप्राइजेज
		मजदूरी	08.02.2022	13500.00	अशोक कुमार
		मजदूरी	08.02.2022	8100.00	अशोक कुमार
			योग	**99270.00**	
			कुल योग	**338394.00**	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 338394.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण / संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 338394.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त कराये गए कार्यों की पत्रावलियों को दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अतः उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 169197.00 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 169197.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रमदासा से व रुपये 169197.00 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन कुमार गौतम से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 338394.00

प्रस्तर संख्या 111- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत ककरी की कोशबही मे माह अक्टूबर 2021 मे राज्य वित्त / पंचम राज्य वित्त द्वारा निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	डामर रोड से श्रीकृष्ण के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण 54015683	इंटरलॉक ईंट क्रय (रा.वि.)	25.10.2021	49129.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		मजदूरी (15वाँ वित्त)	25.10.2021	28263.00	प्राण बहादुर सिंह
		सामग्री (15वाँ वित्त)	25.10.2021	43147.00	शिवकृष्ण ट्रेडर्स
		ईंट क्रय (15वाँ वित्त)	25.10.2021	45323.00	कन्हैया ब्रिकफील्ड
		सीमेंट ईंट (15वाँ वित्त)	25.10.2021	83267.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
			योग	**249129.00**	
2	डामर रोड से मनोज सिंह के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग निर्माण 54016362	ईंट क्रय	27.10.2021	31206.00	कन्हैया ब्रिकफील्ड
		इंटरलॉक ईंट क्रय	27.10.2021	85668.00	कृष्णा इंटरप्राइजेज
		मजदूरी	05.11.2021	18902.00	प्राण बहादुर सिंह
		सामग्री	28.10.2021	29660.00	शिवकृष्ण ट्रेडर्स
		फोटोग्राफी	27.10.2021	200.00	सोनू
			योग	**165636.00**	
			कुल योग	**414765.00**	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं-

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से व अन्य व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 414765.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में रुपये 20000.00 से अधिक मूल्य की सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक २३ सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- क्रम संख्या 1 पर अंकित राज्य वित्त के कार्य डामर रोड से श्रीकृष्ण के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण वर्क आईडी संख्या 54015683 पर दिनांक 25.10.2021 को क्रमशः रू० 28263.00, रू० 43147.00, रू० 45323.00 तथा रू० 83267.00 कुल रू० 200000.00 का भुगतान केन्द्रीय वित्त से करके फंड डाइवर्जन संबंधी अनियमितता की गयी है जिसके लिए उत्तरदाई व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रमदासा तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन कुमार गौतम पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 414765.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त कराये गए कार्यों की पत्रावलियों को दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 207382.50 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 207382.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रमदासा से व रुपये 207382.50 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन कुमार गौतम से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 414765.00

65 - ग्राम पंचायत – कान्हीपुर विकास खंड – त्रिवेदीगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 112- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत कान्हीपुर की कोशबही मे पंचम वित्त द्वारा विभिन्न तिथियों मे निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	**कार्य का नाम तथा कार्य की आईडी**	**व्यय विवरण**	**दिनांक**	**धनराशि**	**फर्म का नाम / आहरणकर्ता**
1	हैंडपम्प मरम्मत 51217401	सामग्री	28.11.2021	30440.00	अमरनाथ एंड संस
		मजदूरी	28.11.2021	2000.00	धर्मेन्द्र
		मजदूरी	26.12.2021	7000.00	धर्मेन्द्र
			योग	**39440.00**	
2	हैंडपम्प रिबोर कार्य बिरजू के दरवाजे 55666428	सामग्री	28.11.2021	20456.00	अमरनाथ एंड संस
		मजदूरी	28.11.2021	11544.00	सोनू
			योग	**32000.00**	
3	हैंडपम्प रिबोर कार्य ग्रामीण बैंक के सामने 55666428	सामग्री	28.11.2021	20456.00	अमरनाथ एंड संस
		मजदूरी	28.11.2021	11544.00	सोनू
			योग	**32000.00**	
4	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता कार्य 51218234	मजदूरी	28.11.2021	25000.00	सोनू
5	ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप अधिष्ठापन कार्य 56153286	सामग्री	26.12.2021	48409.00	उजाला इंडस्ट्रीज
			कुल योग	**176849.00**	

उक्त कराये गए हैंडपम्प मरम्मत / रिबोर, स्वच्छता कार्य तथा ह्यूम पाइप अधिष्ठापन कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों

पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 176849.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, इस प्रकार यहाँ शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी । कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- उक्त हैंडपम्प रिबोर तथा स्वच्छता कार्य पर मजदूरी का भुगतान किसी सोनू नामक व्यक्ति को किया गया है जो न तो ग्राम प्रधा है और न ही ग्राम पंचायत सचिव | इस प्रकार यहाँ अनधिकृत व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान करके अनियमितता की गयी है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 176849.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात से रुपये 88424.50 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 88424.50 की वसूली ग्राम प्रधान सुभद्रा बाजपेयी से व रुपये 88424.50 की वसूली श्री पवन कुमार गौतम तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 176849.00

66 - ग्राम पंचायत – बल्लासाईंखेड़ा विकास खंड – त्रिवेदीगंज जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 113- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत बल्लासाईंखेड़ा की कोशबही मे पंचम राज्य वित्त द्वारा विभिन्न तिथियों मे निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया था -

क्र०	कार्य का नाम तथा कार्य की आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम / आहरणकर्ता
1	हैंडपम्प मरम्मत 51313329	सामग्री	26.10.2021	15780.00	नरायन ट्रेडर्स
		सामग्री	28.10.2021	16480.00	नरायन ट्रेडर्स
		मजदूरी	07.11.2021	4200.00	राम कैलाश
		मजदूरी	07.11.2021	3300.00	राम कैलाश
			योग	**39760.00**	
2	ग्राम पंचायत मे स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य	सामग्री	24.03.2022	96775.00	इन्दुकला इंटरप्राइजेज

	58803606	सामग्री	24.03.2022	96775.00	इन्दुकला इंटरप्राइजेज
			योग	**193550.00**	
			कुल योग	**233310.00**	

उक्त कराये गए हैंडपम्प मरम्मत तथा स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष क्रय की गयी सामग्रियों के बिल बाउचर तथा मजदूरी भुगतान से सम्बंधित पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण उपरोक्त क्रीत सामग्रियों तथा मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 233310.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, इस प्रकार यहाँ शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी । कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- उक्त हैंडपम्प मरम्मत कार्य पर मजदूरी का भुगतान किसी रामकैलाश नामक व्यक्ति को किया गया है जो न तो ग्राम प्रधान है और न ही ग्राम पंचायत सचिव | इस प्रकार यहाँ अनधिकृत व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान करके अनियमितता की गयी है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 233310.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात से रुपये 116655.00 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 116655.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से व रुपये 116655.00 की वसूली श्री हरिमोहन सक्सेना तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव, से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 233310.00

प्रस्तर संख्या 114- आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत बल्लासाईंखेड़ा मे मनरेगा योजनान्तर्गत निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना मनरेगा पोर्टल पर दर्शाया गया था -

क्र०स०	कार्य का नाम	व्यय विवरण	दिनांक	धनराशि	M.R.संख्या/ फर्म का नाम
1	झग्गर तालाब, नादान तालाब आदि पर वृक्षारोपण (3148010076/डीपी/958486255823160584)	मजदूरी	24.07.21	6528.00	3195
		मजदूरी	24.07.21	6324.00	3196
		मजदूरी	24.07.21	4080.00	3197
			योग	**16932.00**	
2	केशन के घर के पास से जगेसर के घर के पास तक नाला खुदाई (3148010076/एफपी/958486255823180800)	मजदूरी	15.07.21	8568.00	2842
		मजदूरी	15.07.21	9996.00	2843
		मजदूरी	10.08.21	13260.00	3854
		मजदूरी	10.08.21	15096.00	3855
		मजदूरी	10.08.21	10608.00	3856
		मजदूरी	10.08.21	16116.00	3857
		मजदूरी	10.08.21	2652.00	3858
			योग	**76296.00**	
3	पेनी तालाब से झील तक नाला खुदाई (3148010076/एफपी/958486255823180801)	मजदूरी	02.07.21	13056.00	2205
		मजदूरी	02.07.21	21216.00	2206
		मजदूरी	02.07.21	18564.00	2207
		मजदूरी	02.07.21	13464.00	2208
		मजदूरी	02.07.21	5304.00	2209
		मजदूरी	02.07.21	1836.00	2210
			योग	**73440.00**	
4	भइहारे बाबा से मुकुल वर्मा के दरवाजे तक चकमार्ग (3148010076/एलडी/958486255823617690)	मजदूरी	05.10.21	14280.00	5591
		मजदूरी	05.10.21	14280.00	5592
		मजदूरी	05.10.21	8568.00	5593
		मजदूरी	08.11.21	3672.00	6852
		मजदूरी	24.12.21	18564.00	9165
		मजदूरी	24.12.21	9180.00	9166
		मजदूरी	19.01.22	20400.00	9871
		मजदूरी	19.01.22	25500.00	9872
		मजदूरी	19.01.22	17952.00	9873
		मजदूरी	19.01.22	13260.00	9874
			योग	**145656.00**	
5	हरदोइया माइनर से जयगुरूदेव के खेत तक चकमार्ग (3148010076/एलडी/958486255823712868)	मजदूरी	14.12.21	20808.00	8793
		मजदूरी	14.12.21	21828.00	8794
		मजदूरी	14.12.21	21216.00	8795
		मजदूरी	14.12.21	19992.00	8796
		मजदूरी	14.12.21	21828.00	8797
		मजदूरी	14.12.21	9180.00	8798
		मजदूरी	24.12.21	14280.00	9242

		मजदूरी	24.12.21	14280.00	9243
		मजदूरी	24.12.21	14280.00	9244
		मजदूरी	24.12.21	12852.00	9245
		मजदूरी	24.12.21	9996.00	9246
		मजदूरी	03.03.22	22644.00	11455
		मजदूरी	03.03.22	21216.00	11456
		मजदूरी	23.03.22	22644.00	12301
		मजदूरी	23.03.22	7344.00	12302
			योग	**254388.00**	
			कुल योग	**566712.00**	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण मनरेगा पोर्टल पर उपरोक्त दर्शित मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रमाणक विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 566712.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है।

2 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है ।

4 -- उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

5 -- कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित उक्त कुल धनराशि रुपये 566712.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली मनरेगा ऐक्ट मे निहित प्रविधानों तथा कार्यालय आयुक्त (ऐपेक्स टी0 ए0 सी0) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001 दिनांक 21 सितंबर 2008 के आधार पर ग्राम प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत तथा तकनीकी सहायक से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से 33.33% के आधार पर रुपये 188904.00 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 188904.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता से, रुपये 188904.00 की वसूली श्री हरिमोहन सक्सेना (तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव) से तथा रुपये 188904.00 की वसूली श्री हरीश मिश्रा (तत्कालीन तकनीकी सहायक), से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 566712.00

प्रस्तर संख्या 115- ग्राम पंचायत चैला के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट / ईग्रामस्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर व प्रियासॉफ्ट / ईग्रामस्वराज पर फ़ीड रोकड़ बही के आधार पर संपन्न की गयी है | वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख (रोकड़ बही, पासबुक / बैंक स्टेटमेंट) और व्यय प्रमाणक बारम्बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए।
प्रियासॉफ्ट पर अंकित कैश बुक तथा व्यय विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत चैला में विभिन्न कार्यो पर 599,778.36 का व्यय किया गया था।
1 अप्रैल 2022 से अद्यतन लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार बार-बार लिखित तथा मौखिक व टेलीफोनिक वार्ता द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्त्तमान सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 25/04/2022, दिनांक 21/05/2022, ,तथा दिनांक 03/06/2022 तथा 03/03/23 को इस सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट की यथास्थिति व प्रगति की सूचना दी गयी किन्तु आप द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि -
ए - शासनादेश संख्या 2953 /2009 -101 (64)2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों के लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।
बी - शासनादेश संख्या 1838 /33 -3 -2015 , दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में विन्दु 4 घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी ए डी ओ (पी) की होगी | लेकिन आप द्वारा अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।
सी - उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र संख्या - 6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए डी ओ (पंचायत)द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है | क्योंकि अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में सांगत अभिलेख बनाये गए होते , लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।
डी - कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है | कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है किन्तु सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया |
2 - पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 1/शा0/ 140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थो केवेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.
3-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने

की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारीके द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमो और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे/पन्द्रहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण कियागया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक,बिल /बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा,समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रुपए गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख). गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही केसाथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है । उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्नुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |

(ग). ग्रामपंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्नुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ ही साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी | आगे उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु -1 पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्डओवर रेकॉर्ड्स, और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06 / 2017 / 2325 / 33-1-2017-1988 / 2017, 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 599,778.36 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 299,889.18 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये 299,889.18 की वसूली ग्राम प्रधान सियावती से तथा रुपये 299,889.18 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार से की जानी अपेक्षित है | **मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 599778.00**

68 - ग्राम पंचायत – हमीदनगर विकास खंड – सिरौली गौसपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 116- ग्राम पंचायत हमीदनगर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट / ईग्रामस्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर व प्रियासॉफ्ट / ईग्रामस्वराज पर फ़ीड रोकड़ बही के आधार पर संपन्न की गयी है | वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख (रोकड़ बही, पासबुक / बैंक स्टेटमेंट) और व्यय प्रमाणक बारम्बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए।

प्रियासॉफ्ट पर अंकित कैश बुक तथा व्यय विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत हमीदनगर में विभिन्न कार्यो पर 4,16,406.00 का व्यय किया गया था।

1 अप्रैल 2022 से अद्यतन लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार बार-बार लिखित तथा मौखिक व टेलीफोनिक वार्ता द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्त्तमान सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 25/04/2022, दिनांक 21/05/2022, ,तथा दिनांक 03/06/2022 तथा 03/03/23 को इस सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट की यथास्थिति व प्रगति की सूचना दी गयी किन्तु आप द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि -

ए - शासनादेश संख्या 2953 /2009 -101 (64)2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों के लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

बी - शासनादेश संख्या 1838 /33 -3 -2015 , दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में विन्दु 4 घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी ए डी ओ (पी) की होगी | लेकिन आप द्वारा अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

सी - उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र संख्या - 6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए डी ओ (पंचायत)द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है | क्योंकि अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में सांगत अभिलेख बनाये गए होते , लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

डी - कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है | कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है किन्तु सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया |

2 - पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 1/शा0/ 140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थो के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

3-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने

की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारीके द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमो और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे/पन्द्रहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्कआई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक,बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा,समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रुपए गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख). गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही केसाथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है । उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |

(ग). ग्रामपंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ ही साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी | आगे उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु -1 पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्डओवर रेकॉर्ड्स, और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06 / 2017 / 2325 / 33-1-2017-1988 / 2017, 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 4,16,406.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 208,203 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रुपये की वसूली ग्राम प्रधान ललित कुमार से तथा रुपये 208,203 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार से की जानी अपेक्षित है|

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 4,16,406.00

69 - ग्राम पंचायत – थानाडीह विकास खंड – सिरौली गौसपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 117- ग्राम पंचायत थानाडीह के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट / ईग्रामस्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर व प्रियासॉफ्ट / ईग्रामस्वराज पर फ़ीड रोकड़ बही के आधार पर संपन्न की गयी है | वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख (रोकड़ बही, पासबुक / बैंक स्टेटमेंट) और व्यय प्रमाणक बारम्बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए।

प्रियासॉफ्ट पर अंकित कैश बुक तथा व्यय विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत थानाडीह में विभिन्न कार्यो पर 7,14,762.00 का व्यय किया गया था।

1 अप्रैल 2022 से अद्यतन लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार बार-बार लिखित तथा मौखिक व टेलीफोनिक वार्ता द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्त्तमान सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 25/04/2022, दिनांक 21/05/2022, ,तथा दिनांक 03/06/2022 तथा 03/03/23 को इस सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट की यथास्थिति व प्रगति की सूचना दी गयी किन्तु आप द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि -

ए - शासनादेश संख्या 2953 /2009 -101 (64)2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों के लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

बी - शासनादेश संख्या 1838 /33 -3 -2015 , दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में विन्दु 4 घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी ए डी ओ (पी) की होगी | लेकिन आप द्वारा अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

सी - उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र संख्या - 6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए डी ओ (पंचायत)द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है | क्योंकि अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में सांगत अभिलेख बनाये गए होते , लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

डी - कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है | कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है किन्तु सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया |

2 - पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 1/शा0/ 140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थो के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

3-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारीके द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमो और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे/पन्द्रहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक,बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा,समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रुपए गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख). गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही केसाथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है । उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्नुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |

(ग). ग्रामपंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैन्नुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ ही साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी | आगे उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु -1 पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्डओवर रेकॉर्ड्स, और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06 / 2017 / 2325 / 33-1-2017-1988 / 2017, 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 7,14,762.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 357,381 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः 357,381 रुपये की वसूली ग्राम प्रधान बेनी प्रसाद से तथा रुपये 357,381 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार से की जानी अपेक्षित है|**मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 714762.00**

70 - ग्राम पंचायत – तेलवारी　　विकास खंड – सिरौली गौसपुर　　जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 118- ग्राम पंचायत तेलवारी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट / ईग्रामस्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर व प्रियासॉफ्ट / ईग्रामस्वराज पर फ़ीड रोकड़ बही के आधार पर संपन्न की गयी है |

वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख (रोकड़ बही, पासबुक / बैंक स्टेटमेंट) और व्यय प्रमाणक बारम्बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार ने आडिट के लिए न अभिलेख उपलब्ध कराया,न ही लिखकर दिया कि चार्ज में उन्हें अभिलेख नहीं मिला और न ही संबंधित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान के विरूद्ध कोई विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारियों को ही अवगत कराया।

प्रियासॉफ्ट पर अंकित कैश बुक तथा व्यय विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत तेलवारी में विभिन्न कार्यो पर रु0 14,90,533.00 व्यय किया गया था।

1 अप्रैल 2022 से अद्यतन लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार बार-बार लिखित तथा मौखिक व टेलीफोनिक वार्ता द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्त्तमान सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को दिनांक 25/04/2022, दिनांक 21/05/2022, ,तथा दिनांक 03/06/2022 तथा खंड विकास अधिकारी महोदय को दिनांक 20/09/22 को इस सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट की यथास्थिति व प्रगति की सूचना दी गयी किन्तु आप द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि -

ए - शासनादेश संख्या 2953 /2009 -101 (64)2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों के लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

बी - शासनादेश संख्या 1838 /33 -3 -2015 , दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में विन्दु 4 घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी ए डी ओ (पी) की होगी | लेकिन आप द्वारा अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

सी - उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत आम रोकड़ बही (रूप पत्र संख्या - 6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी ए डी ओ (पंचायत)द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परन्तु ऐसा न कर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है | क्योंकि अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में सांगत अभिलेख बनाये गए होते , लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है।

डी - कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है | कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है किन्तु सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया |

2 - पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या- 1/शा0/ 140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थो के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

3-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पुरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारीके द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमो और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे/पन्द्रहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्कआई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक,बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा,समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रुपए गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख). गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही केसाथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है । उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |

(ग). ग्रामपंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ ही साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी | आगे उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु -1 पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्डओवर रेकॉर्ड्स, और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06 / 2017 / 2325 / 33-1-2017-1988 / 2017, 01 दिसम्बर 2017 तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये14,90,533.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से रुपये 745,266.5 किया जाना अपेक्षित होगा। अतः रु0

745,266.5 की वसूली ग्राम प्रधान प्रीती से तथा रु0 745,266.5 की वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अभय शुक्ला से की जानी अपेक्षित है|

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 1490533.00

71 - ग्राम पंचायत – मोहसंड विकास खंड – निन्दूरा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 119- राज्य योजनान्तर्गत निम्नलिखित विद्यालयो में फर्नीचर क्रय के नाम नाम पर बैंक खातो से निम्नाकित विवरणानुसार धनराशियाँ आहरित की गयी थी परन्तु व्यय के सापेक्ष कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही -

क्रम	विद्यालय का नाम	आइ डी नंबर	फ़र्म का नाम	दिनांक	धनराशि
1 -	पूर्व माध्यमिक वि0 मोहसंड	51457801	बालाजी इंटरप्राइजेज	26.04.2021	247668.00
2-	--------	उपरोक्त	फोटो	उपरोक्त	300.00
3 -	प्रा0 वि0 मोलनिया	53459054	निधि ट्रेडर्स	03.08.2021	247968.00
4-	प्रा0 वि0टिकैतगंज 1	53459067	निधि ट्रेडर्स	3.8.2021	247968.00
5-	प्रा0 वि0 टिकैतगंज	51459246	मौर्या पुस्तक भंडार	19.10.2021	247274.00
6-	प्रा0 वि0मोहसंड	51459284	मौर्या पुस्तक भंडार	19.10.2021	247274.00
				योग	1238452.00

उक्त व्यय पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। ऐसी

2- उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- उक्त फर्नीचर सामग्री किसकी मांग पर क्रय की गई थी का विवरण भी अप्राप्त रहा |वास्तव में विद्यालय के मांग पत्र एवं उस विद्यालयमें नामांकित छात्रो की जाँच किए बिना क्रय किया जाना आपत्तिजनक था लेखा परीक्षा में क्रय हेतु विद्यालय के सक्षम अधिकारी की संस्तुति भी नहीं थी| सामान क्रय के साथ साथ सामान की आपूर्ति विद्यालय तक हुई की नहीं इस हेतु प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा | जो प्रस्तुत किया जाना अपेच्चित है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 1238452.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव तत्कालीन ग्राम प्रशासक श्री अशोक कुमार से निअमानुसार मात्रा में वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 123984.00 वसूली तत्कालीन प्रसाशक श्री अशोक कुमार से साथ ही ग्राम प्रधान मो0 फेजल से रुपे 495242.00की वसूली एवं श्री राम छवि से रुपए 619226.00 की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 19 धनराशि रु० 1238452.00

प्रस्तर संख्या 120- प्रशासनिक व्यय पर खर्च हेतु राज्य योजनान्तर्गत से निम्नांकित विवरणानुसार धनराशियाँ आहरित की गयी थी परन्तु व्यय के सापेक्ष कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	दिनांक	फर्म	सामान	धनराशि
1	25.05.2021	राज मेडिकल स्टोर	सामान	4450.00
2	27.07.2021	अशोक साईकिल स्टोर	ठेलिया क्रय	12000.00
3	26.11.2021	हर्ष इन्टर प्राइजेज	किट	12300.00
4	12.12.2021	वर्मा ट्रेडर्स	फॉगिंग मसीन	53100.00
5	28.01. 2022		स्टेशनरी	9990.00
		योग		91840.00

उक्त व्यय पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। ऐसी

2- उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- उक्त फर्नीचर सामग्री किसकी मांग पर क्रय की गई थी का विवरण भी अप्राप्त रहा |वास्तव में विद्यालय के मांग पत्र एवं उस विद्यालयमें नामांकित छात्रो की जाँच किए बिना क्रय किया जाना आपत्तिजनक था लेखा परीक्षा में क्रय हेतु विद्यालय के सक्षम अधिकारी की संस्तुति भी नहीं थी| सामान क्रय के साथ साथ सामान

की आपूर्ति विद्यालय तक हुई की नहीं इस हेतु प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा | जो प्रस्तुत किया जाना अपेच्चित है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 91840.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव तत्कालीन ग्राम से नियमानुसार मात्रा में वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 91840.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान मो0 फेजल से रु0 45920.00 एवं सचिव श्री राम छवि से रुपए 45920.00 की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 20 धनराशि रु० 91840.00

प्रस्तर संख्या 121- साफ-सफाई कार्य पर खर्च हेतु राज्य योजनान्तर्गत से निम्नाकित विवरणानुसार धनराशियाँ आहरित की गयी थी परन्तु व्यय के सापेक्ष कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या	दिनांक	फर्म	सामान	धनराशि
1	23.06.2021	एम0 आर0	सफाई	29376.00
2	23.06.2021	एम0 आर0	विशेष सफाई	14688.00
3	23.06.2021	एम0 आर0	कूडा ढुलाई फोटो	450.00
4	23.06.2021	एम0 आर0	कूडा ढुलाई कसीर को	1000.00
5	01.10.2021	एम0 आर0	मजदूरी	31824.00
6	28.01.2022	डस्टविन	-	23400.00
7	07.03.2022	एम0 आर0	कूडा ढुलाई	2000.00
8	08.03.2022	एम0 आर0	मजदूरी	30600.00
		योग		133338.00

उक्त व्यय पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। ऐसी

2- उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- उक्त फर्नीचर सामग्री किसकी मांग पर क्रय की गई थी का विवरण भी अप्राप्त रहा |वास्तव में विद्यालय के मांग पत्र एवं उस विद्यालयमें नामांकित छात्रो की जाँच किए बिना क्रय किया जाना आपत्तिजनक था लेखा परीक्षा में क्रय हेतु विद्यालय के सक्षम अधिकारी की संस्तुति भी नहीं थी| सामान क्रय के साथ साथ सामान की आपूर्ति विद्यालय तक हुई की नहीं इस हेतु प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा | जो प्रस्तुत किया जाना अपेच्चित है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 133338.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव तत्कालीन ग्राम से नियमानुसार मात्रा में वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 133338.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान मो0 फेजल से रु0 66669.00 एवं सचिव श्री राम छवि से रुपए 66669.00 की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 21 धनराशि रु० 133338.00

प्रस्तर संख्या 122- राज्य योजनान्तर्गत पंचायत भवन की रंगाई-पुताई एवं रोड चौड़ीकरण पर निम्लिखित विवरणानुसार धनराशियाँ आहरित की गयी थी परन्तु व्यय के सापेक्ष कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही |

क्रम	आइ डी नंबर	फ़र्म का नाम	दिनांक	धनराशि	सामान
1 -	53680408	पूजा ट्रेडर्स	27.08.2021	80476.00	सामग्री
2-	53680408	एम0 आर0	27.08.2021	116688.00	मजदूरी
3 -	53680408	फ़ोटो	27.08.2021	450.00	-
4-	53680408	गौरव ब्रिक फील्ड	27.08.2021	69325.00	ईंट क्रय
5-	53680408	खान मशीनरी	27.08.2021	86125.00	सामग्री
6-	53680408	डायमण्ड सीमेंट स्टोर	27.08.2021	139317.00	सामग्री
				योग	492381.00

उक्त व्यय पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। ऐसी

2- उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- उक्त फर्नीचर सामग्री किसकी मांग पर क्रय की गई थी का विवरण भी अप्राप्त रहा |वास्तव में विद्यालय के मांग पत्र एवं उस विद्यालयमें नामांकित छात्रो की जाँच किए बिना क्रय किया जाना आपत्तिजनक था लेखा परीक्षा में क्रय हेतु विद्यालय के सक्षम अधिकारी की संस्तुति भी नहीं थी| सामान क्रय के साथ साथ सामान की आपूर्ति विद्यालय तक हुई की नहीं इस हेतु प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा | जो प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 492381.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से नियमानुसार समान मात्रा में वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपए 246190.50 की वसूली ग्राम प्रधान मो0 फैजल से एवं रु0 246190.50 की वसूली सचिव श्री राम छवि से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 22 धनराशि रु० 492381.00

प्रस्तर संख्या 123- राज्य योजनान्तर्गत इंडियन स्कूल से सलीम के घर तक खड़ंजा मरम्मत कार्य पर निम्लिखित विवरणानुसार धनराशियां आहरित की गयी थी परन्तु व्यय के सापेक्ष कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही -

क्रम	आइ डी नंबर	फ़र्म का नाम	दिनांक	धनराशि	सामान
1 -	52325148	एम0 आर0	10.01.2022	67854.00	मजदूरी
2-	52325148	गौरव ब्रिक फील्ड	10.01.2022	91350.00	ईंट क्रय
3 -	52325148	डायमण्ड सीमेंट स्टोर	10.01.2022	21700.00	सामग्री
4-	52325148	गौरव ब्रिक फील्ड	10.01.2022	62150.00	ईंट क्रय
5-	52325148	फ़ोटो	10.01.2022	450.00	-
			योग	243504.00	

उक्त व्यय पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। ऐसी

2- उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- उक्त फर्नीचर सामग्री किसकी मांग पर क्रय की गई थी का विवरण भी अप्राप्त रहा |वास्तव में विद्यालय के मांग पत्र एवं उस विद्यालयमें नामांकित छात्रो की जाँच किए बिना क्रय किया जाना आपत्तिजनक था लेखा परीक्षा में क्रय हेतु विद्यालय के सक्षम अधिकारी की संस्तुति भी नहीं थी| सामान क्रय के साथ साथ सामान की आपूर्ति विद्यालय तक हुई की नहीं इस हेतु प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा | जो प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है |

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 243504.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से नियमानुसार समान मात्रा में वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपए 121752.00 की वसूली ग्राम प्रधान मो0 फैजल से एवं रु0 121752.00 की वसूली सचिव श्री राम छवि से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 23 धनराशि रु० 243504.00

प्रस्तर संख्या 124- राज्य योजनान्तर्गत राम सुधार के घर से वीरेंद्र वर्मा के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य पर निम्लिखित विवरणानुसार धनराशियां आहरित की गयी थी परन्तु व्यय के सापेक्ष कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही |

क्रम	आइ डी नंबर	फ़र्म का नाम	दिनांक	धनराशि	सामान
1 -	56411041	गौरव ब्रिक फील्ड	07.03.2022	30800.00	ईंट
2-	56411041	पूजा ट्रेडर्स	07.03.2022	93456.00	सीमेंट ईंट
			योग	124256.00	

उक्त व्यय पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। ऐसी

2- उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- उक्त फर्नीचर सामग्री किसकी मांग पर क्रय की गई थी का विवरण भी अप्राप्त रहा |वास्तव में विद्यालय के मांग पत्र एवं उस विद्यालयमें नामांकित छात्रो की जाँच किए बिना क्रय किया जाना आपत्तिजनक था लेखा परीक्षा में क्रय हेतु विद्यालय के सक्षम अधिकारी की संस्तुति भी नहीं थी| सामान क्रय के साथ साथ सामान की आपूर्ति विद्यालय तक हुई की नहीं इस हेतु प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा | जो प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है |

7-उक्त कार्य के सापेक्ष सामग्री क्रय किया गया था परंतु मजदूरी का भुगतान कैशबुक में अंकित नहीं था जिससे स्पष्ट है या तो कार्य कराया ही नहीं गया य सामग्री क्रय करके उसका अपहरण कर लिया गया।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 124256.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से नियमानुसार समान मात्रा में वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपए 62128.00 की वसूली ग्राम प्रधान मो0 फैजल से एवं रु0 62128.00 की वसूली सचिव श्री राम छवि से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 24 धनराशि रु० 124256.00

प्रस्तर संख्या 125- राज्य योजनान्तर्गत मांटेसरी स्कूल से राम सुधार के घर घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य पर निम्लिखित विवरणानुसार धनराशियां आहरित की गयी थी परन्तु व्यय के सापेक्ष कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही |

क्रम	आइ डी नंबर	फ़र्म का नाम	दिनांक	धनराशि	सामान
1 -	56411013	डायमण्ड सीमेंट स्टोर	09.03.2022	94183.00	सामग्री
2-	56411013	गौरव ब्रिक फील्ड	09.03.2022	40500.00	ईंट
3	56411013	पूजा ट्रेडर्स	10.03.2022	129800.00	ईंट
4	56411013	पूजा ट्रेडर्स	10.03.2022	129800.00	ईंट
5	56411013	डायमण्ड सीमेंट स्टोर	25.03.2022	20700.00	सामग्री
6	56411013	एम0 आर0	29.03.2022	45522.00	मजदूरी
			योग	460505.00	

उक्त व्यय पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। ऐसी

2- उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- उक्त फर्नीचर सामग्री किसकी मांग पर क्रय की गई थी का विवरण भी अप्राप्त रहा |वास्तव में विद्यालय के मांग पत्र एवं उस विद्यालयमें नामांकित छात्रो की जाँच किए बिना क्रय किया जाना आपत्तिजनक था लेखा परीक्षा में क्रय हेतु विद्यालय के सक्षम अधिकारी की संस्तुति भी नहीं थी| सामान क्रय के साथ साथ सामान की आपूर्ति विद्यालय तक हुई की नहीं इस हेतु प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा | जो प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है |

7-उक्त कार्य के सापेक्ष आलोच्य वित्तीय वर्ष में राज्य वित्त योजना अंतर्गत राम सुधार के घर से वीरेंद्र वर्मा के घर तक इन्टर लॉकिंग कार्य कराया गया जो कि अलग आई डी पर थी सपस्ठ है कि कार्य एक ही था परन्तु जान बुझ कर सक्षम अधिकारी से अनुमति न लेने के कारण कार्य को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, जो कि अनियमितता का विषय है। इस पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 460505.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से नियमानुसार समान मात्रा में वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपए 230250.50 की वसूली ग्राम प्रधान मो0 फैजल से एवं रु0 230250.50 की वसूली सचिव श्री राम छवि से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 25 धनराशि रु० 460505.00

प्रस्तर संख्या 126- पंद्रहवाँ /राज्य वित्त योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत में प्रयुक्त करने हेतु निमम्नलिखित तिथियों में ह्यूम पाइप का क्रय किया गया था एवं उक्त कार्य पर निम्लिखित विवरणानुसार धनराशियां आहरित की गयी थी परन्तु व्यय के सापेक्ष कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही |

क्रम	आइ डी नंबर	फ़र्म का नाम	दिनांक	धनराशि	वित्त आयोग
1 -	53459077	पूजा ट्रेडर्स	03.08.2021	108750.00	15वाँ
2-	51459580	पूजा ट्रेडर्स	18.01.2022	50750.00	15वाँ
3	51459580	पूजा ट्रेडर्स	18.01.2022	58000.00	15वाँ
4	-	पूजा ट्रेडर्स	25.05.2021	109350.00	पंचम रा0वि0
			योग	326850.00	

उक्त व्यय पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2- उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के

अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

6- उक्त फर्नीचर सामग्री किसकी मांग पर क्रय की गई थी का विवरण भी अप्राप्त रहा |वास्तव में विद्यालय के मांग पत्र एवं उस विद्यालयमें नामांकित छात्रो की जाँच किए बिना क्रय किया जाना आपत्तिजनक था लेखा परीक्षा में क्रय हेतु विद्यालय के सक्षम अधिकारी की संस्तुति भी नहीं थी| सामान क्रय के साथ साथ सामान की आपूर्ति विद्यालय तक हुई की नहीं इस हेतु प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहा | जो प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है |

7-उक्त कार्य के सापेक्ष आलोच्य वित्तीय वर्ष में राज्य वित्त योजना एवं पंद्रहवें वित्त से अलग-अलग आईडी पर एक ही सामान क्रय किया जाना कार्य को संदिग्ध बनाता है एवं उक्त ह्यूम पाइप का प्रयोग ग्राम पंचायत में कहाँ-कहाँ हुआ इसका भी उल्लेख नहीं और कोशबही में इस मद में मजदूरी भी नहीं दर्शित थी। एसी स्थिति में ह्यूम पाइप के नाम पर समस्त धनराशि के अपहरण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 326850.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से नियमानुसार समान मात्रा में वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपए 163426.00 की वसूली ग्राम प्रधान मो0 फैजल से एवं रु0 163426.00 की वसूली सचिव श्री राम छवि से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 26 धनराशि रु० 326850.00

72 - ग्राम पंचायत – निन्दूरा विकास खंड – निन्दूरा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 127-

1. कार्य का नाम कंचनापुर मेन रोड से मनोहर के घर तक व रामपाल के घर तक इण्टरलाकिंग ब्लाक टाइल्स रोड निर्माण कार्य (3148001055/आरसी/958486255823211043)		
8305	01/10/2021	2040
15492	02/02/2022	18360
15492	02/02/2022	6120
15492	02/02/2022	6120
15493	02/02/2022	9180
15493	02/02/2022	11220
15493	02/02/2022	3060
15493	02/02/2022	3060
	योग	59160.00

उक्त कार्य पर निमम्नलिखित विवरण अनुसार मनरेगा पोर्टल पर सामग्री क्रय किया जाना दर्शित था विवरण निम्नवत है।

क्र० सं०	बिल सं०	तिथि	फर्म	धनराशि
1	111	25.09.2021	मे0 आमिर इन्टरप्राईजेज	92874.30
	127	26.09.2021	श्री बाला जी सप्लायर	246620.00

	83	26.09.2021	आजाद कॉम्पनी भट्टा	88062.50
			योग	427556.80

इस तरह उक्त कार्य पर कुल व्यय 59160.00+427556.80=486716.80 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में बार-बार मांगे जाने के पश्चात भी पत्रावली प्रस्तुत नहीं के गई जो कि जिससे लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण मनरेगा पोर्टल पर उपरोक्त दर्शित मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रमाणक विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 486716.80 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है।

2 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है ।

4 -- उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 -- कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित उक्त कुल धनराशि रुपये 486716.80 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली मनरेगा ऐक्ट मे निहित प्रविधानों तथा कार्यालय आयुक्त (ऐपेक्स टी0 ए0 सी0) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001 दिनांक 21 सितंबर 2008 के आधार पर ग्राम प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत तथा तकनीकी सहायक से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से 33.33% के आधार पर रुपये 486716.80 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 162238.90 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना ,पंचायत सचिव श्री विजय कुमार से रु0 162238.90 एवं तत्कालीन तकनीकी सहायक श्री राम सिंह से रु0 162238.90 की बराबर -बराबर प्रत्येक से अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 19 धनराशि रु० 486716.80

प्रस्तर संख्या 128-

कार्य का नाम ग्राम पंचायत निन्दूरा मे सीएच 1400 से 2000 तक कल्यानी नदी का पुनरोधार कार्य (3148001055/एफपी/958486255823249248)

मस्टर रो०	तिथि	धनराशि
16307	23/02/2022	6324
16307	23/02/2022	12444
16307	23/02/2022	6120
16308	23/02/2022	16932
16308	23/02/2022	6120
16308	23/02/2022	3060
16308	23/02/2022	3060
16309	23/02/2022	7140

16309	23/02/2022	15300
16309	23/02/2022	3060
16309	23/02/2022	3060
16310	23/02/2022	6120
16310	23/02/2022	15300
16310	23/02/2022	9180
16311	23/02/2022	6120
16311	23/02/2022	21420
16311	23/02/2022	3060
16312	23/02/2022	6120
16312	23/02/2022	21420
16312	23/02/2022	3060
16313	23/02/2022	16932
16313	23/02/2022	6120
16313	25/03/2022	6120
16314	23/02/2022	12240
16314	23/02/2022	3060
16314	23/02/2022	15300
16315	23/02/2022	6120
16315	23/02/2022	18360
16315	23/02/2022	3060
16315	25/03/2022	3060
16316	23/02/2022	12240
16316	23/02/2022	9180
16316	23/02/2022	6120
16316	23/02/2022	3060
16317	23/02/2022	3060
16317	23/02/2022	24480
16317	23/02/2022	3060
16318	23/02/2022	3060
16318	23/02/2022	15300
16318	23/02/2022	12240
16319	23/02/2022	18360
16319	23/02/2022	12240
16320	23/02/2022	12240
16320	23/02/2022	3060
16320	23/02/2022	12240
16320	25/03/2022	3060
16321	23/02/2022	3060
16321	23/02/2022	15300
16321	23/02/2022	12240
16322	23/02/2022	3060
16322	23/02/2022	3060
16323	23/02/2022	2040
16323	23/02/2022	4080
16323	23/02/2022	3060
16324	23/02/2022	4080
16324	23/02/2022	5100
16324	23/02/2022	1020
16325	23/02/2022	2040
16325	23/02/2022	5100
16325	23/02/2022	1020
16325	23/02/2022	1020
16325	23/02/2022	1020
16326	23/02/2022	4080
16326	23/02/2022	3060
16326	23/02/2022	3060
16327	23/02/2022	2040
16327	23/02/2022	8160
16328	23/02/2022	2040

16328	23/02/2022	5100
16328	23/02/2022	1020
16328	25/03/2022	2040
16329	23/02/2022	6120
16329	23/02/2022	2040
16329	23/02/2022	2040
16330	23/02/2022	2040
16330	23/02/2022	7140
16330	23/02/2022	1020
16331	23/02/2022	3672
16331	23/02/2022	2040
16331	23/02/2022	3060
16331	25/03/2022	1020
16332	23/02/2022	2040
16332	23/02/2022	3876
16332	23/02/2022	1020
16332	23/02/2022	2040
16333	23/02/2022	1020
16333	23/02/2022	7140
16333	23/02/2022	2040
16334	23/02/2022	8160
16334	23/02/2022	2040
16335	23/02/2022	2040
16335	23/02/2022	7140
16335	25/03/2022	1020
16336	23/02/2022	6120
16336	23/02/2022	1020
16336	23/02/2022	3060
16337	23/02/2022	2040
16337	23/02/2022	1020
16337	23/02/2022	2040
16338	23/02/2022	9180
16338	23/02/2022	12240
16338	23/02/2022	6120
16338	25/03/2022	3060
16339	23/02/2022	18360
16339	23/02/2022	6120
16339	25/03/2022	6120
16340	23/02/2022	6120
16340	23/02/2022	12240
16340	23/02/2022	6120
16340	23/02/2022	6120
16341	23/02/2022	3060
16341	23/02/2022	15300
16341	23/02/2022	3060
16341	23/02/2022	6120
16341	25/03/2022	3060
16342	23/02/2022	3060
16342	23/02/2022	4080
16342	23/02/2022	2040
16342	25/03/2022	1020
16343	23/02/2022	6120
16343	23/02/2022	2040
16343	25/03/2022	1020
16343	25/03/2022	1020
16344	23/02/2022	2040
16344	23/02/2022	4080
16344	23/02/2022	2040
16344	23/02/2022	2040
16345	23/02/2022	1020

16345	23/02/2022	5100
16345	23/02/2022	1020
16345	23/02/2022	2040
16345	25/03/2022	1020
	योग	762960.00

उक्त कार्य पर बार-बार मांगे जाने के बावजूद भी पत्रावली प्रस्तुत नहीं के गई जो कि जिससे लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण मनरेगा पोर्टल पर उपरोक्त दर्शित मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रमाणक विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 486716.80 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है।

2 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है ।

4 -- उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 -- कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित उक्त कुल धनराशि रुपये 762960.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली मनरेगा ऐक्ट मे निहित प्रविधानों तथा कार्यालय आयुक्त (ऐपेक्स टी0 ए0 सी0) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001 दिनांक 21 सितंबर 2008 के आधार पर ग्राम प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत तथा तकनीकी सहायक से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से 33.33% के आधार पर रुपये 762960.00 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 254320.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना ,पंचायत सचिव श्री विजय कुमार से रु0 254320.00 एवं तत्कालीन तकनीकी सहायक श्री राम सिंह से रु0 254320.00 की बराबर -बराबर प्रत्येक से अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 20 धनराशि रु० 762960.00

प्रस्तर संख्या 129-

कार्य का नाम कंचनापुर मे आरसीसी रोड से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य (3148001055/आरसी/958486255823196338)		
6724	02/09/2021	2448
6724	02/09/2021	816
6724	02/09/2021	1632
6724	14/12/2021	816
6725	02/09/2021	4896
6726	02/09/2021	1632
6726	02/09/2021	816
6730	10/09/2021	5508

6730	10/09/2021	1836
6730	10/09/2021	3672
6730	14/12/2021	1836
6731	10/09/2021	11016
6732	10/09/2021	1428
8049	01/10/2021	2856
8049	01/10/2021	1428
8049	01/10/2021	1428
8393	19/10/2021	2856
8393	19/10/2021	2856
7436	10/11/2021	2652
15496	02/02/2022	2040
15496	02/02/2022	3060
15496	02/02/2022	3060
15497	02/02/2022	6120
	योग	49776.00

उक्त कार्य हेतु मास्टर रोल के सापेक्ष ऑनलाइन मनरेगा पोर्टल पर फ़र्मों से निमम्नलिखित विवरण के अनुसार सामग्री क्रय की गई थी जिसका विविरण निम्मनवत है-

क्र0 सं0	फर्म का नाम	बिल सं0	तिथि	धनराशि
1	श्री बाला जी सप्लायर	114	05.09.2021	249216.00
2	श्री बाला जी सप्लायर	115	08.09.2021	233640.00
3	श्री बाला जी सप्लायर	118	08.09.2021	26375.36
4	आजाद कॉम्पनी भट्टा	206	26.8.2021	176187.00
5	सचिन इन्टर प्राईजेज	27	29.08.2021	79488.00
6	सचिन इन्टर प्राईजेज	28	29.08.2021	85002.00
			योग	849908.36

उक्त कार्य पर सम्पूर्ण व्यय रु0 49776.00+849908.36=899684.36 दर्शित था जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में लिखित एवं मौखिक मांग करने पर भी पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण मनरेगा पोर्टल पर उपरोक्त दर्शित मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रमाणक विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 486716.80 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है।

2 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है ।

4 -- उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 -- कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित उक्त कुल धनराशि रुपये 899684.36 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली मनरेगा ऐक्ट मे निहित प्रविधानों तथा कार्यालय आयुक्त (ऐपेक्स टी0 ए0 सी0) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001 दिनांक 21 सितंबर 2008 के आधार पर ग्राम प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत तथा तकनीकी सहायक से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से 33.33% के आधार पर रुपये 899684.36 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 299894.78 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना ,पंचायत सचिव श्री विजय कुमार से रु0 299894.78 एवं तत्कालीन तकनीकी सहायक श्री राम सिंह से रु0 299894.78 की बराबर -बराबर प्रत्येक से अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 21 धनराशि रु० 899684.36

73 - ग्राम पंचायत – उधापुर विकास खंड – निन्दूरा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 130- मनेरेगा योजनान्तर्गत पोर्टल पर दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में ऑफ़ लाइन पत्रावली न प्रस्तुत करने के कारण निम्नलिखित कार्यो पर व्यय धनराशियो का संभावित अपहरण -----

1-कार्य का नाम मेन रोड से तालाब चकबन्ध निर्माण (3148001085/एलडी/958486255823526070)		
मस्टररोल नम्बर	दिनांक	धनराशि
5483	06/08/2021	6120
5483	06/08/2021	9180
5483	06/08/2021	3060
5483	06/08/2021	5712
5483	28/09/2021	3060
5484	06/08/2021	12240
5484	06/08/2021	9180
5484	06/08/2021	3060
5484	28/09/2021	3060
5485	06/08/2021	3060
6034	27/08/2021	2856
6034	27/08/2021	2856
6034	27/08/2021	8568
6034	27/08/2021	11424
6035	27/08/2021	2856
6035	27/08/2021	5508
6035	27/08/2021	2856
6765	16/09/2021	2652
6765	16/09/2021	2652
6765	16/09/2021	2652
6765	16/09/2021	7956
6766	16/09/2021	2652
6766	16/09/2021	7956

6766	16/09/2021	2652
6767	16/09/2021	5304
6768	16/09/2021	2652
	योग	131784.00

{2} -कार्य का नाम मेन रोड से बिहारी के खेत तक चकबन्ध निर्माण (3148001085/एलडी/958486255823526078)

मस्टररोल नम्बर	दिनांक	धनराशि
5705	10/08/2021	2652
5705	10/08/2021	2652
5705	10/08/2021	7956
5705	10/08/2021	5304
5706	10/08/2021	7956
5706	10/08/2021	2652
5706	10/08/2021	7956
6558	11/09/2021	1836
6558	11/09/2021	5712
6558	11/09/2021	428
	योग	48960.00

{3}-कार्य का नाम: मेन रोड से गंगा प्रसाद के खेत तक चकबन्ध

निर्माण कार्य (3148001085/एलडी/958486255823619086)

मस्टररोल नम्बर	दिनांक	धनराशि
7479	24/09/2021	2652
7479	24/09/2021	2652
7479	24/09/2021	7956
7479	24/09/2021	6120
7480	24/09/2021	7956
7480	24/09/2021	7956
8060	08/10/2021	2652
8060	08/10/2021	5304
8060	08/10/2021	7956
8060	09/10/2021	5304
8061	08/10/2021	5304
8061	09/10/2021	5304
9294	17/11/2021	2448
9294	17/11/2021	6732
9294	17/11/2021	9792
9294	12/12/2021	2448
9295	17/11/2021	2448
9295	17/11/2021	2448

10560	03/12/2021	2856
10560	03/12/2021	408
10560	03/12/2021	408
10561	03/12/2021	1224
	योग	103632.00
कार्य का नाम: (3बी)मेन रोड से गया प्रसाद के खेत तक चकबन्ध निर्माण कार्य (3148001085/एलडी/958486255823619088)		
मस्टररोल नम्बर	दिनांक	धनराशि
8051	14/10/2021	13260
8051	14/10/2021	10608
8051	14/10/2021	2652
8052	14/10/2021	5304
8052	14/10/2021	13260
8983	17/11/2021	1020
8983	17/11/2021	4080
8983	17/11/2021	1020
8983	17/11/2021	4080
8984	17/11/2021	4080
8984	17/11/2021	2040
10886	04/12/2021	14484
10886	04/12/2021	1224
10886	04/12/2021	9180
10887	04/12/2021	4692
10887	04/12/2021	6732
10887	04/12/2021	3060
10887	04/12/2021	4692
12487	23/12/2021	3060
12487	23/12/2021	1020
12487	23/12/2021	4488
12488	23/12/2021	6120
13046	24/12/2021	408
13046	24/12/2021	408
15372	01/02/2022	2652
15372	01/02/2022	5304
15372	01/02/2022	5304
	योग	134232.00
	माह योग	284376.00

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण मनरेगा पोर्टल पर उपरोक्त दर्शित मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रमाणक विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 672592.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में

विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है।

2 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है ।

4 -- उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 -- कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित उक्त कुल धनराशि रुपये 284376.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली मनरेगा ऐक्ट मे निहित प्रविधानों तथा कार्यालय आयुक्त (ऐपेक्स टी0 ए0 सी0) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001 दिनांक 21 सितंबर 2008 के आधार पर ग्राम प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत तथा तकनीकी सहायक से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से 33.33% के आधार पर रुपये 284376.00 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 94792.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी ,पंचायत सचिव श्री विजय कुमार से रु0 94792.00 एवं तत्कालीन तकनीकी सहायक श्री विजय बहादुर से रु0 94792.00 बराबर -बराबर प्रत्येक से अपेक्षित है|

मूल आपत्ति संख्या 1 धनराशि रु० 284376.00

74 - ग्राम पंचायत – खरिहानी विकास खंड – निन्दूरा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 131- पूर्व माध्यमिक विद्यालय अनीपुर की बाउंड्री निर्माण मद में ऑनलाइन मनेरेगा पोर्टल पर विवरण निम्नलिखित है ---

क्रम	एमआर न/ फर्म का नाम एवं वाउचर नंबर	दिनांक	धनराशि	
1 -	6049–म.आर	28.08.2021	5712.00	मजदूरी
	6050 म आर	28.08.2021	15708.00	मजदूरी
	9052 म . आर	01.11.2021	2856.00	मजदूरी
	20 बाला जी इंटरप्रैजेज	25.10 20 21	46042.93	सामग्री
	39 बाला जी इंटरप्रैजेज	25.10.2021	87000.00	सामग्री
	42 बाला जी इंटरप्रैजेज	25.10.2021	132911.67	सामग्री
	71अंकित ब्रिक फील्ड	25.10.2021	94999.00	सामग्री
		कुल योग	385229.60	

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण मनरेगा पोर्टल पर उपरोक्त दर्शित मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रमाणक विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 672592.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं

लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है।

2 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है ।

4 -- उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 -- कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित उक्त कुल धनराशि रुपये 385229.60 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली मनरेगा ऐक्ट मे निहित प्रविधानों तथा कार्यालय आयुक्त (ऐपेक्स टी0 ए0 सी0) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001 दिनांक 21 सितंबर 2008 के आधार पर ग्राम प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत तथा तकनीकी सहायक से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से 33.33% के आधार पर रुपये 96307.4 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 96307.4की वसूली ग्राम प्रधान श्री उदैराज सिंह ,पंचायत सचिव एवं तत्कालीन तकनीकी सहायक श्री राम सिंह से बराबर -बराबर प्रत्येक से अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 2 धनराशि रु० 385229.60

प्रस्तर संख्या 132-

आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायतपु खरिहानी मे मनरेगा योजनान्तर्गत निम्नांकित विवरणानुसार कार्यों पर व्यय किया जाना मनरेगा पोर्टल पर दर्शाया गया था -

कार्य का नाम ---कल्यानी नदी का पुनरोद्धार

मास्टर रोल	दिनांक	धनराशि
15329	01/02/2022	3264
15329	01/02/2022	10200
15329	01/02/2022	1632
15329	01/02/2022	5304
15330	01/02/2022	10608
15330	01/02/2022	2652
15330	01/02/2022	7956
15330	01/02/2022	2652
15331	01/02/2022	8160
15331	01/02/2022	5304
15331	01/02/2022	2652
15331	01/02/2022	5304
15332	01/02/2022	5304
15332	01/02/2022	18564
15332	01/02/2022	2652
15437	01/02/2022	6732

15437	01/02/2022	7956
15437	01/02/2022	6732
15438	01/02/2022	9180
15438	01/02/2022	4488
15438	01/02/2022	4284
15438	01/02/2022	2244
15439	01/02/2022	6120
15439	01/02/2022	4488
15439	01/02/2022	2244
15439	01/02/2022	2244
15856	01/02/2022	4080
15856	01/02/2022	1632
15856	01/02/2022	1632
15856	01/02/2022	816
15857	01/02/2022	1632
15858	17/02/2022	8976
15858	17/02/2022	2244
15858	17/02/2022	4488
15858	17/02/2022	612
15859	17/02/2022	2652
15860	17/02/2022	6732
15860	17/02/2022	1428
16152	17/02/2022	11220
16152	17/02/2022	6732
16152	17/02/2022	4488
16153	17/02/2022	6732
16153	17/02/2022	11220
16153	17/02/2022	2244
16154	17/02/2022	4488
16154	17/02/2022	6732
16154	17/02/2022	2448
16154	17/02/2022	4488
16155	17/02/2022	8976
16155	17/02/2022	6732
16155	17/02/2022	4488
16156	17/02/2022	6732
16156	17/02/2022	6732
16156	17/02/2022	4488
16156	17/02/2022	2244
16157	17/02/2022	4896
16157	17/02/2022	2244

16157	17/02/2022	4488
16157	17/02/2022	6732
16158	17/02/2022	11220
16158	17/02/2022	6120
16158	17/02/2022	2244
16159	17/02/2022	2244
16159	17/02/2022	13056
16159	17/02/2022	2244
16159	17/02/2022	4488
16160	17/02/2022	4488
16160	17/02/2022	4488
16160	17/02/2022	2244
16976	04/03/2022	13872
16976	04/03/2022	8568
16976	04/03/2022	5712
16977	04/03/2022	11628
16977	04/03/2022	14280
16978	04/03/2022	8568
16978	04/03/2022	11220
16978	04/03/2022	8364
16979	04/03/2022	5712
16979	04/03/2022	14280
16979	04/03/2022	5712
16980	04/03/2022	8568
16980	04/03/2022	13668
16980	04/03/2022	2856
16981	04/03/2022	9180
16981	04/03/2022	8568
16981	04/03/2022	8568
16982	04/03/2022	7344
16982	04/03/2022	14280
16982	04/03/2022	2856
16983	04/03/2022	17136
16983	04/03/2022	2856
16983	04/03/2022	5712
16984	04/03/2022	5712
16984	04/03/2022	8568
16984	04/03/2022	5712
17148	04/03/2022	4080
17148	04/03/2022	8160
17148	04/03/2022	8160

17149	04/03/2022	2040

योग ---548136

.00

: सिरदारी के मकान से राजेंद्र के मकान तक चक बंध निर्माण कार्य निम्नांकित विवरणानुसार व्यय किया जाना मनरेगा पोर्टल पर दर्शाया गया था -		
मस्टर रोल	दिनांक	धनराशि
6406	08/09/2021	2652
6406	08/09/2021	18564
7037	21/09/2021	2040
7037	21/09/2021	12240

योग 35496

अन्नीपुर सी सी रोड से पंचम लाल के खेत तक चक बंध निर्माण
कार्य निम्नांकित विवरणानुसार व्यय किया जाना मनरेगा पोर्टल पर दर्शाया गया था - मास्टर रोल दिनांक धनराशि

5299	04/08/2021	9996
5299	04/08/2021	7956
5299	04/08/2021	2652
5299	04/08/2021	2652
5299	10/09/2021	2652
5300	04/08/2021	3876
5300	04/08/2021	5304
5300	04/08/2021	2652

योग --- 40392

जोगी बाबा कुटी से सेमरी रोड तक चकबंध निर्माण कार्य निम्नांकित विवरणानुसार व्यय किया जाना मनरेगा पोर्टल पर दर्शाया गया था -

मास्टर रोल	दिनांक	धनराशि
10229	29/11/2021	13260

10229	29/11/2021	2652
10229	29/11/2021	5304
10229	29/11/2021	2652
10230	29/11/2021	2856
10230	29/11/2021	13260
10230	29/11/2021	7956
10231	29/11/2021	5508
10231	29/11/2021	8160
10231	29/11/2021	204
12157	16/12/2021	5712
12157	16/12/2021	22848
12158	16/12/2021	10608
12158	16/12/2021	14280
12158	16/12/2021	2856
12159	16/12/2021	5712
13280	04/01/2022	12240
13280	04/01/2022	4896
13280	04/01/2022	7344
13281	04/01/2022	2448
13281	04/01/2022	11016
13281	04/01/2022	9792
13282	04/01/2022	7344
13282	04/01/2022	12240
13282	04/01/2022	2448
13282	04/01/2022	2448
13283	04/01/2022	9792
13283	04/01/2022	7344
13283	04/01/2022	2448
13283	04/01/2022	4896
13374	04/01/2022	2448
14450	21/01/2022	1224
14450	21/01/2022	9180
योग -233376		

: राम सागर के खेत से परशुराम गौतम के खेत तक चक बंध निर्माणकार्य निम्नांकित विवरणानुसार व्यय किया जाना मनरेगा पोर्टल पर दर्शाया गया था -

मास्टर रोल दिनांक धनराशि

12154	16/12/2021	14280
12154	16/12/2021	8568
12154	16/12/2021	5712
12155	16/12/2021	5712
12155	16/12/2021	14280
12155	16/12/2021	5712
12155	16/12/2021	2856
12156	16/12/2021	5712
12599	18/12/2021	1836
13284	04/01/2022	9792
13284	04/01/2022	14688
13285	04/01/2022	7344
13285	04/01/2022	4692

योग- 101184

सम्बारी गौतम के घर से शारदा नहर तक चक बंध निर्माण कार्य निम्नांकित विवरणानुसार व्यय किया जाना मनरेगा पोर्टल पर दर्शाया गया था - मास्टर रोल दिनांक धनराशि

9649	16/11/2021	2448
9649	16/11/2021	17136
9649	16/11/2021	2448
9650	16/11/2021	2448
10598	04/12/2021	8976
10598	04/12/2021	11832
10598	04/12/2021	2652
10599	04/12/2021	10608
13279	18/12/2021	408
13279	18/12/2021	816
13279	18/12/2021	408
13279	18/12/2021	204

योग -- 57936 .00

: चिखडी तालाब गाटा संख्या 307/0.266 की खुदाई का कार्य निम्नांकित विवरणानुसार व्यय किया जाना मनरेगा पोर्टल पर दर्शाया गया था - मास्टर रोल दिनांक धनराशि

3982	02/07/2021	7344
3982	02/07/2021	8772
3982	02/07/2021	2448

3982	02/07/2021	2448
3983	02/07/2021	8568
3983	02/07/2021	5916
3983	02/07/2021	2448
3983	02/07/2021	2448
3984	02/07/2021	9792
3984	02/07/2021	12240
3984	16/07/2021	2448
3985	02/07/2021	2448
		योग --- 67320.00

महायोग ---
1083840.00

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यो की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण मनरेगा पोर्टल पर उपरोक्त दर्शित मजदूरी भुगतान से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रमाणक विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 672592.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है।

2 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है ।

4 -- उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 -- कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित उक्त कुल धनराशि रुपये 1083840.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली मनरेगा ऐक्ट मे निहित प्रविधानों तथा कार्यालय आयुक्त (ऐपेक्स टी0 ए0 सी0) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001 दिनांक 21 सितंबर 2008 के आधार पर ग्राम प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत तथा तकनीकी सहायक से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से 33.33% के आधार पर रुपये 361280.00वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 361280.00की वसूली ग्राम प्रधान श्री उदयराज सिंह से, रुपये 361280.00की वसूली (तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव) से तथा रुपये361280.00 की वसूली श्रीराम सिंह (तत्कालीन ग्राम तकनीकी सहायक), से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 3 धनराशि रु० 1083840.00

75 - ग्राम पंचायत – इब्राहिमपुर विकास खंड – निन्दूरा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 133-

दिनांक	कार्य का नाम	धनराशि	
1-	30.10.2021	ग्राम पंचायत में स्वछता हेतु ठेलिया क्रय	16450.00
2-	2-11- 2021	प्रशासनिक व्यय	39995.00
3-	3-11-2021	हैंडपंप मरमत्त	19995.00
4-	6-11-2021	हैंडपंप मरमत्त	19995.00

योग ---------- 96435.00

आलोच्य वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा में उपरोक्त मदों में कोष बही में धनराशियो का विवरण अंकित था परन्तु व्यय के सत्यापन में किसी भी प्रमाणक को बार -बार मांगे जाने के वावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया जो पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। अतः रुपये 48217.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेशमा से तथा रुपये 48217.50 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती संस्कृति भटनागर से की जानी अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 21 धनराशि रु० 96435.00

76 - ग्राम पंचायत – खण्डसरा विकास खंड – निन्दूरा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 134- सामुदायिकशोचालय निर्माण के मद में बिना व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करके विभिन तिथियो में बैंक खाते से धन आहरित करते हुए सम्बंधित धनराशि का सम्भावित अपहरण किया गया व्यय विवरण निम्नवत है –--

क्रम	दिनांक बैंक पास बुक में	ई.डी नम्बर	फ़र्म का नाम	धनराशि
1-	-------	50349909	वर्मा हार्डवेयरएंड मशीनरी स्टोर	30000.00
2-	11-09-2021	उपरोक्त	राज फब्रिकातेर्स	31740.00
3-	11-09-2021	उपरोक्त	लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी	106231.00
4-	11.09.2021	उपरोक्त	गौरव ब्रिक फील्ड	62200.00
5-	22.09.2021	उपरोक्त	वर्मा हार्डवेयर एंड मशीनरी स्टोर	89305.00
6-	24.12.21	उपरोक्त	मजदूरी	32340.00
7-	25.12.2021	उपरोक्त	मजदूरी शौचालय	21000.00

यौग----372816.00

उक्त व्यय पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 372816.00 की व्यय पत्रावली के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से बराबर मात्रा में अर्थात से रुपये 372816.00 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये 186408.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकिशोरसे व रुपये 186408.00 सचिव विजय कुमार से निमानुसार वसूली योग्य है |

मूल आपत्ति संख्या 18 धनराशि रु० 372816.00

प्रस्तर संख्या 135- पंचायत भवन निर्माण मद मे विभिन्न निनाकित तिथियो में बैंक खातो से धनराशिया आहरित करने के सापेच्छ लेखा परीक्षा में व्यय विवरण के सत्यापन में बार -बार पत्रावली मांगे जाने के वावजूद कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने के कारण वयय कुल धनराशि रुपे 232746.00 का संभावित गबन उत्तरदाई का र्मिक \ व्यकित द्वारा कर लिया गया विवरण निमनाकित है-----

क्रम	दिनांक बैंक खाते का	आई डी	फर्म का नाम	धनराशि
1-	06 .10 .20 21	447881 70	लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी	98746.00
2-	14.10 .2021	उपरोक्त	गोरव ब्रिक फील्ड	134000.00

योग ---------232746.00

उक्त व्यय पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली

सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धरा 409 के अंतर्गत गबन का मुक़दमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

2 - उपरोक्त कार्यों से सम्बंधित विभिन्न तिथियों में सामग्रियों का क्रय किया गया था , किन्तु उक्त क्रय से पूर्व कोटेशन से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जो शासनादेश संख्या ए -1 - 864 /दस -08 -15 (1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 4 व 5 में निहित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से सामग्री का क्रय करके ग्राम सभा को वित्तीय क्षति पहुंचाई गयी। कोटेशन / टेंडर से सम्बंधित पत्रावलियों को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

3 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है।

4 --उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 --कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में उक्त व्यय दर्शित कुल धनराशि रुपये 232746.00 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकिशोर तथा सचिव श्री विजय कुमार बराबर मात्रा में अर्थात हर एक से रुपये 116373.00 वसूल किया जाना अपेक्षित होगा ।

मूल आपत्ति संख्या 19 धनराशि रु॰ 232746.00

77 - ग्राम पंचायत – सैंदर विकास खंड – निन्दूरा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 136- ग्राम पंचायत सैंडर मे मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित कार्यों के सापेक्ष निम्नांकित कार्यों की पत्रावलियाँ बार - 2 मांगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयीं जिनका विवरण निमन्वत है -

1-कार्य का नाम: ग्राम पंचायत सैन्दर मे पंचायत भवन निर्माण कार्य(3148001066/एवी/958486255823004968)		
4084	26/06/2021	1428
4084	26/06/2021	2856
4084	26/06/2021	4284
4084	26/06/2021	5712
4409	14/07/2021	5304
4409	14/07/2021	7956
4409	14/07/2021	10608
4410	14/07/2021	13260
4410	14/07/2021	2652
4410	14/07/2021	5304
4776	27/07/2021	5304
4776	27/07/2021	7956
4776	27/07/2021	10608
4777	27/07/2021	13260

4777		27/07/2021			2652
4777		27/07/2021			5304
ग्राम पंचायत सैन्दर मे पंचायत भवन निर्माण कार्य (3148001066/एवी/958486255823004968)	ए वी	67	19/06/2021	03/08/2021	182681.6
		68	19/06/2021	03/08/2021	207268

योग - 494397.00

2-कार्य का नाम: पंचायत भवन में बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य (3148001066/एवी/958486255823024721)		
4489	13/07/2021	4488
4489	13/07/2021	8976
4489	13/07/2021	6732
4490	13/07/2021	2244
4490	13/07/2021	8976
4490	13/07/2021	8976
4490	13/07/2021	2244
4491	13/07/2021	15708
4495	27/07/2021	1632
4495	27/07/2021	2448
4495	27/07/2021	3264
4496	27/07/2021	3264
4496	27/07/2021	816
4496	27/07/2021	816
4496	27/07/2021	3264
4497	27/07/2021	5712

पंचायत भवन में बाउंड्रीवाल निर्माण	एवी	790	14/07/2021	12/08/2021	232787.625

कार्य (3148001066/एवी/958486255823024721)					
		798	14/07/2021	12/08/2021	219811.2
		799	14/07/2021	12/08/2021	234190
		800	14/07/2021	12/08/2021	166280.7475

योग - 864720.25

3-कार्य का नाम: सैंदर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय सैंदर में बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य (3148001066/एवी/958486255823024722)		
7775	01/10/2021	2856
7775	01/10/2021	17136
7775	01/10/2021	5712
7777	19/10/2021	2448
8340	19/10/2021	2652
8340	19/10/2021	5304
8340	19/10/2021	5304
8340	19/10/2021	13260
8341	19/10/2021	5304
8341	19/10/2021	2652

सैंदर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय सैंदर में बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य (3148001066/एवी/958486255823024722)	एवी	189	16/09/2021	20/01/2022	114600
		192	17/09/2021	20/01/2022	140207.6
		193	18/09/2021	20/01/2022	230400
		194	20/09/2021	20/01/2022	137600
		414	21/09/2021	20/01/2022	15217.696

योग - 760890.78

4-कार्य का नाम: पंचायत भवन के प्रांगण मे इण्टरलाकिंग व सौन्दर्यीकरण कार्य

(3148001066/एवी/958486255823031475)		
6636	04/09/2021	2040
6636	04/09/2021	12852
6636	04/09/2021	4080
6637	04/09/2021	6120
6637	04/09/2021	4080
6637	04/09/2021	8160
6637	04/09/2021	2040
6638	04/09/2021	2040
6638	04/09/2021	6936
6638	04/09/2021	8160
6639	04/09/2021	4080
6639	04/09/2021	6120
8853	01/11/2021	816
8853	01/11/2021	816
8853	01/11/2021	5712
8853	01/11/2021	816
8854	01/11/2021	2448
8854	01/11/2021	1632
8854	01/11/2021	1632
8854	01/11/2021	2448
8855	01/11/2021	1632

पंचायत भवन के प्रांगण मे इण्टरलाकिंग व सौन्दर्यीकरण कार्य (3148001066/एवी/958486255823031475)	एवी	71	23/08/2021	20/01/2022	131700
		72	23/08/2021	20/01/2022	230836.7
		74	24/08/2021	20/01/2022	229077.32
		75	28/08/2021	20/01/2022	209000
		76	30/08/2021	20/01/2022	198000
		77	30/08/2021	20/01/202	72160

				2	
		78	30/08/2021	20/01/2022	3571
		80	04/09/2021	20/01/2022	9470

योग - 1318200.00

महायोग - 3438200.47

उक्त कराये गए कार्यों के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं---

1 - उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान से सम्बंधित मस्टररोल व कार्यों की पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण मनरेगा पोर्टल पर उपरोक्त दर्शित मजदूरी भुगतान से संबंधित एवं सामग्री क्रय से संबंधित व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रमाणक विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 3438200.47पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है।

2 - उपरोक्त कराये गए कार्यों का कोई मानचित्रण / प्राक्कलन भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा । मानचित्रण / प्राक्कलन न कराया जाना पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 153 तथा 154 का उल्लंघन है ।

4 -- उपरोक्त कराये गए कार्यों की माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिसके अभाव में कार्य कराये जाने / कार्य के संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

5 -- कराये गए कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिसके अभाव में कार्यों के पूर्ण/ संपन्न होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ पंचायती राज नियमावली के नियम संख्या 10 के नियम संख्या 209 का उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक में मनरेगा पोर्टल पर दर्शित उक्त कुल धनराशि रुपये 3438200.47 की व्यय पत्रावलियों के अभाव पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ऐसी स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली मनरेगा ऐक्ट मे निहित प्रविधानों तथा कार्यालय आयुक्त (ऐपेक्स टी0 ए0 सी0) ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1001 दिनांक 21 सितंबर 2008 के आधार पर ग्राम प्रधान, सचिव ग्राम पंचायत तथा तकनीकी सहायक से बराबर मात्रा में अर्थात प्रत्येक से 33.33% के आधार पर प्रतेक से 1146066.82 रुपये वसूल किया जाना अपेक्षित होगा । अतः रुपये वसूली ग्राम प्रधान श्री, रामराज यादव् ,पंचायत सचिव विजय कुमार वर्मा एवं तत्कालीन तकनीकी सहायक श्री विनोद दुबे से बराबर -बराबर प्रत्येक से अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति संख्या 18 धनराशि रु० 3438200.47

78 - ग्राम पंचायत – मोहनपुर विकास खंड – देवा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 137- ग्राम पंचायत- मोहनपुर की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया...930451.00 की धनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है| परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पति रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी

अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	पंचम वित्त	43853260	हैन्ड पंप मरम्मत	24.05.2021	निम्रत इन्टर प्राईजेज	41824	अप्राप्त
02	पंचम वित्त	43853260	हैन्ड पंप मरम्मत	24.05.2021	निम्रत इन्टर प्राईजेज	28226	अप्राप्त
03	पंचम वित्त	43871136	मेन्टीनेंस	24.05.2021	निम्रत इन्टर प्राईजेज	33662	अप्राप्त
04	पंचम वित्त	43871136	मेन्टीनेंस	25.05.2021	निम्रत इन्टर प्राईजेज	34081	अप्राप्त
05	पंचम वित्त	43871748	मजदूरी	15.07.2021	शिव रानी	30600	अप्राप्त
06	पंचम वित्त	43851756	ड्रेनेज	22.07.2021	सरस्वती पाइप	34183	अप्राप्त
07	पंचम वित्त	43851756	स्टेशनरी	22.07.2021	कल्पना प्रकाशन	8323	अप्राप्त
08	पंचम वित्त	43871959	ड्रेनेज	22.07.2021	सरस्वती पाइप	82600	अप्राप्त
09	पंचम वित्त	43871748	ड्रेनेज	22.07.2021	सरस्वती पाइप	24600	अप्राप्त
10	पंचम वित्त	51118368	हैन्ड पंप मरम्मत	26.07.2021	निम्रत इन्टर प्राईजेज	128848	अप्राप्त
11	पंचम वित्त	43852489	एसेसरीज	16.08.2021	जायसवाल हार्डवेयर एण्ड पेंट्स	46000	अप्राप्त
12	पंचम वित्त	43852489	चूना	16.08.2021	निम्रत इन्टर प्राईजेज	11250	अप्राप्त
13	पंचम वित्त	54349696	जे. सी बी चार्ज	20.10.2021	अनूप कुमार	36000	अप्राप्त
14	पंचम वित्त	54349696	कॉटेज	20.10.2021	अनूप कुमार	30000	अप्राप्त
15	पंचम वित्त	54349696	मजदूरी	20.10.2021	शिव रानी	33864	अप्राप्त
16	पंचम वित्त	54399720	मेन्टीनेंस	31.10.2021	निम्रत इन्टर प्राईजेज	50165	अप्राप्त
17	पंचम वित्त	54347000	मटेरियल	06.12.2021	जायसवाल हार्डवेयर एण्ड पेंट्स	59000	अप्राप्त
18	पंचम वित्त	54347000	स्टेशनरी	14.01.2022	कल्पना प्रकाशन	23544	अप्राप्त
19	पंचम वित्त	54347400	हैन्ड पंप मरम्मत	16.03.2022	निम्रत इन्टर प्राईजेज	35600	अप्राप्त
20	पंचम वित्त	54349736	हैन्ड पंप रिबोर 4	16.03.2022	निम्रत इन्टर प्राईजेज	124000	अप्राप्त
	कुल					896370.00	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 896370.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम पंचायत प्रशासक श्री मोहम्मद सलीम सेरुपया 68896.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शिवरानी से रुपया 379288.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 448185.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 896370.00

प्रस्तर संख्या 138- ग्राम पंचायत- मोहनपुरकी वित्तीय वर्ष- 2021-22में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खातेसे रुपया की धनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	15वाँ वित्त	51118357	पेड टू एसएचजी	09.07.2021	नीलकंठइन्टरप्राईजेज	27000	अप्राप्त
02	15वाँ वित्त	43853108	राजगीर	11.09.2021	अनूप कुमार	33300	अप्राप्त
03	15वाँ वित्त	43853108	टाइल्स	11.09.2021	लक्ष्मीपतिइन्टरप्राईजेज	45465	अप्राप्त
04	15वाँ वित्त	43853108	पल्ला	11.09.2021	निम्रत इन्टरप्राईजेज	22974	अप्राप्त
05	15वाँ वित्त	43853108	मटेरियल	11.09.2021	श्री बाला जी ट्रेडर्स	76046	अप्राप्त
06	15वाँ वित्त	43853108	पेंटिंग सेनेट्री मटेरियल	11.09.2021	निम्रत इन्टरप्राईजेज	**67423**	अप्राप्त
07	15वाँ वित्त	43853108	**ईट**	11.09.2021	अमित ब्रिक फील्ड	**47250**	अप्राप्त
08	15वाँ वित्त	51118357	सफाई किट	20.10.2021	सुपर ट्रेडर्स	23515	अप्राप्त
09	15वाँ वित्त	51118357	सोडियम हाइपो	20.10.2021	स्पार्क एनर्जी	9490	अप्राप्त
10	15वाँ वित्त	51118357	ब्लीचिनग	20.10.2021	स्पार्क एनर्जी	8490	अप्राप्त
11	15वाँ वित्त	54347580	इन्टर लाकिंग ब्रिक	31.10.2021	निम्रत इन्टर प्राईजेज	94754	अप्राप्त
12	15वाँ वित्त	54347580	इन्टर लाकिंग ब्रिक	31.10.2021	निम्रत इन्टर प्राईजेज	94754	अप्राप्त
13	15वाँ वित्त	54347580	सीमेंट मोरंग	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	61825	अप्राप्त
14	15वाँ वित्त	54347580	ईट	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	63819	अप्राप्त
15	15वाँ वित्त	54347580	फोटो	31.10.2021	कृष्णा डिजिटल फोटो स्टूडियो	500	अप्राप्त
16	15वाँ वित्त	54347580	मजदूरी	31.10.2021	अनूप कुमार	43020	अप्राप्त
17	15वाँ वित्त	54347746	टाइल्स	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	43594	अप्राप्त
18	15वाँ वित्त	54347746	टाइल्स	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	43594	अप्राप्त
19	15वाँ वित्त	54347746	ब्रिक	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	9450	अप्राप्त
20	15वाँ वित्त	54347746	इलेकटीफिकेशन	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	14250	अप्राप्त
21	15वाँ वित्त	54347746	सीमेंट मोरंग बालू	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	49248	अप्राप्त
22	15वाँ वित्त	54347746	फोटो	31.10.2021	कृष्णा डिजिटल फोटो स्टूडियो	500	अप्राप्त
23	15वाँ वित्त	54347746	मजदूरी	31.10.2021	अनूप कुमार	35748	अप्राप्त

24	15वाँ वित्त	51118357	फोटो ग्राफी	14.01.2022	अमर सिंह	8500	अप्राप्त
25	15वाँ वित्त	54347605	-	07.02.2022	निम्रत इन्टर प्राईजेज	47985	अप्राप्त
26	15वाँ वित्त	54347605	रिबोर 6	07.02.2022	शिवरानी	33684	अप्राप्त
27	15वाँ वित्त	54347458	हैन्ड पंप रिबोर 6	14.01.2022	निम्रत इन्टर प्राईजेज	186000	अप्राप्त
		कुल				1192178.00	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1192178.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रीमती शिवरानी से रुपया 596089.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्रीवीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 596089.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 1192178.00

प्रस्तर संख्या 139- ग्राम पंचायत- मोहनपुर की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर मजदूरी पर भुगतान कुल रुपया 842145.00 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 842145.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 280715.00 , तकनीकी सहायक श्री भगवती प्रसाद से रुपया 280715.00 एवंम प्रधान श्रीमती शिवरानी से रुपया 280715.00 किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रु० 842145.00

79 - ग्राम पंचायत – चंदौली विकास खंड – देवा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 140- ग्राम पंचायत- चंदौली की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया...466189.50 की धनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है| परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल

/अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 466189.50 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	पंचम वित्त	43845187	मरम्मत	25.05.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	38000	अप्राप्त
02	पंचम वित्त	46244241	मटेरियल	18.06.2021	ओम ट्रेडर्स	14434	अप्राप्त
		46244241	मटेरियल	18.06.2021	डाईमेंट ब्रिक फील्ड	12498	अप्राप्त
		46244241	मजदूरी	18.06.2021	वीरेद्र कुमार	6663	अप्राप्त
		46244241	इन्टरलाकिंग	18.06.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	29335	अप्राप्त
03	पंचम वित्त	43845187	स्टेशनरी	22.07.2021	कल्पना प्रकाशन	13091	अप्राप्त
		43845187	ठेलिया	05.01.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	18000	अप्राप्त
		43834196	ठेलिया	19.03.2022	आशीष गुप्ता	18000	अप्राप्त
04	पंचम वित्त	43834217	जल निकासी	31.10.2021	सरस्वतीपाईप उधोग	155571	अप्राप्त
		43874217	ह्यूम पाईप	05.01.2022	सरस्वतीपाईप उधोग	114712.5	अप्राप्त
		43874217	ह्यूम पाईप	19.03.2022	सरस्वतीपाईप उधोग	45885	अप्राप्त
	योग					**466189.50**	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 466189.50 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम पंचायत प्रशासक श्री मोहम्मद सलीम से रुपया 19000.00 ग्राम प्रधान श्री आशीष गुप्तासे रुपया 214094.75 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 233094.75 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु॰ 466189.50

प्रस्तर संख्या 141- ग्राम पंचायत- चंदौलीकी वित्तीय वर्ष- 2021-22में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 332821.00 कीधनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय

प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 332821.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	पन्द्रहवा वित्त	51098905	हैण्ड पम्प मरम्मत	05.01.2022	निमृत इन्टर प्राईजेज	19210	अप्राप्त
02	पन्द्रहवा वित्त	46244241	इन्टरलाकिंग ईट	11.07.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	29335	अप्राप्त
03	पन्द्रहवा वित्त	43845653	ह्यूम पाईप	18.06.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	179317	अप्राप्त
		43845653	मजदूरी	18.06.2021	वीरेद्र कुमार	10250	अप्राप्त
04	पन्द्रहवा वित्त	43834776	मटेरियल	18.06.2021	ओम ट्रेडर्स	19992	अप्राप्त
		43834776	मजदूरी	18.06.2021	वीरेद्र कुमार	16124	अप्राप्त
		43834776	मजदूरी	18.06.2021	वीरेद्र कुमार	14427	अप्राप्त
		43834776	ह्यूम पाईप	18.06.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	17166	अप्राप्त
05	पन्द्रहवा वित्त	51098895	एसएचजी	09.07.2021	किरन फेब्री केटर्स	27000	अप्राप्त
	योग					**332821.00**	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 332821.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्री आशीष गुप्ता से रुपया 166410.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 166410.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु॰ 332821.00

प्रस्तर संख्या 142- ग्राम पंचायत- चंदौली की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर सामग्री पर भुगतान रू0 678320.00 व मजदूरी पर भुगतान रू0 493854.00 लाख कुल रुपया 1172174.00 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी

सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 1172174.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 390724.6 , तकनीकी सहायक श्री भगवती प्रसाद से रुपया 390724.6 एवं ग्राम प्रधान श्री आशीष गुप्ता से रुपया 390724.6 किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रु० 1172174.00

80 - ग्राम पंचायत – बबुरीगाँव विकास खंड – देवा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 143- ग्राम पंचायत- बबुरीगाँव की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया...1898714.00 की धनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है| परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1907204.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	योजना का नाम	वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	पंचम वित्त	43837799	जल निकासी	25.05.2021	सरस्वती पाईप उधोग	182480	अप्राप्त
02	पंचम वित्त	443840684	जल निकासी	25.05.2021	सरस्वती पाईप उधोग	78743	अप्राप्त
03	पंचम वित्त	43840770	मैंटिनेंस	25.05.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	70050	अप्राप्त
04	पंचम वित्त	43834799	मजदूरी	25.05.2021	अनूप कुमार	17520	अप्राप्त
05	पंचम वित्त	43840684	मजदूरी	25.05.2021	अनूप कुमार	7630	अप्राप्त
06	चतुर्थ वित्त	43840651	सफाई कार्य	25.05.2021	अनूप कुमार	106500	अप्राप्त
07	चतुर्थ वित्त	43834218	स्टेशनरी	22.07.2021	कल्पना प्रकाशन	17186	अप्राप्त
08	पंचम वित्त	43840411	कंप्यूटर	22.07.2021	गिफ्ट लैंड	32000	अप्राप्त
09	पंचम वित्त	43840618	सफाई कार्य	23.07.2021	अनूप कुमार	14450	अप्राप्त
10	पंचम वित्त	43840651	मृत पशु डिस्पोजल	23.07.2021	अशोक कुमार	8000	अप्राप्त
11	पंचम वित्त	54467237	ईट	02.10.2021	अंजनी ब्रिक फील्ड	205606	अप्राप्त
12	पंचम वित्त	54467237	मजदूरी	02.10.2021	धर्म वीर	36312	अप्राप्त
13	पंचम वित्त	43840525	600 मिमी पाईप	02.10.2021	सरस्वती पाईप उधोग	121030	अप्राप्त
14	पंचम वित्त	43834193	कंप्यूटर आपरेटर चार्ज	11.10.2021	फातिमा कंप्यूटर सेंटर	52000	अप्राप्त
15	पंचम वित्त	43840411	आपरेटर	08-10.2021	पवन कुमार	5000	अप्राप्त

16	पंचम वित्त	54469646	सोडियम	16.10.2021	स्पार्क एनर्जी	9490	अप्राप्त
17	पंचम वित्त	54469646	बिलिचिंग पावडर	16.10.2021	स्पार्क एनर्जी	8490	अप्राप्त
18	पंचम वित्त	54467327	जेसीबी चार्ज	31.10.2021	अनूप कुमार	24000	अप्राप्त
19	पंचम वित्त	54467327	कुटेज चार्ज	31.10.2021	अनूप कुमार	15000	अप्राप्त
20	पंचम वित्त	54467327	मजदूरी	31.10.2021	अनूप कुमार	40800	अप्राप्त
21	पंचम वित्त	54469811	सफाई किट	31.10.2021	सुपर ट्रेडर्स	23515	अप्राप्त
22	पंचम वित्त	54467151	मजदूरी	31.10.2021	धर्म वीर	35040	अप्राप्त
23	पंचम वित्त	54467151	मटेरियल	31.10.2021	अंजनी ब्रिक फील्ड	147610	अप्राप्त
24	पंचम वित्त	54467151	मटेरियल	31.10.2021	श्री गुरु प्रसाद इंटर प्राइजेज	56332	अप्राप्त
25	पंचम वित्त	54467561	मरम्मत	14.11.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	48853	अप्राप्त
26	पंचम वित्त	54467293	विद्युतीकरण व फर्नीचर	04.01.2022	श्याम जी प्लाई वुड बिडिंग	60500	अप्राप्त
27	पंचम वित्त	54469076	सीमेंट मौरंग बालू	04.01.2022	श्री गुरु प्रसाद इंटर प्राइजेज	32789	अप्राप्त
28	पंचम वित्त	54469076	ईट' ईट गिट्टी	04.01.2022	अंजनी ब्रिक फील्ड	52316	अप्राप्त
29	पंचम वित्त	54469076	मजदूरी	04.01.2022	धर्म वीर	12252	अप्राप्त
30	पंचम वित्त	54469661	स्टेशनरी	10.01.2022	कल्पना प्रकाशन	22535	अप्राप्त
31	पंचम वित्त	43834218	फोटो ग्राफ	13.03.2022	जायसवाल स्टूडियो	814	अप्राप्त
32	पंचम वित्त	61020342	लोहा मेट	31.03.2022	निमृत इन्टर प्राईजेज	17819	अप्राप्त
33	पंचम वित्त	61020342	सीमेंट मौरंग बालू	31.03.2022	श्री गुरु प्रसाद इंटर प्राइजेज	104431	अप्राप्त
34	पंचम वित्त	61020342	मजदूरी	31.03.2022	अनूप कुमार	50226	अप्राप्त
35	पंचम वित्त	61020342	फोटो	31.03.2022	जैसवाल स्टूडियो	500	अप्राप्त
36	पंचम वित्त	61021001	मजदूरी	31.03.2022	अनूप कुमार	56964	अप्राप्त
37	पंचम वित्त	61021001	ईट' ईट गिट्टी	31.03.2022	अंजनी ब्रिक फील्ड	132421	अप्राप्त
	योग					**1907204.00**	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु0 1907204.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है | अतः ग्राम पंचायत प्रशासक श्री मोहम्मद सलीम से रुपया 231461.50 ,ग्राम प्रधान श्री राम गुलाम से रुपया

722140.50 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 953602.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 1907204.00

प्रस्तर संख्या 144- ग्राम पंचायत- बबुरीगाँव की वित्तीय वर्ष- 2021-22में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 2835378.98 की धनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 2835378.98 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	पन्द्रहवा वित्त	51098798	पेड टू एसएचजी	09.07.2021	गिफ्ट लैंड	27000	अप्राप्त
02	पन्द्रहवा वित्त	54469507	इंटर लाकिंग ब्रिक	02.10.2021	श्री गुरु प्रसाद इंटर प्राइजेज	73870	अप्राप्त
03	पन्द्रहवा वित्त	54469507	ईट	02.10.2021	अंजनी ब्रिक फील्ड	7600	अप्राप्त
04	पन्द्रहवा वित्त	54469507	मजदूरी	02.10.2021	धर्म वीर	13560	अप्राप्त
05	पन्द्रहवा वित्त	51098798	ऐड	02.10.2021	वर्मा बैटरी एण्ड सोलर	44502	अप्राप्त
06	पन्द्रहवा वित्त	54469507	फोटो	02.10.2021	कृष्णा डिजिटल फोटो स्टूडियो	**1000**	अप्राप्त
07	पन्द्रहवा वित्त	54469531	फोटो	**02.10.2021**	कृष्णा डिजिटल फोटो स्टूडियो	**1500**	अप्राप्त
08	पन्द्रहवा वित्त	54469531	टाइल	02.10.2021	लक्ष्मी पति इंटर प्राइजेज	81770	अप्राप्त
09	पन्द्रहवा वित्त	54469531	मिस्त्री व लेवर	02.10.2021	धर्म वीर	58272	अप्राप्त
10	पन्द्रहवा वित्त	54469531	दरवाजा	02.10.2021	रिंकू फेब्री कैटर्स	21611	अप्राप्त
11	पन्द्रहवा वित्त	54469531	सीमेंट	02.10.2021	श्री गुरु प्रसाद इंटर प्राइजेज	24565	अप्राप्त
12	पन्द्रहवा वित्त	54469531	पेंटिंग मटेरियल	02.10.2021	श्री गुरु प्रसाद इंटर प्राइजेज	14028	अप्राप्त
13	पन्द्रहवा वित्त	54469531	मटेरियल	02.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	48754	अप्राप्त
14	पन्द्रहवा वित्त	54469531	ईट	02.10.2021	अंजनी ब्रिक फील्ड	36540	अप्राप्त
15	पन्द्रहवा वित्त	54469531	मजदूरी	02.10.2021	धर्म वीर	6732	अप्राप्त
16	पन्द्रहवा वित्त	54467844	ईट	16.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	21605	अप्राप्त
17	पन्द्रहवा वित्त	54467844	मजदूरी	16.10.2021	अनूप कुमार	32436	अप्राप्त

18	पन्द्रहवा वित्त	54467844	मजदूरी	16.10.2021	अनूप कुमार	35982	अप्राप्त
19	पन्द्रहवा वित्त	54467844	मजदूरी	16.10.2021	अनूप कुमार	105948	अप्राप्त
20	पन्द्रहवा वित्त	54467844	सीमेंट	16.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	81920	अप्राप्त
21	पन्द्रहवा वित्त	54467844	मटेरियल	16.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	102168	अप्राप्त
22	पन्द्रहवा वित्त	54467844	मटेरियल	16.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	176584	अप्राप्त
23	पन्द्रहवा वित्त	54467824	मजदूरी	16.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	62353	अप्राप्त
24	पन्द्रहवा वित्त	54467824	मटेरियल	16.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	54290	अप्राप्त
25	पन्द्रहवा वित्त	54467824	इंटर लाकिंग ब्रिक	16.10.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	116820	अप्राप्त
26	पन्द्रहवा वित्त	54467824	इंटर लाकिंग ब्रिक	16.10.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	116820	अप्राप्त
27	पन्द्रहवा वित्त	54467824	इंटर लाकिंग ब्रिक	16.10.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	91768	अप्राप्त
28	पन्द्रहवा वित्त	54467824	मजदूरी	16.10.2021	अनूप कुमार	47760	अप्राप्त
29	पन्द्रहवा वित्त	54467659	मटेरियल	31.10.2021	श्री गुरु प्रसाद इंटर प्राइजेज	126151.48	अप्राप्त
30	पन्द्रहवा वित्त	54467659	ईट	31.10.2021	अंजनी ब्रिक फील्ड	33253.50	अप्राप्त
31	पन्द्रहवा वित्त	54467659	ह्यूम पाइप	31.10.2021	सरस्वती पाईप	14580	अप्राप्त
32	पन्द्रहवा वित्त	54467659	मटेरियल	31.10.2021	धर्म वीर	20418	अप्राप्त
33	पन्द्रहवा वित्त	54467772	फोटो	31.10.2021	कृष्णा डिजिटल फोटो स्टूडियो	500	अप्राप्त
34	पन्द्रहवा वित्त	54467772	मटेरियल	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	51435	अप्राप्त
35	पन्द्रहवा वित्त	54467772	मटेरियल	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	19432	अप्राप्त
36	पन्द्रहवा वित्त	54467772	ईट	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	11287	अप्राप्त
37	पन्द्रहवा वित्त	54467772	टाइल	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	38924	अप्राप्त
38	पन्द्रहवा वित्त	54467772	टाइल	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	38924	अप्राप्त
39	पन्द्रहवा वित्त	54467772	टाइल	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	31139	अप्राप्त
40	पन्द्रहवा वित्त	54467772		31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	13250	अप्राप्त
41	पन्द्रहवा वित्त	54467772	मजदूरी	31.10.2021	अनूप कुमार	40830	अप्राप्त
42	पन्द्रहवा वित्त	54470035	रिबोर 6	04.01.2022	निमृत इन्टर प्राईजेज	186000	अप्राप्त
43	पन्द्रहवा वित्त	54469446	ईट	06.02.2022	अंजनी ब्रिक फील्ड	61058	अप्राप्त

44	पन्द्रहवा वित्त	54469446	मजदूरी	06.02.2022	राम गुलाम पुत्र परमेश्वर	20052	अप्राप्त
45	पन्द्रहवा वित्त	54469088	ईट ईट गिट्टी	06.02.2022	अंजनी ब्रिक फील्ड	79968	अप्राप्त
46	पन्द्रहवा वित्त	54469088	मटेरियल	06.02.2022	राम गुलाम पुत्र परमेश्वर	83836	अप्राप्त
47	पन्द्रहवा वित्त	54469088	-	06.02.2022	राम गुलाम पुत्र परमेश्वर	24300	अप्राप्त
48	पन्द्रहवा वित्त	61020432	ईट	31.03.2022	अंजनी ब्रिक फील्ड	106562	अप्राप्त
49	पन्द्रहवा वित्त	61020432	सीमेंट, बालू , गिट्टी	31.03.2022	श्री गुरु प्रसाद इंटर प्राइजेज	101017	अप्राप्त
50	पन्द्रहवा वित्त	61020342	ईट	31.03.2022	अंजनी ब्रिक फील्ड	142275	अप्राप्त
51	पन्द्रहवा वित्त	61021001	सीमेंट बालू मौरंग	31.03.2022	श्री गुरु प्रसाद इंटर प्राइजेज	82429	अप्राप्त
		कुल				**2835378.98**	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 2835378.98 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्री राम गुलाम से रुपया-1417689.49 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज रुपया 1417689.49 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 2835378.98

प्रस्तर संख्या 145- ग्राम पंचायत- बबुरीगाँव की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर सामग्री पर भुगतान रू0 449724.11 व मजदूरी पर भुगतान रू01148706.00 कुल रुपया 1598430.11 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 1598430.11 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ

हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 532810.00 , तकनीकी सहायक श्री भगवती प्रसाद से रुपया 532810.00 ग्राम पंचायत प्रशासक एवं ग्राम प्रधान श्री राम गुलाम से रुपया 532810.00 किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रु० 1598430.11

81 - ग्राम पंचायत – जबरी खुर्द विकास खंड – देवा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 146- ग्राम पंचायत- जबरी खुर्द की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाते से रु0 568184.00 की धनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है| परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकरग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 568184.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	पंचम वित्त	43304396	फर्नीचर स्कूल	24.05.2021	सुपर ट्रेडर्स	248618	अप्राप्त
02	पंचम वित्त	43302680	हैन्ड पंप मेन्टीनेंस	24.5.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	60170	अप्राप्त
03	पंचम वित्त	43302680	स्टेशनरी	22.07.2021	कल्पना प्रकाशन	6439	अप्राप्त
04	पंचम वित्त	43302680	मजदूरी	08.10.2021	पवन कुमार' राम मनोहर	5000	अप्राप्त
05	पंचम वित्त	43303862	कॉटेज चार्ज	21.10.2021	अनूप कुमार	15000	अप्राप्त
06	पंचम वित्त	43302680	सफाई किट	31.10.2021	सुपर ट्रेडर्स	23515	अप्राप्त
07	पंचम वित्त	43303654	हैन्ड पंप मरम्मत	31.10.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	20642	अप्राप्त
08	पंचम वित्त	43303862	मजदूरी	31.10.2021	गुले हाशमी	40800	अप्राप्त
09	पंचम वित्त	43303862	जेसीबी	31.10.2021	अनूप कुमार	24000	अप्राप्त
10	पंचम वित्त	54460643	रिबोर हैन्ड पंप	16.03.2022	निमृत इन्टर प्राईजेज	124000	अप्राप्त
	योग					**568184.00**	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 568184.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम पंचायत प्रशासक श्री मोहम्मद सलीम से रुपया 154394.00 ग्राम प्रधान श्री गुले हाशमी से रुपया 129698.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 284092.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 568184.00

प्रस्तर संख्या 147 - ग्राम पंचायत- जबरी खुर्द की वित्तीय वर्ष- 2021-22में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खातेसेरुपया 777951.00 कीधनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 376361.00का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	पन्द्रहवा वित्त	51118408	एस एच जी	09.07.2021	लक्ष्मीपति इन्टर प्राईजेज	27000	अप्राप्त
02	पन्द्रहवा वित्त	433037.31	टाइल्स	11.09.2021	लक्ष्मीपति इन्टर प्राईजेज	42839	अप्राप्त
03	पन्द्रहवा वित्त	43303731	ईट क्रय	11.09.2021	अंजनी बिक्र फील्ड	48182	अप्राप्त
04	पन्द्रहवा वित्त	54457881	मजदूरी	31.10.2021	मो0 मारुफ	34608	अप्राप्त
05	पन्द्रहवा वित्त	54457881	मटेरियल	31.10.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	169363	अप्राप्त
06	पन्द्रहवा वित्त	54446631	रिबोर 6	04.01.2022	निमृत इन्टर प्राईजेज	**186000**	अप्राप्त
07	पन्द्रहवा वित्त	43303334	चौखट खिड़की	04.01.2022	निमृत इन्टर प्राईजेज	33825	अप्राप्त
08	पन्द्रहवा वित्त	43303334	काटेज मिट्टी	04.01.2022	मो0 मारुफ	5236	अप्राप्त
09	पन्द्रहवा वित्त	43303334	बालू व मौरंग	04.01.2022	मुईद ट्रेडर्स	74620	अप्राप्त
10	पन्द्रहवा वित्त	43303334	सीमेंट	04.01.2023	मुईद ट्रेडर्स	131328	अप्राप्त
11	पन्द्रहवा वित्त	51118408	स्टेशनरी	13.01.2022	कल्पना प्रकाशन	10950	अप्राप्त
12	पन्द्रहवा वित्त	43304579	अज्ञात	21.03.2022	गुले हाशमी	14000	अप्राप्त
	योग -					**777951.00**	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 777951.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्री गुले हाशमी से रुपया 388975.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 388975.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 777951.00

प्रस्तर संख्या 148 - ग्राम पंचायत- जबरी खुर्द की वित्तीय वर्ष- 2021-22में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर सामग्री पर भुगतान रू0 892656.93 व मजदूरी पर भुगतान रू0 1331796.00 कुल रुपया 2224452.93 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सीo लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षेoपoऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 2224452.93 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 741484.31 , तकनीकी सहायक श्री राम प्रताप से रुपया 741484.31 एवं ग्राम प्रधान श्री गुले हाशमी से रुपया 741484.31 किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रु० 2224452.93

82 - ग्राम पंचायत – मेहरौड विकास खंड – देवा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 149 - ग्राम पंचायत- मेहरौड की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्राम निधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धितबैंक खाते से रुपया 408475.00 कीधनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है| परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 408475.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	पंचम वित्त	4389703	हैन्ड पंप मरम्मत	25.05.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	68792	अप्राप्त
02	पंचम वित्त	43897103	हैन्ड पंप	26.07.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	59878	अप्राप्त

			मरम्मत				
03	चतुर्थ वित्त	43891425	ब्लीचिग	08.10.2021	स्पार्क एनरजी	9490	अप्राप्त
04	पंचम वित्त	54738949	लेबर	31.10.2021	पवन कुमार	5000	अप्राप्त
05	पंचम वित्त	54738473	जे. सी. बी चार्ज	31.10.2021	अनूप कुमार	24000	अप्राप्त
06	पंचम वित्त	54738473	कॉटेज चार्ज	31.10.2021	अनूप कुमार	15000	अप्राप्त
07	पंचम वित्त	54738473	मजदूरी	31.10.2021	अनूप कुमार	40800	अप्राप्त
08	पंचम वित्त	54738625	मरम्मत	31.10.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	47823	अप्राप्त
09	पंचम वित्त	54738214	किट	31.10.2021	सुपर ट्रेडर्स	23515	अप्राप्त
10	पंचम वित्त	43897103	रिबोर २	05.01.2022	निमृत इन्टर प्राईजेज	62000	अप्राप्त
11	पंचम वित्त	54738625	हैन्ड पंप मरम्मत	05.01.2022	निमृत इन्टर प्राईजेज	52177	अप्राप्त
	योग					408475.00	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 408475.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम पंचायत प्रशासक श्री मोहम्मद सलीम से रुपया 34396.00 ,ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार से रुपया 374079.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 408475.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 408475.00

प्रस्तर संख्या 150 - ग्राम पंचायत- मेहरौड की वित्तीय वर्ष- 2021-22में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 1025676.00 कीधनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1025676.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	पन्द्रहवा वित्त	51098855	पेड टू एसएचजी	09.07.2021	फातिमा टेली	27000	अप्राप्त
02	पन्द्रहवा वित्त	43896209	फोटो ग्राफ	13.07.2021	कृष्णा डिजिटल फोटो	500	अप्राप्त

					स्टूडियो		
03	पन्द्रहवा वित्त	43896209	ईट	13.07.2021	डायमंड ब्रिक फील्ड	68460	अप्राप्त
04	पन्द्रहवा वित्त	43896209	मोरंग गिट्टी	13.07.2021	ओम ट्रेडर्स	14646	अप्राप्त
05	पन्द्रहवा वित्त	43896209	सीमेंट सरिया	13.07.2021	ओम ट्रेडर्स	33025	अप्राप्त
06	पन्द्रहवा वित्त	43896209	समर सेवल	13.07.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	**33500**	अप्राप्त
07	पन्द्रहवा वित्त	43896209	मजदूरी	13.07.2021	इंद्रपाल	**43788**	अप्राप्त
08	पन्द्रहवा वित्त	43896209	इंटर लाकिंग बालू	13.07.2021	एस के ब्रिक	237824	अप्राप्त
09	पन्द्रहवा वित्त	43898131	स्टेशनरी	22.07.2021	कल्पना प्रकाशन	14336	
10	पन्द्रहवा वित्त	43891957	पेंटिंग सेनेट्री	11.09.2021	आई बी इन्टर प्राईजेज	37630	अप्राप्त
11	पन्द्रहवा वित्त	43891957	मटेरियल	11.09.2021	ओम ट्रेडर्स	54428	अप्राप्त
12	पन्द्रहवा वित्त	43891957	ईट	11.09.2021	डायमंड ब्रिक फील्ड	37770	अप्राप्त
13	पन्द्रहवा वित्त	43891957	टाइल्स	02.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	56780	अप्राप्त
14	पन्द्रहवा वित्त	51098855	सोडियम	02.10.2021	स्पार्क एनर्जी	8490	अप्राप्त
15	पन्द्रहवा वित्त	43898131	सफाई किट	31.10.2021	सुपर ट्रेडर्स	23515	अप्राप्त
16	पन्द्रहवा वित्त	54738274	सीमेंट	02.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	38400	अप्राप्त
17	पन्द्रहवा वित्त	54738274	सीमेंट	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	31104	अप्राप्त
18	पन्द्रहवा वित्त	54738274	बालू गिट्टी	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	16934	अप्राप्त
19	पन्द्रहवा वित्त	54738274	मोरंग	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	46760	अप्राप्त
20	पन्द्रहवा वित्त	54738274	गिट्टी	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	14437	अप्राप्त
21	पन्द्रहवा वित्त	54738274	टाइल्स	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	38924	अप्राप्त
22	पन्द्रहवा वित्त	54738274	टाइल्स	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	38924	अप्राप्त
23	पन्द्रहवा वित्त	54738274	टाइल्स	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	38924	अप्राप्त
24	पन्द्रहवा वित्त	54738274	टाइल्स	31.10.2021	आई. बी इंटर प्राइजेज	42403	अप्राप्त
25	पन्द्रहवा वित्त	43898131	कमोड	31.10.2021	फातिमा ट्रेडर्स	12000	अप्राप्त
26	पन्द्रहवा वित्त	43898131	स्टेशनरी	13.01.2022	कल्पना प्रकाशन	15174	अप्राप्त
		कुल				**1025676.00**	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों

में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1025676.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार से रुपया 512838.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज रुपया 512838.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 1025676.00

प्रस्तर संख्या 151 - ग्राम पंचायत- मेहरौड की की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत मजदूरी पर भुगतान रू0 613020.00 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 613020.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 204340.00, तकनीकी सहायक श्री भगवती प्रसाद से रुपया 204340.00 ग्राम पंचायत प्रशासक एवं ग्राम प्रधान श्री कृष्ण कुमार से रुपया 204340.00 किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रु० 613020.00

83 - ग्राम पंचायत – पीड विकास खंड – देवा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 152 - ग्राम पंचायत- पीड की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 902899.00 कीधनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है| परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 902899.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक

01	पंचम वित्त	43798156	रिबोर 5	16.05.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	182500	अप्राप्त
02	चतुर्थ वित्त	43798578	मेंटिनेंस	17.5.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	46900	अप्राप्त
03	पंचम वित्त	43797896	सेनेटाइजर मास्क	17.5.2021	शनी ट्रेडर्स	45800	अप्राप्त
04	पंचम वित्त	43797999	स्टेशनरी	17.5.2021	कल्पना प्रकाशन	17764	अप्राप्त
05	पंचम वित्त	43797973	कंप्यूटर अन्य	17.5.2021	फातिमा टेली कमयूनीकेशन सेंटर	25000	अप्राप्त
06	चतुर्थ वित्त	43798578	हैण्ड पम्प मरम्मत	26.07.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	67963	अप्राप्त
07	पंचम वित्त	43798525	सफाई एवं सेनेटाईजर	26.07.2021	प्रदीप कुमार	33320	अप्राप्त
08	चतुर्थ वित्त	18934318	अन्य खर्च	04.10.2021	वर्मा बैटरी एंड सोलर शॉप	34960	अप्राप्त
09	पंचम वित्त	43798525	सोडियम हाइपो क्लोराइड	04.10.2021	स्पार्क एनर्जी	17980	अप्राप्त
10	पंचम वित्त	43797973	कम्प्युटर ओपरेटर	04.10.2021	पवन कुमार	5000	अप्राप्त
11	पंचम वित्त	43797973	जल निकाशी	04.10.2021	प्रदीप कुमार	20000	अप्राप्त
12	पंचम वित्त	43798525	सेनेटाईजर एवं साफ सफाई	04.10.2021	फातिमा टेली कमयूनीकेशन सेंटर	50680	अप्राप्त
13	पंचम वित्त	54487761	मजदूरी	31.10.2021	प्रदीप कुमार	43860	अप्राप्त
14	पंचम वित्त	54487761	ह्युम पाईप	31.10.2021	सरस्वती पाईप उधोग	51870	अप्राप्त
15	पंचम वित्त	54487761	जे सी बी ट्रेक्टर चार्ज	31.10.2021	अनूप कुमार	66000	अप्राप्त
16	पंचम वित्त	43798514	सफाई किट	31.10.2021	सुपर ट्रेडर्स	23515	अप्राप्त
17	पंचम वित्त	54487140	मरम्मत	31.10.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	34263	अप्राप्त
18	पंचम वित्त	54524504	हैंडी कैप टायलेट	31.10.2021	बाबा ट्रेडर्स	12000	अप्राप्त
19	पंचम वित्त	43798514	ठेलिया	31.10.2021	प्रदीप कुमार	18000	अप्राप्त
20	पंचम वित्त	54486848	मिटटी ढुलाई पीड कैम्पस	27.12.2021	प्रदीप कुमार	49980	अप्राप्त
21	पंचम वित्त	54486848	कॉटेज मिटटी कैम्पस	27.12.2021	अनूप कुमार	50000	अप्राप्त
22	पंचम वित्त	43797999	स्टेशनरी	13.01.2022	कल्पना प्रकाशन	23544	अप्राप्त
	योग -					902899.00	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित

ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 902899.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम पंचायत प्रशासक श्री मोहम्मद सलीम से रुपया 158982.00 ग्राम प्रधान श्रीमती आरती से रुपया 292467.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 451449.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है

यदि भविष्य में आपत्तियों के परिपालन में उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किये जाते हैं तो प्रस्तुत प्रमाणकों को व्यापार कर विभाग व सम्बंधित फ़र्म से प्रमाणित करवाने के पश्चात ही परिपालन हेतु प्रस्तुत किया जाये |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 902899.00

प्रस्तर संख्या 153 - ग्राम पंचायत- पीड की वित्तीय वर्ष- 2021-22में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खातेसे रुपया 1037910.00 कीधनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1037910.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	पन्द्रहवा वित्त	44966783	मजदूरी	16.05.2021	प्रदीप कुमार	34954	अप्राप्त
02	पन्द्रहवा वित्त	43802510	फोटो ग्राफ	16.05.2021	कृष्णा डिजिटल फोटो स्टूडियो	1000	अप्राप्त
03	पन्द्रहवा वित्त	44966783	कोर्टेज चार्ज	16.05.2021	प्रदीप कुमार	11410	अप्राप्त
04	पन्द्रहवा वित्त	44966783	कोर्टेज चार्ज	16.05.2021	प्रदीप कुमार	11445	अप्राप्त
05	पन्द्रहवा वित्त	44966783	मटेरियल	16.05.2021	ओम ट्रेडर्स	50125	अप्राप्त
06	पन्द्रहवा वित्त	4496783	मटेरियल	16.05.2021	ओम ट्रेडर्स	55691	अप्राप्त
07	पन्द्रहवा वित्त	44966783	मजदूरी	16.05.2021	अनूप कुमार	88362	अप्राप्त
08	पन्द्रहवा वित्त	44966783	बिक्र	16.05.2021	ब्रिक फील्ड	29193	अप्राप्त
09	पन्द्रहवा वित्त	44966783	वाल टाइल	16.05.2021	कृष्णा डिजिटल फोटो स्टूडियो	5600	अप्राप्त
10	पन्द्रहवा वित्त	43802510	मटेरियल	16.05.2021	ओम ट्रेडर्स	22261	अप्राप्त
11	पन्द्रहवा वित्त	51098943	पेड टू एसएचजी	09.07.2021	श्री बाला जी ट्रेडर्स	27000	अप्राप्त
12	पन्द्रहवा वित्त	43798138	मजदूरी	06.12.2021	प्रदीप कुमार	41000	अप्राप्त
13	पन्द्रहवा वित्त	43798138	पेंटिंग मटेरियल	06.12.2021	सनी ट्रेडर्स	25448	अप्राप्त
14	पन्द्रहवा वित्त	43798138	दरवाजा व	06.12.2021	रिंकू फेब्रीकेटर्स	22985	अप्राप्त

			पल्ला				
15	पन्द्रहवा वित्त	43798138	मटेरियल	06.12.2021	ओम ट्रेडर्स	61235	अप्राप्त
16	पन्द्रहवा वित्त	43798138	ईट	06.12.2021	ब्रिक फील्ड न्यू जे बी एस	25431	अप्राप्त
17	पन्द्रहवा वित्त	43798138	टाइल्स	06.12.2021	बाबा दोस्त ट्रेडर्स	50320	अप्राप्त
18	पन्द्रहवा वित्त	43798138	फोटो	06.12.2021	कृष्णा डिजिटल फोटो स्टूडियो	300	अप्राप्त
19	पन्द्रहवा वित्त	54487705	डेस्क बेंच	06.12.2021	ऍम आर ट्रेडर्स	169500	अप्राप्त
20	पन्द्रहवा वित्त	54487705	डेस्क बेंच	06.12.2021	ऍम आर ट्रेडर्स	118650	अप्राप्त
21	पन्द्रहवा वित्त	54487162	रिबोर 6	13.01.2022	निमृत इन्टर प्राईजेज	186000	अप्राप्त
	योग-					**1037910.00**	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1037910.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम पंचायत प्रशासक श्री मोहम्मद सलीम से रुपया 155020.5 ग्राम प्रधान श्रीमती आरती से रुपया 363934.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 518955.00

वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 1037910.00

प्रस्तर संख्या 154 - ग्राम पंचायत- पीड की वित्तीय वर्ष- 2021-22में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत विभिन्न कार्यो पर सामग्री पर भुगतान रू0 425342.4 व मजदूरी पर भुगतान रू0 976920.00 कुल रुपया 1402262.4 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 1402262.40 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली

ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 467420.8, तकनीकी सहायक श्री राम प्रताप से रुपया 467420.8 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आरती से रुपया 467420.8 किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रु० 1402262.40

84 - ग्राम पंचायत – टेरा कला विकास खंड – देवा जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 155 - ग्राम पंचायत- टेरा कला की वित्तीय वर्ष- 2021-22में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धितबैंक खातेसेरुपया...571783.00 की धनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है| परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 571783.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	पंचम वित्त	43298568	स्टेशनरी	23.05.2021	कल्पना प्रकाशन	17646	अप्राप्त
02	पंचम वित्त	43295533	मेन्टीनेंस	23.05.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	49855	अप्राप्त
03	पंचम वित्त	43295533	मरम्मत कार्य	16.08.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	128848	अप्राप्त
04	पंचम वित्त	43291354	जेसीबी	16.08.2021	आजेंद्र कुमार वर्मा पुत्र पुत्तीलाल वर्मा	27000	अप्राप्त
05	पंचम वित्त	43291354	ट्राली ट्रेक्टर भाड़ा	16.08.2021	आजेंद्र कुमार वर्मा पुत्र पुत्तीलाल वर्मा	8000	अप्राप्त
06	पंचम वित्त	43291354	लेबर चार्ज	16.08.2021	आजेंद्र कुमार वर्मा पुत्र पुत्तीलाल वर्मा	17136	अप्राप्त
07	पंचम वित्त	43291354	चूना आपूर्ति	16.08.2021	निमृत इन्टर प्राईजेज	11250	अप्राप्त
08	पंचम वित्त	43291354	मिट्टी ट्राली	16.08.2021	आजेंद्र कुमार वर्मा	21000	अप्राप्त
09	पंचम वित्त	43298568	असेसरीज	17.08.2021	जायसवाल हार्डवेयर व पेंट्स	48000	अप्राप्त
10	पंचम वित्त	43298568	दिव्यांग शौचालय मटेरियल	04.10.2021	जायसवाल हार्डवेयर व पेंट्स	46811	अप्राप्त
11	पंचम वित्त	43298568	प्रशासनिक मद	04.10.2021	फातिमा टेली कमुनिकेशन सेंटर	28543	अप्राप्त
12	पंचम वित्त	43291354	लेवर	08.10.2021	पवन कुमार	5000	अप्राप्त
13	पंचम वित्त	54466412	मजदूरी मिनी स्टेडियम	06.12.2021	अनूप कुमार	61200	अप्राप्त
14	पंचम वित्त	54466412	ट्रेक्टर से फील्ड	06.12.2021	अनूप कुमार	45000	अप्राप्त

			की जुताई व लेवलिंग				
15	पंचम वित्त	54466412	साँसद ग्रामीण खेल मे टेंट लंच	06.12.2021	अनूप कुमार	43800	अप्राप्त
16	पंचम वित्त	54462299	स्टेशनरी	14.01.2022	कल्पना प्रकाशन	12694	अप्राप्त
	योग					**571783.00**	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 571783.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम पंचायत प्रशासक श्री मोहम्मद सलीम से रुपया 33750.5 ग्राम प्रधान श्रीमती फूलकली से रुपया 252141.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 285891.5 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु॰ 5717 83.00

प्रस्तर संख्या 156 - ग्राम पंचायत- टेरा कला की वित्तीय वर्ष- 2021-22में ईग्रामस्वराज फीडिंग/प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग(14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खातेसेरुपया 516246.00 कीधनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोशबही , बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल/पत्रावली, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकरग्राम पंचायत प्रशासक, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 516246.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है| विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	योजना का नाम	कार्य/का नाम/ वर्क आईडी	व्यय विवरण	दिनांक	आहरण कर्ता	धनराशि	वाउचर/व्यय प्रमाणक
01	पन्द्रहवा वित्त	51098976	एस एच जी	09.07.2021	गिफ्ट लैंड	27000	अप्राप्त
02	पन्द्रहवा वित्त	43293720	राजगीर मजदूरी	11.09.2021	अनूप कुमार	17550	अप्राप्त
03	पन्द्रहवा वित्त	43293720	राजगीर मजदूरी	11.09.2021	अनूप कुमार	18900	अप्राप्त
04	पन्द्रहवा वित्त	43293720	ईट 10000	11.09.2021	अंकित बिक्र फील्ड	70980	अप्राप्त
05	पन्द्रहवा वित्त	43293720	3 घन गिट्टी	11.09.2021	आई बी इन्टर प्राईजेज	48374	अप्राप्त
06	पन्द्रहवा वित्त	43293720	मटेरियल	11.09.2021	आई बी इन्टर प्राईजेज	**33120**	अप्राप्त

07	पन्द्रहवा वित्त	43293720	मटेरियल	11.09.2021	आई बी इन्टर प्राईजेज	21810	अप्राप्त
08	पन्द्रहवा वित्त	43293720	चौखट पल्ला	11.09.2021	आई बी इन्टर प्राईजेज	35732	अप्राप्त
09	पन्द्रहवा वित्त	43293720	टाइल्स	11.09.2021	लक्ष्मी इन्टर प्राईजेज	56780	अप्राप्त
10	पन्द्रहवा वित्त	54466482	6 हैन्ड पंप रिबोर	14.01.2022	निम्मत् इन्टर प्राईजेज	186000	अप्राप्त
	योग -					**516246.00**	

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 516246.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कर लिया गया है| अतः ग्राम प्रधान श्रीमती फूलकली से रुपया 258123.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 258123.00 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 516246.00

प्रस्तर संख्या 157 - ग्राम पंचायत- टेराकला की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट आनलाईन जाँच में पाया गया कि वर्षान्तर्गत मजदूरी पर भुगतान रू0 401430.00 व्यय किया गया दर्शित है। उक्त व्ययों के सापेक्ष, पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख/मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक- 04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 401430.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सरोज से रुपया 133810.00 , तकनीकी सहायक श्री भगवती प्रसाद से रुपया 133810.00 एवं ग्राम प्रधान श्रीमती फूलकली से रुपया 133810.00 किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रु० 401430.00

85 - ग्राम पंचायत – सिहाली विकास खंड – फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 158 - ग्राम पंचायत- सिहाली की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाता सख्या- 580702010006059 यूनियन बैंक आफ इण्डिया फतेहपुर, बाराबंकी से माह-अप्रैल-2021,मई-2021एवं जून-2021 में रुपया 786754.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के माह-अप्रैल-2021,मई-2021एवं जून-2021 से सम्बंधित अप्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख/पत्रवाली लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 786754.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	कार्य का नाम	प्रयुक्त बाउचर	दिनाँक	भुगतान	धनराशि
1	आर. ओ. स्थापना	1	05-04-2021	शीतल इंटरप्राइजेज	127546.00
2	हैण्डपंप रिबोर/मरम्मत	1	05-04-2021	शिल्पी इंटरप्राइजेज	19210.00
3	हाई मैक्स लाइट	1	03-05-2021	शीतल इंटरप्राइजेज	230000.00
4	हैण्डपंप रिबोर/मरम्मत	1	03-05-2021	शिल्पी इंटरप्राइजेज	18930.00
5	सोलर लाइट	1	03-05-2021	जे.पी. मैक्स इनर्जी	110000.00
6	सोलर लाइट	1	03-05-2021	शीतल इंटरप्राइजेज	24940.00
7	हैण्डपंप रिबोर/मरम्मत	1	03-05-2021	शिल्पी इंटरप्राइजेज	6110.00
8	हैण्डपंप रिबोर/मरम्मत	1	12-05-2021	शिल्पी इंटरप्राइजेज	82354.00
9	हैण्डपंप रिबोर/मरम्मत	1	12-05-2021	शिल्पी इंटरप्राइजेज	81474.00
10	सफाई किट	1	12-05-2021	शीतल इंटरप्राइजेज	17810.00
11	पोलिंग बूथ पर टेंट	1	24-05-2021	एस.आर.इंटरप्राइजेज	5000.00
12	नाली निर्माण	1	27-05-2021	रहीसुन	9169.00
13	बैनर	1	09-06-2021	आयुष्मान प्रिंटर्स	2596.00
14	नाली निर्माण	1	17-06-2021	एस.आर.इंटरप्राइजेज	51615.00
वृहद योग		14			786754.00

उक्त के संदर्भ मे उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान/प्रशासक तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 786754.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः

समान रूप से ग्राम पंचायत प्रशासक श्री संजय गुप्ता से रुपया 393377.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दयानंद से रुपया 393377.00 से वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 786754.00

प्रस्तर संख्या 159 - ग्राम पंचायत- सिहाली की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग (14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित बैंक खाता सख्या- 580702010022737 (15 वां वित्त से संबन्धित) यूनियन बैंक आफ इण्डिया फतेहपुर, बाराबंकी से माह-अप्रैल-2021,मई-2021एवं जून-2021 में रुपया 411213.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के माह-अप्रैल-2021,मई-2021एवं जून-2021 से सम्बंधित अप्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख/पत्रवाली लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया रुपया 411213.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	कार्य का नाम	प्रयुक्त बाउचर	दिनाँक	भुगतान	धनराशि
1	सामुदायिक शौचालय	1	25-05-2021	आकाश ब्रिकफील्ड	14112.00
2	सामुदायिक शौचालय	1	25-05-2021	एस.आर.इंटरप्राइजेज	83531.00
3	सामुदायिक शौचालय	1	25-05-2021	कुमार ट्रेडर्स	55006.00
4	सामुदायिक शौचालय	1	25-05-2021	मजदूरी	31710.00
5	सामुदायिक शौचालय	1	25-05-2021	आकाश ब्रिकफील्ड	25065.00
6	नाली निर्माण	1	25-05-2021	कुमार ट्रेडर्स	16157.00
7	नाली निर्माण	1	25-05-2021	आकाश ब्रिकफील्ड	18768.00
8	इंटरलाकिंग	1	25-05-2021	कुमार ट्रेडर्स	83938.00
9	नाली निर्माण	1	18-06-2021	मजदूरी	26928.00
10	इंटरलाकिंग	1	18-06-2021	मजदूरी	29856.00
11	नाली निर्माण	1	18-06-2021	मजदूरी	26142.00
वृहद योग		11			411213.00

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो

दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक/ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 411213.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक/ ग्राम प्रधान एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः ग्राम पंचायत प्रशासक श्री संजय गुप्ता से रुपया 205606.50 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दयानंद से रुपया 205606.50 वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 411213.00

प्रस्तर संख्या 160 - ग्राम पंचायत- सिहाली की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन/ऑफ़लाइन जाँच में पाया गया कि माह-अप्रैल-2021 से सम्बंधित विभिन्न कार्यो की सामग्री भुगतान पर कुल रुपया 241050.00 व्यय किया गया दर्शित है, उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई पुष्टि प्रमाणक/व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 241050.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र.स.	माह/दिनाँक	मद	प्रयुक्त बाउचर/मस्टररोल	बिल संख्या	बिल तिथि	भुगतान तिथि	धनराशि
1	अप्रैल-2021	इंटरलाकिंग	1	143	25-4-2021	05-8-2021	165000.00
2	अप्रैल-2021	इंटरलाकिंग	1	148	25-4-2021	05-8-2021	76050.00
वृहद योग			**2**				**241050.00**

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 241050.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक श्री संजय गुप्ता से रुपया 80350.00, ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दयानंद से रुपया 80350.00 एवं तकनीकी सहायक श्री राजेन्द्र प्रसाद से रुपया 80350.00 किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रु० 241050.00

प्रस्तर संख्या 161 - ग्राम पंचायत- सिहाली की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन/ऑफ़लाइन जाँच में पाया गया कि माह- मई-2021 एवं जून-2021 में से सम्बंधित विभिन्न कार्यो की मजदूरी भुगतान पर कुल रुपया 206796.00 व्यय किया गया दर्शित है, उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक/व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत

प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 206796.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र.स.	माह/दिनाँक	मद	प्रयुक्त मस्टररोल/बाउचर	भुगतान/व्यय की गयी धनराशि
1	मई-2021	मजदूरी	15	41208.00
2	जून-2021	मजदूरी	40	165588.00
वृहद योग			**55**	**206796.00**

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में वित्त एव लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खण्ड 8 (क) एव खण्ड 8 (ख) तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 206796.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक श्री संजय गुप्ता से रुपया 68932.00 , ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दयानंद से रुपया 68932.00 एवं तकनीकी सहायक श्री राजेन्द्र प्रसाद से रुपया 68932.00 किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 05 धनराशि रु० 206796.00

86 - ग्राम पंचायत – बसारा विकास खंड – फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 162 - ग्राम पंचायत- बसारा की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाता सख्या- 580702010005931 यूनियन बैंक आफ इण्डिया फतेहपुर, बाराबंकी से माह-अप्रैल-2021,मई-2021 में रुपया 160444.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के माह-अप्रैल-2021,मई-2021 से सम्बंधित अप्रमाणित कोशबही एवं बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यय प्रमाणक/अभिलेख/पत्रवाली लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 160444.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र.स.	कार्य का नाम	प्रयुक्त बाउचर	दिनाँक	भुगतान	धनराशि
1	हैण्डपंप रिबोर	1	25-05-2021	सुंदर लाल कान्सट्रक्शन	97680.00
2	सी.सी. निर्माण कार्य	1	25-05-2021	सुंदर लाल कान्सट्रक्शन	55546.00
3	सी.सी. निर्माण कार्य	1	25-05-2021	संतोष कुमार	7218.00
वृहद योग		**3**			**160444.00**

उक्त के संदर्भ मे उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान/प्रशासक तथा

सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 160444.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः समान रूप से ग्राम पंचायत प्रशासक श्री संजय गुप्ता से रुपया 80222.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से रुपया 80222.00 से वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 160444.00

प्रस्तर संख्या 163 - ग्राम पंचायत- बसारा की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन/ऑफ़लाइन जाँच में पाया गया कि माह- अप्रैल-2021,मई-2021 में से सम्बंधित विभिन्न कार्यो की मजदूरी भुगतान पर कुल रुपया 48552.00 व्यय किया गया दर्शित है, उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक/व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 48552.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र.स.	**माह/दिनाँक**	मद	**प्रयुक्त मस्टररोल/बाउचर**	**भुगतान/व्यय की गयी धनराशि**
1	अप्रैल-2021	मजदूरी	10	28560.00
2	मई-2021	मजदूरी	7	19992.00
वृहद योग			**17**	**48552.00**

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान/प्रभारी एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 48552.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक श्री संजय गुप्ता से रुपया 16184.00, ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से रुपया 16184.00 एवं तकनीकी सहायक श्री महेश कुमार से रुपया 16184.00 किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 48552.00

87 - ग्राम पंचायत – मुंडेरी विकास खंड – फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 164 - ग्राम पंचायत- मुंडेरी की वित्तीय वर्ष- **2021-22** में ग्रामनिधि प्रथम(**1**) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाता सख्या- **580702010005881** यूनियन बैंक आफ इण्डिया फतेहपुर**,** बाराबंकी से माह-अप्रैल-2021**,**मई-2021**,**जून-2021 में रुपया **197099.00** की धनराशि आहरित करके ऑनलाइन कोशबही में व्यय दर्शाया गया है **|** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के माह-अप्रैल-2021**,**मई-2021,जून-2021 से संबंधित केवल बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रवाली/अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय

प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया **197099.00** का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	कार्य का नाम	प्रयुक्त बाउचर	दिनाँक	भुगतान	धनराशि
1	आर. ओ. स्थापना	1	21-04-2021	जे.पी. मैक्स इनर्जी	127546.00
2	हैण्डपंप रिबोर मरम्मत	1	01-05-2021	शिल्पी इंटरप्राइजेज	19720.00
3	हैण्डपंप रिबोर मरम्मत	1	01-05-2021	शिल्पी इंटरप्राइजेज	18910.00
4	सफाई किट	1	03-05-2021	जे.पी. मैक्स इनर्जी	17810.00
5	एडमे	1	24-05-2021	विमला इंटरप्राइजेज	5000.00
6	कोविड़ सामग्री	1	09-06-2021	जे.पी. मैक्स इनर्जी	8113.00
वृहद योग		6			197099.00

उक्त के संदर्भ मे उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान/प्रशासक तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया **197099.00** का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः समान रूप से ग्राम पंचायत प्रशासक श्री संजय गुप्ता से रुपया **98549.50** एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री दयानन्द से रुपया **98549.50** से वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु॰ 197099.00

प्रस्तर संख्या 165 - ग्राम पंचायत- मुंडेरी की वित्तीय वर्ष- **2021-22** में ग्रामनिधि प्रथम(1) के केन्द्रीय वित्त आयोग (14 वां/15 वां वित्त) से संबन्धित के बैंक खाता सख्या- 580702010005881 (14 वां वित्त से संबन्धित) एवं खाता सख्या- 580702010022753 (15 वां वित्त से संबन्धित) यूनियन बैंक आफ इण्डिया फतेहपुर, बाराबंकी से माह-अप्रैल-2021,मई-2021,जून-2021 में रुपया **361218.00** की धनराशि आहरित करके **ऑनलाइन कोशबही** में व्यय दर्शाया गया है | लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के माह-अप्रैल-2021,मई-2021,जून-2021 से संबंधित **केवल बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट** के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रवाली/अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया **361218.00** का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	कार्य का नाम	प्रयुक्त बाउचर	दिनाँक	भुगतान	धनराशि
1	इंटरलाकिंग	1	20-05-	एस.आर.इंटरप्राइजेज	20634.00

			2021		
2	इंटरलाकिंग	1	20-05-2021	गुरुजी ट्रेडर्स	89951.00
3	इंटरलाकिंग	1	20-05-2021	अतुल यादव	13986.00
4	इंटरलाकिंग	1	20-05-2021	एस.आर.इंटरप्राइजेज	5000.00
5	इंटरलाकिंग	1	20-05-2021	एस.आर.इंटरप्राइजेज	19492.00
6	भवन मरम्मत	1	19-06-2021	माँ वैष्णो ट्रेडर्स	32495.00
7	भवन मरम्मत	1	19-06-2021	माँ वैष्णो ट्रेडर्स	8594.00
8	भवन मरम्मत	1	21-06-2021	माँ वैष्णो ट्रेडर्स	103995.00
9	भवन मरम्मत	1	21-06-2021	माँ वैष्णो ट्रेडर्स	14631.00
10	भवन मरम्मत	1	21-06-2021	प्रमोद कुमार	52440.00
वृहद योग		10			361218.00

उक्त के संदर्भ मे उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान/प्रशासक तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया **361218.00** का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः समान रूप से ग्राम पंचायत प्रशासक श्री **संजय गुप्ता** से रुपया **180609.00** एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री **दयानन्द** से रुपया **180609.00** से वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 361218.00

प्रस्तर संख्या 166 - ग्राम पंचायत- **मुंडेरी** की वितीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन/ऑफ़लाइन जाँच में पाया गया कि माह-अप्रैल-2021,मई-2021,जून-2021 से सम्बंधित विभिन्न कार्यो की मजदूरी भुगतान पर कुल रुपया **रुपया 242964.00** व्यय किया गया दर्शित है, उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई मस्टररोल/व्यय प्रमाणक/पुष्टि प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया **रुपया 242964.00** का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	मद का नाम	प्रयुक्त मस्टररोल/बाउचर	माह/दिनाँक	भुगतान/व्यय की गयी धनराशि
1	मजदूरी भुगतान	21	अप्रैल-2021	72828.00

2	मजदूरी भुगतान	25	मई-2021	127296.00
3	मजदूरी भुगतान	4	जून-2021	42840.00
	वृहद योग	**50**		**242964.00**

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय **रुपया 242964.00** की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक श्री **संजय गुप्ता** से **रुपया 80988.00 ,** ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री **दयानन्द** से **रुपया 80988.00** एवं तकनीकी सहायक श्री **सुरेन्द्र वर्मा** से **रुपया 80988.00** किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 04 धनराशि रु० 242964.00

88 - ग्राम पंचायत – मीरनगर विकास खंड – फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 167 - ग्राम पंचायत- मीरनगर की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाता सख्या- 580702010005996 यूनियन बैंक आफ इण्डिया फतेहपुर, बाराबंकी से माह- मई-2021 में रुपया 80610.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के माह- मई-2021 से संबंधित केवल कोशबही , बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रवाली/अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 80610.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	मद का नाम	प्रयुक्त बाउचर	माह/दिनाँक	भुगतान/व्यय की गयी धनराशि
1	ह्यूम पाइप क्रय	1	03-05-2021	13230.00
2	ह्यूम पाइप क्रय	1	03-05-2021	19880.00
3	हैण्डपंप रिबोर भुगतान	1	12-05-2021	47500.00
	वृहद योग	**3**		**80610.00**

उक्त के संदर्भ मे उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान/प्रशासक तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 80610.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः समान रूप से ग्राम पंचायत प्रशासक श्री संजय गुप्ता से रुपया 40305.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार से रुपया 40305.00 से वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 80610.00

प्रस्तर संख्या 168 - ग्राम पंचायत- मीरनगर की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन/ऑफ़लाइन जाँच में पाया गया कि माह- अप्रैल-2021, मई-2021 से सम्बंधित विभिन्न कार्यो की मजदूरी भुगतान पर कुल रुपया 37128.00 व्यय किया गया दर्शित है, उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक/व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 37128.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र०स०	मद का नाम	प्रयुक्त स्टररोल/बाउचर	माह/दिनाँक	भुगतान/व्यय की गयी धनराशि
1	मजदूरी भुगतान	5	अप्रैल-2021	14280.00
2	मजदूरी भुगतान	7	मई-2021	22848.00
	वृहद योग	**12**		**रुपया 37128.00**

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 37128.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में इसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक श्री **संजय गुप्ता** से रुपया **12376.00**, ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री **विजय कुमार** से रुपया **12376.00** एवं तकनीकी सहायक श्री **राजेन्द्र प्रसाद** से रुपया **12376.00** किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 37128.00

89 - ग्राम पंचायत – मझगवां शरीफ विकास खंड – फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 169 - ग्राम पंचायत- मझगवां शरीफ की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाता सख्या- 580702010005920 यूनियन बैंक आफ इण्डिया फतेहपुर, बाराबंकी से माह- मई-2021 में रुपया 225226.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है | लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के माह- मई-2021 से संबंधित केवल कोशबही , बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रवाली/अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत

प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 225226.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	कार्य का नाम	प्रयुक्त बाउचर	दिनाँक	भुगतान	धनराशि
1	आर. ओ. स्थापना	1	12-05-2021	जे.पी. मैक्स इनर्जी	127546.00
2	हैण्डपंप रिबोर	1	12-05-2021	जे.पी. मैक्स इनर्जी	97680.00
वृहद योग		2			225226.00

उक्त के संदर्भ मे उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान/प्रशासक तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 25226.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः समान रूप से ग्राम पंचायत प्रशासक श्री **संजय गुप्ता** से रुपया 112613.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री **विजय कुमार** से रुपया 112613.00 से वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु॰ 225226.00

प्रस्तर संख्या 170 - ग्राम पंचायत- मझगवां शरीफ की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन/ऑफ़लाइन जाँच में पाया गया कि माह- अप्रैल-2021, मई-2021 से सम्बंधित विभिन्न कार्यो की मजदूरी भुगतान पर कुल रुपया 159690.00 व्यय किया गया दर्शित है, उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई मस्टररोल/पुष्टि प्रमाणक/व्यय प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 159690.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	मद का नाम	प्रयुक्त मस्टररोल/बाउचर	माह/दिनाँक	भुगतान/व्यय की गयी धनराशि
1	मजदूरी भुगतान	40	अप्रैल-2021	126867.00
2	मजदूरी भुगतान	11	मई-2021	32823.000
	वृहद योग	**51**		**159690.00**

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी,

ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय रुपया 159690.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में जाँचोंपरांत इसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक श्री **संजय गुप्ता** से रुपया 53230.00 ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री **विजय कुमार** से रुपया 53230.00, एवं तकनीकी सहायक **अखिलेश सिंह** से रुपया 53230.00 किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 159690.00

90 - ग्राम पंचायत – इसरौली विकास खंड – फतेहपुर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 171 - ग्राम पंचायत- इसरौली की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ग्रामनिधि प्रथम(**1)** के राज्य वित्त (चतुर्थ/पंचम) से संबन्धित बैंक खाता सख्या- **580702010005997** यूनियन बैंक आफ इण्डिया फतेहपुर**,** बाराबंकी से माह- मई-2021 में रुपया 245717.00 की धनराशि आहरित करके कोशबही में व्यय दर्शाया गया है **|** लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के माह- मई**-**2021 से संबंधित केवल कोशबही **,** बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रवाली/अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा **|** प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 245717.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है **|** विवरण निम्नवत है -

क्र॰स॰	कार्य का नाम	प्रयुक्त बाउचर	दिनाँक	भुगतान	धनराशि
1	हैण्डपंप रिबोर	1	12-05-2021	सुंदर लाल कान्सट्रक्शन	67120.00
2	प्रा.वि. इमौरा में शौचालय मरम्मत	1	20-05-2021	वर्मा ट्रेडर्स	41041.00
3	प्रा.वि. इमौरा में शौचालय मरम्मत	1	20-05-2021	क्रषक यंत्र वेल्डिंग वर्क्स	18000.00
4	प्रा.वि. इमौरा में शौचालय मरम्मत	1	20-05-2021	वर्मा ब्रिक फील्ड	36960.00
5	प्रा.वि. इमौरा में शौचालय मरम्मत	1	20-05-2021	जसीम पाइप स्टोर	23550.00
6	प्रा.वि. इमौरा में शौचालय मरम्मत	1	20-05-2021	एन.के.टाइल्स एण्ड मार्बल्स	26490.00
7	प्रा.वि. इमौरा में शौचालय मरम्मत	1	20-05-2021	सतेन्द्र कुमार/मजदूरी	32556.00
वृहद योग		7			245717.00

उक्त के संदर्भ मे उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों/नियमों एवं पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत प्रधान/प्रशासक तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 245717.00 का अपहरण ग्राम पंचायत प्रशासक एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त रूप से कर लिया गया है| अतः समान रूप से ग्राम पंचायत प्रशासक श्री **संजय गुप्ता** से **रुपया 122858.50** एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री **विजय कुमार** से **रुपया 122858.50** से वसूल किया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 245717.00

प्रस्तर संख्या 172 - ग्राम पंचायत- इसरौली की वित्तीय वर्ष- 2021-22 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाईन/ऑफ़लाइन जाँच में पाया गया कि माह- अप्रैल-2021, मई-2021 से सम्बंधित विभिन्न कार्यो की मजदूरी भुगतान पर कुल रुपया रुपया 109344.00 व्यय किया गया दर्शित है, उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई मस्टररोल/व्यय प्रमाणक/पुष्टि प्रमाणक /पत्रावली/ अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत प्रशासक एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया रुपया 109344.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है | विवरण निम्नवत है -

क्र.स.	मद का नाम	प्रयुक्त मस्टररोल/बाउचर	माह/दिनाँक	भुगतान/व्यय की गयी धनराशि
1	मजदूरी भुगतान	19	अप्रैल-2021	77928.00
2	मजदूरी भुगतान	11	मई-2021	31416.00
	वृहद योग	**30**		**109344.00**

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 201/दस-2011-101(43)/09 टी० सी० लखनऊ दिनांक-04 फरवरी 2011 एवं आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० के पत्रांकः 806/सम्प्रेक्षा/क्षे०प०ऑडिट/दिनांक-05-08-2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ट्रांसफरबुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रवंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जाएगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक-1001/मु.प्रा.प./एतसप/ग्रा.वि.टी.सी./सर्कुलर लखनऊ,दिनांक 21 सितंबर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियंता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (संभाग) प्रतिशत के अनुपात में की जाएगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं अवर अभियंता/तकनीकी सहायक की होगी । अतः उक्त कुल व्यय **रुपया 109344.00** की पुष्टि नहीं की जा सकी। मनरेगा/पंचायती राज संस्थाओ हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा कि स्थिति में जाँचोंपरांत इसकी वसूली ग्राम पंचायत प्रशासक श्री **संजय गुप्ता** से **रुपया 36448.00**, ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री **विजय कुमार** से **रुपया 36448.00** एवं तकनीकी सहायक श्री **दीपक कुमार** से **रुपया 36448.00** किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 109344.00

91 - ग्राम पंचायत - दुलहदेपुर विकास खंड - बनीकोडर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 173 - ग्राम पंचायत दुलहदेपुर की वर्ष 2021-2022 में ग्राम निधि प्रथम (15 वा केंद्रीय वित्त) से सम्बंधित बैंक खाता संख्या 751310210000156 बैंक ऑफ इंडिया धरौली बाराबंकी से रू0 432758.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गा है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के संदर्भ में मात्र कोषबही एंव बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंधान एंव सचिव द्वारा दुरभिसंधि से रू0 432758.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	दिनांक	धनराशि

01	पंचायत भवन निर्माण में सामग्री	01	18.01.2022	163840.00
02	पंचायत भवन निर्माण में सामग्री	01	18.01.2022	163173.00
03	पंचायत भवन निर्माण में सामग्री	01	18.01.2022	89250.00
04	पंचायत भवन निर्माण में सामग्री	01	18.01.2022	16495.00
	योग			432758.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एंव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 432758.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार से रुपया 216379.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी सुश्री रूपम शुक्ला से रुपया 216379.00 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 432758.00

प्रस्तर संख्या 174 - ग्राम पंचायत दुलहदेपुर की वर्ष 2021-2022 में ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त) से सम्बंधित बैंक खाता संख्या 751310210000081 बैंक ऑफ इंडिया धरौली बाराबंकी से रू0 95199.60 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गा है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के संदर्भ में मात्र कोषबही एंव बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंधान एंव सचिव द्वारा दुरभिसंधि से रू0 95199.60 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	दिनांक	धनराशि
01	पंचायत भवन निर्माण में सामग्री	01	18.01.2022	36839.60
02	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	18.01.2022	58360.00
	योग			95199.60

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एंव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 95199.60 का अपहरण ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार से रुपया 47599.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी सुश्री रूपम शुक्ला से रुपया 47599.5 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 95199.60

92 - ग्राम पंचायत - गैरिया विकास खंड - बनीकोडर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 175 - ग्राम पंचायत गैरिया की वर्ष 2021-2022 में ग्राम निधि प्रथम (15 वा केंद्रीय वित्त) से सम्बंधित बैंक खाता संख्या 751110210000362 बैंक ऑफ इंडिया भीखरपुर बाराबंकी से रू0 287714.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गा है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त

व्ययों के संदर्भ में मात्र कोषबही एंव बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंधान एंव सचिव द्वारा दुरभिसंधि से रू0 287714.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	दिनांक	भुगतान	धनराशि
01	निविदा विज्ञापन	01	12.08.2021	-	3000.00
02	हैण्ड पम्प रिबोर	01	12.08.2021	शौर्य इण्टर प्राइजेज	28885.00
03	हैण्ड पम्प रिबोर	01	12.08.2021	शौर्य इण्टर प्राइजेज	28915.00
04	पंचायत भवन निर्माण	01	12.08.2021	शिव टेडर्स	95285.00
05	हैण्ड पम्प रिबोर	01	12.08.2021	शौर्य इण्टर प्राइजेज	28870.00
06	हैण्ड पम्प रिबोर	01	12.08.2021	शौर्य इण्टर प्राइजेज	28875.00
07	पंचायत भवन हेतु खिडकी , पल्ला, दरवाजा आदि	01	12.08.2021	गुप्ता टेडर्स	73884.00
	योग				287714.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एंव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 287714.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से रुपया 143857.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र वाजपेयी से रुपया 143857.00 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 287714.00

प्रस्तर संख्या 176 - ग्राम पंचायत गैरिया की वर्ष 2021-2022 में ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त) से सम्बंधित बैंक खाता संख्या 751110210000144 बैंक ऑफ इंडिया भीखरपुर बाराबंकी से रू0 46325.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गा है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के संदर्भ में मात्र कोषबही एंव बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंधान एंव सचिव द्वारा दुरभिसंधि से रू0 46325.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	दिनांक	भुगतान	धनराशि
01	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	24.08.2021	कुँवर चन्द्र	8000.00
02	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	24.08.2021	-	18815.00
03	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	24.08.2021	-	19510.00
	योग				46325.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एंव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये

गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 46325.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से रुपया 23162.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र वाजपेयी से रुपया 23162.5 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 46325.00

93 - ग्राम पंचायत - दिलौना विकास खंड - बनीकोडर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 177 - ग्राम पंचायत दिलौना की वर्ष 2021-2022 में ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्यवित्त) से सम्बंधित बैंक खाता संख्या.00000031581909035 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिलोना बाराबंकी से रू0 55595.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गा है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के संदर्भ में मात्र कोषबही एंव बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंधान एंव सचिव द्वारा दुरभिसंधि से रू0 55595.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	दिनांक	भुगतान	धनराशि
01	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	22.10.2021	-	18230.00
02	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	22.10.2021	-	19145.00
03	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	27.10.2021	-	6220.00
04	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	27.10.2021	-	12000.00
	योग -				55595.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एंव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 55595.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ग्राम प्रधान श्री सुश्री अंशू द्विवेदी से रुपया 27797.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र वाजपेयी से रुपया 27797.5 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 55595.00

94 - ग्राम पंचायत - धनौली खास विकास खंड - बनीकोडर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 178 - ग्राम पंचायत धनौली खास की वर्ष 2021-2022 में ग्राम निधि प्रथम (15 वा केंद्रीय वित्त) से सम्बंधित बैंक खाता संख्या 751110210000360 बैंक ऑफ इंडिया भीखरपुर बाराबंकी से रू0 154412.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गा है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के संदर्भ में मात्र कोषबही एंव बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय

दर्शाकर ग्राम पंधान एंव सचिव द्वारा दुरभिसंधि से रू0 154412.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	दिनांक	भुगतान	धनराशि
01	हैण्ड पम्प रिबोर	01	05.08.2021	-	28950.00
02	हैण्ड पम्प रिबोर	01	05.08.2021	-	28870.00
03	हैण्ड पम्प रिबोर	01	05.08.2021	-	28880.00
04	कोविड काल में ब्लीचिंग पाउडर का छिडकाव	01	07.08.2021	-	2448
05	निविदा विज्ञापन पर व्यय	01	07.08.2021	-	2606
06	डिजिटल सिग्नेचर	01	07.08.2021	-	1890
07	निविदा विज्ञापन / अमर भारती	01	07.08.2021	-	3000
08	हैण्ड पम्प रिबोर	01	25.08.2021	शौर्य इण्टर प्राइजेज	28878
09	हैण्ड पम्प रिबोर	01	25.08.2021	शौर्य इण्टर प्राइजेज	28890
	योग				154412.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एंव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 154412.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला मिश्रा से रुपया 77206.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राजेन्द्र वाजपेयी से रुपया 77206.00 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 154412.00

प्रस्तर संख्या 179 - ग्राम पंचायत धनौली खास की वर्ष 2021-2022 में ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त) से सम्बंधित बैंक खाता संख्या 751110100001947 बैंक ऑफ इंडिया भीखरपुर बाराबंकी से रू0 52840.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गा है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के संदर्भ में मात्र कोषबही एंव बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंधान एंव सचिव द्वारा दुरभिसंधि से रू0 52840.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	दिनांक	भुगतान	धनराशि
01	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	12.08.2021	शौर्य इण्टर प्राइजेज	18975.00
02	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	12.08.2021	शौर्य इण्टर प्राइजेज	19865.00
03	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	12.08.2021	विजय कुमार पांडे	14000.00
	योग				52840.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एंव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस

धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 52840.00

95 - ग्राम पंचायत - सलेमपुर विकास खंड - बनीकोडर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 180 - ग्राम पंचायत सलेमपुर की वर्ष 2021-2022 में ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त) से सम्बंधित बैंक खाता संख्या 751110210000140 बैंक ऑफ इंडिया भीखरपुर बाराबंकी से रू0 60170.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गा है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के संदर्भ में मात्र कोषबही एंव बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंधान एंव सचिव द्वारा दुरभिसंधि से रू0 60170.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	दिनांक	भुगतान	धनराशि
01	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	23.02.2022	-	60170.00
	योग				60170.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एंव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 60170.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी से रुपया 30085.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी सुश्री रूपम शुक्ला से रुपया 30085.00 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 60170.00

96 - ग्राम पंचायत - काशीपुर विकास खंड - बनीकोडर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 181 - काशीपुर की वर्ष 2021-2022 में ग्राम निधि प्रथम (15 वा केंद्रीय वित्त) से सम्बंधित बैंक खाता संख्या 38840100009946 बैंक ऑफ बडोदा भिटरिया बाराबंकी से रू0 326051.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गा है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के संदर्भ में मात्र कोषबही एंव बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंधान एंव सचिव द्वारा दुरभिसंधि से रू0 326051.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	दिनांक	धनराशि
01	पंचायत भवन निर्माण में सामग्री	01	16.11.2021	16496.00
02	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	16.11.2021	25060.00
03	पंचायत भवन निर्माण में सामग्री	01	16.11.2021	33996.00
04	पंचायत भवन निर्माण में सामग्री	01	16.11.2021	42175.00
05	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	16.11.2021	23645.00
06	ह्यूम पाईप कार्य	01	16.11.2021	184679.00
	योग			326051.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एंव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 326051.00का अपहरण ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ग्राम प्रधान सुश्री कंचन से रुपया 163025.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी सुश्री रूपम शुक्ला से रुपया 163025.5 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 326051.00

प्रस्तर संख्या 182 - ग्राम पंचायत काशीपुर की वर्ष 2021-2022 में ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्य वित्त) से सम्बंधित बैंक खाता संख्या 38840100006521 बैंक ऑफ बडोदा भिटरिया बाराबंकी से रू0 40640.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गा है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के संदर्भ में मात्र कोषबही एंव बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंधान एंव सचिव द्वारा दुरभिसंधि से रू0 95199.60 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	दिनांक	धनराशि
01	प्रशासनिक व्यय	01	04.11.2021	20500.00
02	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	12.11.2021	14730.00
	दिव्यांग शौचालय निर्माण	01	30.11.2021	5410.00
	योग			40640.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एंव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 40640.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से ग्राम प्रधान सुश्री कंचन से रुपया 20320.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी सुश्री रूपम शुक्ला से रुपया 20320.00 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 40640.00

97 - ग्राम पंचायत - भुडेहरी नरायनपुर विकास खंड - बनीकोडर जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 183 - ग्राम पंचायत भुडेहरी नरायनपुर की वर्ष 2021-2022 में ग्राम निधि प्रथम (पंचम राज्यवित्त) से सम्बंधित बैंक खाता संख्या.31589974029 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रामसनेहीघाट बाराबंकी से रू0 180915.00 की धनराशि आहरित करके कोषबही में विभिन्न मदों/कार्यों में व्यय दर्शाया गा है। किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के संदर्भ में मात्र कोषबही एंव बैंक पासबुक/स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। अन्य कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यय प्रमाणक विहीन रहे। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंधान एंव सचिव द्वारा दुरभिसंधि से रू0 180915.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रयुक्त वाउचर	दिनांक	धनराशि
01	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	28.10.2021	18390.00
02	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	28.10.2021	19980.00
03	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	28.10.2021	91500.00
04	प्रशासनिक व्यय	01	28.10.2021	33900.00
05	हैण्ड पम्प मरम्मत	01	28.10.2021	17145.00
	योग -			180915.00

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली अध्याय-13 नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) क में विनिर्दिष्ट नियमों एंव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी हुई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी । वसूली के साथ गबन का मुकदमा भी न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियम का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रू0 180915.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एंव सम्बंधित पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है। अतः समान रूप से रू0 ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा से रुपया 90457.5 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी सुश्री रूपम शुक्ला से रुपया 90457.5 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 01 धनराशि रु० 180915.00

प्रस्तर संख्या 184 - ग्राम पंचायत भुडेहरी नरायनपुर की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाइन/आफलाइन जॉच में पाया गया कि कतिपय भुगतानों से सम्बंधित विभिन्न कार्यों की सामग्री भुगतान पर कुल रू0 225414.70 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई पुष्टि प्रमाणक /व्यय प्रमाणक / पत्रावली /अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत सचिव एंव ग्राम प्रधान की दुरभिसंधि से रू0 225414.70 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	माह /दिनांक	मद	प्रयुक्त वाउचर	बिल नंबर	बिल दिनांक	भुगतान दिनांक	धनराशि
01	अगस्त 2021	ईट क्रय	01	147	03.01.2021	04.08.2021	77302.40
02	अगस्त 2021	बोर्ड क्रय	01	1687	14.01.2021	04.08.2021	4500.00
03	अगस्त 2021	सीमेंट मौरंग आदि	01	31	03.01.2021	04.08.2021	122218.30
04	अगस्त 2021	सीमेंट मौरंग आदि	01	52	15.01.2021	04.08.2021	21394.00
		कुल					225414.00

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 201/दस-2011-101(43)/09 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 04 फरवरी 2011 एंव आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के पत्रांक 806/संप्रेक्षा/क्षे0पं0आडिट/ दिनांक 05.08.2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ टांसफर बुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययों के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जायेगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर लखनऊ, दिनांक 21 सितम्बर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/ प्रभारी, ग्राम प्रधान एंव कार्य की मापी करने वाले अवर अभियन्ता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (सम्भाग) प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एंव अवर अभियन्ता/तकनीकी सहायक की होगी। अतः उक्त कुल व्यय रू0 225414.00 की पुष्टि नहीं की

जा सकी मनरेगा/ पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में जॉचोपरान्त इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा से रुपया 75138.23 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी सुश्री विनय शुक्ला से रुपया 75138.23 एवं तकनीकी सहायक जयहिन्द सिंह से रुपया 75138.23 से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 02 धनराशि रु० 225414.00

प्रस्तर संख्या 185 - ग्राम पंचायत भुडेहरी नरायनपुर की वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मनरेगा योजनान्तर्गत दर्शित व्यय की ऑडिट ऑनलाइन/आफलाइन जॉच में पाया गया कि कतिपय भुगतानों से सम्बंधित विभिन्न कार्यों की मजदूरी भुगतान पर कुल रू033660.00 व्यय किया गया दर्शित है उक्त व्ययों के सापेक्ष पुष्टि में कोई पुष्टि प्रमाणक /व्यय प्रमाणक / पत्रावली /अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा। प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत सचिव एंव ग्राम प्रधान की दुरभिसंधि से रू0 33660.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है। विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	माह /दिनांक	मद	प्रयुक्त वाउचर	धनराशि
01	अगस्त 2021	मजदूरी	एम आर नं. 4617	17748.00
02	अगस्त 2021	मजदूरी	एम आर नं. 4618	15912.00
		कुल		33660.00

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 201/दस-2011-101(43)/09 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 04 फरवरी 2011 एंव आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश के पत्रांक 806/संप्रेक्षा/क्षे0पं0आडिट/ दिनांक 05.08.2011 के विपरीत संस्था में कैशबुक/ टांसफर बुक, डेबुक व आय-व्ययक अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों में वित्त एंव लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) पृष्ठ 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाये गये व्ययों के सम्बंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बंधित से की जायेगी तथा आयुक्त ग्राम्य विकास के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 1001/मु0प्रा0प0/एतसप/ग्रा0वि0टी0सी0/सर्कुलर लखनऊ, दिनांक 21 सितम्बर 2008 में मनरेगा योजना में क्षति/गबन की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/ प्रभारी, ग्राम प्रधान एंव कार्य की मापी करने वाले अवर अभियन्ता/तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33-33.33 (सम्भाग) प्रतिशत के अनुपात में की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सचिव ग्राम पंचायत/प्रभारी, ग्राम प्रधान एंव अवर अभियन्ता/तकनीकी सहायक की होगी। अतः उक्त कुल व्यय रू0 33660.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी मनरेगा/ पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी सुसंगत नियमों, अधिनियमों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में जॉचोपरान्त इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा से रुपया 11220.00 एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी सुश्री विनय शुक्ला से रुपया 11220.00 एवं तकनीकी सहायक जयहिन्द सिंह से रुपया 11220.00से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या 03 धनराशि रु० 33660.00

98 - ग्राम पंचायत - जाटा विकास खंड - बंकी जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 186 - लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि कैश बुक में दर्शित व्ययों के संदर्भ में व्यय प्रमाणक मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका मदवार विवरण निम्नवत है-

क्रम संख्या-

1- ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत सामग्री व श्रमाँश पर किया गया व्यय - रू० 48469.00
2- ग्राम पंचायत में एक अदद हैंडपंप रिबोर पर व्यय - रू० 31500.00
3- प्रशासनिक व्यय - रू० 20800.00
4- ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी निर्माण पर व्यय - रू० 106000.00

कुल योग - रू० 206769.00

उपरोक्त प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क), 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम संख्या 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण योग्य हैं | अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्यय की धनराशि रु० 206769.00 को उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती संस्कृति भटनागर तथा ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार से समान रूप से प्रशासनिक अधिकारी (डीपीआरओ) द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए अविलंब समान रूप से ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 1 धनराशि रु० 206769.00

99 - ग्राम पंचायत - दुलहीपुर विकास खंड - बंकी जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 187 - वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि कैश बुक की लेखा परीक्षा के क्रम में जांचोंपरांत यह प्रकाश में आया कि कैशबुक में माह जून 2021 जुलाई 2021 में विभिन्न तिथियों में दर्शित व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक जांच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा ऐसे दर्शित व्ययों का मदवार विवरण निम्नवत है -

क्रसं	कैशबुक मे दर्शित व्यय दिनांक	व्यय मद	व्यय धनराशि
1	24.06.2021 एवं 01.07.2021	कैशबुक मे दर्शित विवरण रहित निर्माण कार्य पर व्यय	253043.00
2	30.06.2021	हैंडपंप मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय	41110.00
3	30.06.2021	सफाई सामग्री क्रय पर दर्शित व्यय	28040.00
4	30.06.2021	रिक्शा ठेलिया क्रय पर व्यय	13500.00
5	08.07.2021	मेज कुर्सी क्रय पर व्यय (प्रशासनिक व्यय)	25050.00
6	10.07.2021	निविदा कोटेशन हेतु प्रचार - प्रसार पर व्यय	3000.00
7	10.07.2021	माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह दुलहीपूर को सामुदायिक शौचालय देखरेख हेतु भुगतान	27000.00
		योग	**390743.00**

उपरोक्त प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क), 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम संख्या 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण योग्य हैं | अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्यय की धनराशि रु० 390743.00 को उत्तरदायी व्यक्ति 1- ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा तथा 2- ग्राम प्रधान श्री गिरजाशंकर से समान रूप से प्रशासनिक अधिकारी (डीपीआरओ) द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए अविलंब ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 1 धनराशि रु० 390743.00

100 - ग्राम पंचायत - पारा खंदौली विकास खंड - बंकी जनपद - बाराबंकी

प्रस्तर संख्या 188 - वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि कैश बुक की लेखा परीक्षा में यह प्रकाश में आया कि कैशबुक में माह जुलाई 2021 में विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों पर विभिन्न बाउचर संख्याओं के आधार पर दर्शित व्ययों की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | जिससे निम्नलिखित व्यय धनराशियों की पुष्टि नहीं की जा सकी | अनुपलब्ध व्यय प्रमाणकों का मदवार विवरण निमन्वत है -

क्रसं	बाउचर संख्या	व्यय मद	व्यय धनराशि
1	1,2,34	ग्राम चंदौली मे नाली सफाई पर व्यय मजदूरी 465×204	94860.00
2	3,4,5,6	हैंडपंप मरम्मत पर व्यय सामग्री एवं मजदूरी	70740.00

3	7,8,9,20,23	औरंगाबाद मे नाली सफाई पर व्यय मजदूरी एवं सामग्री	122016.00
4	10,11,12,21,22,31,33	प्रा०विद्यालय कनोजिया शौचालय मरम्मत पर व्यय सामग्री एवं श्रमाँश	131617.00
5	13,25	ह्यूम पाइप क्रय एवं मजदूरी पर व्यय	144577.00
6	14,15,19,26	आंगनवाड़ी केंद्र मे इंटरलॉकिंग सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय	136038.00
7	16,17,18,24 एवं 32	सामुदायिक शौचालय मरम्मत कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय	118200.00
8	19 बा.सं. दिनांक 17.07.21 एवं बा.सं. 28	हैंडपंप रिबोर २ अदद पर व्यय	65800.00
9	29,29,30	पू०मा०वि० पारा स्कूल मरम्मत सामग्री एवं श्रमाँश पर व्यय	190677.00
		योग	**1074535.00**

उपरोक्त प्रमाणक विहीन व्यय वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क), 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम संख्या 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण योग्य हैं | अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणक विहीन व्यय की धनराशि रु० 1074535.00 को उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री सरोज यादव से प्रशासनिक अधिकारी (डीपीआरओ) द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए अविलंब समान रूप से ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है |

मूल आपत्ति संख्या 1 धनराशि रु० 1074535.00

जनपद- सुलतानपुर

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष- 2021-22आवंटन वर्ष- 2022-23

मण्डल का नाम- अयोध्या जनपद- सुल्तानपुर

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां-

प्रस्तर-1 :

ग्राम पंचायत-भटौतातुलसीपट्टी, विकास खण्ड- करौंदीकला, जनपद-सुल्तानपुर में वर्ष 2021-22 में ग्रामनिधि-प्रथम/केन्द्र वित्त से हैण्डपम्प रिबोर के नाम पर व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०	दिनांक	कार्य का नाम/कैशबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	10.05.2021	हैण्डपम्प रिबोर	62728.00
2	10.05.2021	हैण्डपम्प रिबोर	62728.00
3	10.05.2021	हैण्डपम्प रिबोर	62728.00
		योग	188184.00

लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति,वर्क आई0डी0,मापी,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय

प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पं०/वि०अधिकारी सेसमस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। दिनाँक-20.01.2023 एवं 29.03.2023 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी,व्यय की पुष्टि मे अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयी।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे।लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/* प्रशासक *तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"*अत: धनराशि रू 188184.00 की नियमानुसार वसूली(ग्राम प्रधान/प्रशासक- श्री अरुण कुमार सिंह से रू 94092.00 व सचिव श्री अमित कुमार से रू 94092.00) किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -2:

ग्राम पंचायत-गजेन्द्रपुर**, विकास खण्ड- करौंदीकला ,जनपद-सुल्तानपुर** में वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि से निम्न कार्यों पर व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0	दिनांक	कार्य का नाम//कैशबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	26.04.2021	हैण्डपम्प रिबोर	87865.00
2	10.05.2021	जूनियर हाईस्कूल में टाइल्स	141714.00
3	10.05.2021	प्रा०वि० मुबारकपुर में टाइल्स	137720.00
		योग-	367299.00

लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन,तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति,वर्क आई0डी0,मापी,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि)एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पं०/वि०अधिकारी सेसमस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था,दिनाँक 07.01.2023 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी,व्यय की पुष्टि मे अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक की मांग की गयी।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामप्रधान//प्रशासक तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"* अत: धनराशि रू 367299.00 की नियमानुसार वसूली(ग्राम प्रधान/प्रशासक- श्री अरुण कुमार सिंह से रू 183649.50 व सचिव श्री रामप्रवेश शाही से रू 183649.50) किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 :

ग्राम पंचायत-खालिसपुर गोपालपुर**, विकास खण्ड- करौंदीकला ,जनपद-सुल्तानपुर** में वर्ष आलोच्य 2021-22 में ग्रामनिधिसे हैण्डपम्प रिबोरमरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0	दिनांक	कार्य का नाम//कैशबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	03.05.2021	हैण्डपम्प रिबोर	62728.00
2	03.05.2021	हैण्डपम्प रिबोर	62728.00
3	03.05.2021	हैण्डपम्प रिबोर	62728.00
4	03.05.2021	हैण्डपम्प रिबोर	62728.00
5	03.05.2021	हैण्डपम्प रिबोर	62728.00
6	03.05.2021	हैण्डपम्प रिबोर	62728.00

7	03.05.2021	हैण्डपम्प मरम्मत	29600.00
8	03.05.2021	हैण्डपम्प मरम्मत	29600.00
		योग-	435568.00

लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशाoस्वीकृति, वर्क आई0डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि)एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ग्राम पंo/विoअधिकारी से समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था,दिनाँक 07.01.2023 एवं 29.03.2023 को पत्र द्वारा एवं बार-बार मौखिक रूप से भी, व्यय की पुष्टि मे अभिलेख/कार्यपत्रावलियां/व्यय प्रमाणक की मांग की गयी। इस प्रकार उक्तकार्य की कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय, लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान//प्रशासक तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"* अत: धनराशि रू 435568.00 की नियमानुसार वसूली(ग्राम प्रधान/प्रशासक- श्री अरुण कुमार सिंह से रू 217784.00 व सचिव श्री रामप्रवेश शाही से रू 217784.00) किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 :

ग्राम पंचायत-उघडपुर भटपुरा, विकास खण्ड- मोतिगरपुर ,जनपद-सुल्तानपुर : लेखा परीक्षा मे सामुदायिक शौचालय मानदेय भुगतान पंजिका प्रस्तुत नहीं रही। कोषबही / बैंक स्टैटमेंट के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से 15वें वित्त मद से दर्शन बाबू स्वयं सहायता समूह को मानदेय का भुगतान 6000/-प्रति माह की दर से व सामुदायिक शौचालय रख-रखाव हेतु रु 3000 प्रति माह की दर से कुल 9000 प्रतिमाह का भुगतान किया गया दर्शित है जो कि पंचायतीराज अनुभाग-3 संख्या 1759/33-3-2020-31/2019 दिनांक 15 जुलाई 2020 के द्वारा निश्चित किए गए दर के अनुरूप है। जिसकाविवरण निम्नवत है-

क) दिनांक 13.10.2021 को रुपये 27000.00/- जुलाई 2021 से सितम्बर तक (कोषबही के अंकित विवरण) ये धनराशि ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर दिनांक 3/07/2021 को भुगतान दर्शित है

ख) दिनांक 14.10.21 को रुपये 27000.00/- विवरणहीन (कोषबही के अंकित विवरण)

ये धनराशि ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर दिनांक 13/10/2021 को जुलाई 2021 से सितम्बर तक भुगतान की गयी दर्शित है

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है की आलोच्य वर्ष मे सामुदायिक शौचालय केयरटेकर मानदेय व रख-रखाव की धनराशि का दोहरा भुगतान करके ग्राम पंचायत को हानि पहुंचायी गयी है, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 के अंतर्गत अधिभार के योग्य है जिसके लिए प्रधान श्री शीतला प्रसाद व ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव प्रसाद वर्मा उत्तरदायी हैं। अत: उक्त धनराशि रु 27000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रुप से (प्रधान श्री शीतला प्रसाद से रु 13500.00 और सचिव श्री शिव प्रसाद वर्मा से रु 13500.00) अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 :

ग्राम पंचायत-दियरा, विकास खण्ड- मोतिगरपुर,जनपद- सुल्तानपुर की लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परिक्षा मे प्रस्तुत कैशबुक मे आर. जी. एस. ए. योजनांतर्गत निर्मित पंचायत भवन निर्माण कार्य की प्रविष्टिया अंकित नही की गयी हैं जबकि आनलाइन लेखा परीक्षा मे पाया गया कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायत भवन निर्माण कार्य पर निम्न तिथियो मे भुगतान किया गया है-

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक/ विवरण	दर्शित व्यय धनराशि
1	पंचायत भवन निर्माण	09.11.2021/ देव ट्रेडर्स (सामग्री)	203507.00

		09.11.2021/ आर. के. ट्रेडर्स (लिंटर वर्क)	217095.00
		09.11.2021/ गणेश ब्रिक फील्ड	23872.00
		योग	444474.00

उक्त भुगतान से सम्बंधित कार्य पत्रावली लेखा परिक्षा मे प्रस्तुत नही रही। उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 444474.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0 अधिकारी श्री दिलीप कुमार, ग्राम प्रधान श्री रवींद्र कुमार उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु 444474.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 222237.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री दिलीप कुमार से,तथा रु0 222237.00 ग्राम प्रधान श्री रवींद्र कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 :

ग्राम पंचायत-पुरुषोत्तमपुर**, विकास खण्ड- जयसिंहपुर,जनपद-सुल्तानपुर की** लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृतिएवंवित्तीय स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उन पर किये गये व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में उक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	कार्यकानाम	दिनांक/ विवरण	दर्शितव्ययधनराशि
1	जू. हा. स्कूल पुरुषोत्मपुर में टायल्स कार्य (सचिव छोटेलाल सोनकर, प्रशासक)	29.04.2021/ रेखा कंस्ट्रक्शन	212505.00
		24.05.2021/ रेखा कंस्ट्रक्शन	10653.00
		योग	**223158.00**
2	हैण्डपम्प रिबोर(सचिव छोटेलाल सोनकर, प्रधानश्रीमती मंजू मिश्रा)	02.08.2021/ अंशज ट्रेडर्स	**86894.00**
3	पंचायत भवन फर्नीचर (सचिव वृजेश कुमार, प्रधानश्रीमती मंजू मिश्रा)	16.02.2022/ जनता इ0 प्रा0	42434.00
		25.03.2022/ आकाश कम्प्युटरिक्स	23290.00
		28.03.2022/ आकाश कम्प्युटरिक्स	60000.00
		योग	**125724.00**
4	प्रा.पा. पुरुषोत्तमपुर मे दिव्यांग शौचालय (सचिव वृजेश कुमार, प्रधानश्रीमती मंजू मिश्रा)	27.12.2021/ मां वैष्णो ट्रेडर्स	31651.00
		27.12.2021/ गणपति हार्ड्वेयर	35315.00
		29.12.2021/ अमर ब्रिक फील्ड	23332.00
		27.12.2021/ मजदूरी	9728.00(1632*4 +3200)
		योग	**100026.00**
		कुल योग	**535802.00**

उक्त कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे।उक्त दर्शित धनराशि रू. 535802.00 लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण हैतथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री छोटेलाल सोनकर व श्री वृजेश

कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू मिश्रा व प्रशासक श्री अशोक कुमार वर्मा उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रु0 535802.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु0 155026.00 ग्रा0पं0अधिकारी श्री छोटेलाल सोनकर से, रु0 112875.00 ग्रा0पं0अधिकारीश्री वृजेश कुमार से, रु0 111579.00 प्रशासक श्री अशोक कुमार वर्मासे तथा रु0 156322.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू मिश्रा से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 :

ग्राम पंचायत-अर्जुनपुर, विकास खण्ड- जयसिंहपुर,जनपद-सुल्तानपुर की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में 15वें वित्त आयोग निधि से कराये गये पंचायत भवन अर्जुनपुर निर्माण कार्य (आई0डी0-42550470) से सम्बन्धित पत्रावली (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृतिएवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं उस पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्यपर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	दिनांक	कोष बही के अनुसार विवरण	दर्शित धनराशि
1	22.03.2022	पंचायत भवन में निर्माण कार्य हेतु मैटेरियल कन्हैया हार्डवेयर को भुगतान	90235.00
2	22.03.2022	पंचायत भवन में निर्माण कार्य हेतु मैटेरियल कन्हैया हार्डवेयर को भुगतान	31890.00
3	22.03.2022	पंचायत भवन में निर्माण कार्य हेतु मैटेरियल का भुगतान कन्हैया हार्डवेयर को	79506.00
4	22.03.2022	पंचायत भवन में निर्माण कार्य हेतु मैटेरियल कन्हैया हार्डवेयर को भुगतान	40093.00
5	22.03.2022	पंचायत भवन में निर्माण कार्य हेतु मैटेरियल कन्हैया हार्डवेयर को भुगतान	51502.00
		योग	293226.00

लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 30.09.2022 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से तथा आडिट आनलाइन वेबसाइट पर दिनांक 17.12.2022 को प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर के द्वारा सचिव/ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में आडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित आडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 26.12.2022 को ग्राम पंचायत अर्जुनपुर के वित्तीय वर्ष 2021-22 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु वांछित आफलाइन अभिलेखों/कार्य पत्रावलियों को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त क्रम में दिनांक 03.01.2023 को आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजीशन के माध्यम से तथा तत्पश्चात मौखिक रूप से भी वांछित आफलाइन अभिलेखों/कार्य पत्रावलियों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप सिंह द्वारा आफलाइन अभिलेखों/कार्य पत्रावलियों को उपलब्ध कराया गया, परन्तु पंचायत भवन निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप सिंह द्वारा बताया गया कि *"ग्राम पंचायत अर्जुनपुर के तत्कालीन सचिव श्री छोटेलाल सोनकर द्वारा उक्त पत्रावली मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसके कारण उसे प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं।"* तत्पश्चात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से तत्कालीन सचिव श्री छोटेलाल सोनकर द्वारा पंचायत भवन निर्माण से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया परन्तु उक्त पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही। इस प्रकार पंचायत भवन निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं उस पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत*

से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू.293226.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन सचिव/ग्रा0वि0अधिकारी श्री छोटेलाल सोनकर तथा ग्राम प्रधान श्री शीतला प्रसाद उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रू 293226.00 का उत्तरदायीव्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 146613.00 सचिव/ग्रा0वि0अधिकारी श्री छोटेलाल सोनकर से तथा रु 146613.00 ग्राम प्रधान श्री शीतला प्रसाद से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 :

ग्राम पंचायत-कील्हापुर, विकास खण्ड- जयसिंहपुर,जनपद-सुल्तानपुर कीद्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधिप्रथम से (पांचवें राज्य वित्त योजना) से दिनांक 17.03.2022 को पंचायत सहायक किरन यादव को माह जनवरी और फरवरी 2022 का मानदेय(आई०डी०- 56373881)रू 12000.00 का भुगतान किया गया है। पुन: 15वें वित्त आयोग की धनराशि से किये गये व्ययों की जांच में पाया गया कि दिनांक 17.03.2022 को 15वें वित्त मद से भी पंचायत सहायक किरन यादव को माह जनवरी और फरवरी 2022 का मानदेय(आई०डी०-56373881)रू 12000.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पंचायत सहायक किरन यादव को माह जनवरी और फरवरी 2022 का मानदेय दुबारा भुगतान कर दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण रहा। इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा बताया गया कि पी.एफ.एम.एस.में तकनीकी त्रुटिवश दुबारा भुगतान हो गया है जिसे आगामी मानदेय भुगतानों में समायोजित कर लिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं रहा। लेखा परीक्षा को स्पष्ट रहा कि पंचायत सहायक किरन यादव को माह जनवरी और फरवरी 2022 का मानदेय दुबारा भुगतान करके अपहरण किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत को धनराशि रू 12000.00 की हानि हुई है। इस प्रकार उक्त धनराशि रू 12000.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री योगराज पटेल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा दूबे उत्तरदायी हैं।उक्त धनराशि रु 12000.00 का उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 6000.00 ग्रा0पं0 अधिकारी श्री योगराज पटेल से तथा रु 6000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा दूबे से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 :

ग्राम पंचायत-कील्हापुर, विकास खण्ड- जयसिंहपुर,जनपद-सुल्तानपुरद्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधिप्रथम से (पांचवें राज्य वित्त योजना) से पंचायत भवन में फर्नीचर आपूर्ति का कार्य (आई०डी०-56365985)कराया गया है। आनलाइन ई-ग्राम स्वराज वेबसाइट पोर्टल पर अनुरक्षित वर्ष 2021-22 की कैश बुक रिपोर्ट एवं पेमेण्ट बाउचर डिटेल के अनुसार दिनांक 15.03.2022 को उक्त कार्य (आई०डी०-56365985)हेतु अंशज ट्रेडर्स नामक फर्म को धनराशि रू 63700.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत रही तथा जांच में उक्त व्यय सही पाया गया।पुन: आनलाइन ई-ग्राम स्वराज वेबसाइट पोर्टल पर अनुरक्षित वर्ष 2021-22 की कैश बुक रिपोर्ट एवं पेमेण्ट बाउचर डिटेल (प्रतिवेदन के साथ संलग्न)की जांच में पाया गया कि दिनांक 16.03.2022 को भी उक्त कार्य (आई०डी०-56365985)हेतु अंशज ट्रेडर्स नामक फर्म को धनराशि रू 63700.00 का भुगतान किया गया है; जिसे पांचवें राज्य वित्त आयोग की आफलाइन प्रस्तुत कोष बही में त्रुटिपूर्ण ढंग से दिनांक 18.03.2022 को इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु भुगतान दर्शित किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा हैण्डपम्प रिबोर कार्य की पत्रावली प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि पंचायत भवन में फर्नीचर आपूर्ति कार्य हेतु पी.एफ.एम.एस.में तकनीकी त्रुटिवश दुबारा भुगतान हो गया था जिसे बाद में हैण्डपम्प रिबोर कार्य में समायोजन किया गया है। परन्तु उक्त समायोजन/परिवर्तन के सम्बन्ध में आनलाइन अनुरक्षित वर्ष 2021-22 की कैश बुक रिपोर्ट एवं पेमेण्ट बाउचर डिटेल में कोई परिवर्तन/संशोधन/समायोजन प्रविष्टि अंकित नहीं की गई है। अस्तु लेखा परीक्षा उक्त स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं रही। लेखा परीक्षा को स्पष्ट रहा कि पंचायत भवन में फर्नीचर आपूर्ति कार्य (आई०डी०-56365985)हेतु दो बार भुगतान करके अपहरण किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत को धनराशि रू 63700.00 की हानि हुई है। इस प्रकार उक्त धनराशि रू 63700.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर

प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री योगराज पटेल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा दूबे उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि रू.63700.00 का उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 31850.00 ग्रा0पं0अधिकारी श्री योगराज पटेल से तथा रु 31850.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा दूबे से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 :

ग्राम पंचायत-बहरी, विकास खण्ड- दोस्तपुर, जनपद-सुल्तानपुर में ग्राम निधि प्रथम से (पांचवें राज्य वित्त योजना) से सामुदायिक शौचालय बहरी पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प एवं समरसेबुल स्थापना का कार्य (आई०डी०-55650368)कराया गया है; जिस हेतु दिनांक 07.12.2021 को सत्यम ट्रेडर्स नामक फर्म को धनराशि रू 53486.00 का भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत रही तथा जांच में उक्त व्यय सही पाया गया।पुन: 15वें वित्त आयोग की धनराशि से किये गये व्ययों की जांच में पाया गया कि आनलाइन ई-ग्राम स्वराज वेबसाइट पोर्टल पर अनुरक्षित वर्ष 2021-22 की कैश बुक रिपोर्ट में दिनांक 27.11.2021 को सामुदायिक शौचालय पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प एवं समरसेबुल स्थापना हेतु 15वें वित्त आयोग से भी धनराशि रू 53486.00 का भुगतान (आई०डी०-43180495 पर) किया गया है। जिसे 15वें वित्त आयोग की आफलाइन प्रस्तुत कोष बही में त्रुटिपूर्ण ढंग से दिनांक 29.11.2021 को पंचायत भवन निर्माण कार्य में प्लम्बरिंग मटेरियल एवं कार्य हेतु पी.के.कान्ट्रैक्टर को भुगतान दर्शित किया गया है। लेखा परीक्षा में 15वें वित्त आयोग से उक्त भुगतानित धनराशि रू 53486.00 से सम्बन्धित अभिलेख (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृतिएवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि) एवं किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त भुगतान पी.एफ.एम.एस. में तकनीकी त्रुटिवश हो गया था जिसे बाद में पंचायत भवन निर्माण में प्लम्बरिंग मटेरियल एवं कार्य में समायोजन किया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं रहा। लेखा परीक्षा को स्पष्ट रहा कि सामुदायिक शौचालय बहरी पर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प एवं समरसेबुल स्थापना कार्य हेतु सत्यम ट्रेडर्स नामक फर्म को धनराशि रू 53486.00 का पांचवें राज्य वित्त तथा 15वें वित्त दोनों मदों से भुगतान करके अपहरण किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत को धनराशि रू 53486.00 की हानि हुई है। इस प्रकार उक्त धनराशि रू 53486.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है; जिसके लिए ग्रा0पं0अधिकारी श्री वेद प्रकाश गौड़ तथा ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला उत्तरदायी हैं।उक्त धनराशि रु 53486.00 का उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 26743.00 ग्रा0पं0अधिकारी श्री वेद प्रकाश गौड़ से तथा रु 26743.00 ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 :

ग्राम पंचायत-धनऊपुर , विकास खण्ड- दोस्तपुर,जनपद-सुल्तानपुर द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि(पंचम राज्य वित्तयोजना) से कराये गये हैण्डपम्प रिबोर कार्य(आई0डी0-49168349)से सम्बन्धित पत्रावली (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, मापी, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि)एवं उस पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मूल/आफलाइन कोषबही के अनुसार उक्त कार्यपर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	मद एवं कार्य का नाम	दिनांक	दर्शित धनराशि
	ग्राम पंचायत में इण्डियामार्का-II हैण्डपम्प रिबोर हेतु अम्बिका कान्ट्रैक्टर ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर को भुगतान	23.07.2021	89969.00

लेखा परीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व दिनांक 08.09.2022 को पत्र के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से तथा आडिट आनलाइन वेबसाइट पर दिनांक 16.10.2022 को प्रेषित आनलाइन इंटीमेशन लेटर के द्वारा सचिव/ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी से सूची संलग्न कर लेखा परीक्षा हेतु समस्त वांछित

अभिलेखोंको उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में आडिट आनलाइन वेबसाइट पर निर्धारित आडिट कार्यक्रम तिथि दिनांक 18.10.2022 को ग्राम पंचायत धनऊपुर के वित्तीय वर्ष 2021-22 के आनलाइन उपलब्ध अभिलेखों/आंकड़ों की जांच की गई, परन्तु आनलाइन इंटीमेशन लेटर स्वीकृत न होने/वांछित आफलाइन अभिलेखोंके उपलब्ध न होने के कारण लेखा परीक्षा सम्पन्न न हो सकी।बाद में दिनांक 16-11-22 को ग्राम पंचायत के अभिलेखों/कार्य पत्रावलियों को प्रस्तुत किया गया परन्तु उक्त हैण्डपम्प रिबोर कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं उस पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहींकिये गये।उक्त क्रम में दिनांक 27.11.2022 को आडिट आनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प आडिट रिक्वीजीशन के माध्यम से तथा तत्पश्चात मौखिक रूप से भी वांछित अभिलेखों/कार्य पत्रावलियों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में वर्तमान सचिव/ग्रामपंचायत अधिकारी श्री राधेश्याम यादव द्वारा अवगत कराया गया कि *''ग्राम पंचायत धनऊपुर के तत्कालीन सचिव श्री महेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा उक्त* कार्य *से सम्बन्धित पत्रावली एवं उस पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके कारण लेखा परीक्षा हेतु उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं।''*इसप्रकार उक्त हैण्डपम्प रिबोर कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं उस पर किये गये व्यय की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया उक्त व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।''*इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 89969.00 उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अन्तर्गत अपहरण है तथा अधिभार के योग्य है; जिसके लिए तत्कालीन सचिव/ग्रा0वि0अधिकारी श्रीमहेन्द्र प्रसाद यादव तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता उत्तरदायी हैं।उक्त धनराशि रू 89969.00 का उत्तरदायीव्यक्तियों से संयुक्त रूप से रु 44984.50 सचिव/ग्रा0वि0अधिकारी श्री महेन्द्र प्रसाद यादव से तथा रु 44984.50 ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता से अद्यावधि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 :

ग्राम पंचायत- आमऊजसर पुर, विकास खण्ड- धनपतगंज, जनपद-सुल्तानपुर मे वर्ष 2021-22 में कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्राम निधि-प्रथम(राज्य वित्त)से हैण्ड पम्प रिबोर पर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	31.12..2021	हैण्ड पम्प रिबोर द्वारा तिरुपति इंटरप्राइजेस	पी0एफ0एम0एस0	29949.00
2	31.12..2021	हैण्ड पम्प रिबोर द्वारा तिरुपति इंटरप्राइजेस	पी0एफ0एम0एस0	30599.00
3	31.12.2021	हैण्ड पम्प रिबोर द्वारा तिरुपति इंटरप्राइजेस	पी0एफ0एम0एस0	30599.00
4	03.01.2022	हैण्ड पम्प रिबोर द्वारा तिरुपति इंटरप्राइजेस	पी0एफ0एम0एस0	30599.00
5	03.01.2022	हैण्ड पम्प रिबोर द्वारा तिरुपति इंटरप्राइजेस	पी0एफ0एम0एस0	30599.00
	योग			152345.00

लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी, वित्तीय, प्रशा०स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत

नहीं रहा।।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।''* अतः धनराशि रु 52345.00 की नियमानुसार वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शोभा देवी(रु 76172.50) व सचिव श्री बृजेश कुमार से रु 76172.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13 :

ग्राम पंचायत- आमऊजसरपुर, विकास खण्ड- धनपतगंज, जनपद-सुल्तानपुर मे वर्ष 2021-22 में कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि-प्रथम(राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त)से निम्न तिथि पर निम्न धनराशि का आहरण किया गया परन्तु यह धनराशि किस मद में खर्च की गयी इसका विवरण नहीं दिया गया अर्थात विवरणहीन व्यय ,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	07.12.2021	पंकज ब्रिक (केन्द्रीयवित्त)को	पी0एफ0एम0एस0	97978.00
2	07.12.2021	तिरुपतिइंटरप्राइजेस(केन्द्रीयवित्त) को	पी0एफ0एम0एस0	115897.00
3	03.01.2022	तिरुपतिइंटरप्राइजेस(केन्द्रीयवित्त) को	पी0एफ0एम0एस0	99566.00
4	07.12.2021	तिरुपतिइंटरप्राइजेस(राज्यवित्त) को	पी0एफ0एम0एस0	35000.00
5	07.12.2021	तिरुपतिइंटरप्राइजेस(राज्यवित्त) को	पी0एफ0एम0एस0	98978.00
6	19.12.2021	तिरुपतिइंटरप्राइजेस(राज्यवित्त) को	पी0एफ0एम0एस0	99982.00
	योग			547401.00

लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई0 डी0, मापी,टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगीकी जायेगी।''*अतः : धनराशि रू547401.00 की नियमानुसार वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शोभा देवी रू(273700.5) व सचिव श्री बृजेश कुमार से रू (273700.5) किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14 :

ग्राम पंचायत- आमऊजसरपुर , विकास खण्ड- धनपतगंज ,जनपद-सुल्तानपुर मे वर्ष 2021-22 में पास बुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम(केन्द्रीय वित्त)से दिनांक 03.01.2022 को 78841.00 रुपये का आहरण किया गया है जिसका उल्लेख कैश बुक में नहीं किया गया इस प्रकार समस्त धनराशि का अपहरण किया गया है . लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई0 डी0, मापी,टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।* अतः धनराशि रू :78841.00 की नियमानुसार वसूली()ग्रामप्रधान श्रीमती शोभा देवी रू 39420.5 व सचिव श्री बृजेश कुमार से रू 39420.5 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 :

ग्राम पंचायत-टीकर**,विकास खण्ड- धनपतगंज ,जनपद-सुल्तानपुर मे वर्ष 2021-22** में कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम राज्य वित्त से हैण्ड पम्प मरम्मत ,ह्यूम पाइप **क्रय**पत्थरपाटिया ,क्रयके नाम पर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	02.04.2021	हैण्ड पम्प मरम्मत विश्वकर्मा आयरन स्टोर से	पी0एफ0एम0एस0	50000.00
	07.05.2021	ह्यूम पाइप क्रयअनुभव ट्रेडर्स से राज्य) (वित्त	पी0एफ0एम0एस0	75852.00
7	07.05.2021	पत्थर पाटिया क्रयअनुभव ट्रेडर्स सेराज्य) (वित्त	पी0एफ0एम0एस0	48300.00
	योग			174152.00

लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई0 डी0, मापी,टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत सेकी जायेगी।''*अत धनराशि रू : 174152.00 की नियमानुसार वसूली)प्रशासकश्री ब्रिजेन्द्र कुमार वर्मा से रू 87076.00 व सचिव श्री इंद्रा देव शुक्ल से रू 87076.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 :

ग्राम पंचायत-अतरसुमाकला**, विकास खण्ड- धनपतगंज ,जनपद-सुल्तानपुर मे वर्ष 2021-22** कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम(राज्य वित्त)से हैण्ड पम्प रिबोर पर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	29.11...2021	हैण्ड पम्प रिबोर द्वारा गायत्री ट्रेडर्स	पी0एफ0एम0एस0	30597.00
2	29.11...2021	हैण्ड पम्प रिबोर द्वारा गायत्री ट्रेडर्स	पी0एफ0एम0एस0	30597.00
3	29.11...2021	हैण्ड पम्प रिबोर द्वारा गायत्री ट्रेडर्स	पी0एफ0एम0एस0	30597.00
4	29.11.2021	हैण्ड पम्प रिबोर द्वारा तिरुपति इंटरप्राइजेस	पी0एफ0एम0एस0	30599.00
5	29.11.2021	हैण्ड पम्प रिबोर द्वारा तिरुपति इंटरप्राइजेस	पी0एफ0एम0एस0	30194.00
7	03.12.2021	हैण्ड पम्प रिबोर द्वारा तिरुपति इंटरप्राइजेस	पी0एफ0एम0एस0	30597.00
8	03.12.2021	हैण्ड पम्प रिबोर द्वारा तिरुपति इंटरप्राइजेस	पी0एफ0एम0एस0	30499.00
	योग			213680.00

लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई0 डी0, मापी,टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।''* अतः धनराशि रु 213680.00 की नियमानुसार वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुडिया(रु 106840.00) व सचिव श्री इंद्रा देव शुक्ल से रु 106840.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 :

ग्राम पंचायत- पटना**, विकास खण्ड- धनपतगंज, जनपद-सुल्तानपुर मे वर्ष 2021-22** कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्राम निधि-प्रथम से ह्यूम पाइप क्रय ,के नाम पर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
	19.08.2021	ह्यूम पाइप क्रय अनुभव ट्रेडर्स से (राज्य वित्त)		97500.00
7	19.08.2021	ह्यूम पाइप क्रय अनुभव ट्रेडर्स से (केन्द्रीय वित्त)		97500.00
	योग			195000.00

लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई0 डी0, मापी,टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।''* अतः धनराशि रू 195000.00 की नियमानुसार वसूली ग्रामप्रधान श्रीमती दुलारी देवी से रू 97500.00 व सचिव श्री राधेश्याम कुशवाहा से रू 97500.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 :

ग्राम पंचायत-राम नगर द्वितीय**,विकास खण्ड- धनपतगंज ,**जनपद-सुल्तानपुर मे वर्ष **2021-22** कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्रामनिधि-प्रथम राज्य वित्त से हैण्ड पम्प मरम्मत ,के नाम पर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	27.12.2021	हैण्ड पम्प मरम्मत ओम इंटरप्राईजेस से	पी0एफ0एम0एस0	54594.00
	27.12.2021	हैण्ड पम्प मरम्मत ओम इंटरप्राईजेस से)राज्य वित्त	पी0एफ0एम0एस0	54594.00
	योग			109188.00

लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई0 डी0, मापी,टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *''यदि दर्शाये*

*गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।''*अत :धनराशि रू 109188.00 की नियमानुसार वसूली ग्रामप्रधान श्री अमर नाथ से रू 54594.00 व सचिव श्री बृजेश कुमार से रू 54594.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 :

ग्राम पंचायत-राम नगर द्वितीय**,विकास खण्ड- धनपतगंज ,जनपद-सुल्तानपुर मे वर्ष 2021-22** कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्यवर्ष में ग्राम निधि-प्रथम राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त से मिट्टी पटाई के नाम पर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	05.01.2022	प्राथमिक विद्यालय रामनगर २ में ओम इंटरप्राईजेस से	पी0एफ0एम0एस0	49267.00
2	05.01.2022	ओम इंटरप्राईजेस से राज्य वित्त	पी0एफ0एम0एस0	50249.00
3	05.01.2022	प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर में ओम इंटरप्राईजेस से केन्द्रीय विद्यालय	पी0एफ0एम0एस0	73732.00
	योग			173248.00

लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई0 डी0, मापी,टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।''*अत :धनराशि रू 173248.00 की नियमानुसार वसूली ग्रामप्रधान श्री अमर नाथ से रू 86624.00 व सचिव श्री बृजेश कुमार से रू86624.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 :

ग्राम पंचायत- सादुल्लापुर ,विकास खण्ड- बलदीराय ,जनपद-सुल्तानपुर मे वर्ष 2021-22 कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में जूनियर स्कूल पूरे तुलसी मे ग्राम निधि-प्रथम राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त से डेस्क बेंच स्थापना के नाम पर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	01.07.2021	डेस्क बेंच स्थापना (राज्य वित्त)	पी0एफ0एम0एस0	92448.00
2	01.07.2021	डेस्क बेंच स्थापना (केन्द्रीय वित्त)	पी0एफ0एम0एस0	92448.00
3	01.07.2021	डेस्क बेंच स्थापना (केन्द्रीय वित्त)	पी0एफ0एम0एस0	92448.00
	योग			277344.00

लेखा परीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई0 डी0, मापी, टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्तकार्य की कार्य पत्रावलियां/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय, लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार *''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को*

*गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।''*अत :धनराशि रू 277344.00 की नियमानुसार वसूली ग्रामप्रधान श्री ऊधौ प्रसाद से रू 138672.00 व सचिव श्री रंजीत कुमार से रू 138672.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 :

ग्राम पंचायत- सादुल्लापुर ,विकास खण्ड- बलदीराय ,जनपद-सुल्तानपुर मे वर्ष 2021-22कैशबुक के अनुसार ग्रामपंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में प्राथमिक पाठशाला पूरे तुलसी मे ग्रामनिधि-प्रथम राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त से अतिरिक्त कक्ष , बरामदा , किचन मे टाइलिकरण के नाम पर निम्न तिथि पर निम्न व्यय दर्शित किया गया है,जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम सं0	दिनांक	कैशबुक विवरण	पासबुक विवरण	व्यय धनराशि
1	07.2021. 02	टाइलीकरण (केन्द्रीय वित्त)	पी0एफ0एम0एस 0	96918.00
			योग	96918.00

लेखापरीक्षा में उक्त कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी,वित्तीय,प्रशा०स्वीकृति, आई0 डी0, मापी,टेंडर कोटेशन आदि) एवं उक्त कार्यों पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।।इस प्रकार उक्तकार्य की कार्यपत्रावलियां/व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रामपंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखामैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।'' अत :धनराशि रू 96918.00 की नियमानुसार वसूली ग्रामप्रधान श्री ऊधौ प्रसाद से रू 48459.00 व सचिव श्री रंजीत कुमार से रू 48459.00 किया जाना अपेक्षित है।